लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

(चौदहवां सत्र)

7th Lok Sabha



(खंड 48 में अंक 41 से 52 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

7 मई, 1984/17 वैशाख, 1906 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

विषय सूची, पृष्ठ (i), पंक्ति 10 व 11, "ए और बी" के स्थान पर क्रमशः "क और ख" पढ़िये।

विषय सूची, पृष्ठ (i), "अतारांकित प्रश्न संख्या" के सामने पृष्ठ संख्या "4 8-264" के स्थान पर "43-264" पढ़िये।

विषय सूची, पृष्ठ (i), "सभा पटल पर रखे गये पत्र" के सामने पृष्ठ संख्या "278-281" के स्थान पर "278-282 व 393-394" पढ़िये।

विषय सूची, पृष्ठ (ii), पंक्ति 4, "लदाख" तथा पृष्ठ 288, पंक्ति 10, "लदाख" के स्थान पर "लद्दाख" पढ़िये।

विषय सूची, पृष्ठ (ii), पंक्ति 11, "पोलोभोत" के स्थान पर "पोलोभोत" पढ़िये।

विषय सूची, पृष्ठ (ii), पंक्ति 14, "बोड़ो मजदूरों" के स्थान पर "बोड़ो मजदूरों" पढ़िये।

विषय सूची, पृष्ठ (ii), पंक्ति 16, "पश्चिच" के स्थान पर "पश्चिम" पढ़िये।

विषय सूची, पृष्ठ (ii), पंक्ति 24, "समाधन" के स्थान पर "समाधान" पढ़िये।

विषय सूची, पृष्ठ (i), अंतिम पंक्ति, "वालिटी" के स्थान पर "क्वालिटी" पढ़िये।

विषय सूची, पृष्ठ (iii), "श्री राम विलास पास" के स्थान पर "श्री राम विलास पासवान" पढ़िये।

विषय सूची, पृष्ठ ।।।।, "प्रस्ताद" के स्थान पर "प्रस्ताव" पढ़िये।

पृष्ठ ।, पंक्ति 6, "+" का लोप कीजिये।

पृष्ठ ।, पंक्ति ।2, "श्री रामवतार शास्त्री" के स्थान पर "श्री रामावतार शास्त्री" पढ़िये।

पृष्ठ 9, पंक्ति 7 व नीचे से पंक्ति 2, पृष्ठ ।।7, पंक्ति 9, पृष्ठ 208, पंक्ति 7, "श्री योगेन्द्र मक्वाणा" के स्थान पर "श्री योगेन्द्र मेक्वाना" पढ़िये।

पृष्ठ 52, अंतिम पंक्ति "।6,95,।30" के स्थान पर "।2,95,।30" पढ़िये।

पृष्ठ 86, नीचे से पंक्ति 5, "हल्दर" के स्थान पर "हाल्दर" पढ़िये।

पृष्ठ 92, पंक्ति 7, "संजोव राव" के स्थान पर "संजोवी राव" पढ़िये।

पृष्ठ ।09, पंक्ति ।5, "शाक्या" के स्थान पर "शाक्य" पढ़िये।

पृष्ठ ।।7, नीचे से पंक्ति 6, "419·37x" के नीचे "490·33 xx" अंत:स्थापित कीजिये।

पृष्ठ ।।8, पंक्ति 8, "श्री एस0आर0ए0शस0अप्पाला नायडू" के स्थान पर "श्री एस0आर0ए0एस0अप्पालानायडू" पढ़िये।

पृष्ठ ।।9, पंक्ति ।9, "श्री राण कृष्ण मोरे" के स्थान पर "श्री राम कृष्ण मोरे" पढ़िये।

पृष्ठ ।20, पंक्ति 20, "प्राणिग्राही" के स्थान पर "पाणिग्राही" पढ़िये।

पृष्ठ ।58, पंक्ति ।, "मूंगफल" के स्थान पर "मूंगफली" पढ़िये।

पृष्ठ ।59, पृष्ठ संख्या "95।" के स्थान पर पृ0 सं0 "।59" पढ़िये।

पृष्ठ 167, अं0प्र0संख्या "10289" के स्थान पर "10189" पढ़िये।

पृष्ठ 169, नीचे से पंक्ति 8, "टाक" के स्थान पर "स्टाफ" पढ़िये।

पृष्ठ 183, "आर0पी0वर्मा" के स्थान पर "श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा" पढ़िये।

पृष्ठ 183, पंक्ति 13, "अरुणा कुमार नेहरू" के स्थान पर "अरुण कुमार नेहरू" पढ़िये।

पृष्ठ 1888, नीचे से पंक्ति 3, "जलवर" के स्थान पर "अलवर" पढ़िये।

पृष्ठ 228, पंक्ति 12, "10·5" के स्थान पर "10,5" पढ़िये।

पृष्ठ 256, पंक्ति 11, "अं0प्र0संख्या "19248" के स्थान पर "10284" पढ़िये।

पृष्ठ 265, पंक्ति 12, "श्रध्यक्ष महोदय" के स्थान पर "अध्यक्ष महोदय" पढ़िये। और "ब्रेद" के स्थान पर "बंद" पढ़िये।

पृष्ठ 268, पंक्ति 11, "सुर लिया" के स्थान पर "सुन लिया" पढ़िये।

पृष्ठ 272, नीचे से पंक्ति 4, "स्थगत प्रस्ताव" के स्थान पर "स्थगन प्रस्ताव" पढ़िये।

पृष्ठ 273, नीचे से पंक्ति 6, "{व्यवधान}" के स्थान पर "{व्यवधान}" पढ़िये।

पृष्ठ 280, पंक्ति 4, "एल0टी0 "7325/84" के स्थान पर "एल0टी0 8325/84" पढ़िये।

पृष्ठ 282, नीचे से पंक्ति 7, "12·म0प0" के स्थान पर "12·22½ म0प0" पढ़िये।

पृष्ठ 282, नीचे से पंक्ति 6; "शोर्षक" से कोष्ठको का लोप करिये ।

पृष्ठ 292, पंक्ति 7, "श्री रोतलाल प्रसाद" के स्थान पर "श्री रोतलाल प्रसाद वर्मा" पढ़िये ।

पृष्ठ 305, पंक्ति 6 तथा 10, "अध्यक्ष महोदय" के स्थान पर "उपाध्यक्ष महोदय" पढ़िये ।

पृष्ठ 326, पंक्ति 7, "मुझ" के स्थान पर "मुझे" पढ़िये ।

पृष्ठ 333, पंक्ति 4, "{दूगुर}" के स्थान पर "{गुंटूर}" पढ़िये ।

पृष्ठ 335, पंक्ति 20, "मै आपको सहायता का . . " के स्थान पर "मै आपसे सहायता के लिए अनुरोध" पढ़िये ।

पृष्ठ 343, नीचे से पंक्ति 4, "श्री जयोति वासु" के स्थान पर "श्री ज्योति बसु" पढ़िये ।

पृष्ठ 365, अंतिम पंक्ति, "श्री मगनभाई बारोट" के स्थान पर "श्री मगनभाई बरोट" पढ़िये ।

पृष्ठ 384, पंक्ति 1, "उपाध्यक्ष महोदय" के स्थान पर "उपाध्यक्ष महोदय" पढ़िये ।

पृष्ठ 303, पंक्ति 20, "सभा पटल पर रखे गये" के पश्चात "पत्र" जोड़िये ।

पृष्ठ 411, पंक्ति 12, "दर्शक दोघो" के स्थान पर "दर्शक दोर्घा" पढ़िये ।

पृष्ठ 411, पंक्ति 13, "हिराज़त्त" के स्थान पर "हिरासत" पढ़िये ।

पृष्ठ 411, नीचे से पंक्ति 8, "करते" के स्थान पर "करने" पढ़िये ।

पृष्ठ 411, नीचे से पंक्ति 7, "वह सभा" के स्थान पर "यह सभा" पढ़िये ।

विषय-सूची

सप्तम माला, खण्ड 48, चौदहवां सत्र, 1984/1906 (शक)

अंक 50 सोमवार, 7 मई, 1984/17 वैशाख, 1906 (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		1—21
* तारांकित प्रश्न संख्या	946, से 950	1—19
प्रश्नों के लिखित उत्तर		22—277
तारांकित प्रश्न संख्या	951 से 968	22—42
अतारांकित प्रश्न संख्या	10060 से 10093, 10095 से 10291, 10291—ए और 10291—बी	43—264
सभा-पटल पर रखे गए पत्र		278—281
राज्य सभा से संदेश		310
याचिका समिति का प्रतिवेदन		285
17वां प्रतिवेदन		285
अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति		285
25वां प्रतिवेदन		285
लाभ के पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति		285
10वां प्रतिवेदन		285
बैंककारी सेवा आयोग विधेयक—पुर:स्थापित		285
नियम 377 के अधीन मामले		286—291
(एक) इलाहाबाद विश्वविद्यालय को 1985 में उसके शताब्दी समारोह से पूर्व केन्द्रीय विश्वविद्यालय घोषित करने की मांग		286
श्री कृष्ण प्रकाश तिवारी		286
(दो) बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार दिलाने तथा एक वर्ष के भीतर सरकार से रोजगार न पाने वाले व्यक्तियों को बेरोजगार भत्ते का भुगतान		286
श्री मनीराम बागड़ी		286

* किसी नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
(तीन) स्वतन्त्रता सेनानियों को और अधिक सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता	287
श्री एन० डेनिस	287
(चार) लद्दाख के छंगथांग क्षेत्र के उन लोगों को 1982 में पड़े भारी हिमपात के कारण जिनका समस्त पशुधन नष्ट हो गया था उनको अपना पशुधन जुटाने के लिए राहत देने की आवश्यकता	288
श्री पी० नामग्याल	288
(पांच) दक्षिणी रेलवे के मदुराई डिवीजन के कुछ अलाभप्रद रेल स्टेशनों के बन्द किए जाने की संभावना	288
श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम	288
(छः) पोलीभीत (उ० प्र०) में बसे बंगाली शरणार्थी परिवारों को कतिपय सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता	289
श्री हरीश कुमार गंगवार	289
(सात) बीड़ी मजदूरों की समस्याओं पर विचार करने के लिए एक आयोग गठित करने की आवश्यकता	289
श्री बाबूराव परांजपे	289
(आठ) पश्चिम बंगाल में बर्दवान रेल स्टेशन के समीप ओल्ड रोड पर एक ऊपरी पुल बनाने की आवश्यकता	290
श्री सुशील भट्टाचार्य	290
(नौ) तमिलनाडु के उन किसानों की क्षतिपूर्ति किये जाने की आवश्यकता जिनकी धान की फसलें कीड़ों के प्रकोप के कारण नष्ट हो गई थीं	291
श्री एस० ए० दोराई सेबस्तियन	291
(दस) बिहार में बिजली की कमी की समस्या का समाधान करने के लिये कांटी ताप-बिजली परियोजना को निर्धारित समय के भीतर पूरा करने की आवश्यकता	291
श्रीमती किशोरी सिन्हा	291
निर्यात (वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) संशोधन विधेयक	292—306

विषय	पृष्ठ
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा	292
श्री हरिकेश बहादुर	294
श्री रामविलास पासवान	295
श्री निहार रंजन लास्कर	297
खंड 2 से 9 और 1	305
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	
श्री निहार रंजन लास्कर	
एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (संशोधन) विधेयक	307—390
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री जगन्नाथ कौशल	307
प्रो० मधुदण्डवते	310
श्री बृजमोहन महन्ती	320
श्री सोमनाथ चटर्जी	324
प्रो० एन० जी० रंगा	333
श्री चित्त बसु	340
श्रीमती गीता मुखर्जी	546
श्री राम प्यारे पनिका	343
श्री जगपाल सिंह	355
श्री मगनभाई बरोट	359
श्री आर० एन० राकेश	3[illegible]
खड 2 से 52 तथा।	
पारित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री जगन्नाथ कौशल	383
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	384
श्री रामावतार शास्त्री	387
विश्व भारती (संशोधन) विधेयक	391—392
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में	
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्रीमती शीला कौल	391

विषय	पृष्ठ
सभा के कार्य के बारे में	393
आधे घंटे की चर्चा	34—410
भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के घाटे में वृद्धि	394
श्री के० लकप्पा	394
श्री एन० के० पी० साल्वे	298
श्री चन्द्रपाल शैलानी	404
श्री राम विलास पासवान	401
श्री हरिकेश बहादुर	404
श्री रामावतार शास्त्री	408
सभा का अवसान	411—412

लोक सभा

सोमवार, 7 मई, 1984/17 वैशाख 1906 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

11.00 म० पू०

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : महोदय, स्क्वैड्रन लीडर राकेश शर्मा तथा अन्य अन्तरिक्ष यात्री भारत आए हुए हैं । हमें सभी अन्तरिक्ष यात्रियों को अपने बधाई तथा सारहना सन्देश देने चाहिएं ।

अध्यक्ष महोदय : हम आपकी बात की बहुत कद्र करते हैं ।

श्री रामावतार शास्त्री : इस को प्रस्ताव के रूप में मान लीजिये ।

अध्यक्ष महोदय : 11 तारीख को उनका रिसेप्शन है ।

श्री रामवतार शास्त्री : 12 तारीख को है ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, ता० 11 को है ।

श्री रामावतार शास्त्री : हम लोग उस दिन यहां नहीं रहेंगे, इसलिये आज ही कर दीजिये ।

अध्यक्ष महोदय : सलाह कर लें । हम इस कार्य को प्रथम प्राथमिकता देंगे ।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

उड़ीसा में पशु धन उत्पादन कार्यक्रम

*946. **श्री लक्ष्मण मलिक** :

श्री हरिहर सोरन : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छोटे सीमान्त किसानों और कृषि श्रमिकों के लाभ के लिए केन्द्रीय प्रयोजित योजना के अन्तर्गत उड़ीसा में एक विशेष पशुधन उत्पादन कार्यक्रम आरम्भ किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्यों का ब्यौरा क्या है तथा संकर नस्ल की गायों, मुर्गियों, भेड़, सूअर पालन आदि के लिए संबंधित व्यक्तियों को केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या राज सहायता और अन्य सुविधाएं प्रदान की गई हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा गया है ।

विवरण

क. विशेष पशुधन संवर्धन कार्यक्रम के दो मुख्य घटक हैं :

1. संकर नस्ल की ओसरों को पालना,

2. मुर्गी, सूअर तथा भेड़ उत्पादन यूनिटों की स्थापना

(1) संकर नस्ल की ओसरों को पालना :

उद्देश्य: चुने हुए छोटे/सीमान्त किसानों तथा कृषि श्रमिकों की देशी पशुओं से अच्छी किस्म के संकर नस्ल वाले बछड़े पैदा करने हेतु मदद करना और उसके द्वारा उनकी आय में बढ़ोतरी करना ।

सहायता: (क) 4 से 32 महीनों तक की आयु की संकर नस्ल की ओसरों को चारा देने के लिए निम्नलिखित दर से आर्थिक सहायता दी जाती है ;

कृषि श्रमिक: $66\frac{2}{3}$ प्रतिशत

छोटे/सीमान्त किसान: 50 प्रतिशत

(ख) स्वास्थ्य की देखभाल के लिए टीका लगाने तथा डेवोरमिंग हेतु आर्थिक सहायता

(ग) बीमा के लिए आर्थिक सहायता

(2) मुर्गी, सुअर तथा भेड़ उत्पादन यूनिटों की सप्लाई

उद्देश्य: मुर्गी, भेड़ और सूअर विकास की गहन परियोजनाओं के माध्यम से छोटे/सीमान्त किसानों और कृषि मजदूरों की आय बढ़ाना ।

सहायता: (क) यूनिटों की लागत पर आर्थिक सहायता निम्नलिखित दरों से दी जाती है :

छोटे किसान	25 प्रतिशत
सीमान्त किसान कृषि श्रमिक	$33\frac{1}{3}$ प्रतिशत
आदिवासी लाभभोगी	50 प्रतिशत

आर्थिक सहायता की अधिकतम सीमा 3,000 रुपये तक है।

अनुसूचित जन-जाति के लाभभोगियों के लिए आर्थिक सहायता की अधिकतम सीमा 5,000 रुपये है।

(ख) विपणन तथा स्वास्थ्य की देखभाल हेतु सहायता।

(ग) बीमा के लिए आर्थिक सहायता।

(ख) केन्द्र सरकार ने उड़ीसा सरकार को इस योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित निधियां बंटित की हैं :—

1980-81	28.870	लाख रुपये
1981-82	29.090	लाख रुपये
1982-83	56.585	लाख रुपये
1983-84	5.350	लाख रुपये

श्री लक्ष्मण मलिक : महोदय, मैंने माननीय मंत्री द्वारा सभा-पटल पर रखा गया विवरण पढ़ लिया है। इससे पता चलता है कि अधिकतर लाभयोगी—छोटे तथा सीमांत किसान—मजदूरी कमाते हैं। विशेष पशुधन संवर्द्धन कार्यक्रम का उद्देश्य निर्धन छोटें तथा सीमांत किसानों को अतिरिक्त आय प्रदान करना है। लाभभोगियों का चयन किया जा रहा है और चुनींदा लाभभोगियों को उनके अपने देशी पशुओं से अच्छी नस्ल की संकर गाएं उपलब्ध कराने के लिए राज सहायता भी दी जा रही है। ऐसे समाचार तथा शिकायतें मिली हैं कि वास्तविक लाभ-भोगियों का चयन सही ढ़ंग से नहीं किया जाता तथा पूरी राज सहायता लाभभोगियों तक नहीं पहुंच रही है। यह सुविधाएं बड़े किसानों को मिल रही हैं तथा कार्यान्वयन एजेंसियां कभी-कभी इन स्कीमों में सहयोग नहीं करतीं। लाभभोगियों को भारवाही तथा घटिया पशु व पक्षी तथा रुग्ण पशु सप्लाई किए जा रहे हैं।

क्या मैं माननीय मंत्री से यह जान सकता हूं कि क्या भारत सरकार का कोई निगरानी कक्ष या प्रर्यवेक्षी एजेंसी है जो इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जानकार दे सके ?

श्री हरिनाथ मिश्र : इस कार्य के कार्यान्वियन की निगरानी के लिए हमारे पास कोई स्वतंत्र व्यवस्था नहीं है। तथापि, यह सच है कि हम अधिकतर राज्य सरकार की रिपोर्ट पर निर्भर करते हैं। मैं इस बात की जांच करा सकता हूं कि लाभभोगियों का सही चयन हुआ या नहीं, रुग्ण तथा घटिया किस्म के पशु तथा पक्षी लाभभोगियों को सप्लाई किए गए या नहीं तथा

अन्य सभी बातें जिनका माननीय सदस्य ने अभी उल्लेख किया है, लेकिन इस समय उड़ीसा सरकार से हमें जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है, उसमें इनमें से किसी का भी उल्लेख नहीं है ।

एक माननीय सदस्य : यदि निगरानी करने वाली कोई एजेंसी नहीं है तो करोड़ों रुपए की धन राशि का क्या हुआ ?

श्री लक्ष्मण मलिक : मुझे खेद है कि मुझे उपर्युक्त उत्तर नहीं मिला । खैर, आप जानते हैं कि उड़ीसा में पिछली बाढ़ तथा तूफान के दौरान इन लाभभोगियों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है । उनके पशु बाढ़ में बह गए थे तथा तूफान के दौरान कुछ मर गए तथा कुछ अपंग हो गए ।

क्या मैं जान सकता हूं कि इन लाभभोगियों को सप्लाई किये गए पशुधन का तीसरी पार्टी जोखिम के लिए बीमा किया गया है, जिसमें प्राकृतिक आपदाएं तथा आग दुर्घटनाएं शामिल हैं ?

श्री हरिनाथ मिश्र : हमारे दिशानिर्देशों के अनुसार, सभी प्रकार की सम्भाव्यताओं जैसे कि मृत्यु, प्राकृतिक मृत्यु या बाढ़, आग, तूफान के कारण मृत्यु तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं की सजीव कल्पना की गई है । माननीय सदस्य की संतुष्टि के लिए मैं इस मामले के सम्बन्ध में जांच पड़ताल कराऊंगा ।

श्री के० लकप्पा : क्या ऐसी कोई योजना है ?

श्री हरिनाथ मिश्र : यह एक व्यापक योजना है । लेकिन मैं तत्काल यह नहीं बता सकता कि उड़ीसा सरकार ने कौन सी पद्धति अपना रखी है ।

एक माननीय सदस्य : मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह योजना तूफानों पर लागू होती है ?

श्री हरिनाथ मिश्र : मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बता चुका हूं कि समूची बीमा योजना एक व्यापक योजना है ।

श्री हरिहर सोरन : विवरण से ऐसा लगता है कि उड़ीसा सरकार को 1983-84 के दौरान विशेष पशुधन संवर्द्धन कार्यक्रम के लिए दी गई केन्द्रीय सहायता, घटाकर 5.350 लाख रुपये कर दी गई है, जबकि इसकी तुलना में 1980-81 में 28.870 लाख रुपये, 1981-82 में 29.090 लाख रुपये तथा 1982-83 में 56.585 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता दी गई थी । क्या मैं जान सकता हूं कि उक्त कार्यक्रम के लिए उड़ीसा सरकार को दी गई केन्द्रीय सहायता में कमी करने के क्या कारण हैं और क्या उड़ीसा में इस कार्यक्रम का अधिकार विस्तार किये जाने की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए 1984-85 में केन्द्रीय सहायता में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है ?

श्री हरिनाथ मिश्र : उड़ीसा सरकार द्वारा भेजे गए आंकड़े इस प्रकार हैं .....।

एक माननीय सदस्य : वह केन्द्रीय सहायता के सम्बन्ध में जानना चाहते हैं।

श्री हरिनाथ मिश्र : मैं उसी मुद्दे की ओर आ रहा हूं। 1982-83 के अन्त में यह पाया गया कि उड़ीसा सरकार के पास संचित अप्रयुक्त धन राशि 70 लाख रुपए थी। स्वभाविक तौर पर जब उनके पास इतनी अधिक राशि बची हुई थी तो हमने सोचा कि उड़ीसा सरकार को चेतावनी दी जाए। कर्मचारियों के खर्च तथा स्थापना के रख-रखाव के लिए केवल 5.35 लाख रुपये ही मंजूर किए गए।

इसके बाद, मैं आपको बता दूं कि उड़ीसा सरकार को गत फरवरी में चेतावनी दी गई थी कि वे इस दिशा में बेहतर कार्य दिखाएं। माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है तथा मेरे अपने अधिकारियों से जो रिपोर्टें मुझे मिली हैं, उन्हें दृष्टिगत रखते हुए मै एक जिम्मेदार वरिष्ठ अधिकारी को उस क्षेत्र में तुरन्त जांच पड़ताल करने तथा विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए वहां भेजने के बारे में सोच रहा हूं। निःसन्देह, हम चाहते हैं कि यह कार्यक्रम जारी रहे तथा इसमें तेजी आए। यह बात सुनिश्चित करने के लिए, हम इस अधिकारी को मौके पर भेजना चाहते हैं।

श्री संतोष मोहन देव : राष्ट्रीय समाचार-पत्रों में यह खबर प्रकाशित हुई है कि माननीय मंत्री ने उच्चाधिकारियों के एक दल से कहा है कि अधिकतर राज सहायता के दुरुपयोग को ध्यान में रखते हुए सरकार राज सहायता को सावधी जमा के रूप में बैंक में रखने तथा विभिन्न केन्द्रीय स्कीमों के अन्तर्गत दिए जाने वाले ऋण की अदायगी की प्रतिभूति के रूप में इस्तेमाल करने पर विचार कर रही है। क्या मैं जान सकता हूं कि यह सच है और यदि हां तो इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

श्री हरिनाथ मिश्र : यह प्रश्न उड़ीसा सरकार तथा एक विशेष कार्यक्रम से सम्बन्धित है। अखिल भारतीय संदर्भ में समाचार-पत्रों में जो कुछ प्रकाशित हुआ है, उस पर मैं कुछ नहीं कह सकता।

राष्ट्रीय बीज निगम का कार्य निष्पादन

*947. **श्री रामावतार शास्त्री** †:

श्री विजय कुमार यादव : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय बीज निगम के कार्य-करण और कार्य निष्पादन की जांच करने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति गठित करने का है ;

(ख) क्या सरकार का विचार बोर्ड द्वारा 3 नवम्बर, 1983 को स्वीकृति अनुसार किसी प्रकार की हेराफेरी का पता लगाने के लिए 1982-83 के तुलन-पत्र की एक लेखा परीक्षक न्यायाधिकरण से भली-भांति लेखा परीक्षा कराने का है ;

(ग) बोर्ड द्वारा अपनी पूर्ववर्ती बैठकों में 1982-83 के लिए स्वीकृत लक्ष्य की तुलना में उत्पादन और बिक्री का कितना लक्ष्य प्राप्त हुआ, दोषी कर्मचारियों की जिम्मेदारी निश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(घ) क्या राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा अपने लिए और राज्य बीज निगमों तथा विश्व बैंक से सहायता पाने वाली राष्ट्रीय बीज परियोजनाओं के अन्तर्गत अन्य संस्थाओं के लिए विश्व-व्यापी और स्थानीय निविदाओं के जरिए की गई सारी खरीद की भलीभांति जांच करवाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) 1982-83 के लिए राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा निर्धारित बीज के उत्पादन का लक्ष्य 8.83 लाख क्विंटल था जबकि वास्तविक उत्पादन 6.65 लाख क्विंटल था । इसी वर्ष के लिए विपणन का लक्ष्य 4.72 लाख क्विंटल था जबकि उपलब्धि 4.18 लाख क्विंटल थी । समूचे देश में भयंकर सूखे के कारण उत्पादन में कमी आई जिसके परिणामस्वरूप राज्य बीज निगमों के उत्पादन में गिरावट आई । विपणन के मामले में, गत वर्ष के दौरान असमय वर्षा होने से गेहूं के बीजों की क्षति पहुंचने तथा राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड द्वारा घोषित कार्यक्रम की तुलना में राज्य बीज निगमों द्वारा कम सप्लाई करने के परिणामस्वरूप अपर्याप्त उपलब्धि के कारण विपणन में गिरावट आई ।

(घ) जी, नहीं ।

श्री रामावतार शास्त्री : अध्यक्ष जी, "जी नहीं" कह कर के इन्होंने राष्ट्रीय बीज निगम के अन्दर जो धांधले बाजियां चल रही हैं या जो भ्राष्टाचार है, उसको छिपाने का प्रयास किया है । चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर जब से आए हैं तब से उस संगठन के अन्दर भेद भाव की नीति बरती जा रही है और शक्तियों के दुरुपयोग की वजह से वहां के कर्मचारियों में असंतोष है । इसकी वजह से वहां पर भ्रष्टाचार या कदाचार पनप रहा है । क्या आपको इसके बारे में कोई जानकारी मिली है । इस तरह की चीजें अखबारों में भी निकली हैं और लोगों से भी पता चला है । इस बारे में आपका क्या कहना है ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : यह गलत बात है । चेयरमैन सीड्स कारपोरेशन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं । इसीलिए उसका प्रोडक्शन काफी बढ़ा है ।

श्री रामावतार शास्त्री : प्रोडक्शन कहां बढ़ा है ? आपने जवाब में नहीं बताया है ।

श्री योगेन्द्र मकवाना : पिछले दस सालों में 200 टाइम प्रोडक्शन बढ़ा है । मैं जवाब में बता देता तो आप सप्लीमेंट्री कैसे पूछते । प्रोडक्शन काफी बढ़ा है और पिछले 20 सालों का

अगर देखें तो 2000 टाइम प्रोडक्शन बढ़ा है । वहां का काम अच्छा चल रहा है इसलिए इतना प्रोडक्शन बढ़ा है । चेयरमैन अच्छी तरह से काम कर रहे हैं । यह बात हो सकती है कि कुछ कर्मचारी होते हैं जो गलत काम करते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : कार्मचारी नहीं कर्मचारी ।

श्री योगेन्द्र मकवाना : कृपया आप मेरी हिन्दी को बरदाशत करें । जहां इन लोगों ने गलत काम किए हैं वहां चेयरमैन ने एक्शन भी लिए हैं । मैंने भी डायरेक्शन दिए हैं :— "ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध आपको कार्यवाही करनी चाहिए । ऐसे लोग ही मेंबर्स के पास जाकर के गलत इनफरमेशन देते हैं और उसी गलत फहमी की वजह से माननीय सदस्य यह बात कह रहे हैं । यह गलत है ।

श्री रामावतार शास्त्री : जो इनफरमेशन मिलेगी, उसी को तो हम कहेंगे । आसमान से तो इन्फरमेशन लाएंगे नहीं । अब उसका खण्डन या मण्डन करना आपका काम है ।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मेंबर पर आक्षेप लगाया गया है । हमें जो जानकारी उपलब्ध होती है उसी के आधार पर हम यहां बोलते हैं । मंत्री महोदय यह नहीं कह सकते कि गलत जानकारी के आधार पर सवाल पूछा गया है । वे यह कह सकते हैं कि आपकी जानकारी गलत है ।

अध्यक्ष महोदय : यही कह रहे हैं ।

श्री रामावतार शास्त्री : मुझे जो जानकारी मिली है– वही बोल रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, व्याकरण के हिसाब से आपने सुधार कर दिया ।

श्री रामावतार शास्त्री : मैंने जो सुना है, उसी को कह रहा हूं । अखबारों में भी खबरें निकलती हैं ।

अध्यक्ष जी, दूसरा सवाल मेरा है कि देश के अन्दर रूरोवल टेंडर आपका बीज निगम करता है । इस मामले में भी शिकायतें मिली हैं । इनमें गोलमाल या घपला है । इसलिए मैंने इस सवाल के जरिए मांग की है कि इसकी थारो इनक्वारी होनी चाहिए । क्योंकि हो सकता है कि पैकेजिंग में कहीं गड़बड़ है या पैसा बनाने की कोशिश की गई है इंक्वायरी करवाने से आप क्यों घबराते हैं ? अगर इस तरह की शिकायत हो तो इंक्वायरी करने से साफ हो जायेगा । यदि गलत शिकायत है तो मालूम हो जायेगा और सही है तो उस बात को दुरुस्त किया जाना चाहिए । इस तरह की बातें सुनने को मिल रही हैं । इसके बारे में मैं जानना चाहता हूं कि आपके यहां क्या का कानून है ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : अगर कोई स्पेसिफिक बात होती तो उस पर इंक्वायरी करने के लिए मैं हां कर सकता था लेकिन जो वेग ऐलीगेशन्स या कंपफेट्स हैं, वह स्पेसिफिक नहीं हैं

जिन पर इंक्वायरी की जाए। कुछ स्पेसिफिक इंस्टांस माननीय सदस्य देंगे तो उस पर अवश्य जांच करवायेंगे। लेकिन स्पेसिफिक होना चाहिए।

श्री रामावतार शास्त्री : बीज का जो पैकेट होता है, उसमें गड़बड़ है।...(व्यवधान)...

श्री योगेन्द्र मकवाना : क्या गड़बड़ है ?

श्री रामावतार शास्त्री : पैसे कमाए गए हैं और कितना खुलकर बताऊं ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : आप खुलकर बताइए।

श्री रामावतार शास्त्री : आपके अधिकारियों ने पैसे कमाए हैं जिसकी जानकारी आपके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर को है। इस मामले में इंक्वायरी करने की जरूरत है। आप कहते हैं कि इंक्वायरी की आवश्यकता नहीं है। जो गड़बड़ हुई है, उसको सामने लाने के लिए इंक्वायरी जरूरी है। ग्लोबल टेण्डर के बारे में बताइए ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : मैंने बार-बार कहा है कि किसी गलत फहमी की वजह से ही माननीय सदस्य कह रहे हैं। जो 17 टेण्डर आज तक हम लोगों ने इन्वाइट किए थे, उसमें से 9 लोकल थे और 8 ग्लोबल टेण्डर थे। 13.34 करोड़ रुपए के टेण्डर थे। उसमें कुछ ऐसे भी थे जिनमें लोअर प्राइस कोट की गई थी। लेकिन उनके इक्वीपमेंट सही नहीं थे इसलिए हमने हायर प्राइस वाले को लिया। जब हम टेण्डर इन्वाइट करते हैं तो उसके बाद दो कमेटी होती है जिनमें इवेल्यूएशन के लिए भेजते हैं। एक तो इवेल्यूएशन कमेटी होती है जो टेण्डर का इवेल्यूएशन करती है। एक सब-कमेटी होती है। वह हर चीज की छान-बीन करती है। जो सही होता है, उसको लेने की इजाजत देती है। उसमें कभी ऐसा भी होता है कि जिसका सब स्टैण्डर्ड माल हो, व बहुत लो-प्राइस कोट किया हुआ है तो उसको हम नहीं लेते हैं क्योंकि उससे नुकसान होता है। इसलिए, हायर-प्राइस का लेना पड़ता है। इससे गलतफहमी यह होती है कि हायर-प्राइस वाले को क्यों लिया जबकि कम प्राइस वाले भी थे ? अच्छा माल न होने की वजह से हायर-प्राइस का एक्सेप्ट करना पड़ता है।

श्री विजय कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के जरिए से कई तरह की मांग राष्ट्रीय बीज निगम के सिलसिले में की गई है। पूरे देश में किसानों को राष्ट्रीय बीज निगम बीज सप्लाई करता है, उसकी चर्चा हुई है और इसके अलावा जो इसके अन्दर तरह-तरह की खराबियां फैली हुई हैं, उसकी चर्चा भी अभी शास्त्री जी ने की है। मंत्री महोदय ने कहा कि ऐसा लगता है जैसे किसी कर्मचारी पर कार्यवाही की गई हो जिसकी वजह से यह प्रश्न करवाया गया है। लेकिन राष्ट्रीय स्तर के सवाल इसके अन्दर पूछे गए हैं। चाहे उसकी परफार्मेन्स या फंक्शनींग का सवाल हो या उसकी बैलेंस-शीट में जो मैनीपुलेशन की चर्चा की गई, उसकी जांच-पड़ताल की बात हो। सभी मामलों में मंत्री महोदय ने उससे इन्कार किया है। अखबारों में जो रिपोर्ट आई है, उससे एक शक जाहिर होता है कि इतना महत्वपूर्ण कारपोरेशन है, जिसका

सम्बन्ध देश के विकास से गहरे तौर पर जुड़ा हुआ है। अगर उसके फंक्शनींग के मामले में गड़बड़ी होती है तो उसके पूरे राष्ट्र को नुकसान होता है। लेकिन, मंत्री महोदय ने तो किसी तरह की जांच-पड़ताल करने से इन्कार किया है। इसमें 3 दिसम्बर, 1983 के बोर्ड के द्वारा लिए गए फैसले का जिक्र किया गया है, जिसमें मैनीपुलेशन तथा बैलेंस शीट आदि की चर्चा आई है। मैं जानना चाहता हूं कि बोर्ड की मीटिंग में क्या फ़ैसला लिया गया और उसके ऊपर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री योगेन्द्र मकवाणा : बोर्ड ने क्या फैसला अपनी मीटिंग में लिया, उस को यहां बतलाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन मेरे पास फीगर्स हैं और मैं उनके आधार पर कहना चाहता हूं आपने जो कुछ कहा है, गलत है। इस समय वहां जो मैनेजिंग डाइरेक्टर-कम-चेयरमैन हैं, वे पिछले तीन-चार साल से काम कर रहे हैं और उनके पीरियड में इस कार्पोरेशन का प्रोडक्शन बढ़ा है। यदि आप उसकी फीगर्स को देखें— तो वर्ष 1963-64 में जहां 428 क्विंटल उत्पादन होता था, वर्ष 1973-74 में बढ़कर वह 396 हजार क्विंटल हो गया, वर्ष 1982-83 में वह बढ़कर 659 हजार क्विंटल हो गया, वर्ष 1983-84 में वह बढ़कर 830 हजार क्विंटल हो गया तथा वर्ष 1984-85 में बढ़कर वह 1.4 मिलियन क्विंटल हो गया। इससे स्पष्ट हो जाता है कि कार्पोरेशन में दिन-प्रति-दिन उत्पादन बढ़ता ही जा रहा है। जहां तक इसके लक्ष्य और टर्न ओवर का प्रश्न है, वर्ष 1963-64 में इसका टर्न-ओवर 356 हजार था जो 1983-84 में बढ़कर 220 मिलियन हो गया है। जहां तक टार्गेट और एचीवमैंटस का सम्बन्ध है, उसके बारे में मैंने पहले ही अपने उत्तर में बताया है कि हम स्टेट सीड फार्म ये प्रोग्रामिंग करते हैं। वर्ष 1982-83 में जो शार्टफाल आया है, उसके पीछे वर्स्ट ड्रौट ऑफ दी सैंचुरी का कारण है। यदि उस साल कमी आई तो वह कोई बड़ी बात नहीं है। यदि आप प्रोडक्शन की फीगर्स चाहें तो मैं एचीवमैंट आदि की फीगर्स क्राप-वाइस बता सकता हूं, यदि आप चाहें तो मैं उनको टेबल पर भी रख सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप उन को टेबल पर ही रख दीजिए क्योंकि यहां पढ़ने से काफी टाइम वेस्ट हो जाएगा।

श्री योगेंद्र मकवाना : मैं उनको टेबल पर रख देता हूं। लेकिन आपका यह कहना गलत है कि यह कार्पोरेशन अच्छी तरह से नहीं चल रही है। जहां तक क्वालिटी कीबात है वर्ष 1982-83 में 44 हजार सैंपल्स को हमारी क्वालिटी कन्ट्रोल लेबोरेटरी में टैस्ट किया गया। उससे जाहिर होता है कि क्वालिटी कन्ट्रोल के मामले में हम पूरी तरह जागरूक हैं और यह कार्पोरेशन अच्छा काम कर रहा है।

श्री विजय कुमार यादव : सर, बोर्ड ने क्या फैसला लिया और उसके आडिट के बारे में जो मेरे प्रश्न थे, उनका उत्तर नहीं आया।

श्री योगेन्द्र मकवाणा : इस कार्पोरेशन का आडिट चार्टर्ड एकाउन्टैन्टस करते हैं और उसको कम्पट्रोलर और औडिटर ऑफ इंडिया द्वारा रिव्यू किया जाता है। उस रिपोर्ट में कोई

बुरी बात सामने अभी तक नहीं आई है। पता नहीं आप कैसे इस निष्कर्ष पर पहुंच गए कि यह कार्पोरेशन ठीक नहीं चल रहा है। इस कार्पोरेशन का आडिट हम पार्लियामेंट के सामने समय समय पर लाते रहते हैं, आप उसमें भी देख सकते हैं कि यह कैसी चल रही है।

राजस्थान में वन-क्षेत्र का समाप्त होना

*948. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राजस्थान के बहुत से जिलों में वन-क्षेत्र समाप्त होने की स्थिति में पहुंच गया है-जिसके कारण इस क्षेत्र में जलाने की लकड़ी का अकाल पड़ गया है और पारिस्थिति का संतुलन बिगड़ गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य की वन सम्पदा को नष्ट होने से बचाने के लिए प्रभावी कदम उठाने के लिए इस मामले को राजस्थान सरकार के साथ उठाया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, राजस्थान के किसी जिले में वन-क्षेत्र समाप्त होने की स्थिति में नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

(ग) प्रधान मंत्री ने स्वयं वन सम्पदा की सुरक्षा करने के लिए राजस्थान सहित सभी राज्य सरकारों के राज्यपालों तथा मुख्य 'मंत्रियों' को लिखा है। गैर-वानिकी प्रयोजनों के लिए वन क्षेत्र का नियंत्रण करने के वास्ते वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980, पारित किया गया है। वन संरक्षण के सम्बन्ध में मार्गदर्शी सिद्धान्त भी जारी किए गए हैं। नये बीस सूत्री कार्यक्रम के तहत, बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण तथा सामाजिक वानिकी के लिए अभूतपूर्व दबाव किया गया है।

(घ) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

राज्य सरकार ने वन का बेहतर संरक्षण तथा वन संपदा बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं :—

(1) राष्ट्रीय पार्कों तथा आश्रय स्थलों की स्थापना करके किसी भी प्रकार के वृक्ष कटाई पर पूर्ण प्रतिबन्ध के साथ समग्र संरक्षित क्षेत्र का तन्त्र बढ़ाया गया है, जिसमें राज्य के कुल वन क्षेत्र का 20 प्रतिशत से अधिक भाग शामिल है।

(2) जहां तक वनों में वाणिज्यिक के लिए वृक्षों के काटने का संबंध है, राज्य सरकार द्वारा ठेकेदारों की एजेंसी पूर्ण रूप से समाप्त कर दी गई है।

(3) गैर-कानूनी वृक्षों की कटाई तथा चोरी करने की कारगर रूप में जांच करने के लिए चौदह उड़न दस्तों का निर्माण किया गया है।

(4) आरा मिलों के नियंत्रण तथा कार्यकारी संबंधी नियम घोषित किये गये हैं, जो अवैध रूप से काटी गई इमारती लकड़ी के परिवर्तन पर प्रभावी ढंग से रोक लगाते हैं।

(5) राज्य में वन रोपण, सामाजिक वानिकी तथा फार्म वानिकी कार्यक्रमों को तेज किया गया है और गत तीन वर्षों की उपलब्धियां नीचे दी गई हैं :—

क्र० सं० मद	1981-82	1982-83	1983-84
1. वनरोपण (लगाए गए पौधों की संख्या लाख में)	305	368	580
2. सामाजिक वानिकी (वृक्ष रोपित क्षेत्र हैक्टार में)	12,500	11,300	15,200
3. फार्म वानिकी (सप्लाई किए गए पौध लाख में)	39	113	283

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न का जवाब (क) में दिया गया है कि राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार राजस्थान के किसी जिले में वन सम्पत्ति समाप्त होने की स्थिति में नहीं है, यह जवाब गलत है विशेषतौर से रेगिस्तानी क्षेत्रों में और पहाड़ी क्षेत्र में वहां पर यह स्थिति है कि वन क्षेत्र समाप्त होने की स्थिति में पहुंच गया है जिसके कारण जलाऊ लकड़ी का भयंकर संकट उपस्थित हो गया है और पर्यावरण का संतुलन बिगड़ गया है, और ऐसी स्थिति बन गई है कि गत 4 सालों से लगातार अकाल की स्थिति पैदा हो गई है। एक तो अवैध कटाई होती है, दूसरे ठेकेदारी प्रथा के कारण पेड़ों की निर्ममता से कटाई होती है, यद्यपि जवाब में दिया गया है कि कमर्शियल परपजेज के लिए ही ठेकेदारों को अधिकार है। परन्तु इसका बहुत ही दुरुपयोग होता है और निर्ममता से कटाई होती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि क्या ऐसी अवैध कटाई के लिए सख्त कानून बना कर अधिक पनिशमेंट देंगे और ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करेंगे चाहे वह किसी भी परपज के लिए हो ? क्या आप कानून में यह व्यवस्था करेंगे जिससे वन सम्पदा समाप्त न हो ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : वही तो हमारी भी इच्छा है, हम चाहते हैं कि वन सम्पदा बढ़े और उसकी कमी न हो। इसलिए पहले फोरेस्ट कंजरवेशन ऐक्ट, 1980 को इनेक्ट किया गया कि कोई भी राज्य सरकार किसी काम के लिए कटाई न करे बिना भारत सरकार की मन्जूरी के।

जहां तक ठेकेदारी प्रथा का सवाल है उसके बारे में हमने सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को गाइडलाइन्स दी हैं कि फौरेस्ट में से ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करना चाहिये। और जो हम सदन के सामने नई फौरेस्ट पौलिसी लाने वाले हैं उसमें भी ठेकेदारी प्रथा को बिल्कुल खत्म करने का हमने तय कर दिया है।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : ऐरिड जोन रिसर्व ईस्टीट्यूट, जोधपुर में 35 साल से काम कर रहा है लेकिन उसका वैज्ञानिक लाभ किसानों को नहीं पहुंचा है, इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। राजस्थान सरकार से भी इसका कोई कोआर्डिनेशन नहीं है। तो इस बारे में आप क्या करने जा रहे हैं जिससे इस ऐरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट का लाभ रेगिस्तानी क्षेत्र और किसानों को पहुंचे ?

दूसरे जो फिगर्स हैं फोरेस्ट के बारे में कि इतने पेड़ हमने लगाये यह आंकड़े बिल्कुल सही नहीं होते हैं, और 10 प्रतिशत ही पेड़ उगाये जाते हैं या तैयार होते हैं और गलत आंकड़े देकर आपको धोखा दिया जाता है। तो इस बारे में मूल्यांकन करने के लिये, मानीटरिंग करने के लिए आप क्या व्यवस्था करने जा रहे हैं, यह बतायें ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : ऐरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट के माध्यम से वहां काफी डेवलपमैंट हुआ है, उसका लाभ किसानों को भी मिलता है और राज्य सरकार से उसका कोआर्डिनेशन है। कैसे माननीय सदस्य कहते हैं कि नहीं है, हमारी जानकारी में तो ऐसा नहीं है।

अभी अभी मुझे बताया गया है कि राज्य सरकार ने फौरेस्ट एरिया में ठेकेदारी सिस्टम को अबालिश कर दिया है।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : हमें जानकारी है कि ठेकेदारी सिस्टम को अभी अबालिश नहीं किया है।

अध्यक्ष महोदय : वृद्धि चन्द्र जी, वह दो दिन पहले की बात है, और मन्त्री जी 2 मिनट पहले की बात बता रहे हैं।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : यह गलत सूचना है।

कृषि मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : स्टेटमेंट में साफ बताया है, आप पढ़िये तो सही।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : बिल्कुल गलत है।

श्री योगेन्द्र मकवाना : हमको तो राज्य सरकार जो सूचना देगी वही हम देंगे। राज्य सरकार ने कहा है कि हमने कांट्रेक्टर का सिस्टम नाबूद कर दिया है। जब राज्य सरकार यह कहती है तो हमें मानना पड़ेगा। यदि आप कहते हैं कि कांट्रेक्टर का सिस्टम अभी चालू है, तो आप एक भी कांट्रेक्टर का नाम बताईये, हम स्टेट गवर्नमैंट को कहेंगे कि वह बताये।

श्री हरीश कुमार गंगवार : बन संरक्षण सारे देश के लिए आवश्यक है, यह हरेक मानता है। इस सम्बन्ध में राजस्थान ही नहीं, प्रत्येक प्रदेश में सख्त कानून बनाये गये हैं और उनका सजा ब जुर्माना बढ़ाया गया है।

मैं इस बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि बिना परमिट के पुलिस वाले बाग कटवा देते हैं। आप कहीं भी सर्वे करा लीजिये। क्या आप कोई ऐसा दल बनाने पर विचार कर रहे हैं जो हर क्षेत्र में जाकर देखे कि पुलिस वालों की सांठ-गांठ से कितने बाग कटे हैं ? मैं बरेली में भोजीपुरा का उदाहरण दे सकता हूं, वहां पर पिछले 2 महीने में 14 बाग बिना परमिट के कटवा दिये गये हैं। क्या मन्त्री महोदय इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने जा रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : जिन लोगों के बाग हैं, वे क्या करते हैं ?

श्री हरीश कुमार गंगवार : वह पैसा लेते हैं और बाग बेच देते हैं। बिना परमिट के हरे पेड़ कटवा देते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : वह कैसे ?

श्री हरीश कुमार गंगवार : उन्हें अपने बाग की कीमत मिल गई। परमिट चाहिये, वह लेते नहीं।

अध्यक्ष महोदय : आप लिख कर दें।

श्री हरीश कुमार गंगवार : मैंने दोहरा दिया कि वह कोई परमिट नहीं लेते, बाग के मालिक और काटने वाले, जिनको बाग बेचा जाता है। पुलिस वालों से मिलकर वह बाग कटवा देते हैं। ऐसे 14 उदाहरण मैंने केवल बरेली के भोजपुरी क्षेत्र के दिये, जिनकी मैंने शिकायत की और बाद में वह काटते हुए पकड़े गए।

अध्यक्ष महोदय : कुछ करना पड़ेगा।

श्री हरीश कुमार गंगवार : उन कठिन कानूनों का कोई पालन नहीं हो रहा है। पुलिस वाले बाग कटवा देते हैं, आप इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय, 72 रुपए क्विंटल लकड़ी मैंने 4 दिन पहले खरीदी है ? क्या इसका भी मंत्री महोदय कोई हल करेंगे ? क्या कुछ पेड़ों को रिलीज करेंगे जिनसे लकड़ी मिल सके ? कुछ ऐसे पेड़ जिनका वास्तविक उपयोग नहीं है उनके बारे में क्या कुछ करेंगे ? क्या लकड़ी के भाव को कम करने की कोशिश कर रहे हैं ? दोनों बातों का मेल बैठाइये।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : महोदय, मैं इस विषय का विशेषज्ञ हूं।

अध्यक्ष महोदय : गोबर गैस प्लान्ट लगाइये ।

श्री हरीश कुमार गंगवार : गोबर गैस प्लान्ट हरेक नहीं लगा सकता है । उसका कोई उपाय निकालना होगा । मन्त्री महोदय क्या उपाय कर रहे हैं ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : इम्पलीमैंटेशन का प्रोग्राम स्टेट गवर्नमैंट का है । एजेन्सीज चाहे पुलिस की हो या फारेस्ट आफिसर्स की हों, वह स्टेट गवर्नमैंट की हैं । इसलिए वहां क्या होता है यह स्टेट गवर्नमैंट देखती है ।

माननीय सदस्य के पास स्पेशल कोई एरिया है और कोई स्पेसिफिक बात हमें लिखें तो हम राज्य सरकारों को लिखेंगे ।

श्री हरीश कुमार गंगवार : मैंने कह दिया कि दो महीने में 14 बाग काट दिये गये ।

श्री योगेन्द्र मकवाना : हमको लिखकर दीजिये । मैं राज्य सरकार को उसके बारे में लिख दूंगा कि माननीय सदस्य की कम्पलेंट है, उसकी जांच कराइये । अगर मेरे पास स्पैसेफिक कम्पलेंट न हो तो मैं राज्य सरकार को कैसे लिख सकता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : ठीक बात है ।

श्री हरीश कुमार गंगवार : लकड़ी सस्ती करने का क्या उपाय कर रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : अध्यक्ष महोदय, यह बड़ी खुशी की बात है कि राव वीरेन्द्र सिंह बड़ी अच्छी ड्रेस में आए हैं—उन्होंने पगड़ी पहनी है । आप उन्हें आदेश दें कि वह रोज पगड़ी पहन कर आया करें ।

अध्यक्ष महोदय : आपके लिए भी कल पगड़ी मंगवा देंगे ।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : धन्यवाद, महोदय ।

मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि केवल राजस्थान में ही नहीं अपितु सारे देश में, जिसमें आन्ध्र प्रदेश भी शामिल है, जंगलों को नष्ट किया जा रहा है । क्या मंत्री जी, विशेष रूप से राजस्थान में, कम से कम 50 वर्षों तक पेड़ काटने पर प्रतिबन्ध लगा रहे हैं ? पूरा राजस्थान पहले ही जंगल बन गया है । यदि जंगल कटते रहे तो सम्पूर्ण भारत के राजस्थान बन जाने की सम्भावना है ।

ईंधन के सम्बन्ध में, मैं मन्त्री जी को कहना चाहता हूं कि वह ऊर्जा मन्त्री से इस क्षेत्र में और अधिक गैस एजैंसियों की मंजूरी करने की सिफारिश करें, ताकि इस क्षेत्र के लोग ईंधन के स्थान पर गैस का प्रयोग करें । क्या वह इस पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने जा रहे हैं ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : किसी राज्य विशेष पर 50 वर्ष के लिए प्रतिबन्ध लगाना मुश्किल है, लेकिन जैसा कि मैंने सदस्यों को पहले ही बताया है, यह वन संरक्षण अधिनियम, 1980, केवल इसी उद्देश्य के लिए बनाया गया है।

अध्यक्ष महोदय : जब श्री रामगोपाल रेड्डी साफा बांध लेंगे, तो ऐसे सवाल नहीं करेंगे।

श्री भीखाभाई : अध्यक्ष महोदय, एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट के अधिकारियों का राजस्थान सरकार के वन अधिकारियों के साथ वांछित सहयोग नहीं है। यह सही है कि राजस्थान में कंट्रेक्टर सिस्टम बन्द हो गया है, लेकिन वहां पर एक और व्यवस्था शुरू हुई है, जिसका नाम है डिपार्टमेंटल वर्किंग। वह काम में उतनी ही गड़बड़ करता है जितनी कि कंट्रेक्टर करते हैं। क्या सरकार इस पर रोक लगाएगी ? खासकर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, कोटा, झालवाड़ा, बूंदी और सिरोही जिलों में वन हैं। फारेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी लकड़ी बेचने के लिए फारेस्ट काटते हैं, तो वे उसमें गड़बड़-घोटाला करते हैं। जो फयुल की लकड़ी और इमारती लकड़ी काटी जाती है, वह बाजार भाव से बड़ी मंहगी बेची जाती है। क्या मंत्री महोदय इस गड़बड़ पर रोक लगाएंगे ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : मैंने पहले ही बताया है कि एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट और स्टेट गवर्नमैंट के बीच अच्छा सहयोग है। माननीय सदस्य ने डिपार्टमेंटल वर्किंग की बात कही है। फारेस्ट में पेड़ों को काटने के लिए एक वर्किंग प्लान बनाया जाता है। इस बारे में स्टेट गवर्नमेंट्स को गाइडलाइन्स फार प्रेपेरेशन आफ वर्किंग प्लान्ज फार फेलिंग इन फारेस्ट्स दी गई है। उनको बताया गया है कि पेड़ों को इस ढंग से न काटा जाए कि फारेस्ट को नुकशान हो। रीजेनीरेशन के लिए तीस, चालीस, पचास साल के बाद पेड़ों को काटा जाता है और रीप्लान्टेशन किया जाता है। भारत सरकार की ओर से हर स्टेट गवर्नमैंट का इस सम्बन्ध में गाइडलाइन्ज दी गई हैं।

जनजाति उपयोजनाओं के लिए सिंचाई परियोजनाएं

*949. **श्री मनोहर लाल सैनी**† :

श्री भीम सिंह : क्या सिंचाई मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनजाति उपयोजना क्षेत्रों के लिए 174 बृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं बनाई गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन क्षेत्रों में यह परियोजनाएं कब से चल रही हैं ;

(ग) इन परियोजनाओं के पूरी होने का निर्धारित समय क्या है ;

(घ) क्या ये परियोजनाएं निर्धारित समयानुसार पूरी हो गई हैं ; और

(ङ) यदि नहीं तो इस संबंध में तथ्य क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) और (ख) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान जन-जाति उपयोजना में 178 बृहद् और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। इनमें से 145 परियोजनाएं पहले से निर्माणाधीन हैं और शेष 33 नई परियोजनाएं छठी योजना के दौरान शुरू की गई हैं।

(ग) 178 परियोजनाओं में से 17 परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं और छठी योजना के अन्त तक 56 और पूरी हो जाने की संभावना है। शेष परियोजनाओं को सांतवी योजना में ले जाया जाएगा। चूंकि सांतवीं योजना को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है इसलिए पूर्ण किए जाने की व्यवस्थित तारीख बता पाना संभव नहीं होगा क्योंकि यह राज्यों के पास उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करेगा।

(घ) और (ङ) यह एक सामान्य अनुभव है कि परियोजनाओं को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पूरा करने के लिए राज्य सरकारें पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था नहीं कर पाई हैं। यह भी देखा गया है कि कई कारणों से परियोजनाओं की लागतों में वृद्धि होती है। परियोजनाओं के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पूरा करने में यह भी बाधा उत्पन्न करती है। कई बार राज्यों द्वारा एक ही समय में बड़ी संख्या में परियोजनाएं हाथ में ले ली जाती हैं। इस तरह उनके संसाधन छितर जाते हैं मुख्यतः उपर्युक्त कारणों से राज्यों के लिए परियोजनाओं को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पूरा करना संभव नहीं हो पाया है।

श्री मनोहर लाल सैनी : अध्यक्ष जी, मेरा सवाल ट्राइबल सब-प्लान एरिया में जो सिंचाई योजनाएं हैं, उनके बारे में था जिसका जवाब मंत्री जी ने जो दिया है वह अधूरा और असंतोषजनक है। मैंने सवाल पूछा था कि ये बड़ी योजनाएं कब से चल रही है तो मंत्री जी को इसके बारे में निश्चित रूप से बताना चाहिए था लेकिन उन्होंने यह कह दिया कि पहले से चल रही हैं। शायद मेरे इस सवाल को पूछने के पहले से तो चल रही हैं लेकिन मैं तो निश्चित तारीख जानना चाहता था कि कब से चल रही है और कितने एकड़ जमीन की सिंचाई करने की योजना बनाई गई है ?

श्री रामनिवास मिर्धा : श्रीमन्, मैंने अपने उत्तर में स्पष्ट रूप से बताया है कि छठी योजना के अन्तर्गत कितने काम प्रारम्भ किए गए, कितने पहले से चले आ रहे थे, कितने कार्य इस योजना में समाप्त होंगे और कितनी योजनायें सातवीं पंचवर्षीय योजना में जायेंगे।

श्री मनोहर लाल सैनी : मैंने तो पूछा था कि कब से, किस तारीख से योजनाएं चलाई जा रही हैं लेकिन आपने कह दिया कि वर्षों से चल रही हैं।

श्री रामनिवास मिर्धा : मैंने बताया है कि छठी पंचवर्षीय योजना के पहले से कितनी चल रही हैं, छठी योजना के अन्तर्गत कितनी ली गई और कितनी इस योजना में समाप्त हो जाएंगे यह सारे आंकड़े दिए हैं ।

अध्यक्ष महोदय : तारीख लिखवाकर आपके पास भिजवा दूंगा - बस ठीक है ।

श्री रामनिवास मिर्धा : यदि 178 योजनाओं के बारे में पूरी जानकारी चाहिए कि किस तारीख से चलीं तो वह भी मैं दे सकूंगा लेकिन किसी विशेष योजना में दिलचस्पी हो तो वह मैं अभी बता दूं ।

श्री मनोहर लाल सैनी : जो जानकारी मैंने चाही है वह तो आप सभा पटल पर रखेंगे और भिजवायेंगे लेकिन इनके साथ ही यह भी बताने की कृपा करें कि छठी पंचवर्षीय योजना में जिन 33 नये प्रोजेक्ट्स का आपने हवाला दिया है उनकी क्या कास्ट है ? आपने अपने जवाब में यह भी कहा है कि स्टेट्स के पास रिसोर्सेज नहीं होते और इसलिए योजनाएं लटकती हैं इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि इन 33 योजनाओं की क्या कास्ट है और जब तक ये योजनायें पूरी होंगी और तब तक इनकी क्या कास्ट हो जायेगी ।

श्री रामनिवास मिर्धा : 178 योजनाओं की अनुमानित लागत 4445 करोड़ है । छठी पंचवर्षीय योजना में जो योजनायें प्रारम्भ की गई हैं उनकी अनुमानित लागत 1316 करोड़ है कुल मिलाकर 2729 करोड़ रुपया लागत हैं । यह कब समाप्त होंगी इस सम्बन्ध में मैंने अपने उत्तर में बता दिया है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना बन रही है इसलिए अभी कोई संकेत हम नहीं दे सकते कि कितनी राशि किस मद में मिलेगी, विभिन्न राज्यों को कितना पैसा सिंचाई के लिए मिलेगा । अभी यह कहना भी सम्भव नहीं है कि यह योजनायें कब समाप्त होंगी ।

श्री भीम सिंह : मंत्री जी ने जो जवाब दिया उसमें मंजूर किया कि 145 योजनायें पहले से निर्माणाधीन थी, चौथी और पांचवीं पंचवर्षीय योजना काल से और इस प्रकार से छठी, पंचवर्षीय योजना में आकर 15 वर्ष में 17 योजनायें कंप्लीट हुई जिसका अर्थ यह है कि लगभग एक वर्ष में एक योजना कंप्लीट हुई है । अब 105 योजनायें अगली योजना में कैरीफार्वड होंगी तो क्या हम यह मानकर चलें कि यह योजनायें 105 वर्षों में पूरी हो पायेंगी ? उत्तर से वो नतीजा निकल रहा है, क्या इससे आप संतुष्ट हैं ? क्या ये सब योजनायें 105 वर्षों में खत्म होंगी ?

अध्यक्ष महोदय : आशा ही जीवन है ।

श्री राम निवास मिर्धा : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने उत्तर में बतला चुका हूं कि ये योजनायें इतना समय क्यों लेती हैं । एक कारण तो मैंने यह बतलाया है कि राज्य सरकारें.....।

श्री भीम सिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या ये 105 वर्ष में पूरी होंगी ?

श्री राम निवास मिर्धा : आपको मेरा उत्तर सुनना चाहिये। राज्य सरकारें सातवीं योजना में कितनी प्राथमिकता सिंचाई के लिये अपनी योजनाओं में देती हैं। यह उस पर निर्भर करेगा। जो भी योजनायें आज चल रही हैं उनको समाप्त करने में वे चाहे कितने वर्ष लगा लें — पता नहीं किस हिसाब से आपने 105 वर्ष कहा है — लेकिन यह सही है कि इन योजनाओं के समाप्त होने में बहुत समय लग रहा है। उस का कारण यह है कि अपने सीमित साधनों को दृष्टि में न रखते हुए भिन्न भिन्न वजूहात से उन्होंने बहुत ज्यादा तादाद में योजनाओं को ले लिया है लेकिन फिर भी राज्य सरकारों के सम्बन्ध में इस मौके पर मैं यह कहना चाहूंगा — जहां तक 80 फीसदी पैसा जो राज्य सरकारों को दिया जाता है, वे योजना आयोग और हमारे सहयोग से जो सलाह देते हैं, चालू योजनाओं पर खर्च करते हैं। लेकिन इतनी ज्यादा योजनायें चालू हो चुकी हैं और हम और आप चाहते हैं कि हर क्षेत्र में नई योजनायें शुरू हों, ऐसी स्थिति में योजनायें चालू हो जाती हैं और पुरानी योजनायें लम्बे समय तक चलती रहती हैं।

श्री माधव राव सिन्धिया : मंत्री महोदय ने जो लम्बा चौड़ा जवाब दिया है वह संक्षेप में टकराने वाला जवाब कहा जा सकता हैं। मेरा विचार है कि उनके अधिकारियों ने जिस प्रकार जवाब तैयार किए हैं उसे मैं "यैस, मनिस्टर" फार्मूला कहना चाहूंगा। अन्त में आप उलझन में पड़ जाते हैं और यह नहीं समझ पाते कि आप क्या पूछना चाहते हैं। परन्तु मैं मंत्री महोदय जी से एक सरल प्रश्न पूछना चाहूंगा। उन्होंने उत्तर में बताया ... "कि योजनाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन प्रदान करने में राज्य सरकारें समर्थ नहीं है।" और फिर उन्होंने कहा, "..... राज्यों ने बहुत अधिक संख्या में योजनाओं को शुरू किया है, और इस प्रकार अपने सीमित संसाधनों को अधिक बिखरा दिया है। मुख्य रूप से उपर्युक्त कारणों से ....." इत्यादि मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या यह सत्य है कि ऐसी अनेक राज्य सरकारें हैं जिसके पास वर्ष के अन्त में लाखों रुपए जाते हैं खर्च नहीं पाने के कारण व्ययगत हो जाते हैं। यदि यह सत्य है तो मंत्री जी इन राज्यों के विरुद्ध कार्यवाही करने और निगरानी रखने के लिए क्या कर रही है। यह राज्य सरकारों की विफलता है। यह अपर्याप्त निधियों का प्रश्न नहीं है। मैं जानना चाहूंगा कि मंत्री जी इस सम्बंध में क्या करने का विचार कर रहे हैं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : उनके द्वारा प्रश्नों के उत्तर देने से पहले मैं एक बात जानना चाहूंगा। एक आरोप लगाया गया है। उन्होंने कहा कि यह उत्तर, अधिकारियों द्वारा लिखे गए हैं। क्या आप इससे सहमत हैं ? और मंत्री जी का जबाव क्या है ?

श्री माधव राव सिन्धिया : मैंने 'प्रारुप' के बारे में कहा है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : उत्तर किसने तैयार किए हैं ?

श्री रामनिवास मिर्धा : मैंने सदन में जो कुछ कहा है, उसकी मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। मैंने प्रत्येक शब्द जो यहां कहा है मैं उसका औचित्य भी सिद्ध करूंगा। यह पूछने का कोई लाभ नहीं है कि किसने तैयार किया है । हम सब ने जो कुछ कहा है, हम सब उसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। मंत्रालय में सब ऊपर से लेकर नीचे तक इसके लिए उत्तरदायी हैं।

निधियों के व्ययगत होने के प्रश्न के सम्बन्ध में हमारा यह अनुभव है कि राज्य अधिकाधिक राशि के लिए बार बार मांग करते रहे हैं । अत: यदि कुछ राज्यों में कुछ लाख रुपए व्ययगत जाते हैं, तो वह अलग बात हैं। परन्तु कुल मिलाकर सिंचाई के लिए आवश्यक राशि राज्यों को प्रदान कर दी जाती है, हम जो राशि उन्हें देते है वह उसे पूरा खर्च कर देते हैं और इसके अतिरिक्त हमें शिकायतें प्राप्त होती हैं अथवा इन राशियों की वृद्धि के लिए अनुरोध प्राप्त होते हैं।

श्री दलीप सिंह भूरिया : मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा – ट्राइबल एरियाज में इरिगेशन की योजनायें बनाने के लिए क्या मापदण्ड है ? आज जो इतनी सारी योजनायें पेण्डिंग है उनका एक कारण यह भी है कि ट्राइबल एरियाज में जो पैसा इन योजनाओं पर यूटिलाइज होना चाहिये, वह दूसरी जगह खर्च कर दिया जाता है, इसलिए हमारी योजनायें पूरी नहीं हो पाती हैं। मैं जानना चाहता हूं कि जो पैसा इस तरह से डाएवर्ट कर दिया जाता है उसका मापदण्ड क्या है ?

श्री राम निवास मिर्धा : अध्यक्ष महोदय, जनजाति क्षेत्र के लिए उपयोजना बनाने का मकसद यही है कि जो साधन राज्य सरकारों के पास या केन्द्र सरकार के पास निर्धारित किए गए हैं, उसका ठीक तरह से उपयोग होता है या नहीं। इस उपयोजना का मकसद यही है कि ज्यादा से ज्यादा साधन उपलब्ध कराये जा सकें। उसकी मोनिटरिंग हर मिनिस्ट्री अपने-अपने क्षेत्र में करती है। भारत सरकार गृह मंत्रालय विशेष रूप से इसके लिए मोनिटरिंग करता है । समय-समय पर मीटिंग भी बुलाई जाती है। इसलिए यह कहना उचित नहीं होगा कि उनको प्रापर तरीके से मोनिटर नहीं किया जाता है। मोनिटर अवश्य किया जाता है। जैसा कि माननीय सदस्य बतला रहे हैं कि ट्राइबल सब-प्लान का पैसा किसी और कार्य में डाइवर्ट कर दिया गया है, ऐसी जानकारी हमारे पास कोई नहीं है। यदि उनके पास ऐसी कोई जानकारी है तो वे हमें बता दें, हम उसको जरूर देखेंगे।

खाद्य तेल के मूल्यों में वृद्धि

*950. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जमाखोरों द्वारा तेलों की जमाखोरी के कारण विभिन्न किस्मों के खाद्य तेल के मूल्य बढ़ रहे हैं ;

(ख) क्या जनवरी-फरवरी, 1984 के दौरान समूचे देश में तेल व्यापारियों के गोदामों पर छापे मारे गये थे तथा अवैध रूप से जमा रखे खाद्य तेलों के लाखों टिन जब्त किए गए थे ;

(ग) क्या यह जमाखोरी स्थानीय अधिकारियों की सांठ-गांठ से की जा रही है और यदि नहीं, तो रांची में 4 फरवरी को 6 बड़े व्यापारियों से जब्त किए गए हजारों टिनों को वापस करने तथा झरिया के व्यापारियों को गिरफ्तार करने के बाद रिहा कर देने के क्या कारण हैं ; और

(घ) देश में कुल मिलाकर विभिन्न किस्मों के जब्त किए गए खाद्य तेल का ब्यौरा क्या है तथा क्या यह तेल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बेचा गया अथवा उनके मालिकों को वापस लौटा दिया गया ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(ख) सरसों के तेल को छोड़कर, जिसके मूल्य कम हुए हैं, खाद्य तेल के मूल्यों में कुछ वृद्धि हुई है । मूल्यों में यह वृद्धि कई कारणों से हुई है, जिनमें 1982 के सूखे का चला आ रहा प्रभाव तथा तेलों की मांग में वृद्धि होना शामिल है । राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त हुई सूचना के अनुसार आमतौर पर जमाखोरी को खाद्य तेलों के मूल्यों में वृद्धि का कारण नहीं कहा जा सकता है ।

(ख) प्राप्त सूचना के अनुसार असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा संघ राज्य क्षेत्र अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह व चंडीगढ़ की राज्य सरकारों ने जनवरी-फरवरी, 1984 में तेल के व्यापारियों के यहाँ छापे मारे थे, जिनमें विभिन्न प्रकार के खाद्य तेलों की 12,12,720 कि. ग्रा. मात्रा तथा 27,627 टीन जब्त किये गये ।

(ग) बिहार राज्य सरकार ने सूचित किया है अधिकारियों के गुप्त सहयोग से कोई भी जमाखोरी नहीं की जाती है । रांची जिले में छः व्यापारियों के यहां से जब्त किए गए विभिन्न प्रकार के खाद्य तेलों के 14,090 टीनों में से 7129 टीनों को पटना उच्च न्यायालय की रांचा पीठ के आदेशों के तहत निर्युक्त कर दिया गया है । शेष 6,961 टीनों के मामले में, जैसाकि पटना उच्च न्यायालय की राँची पीठ द्वारा निर्देश दिया गया था, बिहार सरकार ने इन्हें निर्मुक्त करने से पहले व्यापारियों से जमानत (सिक्योरिटीज) देने के लिए कहा है । बिहार सरकार से प्राप्त हुई रिपोर्ट के अनुसार झरिया में व्यापारियों की गिरफ्तारी के बाद छोड़ने का कोई मामला घटित नहीं हुआ है ।

(घ) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार जनवरी-फरवरी, 1984 के दौरान निम्नलिखित खाद्य तेल जब्त किए गए :

क्र० सं०	जब्त किए गए खाद्य तेल की किस्म	जब्त की गई मात्रा (किलोग्राम/टीन)
1.	मूंगफली का तेल	27,554 कि ग्रा. और 7805 टीन
2.	पामोलीन	31,328 कि. ग्रा.
3.	ताड़ का तेल	11,36,315 कि. ग्रा.
4.	तिल्ली का तेल	822 कि. ग्रा.
5.	सरसों का तेल	5,615 कि. ग्रा. और 4376 टीन
6.	सोयाबीन का तेल	202 कि. ग्रा.
7.	आर. बी. डी. ताड़ का तेल	— 6,552 टीन
8.	रेपसीड तेल	167 कि. ग्रा. और 141 टीन
9.	नारियल का तेल	1,208 कि. ग्रा. और 913 टीन
10.	अन्य खाद्य तेल	9,506 कि. ग्रा. और 1075 टीन
11.	परिष्कृत रेपसीड तेल	5,162 टीन
12.	महुआ का तेल	23 टीन
13.	वनस्पति	1,580 टीन
	योग :	12,12,720 कि. ग्रा. और 27,627 टीन

जब्त किए गए विभिन्न प्रकार के 12,12,720 कि. ग्रा. खाद्य तेलों में से 20,729 कि. ग्रा. मात्रा व्यापारियों/मालिकों को वापिस कर दी गई है 94,517 कि. ग्रा. मात्रा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित कर दी गई है और शेष 10,97,474 कि. ग्रा. मात्रा राज्य सरकारों के पास पड़ी हुई है ।

जब्त किए गए विभिन्न प्रकार के खाद्य तेलों के 27,627 टीनों में से 11,012 टीनों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित कर दिया गया है, 17129 टीनों को उच्च न्यायालय के आदेशों के तहत निर्मुक्त कर दिया गया है और 9486 टीन राज्य सरकार के पास पड़े हुए हैं ।

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : अध्यक्ष महोदय, खाद्य तेल के दाम निरन्तर बढ़ने की प्रक्रिया जारी है । भ्रष्टाचार में फंसे हुए लोगों के नाम आप दें या न दें, यह आपकी इच्छा है । लेकिन जनता पार्टी के समय में खाद्य तेल 8-10 रु० प्रति किलो से ज्यादा नहीं था, लेकिन आज 24-25 रु० प्रति किलो बिक रहा है । सरकार निरन्तर दाम बढ़ाती जा रही है । सरकार के बीस सूत्री कार्यक्रम में चौथा सूत्री तिलहन के उत्पादन के संबंध में है । छठी पंचवर्षीय योजना में सरकार 40 लाख 50 हजार हैक्टेयर में तिलहन की खेती कर रही है, लेकिन एस्टीमेट कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार पिछले दस सालों में तिलहन का उत्पादन ज्यों का त्यों है और सरकार कहती है कि सूखे के कारण तिलहन के उत्पादन में कमी हुई है । इसलिए मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि दाम किस आधार पर बढ़ रहे हैं ?

श्री भागवत झा आजाद : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहली बात तो यह है कि उत्पादन में वृद्धि हो रही है । इस साल आयल सिड्स में भी अधिक उत्पादन और तेल में भी उत्पादन होगा । यह जरूर है कि पिछले वर्षों में खाद्य तेल की कीमतों में कुछ वृद्धि हुई है । हम यह अस्वीकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ हमें यह भी स्वीकार करना चाहिए कि जहां ग्राउंड प्रति टन और मूंगफली के तेल में वृद्धि हुई है, वहाँ सरसों के तेल की कीमत पिछले साल 20 हजार रु० प्रति टन से 12 हजार रु० प्रति टन है । इसलिए तेल के दाम में कमी हुई है । बढ़ने का कारण यह रहा है कि पिछले वर्ष कोकोनट तेल में कमी हुई है, क्योंकि केरल में इस क्राप को बीमारी लग गई थी । तेल की कमी की पूर्ति करने के लिए हम मलेशिया से तेल मंगाते थे, लेकिन वहां पर भी कीमतें बढ़ गई । पाम आयल न मिलने की वजह से भी कमी हुई है । मेरे पास आंकड़े होते तो मैं आपको बताता, लेकिन जो जनता पार्टी की बात करते हैं, उसकी तुलना में इस सरकार ने जो किया वह उनके लिए चिराग है और हमारे लिए सूर्य है । अगर आप कहें, तो आंकड़े पढ़ कर सुना दूं, तो पता चल जाएगा कि कौन सी बात सही है ।...(व्यवधान)...।

श्री मनीराम बागड़ी : मंडियों में अनाज सड़ रहा है ।...(व्यवधान)... ।

श्री भागवत झा आजाद : मैं आंकड़े नहीं पढ़ूंगा क्योंकि समय नहीं है लेकिन यह जरूर कहूंगा कि हमारे राज में काफी वृद्धि हुई है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हुआ ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

भारतीय खाद्य निगम कर्मचारियों की मांगें

*951. **श्री भीखा भाई** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारी लम्बे अर्से से चली आ रही अपनी बकाया शिकायतों को दूर करने तथा वेतन समिति के माध्यम के बजाय द्विपक्षीय बातचीत के जरिये वेतन में संशोधन करवाने के लिए आन्दोलन कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनके समाधान के लिए सरकार क्या कार्रवाई कर रही है ; और

(ग) सरकार की इन मांगों पर क्या प्रतिक्रिया है कि भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों को भी द्विपक्षीय बातचीत के जरिये वेतन में संशोधन होने तक केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाले मंहगाई भत्ते की किस्तें मिलती रहनी चाहिएं और उन्हें अन्तिम राहत की अदायगी । अगस्त, 1983 के बजाय । जून, 1983 से की जाए ?

खाद्य और नागरिग पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क): कुछेक स्टाफ निकाय वेतन में वृद्धि करने सहित अपनी मांगों का निपटारा करवाने की मांग कर रहे हैं और उन्होंने बातचीत करने के लिए अनुरोध किया है ।

(ख) भारतीय खाद्य निगम ने सभी सम्बद्ध मामलों पर विचार करने के बाद श्रेणी-3 और 4 के कर्मचारियों के लिए औद्योगिक मंहगाई भत्ता निर्धारित करने और उसके संदर्भ में वेतनमानों में वृद्धि करने के बारे में सिफारिश करने के लिए एक वेतन समिति नियुक्त की है । वेतन समिति ने भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों को यूनियनों से सुझाव आमंत्रित किए हैं ।

भारतीय खाद्य निगम के श्रेणी 1 और 2 के अधिकारियों के वेतनमानों में संशोधन करने और औद्योगिक मंहगाई भत्ते के पैटर्न को अपनाने विषयक प्रश्न पर भारतीय खाद्य निगम द्वारा अलग से विचार किया जा रहा है ।

जहां तक अन्य लम्बित पड़ी हुई मांगों का निपटारा करने का प्रश्न है, भारतीय खाद्य निगम के प्रबन्ध द्वारा यूनियनों के साथ समय-समय पर बात-चीत की जा रही है ।

(ग) केन्द्रीय सरकार के पैटर्न पर मंहगाई भत्ते की किश्तें जो कि 31.7.83 के बाद देय हुआ था, अनुमेय नहीं होंगी । अन्तरिम सहायता का भुगतान करने के लिए प्रभावी तारीख पहली अगस्त, 1983 निर्धारित की गई है ।

नेराडी बांध

*952. **श्री एस० आर० ए० एस० अप्पालानायडू** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने नेकाडी नदी बांध की यूनिट एक के लिए बंसधारा परियोजना के चरणएक के संबंध में एक रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को भेजी थी; और

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजना को मंजूरी देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा):(क) और (ख) सदस्य संभवतः वन्सधारा परियोजना चरण-दो के यूनिट-एक अर्थात नेराडी बराज की परियोजना रिपोर्ट का उल्लेख कर रहे हैं । जैसाकि आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा के मुख्य मंत्रियों की 15 दिसम्बर, 1978 को हुई बैठक में निर्णय किया गया था, 28.21 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली वम्स-धारा परियोजना चरण-दो के यूनिट एक (अर्थात नेराडी बराज) के संबंध में परियोजना रिपोर्ट की रूपरेखा आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा उड़ीसा सरकार तथा केन्द्रीय जल आयोग को 1982 में भेजी गई थी ।

परियोजना से सम्बन्धित कुछ मुद्दों के सम्बन्ध में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्यों द्वारा अभी निर्णय लिया जाना है । राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे केन्द्रीय जल आयोग के परामर्श से तकनीकी मुद्दों को तथा आपस में विचार-विमर्श करके अन्य मुद्दों को हल करें । उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, इस अवस्था में परियोजना को स्वीकृति देने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा दूध की सप्लाई

*953. **श्री रोशनलाल प्रसाद वर्मा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा जनता को कुपोषण की स्थिति से बचने के लिए "आपरेशन फ्लड" के अन्तर्गत दिल्ली, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता के अतिरिक्त देश के किन किन अन्य शहरों, कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों को दूध की सप्लाई की जाती है;

(ख) लोगों की आवश्यकता की दृष्टि से राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा दूध की पूर्ति किस सीमा तक बढ़ाई गई है;

(ग) क्या यह सच है कि दूध की सप्लाई पर्याप्त मात्रा में करने के लिए विदेशों से 43000 टन वार्षिक दुग्ध चूर्ण का आयात किया जाता है और यदि हां तो 1970 से 1983 तक कितनी मात्रा में दूध का आयात किया गया; और

(घ) क्या सरकार के पास संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के अनुसार कुपोषण की स्थिति में रहने वाले 20 करोड़ 10 लाख ग्रामीण जनसंख्या को दूध की सप्लाई करने की कोई योजना है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उन्हें दूध की पूर्ति किस प्रकार की जायेगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) आपरेशन फ्लड-2 परियोजना का एक उद्देश्य यह भी है कि दूध की आपूर्ति के लिए ग्रामीण मिल्कशेड़ों को एक लाख या इससे अधिक की आबादी वाले शहरों/कस्बों से जोड़ना

है। राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड आपरेशन फ्लड परियोजना के क्रियान्वयन हेतु भारतीय डेरी निगम को तकनीकी सहायता के रूप में सहायता कर रहा है। राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड की अपनी कोई डेरी नहीं है। राज्य स्तरीय अभिकरणों द्वारा राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड की परामर्शदायी सेवाएं ली जाती हैं; जो आपरेशन फ्लड कार्यक्रमों को कार्यान्वित करते हैं और इन संयंत्रों को लेते हैं। कलकत्ता और दिल्ली मदर डेरी और पटना स्थित फीडर बैलेंसिंग डेरी का प्रबंध फिलहाल राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा किया जा रहा है।

(ग) दुग्ध चूर्ण का वाणिज्यिक आयात 1975-76 से बन्द कर दिया गया था। इस समय, आपरेशन फ्लड-2 परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए यूरोपीय आर्थिक समुदाय से नियमित आधार पर सप्रेटा दुग्ध चूर्ण (एस.एम.पी.) की उपहार स्वरूप आपूर्ति भारत सरकार और यूरोपीय आर्थिक समुदाय के बीच हुए करार के मुताबिक प्राप्त की जा रही है; भारतीय डेरी निगम ने 1970-71 से 1983-84 (फरवरी 1984 तक) विभिन्न सहायता कार्यक्रमों के तहत, जिसमें वाणिज्यिक रूप से आयातित सप्रेटा दुग्ध चूर्ण भी शामिल है, 3,90,450 मीटरी टन (अनन्तिम) की कुल मात्रा प्राप्त की है। सप्रेटा दुग्ध चूर्ण की वार्षिक औसतन अधिप्राप्ति पिछले 5 वर्षों के दौरान 34,100 मीटरी टन तक रही है।

(घ) ग्रामीण क्षेत्रों में इस पैमाने पर दूध की आपूर्ति की कोई विशिष्ट योजना तैयार नहीं की गई है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए सांविधिक निकायों की स्थापना

*954. **श्री आर० प्रभु** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने के लिए कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत सांविधिक निकायों अथवा कम्पनियों की स्थापना करने के किसी प्रस्ताव पर विचार किया है;

(ख) क्या इस बात की कोई पुनरीक्षा की गई है कि कोई राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम कितना कारगर रहा है; और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत किये गये बहुत से निर्माण कार्य इत्यादि स्थायी प्रकार के नहीं हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) से (ग) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की आयोजना, समन्वय और मानिटरिंग का कार्य जिला ग्रामीण

विकास एजेंसियों को सौंपा गया है, जो सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत निकाय हैं। राज्य सरकारें अपने विवेकानुसार ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए भी जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों का उपयोग कर सकती हैं।

इस समय योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के कार्यान्वयन का मूल्यांकन किया जा रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्य-निष्पादन के मूल्यांकन अध्ययन कुछ स्वायत्तशासी संस्थाओं, जैसे भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, दिल्ली; प्रौद्योगिकी-आर्थिक अध्ययन संस्थान, मद्रास; आदि द्वारा भी किये जा रहे हैं। वर्ष 1983 के दौरान छठी पंचवर्षीय योजना के किए गए मध्यावधि मूल्यांकन में कार्यक्रम के कार्यान्वयन में आई कुछेक कठिनाईयां बताई गई हैं। ये कठिनाइयां मुख्यत: (1) खाद्यान्नों की सप्लाई तथा वितरण, (2) विभिन्न राज्यों में "शेल्फ आफ प्रोजेक्ट्स" तैयार करने में लिये गये समय तथा (3) कुछेक मामलों में किये जा रहे कच्चे निर्माण-कार्यों की समस्या सहित परिसम्पत्तियों को टिकाऊ बनाने से सम्बन्धित हैं। मार्गदर्शी सिद्धान्तों में आवश्यक संशोधन करके इन कमियों को दूर करने हेतु कदम उठाये गये हैं। मजदूरों के लिए खाद्यान्नों का समुचित वितरण सुनिश्चित करने हेतु यह निर्णय लिया गया है कि वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाया जाये तथा 16 जनवरी, 1984 से रियायती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराये जायें। इस बारे में आर्थिक सहायता की सम्पूर्ण राशि केन्द्र द्वारा वहन की जाएगी। राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों से भी आग्रह किया गया है कि वे ग्रामीण समुदाय की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक जिले/खण्ड के लिए लम्बी अवधि हेतु संदर्भ योजनाएं तैयार करें। परिसम्पत्तियों को टिकाऊ बनाने तथा कच्चे निर्माण कार्यों को आरम्भ करने से रोकने के लिए कार्यक्रम के अन्तर्गत गैर-मजदूरी व्यय के अनुपात को 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है। 50 प्रतिशत की सीमा को पहले से किये जा रहे अलग-अलग निर्माण कार्यों के बजाय, समस्त जिले के लिए भी लागू कर दिया गया है।

गन्ना विकास योजनाएं

*955. **श्री के०ए० स्वामी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोई गन्ना विकास योजनाएं प्रारम्भ की हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान गन्ना विकास की केन्द्रीय प्रायोजित योजना पूर्णतया केन्द्रीय सहायता से केवल गोवा तथा पाण्डिचेरी संघ राज्य क्षेत्रों में चल रही है। इसके अतिरिक्त, छठी पंचवर्षीय योजना (1980-81) के प्रथम वर्ष में पौध संरक्षण रसायनों के लिए गन्ने का उत्पादन करने वाले राज्यों को केन्द्रीय सहायता

उपलब्ध करायी गयी थी ताकि गन्ने के उत्पादन में वृद्धि की जा सके, जोकि 1979-80 में कम होकर 1288.33 लाख मीटरी टन रह गया था।

(ख) गोवा एवं पाण्डिचेरी के संघ राज्य क्षेत्रों में गन्ना विकास की केन्द्रीय प्रायोजित योजना में प्रदर्शनियों और गन्ना विकास कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए सहायता की व्यवस्था मौजूद है। 1984-85 में इस योजना के अन्तर्गत 2.40 लाख रुपए उपलब्ध कराये गये हैं।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा मध्य प्रदेश में कृषि विश्व विद्यालयों को वित्तीय सहायता

*956. **डा० बसंत कुमार पंडित** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने, गत तीन वर्षों के दौरान, मध्य प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों को, स्थापना तथा निर्माण-कार्य के लिए वित्तीय सहायता दी है ;

(ख) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा मध्य प्रदेश में किसी नए कृषि विश्वविद्यालय/पशु-चिकित्सा संस्थान अथवा नए क्षेत्रीय केन्द्रों की स्थापना की योजना बनाई गई है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) जी हां, श्रीमान्। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद "कृषि विश्व-विद्यालयों की स्थापना और विकास" योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्यों सहित विकास के लिए जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर (मध्य प्रदेश) को पिछले तीन वर्षों से वित्तीय सहायता दे रही है। इस विश्वविद्यालय को "राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रायोजना" के अन्तर्गत निर्माण कार्यों सहित क्षमताओं को सुदृढ़ बनाने के लिए भी वित्तीय सहायता दी जा रही है।

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान इस राज्य में किसी नये कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। फिर भी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से भोपाल में एक उच्च सुरक्षा पशु रोग प्रयोगशाला की स्थापना करने का प्रस्ताव है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रायोजना के अन्तर्गत जबलपुर, झाबुआ, रीवा और इन्दौर में चार क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना/सुदृढ़ करने का भी प्रस्ताव है।

(ग) इन उच्च सुरक्षा पशु रोग प्रयोगशाला का उपयोग पशुओं और कुक्कुट के विदेशी प्रकृति के रोगों पर अनुसंधान कार्य करने के लिए किया जायेगा। इस प्रयोगशाला की स्थापना के लिए भारतीय पशु-चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर के एक अधिकारी की विशेष कार्य अधिकारी के पद पर पहले ही नियुक्ति की जा चुकी है।

जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर से अनुरोध किया गया है कि वह उपरिलिखित 4 स्थानों के क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्रों को सुदृढ़/स्थापना करने के लिए उपयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।

सहकारी क्षेत्र में गोदामों के निर्माण के लिए विश्व बैंक की वित्तीय सहायता

*957. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सहकारी क्षेत्र में गोदामों के निर्माण के लिए विश्व बैंक द्वारा राज्यवार, कितनी वित्तीय सहायता दी गई तथा उन गोदामों की संख्या क्या है जिनके लिए यह सहायता दी गई ;

(ख) इसमें से राज्य-वार, कितनी सहायता राशि का उपयोग किया गया तथा कितने गोदामों का निर्माण किया गया ; और

(ग) लक्ष्यों को पूरी तरह हासिल न करने के क्या कारण है तथा इस संबंध में क्या कार्रवाई किए जाने का विचार है ?

कृषि मंत्री (श्री राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) विश्व बैंक के साथ किये गये करार में, जिसने सहकारी समितियों द्वारा गोदामों के निर्माण के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा तैयार की गई दो परियोजनाओं को मंजूरी दी है, कवर किये गये राज्यों में बनाए जाने वाले गोदामों की कुल संख्या का हवाला दिया गया है और विश्व बैंक निधि का कोई राज्य-वार आबंटन नहीं किया जाता । विश्व बैंक की सहायता की मात्रा गोदामों की कुल लागत के 47 प्रतिशत तक समिति है और शेष धनराशि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, राज्य सरकारों और लाभ प्राप्त करने वाली सहकारी समितियों द्वारा पूरी की जानी है । गोदामों के निर्माण में वास्तविक प्रगति, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा राज्यों को निर्मुक्त की गई राशि और वह धनराशि, जिसके लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने विश्व बैंक से अदायगी के लिए दावा किया है, को दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

(ग) गोदामों की लागत में वृद्धि होने के कारण विश्व बैंक के परामर्श से समय-समय पर वास्तविक लक्ष्यों में संशोधन किया जा रहा है । राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम-1 परियोजना, जिसमें 1979-84 तक की अवधि शामिल है, के अन्तर्गत गोदामों के निर्माण संबंधी संशोधित लक्ष्य बहुत संतोषजनक है । तथापि, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम-2 परियोजना, जिसमें 1981-87 तक की अवधि शामिल है, के अन्तर्गत भूमि के अधिग्रहण में विलम्ब होने, पर्याप्त मात्रा में लेवी सीमेंट उपलब्ध न होने दूरदराज के गांवों में लघु कार्य करने में ठेकेदारों की रुचि न होने और निरीक्षण कर्मचारी पर्याप्त न होने की वजह से गोदामों के निर्माण की गति में पूरी तरह से तेजी नहीं आयी है । राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम परियोजना के क्रियान्वयन की गति में तेजी लाने के लिए कार्यवाही कर रहा है ।

विवरण

विश्व बैंक राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम-1 सहकारी भण्डारण परियोजना के क्रियान्वयन के लिए 300 लाख अमरीकी डालर (जोकि 26.65 करोड़ रुपए के बराबर है) के अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी ऋण की मंजूरी दी है। इसमें से राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम 31 मार्च, 1984 तक परियोजना के क्रियान्वयन पर वहन किये गये व्यय के आधार पर 25.27 करोड़ रुपए की धनराशि का दावा कर चुकी है। परियोजना की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर, 1984 है, जिस समय तक कि अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी के समूचे ऋण को निकाला जाना और वितरित किया जाना है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम-परियोजना-2 के संबंध में विश्व बैंक ने 1018 लाख के एस०डी०आर०एस० (जोकि लगभग 100 करोड़ रुपए के बराबर है) की मंजूरी दी है, इसमें से भण्डारण अवयव 66.29 करोड़ रुपए का है। परियोजना की अंतिम तिथि 30 जून, 1987 है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम 31 मार्च, 1984 तक 24.60 करोड़ रुपए का दावा कर चुकी है। राज्यवार वास्तविक प्रगति और निर्मुक्त की गई वित्तीय धनराशि नीचे दी गई है :—

करोड़ों रुपए में

राज्य	परियोजना अवधि के दौरान स्थापित किये जाने वाले गोदामों की संख्या	31-3-84 तक राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा स्वीकृत गोदाम		31-3-84 तक बनाए गए गोदामों की संख्या	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा राज्यों को उपलब्ध करायी गयी सहायता	
		मंजूर किए गए गोदामों की संख्या	इस पर आयी कुल लागत		स्वीकृति	निर्मुक्त की गई
1	2	3	4	5	6	7
राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम-1 (1979-84)						
1. हरियाणा	1020	1015	14.68	819	11.23	10.05
2. उत्तर प्रदेश	3093	3386	32.30	3193	24.20	23.09

1	2	3	4	5	6	7
3. उड़ीसा	1185	1185	10.15	720	7.65	7.18
	5298	5586	57.13	4732	43.08	40.32

* संशोधित लक्ष्य

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम-2 (1981-87)

4. आन्ध्र प्रदेश	3100	1496	14.88	641	11.16	7.83
5. बिहार	149	136	7.52	72	5.64	4.99
6. हिमाचल प्रदेश	1187	420	3.78	155	2.84	1.97
7. महाराष्ट्र	1763	1064	19.10	183	14.32	10.38
8. पंजाब	1699	1198	26.28	827	19.71	16.14
	7898	4314	71.56	18.78	53.67	41.31

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूति जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवारों को सहायता देने का लक्ष्य

*958. **श्री दलीप सिंह भूरिया** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए निर्धारित 30 प्रतिशत के लक्ष्य की प्राप्ति कर ली गई है ;

(ख) यदि नहीं, तो किन राज्यों में इस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाई है ;

(ग) उसके प्रमुख कारण क्या हैं ;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार ने लक्ष्यों की प्राप्ति में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए कोई कदम उठाये हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो तसम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) जी हां 31 मार्च, 1984 तक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के 37.18 प्रतिशत सदस्यों को शामिल किया गया है।

(ख) से (ङ) एक विवरण सभा-पटल पर रखा गया है।

विवरण

कुछेक राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में अनुसूति जाति/अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कुल जनसंख्या के 30 प्रतिशत से कम है। ऐसे मामलों में, निर्धारित लक्ष्य के अनुसार इन्हें शामिल करना संभव नहीं है। कुछ हद तक सिक्किम को तथा केवल आंशिक रूप से पश्चिम बंगाल को छोड़कर फिर भी, इन सभी राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में प्राप्त किया गया लक्ष्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिशत से अधिक रहा है। ब्यौरा निम्न प्रकार :-

क्रo सं o	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति/ अमुसूचित जनजाति* का प्रतिशत	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को शामिल करने में प्राप्त किया गया लक्ष्य (प्रतिशत)
1.	हरियाणा	19.07	24.97
2.	जम्मू तथा कश्मीर	8.31	12.91
3.	कर्नाटक	19.98	23.89
4.	सिक्किम	29.05	22.34
5.	केरल	11.05	23.79
6.	पश्चिम बंगाल	27.62	27.38
7.	अंदेमान तथा निकोबार द्वीप समूह	11.85	17.58
8.	दिल्ली	18.03	29.45
9.	गोवा, दमन तथा दीव	3.15	9.13
10.	पांडिचेरी	15.99	24.89

* 1981 की जनगणना के अनुसार।

कटामरम यंत्रीकृत नौकाओं और ट्रालरों के बीच झगड़े

*959. **श्री एन० डेनिस :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की तटवर्ती समुद्र क्षेत्र में मछली पकड़ने के दौरान कटामरम यंत्रीकृत नौकाओं औरट्रालरों के बीच झगड़े होने की जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इन झगड़ों को निपटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(घ) क्या इस सम्बन्ध में एक केन्द्रीय अधिनियम बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

कृषि मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) से (घ) सरकार को एक और परम्परागत मछुओं और लघु यंत्रीकृत नौकाओं के मालिकों और दूसरी और लघु यंत्रीकृत नौकाओं के मालिकों और बड़े ट्रालरों के मालिकों के हितों के बीच झगड़े की जानकारी है।

2. केरल, तमिलनाडु और संघ राज्य क्षेत्र गोवा, दमन और दीव में विरोध प्रकट किया गया और उन प्रावधानों, जो कि मत्स्यन जलयानों और गियर की विशिष्ट किस्मों द्वारा विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में मछली पकड़ने को विनियमित करते हैं, के विरुद्ध लघु यंत्रीकृत नौकाओं को चलाने वाले मछुओं ने कानूनी मामले दर्ज किये हैं। तथापि, गुजरात में परम्परागत मछुओं और लघु यंत्रीकृत नौकाओं के चालकों ने विदेश से किराये पर लिये गये जलयानों द्वारा उथले जल क्षेत्र में मछली पकड़ने के विरुद्ध विरोध प्रकट किया। उन्होंने दावा किया है कि इससे उनकी आजीविका और आय में प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

3. 1979 में भारत सरकार ने सभी समुद्री राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को समुद्री मत्स्यन विनियमन के संबंध में कानून बनाने के लिये एक आदर्श विधेयक बनाने की सिफारिश की, जिससे उन्हें परम्परागत मछुओं, यंत्रीकृत नौकाओं और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जलयानों के प्रचालन संबंधी क्षेत्रों को निर्धारित करने का अधिकार प्राप्त होगा। केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उड़ीसा और गोवा, दमनएवं दीव सरकार ने इस संबंध में उपयुक्त कानून बनाया हुआ है। केन्द्रीय सरकार ने शेष समुद्री राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भी ऐसा ही कानून बनाने का अनुरोध किया है।

4. गृह मंत्रालय और कृषि मन्त्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने 1983 में गोवा का दौरा किया ताकि गैर-यंत्रीकृत परम्परागत नौकाओं के स्वामियों की शिकायतों

का अध्ययन किया जा सके । केन्द्रीय सरकार ने संघ राज्य क्षेत्र गोवा, दमन एवं दीव को सलाह दी है कि वे क्षेत्र में प्रभावी गश्त लगाने के लिए तीव्र गति की नौकायें प्राप्त करें ।

5. भारत सरकार ने भारतीय समुद्री क्षेत्र (विदेशी जलयानों द्वारा मत्स्यन का विनियमन) अधिनियम, 1981, जिसमें किराये पर लिये गये विदेशी जलयानों द्वारा क्षेत्रीय जल क्षेत्रों अथवा 40 फेदम से ज्यादा की गहरायी वाले क्षेत्रों में ही जो भी तट से दूर हो, मछली पकड़ने की मांग की गई है, के अन्तर्गत नियमों में भी संशोधन करने का निर्णय किया है ।

6. फिलहाल इस संबंध में केन्द्रीय कानून बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

पान-पत्ता विकास बोर्ड

*960. **श्री सत्य गोपाल मिश्र** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पान-पत्ता विकास बोर्ड स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) पान के पत्तों की खेती बहुत ही सीमित पैमाने में की जाती है, अतः इसके लिए एक पृथक बोर्ड बनाने की जरूरत नहीं है ।

पशुधन विकास कार्यक्रम का क्रियान्वयन

*961. **श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी** : क्या कृषि मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) पशुधन विकास और पशु प्रजनन के लिए छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत क्रियान्वित की जा रही प्रमुख योजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है और उन पर कितनी धनराशि खर्च हुई है ; और

(ग) पशु धन के विकास के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) कृषि मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जा रही पशुधन विकास के क्षेत्र में प्रमुख केन्द्रीय योजनाएं/कार्यक्रमों का ब्यौरा देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

(ख) देश में पशुधन विकास का प्रबोधन करने के लिए सरकार द्वारा किये जा रहे उपाय निम्नलिखित हैं :—

1. जर्सी, होल्स्टाईन, फ्रीसियन आदि जैसे विदेशी डेरी नस्लों से चुने नस्लों तथा गैर-वर्गीकृत पशुओं के साथ संकर प्रजनन करके पशुओं तथा भैंसों की महत्वपूर्ण देशी नस्लों का सुधार ;

2. उत्तम किस्म का अधिक ऊन का उत्पादन करने के लिए संकर प्रजनन चुने/प्रजनन द्वारा देशी भेड़ों का सुधार ;

3. विदेशी नस्लों के साथ संकर प्रजनन से देशी सूअरों का सुधार ;

4. अंडों तथा कुक्कुट मास का उत्पादन बढ़ा करके क्वालिटी प्रजनन स्टाक का विकास तथा संबर्धन और विपणन अवस्थापना का सुधार ;

5. आहार तथा चारा संसाधनों का विकास करके पशुधन के लिए पोषणात्मक समर्थन में सुधार ;

6. निदान, उपचार तथा टीका उत्पादन के लिए पशु स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास और पशु प्लेग, खुरपका तथा मुंह पका रोगों आदि जैसे रोगों का नियन्त्रण करने संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम का संगठन ।

विवरण

छठी पंचवर्षीय योजना के तहत क्रियान्वित किए गए प्रमुख योजनाओं के ब्यौरे, उनका स्थान तथा वर्ष 1983-84 के दौरान किये गए व्यय तथा वर्ष 1984-85 के मंजूर किये गये परिव्यय नीचे प्रदर्शित किये गये हैं :—

	योजना के ब्यौरे	स्थान (राज्य)	1983-84 में किया गया व्यय (लाख रुपए में)	स्वीकार किया गया परिव्यय 1984-85 (लाख रुपए)
		2	3	4
1.	आपरेशन फ्लड-2	अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पांडिचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल ।	18975.08	7060.00
2.	केन्द्रीय हिमित बीर्य उत्पादन तथा प्रशिक्षण संस्थान	हैस्सरघट्टा (कर्नाटक)	48.98	20.00
3.	केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म	सूरतगढ़ (राजस्थान) चिप्लीमां तथा सुनाबेडा (उड़ीसा) हैस्सरघट्टा (कर्नाटक) अंदेशनगर (उत्तर प्रदेश) धामरोड़ (गुजरात) अलमाधी (तमिलनाडु)।	730.60	190.00

1	2	3	4
4. पशु पंजीकरण योजना	रोहतक (हरियाणा), अहमदाबाद (गुजरात), ओंगोला (आंध्र प्रदेश), अजमेर (राजस्थान)।	67.24	21.00
5. पशु संतती परीक्षण योजना	केरल, पंजाब तथा असम	57.88	18.00
6. आपरेशन फ्लड क्षेत्रों के बाहर विदेशी डेरी नस्लों और उन्नत भैंसों के हिमित वीर्य तकनीक के प्रयोग से देशी पशुओं का संकर प्रजनन	तमिलनाडु, केरल, आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, असम नागालैंड और त्रिपुरा	1171.13	200.00
7. उच्च कोटि के देशी/ संकर प्रजनित ओसरों का उत्पादन करने के लिए चुनींदा गोशालाओं की सहायता	गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश	20.76	60.00
8. केन्द्रीय कुक्कुट प्रजनन फार्म	हैस्सरघट्टा (कर्नाटक) बम्बई (महाराष्ट्र) भुवनेश्वर (उड़ीसा) तथा चंडीगढ़	342.94	30.00
9. कुक्कुट उत्पादन तथा प्रबंध के लिए केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान	हैस्सरघट्टा (कर्नाटक)	37.49	8.00

1	2	3	4
10. केन्द्रीय बतख प्रजनन फार्म	हैस्सरघट्टा (कर्नाटक)	34.82	13.00
11. यादृच्छिक नमूना परीक्षण एकक	हैस्सरघट्टा (कर्नाटक), बम्बई (महाराष्ट्र) भुवनेश्वर (उड़ीसा), हिसार (हरियाणा)	45.13	10.00
12. केन्द्रीय भेड़ प्रजनन फार्म	हिसार (हरियाणा)	225.63	120.00
13. पशु प्लेग निगरानी तथा निरोधक टीका कार्यक्रम	सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	103.78	60.00
14. खुरपका तथा मुंहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम	सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	184.52	52.00
15. पशु रोग निगरानी	सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	15.58	20.00
16. चारा उत्पादन तथा प्रदर्शन के लिए क्षेत्रीय केन्द्र	हिसार (हरियाणा), हैदराबाद (आंध्र प्रदेश) अलामाधी (तमिलनाडु, सूरतगढ़ (राजस्थान) गांधीनगर (गुजरात) कल्याणी (पश्चिम बंगाल) तथा श्रीनगर (जम्मू तथा कश्मीर)	135.17	41.00
17. केन्द्रीय चारा बीज उत्पादन फार्म	हैस्सरघट्टा (कर्नाटक)	48.75	30.00
18. चारा मिनिकिट प्रदर्शन	सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	38.40	19.00

आन्ध्र प्रदेश में लम्बे रेशे वाली कपास की किस्म का उत्पादन

*962. **श्री चित्त बसु :**

श्री मोतीभाई आर० चौधरी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में कपास की लम्बे रेशों वाली किस्मों के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि उत्पादकों को अपने उत्पाद का मूल्य उचित मूल्य नहीं मिल रहा है ;

(ग) यदि हां, तो क्या कम मूल्य मिलने के कारण कपास का आगे उत्पादन करने में उत्पादक हतोत्साहित नहीं होंगे और इससे लम्बे रेशे वाली कपास की खेती के क्षेत्र में कमी आयेगी ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं ?

कृषि मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) जी नहीं । आन्ध्र प्रदेश में कपास (लम्बे रेशे वाली कपास की किस्मों सहित) का थोक मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित किए गए न्यूनतम समर्थन मूल्यों से अधिक चल रहे हैं ।

"वी०आई० पीज० अबव डी०डी०ए० ला"

*963. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संरकार का ध्यान दिनांक 13 अप्रैल, 1984 के "स्टेट्समैन" (दिल्ली संस्करण) में "वी०आई०पीज० अबव डी०डी०ए० ला" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि यद्यपि दिल्ली विकास प्राधिकरण फ्लैट के भीतर केवल अतिरिक्त लकड़ी के कार्य की अनुमति देता है लेकिन स्वयं वित्त पोषण योजना के अन्तर्गत दक्षिण दिल्ली में बनाये गये फ्लैटों के प्रभावशाली विशिष्ट (वी०आई०पी०) मालिकों ने गैरेज, सर्वेंट क्वार्टर और स्टोर रूम तथा बरामदे को कमरों में परिवर्तित करने के लिए बाहरी दीवारों को गिराकर वास्तव में उनका पुनः निर्माण किया है ;

(ग) यदि हाँ, तो क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लेटों में इन व्यापक परिवर्तनों की अनुमति है ; और

(घ) यदि नहीं, तो कानूनी उपबन्धों के उल्लंघन को रोकने के लिए कदम उठाये गये हैं ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, हाँ ।

(ख) जी, नहीं । केवल परिवर्धन/परिवर्तन सहित अनधिकृत निर्माण के कुछ मामले ध्यान में आए हैं और दोषी आबंटितियों के विरुद्ध कार्रवाई आरम्भ कर दी गई है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) अनधिकृत निर्माण गिराने के लिए नोटिस जारी किए जा रहे हैं और दोषी आबंटितियों के विरुद्ध पट्टा/आबंटन मंसूख करने की कार्रवाई आरम्भ की जा रही है ।

गृह निर्माण सम्बन्धी गतिविधियां

*964. श्री कृपासिन्धु भोई : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले एक वर्ष से गृह निर्माण गतिविधियों में भारी कमी आई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार द्वारा देश में लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गृह निर्माण की गति में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटासिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) जानकारी संलगन विवरण में दी गई है ।

विवरण

आवास गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं इनमें निम्नलिखित शामिल हैं :—

(i) आवास के लिए पांचवी योजना में 600.92 करोड़ रुपये के निवेश के स्तर को बढ़ा कर छठी पंचवर्षीय योजना में 1490.87 करोड़ रुपये करना ।

(ii) सार्वजनिक क्षेत्र आवास प्रयासों में समाज के अपेक्षाकृत गरीब वर्गों तथा आश्रय-हीनों को प्राथमिकता देना ।

(iii) चालू योजना अवधि के दौरान आवास तथा नगर विकास निगम (हुडको) के पूंजी निवेश का स्तर बढ़ाकर 600 करोड़ रुपए करना । ग्रामीण तथा शहरी दोनों ही

क्षेत्रों में आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों को ब्याज की रिआयती दर पर ऋणों का प्रावधान ।

(iv) आवास के लिए 1982 में उपलब्ध 100 करोड़ रुपये के बैंक ऋण की मात्रा की तुलना में 1983 में 150 करोड़ रुपये करना ।

(v) आवास में पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई वित्तीय प्रोत्साहन दिये गये हैं ।

(vi) बड़े शहरों में सहकारी ग्रुप आवास प्रयासों प्रोत्साहन देने के लिए अपार्टमेंट ओनरशिप अधिनियम 9 राज्यों में लागू कर दिया गया है ।

(vii) संशोधित 20-सूत्री कार्यक्रम में ग्रामीण आवास स्थल व निर्माण सहायता तथा समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए आवास कार्यक्रमों को शामिल किया गया है ।

(viii) आवास में विद्यमान पूंजी मार्किट का विश्लेषण करने, आवास वित्त की पद्धति में त्रुटियों की जांच करने, विशेषज्ञ वित्तीय संस्थान आदि स्थापित करने के लिए रूपात्मकता सुझाने के लिए सार्वजनिक वित्त तथा नीति के राष्ट्रीय संस्थान को आवास वित्त पर एक अध्ययन का कार्य सौंपा गया है ।

अशोक बिहार कालोनी में वर्षा के पानी की निकासी की व्यवस्था

*965. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अशोक विहार कालोनी का निर्माण करते समय वर्षा के पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं की थी ;

(ख) यदि हां, तो इस कमी के बारे में डीoडीoएo को कब पता चला और यह कालोनी कब बनाई गई थी ;

(ग) डीoडीoएo ने इतने वर्षों के बाद भी इस कमी को दूर क्यों नहीं किया ;

(घ) क्या इस कमी के कारण इस क्षेत्र की नालियों में पानी सड़ रहा है जो यहां के निवासियों के स्वास्थ्य के लिए खतरा बन गया है ; और

(ङ) स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार का विचार क्या कार्रवाई करने का है ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) तथा (ख) जी, नहीं । वर्षा के पानी के लिए निर्गम मार्ग दिल्ली विकास प्राधिकरण के प्रारम्भिक नक्शे में था ।

अशोक बिहार चरण-III के मुहाना नाले का निर्माण तथा चरण-II के कुछ शेष कार्य झुग्गियों तथा मन्दिर एवं एक स्कूल भवन जैसी रुकावटों के कारण रुक गया है।

(ग) से (ङ) दिल्ली विकास प्राधिकरण अतिक्रमणकर्ताओं को कतिपय पुनर्वास कालोनियों में ले जाने तथा स्कूल एवं परिसर के भीतर आच्छादित, पाइप नाला बनाने के सभी प्रयास कर रहा है।

अशोक बिहार चरण-III में कतिपय स्थानों में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित नालों में वर्षा का पानी थोड़ा ही सा रुकता है वरना अधिकतम पानी स्वभाविक प्रवाह के कारण निकल जाता है।

शहरी गंदी बस्तिवों में रहन-सहन की स्थिति में सुधार करने के लिए गठित कार्यदल की रिपोर्ट

*966. **प्रो. अजित कुमार मेहता :**

श्रीमती किशोरी सिन्हा : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को शहरी गंदी बस्तियों में रहन-सहन की स्थिति में सुधार करने के लिए गठित किए गए कार्यदल की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि शहरी विकास के लिए गठित किए गए प्राधिकरण मुख्य रूप से मकान बनाने के काम में लगे हुए हैं ; और

(ग) क्या इस प्रकार के कई प्राधिकरणों द्वारा बनाए गए मकानों की जांच करने पर यह पाया गया है कि उनके निर्माण में घटिया किस्म की सामग्री इस्तेमाल की गई है जैसा कि डी डी.ए. द्वारा बनाए गए मकानों में हुआ है ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की भावी योजनाएं क्या हैं ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली के किसानों से गेहूं की खरीद

*967. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी :**

श्री बापूसाहिब परुलेकर : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा दिल्ली में भी गेहूं की खरीद की व्यवस्था की गई है ;

(ख) यदि हां, तो यह व्यवस्था दिल्ली में कब और किस जगह शुरू की गई है ;

(ग) किसानों को इस व्यवस्था के बारे में किस संचार माध्यम से सूचना दी गई थी ;

(घ) क्या सरकार को दिल्ली में इस व्यवस्था के देर से शुरू होने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी हां ।

(ख) भारतीय खाद्य निगम ने दिल्ली के संघ शासित प्रदेश में 8 और 9 अप्रैल, 1984 को नजफगढ़, नरेला और शाहदरा की विनियोजित मंडियों में तीन क्रय केन्द्र खोले हैं ।

(ग) नरेला, नजफगढ़ और शाहदरा की कृषि उत्पाद मंडी समितियों को भारतीय खाद्य निगम के क्रय केन्द्रों को खोलने के बारे में सूचित किया गया था और इसके प्रत्युत्तर में उन्होंने इस सम्बन्ध में मंडियों में तथा निकटवर्ती क्षेत्रों में घोषणा की थी ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

भूमि सुरक्षा प्रौद्योगिकी

*968. श्री ए० के० राय : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान मार्च, 1984 में उड़ीसा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के 18वें वार्षिक दीक्षांत समारोह की रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या "भूमि सुरक्षा प्रौद्योगिकी" पर बल दिया गया है ;

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(घ) क्या केन्द्र सरकार का विचार इस दिशा में राज्यों को ठोस मार्गनिदेश देने का है ?

कृषि मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) दिनांक 4 मार्च, 1984 को भुवनेश्वर (उड़ीसा) में उड़ीसा कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के 18वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में लोक सभा के माननीय अध्यक्ष श्री बलराम जाखड़ द्वारा दीक्षांत समारोह के बारे में दिये गये भाषण की सरकार को जानकारी है।

(ख) जी हां, श्रीमान् ।

(ग) तथा (घ) प्रति एकक क्षेत्र तथा समय में उच्चतम उत्पादन सीमा के लिए गहन कृषि की योजना तथा विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन द्वारा सरकार ने पहले ही कदम उठाये हैं । छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान गहन फसल चक्रों के लिए जल्दी पकने वाली किस्मों के संश्लेषण अधिक उपज तथा स्थिर उत्पादन के लिए प्रजनन किस्मों, समस्याग्रस्त क्षेत्रों के लिए विकसित किस्में, तथा भूमि सहित प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर भी अनुसंधान किया गया है । राज्य कृषि विश्वविद्यालयों तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के संस्थानों के अनुसंधान संजाल के माध्यम से इन आवश्यकताओं को पूरा किया जा रहा है ।

छिड़काव सिंचाई प्रणाली में उपयोग में लाये गये पाइप

10060. **श्री डूंगर सिंह** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सारे देश में छिड़काव प्रणाली उपकरणों में बहुत समय से उपयोग में लाये जा रहे अल्यूमीनियम पाइप सन्तोषजनक ढंग से काम कर रहे हैं ;

(ख) क्या छिड़काव सिंचाई प्रणाली यंत्रों के निर्माता परम्परागत ढंग से उपयोग में लाए गए अल्यूमीनियम के स्थान पर 'लाइट गेज गल्वेनाइस्ड स्टील पाइपों का उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं ;

(ग) क्या उनके मंत्रालय को छिड़काव सिंचाई प्रणाली उपकरणों के कुछ अन्य निर्माताओं की ओर से स्टील पाइपों के प्रयोग के विरुद्ध जो बहुत पतले होने के कारण उपयोगी नहीं होते हैं, तकनीकी ब्यौरा और प्रमाणपत्र देते हुए अभ्यावेदन मिले हैं ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का विचार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का है ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (घ) देश में छिड़काव सिंचाई के लिए सामान्यतः अल्यूमीनियम के पाइपों का उपयोग किया जाता है । फरवरी, 1984 के अन्तिम सप्ताह में अल्यूमीनियम पाइपों का निर्माण करने वाली एक कम्पनी से एक पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें बताया गया था कि छिड़काव सिंचाई उपस्कार के सप्लाईकर्त्ता/निर्माताओं में से एक अल्यूमीनियम पाइपों के स्थान पर 'लाइट गेज गल्वेनाइज्ड स्टील पाइप" प्रस्तुत करने का प्रयास कर रही है । छिड़काव तथा ड्रिप सिंचाई के उपयोग में लाए जाने वाले सभी उपस्करों के मानकीकरण का मामला भारतीय मानक संस्थान को भेजा जा रहा है ।

मंडावली फाजलपुर के नक्शों (ले-आउट प्लान) में संशोधन

10061. **श्री फूल चन्द वर्मा :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंडावली फाजलपुर की ई-13 ले-आउट प्लान (नक्शा) में कुछ परिवर्तन/संशोधन किया गया है ;

(ख) इसके लिए सरकार द्वारा भूमि के कितने क्षेत्र का अधिग्रहण करने का विचार है ;

(ग) क्या सरकार का विचार वहां रह रहे अनुसूचित जातियों के लोगों को वहां से बेदखल करने का है ;

(घ) वहां किस तारीख तक बस चुके लोगों को बेदखल नहीं किया जायेगा ; और

(ङ) इस बारे में अन्य ब्यौरा क्या है ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां ।

(ख) से (ङ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि मंडावली फाजलपुर ग्राम में भू-अर्जन समाहर्ता ने 22-12-82 के एक एवार्ड के माध्यम से 1992 बीघा 02 बिस्वा भूमि अर्जित की थी । दिल्ली प्रशासन द्वारा 1264 बीघा तथा 12 बिस्वा भूमि का प्रयत्क्ष कब्जा लिया गया था । 475 बीघा 12 बिस्वा भूमि का कब्जा अनधिकृत संरचनाओं के कारण नहीं किया जा सका था । सामूहिक आवास समितियों को आवंटित भूमि के विन्यास नक्शे में सम्मिलित क्षेत्र से अतिक्रमण/अवैध निर्माण हटाने पड़ेंगे । वृहद योजना के अनुसार, समग्र क्षेत्र औद्योगिक उपयोग, जिला पार्क, खेल मैदान, खुले स्थान, परिवहन टर्मिनल, भण्डारण, गोदाम तथा खनिज साइडिंग के लिए प्रस्तावित था । इस क्षेत्र के पर्याप्त भाग पर अनधिकृत कालोनियों ने अतिक्रमण किया हुआ है । सामूहिक आवास समितियों को आवंटन के अतिरिक्त, भूमि का एक भाग मदर डेयरी तथा वृहद योजना में किए गए प्रावधानों के अनुसार उपर्युक्त अन्य उपयोगों के लिए आवंटनार्थ भी आयोजित है । इस क्षेत्र की अनधिकृत कालोनियों को एतद् विषयक वर्तमान सरकारी नीति के अनुसार नियमित किया जाएगा ।

दिल्ली में पुनर्वास कालोनियों में मकानों का वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए उपयोग

10062. **श्री दिगम्बर सिंह :** क्या निर्माण और आवास मंत्री 5 मार्च 1984 के अतरांकित प्रश्न संख्या 1254 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालका जी में और ऐसी अन्य कालोनियों में आवंटियों के जो जीवित हैं, के बच्चे उन्हें आवंटित किये गये मकानों में व्यवसायिक प्रतिष्ठान चला रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इसकी अनुमति है और क्या ऐसे मामलों में कोई अतिरिक्त प्रीमियम वसूल किया जाता है यदि हां, तो क्या;

(ग) क्या उनको इस बात की जानकारी है कि कालकाजी में डी० टी० सी० डिपू के सामने "जी" गली और मेन रोड पर एक जी निंग प्रेसोगन्ने पेरने की मशीन और एक आटा मिल सभी एक ही कम्पलैक्स में हैं और ये सब कई सालों से भूमि और विकास संगठन के निरीक्षण कर्मचारियों के साथ सक्रिय सांठगांठ में चल रहे हैं;

(घ) क्या इन व्यापारों के द्वारा स्वास्थ्य को खतरा पैदा होने और प्रदूषणा बढ़ने के बावजूद पहले दूसरे और तीसरे आवंटी और उनके किरायेदार भी बेरोकटोक मुनाफे वाला कारोबार चला रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और ये सब कैसे आए ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ङ) कालका जी सहित पुनर्वास कालोनियों में कतिपय व्यवसायों, जो सरकारी आदेशों के अन्तर्गत क्षम्य हैं, को छोड़कर पट्टाधारियों द्वारा अपने रिहायशी परिसरों में कोई भी कारोबार नहीं चलाया जा सकता है। तथापि पट्टाधारियों को कोई उत्पीड़न न हो सरकार ने पुनर्वास सम्पत्तियों का निरीक्षण समाप्त करने का निर्णय लिया था जब तक कि किसी पड़ोसी द्वारा किसी कण्टक की कोई विशेष शिकायत न की गई हो या जहां बिक्री की अनुमति देना अपेक्षित हो। जब कभी भी पट्टा विलेख की शर्तों का कोई उल्लघंन भूमि तथा विकास कार्यालय के ध्यान में आता है तो वे पट्टे की शर्तों के अनुसार उस पर कार्यवाही करते हैं। निरीक्षणों पर लगे प्रतिबन्ध को देखते हुए अपेक्षित सूचना नहीं दी जा सकती है।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में वायरमैन ग्रेड-1 की पदावनति

10063. **श्री के० बी० एस० मणि** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग नई दिल्ली; में गत तीन वर्षों के दौरान कितने मस्टर रोल कर्मचारी वायरमैन ग्रेड-1 पद पर (विशेषकर इलेक्ट्रीकल कन्स्ट्रक्शन डिवीजनों में) नियुक्त किये गये;

(ख) वर्ष 1982 और 1983 में (डिवीजन-वार) कितने कर्मचारियों को वायरमैन ग्रेड-1 के पद से पदावनति करके केवल वायरमैन बना दिया गया था;

(ग) उनकी बिना कोई कारण बताये पदावनति करने के क्या कारण हैं और सरकार का विचार उन्हें वायरमैन ग्रेड-1 के पद पर कब नियुक्त करने का है; और

(घ) इस बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमंत्री : (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

हिमाचल प्रदेश के लिए जल आपूर्ति योजनाएं

10064. **प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या निर्माण और आवास** मंत्री हिमाचल प्रदेश के लिए जल आपूर्ति योजनाओं के बारे में 4 अक्टूबर, 1982 के अतरांकित प्रश्न संख्या 180 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन 3420 गांवों का जिलावार ब्यौरा क्या है जिनके लिए हिमाचल प्रदेश में पृथक-पृथक जल आपूर्ति योजनाएं मंजूर की गई हैं;

(ख) 182 गावों के लिए जल आपूर्ति योजनाओं के निर्माण में हुई नवीनतम प्रगति क्या है ;

(ग) क्या यह सुनिश्चित कर लिया गया है कि इन गांवों की जल आपूर्ति योजनाएं निर्धारित अवधि में पूरी हो जायेंगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) सूचना नीचे दी गई है ।

क्रमांक	जिला	जिन ग्रामों के लिए तकनीकी अनुमोदन दिया गया है उनकी संख्या
1	2	3
1.	बिलासपुर	101
2.	ढल्वा	294
3.	हमीरपुर	755
4.	कांगड़ा	1208
5.	कुलू	42
6.	किन्नोर	3
7.	लाहौर और स्पीती	11

1	2	3
8.	मंडी	383
9.	शिमला	132
10.	सिरमौर	83
11.	सोलन	226
12.	ऊना	190
	योग	3428

(ख) 182 ग्रामों में से 86 ग्रामों को मार्च 1983 तक लाभान्वित कर दिया गया बतलाया गया है ।

(ग) तथा (घ) निधियों की उपलब्धता पर शेष 96 ग्रामों को छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त अर्थात 31 मार्च 1985 तक लाभान्वित कर दिये जाने की सम्भावना है ।

बादली (दिल्ली में) गोदामों और कारखानों का अनधिकृत निर्माण

10065. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बादली (दिल्ली) में बड़ी संख्या में गोदामों और कारखानों का अनधिकृत निर्माण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस बारे में कोई कार्यवाही की गई है ;

(घ) क्या इस प्रकार के निर्माणों की अनुमति देने के बारे में जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए कदम उठाए गए हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

दिल्ली में विभिन्न आय समूहों को भूमि का वितरण

10066. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना में दिल्ली में विभिन्न आय समूहों के लिए भूमि वितरण का कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है ;

(ख) लक्ष्य प्राप्ति में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) ऐसे कोई लक्ष्य नहीं हैं ।

अनुसंधान परिषद के प्रबंधकों के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय की गम्भीर निंदात्मक टिप्पणियां शीर्षक से समाचार

10067. **श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के प्रबन्धकों के विरुद्ध गम्भीर निंदात्मक टिप्पणियां की हैं और यदि हां, तो उसमें अन्तर्गस्त व्यक्तियों का पूरा ब्यौरा क्या है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) क्या यह सच है कि हाल के भेड़ के बारे में जांच सम्बन्धी मामलें में अंतर्गस्त और आरोपित सभी उच्च अधिकारियों की पदोन्नति कर दी गई/उन्हें बेहतर नियुक्तियां दी गई हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार एस० ए० सी० सी० को, गत तीन वर्षों के दौरान सेवा से हटाये गये/दंडित किए गए वैज्ञानिकों के मामलों की पुनरीक्षा सहित, इस प्रकार की पदोन्नतियों के सभी मामलों पर विचार करने के लिए कहने का है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) माननीय उच्चतम न्यायालय ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के किसी अधिकारी के खिलाफ कोई कटु आलोचना नहीं की । अतः ऐसे व्यक्ति बारे में उसके खिलाफ कार्रवाई करने के सम्बन्ध में विवरण देने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ख) यह बात सत्य नहीं है कि भेंड़ सम्बन्धी जांच के मामले में जो भी उच्च अधिकारी शामिल हैं उनकी पदोन्नति कर दी गई है और उन्हें बेहतर पद पर नियुक्त कर दिया गया है ।

केवल उस समय जो निदेशक, केन्द्रीय भेड़ तथा ऊन अनुसंधान संस्थान जिनका नाम अन्य अधिकारियों के साथ इस मामले में है उनको परिषद में सहायक महानिदेशक (ए०एस०) के पद पर, इस मामले में विभागीय जांच के लिए लगाए गए अभियोगों से पूर्व ही उनकी नियुक्ति परिषद के संबंधित नियमों के अनुसार ही सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से की गई है ।

(ग) उपरोक्त (क) तथा (ख) को ध्यान में रखते हुए इसका प्रश्न ही नहीं उठता ।

दिल्ली में परिवहन नगरों की स्थापना

10068. **श्री हीरा लाल आर० परमार :**

श्री चित्त बसु : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की दिल्ली के विभिन्न भागों में परिवहन व्यवसायियों (ट्रांसपोर्टरों), वर्कशाप स्वामियों, फालतू पुर्जे व्यापारियों आदि के लिए परिवहन नगर स्थापित करने की योजना है ;

(ख) यदि हां, तो परिवहन नगर कहां स्थापित किए जायेंगे ;

(ग) क्या उक्त योजनाओं के अन्तर्गत परिवहन व्यवसायियों वर्कशाप स्वामियों, फालतू पुर्जे व्यापारियों आदि को अपनी स्थापनाओं के वर्तमान परिसर खाली करने पड़ेंगे क्योंकि परिवहन नगरों की स्थापना की जानी है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या उन्हें परिवहन नगरों में विकल्प रूप में स्थान उपलब्ध कराये जायेंगे जैसे कि मोतिया खान से मायापुरी को स्थानांतरित किये गये व्यक्तियों के मामले में किया गया था ।

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) तथा (ख) जहांगीर पुरी के पास, मण्डावली फाजलपुर के पास तथा मथुरा रोड़ पर बदरपुर पावर हाउस के पास परिवहन नगरों का विकास करने का प्रस्ताव है ।

(ग) तथा (घ) इस सम्बन्ध में रूपात्मकता अभी तैयार की जानी है ।

उड़ीसा के आदिवासी क्षेत्रों में सिंचाई के विकास की योजना

10069. **श्री गिरिधर गोमांगो :** क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में सिंचाई के विकास के लिए कोई "मास्टर-प्लान" तैयार किया है ;

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण और जांच हेतु कुल कितनी सिंचाई परियोजना तैयार की गई है और सर्वेक्षण शुरू किया गया है तथा अब तक कितनी परियोजना रिपोर्टों की तैयारी पूरी हो गई है ;

(ग) पांचवी और छठी योजनाओं के दौरान जनजाति क्षेत्रों में कार्यान्वियन हेतु कितनी मझोली सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गई और परियोजना-वार कितनी-कितनी धनराशि की व्यवस्था की गई ;

(घ) इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद इनसे परियोजना-वार जनजातियों के कुल कितने व्यक्ति लाभान्वित होंगे ; और

(ङ) इन उपायों के जरिये जनजातियों के हितों की रक्षा करने के लिए उड़ीसा सरकार ने क्या उपाय किए हैं ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) उड़ीसा सरकार को आदिवासी क्षेत्रों के लिए भारत सरकार द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार मास्टर प्लान अभी तैयार करना है । तथापि उड़ीसा सरकार ने अपनी प्रारंभिक योजना में बताया है कि सर्वेक्षण तथा अन्वेषण किए जाने के लिए 124 सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना की गई है तथा 32 परियोजनाओं का अन्वेषण कार्य चल रहा है ।

(ग) पांचवीं तथा छठी योजनाओं के दौरान आदिवासी क्षेत्रों में 15 मध्यम सिंचाई परियोजनाएं हाथ में ली गई थीं । परियोजनावार निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-एक में दिया गया है ।

(घ) इन परियोजनाओं से लाभान्वित आदिवासियों के सम्बन्ध में ब्यौरा संलग्न विवरण दो में दिया गया है ।

(ङ) जहां कहीं संभव हो लिफ्ट सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने के लिए, खुदाई कुओं के निर्माण के लिए, मिनी लघु सिंचाई परियोजनाओं के क्रियान्वयन तथा परित्यक्त तालाबों का सुधार करने के लिए पहाड़ी सरिताओं के उपयोग को उच्च प्राथमिकता दी जा रही है ।

विवरण-एक

(लाख रुपए में)

क्रम सं०	मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के नाम	पांचवीं योजना तक हुआ व्यय	83-84 तक हुआ प्रत्याशित व्यय
1	2	3	4
	पांचवीं योजना		
1.	खडकाई 1973	652 48	46.76
2.	नेस्सा 1974	131.94	1
3.	सुनेई	356.36	949.53
4.	बंकबहल	3.93	373.57
5.	तालासारा	190.09	365.36
6.	सराफगढ़	129.87	316·13
7.	बरसुंआ	1.50	22.01
8.	कंसबहल	1·50	288·18
9.	रेशम	298.34	734.96
10.	कंझारी	60.09	1012.5
11.	पिलासाल्की	303.97	385.97
12.	बंदापिपली	146.45	206.12
13.	हरबंगी	35.31	706·96
14.	बलदिहा (आधुनिकीकरण)	6·04	23.94
	छठी योजना		
1.	बड़ानाला		183·73

विवरण-दो

पांचवीं और छठी योजनाओं के दौरान आरंभ की गई मध्यम परियोजनाओं से लाभान्वित होने वाली जन-जातीय जनसंख्या

परियोजनाओं के नाम	लाभान्वित तहसीलें	1971 की जनगणना के अनुसार तालुका में कुल जनजातीय जनसंख्या
पांचवीं योजना		
1. खडकई	रायरंगपुर	213,239
2. नेस्सा	-तदेव-	
3. सुनेई	-तदेव-	
4. बंकबहल	बरियापाडा	221,941
5. बालादिया (आधुनिकीकरण)	-तदेव-	
6. तलसारा	सुन्दरगढ़	103,122
7. सरामगढ़	-तदेव	
8. बरसुआं	पानपोश	177,770
9. कंसबहल	राजगंगपुर	107,289
10. रेशम	आनन्दपुर	64,694
11. कनझारी	क्युंझर	187,465
12. पीलासाल्की	फूलबनी	32,027
13. बोंडापिपिली	बालीगुडा	91,793
14. हरभंगी	जन-जातीय क्षेत्र में केवल सीमित निर्माण-कार्य	—
छठी योजना		
1. बड़ानाला	गुनुपुर	95,790
	जोड़	16,95,130

जनकपुरी में डी० डी० ए० के फ्लैटों की लागतों सम्बन्धी आंकड़े

10070. **श्री हीरालाल आर० परमार** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निम्न आय वर्ग के फ्लैटों, खासतौर पर जनकपुरी, नई दिल्ली की क्षेत्र सी० 5 बी, सी० 5 सी० और सी० 5 डी० में फ्लैटों के आवंटियों द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकारण को भुगतान किए गए/भुगतान किए जाने वाले मूल्य में निर्माण की वास्तविक लागत के अलावा, भूमि पर प्रीमियम, रखरखाव, प्रशासनिक, विभागीय और देस्तावेज संबंधी एवं बिजली संबंधी (आंतरिक) प्रभारों जैसे अन्य विभिन्न प्रभार भी शामिल है और दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा जीवन बीमा निगम, सामान्य बीमा आदि को ब्याज का कितना भुगतान किया गया ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त क्षेत्रों में इन फलैटों की लागत के आंकड़े क्या हैं ?

रेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि जनकपुरी में सी. 5 बी, सी. 5 सी. / तथा सी. 5 डी. पाकेटों के निम्न आय वर्ग फ्लैटों सहित उनके फ्लैटों में भूमि का प्रीमियम शामिल है, ये फ्लैट विवरणिका के माध्यम से घोषित मिश्रित लागत पर बेचे जाते हैं । विभागीय प्रकार, पूंजी पर ब्याज, प्रशासनिक प्रभार इत्यादि निर्माण लागत के अंश हैं और इसी तरह से माना जाता है । निर्माण की लागत तथा भूमि की लागत का विवरण विधिवत रूप से मांग व आवंटन पत्रों के माध्यम से आवंटियों को बता दिया जाता है ।

वसन्त बिहार में अनधिकृत किरायेदारों से वसूली

10071. **श्री धर्मवीर सिन्हा** : क्या निर्माण और आवास मंत्री बसंत बिहार में भू-खंडों का उप-पट्टा समाप्त करने के बारे में 8 मई, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9415 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किरायेदारों से इस अवधि के लिए नुकसान की वसूली कर ली गई है, जिसके दौरान परिसरों किरायेदारों के अनधिकृत कब्जे में रहे ;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं तथा प्रत्येक मामले में कितनी धनराशि वसूल की गई ;

(ग) कुल सम्बद्ध धनराशि क्या है ; और

(घ) सरकार ने बकाए की वसूली सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

उत्तर प्रदेश में ए० आई० सी० आर० पी०

10072. **श्री बी० डी० सिंह** : क्या कृषि मंत्री उत्तर प्रदेश में ए. आई. सी. आर. पी. के बारे में 26 मार्च, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4860 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परिशिष्ट-एक में दर्शाए गए विवरण के अनुसार वर्ष 1981 से 1983 तक मादा-जानवरों के वर्ष-वार, नस्ल-ग्रुप-वार लगातार कम होने किन्तु 1984 में उनके बढ़ने के क्या कारण है ; नस्ल-ग्रुप-वार कितने मादा पशु थे 1983 और 1984 में कितने पैदा हुए और कितने पशु मरे/अथवा बेचे गये ;

(ख) क्या सरकार के विचार से दूध न देने वाली और दुधारु गायों का वर्ष-वार, नस्ल-ग्रुप-वार अनुपात संतोषजनक है जबकि वर्ष 1978 से दूध न देने वाली इतनी अधिक गायें थीं और प्रति पशु दैनिक दूध का उत्पादन इतना कम था ;

(ग) क्या संकर गायों के अनुपात को संतोषजनक मानती है और इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) मार्च, 1984 में निरीक्षण की गई आई० वी० आर० आई० एकक, के कार्य निष्पादन को संतोषजनक घोषित करने के लिए क्या मानदण्ड अपनाये गये थे ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) कुछ आनुवंशिक वर्गों में मादाओं की संख्या में 1981 से 1983 तक गिरावट कार्यक्रम के अनुसार है । अर्ध संकर और द्वीतीय पीढ़ी के संकरों (एफ बी एच-एफ० जे० एच०, बी० पी० एच० और जे० एफ० जी०) की संख्या में गिरावट कार्यगोष्ठियों की सिफारिश के अनुसार पशुओं के चयन के कारण थी । 1982-83 की तुलना में 1983-84 में मादाओं की संख्या में कोई वृद्धि नहीं है । इन्टर्स आनुवंशिक वर्ग के अन्तर्गत 1983-84 के लिए पशुओं को तदनुरूप अनुवंशिक वर्गों में मिला दिया गया जबकि 1982-83 और उससे पहले इन्हें अलग दिखाया गया था । औसत डेरी दूध उत्पादन तुलनात्मक रूप में कम था । फिर भी, इसमें बाद के वर्षों के दौरान वृद्धि का रुख दिखाई दिया । 1983-84 से अनुवंशिक ग्रुप-वार, जन्मी वर्ष-वार मादाओं की संख्या और जो मर गई और/या बेची गई उनकी संख्या के बारे में सूचना उचित समय पर सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) और (ग) शुष्क संकर प्रजनन गायों का अनुपात परिवर्ती है जो प्रबन्ध द्वारा खासकर हरे चारे की उपलब्धता और पुनरुत्पादन द्वारा बहुत प्रभावित है । फिर भी, 30:70 का शुष्क गायों से दूध देने वाली गायों का अनुपात संतोषजनक माना गया है ।

(घ) पशुओं के स्वास्थ्य और स्थिति की ओर फार्म की दशा तथा उत्पादन रूख को देखकर माननीय कृषि मंत्री, सांसद, भा० कृ० अ० प० की शासी निकाय के सदस्य, महानिदेशक और उपमहानिदेशक ने मौखिक संतोष व्यक्त किया है ।

अवन्तिका कालोनी में "न्यू पेटर्न रजिस्ट्रेशन स्कीम" 1979 के अन्तर्गत डी० डी० ए० के फ्लैटों का आवंटन

10073. **श्री आर. एन. राकेश** : क्या निर्माण और आवास मंत्री 5 दिसम्बर, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1937 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उपर्युक्त प्रश्न के भाग (घ) में उल्लिखित उन पत्रों का ब्यौरा क्या है जो वितरित हुए बिना वापस मिल गये हैं ;

(ख) उपर्युक्त प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में दी गई सूची के अनुसार ऐसे सफल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, जिनका आबंटन रद्द कर दिया गया है ;

(ग) डी० डी० ए० को ऐसे कितने सफल व्यक्तियों से पत्र मिले हैं और क्या डी० डी० ए० ने उनके पत्रों का उत्तर दिया है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या डी० डी० ए० द्वारा भेजे गये पत्र के उत्तर में ऐसे सफल व्यक्तियों द्वारा मांगी गई अपेक्षित जानकारी डी० डी० ए० ने उन्हें दे दी है ;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की है ; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) वापस प्राप्त हुए आवंटन के 39 पत्रों के ब्योरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं ।

(ख) श्री देवकी नन्दन गर्ग के मामले में आवंटन दिल्ली विकास प्राधिकरण के दिनांक 10 फरवरी, 1984 के पत्र सं० एफ 6 (878)83/एच बी/एन.पी.जे. द्वारा रद्द किया गया था । यह इसलिए किया गया था क्योंकि आवंटन एवं मांग पत्र जो दिल्ली विकास प्राधिकपण को ज्ञात उसके आखिरी पते पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजा गया था, इस टिप्पणी के साथ अदत्त वापस मिल गया था कि "बिना पता बताए चला गया" । अन्य 38 मामलों के बारे में भी आवंटन रद्द कर दिया गया था ।

(ग) दिल्ली विकास प्राधीकरण को 1983 में सफल व्यक्तियों से आवन्तिका में फ्लैटों के आंवंटन हेतु उत्तर प्राप्त हुए हैं। पृथक पृथक आवंटियों से प्राप्त पत्रों की गुणावगुण तथा तदनुसार भेजे गए उत्तरों के आधार पर जांच की जाती है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) तथा (च) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

आवन्तिका में आवंटियों के नाम तथा फ्लैटों के नम्बर प्रदर्शित करने वाला विवरण जिनके बारे में अदत्त आवंटन पत्र दिल्ली विकास प्राधिकरण को वापस मिल गये थे।

क्रं० सं०	आवंटी का नाम	फ्लैट नं०
1	श्री बृज मोहन	719 ब्लाक ए
2	कुमारी रानी	728 ब्लाक बी
3	श्री गोबिन्दराम गुप्ता	68 ब्लाक सी
4	श्री ललिता प्रसाद	43 ब्लाक सी
5	श्री कर्ण सिंह	437 ब्लाक सी
6	श्री रणजीत सिंह	430 ब्लाक सी
7	श्री सतबीर सिंह	434 ब्लाक बी
8	श्री प्रेम सिंह	438 ब्लाक सी
9	श्री भगवान दास	140 ब्लाक सी
10	श्रीमती पदमा अग्रवाल	668 ब्लाक बी
11	श्री जयशीलन	15 ब्लाक बी
12	श्री अवधेश सिंह	23 ब्लाक बी
13	श्री करण चन्द	794 ब्लाक बी
14	श्री रामकिशन	292 ब्लाक बी
15	श्री ईश्वर सिंह	199 ब्लाक बी
16	श्री रामपाल सिंह	998 ब्लाक बी
17	श्री राय सिंह	811 ब्लाक बी

क्रं० सं०	आवंटी का नाम	फ्लैट नं०
18	श्री दिवान चन्द	166 ब्लाक बी
19	श्रीमती पुष्पा रानी ओहरा	1021 ब्लाक बी
20	श्री ईश्वर सिंह	1103 ब्लाक बी
21	श्री एस. एस. सेठी	60 ब्लाक बी
22	श्री रोशन लाल	378 ब्लाक बी
23	श्री के० मेहता	306 ब्लाक बी
24	श्री शतीस कुमार गुप्ता	889 ब्लाक बी
25	श्री लेखराम	187 ब्लाक सी
26	श्री देवकी नन्दन गर्ग	509 ब्लाक सी
27	श्री दर्शन सिंह	754 ब्लाक ए
28	श्रीमती विद्यावन्ती जैन	885 ब्लाक ए
29	श्री राजकुमार	785 ब्लाक ए
30	श्री अशोक कुमार गुप्ता	641 ब्लाक सी
31	श्री परमेश्वरी यादव	60 ब्लाक सी
32	श्री रामस्वरूप गुप्ता	1061 ब्लाक बी
33	श्रीमती हरजिन्द्र कौर	485 ब्लाक बी
34	श्री लाल सिंह	362 ब्लाक बी
35	श्री बाबूराम	26 ब्लाक बी
36	श्री दिनेश चन्द्र गुप्ता	1113 ब्लाक बी
37	श्री छिद्दा लाल	1073 ब्लाक बी
38	श्रीमती चन्द्रवती	384 ब्लाक बी
39	श्री गोविन्द सिंह	23 ब्लाक बी

अधिग्रहीत और आबंटित की गई भूमि

10074. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में अब तक कितनी ग्रुप हाउसिंग सोसायटियां पंजीकृत की गई हैं;

(ख) कितनी सोसायटियों को भूमि आवंटित की गई हैं और प्रत्येक सोसायटो को कितने एकड़ भूमि आवंटित की गई है;

(ग) दिल्ली में अब तक कितनी भूमि अधिगृहीत की गई है, कितनी भूमि अधिगृहीत करने का प्रस्ताव है और आज की तारीख तक कितनी भूमि अधिगृहीत की जा रही है;

(घ) कुल अधिगृहीत भूमि में से कितनी भूमि खाली पड़ी है;

(ङ) अब तक अधिगृहीत की गई कुल भूमि में से कितनी भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया गया है और इस बारे में न्यायालयों में कितने मामले लम्बित पड़े हैं;

(च) दिल्ली में ग्राम सभाओं की कितनी भूमि खाली पड़ी है और ऐसी कितनी भूमि पर अवैध कब्जा है तथा न्यायालयों में मामले लम्बित हैं; और

(छ) दिल्ली में भूमि के अधिगृहण को चुनौती देने वाले कितने मामले विभिन्न न्यायालयों में लम्बित पड़े हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मो० उस्मान आरिफ) : (क) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि सहकारी समिति पंजीकार कार्यालय में 4.5.1984 तक 1772 समितियां पंजीकृत हुई ।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 424 सहकारी समितियों को भूमि का आबंटन कर दिया गया है । ब्यौरों का संकलन किया जा रहा है तथा सभा पटल पर रख दिये जाएंगे ।

(ग) और (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि 29.2.84 तक 47621 एकड़ नाप का क्षेत्र अर्जित किया गया था । संशोधित वृहत योजना के अन्तर्गत दिल्ली के दक्षिण पश्चिम तथा उत्तरी क्षेत्रों में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 और 6 के अन्तर्गत अर्जन के लिए 24000 एकड़ भूमि अधिसूचित की गई है । 29.2.84 तक अर्जित क्षेत्रफल में से लगभग 5000 एकड़ भूमि का विकास किया जा रहा है या विवादाधीन है या उस पर अतिक्रमण है । विवादाधीन कुछ भूमि विभिन्न न्यायालयों से रोकादेश के कारण खाली पड़ी हुई है ।

(ङ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है लगभग 500 एकड़ अर्जित भूमि पर अतिक्रमण हुआ पड़ा है। 2317 मामले अनधिकृत निर्माणों को गिराने तथा भूमि के अर्जन के सम्बन्ध में न्यायालयों में लम्बित पड़े हुए हैं।

(च) जहां तक गांव सभा की नगरीकृत घोषित भूमि तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण के नियंत्रणाधीन भूमि का सम्बन्ध है गांव सभा की कोई भूमि खाली नहीं पड़ी हुई है 1700 बीघा क्षेत्रफल पर अतिक्रमण है तथा 108.28 एकड़ भूमि विवादाधीन है।

(छ) अर्जन कार्यवाहियों के विरुद्ध जिनमें दिल्ली विकास प्राधिकरण एक पार्टी है 2317 मामले न्यायालयों में लम्बित पड़े हुए हैं।

कार्यकारी अभियंता की भर्ती से सम्बन्धित नियम में संशोधन करने के लिए अन्दमान और निकोबार प्रशासन से प्रस्ताव

10075. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्दमान और निकोबार प्रशासन ने अन्दमान और निकोबार प्रशासन के लोक निर्माण विभाग में कार्यकारी अभियन्ता (सिविल) के भर्ती नियमों में संशोधन करने का एक प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या यह सच है कि यह प्रस्ताव उनके मंत्रालय के निर्माण प्रभाव द्वारा संघ लोक सेवा आयोग को जून, 1983 के दौरान भेजा गया था और संघ लोक सेवा आयोग ने जुलाई, 1983 में अपनी सलाह भेज दी थी; और

(घ) यदि हां, तो संघ लोक सेवा आयोग से क्या सलाह मिली और सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ): (क) जी, हां।

(ख) अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन (लोक निर्माण विभाग) के ग्रुप 'क' तथा ग्रुप 'ख' के पदों के लिए भर्ती नियमों में संशोधन शैक्षिक अर्हताओं से सम्बन्धित है जो कि अण्डमान तथा निकोबार (लोक निर्माण विभाग) ग्रुप 'क' तथा ग्रुप 'ख' के पदों के भर्ती संशोधन नियम,1983 के प्रशासन की तारीख को नियमित आधार पर सहायक इंजीनियर के पद पर कार्यरत विभागीय उम्मीदवारों के मामले में लागू नहीं होंगे।

भर्ती नियमों में प्रस्तावित संशोधन को, अनुमोदन के पश्चात मुद्रणालय में प्रकाशनार्थ भेज दिया गया है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) संघ लोक सेवा आयोग ने प्रस्तावित संशोधन का अनुमोदन किया है । कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग, संघ लोक सेवा आयोग तथा विधि मंत्रालय द्वारा अनुमोदन के बाद संशोधित भर्ती नियम मुद्रणालय में प्रकाशनार्थ भेज दिए गए है ।

भेड़ और बकरियों की संख्या

10076. **श्री जायनल अबेदिन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यवार भेड़ों और बकरियों की संख्या कितनी है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने पांचवीं और छठी योजना अवधियों के दौरान उनके सुधार के क्या प्रयास किये तथा 1970 से 1984 तक कितनी धनराशि प्रयोग की गई और केन्द्रवार/संस्थावार कौन-कौन प्रभारी अधिकारी रहे और उनके अनुरूप अनुसंधान की क्या उपलब्धियां रहीं तथा इनसे किस सीमा तक किसानों के पशुओं की उत्पादकता बढ़ी;

(ख) क्या किसी स्वतंत्र समिति द्वारा प्रत्येक केन्द्र/संस्था के कार्य का मूल्यांकन/जांच की गई, यदि हां, तो कब और किसके द्वारा तथा उसने क्या रिपोर्ट दी तथा उस पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने 1 अप्रैल, 1984 तक क्या कार्यवाही की;

(ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की भेड़ों सम्बन्धी संस्थाओं के निदेशकों के विरुद्ध कदाचारों/कुप्रबंध के आरोपों की जांच करायी गयी है यदि हां, तो किसके द्वारा और कब और उसके क्या परिणाम रहे; और

(घ) क्या भेड़/बकरियों के उत्पादों की बढ़तो हुई कमी और उनके मूल्यों में वृद्धि के कारणों सहित मामले की जाँच कराने के लिये कोई समिति गठित करने का सरकार का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और उसे बाद में लोक सभा के पटल पर रखा जाएगा ।

राज्य व्यापार निगम द्वारा नारियल के तेल का आयात

10077. **श्री के० प्रधानी** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम ने 10,000 टन नारियल के तेल का आयात किया था, यदि हां, तो कौन-कौन से देशों से और उसकी संभावित लागत क्या है; और

(ख) यह राज्यों विशेष रूप से जिनमें नारियल के तेल का उपभोग स्पष्ट तौर पर तथा प्राथानुसार किया जाता है, उनको इसका नियतन किस रूप में किया जायेगा और क्या इसका वितरण सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के माध्यम से किया जायेगा अथवा इसको गैर-सरकारी एजेंसियों के माध्यम से शुद्ध कराने के पश्चात बेचा जायेगा;

(ग) "कार्न आयल" को आयात करने के बारे में स्थिति क्या है तथा इसका अनुमानित कितनी मात्रा में आयात किया जायेगा;

(घ) क्या इसको सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के माध्यम से छोटे डिब्बों में बेचा जायेगा; और

(ङ) चालू वर्ष के दौरान उड़ीसा राज्य को इन दोनों खाद्य तेलों का कितनी मात्रा में आबंटन करने का प्रस्ताव है ?

इलैक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा. एम. एस. संजीवी राव) : (क) राज्य व्यापार निगम ने 12.23 करोड़ रुपये की लागत से 9,000 मीटरी टन नारियल का तेल खरीदा है। 3,500 मीटरी टन तेल मलेशिया से तथा 5,500 मीटरी टन फिलीपाइन्स से खरीदा गया है।

(ख) सम्पूर्ण 9,000 मी. टन नारियल का तेल परिष्कृत रूप में है। इसे एक किलोग्राम के पैकों में बम्बई, दिल्ली, मद्रास, गोवा, बंगलौर और हैदराबाद में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बेचने का प्रस्ताव है। केरल राज्य सरकार ने केरल में बेचने के लिए इसकी कोई मात्रा स्वीकार नहीं की है।

(ग) कार्न आयल का आयात इसके ऊंचे मूल्यों और अन्तर्राष्ट्रीय मण्डी में उसकी अनुपलब्धता को देखते हुए नहीं किया गया है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) उड़ीसा को नारियल के तेल का आवंटन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कुछ कार्यों का अस्वीकार किया जाना

10078. श्री हरिकेश बहादुर :

श्री अमर राय प्रधान : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय लोक निर्माण बिभाग ने निम्नलिखित कार्य स्वीकार करने से इंकार कर दिया है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं:,

(एक) पूर्वी क्षेत्र में सीमा सुरक्षा बल के भवनों का रख-रखाव;

(दो) कलकत्ता और उसके आस-पास तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के क्वार्टरों का निर्माण;

(तीन) बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने का काम;

(चार) धनवाद और उसके पास के क्षेत्र में भारत को किंग कोल लिमिटेड के कार्मिकों के लिए क्वार्टरों का निर्माण;

(पांच) इंदौर में भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के क्वार्टरों का निर्माण;

(छः) भुवनेश्वर में एल्यूमिनियम उद्योग परियोजना; और

(ख) क्या केन्द्रीय लोग निर्माण विभाग द्वारा 1984-85 में कोई अन्य कार्य शुरू किये जाने की सम्भावना है तथा क्या निकट भविष्य में इस विभाग के विस्तार का कोई कार्यक्रम है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) जी, नहीं। बंगला देश सीमा पर कांटेदार तारों की बाड़ लगाने के कार्य के सिवाय किसी अन्य अभिकरण (अर्थात बी. एस. एफ. ओ. एन. जी. सी. बी. सी. सी. एल. तथा अल्यूमिनियम उद्योग परियोजना, भुवनेश्वर) से पेशकश प्राप्त नहीं हुई है। बंगला देश सीमा पर कांटेदार तारों की बाड़ लगाने का कार्य केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग [पूर्वी अंचल] पहले ही कर रहा है।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा 1984-85 के दौरान बहुत से निर्माण कार्यों के आरम्भ किये जाने की सम्भावना है उनमें से कुछ ये हैं :

(1) बिशाखा पत्तनम् इस्पात संयत्रों के लिए लगभग 12000 मकानों वाले एक नगर का निर्माण।

(2) उत्तरी भारत के कई स्थानों जैसे नरेला, राय बरैली, सवाई माधोपुर, मुजफ्फर पुर इत्यादि में नए खाद्यान्न भण्डारों का निर्माण।

(3) अन्तर्राष्ट्रीय विधि संस्थान, दिल्ली इत्यादि के लिए भवन का निर्माण ।

यह सभी निक्षप कार्य हैं । इसके अलावा 1984–85 के दौरान केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा सामान्य पूल वास तथा केन्द्रीय सरकार के अन्य मंत्रालयों/विभागों के लिए कई निर्माण कार्यों को आरम्भ किया जाना है ।

1984-85 के हमारे विस्तारण कार्यक्रम में बंगला देश सीमा बाड़ कार्य के लिए दो परियोजना दलों के सृजन के हमारे प्रस्ताव हैं । इन दलों के प्रधान अधीक्षक इन्जीनियर होंगे । विशाखा पत्तनम् में भी अधीक्षक इन्जीनियर के अधीन एक परियोजना दल के सृजन का प्रस्ताव है ।.....इसके अलावा 1984-85 के दौरान होने वाले अधिक कार्य-भार के निष्पादनार्थ हमें अतिरिक्त परिमण्डलों, मण्डलों तथा वरिष्ठ वस्तुओं की इकाइयों की आवश्यकता है । तथापि नये पदों के सृजन पर 1 सितम्बर 1984 तक लगे विद्यमान प्रतिबन्ध को देखते हुए अभी तक इन इकाइयों के सृजन का मामला आरम्भ नहीं किया जा सका । चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सीमा बाड़ कार्य के लिए दो परियोजना दलों के लिए कहा गया है क्योंकि ऐसी इकाइयों के सृजन के लिए प्रतिबन्ध में ढील होगी । इन दो इकाइयों के सृजन के मामले पर कार्यवाही की जा रही है । 1984-85 के दौरान अपेक्षित अन्य इकाइयों के सृजन का मामला अक्तूबर, 1984 में प्रतिबन्ध के हटने के बाद उठाया जायेगा ।

खाली भूखंडों पर मकानों के निर्माण के प्लान

10079. **श्री राम विलास पासवान** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजधानी में मंजूरशुदा कालोनियों में आवासीय घोषित खाली भूखंडों पर मकानों के निर्माण के प्लान दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली नगर पालिका आदि संबंधित प्राधिकरणों द्वारा पास नहीं किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं तथा मंजूरशुदा कालोनियों में विशेष रूप से वेस्टन जोन में नवरंग कालोनी में ऐसी प्लानों को सरकार का कब तक स्वीकृति देने का विचार है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) दिल्ली नगर निगम की स्थाई समिति ने जिन 103 कालोनियों को 1960-62 के दौरान नियमित किया था उनमें विकास प्रभारों के भुगतान पर दिल्ली नगर निगम द्वारा निर्माण गतिविधियों की अनुमति दी गई हैं । जिसमें

वे प्लाट भी शामिल हैं जिन्हें बाद में इन कालोनियों के लिए अनुमोदित संशोधित नियमितकरण नक्शों के अनुसार उनमें समायोजित किया गया था। त्रिनगर कालोनी समूह में अवस्थित नवरंग कालोनी सहित हाल ही में नियमित की गई अन्य अनधिकृत कालोनियों में खाली/निर्मित प्लाटों के भवन नक्शों को दिल्ली विकास प्राधिकरण/दिल्ली नगर निगम द्वारा फिलहाल मन्जूर नहीं किया जा रहा है। जब तक कि लाभानुभोगियों से विकास प्रभारों की किश्तें और उनकी वसूली के तरीके तथा इन कालोनियों में भवन नक्शों के अनुमोदन की नीति जैसे मामले तय नहीं हो जाते।

रूई की वायदा बाजारी

10080. **श्री डी० एस० ए० शिव प्रकाशम** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूई की वायदा बाजारी रोक दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसे रोकने के क्या कारण है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस प्रणाली को पुन : शुरू करने का है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा०एम० एस० संजीव राव) : (क) जी हां।

(ख) कपास की सप्लायी की कठिन स्थिति तथा उसके मूल्यों में वृद्धि के रुख के कारण कपास के वायदा व्यापार को स्थगित कर दिया गया था।

(ग) इस समय इस प्रकार का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

राजस्थान में "नाफेड" द्वारा खरीदी गई वस्तुएं

10081. **श्री चतुर्भुज** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में नाफेड द्वारा खुले बाजार में और मंडियों से कौन कौन सी वस्तुएं खरीदी गई ;

(ख) क्या वह नाफेड द्वारा व्यापारियों से सीधे की गई खरीद की जांच के आदेश देंगे क्योंकि इस लेन-देन में व्यापक पैमाने पर गबन हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) नैफेड अपना सभी खरीद कार्य राज्यों की सहकारी विपणन समितियों के माध्यम से करता है तथा यह किसानों से सीधी खरीद नहीं करता है। राजस्थान में, राजस्थान की सहकारी समितियों के माध्यम से नैफेड द्वारा खरीदे गए प्रमुख जिन्सों में बाजरा, ज्वार, मक्का, दलहन तथा तिलहन शामिल है। 1982-83 के दौरान राजस्थान से नैफेड द्वारा खरीदी गई कुल मात्रा 14717.78 मीटरी टन थी, जिसका मूल्य 418.61 लाख रुपए था।

(ख) तथा (ग) चूंकि नैफेड ने निजी व्यापारियों से कोई स्टाक नहीं खरीदा है, अत: इसका प्रश्न ही नहीं होता।

भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों द्वारा धोखा देकर मकान किराया भत्ता लिया जाना

10082 **श्री ईरा अनबरासु** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम के दिल्ली में नियुक्त कुछ अधिकारियों ने आवासीय एवं वाणिज्यिक प्रयोजनों से आवास किराये पर लिए लेकिन वे आवास के भुगतान किए गए किराये के आधार पर निगम से मकान किराया भत्ता का धोखे से दावा करते रहें हैं और यह भत्ता लेते रहे हैं ;

(ख) क्या भारतीय खाद्य निगम इस संबंध 1977 में वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किये गए अनुदेशों का पालन नहीं कर रहा है ;

(ग) क्या भारतीय खाद्य निगम का विचार प्रत्येक मामले की पुनरीक्षा करने का है और चूक कर्ताओं के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है और क्या सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों द्वारा मकान किराया भत्ता सुविधा का दुरुपयोग न किया जाय वित्त मंत्रालय के निदेशों का पालन करने के लिए भारतीय खाद्य निगम को निदेश भी देगी और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) भारतीय खाद्य निगम में अलग-अलग मामलों की पुनरीक्षा न करने के क्या कारण हैं ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) ऐसा कोई मामला नहीं हुआ है जहां दिल्ली में तैनात किए गए निगम के अधिकारियों को रिहायशी-एवं-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए किराए पर लिए गए आवास के लिए मकान किराया भत्ता दिया गया है।

(ख) और (ग) भारतीय खाद्य निगम ने वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए अनुदेशों को अपनाया है और उन्हें आवश्यक कार्रबाई के लिए सभी कार्यालयों में परिचालित किया गया है।

(घ) निगम के अधिकारियों को उनके द्वारा अपने मकान मालिकों से प्राप्त की गई किराये की रशीदों के आधार पर मकान किराया भत्ता दिया जा रहा है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा कराया प्रमाण पत्र को उसकी जांच करने बाद स्वीकार किया जाता है और उसके बाद ही प्रस्तुत और स्वीकार की गई रसीद के आधार पर ही संबंधित अधिकारी को मकान किराया भत्ता प्राप्त करने की अनुमति दी जाती है। हाल ही में यह व्यवस्था की गई है कि ऐसे अधिकारी यह भी प्रमाण पत्र देंगे कि जिस आवास के लिए मकान किराया भत्ता लेने का दावा किया जा रहा है वह वास्तविक रिहायशी प्रयोजनों के अलावा किसी अन्य प्रयोजन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। किराये में वृद्धि, आवास में परिवर्तन आदि के रूप में किराये के प्रमाण पत्र में किसी प्रकार के परिवर्तन को परिवर्तित प्रमाण पत्र के आधार पर मकान किराया भत्ते की इजाजद देने से पूर्व यथा-जांच करने के बाद ही सक्षम प्राधिकारी द्वारा पुनः स्वीकार किया जाना अपेक्षित होता है।

एक ही सरकारी आवास में रहने वाले पति/पत्नी को मकान किराया भत्ता

10083. **श्री सूरज भान** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एक पत्नी जो कि केन्द्रीय सरकार के कार्यालय में सेवा कर रही है और अपने पति के साथ रह रही है जिसे सरकारी आवास मिला हुआ है अथवा इसके विपरीत स्थिति में मकान किराया भत्ता की हकदार नहीं है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या इस प्रकार के आवास में अतिरिक्त गुसलखानों और वाशबेसिन आदि नहीं होनी चाहिए;

(ग) क्या सरकार एक ही सरकारी आवास में रहने वाले पति/पत्नी को मकान किराया भत्ता देने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इस प्रकार के दम्पत्ति के लिए उनमें से एक के द्वारा मकान किराये भत्ते के उठाये गये नुकसान के बदले में उनको न मिलने वाले आवास की पात्रता अगले से उच्च टाइप में आवास देने का है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) जी, हां। मकान किराया भत्ता, प्रतिपूर्ति भत्ते के रूप में है और उसे लाभ का एक साधन नहीं बनाया जा सकता है। यह मान लेना युक्तियुक्त है कि जब उनमें से एक को सरकारी वास आवंटित है,

दोनों उसी वास में साथ-साथ रहेंगे और पति पत्नी में से केवल एक किराये पर व्यय करेगा न कि दोनों अलग-अलग व्यय करेंगे ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) जी, नहीं । आवास के टाइप की पात्रता का निर्धारण किसी अधिकारी द्वारा की जाने वाली परिलब्धियों के आधार पर किया जाता है।

शारदा सहायक नहर पर स्थित केवानी साइफन के नाले पर कार्य

10084. **श्री रामलाल राही** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि शारदा सहायक नहर पर केवानी साइफन के पानी को निकालने के लिए बनाए जा रहे नाले पर कार्य बंद कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) शारदा सहायक नदी से रिसने वाले पानी में डूबी भूमि में से कितने एकड़ भूमि को इस वर्ष खेती के लिए फिर से तैयार किए जाने का विचार है और इस सम्बन्ध में किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार के उदासीनतापूर्ण रवैये के कारण लोगों में व्यापक असंतोष है ; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) प्रश्न की विषय-वस्तु पूर्णतः स्थानीय किस्म की है अतः सूचना केन्द्र के पास उपलब्ध नहीं है ।

(ग) उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले सूचित किया था कि शारदा सहायक के कमान क्षेत्र में नहर से रिसन के कारण शुरू में लगभग 18000 हेक्टेयर क्षेत्र में जल-जमाव हो गया था जो अनेक उपाय किए जाने के फलस्वरूप घटकर अब 7000 हेक्टेयर रह गया है । नालियों आदि के निर्माण के कारण जून, 1984 तक 2000 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को इससे मुक्त कर दिए जाने की संभावना है ।

(घ) और (ङ) केन्द्र को किसी व्यापक असंतोष की जानकारी नहीं है ।

बहुमंजिले भवनों में अग्निकाड़ों में वृद्धि

10085. **श्री के० लकप्पा :**

श्री गुफरान आजम : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुमंजिले भवनों में बढ़ते हुए अग्निकांड़ों की दृष्टि से बहुमंजिले भवनों और अथवा उनके निर्माताओं के लिए भीषण आग से सुरक्षा के दरवाजों आदि सहित अग्नि से सुरक्षा के उपकरणों के प्रयोग के लिए नियम बनाये जा रहे हैं ;

(ख) क्या देश में जन-जीवन की उचित सुरक्षा के लिए उपयुक्त अग्नि सुरक्षा उपकरणों और अग्नि सुरक्षा द्वारों के निर्माण के लिए कोई प्रयास किए जा रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता का भाग (iv) अग्नि सुरक्षा से संबंधित है । इसमें अग्नि सुरक्षा दरवाजों सहित आवश्यक उपबन्ध हैं । इनको देश के कुछ नगर निगमों/पालिकाओं के भवन उप-नियमों में शामिल किया गया है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) स्वैच्छिक आई० एस० आई० प्रमाणीकरण चिह्नितकरण योजना के अन्तर्गत अग्नि सुरक्षा उपाय/उपकरणों (2) भारतीय मानक विशिष्टयों के अन्तर्गत आने वाले) पर आई० एस० आई० के चिन्हन प्रयोग करने के लिए 90 लाइसेन्स (3) दिसम्बर 1983 की स्थिति के अनुसार स्वीकृत किए गए हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रमाणीकृत उत्पादन सम्बन्धित भारतीय मानक के अनुरूप हैं ।

केरल में वन भूमि पर अनाधिकार कब्जे करने वाले को हकनामा देना

10086. **श्री ए० नीलालोहितदसन नाडार :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने केरल सरकार की वन भूमि पर अनाधिकार कब्जा करने वालों को हकनामा देने की अनुमति दे दी है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या इससे केरल में वनों के संरक्षण तथा उनसे केरल के पर्यावरण और पारिस्थितिकी पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार को केरल भूमि आबंटन नियमों के अन्तर्गत पात्र व्यक्तियों को स्वामित्वाधिकार जारी करके 1-1-1977 से पूर्व उन क्षेत्रों के कब्जों को नियमित करने से संबंधित अपने नीति सम्बन्धी निर्णय के बारे में सूचित कर दिया है। सिद्धांत रूप से यह स्वीकार करते हुए कि 1-1-77 से पूर्व कब्जों को नियमित किया जा सकता है, राज्य सरकार को ऐसी भूमियों का पूर्ण ब्यौरा जैसे कि मात्रा, स्थिति, कब्जे की अवधि, खेती की पद्धति संरक्षण पहलुओं पर अधिक्रमण का प्रभाव तथा अन्य ऐसे सम्बंधित मामलों का ब्यौरा भेजने की सलाह दी गई है ताकि केन्द्रीय सरकार बन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही कर सके।

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा कोंकण कृषि विद्या पीठ को अनुदान में वृद्धि

10087. **श्री जगन्नाथ पाटिल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों पर अध्यापकों के लिए अपनाए गए संशोधित वेतनमानों के कारण महाराष्ट्र के रत्नगिरी जिले में दपोली स्थित कृषि विश्वविद्यालय कोंकण कृषि विद्यापीठ को अनुदान दिए जाने हैं।

(ख) यदि हां, तो उस योजना का ब्यौरा क्या है जिसके अन्तर्गत अदायगी की जानी है ;

(ग) उक्त भुगतान की निर्धारित समय सीमा क्या है और क्या अनुदान जारी करने में कोई विलम्ब हो रहा है ; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष कितनी राशि अदा की गई तथा अब कितनी राशि दी जानी है तथा यदि कोई विलम्ब हुआ है तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं, श्रीमान। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने पहले ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संशोधित वेतनमानों के कारण कोंकण कृषि विद्यापीठ डगोली को अनुदान रिलीज कर दिया है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वेतनमानों के कार्यान्वयन के लिए 2.48 लाख रुपये की पिछली किश्त 1981-82 में रिलीज की गई थी।

किसानों के लिए महाराष्ट्र की आदर्श पुनर्वास योजना

10088. **श्री जी० भूपति** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुख्य सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत विस्थापित किसानों के पुनर्वास के संबंध में महाराष्ट्र की आदर्श पुनर्वास योजनाओं की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

(ख) महाराष्ट्र की आदर्श योजना जैसी योजनाएं अपनाने के मामले में अन्य राज्यों को क्या मार्ग निर्देश दिए गए हैं ; और

(ग) विभिन्न राज्यों में पुनर्वास योजनाओं के कार्यान्वयन की देख रेख के लिए केन्द्रीय सरकार के स्तर पर किस प्रकार का तन्त्र है ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) संभवत: माननीय सदस्य "परियोजना के विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास अधिनियम, 1976—महाराष्ट्र" का उल्लेख कर रहे हैं। इस अधिनियम में यथासंभव अधिक से अधिक विस्थापित व्यक्तियों को लाभान्वित अंचल अथवा अन्य ग्रामों या क्षेत्रों में बसाने की व्यवस्था है। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई हैं :—

1. विशिष्ट क्षेत्रों में विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए जब तक लाभान्वित अंचलों में भूमि अधिग्रहण सम्बन्धी कार्य पूरे नहीं हो जाते तब तक राज्य सरकार की अनुमति के सिवाए भूमि का बेचना, ट्रांसफर करना अथवा उपभागों में बांटना या हिस्से करना वर्जित है।

2. विस्थापित व्यक्तियों को उपलब्ध गौथन, सरकारी वीरान भूमियों अथवा उन भूमियों में जो इस प्रयोजन के लिए अधिगृहीत की गई हो, पुनः बसाया जाएगा।

3. विस्थापित व्यक्तियों में केवल भूमिधर ही शामिल नहीं हैं जिनकी भूमि अधिग्रहण कर ली गई है बल्कि कृषि श्रमिक भी इसमें शामिल हैं।

4. इस अधिनियम में भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के अधीन सरकार को अनिवार्य रूप से भूमि धधिग्रहण करने की शक्ति की व्यवस्था है।

5. यह अधिनियम लाभान्वित अंचल में अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि की मात्रा निर्धारित करता है।

6. यह अधिनियम विस्थापित व्यक्तियों को भूमि दिए जाने की मात्रा को निर्धारित करता है।

7. भूमिधरों को एलाट की जाने वाली भूमि कम से कम 0.4047 हेक्टेयर तथा अधिक से अधिक 1.6187 हेक्टेयर होगी तथा इसके अलावा एक परिवार में 5 से अधिक सदस्य होने पर प्रत्येक 3 अतिरिक्त सदस्यों के लिए 0.4047 हेक्टेयर भूमि एलाट की जाएगी परन्तु यह कुल 2 हैक्टेयर से अधिक नहीं होगी।

8. कुछ शर्तों के अध्यधीन कृषि श्रमिकों को 0.4047 हेक्टेयर भूमि आबंटित की जाती है।

9. यदि भूमि गैर-लाभान्वित अंचल में दी जाती है तो प्रत्येक विस्थापित व्यक्ति को 1.6187 हैक्टेयर भूमि दी जाती है।

10. अधिनियम के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के लिए अधिनियम में विभिन्न पुनर्वास अधिकारियों की शक्तियाँ तथा उनके कर्त्तव्य भी निर्धारित किए गए हैं।

11. विस्थापित व्यक्तियों को नए पुनर्वास गांवों अथवा पुराने गांवों के विस्तार में मकान के प्लाट भी दिए जाते हैं।

12. अधिनियम में विस्थापित व्यक्तियों के शीघ्र पुनर्वास करने से संबंधित मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देने के लिए सलाहाकार समिति के गठन करने की भी व्यवस्था है।

(ख) मई, 1980 में राज्यों को सलाह दी गई थी कि कमान क्षेत्रों में सरकारी तथा वीरान भूमि, विस्थापित व्यक्तियों को एलाट कर दी जाए। जहां ऐसी भूमि उपलब्ध नहीं है, वहां कमान क्षेत्र में अधिक भूमि वाले व्यक्तियों को अपनी भूमिका एक हिस्सा विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए देने हेतु मजबूर किया जाना चाहिए तथा इसे उनकी भूमि को कमान के अन्तर्गत शामिल किए जाने के लिए एक शर्त के रूप में माना जाना चाहिए तथा इसे वैधानिक समर्थन की आवश्यकता होगी। महाराष्ट्र द्वारा पहले से ही अधिनियमित विधान अन्य राज्यों के नोटिस में ला दिया गया था। परियोजनाओं से संबंधित कार्य करने वाले अधिकारियों के साथ की गई विभिन्न बैठकों के दौरान, राज्य अधिकारियों को महाराष्ट्र विधान के अध्ययन करने तथा इसे अपने राज्य में अपनाने पर विचार करने की सलाह दी गई है।

(ग) सिंचाई एक राज्य विषय है तथा परियोजनाओं के निर्माण के कारण विस्थापित हुए व्यक्तियों के पुनर्वास की जिम्मेवारी राज्य सरकारों की है। इसलिए केन्द्र सरकार में पुनर्वास की मानीटरिंग करने के लिए कोई विशेष तंत्र नहीं है।

साकेत में वर्ष 1981 में स्व-वित्त योजना के अन्तर्गत आवंटित फ्लैटों का कब्जा देना

10089 श्री सज्जन कुमार : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा साकेत ब्लॉक-ए दिल्ली में वर्ष 1981 में स्व-वित्त योजना के अन्तर्गत आवंटित फ्लैटों का कब्जा दिये जाने की सम्भावना है ;

(ख) क्या सरकार दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिये जाने वाले ब्याज को फ्लैट के कुल मूल्य में से घटा देगी ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल विभाग में, निर्माण और आवास मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) तथा (ख) जी, हां ।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण में जमा राशि पर ब्याज की राशि जो आबंटियों को 2½ वर्ष के बाद देय है, अन्तिम मांग के प्रति समायोजित की जाएगी ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

वनस्पति उद्योग को सप्लाई किया गया खाद्य तेल

10090 **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जिस दर पर वनस्पति उद्योग को तेल सप्लाई किया गया है वह बाजार मूल्य की तुलना में कम है और यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) इन मुख्य वनस्पति उद्योगों के नाम क्या हैं जो वनस्पति तैयार करने के लिए खाद्य तेल की सप्लाई प्राप्त कर रहे हैं ; और

(ग) वनस्पति उद्योग को बेचे जाने वाले खाद्य तेल की दरों और वनस्पति मिलों द्वारा बेचे जाने वाले वनस्पति तेल की दरों में कितना अन्तर है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मन्त्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) और (ग) जी हां ।

वनस्पति उद्योग को आयातित तेल राज्य व्यापार निगम के माध्यम से सप्लाई किए जाते हैं, जिनका ब्यौरा इस प्रकार है :

(1) 1982-83 के दौरान किये गए औसत उत्पादन का 60 प्रतिशत 8,500/- रु० प्रति मी० टन की दर से ।

2) 15 प्रतिशत 12,000/- रु० प्रति मी० टन की वाणिज्यिक दर से । स्वैच्छिक मूल्य नियंत्रण के अनुसार, जिसका वनस्पति उद्योग द्वारा पालन किया जा रहा है, 16.5 कि०ग्रा० के एक टीन का कारखाना मूल्य 217/- रु० नियत किया गया है ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

क्रम सं०		पार्टी का नाम
1.	मैसर्स	अमृत वनस्पति कम्पनी लि० राजपुरा ।
2.	"	अमृतसर आयल वर्क्स, अमृतसर ।
3.	"	किशन चन्द एण्ड कम्पनी, लुधियाना ।
4.	"	मार्कफेड वनस्पति एण्ड एलाइड इंडस्ट्रीज, खन्ना ।
5.	"	नव भारत वनस्पति एंड एलाइड इंडस्ट्रीज, दोराहा ।
6.	"	ओसवाल वनस्पति एंड एलाइड इंडस्ट्रीज, लुधियाना ।
7.	"	ओसवाल वनस्पति एंड जनरल इंडस्ट्रीज लुधियाना ।
8.	"	महाबीर वनस्पति कम्पनी, खरर ।
9.	"	संगरूर वनस्पति मिल्स लिमिटेड, संगरूर ।
10.	"	के०सी० वनस्पति जम्मू ।
11.	"	काश्मीर वनस्पति प्रा० लि० जम्मू ।
12.	"	एस०जी० वेजिटेवल प्रोडक्टस, यमुनानगर ।
13.	"	हरियाणा वनस्पति एंड जनरल मिल्स कुन्डली ।
14.	"	किरन वेजिटेवल प्रोडक्टस लि० भिवानी ।
15.	"	मार्कण्डा वनस्पति मिल्स लि० शाहवाद मार्कण्डा ।
16.	"	डी०सी०एम० कैमिकल वर्क्स, दिल्ली ।
17.	"	गणेश फ्लोर मिल्स कम्पनी लि० दिल्ली ।
18.	"	यूनाइटिड वनस्पति वर्क्स प्रा०लि० बेसेन, नालागढ़।

क्रम सं०		पार्टी का नाम
19.	मैसर्स	हिन्दुस्तान लिवर लिमिटेड गाजियाबाद ।
20.	,,	मोदी वनस्पति मेनूफेक्चरींग कम्पनी, मोदीनगर ।
21.	"	प्राग वनस्पति प्रोडक्टस, अलीगढ़ ।
22.	,,	बालाजी वेजिटेबल प्रोडक्टस प्रा०लि० सीतापुर ।
23.	,,	गणेश फ्लोर मिल्स कम्पनी लि० कानपुर ।
24.	,,	भगवती वनस्पति इं॰ लि० लखनऊ ।
25.	,,	मोतीलाल पदमापत उद्योग लि० कानपुर ।
26.	,,	स्वरूप वेजिटेबल प्रोडक्टस इंडस्ट्रीज लि० मंसूरपुर ।
27.	,,	हेमराज उद्योग लि० जयपुर ।
28.	,,	मेहता वेजिटेबल प्रोडक्टस प्रा०लि० चित्तोड़गढ़ ।
29.	,,	आर०सी०एस० वनस्पति, जयपुर ।
30.	,,	रोहतास इंडस्ट्रीज, जयपुर ।
31.	,,	पीमीयर वेजिटेबल प्रोडक्टस लि० जयपुर ।
32.	,,	राजस्थान वनस्पति प्रोडक्टस लि० भीलवाड़ा ।
33.	,,	मद्रास वनस्पति लि० विल्लूपुरम ।
34.	,,	श्री कृष्णा वनस्पति प्रोडक्टस, ईरोड ।
35.	,,	ओसवाल आयल एंड वनस्पति इंडस्ट्रीज, मद्रास ।
36.	,,	दि टाटा आयल मिल्स कम्पनी लि० मद्रास ।
37.	,,	हिन्दुस्तान लिवर लि० त्रिची ।
38.	,,	बी०टी० (प्रा०) लि० देवनगर दावनगिरी ।
39.	,,	रवी वेजिटेबल आयल इंडस्ट्रीज दावनगिरि ।
40.	,,	दि मार्डन मिल्स लिमिटेड, हुबली ।
41.	,,	रायचुर आयल कम्प्लेक्स, रायचुर ।

क्रम सं०		पार्टी का नाम
42.	मैसर्स	केरल सोप लि० कालीकट ।
43.	"	तुंगभाद्रा इंडस्ट्रीज लि० सिकन्द्राबाद ।
44.	"	अग्रवाल इंडस्ट्रीज (बी० राजेन्द्र आयल मिल्स एंड रिफानरी) हैदराबाद ।
45.	"	तुंगभाद्रा इंडस्ट्रीज (पट्टेदार) हैदराबाद वनस्पति) हैदराबाद ।
46.	"	राधाकृष्ण वेजिटेबल आयल प्रोडक्टस कम्पनी, कालुरू ।
47.	"	टी०जी०एल०पोषक कारपोरेशन, अदनोई ।
48.	"	तंगभाद्रा इंडस्ट्रीज, करनूल ।
49.	"	हिन्दुस्तान लीवर लि० शामनगर ।
50.	"	कुसुम प्रोडक्टस लि० रिशारा ।
51.	"	रसोई लि० कलकत्ता ।
52.	"	वेजिटेबल प्रोड० लि० बेलघरिया ।
53.	"	स्वाईका वनस्पति प्रोड० लि० लिल्यूवाह ।
54.	"	छबीरानी एग्रो इंडस्ट्रीज लि० दुर्गौटी ।
55.	"	रोहतास इंडस्ट्रीज लि० डालमियानगर ।
56.	"	हाथवा वनस्पति लि० हाथवा ।
57.	"	दि असम राज्य कोआपरेटिव मार्कटिंग एंड कनज्यूमर फेडरेशन लि० गोहाटी ।
58.	"	अहमद उमरभाई, बम्बई ।
59.	"	हिन्दुस्तान लीवर लि० बम्बई ।
60.	"	आई०वी०पी० लि० बम्बई ।
61.	"	जय हिन्द आयल मिल्स कम्पनी बम्बई ।
62.	"	दि टाटा आयल मिल्स कम्पनी लि बम्बई ।
63.	"	वजिटेबल आयल लिमिटेड, बम्बई ।

क्रम सं०		पार्टी का नाम
64.	मैसर्स	अकोला आयल इंडस्ट्रीज लि० अकोला ।
65.	,,	महाराष्ट्र वेजिटेबल प्रोड० लि० धुलिया ।
66.	,,	वाईप्रो प्रोडक्टस लि० अमलनेर ।
67.	,,	पुरोहित एंड कम्पनी, नागपुर ।
68.	,,	मानसिंहका इंडस्ट्रीज लि० पछोरा ।
69.	,,	मधुसुदन वेजिटेबल प्रोड० क० लि० रखियाल ।
70.	,,	भावनगर वेजिटेबल प्रोड० (एन०डी०डी०बी०) भावनगर ।
71.	,,	दीपक वेजिटेबल आयल इंडस्ट्रीज (प्रा०) लि० मानवदार ।
72.	,,	जयन्त एक्सट्रेक्शन इंडस्ट्रीज प्रा० लि० जामनगर ।
73.	,,	कोठारी आयल प्रोडक्टस कम्पनी गोंडल ।
74	,,	मोरवी वेजिटेबल प्रोडक्शन लि. मोरवी ।
75.	,,	प्रभात सोलवेन्ट एक्सट्रेक्शन इंडस्ट्रीज (प्रा.) लि. मानवदार ।
76.	,,	श्री जगदीश आयल इंडस्ट्रीज (प्रा.) लि. पोरबन्दर ।
77.	,,	भावनगर इलेक्टीसिटी क. लि. भावनगर ।
78.	,,	मानसिंहका आयल मिल्स लि. खण्डवा ।
79.	,,	मालवा वनस्पति एंड कैमिकल क. लि., इन्दौर ।
80.	,,	5—एस० लिमिटेड, देवास ।
81.	,,	राजाधिराज इंडस्ट्रीज (प्रा.) लि. सियोनी ।

नई दिल्ली में अशुद्ध जल की सप्लाई

1009. श्री एन० ई० होरो : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 10 अप्रैल, 1984 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" की ओर दिलाया गया है कि नई दिल्ली के निवासी लम्बे समय से अशुद्ध जल प्रयोग कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई जांच की है और क्या सोडा एश और ब्लीचिंग पावडर के रिकार्ड की भी जांच की है, जिसे पानी को शुद्ध करने के लिए दिया जाता है तथा क्या कलोरीन मिलाने वाले कुछ उपकरण (कलोरिनेटर) निष्क्रय पाये गये हैं और उन्हें बदला गया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां ।

(ख) जैसा कि नई दिल्ली नगर पालिका ने सूचित किया है, उसके क्षेत्र के निवासियों को अस्वच्छ पानी की सप्लाई नहीं हो रही है ।

(ग) तथा (घ) बतलाया गया है कि नई दिल्ली नगर पालिका ने विभिन्न सस्थापनाओं की जांच की है और क्लोरिनेट्रस को चालू पाया और निवासियों को जल सप्लाई किए जाने से पहले उसे पर्याप्त मात्रा में क्लोरीकृत किया जा रहा है । उन्होंने विभिन्न स्थलों से नमूने एकत्र किए हैं और उनकी जांच की है तथा इन्हें दूषित नहीं पाया गया । नई दिल्ली नगर पालिका ने यह भी बतलाया है कि उनके स्टोर में ब्लीचिंग पाउडर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और इसे नियमित रूप से जारी किया जा रहा है । उन्होंने कोई निष्क्रिय क्लोरिनेटर नहीं पाया है या बदला है ।

दिल्ली में मुखतारनामों का पंजीकरण

10092. **श्री सत्य साधन चक्रवर्ती** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में सम्पतियों के हस्तांतरण को देखते हुए उस पर लगे कुछ प्रतिबन्धों के कारण मुखतारनामों के पंजीकरण में वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो गत पांच वर्षों के दौरान दिल्ली में ऐसे कितने दस्तावेज पंजीकृत किए गए हैं और इस प्रकार के हस्तांतरणों पर दिल्ली विकास प्राधिकरण को इस मूल्य निर्धारण करने में अपने हिस्से के मामले में दिल्ली प्रशासन को स्टाम्प शुल्क में नुकसान तथा दिल्ली में नगर निकायों को नगर करके नुकसान के कारण अनुमानत: कितना राजस्व का घाटा हुआ है ; और

(ग) क्या सरकार इस बुराई को रोकने तथा स्थानान्तरण के लिए लोगों को कानूनी तरीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कुछ कदम उठाने पर विचार कर रही है ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) सरकार ने कथित दूरदराज की सीमा का निर्धारण नहीं किया है तथापि, सरकार दिल्ली भूमि (अन्तरण पर प्रतिबन्ध) अधिनियम 1972 के संशोधन के प्रस्ताव की जांच कर रही है ताकि सामान्य मुखतारनामे के माध्यम से सम्पत्तियों के सम्भाव्य चोरी छुपे विक्रय या अन्तरण को रोका जा सके ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के वर्क चार्ज कर्मचारियों को दिल्ली सर्किल में रोजगार देना

10093. **श्री के० ए० राजन** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1983 में प्रगति मैदान में निर्माण कार्यों की जिम्मेवारी केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में अतिरिक्त करके मेला प्राधिकरण को सौंप दी गई थी ;

(ख) यदि हां, तो पदों की प्रत्येक श्रेणी में कितने मस्टर रोल कर्मचारी फालतू हो गए थे और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के प्रदर्शनी प्रभाग सं 1 के कार्यकारी इंजीनियर द्वारा उनकी छटनी कर दी गई थी ;

(ग) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के प्रदर्शनी प्रभाग सं० 1 के सुपरिटेंडिंग इंजीनियरों द्वारा उन्हें वर्क चार्जड कर्मचारियों के पदों पर रोजगार देने के लिए उन कर्मचारियों के नाम निर्धारित पोस्टों पर सेवा संबंधी ब्यौरों सहित सुपरिटेंडिंग इंजीनियर (समन्वय) को भेजे गए हैं ; और

(घ) यदि हां, तो दिल्ली सेंट्रल सर्किल संख्या 2,9,6 और 1 के सुपरिटेंडिंग इंजीनियर (समन्वय) को प्रदर्शनी प्रभाग से इन कर्मचारियों के पूरी तरह भरे ऐसे कितने फार्म प्राप्त हुए हैं ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, बंगलौर द्वारा दूध को खोये में बदलने के उपकरण का विकास

10095. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 2 अप्रैल, 1984 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकासित उस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान,

बंगलौर के वैज्ञानिकों ने एक ऐसे साधारण उपकरण का विकास किया जो दूध का तुरन्त खोया बना देता है जो कि भारतीय मिठाइयों का एक महत्वपूर्ण संघटक है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमन् ।

(ख) राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल और बंगलौर में वैज्ञानिकों ने एक उपकरण का विकास किया है जो दूध को खोया में बदल सकता है। यह उपकरण अभी प्रयोगात्मक अवस्था म है ।

भारत सरकार मुद्रणालय के कर्मचारियों को मानदेय

10096. **श्री हरीश कुमार गंगवार** : क्या खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नवम्बर, 1982 में दिल्ली में हुए नवें एशियाई खेलों के दौरान भारत सरकार मुद्रणालय सहित विभिन्न विभागों के काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों की सेवाएं प्राप्त की गई थीं ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में विभिन्न विभागों के कितने कर्मचारियों को लगाया गया था ;

(ग) क्या यह सच है कि नौवें एशियाई खेलों में कार्य करने वाले सरकारी कर्मचारियों को माहदेय मंजूर किया गया था ;

(घ) यदि हां, तो क्या यह सच है कि नौवें एशियाई खेलों में कार्य करने वाले भारत सरकार मुद्रणालय के कर्मचारियों को यह मानदेय नहीं दिया गया था ; और

(ङ) भारत सरकार मुद्रणालय के कर्मचारियों के प्रति इस भेदभाव के क्या कारण हैं ?

खेल विभाग में उप मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी, हां ।

(ख) विशेष आयोजन समिति द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, नवें एशियाड के दौरान उनके द्वारा 2907 अधिकारीगण की सेवायें इस्तेमाल की गई थीं । इसमें से 508 अधिकारी विदेशी सेवा शर्तों पर भर्ती किये गये थे और शेष 2399, जेब खर्ची भत्ते पर, मंजूर किये गये थे ।

(ग) और (घ) कुछ अपवाद मामलों में, विशेष आयोजन समिति ने, सेवारत अधिकारियों को मानदेय भी स्वीकृत किया था, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ भारत सरकार प्रेस

के कर्मचारी शामिल थे। जहां तक भारत सरकार प्रेस के कर्मचारियों को मानदेय के भुगतान का सम्बन्ध है, भारत सरकार प्रेस के महाप्रबन्धक को, राशि सम्बन्धित अधिकारियों को, वितरित करने के लिए दी गई थी।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

गुजरात में और अधिक क्षेत्रों को बागवानी के अन्तर्गत लाने के लिए प्रयास

10097. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंच वर्षीय योजना के दौरान और अधिक क्षेत्रों को बागवानी के अन्तर्गत लाने के लिये क्या प्रयास किए गए हैं ;

(ख) उक्त कार्य के लिए प्रत्येक राज्य के लिए कितनी राशि निर्धारित की गई है ; और

(ग) आज तक विभिन्न राज्यों और विशेषकर गुजरात राज्य में इस कार्य में कितनी प्रगति हुई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) क्षेत्र का विस्तार करके तथा प्रति इकाई क्षेत्र की उत्पादकता बढ़ाकर देश में उद्यान फसलों के विकास के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। इनमें ये शामिल हैं : छठी योजना के लिए वर्धित परिव्यय नारियल विकास बोर्ड, राष्ट्रीय उद्यान बोर्ड की स्थापना, केन्द्र में उद्यान प्रभाग का सृजन, उद्यान आदि में विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं, नई परियोजनाओं/योजनाओं की स्वीकृति।

(ख) तथा (ग) विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में अनेक केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं। केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं तथा अन्य योजनाएं चल रही हैं। योजनाएं, छठी योजना अवधि के दौरान उपलब्ध कुल परिव्यय तथा लाभानुभोगियों के नाम विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

(लाख रुपए)

योजना/परियोजना का नाम	लाभानुभोगी	छठी योजना व्यय	1983-84 तक व्यय
1	2	3	4
1. केन्द्रीय प्रायोजित योजना			
1. केला एवं अन्नास संबंधी पेकेज कार्यक्रम	अन्दमान एवं निकोब र द्वीपसमूह, अरुणाचल प्रदेश, गोवा	35.34	22.75
2. अच्छे किस्म के सेव उत्पादन संबंधी उन्नत प्रौद्योगिकी	जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश	33 35	31.85
3. काजू संबंधी पैकेज कार्यक्रम	केरल. कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा. तमिलनाडु, गोवा, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल	54 1.00	334.45
4. नारियल (सभी घटक) संबंधी कार्यक्रम	केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश उड़ीसा महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, असम और गोवा	210 00	125.91
5. मसाला विकास की योजना	अंदमान, एवं निकोबार द्वीप समूह एवं गोवा	30.00	11.194
2. केन्द्रीय क्षेत्र योजनायें			
6. सर्वोत्तम सन्तति फलोद्यान तथा नर्सरियों की स्थापना	हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, असम, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश	200.00	79.50
7. राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड		200.00	—

1	2	3	4
8. कोकुआ विकास	केरल और तमिलनाडु	11 30	1.187
9. नारियल विकास बोर्ड के अंतर्गत परियोजना	केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, असम, गोवा, दमन और द्वीव, अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह, पांडिचेरी, त्रिपुरा और बिहार	445.693	139.529
विदेश से सहायता प्राप्त योजनाएं			
10. बहु-राज्य काजू परियोजना	आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और उड़ीसा	3836.00	418.3
11. भारत-आस्ट्रेलिया सेव प्रौद्योगिकी विस्तार परियोजना	जम्मू एवं कश्मीर	208.90	उपलब्ध नहीं
12. यू०एन०डी०पी० खुंभी परियोजना	हिमाचल प्रदेश	659249 (डालर)	600 (लाख डालर)
13. केरल कृषि विकास परियोजना	केरल	6300.00	3779.00

धनराशि का राज्यवार आबंटन उपलब्ध नहीं है ।

गुजरात में विभिन्न बागवानी योजनाओं को शुरू करके बागवानी के अन्तर्गत और अधिक क्षेत्र लाने के प्रयास किये गये हैं । छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान गुजरात में बागवानी विकास कार्यक्रम के लिये 209.91 लाख रुपये निर्धारित किये गये है ।

तिलहनों का निर्यात

10098. श्री नवीन रावणी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिलहनों का निर्यात किया जा रहा है; और यदि हां; तो 1981-82, 1982-83 और 1983-84 वर्षों के दौरान कितनी मात्रा में निर्यात किया गया है और उन देशों के नाम क्या हैं जिन्हें निर्यात किया गया है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान तिलहनों के निर्यात में कितनी धनराशि अर्जित की गई है; और

(ग) तिलहनों की देश में खपत के लिए और उनके आयात के लिए देश में तिलहनों का अधिक उत्पादन करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) 1981-82 के दौरान, जब तक के पक्के आंकड़े उपलब्ध है, 35,000 मीटरी टन तिलहनों और तेल युक्त फलों का निर्यात किया गया है, जिसका मूल्य लगभग 37 करोड़ रुपए है। यह निर्यात मुख्य रूप से नीदरलैंड, रूस, बर्मा, येकोस्लोवाकिया, इरान, जापान, नेपाल, ओमन फ्रांस, साऊदी अरैबिया, अफगानिस्तान, मलेशिया, सिंगापुर, अमरीका, इथोपिया, कुवैत, इंगलैंड, बैलजियम, बल्गेरिया, जर्मन संघीय गणराज्य और इटली को किया गया है।

(ग) तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए भारत सरकार ने 1983-84 में निम्न-लिखित परियोजनाएं/केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं शुरू कीं :-

1. गुजरात में मूंगफली के गहन विकास की परियोजना;
2. मध्य प्रदेश में सोयाबीन विकास परियोजना;
3. तिलहन विकास की केन्द्रीय प्रयोजित परियोजना अर्थात् :
   (1) गहन तिलहन विकास कार्यक्रम;
   (2) नए सिंचित क्षेत्रों में तिलहनों का विस्तार;
   (3) सोयाबीन विकास; और
   (4) सूरजमुखी विकास।

तिलहन विकास की केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं का उद्देश्य पैकेज की उन्नत पद्धतियों को अपनाकर, रबी/ग्रीष्म सिंचित मूंगफली के अन्तर्गत क्षेत्र का विस्तार करके, तोरिया-सरसों सोयाबीन और सूरजमुखी की सिंचित फसल, उन्नत किस्म के बीजों के वर्धित उपयोग, पौध

संरक्षण उपायों, मिश्रित प्रदर्शनियों का आयोजन और बड़ी संख्या में मिनिकिटों का वितरण करके तिलहन के उत्पादन में वृद्धि करना है।

अभी तक किए गए उपायों से तिलहन उत्पादन के संबंध में महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त हुए हैं ; परन्तु देश में तिलहन/तेल की मांग और सप्लाई के बीच के अन्तर को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने उत्पादन में काफी वृद्धि करने के लिए प्रयासों को तेज करने का निर्णय लिया है। अत: तिलहन उत्पादन में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :-

(1) उत्पादन, विपणन, परिसंस्करण आदि के सभी पहलूओं सहित समेकित दृष्टिकोण के लिए राष्ट्रीय तिलहन बोर्ड की स्थापना करना।

(2) वर्ष 1984-85 के दौरान राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना का क्रियान्वयन।

छोटे किसानों के लाभ के लिए योजनाएं

10099. **श्री जी. वाई. कृष्णन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने छठी पंचवर्षीय योजना शुरू होने के बाद छोटे किसानों के लाभ के लिए कुछ योजनाएं शुरू की हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन योजनाओं से छोटे किसानों को मिलने वाले लाभ का कोई अध्ययन किया है;

(ग) क्या यह भी सच है कि 20 सूत्री कार्यक्रम में इन योजनाओं के क्रियान्वयन पर अधिक बल दिया गया है; और

(घ) यदि हाँ, तो इन के कार्यनिष्पाद का विशेषकर दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां,। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान छोटे किसानों के लाभ के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा क्रियान्वित की गई महत्वपूर्ण योजनाओं में निम्नलिखित योजनाएं शामिल हैं :—

(1) कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए छोटे एवं सीमांत किसानों को सहायता देने के लिए 1983-84 में शुरू की गई केन्द्रीय प्रायोजित योजना।

(2) सिंचाई के प्रयोजनों के लिए फौव्वारे ड्रिप पद्धति, सूर्य पम्पों, पवन चक्कियों, हाईड्रामों, वाटर टरबाइनों, मनुष्यों तथा पशुओं द्वारा प्रचालित पम्पों जैसे पानी

उठाने वाले उपकरणों के माध्यम से ऊर्जा के गैर-परम्परागत स्रोतों के उपयोग को प्रोत्साहित करने से सम्बन्धित 1982-83 में शुरू की गई केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना।

(3) 1979 से शुरू की गई "प्रयोगशाला से खेत तक" कार्यक्रम जिसे छठी योजना में भी जारी रखा गया है।

(4) समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (विगत योजना से जारी है।

(ख) जी हां। लघु एवं सीमान्त किसानों तथा कृषि श्रमिकों से सम्बन्धित परियोजनाओं का मूल्यांकन अध्ययन योजना आयोग द्वारा 1974-75 में शुरू किया गया था। समेकित ग्रामीण विकास के प्रभाव के बारें में कुछ जिलों में अध्ययन किए गए थे, जो एकमुश्त रूप से किए गए थे, न कि केवल छोटे किसानों के सम्बन्ध में ही। कृषि-आर्थिक अनुसंधान केन्द्रों ने भी किसानों द्वारा, जिसमें छोटे किसान भी शामिल हैं, नई कृषि प्रौद्योगिकी को अपनाने/आदानों के उपयोग के बारे में अध्ययन किए हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय मूल्यांकन सीमिति "प्रयोगशाला से खेत" तक कार्यक्रम के प्रभाव का मूल्यांकन कर रही है।

(ग) जी हां।

(घ) (1) कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए लघु एवं सीमान्त किसानों को सहायता देने से संबंधित केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना 1983-84 के दौरान देश के सभी ब्लाकों में, जिसमें दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र भी शामिल है, क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत, तिलहन तथा दलहन उत्पादन के लिए बीजों तथा उर्वरकों के लगभग 25.23 लाख मिनिकिट लघु एवं सीमांत किसानों में निःशुल्क वितरित किए गए थे। लघु सिंचाई कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक राज्य सरकारों ने खुदाई के कुओं का निर्माण करने के लिए तथा पम्पसैटों/नलकूप लगाने के लिए लाभानुभोगियों का पता लगाया है तथा उन्होंने ऋण मंजूर करने तथा योजना के तहत उपलब्ध राज सहायता को उपयोग करने के लिए लाभानुभोगियों के आवेदन-पत्रों को वित्तीय संस्थानों के पास भेजना शुरू कर दिया है। लघु एवं सीमाँत किसानों को ईंधन और फल वाले वृक्षों के पौध सप्लाई करने के लिए कुछ राज्यों में पौध लगाने के लिए नर्सरियां भी स्थापित की गई थीं। वर्ष 1983-84 के लिए विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय सहायता के रूप में भारत सरकार ने 85 करोड़ रुपये की अनुदान राशि निर्मुक्त की थी।

(2) 1982-83 तथा 1983-84 के दौरान सिंचाई मंत्रालय द्वारा पानी उठाने के उपकरणों के माध्यम से ऊर्जा के गैर-परम्परागत स्रोतों का उपयोग करने को प्रोत्साहित करने के सम्बन्ध में केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना आन्ध्रप्रदेश, बिहार, गुजरात कर्नाटक, केरल, मध्यप्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तरप्रदेश तथा लक्ष्यद्वीप में क्रियान्वित की गई थी। भारत सरकार ने विभिन्न राज्यों को 1982-83 के दौरान 150 लाख रुपये तथा 1983-84 के दौरान 71.82 लाख रुपये की राशि निर्मुक्त की थी।

(3) "प्रयोगशाला से खेतों तक" कार्यक्रम के अन्तर्गत, 1979-82 के दौरान समूचे देश में फैले हुए "प्रयोगशाला से खेत तक" के 86 केन्द्रों के वैज्ञानिकों ने 49344 लघु एवं सीमांत किसान तथा भूमिहीन कृषि श्रमिकों को चुना था। दूसरे चरण (1982-84) में "प्रयोगशाला से खेत तक" के 142 केन्द्रों के माध्यम से महत्वपूर्ण कृषि प्रौद्योगिकी को प्रचालित करने के लिए ऐसे 73,075 नये कृषक परिवारों को अंगीकृत किया जा रहा है। अंगीकृत कृषक परिवारों द्वारा कुल मिलाकर कृषि उत्पादन में 50 प्रतिशत से 200 प्रतिशत तक की वृद्धि होना बताया गया है।

(4) समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत उन छोटे किसानों/सीमान्त किसानों कृषि श्रमिकों/ग्रामीण शिल्पियों को सहायता प्रदान की गई है जो गरीबी की रेखा से नीचे हैं ताकि वे राजसहायता और ऋण के संयोजन के माध्यम से प्राथमिक, गौण अथवा तृतीय क्षेत्र में कोई व्यवहार्य कार्य करके अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकें। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 28-2-84 तक की बताई गई प्रगति निम्नलिखित है :—

(क) सहायता प्राप्त लाभानुभोगियों की संख्या — 115 लाख

(ख) उपयोग की गई राजसहायता की राशि — 1072 करोड़ रुपये

(ग) दिया गया ऋण — 2025 करोड़ रुपये

बड़ी सिंचाई परियोजनाएं और उनके अन्तरित सिंचित भूमि

10100. **श्री कृष्ण चन्द्र हल्दर** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बड़ी सिंचाई परियोजनाएं कितनी और कौन-कौन सी हैं तथा इन परियोजनाओं के अन्तरित कुल कितने एकड़ क्षेत्र में सिंचाई होती है ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा): देश में 29 पूर्ण, 176 निर्माणाधीन तथा 115 नई बृहद परियोजनाएं हैं। एक विवरण संलग्न है जिनमें इन परियोजनाओं के

नाम तथा प्रत्येक परियोजना से जून, 1983 तक सृजित की गई सिंचाई क्षमता दी गई है [ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 8366-84]

कार्मिक विभाग द्वारा कृषि मंत्रालय को आवंटित उम्मीदवार

10101. **श्री जार्ज फर्नान्डीज** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कार्मिक विभाग ने संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 1982 की सहायक ग्रेड परीक्षा के आधार पर 5 अक्टूबर, 1983 को उनके मन्त्रालय को कुछ उम्मीदवार आवंटित किए थे :

(ख) क्या इनमें से कुछ उम्मीदवार को मन्त्रालय ने अभी तक नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया है; और

(ग) यदि हां, तो उस का क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) सहायकों के पदों पर नियुक्ति के लिए कृषि मन्त्रालय को कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा आवंटित किए गए 11 उम्मीदवारों में से 10 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। शेष एक उम्मीदवार को नियुक्ति पत्र नियुक्तिपूर्व कतिपय औपचारिकता अभी तक पूर्ण न होने के कारण, जारी नहीं किया जा सका ।

सोम कमलाअम्बा सिंचाई परियोजना

10102. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोम कमलाअम्बा सिंचाई परियोजना ने 9.60 करोड़ रुपए की मूल लागत से 1982-83 से सिंचाई कार्य शुरू करना था । लेकिन अब उसके 23.20 करोड़ रुपए के अनुमानित संशोधन राशि से 1986-87 से पहले पूरा होने की संभावना नहीं है ;

(ख) क्या केन्द्रीय जल आयोग ने बांध की क्षमता बढ़ाने की सिफारिश की है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (**श्री राम निवास मिर्धा**) : (क) योजना आयोग द्वारा सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना को 4.48 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर 1975 में अनुमोदित किया गया था । इस परियोजना के 1980-81 तक पूर्ण होने की संभावना थी । राजस्थान सरकार से जून, 1983 में केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्त संशोधित परियोजना रिपोर्ट के

अनुसार, परियोजना की संशोधित लागत 28.20 करोड़ रुपए है । अब इस परियोजना को 1986-87 तक पूरा किए जाने का प्रस्ताव है ।

(ख) और (ग) संशोधित परियोजना रिपोर्ट में राज्य सरकार ने जलाशय की सकल संचयन क्षमता को 83 मिलियन घन मीटर से बढ़ाकर 119 मिलियन घन मीटर कर दिया है और उमड़ मार्ग की अभिकल्प क्षमता में भी वृद्धि की है ।

गन्ने का बकाया भुगतान

10103. **श्री सुशील भट्टाचार्य** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गन्ना उत्पादकों को किए जाने वाले भुगतान की बकाया राशि मार्च, 1983 तक 350 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राय) : (क) जी नहीं। 15.3.1984 को चीनी फैक्ट्रियों द्वारा देय गन्ने के मूल्य के बकायों की कुल राशि 122.35 करोड़ रुपए है ।

(ख) बकाया राशि, गन्ने के ऊंचे मूल्य होने, पिछले दो मौसमों के दौरान चीनी और गन्ने का रिकार्ड उत्पादन होने तथा फैक्ट्रियों के पास बिना बिकी चीनी का असाधारण रूप से भारी स्टाक पड़ा होने के कारण थी ।

(ग) गन्ने के मूल्य के बकायों की राशि का भुगतान करना सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सीधी राज्य सरकारों की होती है जिनके पास ऐसे भुगतान कराने के लिए आवश्यक फील्ड संगठन और शक्तियां हैं । केन्द्रीय सरकार स्थिति पर निगरानी रखती है और गन्ने के मूल्य के बकायों की राशि का शीघ्र भुगतान कराने के लिए राज्य सरकारों को समय-समय पर परामर्श देती है । केन्द्रीय सरकार ने अपनी तरफ से उद्योग की सामान्य तरलता में सुधार करने के उद्देश्य से पग उठा लिए हैं ताकि उद्योग गन्ने का मूल्य समय पर अदा कर सके । इन पगों में उदार बैंक ऋण सुविधाएं सुलभ करना, बफर स्टाक बनाए रखना और मुक्त बिक्री की चीनी की सूझ-बूझ के साथ मासिक निर्मुक्तियां करना शामिल हैं ।

वर्क्स, हाउसिंग एण्ड सप्लाई कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी लिमिटेड को भूमि

10104. **श्री कमलनाथ** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्क्स हाउसिंग और सप्लाई कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी लिमिटेड को यमुनापार क्षेत्र में एक आवासीय कालोनी का निर्माण करने के लिए दी गई भूमि का क्या मूल्य है और इससे कितनी धनराशि प्राप्त हुई है ;

(ख) सोसायटी ने प्राप्त की गई भूमि के लिए कितनी अतिरिक्त धनराशि का भुगतान किया है ; और

(ग) यह अतिरिक्त धनराशि अब तक सोसायटी को वापस न करने के क्या कारण हैं ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) निर्माण और आवास तथा सप्लाई मंत्रालय सहकारी भवन निर्माण को 222 बीघा तथा 4 बिस्वा भूमि आबंटित की गई थी तथा समिति ने 19,140,44 रुपए का भुगतान किया। आबंटित भूमि में से 203 बीघा तथा 1 ३ बिस्वा नाप के क्षेत्र का कब्जा दे दिया गया था।

शेष 18 बीघा, 11 बिस्वा क्षेत्र पर या तो अतिक्रमण कर लिया गया था या भूमि दिल्ली नगर निगम की थी। यह क्षेत्र समिति को अन्तरित नहीं किया जा सका। यह शेष क्षेत्र प्राथमिक पाठशाला, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों तथा अन्य उपयोगी सेवाओं जैसी सुविधायें मुहैया करने के लिए था, इसलिए इसे दिल्ली विकास प्राधिकरण को सौंपा जाना था।

इसलिए दिल्ली विकास प्राधिकरण का कहना है कि समिति द्वारा कोई अधिक भुगतान नहीं किया गया है।

सुपारी बोर्ड की स्थापना का प्रस्ताव

10105. **श्री पी० के० कोडियन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के समक्ष वस्तु बोर्ड की ही तरह एक सुपारी बोर्ड की स्थापना और देश में सुपारी की खेती बढ़ाने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अखिल भारतीय स्तर पर कोई अन्य उपाय किए गए हैं और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं।

(ख) सुपारी का विकास राज्य क्षेत्र का एक भाग है। तथापि, कृषि और सहकारिता विभाग के तहत कोको, सुपारी और मसाला विकास निदेशालय सुपारी से सम्बन्धित विकास सम्बन्धी कार्य की देख रेख करता है, जिसमें सुपारी के उत्पादन, विपणन और अखिल भारतीय

स्तर पर मूल्य निर्धारित करने का काम भी शामिल है और यह कार्यालय सुपारी विकास की प्रक्रिया राज्य सरकारों के साथ संपर्क भी रखता है।

अन्तर्देशीय जल में विदेशी जाति की मछलियां

10106. **श्री आर०पी० गायकवाड़ :**

श्रीमती संयोगिता राणे : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्देशीय जल में विदेशी जाति की मछलियों की शुरूआत के कारण देश में देशी जाति की प्रचुर वन्य जीव मछलियों को खतरा उत्पन्न हो गया है ;

(ख) क्या देशीय "जेनेटिक" संसाधनों में पारिस्थितिकीय परिवर्तनों के प्रभाव का कोई अध्ययन किया गया है ; और

(ग) जलीय संसाधनों के संरक्षण और विकास के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान्। कुछ नई प्रजातियों जैसे तिला पिआ और कामन कार्प से ऐसे संकेत मिले हैं।

(ख) जी हां, श्रीमान्। केन्द्रीय अन्तः स्थलीय मछलीपालन अनुसंधान संस्थान द्वारा किये गये परीक्षणों से ऐसे संकेत मिले है कि तिलापालिया को जब नर्सरी तालाबों में बड़ी कार्पों के साथ रखा गया तो उन्हें सीधे आहार देने पर कार्प फ्राई की वृद्धि और उत्तरजीविता दुष्प्रभावित हुई। अमरावती और वेगई जलाशयों में रखी गई तालपिया से स्थानिक मारी फिश फ्यूना का पूर्ण स्थानांतरण हुआ। डल झील कश्मीर में और झेलम नदी में शीजाथ्राक्स प्रजातियों का विदेशी कामन कार्प के कारण धीरे-धीरे ह्रास हुआ क्योंकि इसने खाद्य और प्रजनन क्षेत्र में प्रतिस्पर्द्धा दिखाई। ऐसे तालाब और जलाशयों में जहां सिलवर कार्प की उपस्थिति थी काटला की वृद्धि को भारी क्षति हुई जो खाद्य के लिए स्पर्द्धा से थी। भारतीय पानी में सिलवर कार्प के जल्दी परिपक्व होने से इस मछली को जनसंख्या विस्तार और स्थापना में काटला के ऊपर जैविकलाभ है। सिलवर कार्प के प्रवेश से यह भी देखा गया कि जूप्लांकटन समुदाय पर भारी प्रभाव पड़ा तथा काटला की वृद्धि प्रभावित हुई।

(ग) देशी मछली स्रोतों के संरक्षण और विकास के लिए भा०कृ०अ०प० ने पहले ही छठी योजना में मछली आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो की स्थापना की है जिसका मुख्य केन्द्र धौली (उड़ीसा) में है और जो अस्थाई रूप में इलाहाबाद में स्थित है तथा दो अन्य केन्द्र काकद्वीप, प० बंगाल (खारे पानी की मछलियों के लिए) और कोचीन (समुद्री मछलियों के लिए) में स्थित हैं। ब्यूरो के विशाल उद्देश्यों के अन्तर्गत देश की विविध जलीय पारिस्थितिक प्रणालियों से मछली आनुवंशिक स्रोतों के बारे में सूचनाएं एकत्र करके सूचीबद्ध करना और इनके रख-रखाव तथा परिरक्षण के लिए परिस्थितियां पैदा करना है।

दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा दीर्घावधि तक रहने वाले दुग्ध उत्पादन को मशीन खरीदा जाना

10107. श्री टी. एस. नेगी : क्या कृषि मंत्री दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा दीर्घावधि तक रहने वाले दुग्ध उत्पादन के बारे में 19 मार्च, 1984 को मशीन खरीदे जाने के अतारांकित प्रश्न संख्या 3701 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दीर्घावधि तक रहने वाले दुग्ध उत्पादन मशीन की दैनिक क्षमता की तुलना में उत्पादन कितना है ।

(ख) क्या यह सच है कि एल० डी० सी० ई० का नियमित आधार पर आयात करना पड़ता है और यदि हां, तो पूर्व क्षमता पर वार्षिक लागत क्या है ; और

(ग) दीर्घावधि तक रहने वाले दूध की बिक्री किस मूल्य पर की जाती है और क्या इन पैकेटों का बम्बई में "आपरेशन फलड-दो के अन्तर्गत ऊंचे मूल्यों पर बिक्री की जाएगी जैसा कि अमूल और इंदौर डेरियों द्वारा किया जा रहा है और इस प्रकार दिल्ली दुग्ध योजना की हो रही हानि कम की जाएगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) यद्यपि संयंत्र स्थापित कर दिया गया है, परन्तु इसे चलाने की तैयारी की जा रही है ।

(ख) समझौते के अनुसार मैसर्ज टुओमो हलोनेन ओ०वाई० संयंत्र के शुरू होने के एक वर्ष की अवधि के भीतर, भारतीय कम्पनी के सहयोग से प्री-स्टरलाईज फिल्मों का विनिर्माण करेगा । तदनुसार, दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा एक वर्ष की अवधि के लिए ही फिल्म के आयात करने की आवश्यकता होगी ।

(ग) दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा दीर्घावधि तक रहने वाले दूध का विपणन अभी शुरू किया जाना है । मशीन के काम प्रारम्भ करने के बाद ही, बिक्री मूल्यों का निर्णय तथा बाजारों की शिनाख्त की जायेगी ।

नारियल के तेल का उत्पादन

10108. **प्रो० पी०जे० कुरियन** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पिछले चार वर्षों के दौरान कुल कितने नारियल के तेल का उत्पादन हुआ और इसका वर्षवार ब्यौरा क्या है ;

(ख) इन प्रत्येक वर्षों में विशेषकर औद्योगिक कार्यों के लिए पृथक-पृथक इसकी कितनी मांग थी ;

(ग) मांग को आयात कर अथवा अन्यथा पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(घ) इन कदमों के क्या परिणाम निकले हैं ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा०एम० एस० संजीवीराव) : (क) गत चार वर्षों के दौरान नारियल के तेल का अनुमानित उत्पादन नीचे दिया गया है :—

वर्ष	उत्पादन (हजार मी० टन० में)
1979-80	167
1980-81	174
1981-82	165
1982-83	167 (अनन्तिम)

(ख) नारियल के तेल की सुनिश्चित मांग के आंकड़े उपलब्ध नहीं है । तथापि, देश में सभी खाद्य तेलों की मांग अनुमानत: 43 से 45 लाख मी० टन के लगभग है ।

(ग) तथा (घ) देश में वनस्पति तेलों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए संगठित रूप से प्रयास किये जा रहे हैं । विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं के अतिरिक्त, कृषि तथा सहकारिता विभाग तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय कर रहा है :—

1. नारियल के तेल के विकास के लिए नारियल विकास बोर्ड का गठन करना ।

2. तिलहन उत्पादक राज्यों में तिलहनों के विकास के लिए गहन कार्यक्रम चलाना । इस योजना का उद्देश्य कृषकों के खेतों में प्रदर्शन आयोजित करना, बीजों के उत्पादन तथा वितरण की व्यवस्था को मजबूत बनाना, पौध संरक्षण उपायों का विस्तार करना, सिंचित क्षेत्र का विस्तार करना आदि है ।

3. गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में मूंगफली तथा मध्य प्रदेश में सोयाबीन के उत्पादन के लिए विशेष परियोजनाएं आरम्भ करना ।

4. न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करके उत्पादकों को बेहतर प्रोत्साहन देना ।

5. बिनौला, चावल की भूसी आदि से और अधिक मात्रा में तेल प्राप्त करने के लिए भी प्रयास किये जा रहे हैं ।

6. तिलहनों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए अनुसंधान प्रयासों में तेजी लाना ।

7. गैर-पारम्परिक तिलहनों, जैसे सोयाबीन और सूरजमुखी की फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र बढ़ाना तथा बन मूल के तिलहनों, चावल की भूसी आदि का उपयोग करना ।

8 वनस्पति उद्योग द्वारा तेल के उपयोग के बारे में उचित नीति अपनाना, ताकि गैर-पारम्परिक तेलों के अधिक प्रयोग को बढ़ावा मिल सके ।

खाद्यानों के भंडारण तथा उनकी सप्लाई की जिम्मेदारी को पश्चिमो बंगाल सरकार को देने की मांग

10109. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने धीरे कार्य करने तथा अन्य प्रकार के आन्दोलनों से सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के बार-बार प्रभावित होने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए भण्डारण तथा खाद्यान्नों की सप्लाई की जिम्मेदारी जो इस समय भारतीय खाद्य निगम के पास निहित है को राज्य सरकार को सौंपने की अपनी मांग को केन्द्र से दौहराया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रक्रिया है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मन्त्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) और (ख) हाल ही में भारतीय खाद्य निगम को पश्चिमी बंगाल सरकार से एक संदेश प्राप्त हुआ है जिसमें यह अनुरोध किया गया है कि इस समय भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों का वितरण करने विषयक जो कार्य किया जा रहा है वह राज्य सरकार को हस्तान्तरित कर दिया जाये । उनका इस मामले के बारे में निगम के साथ विचार विमर्श करने का प्रस्ताव है । इस अनुरोध को भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों द्वारा "धीरे काम करो" और अन्य प्रकार के किन्हीं आन्दोलनों के साथ सम्बद्ध नहीं किया गया है ।

उपभोक्ता सहकारी स्टोर, पोर्ट ब्लेयर, अन्डमान और निकोबार द्वीप समूह

10110. **श्री बाबू राव परांजपे** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उपभोक्ता सहकारी स्टोर, पोर्ट ब्लेयर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की प्रदत्त पूंजी कितनी है;

(ख) वर्ष 1981 से 1983-84 के लिए कुल खरीदी राशि का प्रतिशत कितना है और विलासिता की चीजें और शराब पर कितनी राशि का निवेश किया गया है; और

(ग) फरवरी और मार्च, 1984 के महीनों में कितना शराब खरीदी गई ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (डा०एम० एस० संजीवी राव) : (क) उपभोक्ता सहकारी भण्डार लि०, पोर्ट ब्लेयर की प्रदत्त अंशपूंजी 31.3.1984 को 5,19,660/रुपये थी ।

(ख) तथा (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

जनकपुरी दिल्ली के मध्यम आय वर्ग के फ्लेटों की बालकौनियों को बढ़ाया जाना

10111. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनकपुरी नई दिल्ली के ब्लाक सी 2 और सी 4 में मध्यम आय वर्ग के दुमंजिले फ्लेटों की पहली मंजिल के आवंटियों को उनके फ्लैटों में उपलब्ध कराई गई केवल 2.5 फीट चौड़ी बालकौनियों के कारण असुविधा का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने जनकपुरी में अन्य फ्लैटों में 6 से 8 फीट की बालकौनियां उपलब्ध कराई हैं;

(ग) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण का इन फ्लैटों के आवंटियों की बालकोनियों को बढ़ाने की अनुमति देने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो यह प्रस्ताव कब तक कार्यान्वित होगा ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, हाँ । जहां निर्माण तीन मंजिला आधार पर है ।

(ग) तथा (घ) 1982 में इस विषय में आवंटियों से एक अनुरोध प्राप्त हुआ था परन्तु संरचनात्मक कठिनाईयों तथा भूमि तल एवं प्रथम तल के आवंटियों के बीच विवाद उत्पन्न होने की सम्भावनाओं के कारण इसके पक्ष में विचार नहीं किया जा सका था ।

एन० सी० सी० एफ० द्वारा दालों और खाद्यान्नों की आर्मी सप्लाई आर्गेनाइजेशन को सप्लाई

*0112. श्री चन्द्र पाल शैलानी : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम की ओर से एन० सी० सी० एफ० द्वारा वर्ष 1983 और 1984 में सैनिक सप्लाई संगठन को कौन कौन से खाद्यान्न सप्लाई किए गए तथा उनकी कुल मात्रा तथा मूल्य कितना है;

(ख) एन० सी० सी० एफ० द्वारा भारतीय खाद्य निगम को सप्लाई करने हेतु गैर-सरकारी व्यापारियों से दरें प्राप्त करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनायी जाती है;

(ग) क्या सरकार को भारतीय खाद्य निगम को सप्लाई हेतु एन० सी० सी० एफ० द्वारा चावल और दालों की खरीद में किए जाने वाले कदाचारों की जानकारी है; और

(घ) एन० सी० सी० एफ० के इस प्रकार के कदाचारों को रोकने के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा कार्यवाही की जा रही है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मंत्री डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) भारतीय खाद्य निगम द्वारा रक्षा सेवाओं के लिए 1983 और 1984 के दौरान एन० सी० सी० एफ० से खरीदी गई खाद्यान्नों की मदों, मात्रा और अन्तर्निहित राशि का ब्यौरा नीचे दिया जाता है :—

वर्ष	मद	मात्रा (मी० टन में)	अन्तर्निहित राशि (रु० में)
1983	दाल चना, दाल अरहर, दाल मूंग	4740	2.02 करोड़
1984	दाल चना, दाल मूंग, दाल उरद, दाल अरहर, दाल मसूर	16,345	8.75 करोड़

(ख) एन० सी० सी० एफ० द्वारा निगम से आपूर्ति आर्डरों को पूरा करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति गठित की गई थी। विभिन्न पार्टियों से कोटेशन प्राप्त की गई थी

और उन्हें समिति द्वारा खोला गया था। जहां कहीं आवश्यक समझा गया था वहां पार्टियों के साथ बात चीत भी की गई थी।

(ग) और (घ) निगम द्वारा 1983 और 1984 के दौरान एन० सी० सी० एफ० से कोई चावल नहीं खरीदा गया था। सरकार और निगम एन० सी० सी० एफ० द्वारा दालें खरीदने में किसी प्रकार के किए गए कदाचार से अवगत नहीं है।

खाद्यान्नों को फ्यूमिगेशन करने के लिए एथिलेन डी. ब्रोमाईड का प्रयोग

10113. **श्री राम जेठमलानी** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में कितनी मात्रा और मूल्य का एथिलेन डी ब्रोमाइड का आयात किया गया तथा किन-किन फर्मों और देशों से आयात किया गया ;

(ख) क्या भारत में एथिलेन डी. ब्रोमाइड का उपयोग खाद्यान्नों को फ्यूमिगेट करने के लिए किया जाता है और बाद में उन खाद्यान्नों को राशन के गेहूं के रूप में वितरित किया जाता है यद्यपि ब्रिटेन में एथिलिन डी. ब्रोमाइड द्वारा खाद्यान्नों को फ्यूमिगेट करने पर गत दो वर्षों से प्रतिबन्ध लगा दिया गया है क्योंकि यह पता चला कि कुछ समय के बाद यह जनता के स्वास्थ्य के लिए खतरा बन जाता है इससे कैंसर और रुग्ण तथा विकलांग बच्चे पैदा हो सकते हैं ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि अमरीका के कुछ राज्यों में भी खाद्यान्नों को फ्यूमिगेट करने में एथिलेन डी. ब्रोमाइड के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है तथा अमरीका के एथिलेन डी. ब्रोमाइड उत्पादक अपने भारी स्टाक का निर्यात करने हेतु हाल ही में स्थानों का पता लगा रहे हैं ?

इलैक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा. एम. एस. संजीवी राव) : (क) भारतीय खाद्य निगम द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान कोई एथीथीन डी. ब्रोमाइड आयात नहीं की गई थी।

(ख) और (ग) जी हां। अनाज का परिरक्षण करने के लिए ई० डी० बी० के इस्तेमाल को कीटनाशक अधिनियम, 1968 और खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 और उसके तहत बने नियमों की स्वीकृति प्राप्त है। इसके इस्तेमाल पर प्रतिबन्ध लगाने विषयक कोई भी निर्णय किस स्थिति और किन परिस्थितियों में संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाड़ा आदि जैसे देशों में इसके इस्तेमाल पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है, सहित विचाराधीन विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के बाद ही लिया जा सकता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सप्लाई किए गए खाद्यान्नों में रह गया अवशेष खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमों में विहित सीमा के

अनुरूप है । तथापि, संयुक्त राज्य अमेरिका के निर्माताओं द्वारा भारत की ई० डी० बी० के भारी स्टाक को निर्यात करने की कोशिश करने के बारे में ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है ।

सी. पी सी आर. आई. के कर्मचारियों की शिकायतें

10114. **श्रीमती सशीला गोपालन** : : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेन्ट्रल प्लान्टेशन क्रॉप रिसर्च इन्स्टीट्यूट कासरगोड के कर्मचारिनों ने विभिन्न सेवा सम्बन्धी मामलों पर अपनी शिकायतों के बारे में निदेशक को उनके लगभग दो वर्ष पूर्व के परिपत्र के संदर्भ में अभ्यावेदन किया है ;

(ख) इनमें से कितने मामलों का निपटान किया जा चुका है ; और

(ग) कितने मामले अभी भी लम्बित हैं और अनुचित विलम्ब के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान । कुल 25 अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे ।

(ख) एक को छोड़कर इन सभी पर कार्यवाही की जा चुकी है तथा निपटान किया जा चुका है ।

(ग) संबद्ध कागजात के सत्यापन की मांग के लिए वरिष्ठता के बारे में एक अभ्यावेदन लम्बित पड़ा है ।

जनकपुरी में दिल्ली विकास प्राधिकरण के स्ववित्त पोषित फ्लैट

10115. **श्री केशव राव पारधी** : क्या निर्माण और आवास मंत्री जनकपुरी में दिल्ली विकास प्राधिकरण के स्ववित्त पोषित फ्लैट के बारे में 1 अगस्त, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1202 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1980 में जारी किए गए स्ववित्त पोषित आवास पंजीकरण योजना नियमों में यह व्यवस्था है कि यदि फ्लैटों को हस्तान्तरित करने में दो वर्ष से अधिक का विलम्ब होता है तो जमा धनराशि पर आवेदनकर्ता से धनराशि लेने की तिथि से ब्याज देय होगा लेकिन दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बाद में इस अवधि को बढ़ाकर 2-3/2 वर्ष कर दिया था ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और यह कहां तक उचित है ; और

(ग) चूंकि स्ववित्त पोषण योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्य के लिए 2 वर्ष की अवधि बहुत अधिक है इसलिए क्या सरकार मूल 2 वर्षों की मूल सीमा को मानने पर विचार करेगी जिसका अन्य बातों के अलावा शीघ्र निर्माण किए जाने पर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) तथा (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि ब्याज की अवधि को 2½ वर्ष से दो वर्ष की अवधि में बदलने का कोई निर्णय नहीं था और विवरणिका में केवल यह मुद्रण की त्रुटि थी जिसको बाद में ठीक कर लिया गया था और इस योजना में आबंटियों को भी 2½ वर्ष की अवधि के पश्चात ब्याज दिया जा रहा है ।

(ग) निर्माण की मूल अवधि 2½ वर्ष थी और इस प्रकार विवरणिका में गलती से उल्लिखित दो वर्ष की अवधि का अनुसरण करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

गरोन्दा (शाहदरा) डी. डी. ए. द्वारा अर्जित भूमि

10116. **श्री बालकृष्ण वासनिक** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने हाल ही में दीपक इन्क्लेव इलाका शाहदरा, दिल्ली जिसे अब पड़पड़गंज और मयूर बिहार के बीच प्रताप नगर के नाम से जाना जाता है, ग्राम गरोन्दा नीम का बंगार भूमि उपार्जित की है ।

(ख) क्या उस उपार्जित क्षेत्र के अनेक स्वामियों और कब्जा वाले लोगों को उनकी इस सम्पत्ति अथवा प्लाटों के लिए कोई मुआवजा अथवा दूसरी भूमि नहीं दी गई है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और ऐसे कितने स्वामियों/होल्डरों को अब तक मुआवजा नहीं दिया गया है अथवा दूसरी भूमि नही दी गई है ; और

(घ) उनकी सम्पत्ति के लिए उन्हें जल्दी से जल्दी पर्याप्त मुआवजा और/अथवा भूमि देने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि गरौंदा नीमका बंगर, अब प्रताप नगर नामक ग्राम में हाल ही में कोई भूमि अर्जित नहीं की गई है ।

डिफेंस कालोनी के "ए" ब्लाक में जे० सी० ओ० क्लब की भूमि को बेचा जाना

10117. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि भूमि विकास अधिकारी ने डिफेंस कालोनी के "ए" ब्लाक में जे० सी० ओ० ब्लाक की 0.72 एकड़ भूमि को डिफेंस कालोनी से बाहर के किसी व्यक्ति को वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए बेच दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस गैर-कानूनी सौदे को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है क्योंकि सरकार द्वारा जे० सी० ओ० क्लब के लिए भू-खंड की पूरी कीमत मूल-आबंटितियों से वसूल की जा चुकी है ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) तथा (ख) डिफेंस कालोनी की भूमि सरकार की है। 1949-51 में तैयार किए गए डिफेंस कालोनी के मूल विन्यास नक्शे, में भूमि के दो प्लाटों में से एक को जे० सी० ओ० क्लब तथा दूसरे को आफिसर्स क्लब के लिए उद्दिष्ट किया गया था। दोनों को ही रक्षा मंत्रालय द्वारा बनाया जाना था। तथापि, रक्षामंत्रालय ने इन क्लबों का निर्माण न करने का फैसला किया। इसलिए उन अन्य एशोसियेशनों/संथाओं को भूमि के आबंटन पर विचार किया गया जिनसे अनुरोध प्राप्त हुए थे। मूलत: जे० सी० ओ० क्लब की भूमि के 0.72 एकड़ माप के एक भाग को दिल्ली नगर निगम के अनुमोदन से क्षेत्र की क्षेत्रीय योजना में आवश्यक परिवर्तन कर 1963 में सांस्थानिक प्रयोग के लिए दिल्ली चिल्ड्रन्स लिटिल थियेटर नामक एक सामाजिक तथा सांस्कृतिक संस्थान को आबंटित किया गया था।

"सी" टाइप दुमंजिले क्वार्टरों में शौचालय और स्नानागारों का निर्माण

10118. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "सी" टाइप दुमंजिले क्वार्टरों के आबंटियों (पाकिस्तान से आए शरणार्थियों) से अपने-अपने क्वार्टरों के एकदम पीछे अपनी लागत पर शोचालयों और स्नानागारों का निर्माण करने को कहा है तथा ईंटों से बनें सार्वजनिक शौचालय ब्लाकों में उनके स्वामित्व के अधिकार को समाप्त कर दिया है ;

(ख) क्या "सी" टाइप दुमंजिले क्वार्टरों के निवासियों के कल्याण संघ ने इस आदेश के विरोध में अभ्यावेदन किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इन निवासियों के हितों की रक्षा के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) दो मंजिले "सी" टाइप पुनर्वास टेनामेंटों में भूमि तल तथा प्रथम तल के कोने पर बने आम शुष्क शौचालय थे। विभिन्न निवासी संगठनों से समय-समय पर प्राप्त अभ्यावेदनों को ध्यान में रखकर समाज कल्याण उपाय के रूप में तथा उचित स्वास्थ्य प्रद परिस्थितियों के अनुरक्षण के लिए इन टेनामेंटों में स्वतंत्र स्वच्छ शौचालय रसोई घर तथा स्नानागार सुविधाएं मुहैया करना आवश्यक समझा गया था। अत: विभिन्न निवासी संगठनों के परामर्श से तथा दिल्ली नगर निगम द्वारा तैयार किए गए नक्शे पर आधारित हाल ही में

विभिन्न निवासियों को यह पेशकश की गई है कि गैर कोने के पट्टाधारी भूमि तल तथा प्रथम तल पर शौचालय तथा रसोईघर केन्द्रीय आंगन में मुफ्त ही नाम मात्र भूमि किराए पर आम शौचालयों से अपना अधिकार छोड़ने के बदले में निर्मित कर लें तथा कोने के पट्टाधारी केन्द्रीय आंगन जो कि गैर-कोने के पट्टाधारियों द्वारा शौचालयों एवं रसोईघर ब्लाक के लिए उपयोग में लाया जाएगा, कि भूमि का उपयोग का अधिकार छोड़ने के बदले में वर्तमान शौचालय ब्लाक के एक भाग में स्वतंत्र शौचालय तथा रसोईघर निर्मित कर लें। इन शर्तों पर बहुत से पट्टाधारियों को पेशकश जारी कर दी गई है तथा अन्यों को जारी की जा रही है। इस निर्णय को लेते समय दो मंजिले "सी" टाइप टेनामेंटों के सभी पट्टाधारियों का सामान्य हित ध्यान में रखा गया है।

2. केवल निर्मल पुरी (ओल्ड डबल स्टोरी) नान-कार्नर रेजीडेंट वैलफेयर एशोसियेशन ने जिसने कि इन स्वतन्त्र शौचालयों के लिए उपेक्षित भूमि के भूमितल पर अनधिकृत निर्माण किया था तथा जो टेनामेंटों की कुल संख्या का केवल 20 से 25 प्रतिशत तक है इस प्रस्ताव के विरुद्ध अभ्यावेदन किया था तथा इस विषय में लोकसभा को एक याचिका प्रस्तुत की थी।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद सोसायटी की सामान्य-सभा की बैठक

10119. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या कृषि मंत्री भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की सामान्य-सभा की बैठक के बारे में 9 अप्रैल, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7011 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की सामान्य सभा की प्रत्येक वार्षिक बैठक में मार्च 1980 से मार्च, 1984 तक सामान्य सभा की विशेष बैठक में भाग लेने वालों सहित सदस्य-वार उपस्थिति का ब्यौरा क्या है और केवल 1980 में विशेष बैठक आयोजित करने के क्या कारण थे और उसकी कार्य सूची में कौन सी मदें शामिल की गई थीं ; और

(ख) क्या सरकार के अनुदान से आई० सी० आर० के सामान्य सभा की बैठक अगस्त, 1984 से पहले आयोजित की जा रही है और यदि हां, तो अंतिम तिथि का फैसला कब तक किया जाएगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की प्रत्येक वार्षिक सामान्य बैठक जो मार्च, 1980 से मार्च 1984 तक हुई है तथा दिनांक 10-10-1980 को सम्पन्न हुई विशेष सामान्य बैठक सहित सदस्य-वार उपस्थिति से संबंधित ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है [ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 8307/84) कुछ सदस्यों द्वारा सुझाए गए कुछ मदों पर विचार करने के लिए अध्यक्ष, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद सोसायटी ने दिनांक 10-10-1980 को विशेष सामान्य बैठक बुलाई। दिनांक 10-10-1980 को सम्पन्न हुई भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद सोसायटी की विशेष

सामान्य बैठक की मदवार कार्यसूची की एक प्रति अनुबंध में दी गई है । [ग्रंथालय में रखा गया/ देखिये संख्या एल० टी० 8367/84] ।

(ख) सामान्य निकाय की बैठक को किस दिन बुलाया जाए उसका निर्णय भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद सोसायटी के नियमों के नियम 27 तथा उपनियम के अनुसार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की सोसायटी के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है । सामान्य निकाय की अगली बैठक की तिथि अभी निश्चित नहीं की गई है ।

चूजों के वाणिज्यिक उत्पादन में आत्मनिर्भरता

10120. **श्री पीतांबर सिंह** : क्या कृषि मंत्री चूजों के वाणिज्यिक उत्पादन में आत्म-निर्भरता के बारे में 23 अप्रैल, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8475 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की मुर्गी पालन परियोजना केन्द्रों की ऐसी हालत में भी चालू रखने की अनुमति कैसे देती है जबकि कई वर्षों से इनसे होने वाली आय इन पर होने वाले खर्चे से 40 प्रतिशत से भी कम है और स्थिति बिगड़ती ही जा रही है जबकि केन्द्रीय मुर्गी पालन केन्द्रों से होने वाली आय उन पर होने वाले खर्च से कम से कम अच्छी तो होनी चाहिए ; और

(ख) केन्द्रीय मुर्गीपालन कार्यों में 1981-82 से वार्षिक खर्चे में हो रही वृद्धि के क्या कारण हैं जबकि खर्चे की तुलना में उनकी आय में वृद्धि नहीं हो रही है और चण्डीगढ़ फार्म से निरंतर सबसे अधिक वार्षिक खर्च होने और सबसे कम आय होने के क्या कारण हैं ।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की कुक्कुट प्रजनन सम्बन्धी अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना विभिन्न पहलुओं और विशेषकर मुर्गी पालन स्टाक के सम्बर्धन और आर्थिक अंडे देने वाले चूजों और अधिक अंडे देने वाली मुर्गियों की नस्लें/संकर नस्लों को तैयार करने से सम्बन्धित प्रजनन पहलुओं के सम्बन्ध में अनुसंधान करने के लिए उत्तरदायी है । अनुसंधान सम्बन्धी किये गये प्रयासों से दो अंडे देने वाली और एक अंडा देने वाली नस्लों, जो वाणिज्यिक उपयोग के लिए निर्मुक्त की गई हैं, को विकसित करना सम्भव हो सका है और उपलब्ध नस्लों में सुधार करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं । अतः यह निरंतर होने वाली प्रक्रिया है और इसकी संतोषजनक प्रगति के फलस्वरूप इसे जारी रखे जाने की अनुमति दी गई है, जैसा कि इस प्रयोजन के लिए नियुक्त की गई समीक्षा समिति द्वारा सिफारिश की गई है ।

प्रजनन परियोजना केन्द्रों से यह प्राप्तियां मुख्य रूप से अतिरिक्त अण्डों और प्रयोगात्मक पक्षियों के ब्रायलर मीट की बिक्री से होती है । प्रजनन नीति के विकास और वाणिज्यिक नस्लों/

संकर नस्लों के मूल्याकान को अनुसंधान परियोजना के वास्तविक लाभ के रूप में समझा जा सकता है ।

(ख) 1981-82 से चार केन्द्रीय कुक्कुट प्रजनन फार्मों के सम्बन्ध में व्यय और प्राप्तियों की समग्र स्थिति नीचे दी गई है :-

(लाख रुपयों में)

	1981-82	1982-83	1983-84
व्यय	86.52	93.55	92.82
प्राप्तियां	54 19	59.95	67.13

व्यय में वृद्धि होने के मुख्य कारण (1) अतिरिक्त मंहगाई भत्ता आदि के भुगतान के कारण वेतन बिलों में वृद्धि और (2) आहार अवयवों की लागत में वृद्धि होने के कारण आहार सम्बन्धी व्यय में कुछ वृद्धि होना है । फार्म उत्पादों की बिक्री से प्राप्तियां, जिसमें कुल मिलाकर वर्षानुवर्ष वृद्धि हो रही है, मुख्यत: सम्बन्धित स्थानों में कुक्कुट उत्पादों के प्रचलित बाजार मूल्यों से प्रभावित होती है ।

1981-82 से केन्द्रीय कुक्कुट प्रजनन फार्म चण्डीगढ़ में व्यय और प्राप्तियों की स्थिति नीचे दी गई है :

(लाख रुपयों में)

	1981-82	1982-83	1983-84
व्यय	36.08	39.89	41·12
पाप्तियां	21.93	23.16	29.94

अन्य तीन केन्द्रीय कुक्कुट प्रजनन फार्मों से भिन्न केन्द्रीय कुक्कुट प्रजनन फार्म, चण्डीगढ़, जिसकी स्थापना 1-4-78 को संघ राज्य प्रशासन चण्डीगढ़ से विद्यमान कुक्कुट परियोजना को अधिकार में लेकर की गयी थी, में मास वाले पक्षी के प्रजनन एकक के अतिरिक्त ब्रायलर पैदा करने वाला यूनिट और चूजा डैसिंग प्लांट है । इस फार्म ने फार्म उत्पादों की बिक्री से होने वाली प्राप्तियां भी मुख्यत: कुक्कुट उत्पादों के प्रचलित बाजार मूल्यों से प्रभावित होती है ।

भारती कृषि अनुसंधान परिषद्, बरेली में पशुओं को सीरा खिलाया जाना

10121. **श्री सुधीर गिरि** : क्या कृषि मंत्री भारतीय अनुसंधान परिषद्, बरेली, में पशुओं को सीरा खिलाए जाने के बारे में 23 अप्रैल, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8348 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980 से 1982 के दौरान महीना-वार, वंश वर्गानुसार, लिंग-वार और आयु-वार कितने पशुओं को सीरा खिलाये गये तथा प्रत्येक पशु को सीरा खिलाने की निर्धारित दर क्या थी; और इसका निर्धारण करने वाली समिति का ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि भिन्न-भिन्न मात्रा में सीरा खिलाया गया तो प्रत्येक के क्या कारण हैं;

(ग) जबकि अन्य समाहारों की तुलना में सीरा सस्ता है तो सरकार/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, सभी फार्मों पर पशुओं को सीरा ही क्यों नहीं खिलाती;

(घ) वर्ष 1980 और 1982 के बीच महीनावार प्रति किलोग्राम सीरा खिलाने के एवज में समाहार की कितनी मात्रा कम की गई और उसकी कितनी लागत पड़ी; और

(ङ) क्या सरकार का विचार इनके बारे में आगे जांच करने के बारे में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का है और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभा के पटल पर रख दिया जायेगा ।

वनस्पति के लिए निश्चित की गई अधिकतम मूल्य सीमा

10122. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने उपभोक्ताओं के व्यापक हित में वनस्पति के लिए अनौपचारिक रूप से अधिकतम मूल्य सीमा निश्चित की है;

(ख) क्या यह भी सच है कि यह अनौपचारिक मूल्य सीमा केवल कागजों पर है और जब तक उपभोक्ता प्रति दिन 30 से 50 रुपये तक अधिक मूल्य नहीं देते तब तक उन्हें वनस्पति नहीं मिल सकता;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार ने वनस्पति उद्योग को आयातित तेलों का 60 प्रतिशत भाग कच्चा माल के रूप में निश्चित मूल्यों पर सप्लाई किया था; और

(घ) निश्चित मूल्य पर बाजार में वनस्पति की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) जी हां ।

(ख) स्वैच्छिक मूल्य नियंत्रण के अनुसार, वनस्पति के 16.5 कि. ग्रा. के एक टीन का कारखाना मूल्य 217/रु० नियत किया गया है । हाल तक, इन मूल्यों का कुल मिलाकर सभी

स्तरों पर, अर्थात विनिर्माताओं, थोक विक्रेताओं तथा खुदरा विक्रेताओं द्वारा पालन किया जा रहा था। तथापि, हाल में देश के कुछ भागों से वनस्पति के मूल्य अधिक होने की रिपोर्ट मिली हैं।

(ग) सरकार 60 प्रतिशत आयातित तेल 8500,- रु० प्रति मी० टन की दर पर तथा 15 प्रतिशत आयातित तेल 12,000,- रु० प्रति मी० टन की वाणिज्यिक दर पर सप्लाई कर रही है।

(घ) राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में मूल्य-स्थिति पर नजर रखें। उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर वनस्पति सुलभ कराने के लिए विनिर्माताओं को उनकी एसोसिएशनों के माध्यम से सलाह दी गई है कि यदि वे चाहें तो अपने उत्पादन का कुछ प्रतिशत भाग स्वीकृत मूल्य पर अपने नामितों अथवा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वेचने के लिए राज्य सरकारों को सप्लाई कर सकते हैं।

भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी कानूनों का कार्यान्वयन

10123. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री भूमि की अधिकतम सीमा संबंधी कानूनों का कार्यान्वयन के बारे में 26 मार्च, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4693 और 12 मार्च, 1984 के तारांकित प्रश्न संख्या 219 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निपटाई गई 98 प्रतिशत विवरणियों में से राज्य-वार दर्ज कराई गई कितने प्रतिशत विवरणियों को भूमि के मालिकों के पक्ष में निपटाया गया था और उनकी संख्या कितनी थी और क्या गुप्त रखी भूमि का पता लगाने के लिए उनकी पुनरीक्षा करने का विचार है;

(ख) अदालती कार्यवाही पूरी होने तक लम्बित विवरणियों के 2 प्रतिशत में राज्य-वार अनुमानित कितने एकड़ भूमि है; और

(ग) ऋण ग्रस्तता के बारे में राज्य-वार नवीनतम आंकड़े क्या हैं और विभिन्न ऋणों को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) और (ख) किसी राज्य में भूमि के विभिन्न मजरों तथा भूमि की मालगुजारी तहसीलों आदि में फालतू भूमि का हिसाब, प्रत्येक भूमिधर के आधार पर किया जाता है। मजरों आदि में मौजूद फालतू भूमि अथवा सम्भावित फ़ालतू भूमि की जानकारी भारत सरकार नहीं रखती है। लम्बित पड़ी विवरणियों में निहित फालतू भूमि के राज्यवार आंकड़े उपलब्ध नहीं है। केवल इन विवरणियों की अन्तिम जांच से ही सम्भावित फालतू भूमि का पता चल सकता है।

(ग) ऋण राहत कानून के अन्तर्गत निपटाए गए मामलों की संख्या, लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या तथा निहित धनराशि से सम्बन्धित अद्यतन राज्य-वार स्थिति संलग्न विवरण में दर्शायी गई है ।

विवरण

क्रम संख्या	राज्य का नाम	लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या	निहित धनराशि	निपटाए गए मामलों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	2,240	अर्पाप्य	3632
2.	बिहार	74,420	2,27,27,960	अर्पाप्य
3.	गुजरात	15,311	3,16,00,000	27,690
4.	हरियाणा	212	5,55,420	213
5.	हिमाचल प्रदेश	3,292	अर्पाप्य	अर्पाप्य
6.	कर्नाटक	1,50,000	7,60,00,000	अर्पाप्य
7.	केरल	1,282	10,00,000	3,203
8.	मध्य प्रदेश	1,08,625	3,58,17,338	3,27,703
9	महाराष्ट्र	53,832	67,39,138	अर्पाप्य
10.	मणिपुर	- कोई विधान बनाया नहीं गया		
11.	मेघालय	— कोई विधान बनाया नहीं गया		
12.	नागालैंड	— कोई कठिनाई नहीं है ।		
13.	उड़ीसा	1,375	2,53,193	3,313
14.	पंजाब	— कोई कठिनाई नहीं है ।		
15.	सिक्किम	— लागू नहीं होता		
16.	तमिलनाडु	15,793	3,52,48,473	1,30,452
17.	त्रिपुरा	30	53,000	30
18.	उत्तर प्रदेश	719	1,36,220	719
19.	पश्चिम बंगाल	36	6,22,519	अर्पाप्य
20.	असम	29	11,000	29
21.	राजस्थान	2,745	14,26,000	3,150
22.	जम्मू और काश्मीर	5,245	12,23,858	—

डी०डी०ए० द्वारा भूमि/फ्लैटों का नगद भुगतान के आधार पर आबंटन

10124. **श्री मनमोहन टुडु** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण फ्लैटों/भूमि का आवंटन नकद भुगतान के आधार पर भी करता है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के आबंटन में क्या प्रक्रिया और मानदण्ड अपनाया जा रहा है ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) तथा (ख) जी, हां ।

फ्लैट : सामान्य आवास योजना के अन्तर्गत, सभी श्रेणियों में 50 प्रतिशत फ्लैट नकद आधार पर तथा 50 प्रतिशत फ्लैट भाटक खरीद आधार पर आबंटित किये जाते हैं । नवीन पद्धति योजना 1979 के अन्तर्गत जनता तथा निम्न आय वर्ग श्रेणी में 25 प्रतिशत फ्लैट नकद आधार पर तथा 75 प्रतिशत भाटक खरीद आधार पर एवं मध्यम आय वर्ग श्रेणी में 40 प्रतिशत फ्लैट नकद आधार पर और 60 प्रतिशत फ्लैट भाटक खरीद आधार पर आबंटित किये जाते हैं । सामान्य योजना में फ्लैटों के आबंटन के लिए अपनाई गई पद्धति यह है कि समय समय पर आवेदन पत्र इलाके के अधिमान एवं भुगतान के तरीके सहित आमंत्रित किए जाते हैं तथा नवीन पद्धति योजना 1979 के अन्तर्गत फ्लैट लाटरी निकाल कर आबंटित किए जाते हैं तथा भुगतान का तरीका भी संगणक द्वारा लाटरी निकालकर तय किया जाता है ।

प्लाट : दिल्ली विकास प्राधिकरण तीन प्रकार से नकद आधार पर रिहायशी प्लाट आबंटित करता है ; प्रथमतः नीलामी द्वारा द्वितीय वैकल्पिक प्लाटों के सिद्ध दावों के प्रति आबंटन द्वारा तथा तृतीयतः आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों/निम्न आय वर्ग तथा मध्यम आय वर्ग की योजनाओं के माध्यम से / वैकल्पिक आबंटन दिल्ली प्रशासन से प्राप्त सिफारिशों के आधार पर किए जाते हैं । योजनाओं में आबंटन समाचार पत्रों में दिए गए व्यापक प्रचार के माध्यम से किए जाते हैं । आवेदनों की जांच की जाती है तथा लाटरी निकाली जाती है । जो लाटरी में सफल होते हैं, आबंटी बन जाते हैं ।

नीलामी के मामलों में, बोली की राशि का 25 प्रतिशत बोली के समय ही ले लिया जाता है तथा शेष 75 प्रतिशत राशि निर्धारित अवधि के भीतर बोलियों की पुष्टि के बाद ली जाती है । वैकल्पिक आबंटनों के मामलों में भुगतान अंशतः धरोहर राशि के रूप में तथा शेष धन निर्धारित अवधि के भीतर लाटरियों की पुष्टि के बाद

लिया जाता है। सामान्य योजना में आबंटियों को आवेदनों के समय एक निश्चित राशि जमा करनी होती है तथा शेष राशि लाटरियों की पुष्टि के बाद मांगी जाती है।

सहकारी डेरियों द्वारा कच्चे दूध में हाइड्रोजन पेराक्साइड का प्रयोग

10125. श्रीमती प्रमिला दण्डवते :

श्री टी० एस० नेगी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कुछ सहकारी डेरियों द्वारा कच्चे दूध में हाइड्रोजन पेराक्साइड के गैर-कानूनी प्रयोग से सम्बन्धित गंभीर रहस्योदघाटन की ओर आकर्षित किया गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि दूध में मिलावट की जा रही है और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि दिल्ली दुग्ध योजना के अध्यक्ष को दूध में सोडा बाई कार्ब मिलाये जाने से रोकने में असफल रहने पर हटा दिया गया था हालांकि खाद्य पदार्थों में इसके मिलाने की अनुमति है ; और

(घ) यदि हां, तो वर्तमान गंभीर मामले में क्या कार्रवाई की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली दुग्ध योजना में सुपरिटेंडेंट के पद पर नियुक्ति में कथित अनियमितताएं

10126. श्री जगपाल सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान वर्ष 1980 और 1981 के दौरान कार्यालय सुपरिटेंडेंट के पद पर नियुक्ति के मामले में दिल्ली दुग्ध योजना के प्रबन्धकों द्वारा की गई अनियमितताओं की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या 1980 और 1981 के दौरान कार्यालय सुपरिटेंडेंट की नियुक्ति चयन में अनियमितता स्वीकार करते समय महाप्रबन्धक ने पुनरीक्षा विभागीय पदोन्नति समिति गठित करके गलती को ठीक करने के बारे में सलाह माँगी थी ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने गलती को ठीक करने की अनुमति दे दी थी जैसा कि महाप्रबन्धक द्वारा सुझाव दिया गया ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (घ) वर्ष 1980 और 1981 के दौरान कार्यालय अधीक्षक की नियुक्ति में तथाकथित अनियमितताओं के बारे में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं। सम्बद्ध अभिलेखों के सन्दर्भ में इन अभ्यावेदनों के सम्बन्ध में दिल्ली दुग्ध योजना प्राधिकरण द्वारा जांच की जा रही है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा लाडो सराय दिल्ली में भूमि का अधिग्रहण

10127. **श्री निहाल सिंह** :

श्री राम सिंह शास्त्री : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अवार्ड संख्या 36/80-81 के अन्तर्गत लाडो सराय में गांव की 2153.02 बीघा जमीन और अनुसूचित जातियों के खसरा संख्या 276 के अंतर्गत शमशान भूमि की 1.17 बीघा जमीन का अधिग्रहण किया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने खसरा संख्या 276 का वास्तविक कब्जा ले लिया है और वहां कंटीले तारों की बाड़ लगा दी है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार दिल्ली विकास प्राधिकरण को भूमि खाली करने के निदेश देगी और यह देखेगी कि यह भूमि अनुसूचित जातियों के लोगों को सौंप दी जाए ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) बतलाया गया है कि दिल्ली प्रशासन द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन, नामतः दिल्ली के सुनियोजित विकास के लिए पंचाट सं० 36/80-81 के माध्यम से गांव लाडो सराय की 2153.02 बीघा भूमि में से केवल 1996 बीघा तथा 18 बिस्वा भूमि अधिग्रहीत की गई और दिल्ली विकास प्राधिकरण को अन्तरित कर दी गई थी। खसरा सं० 276 हरिजन बाल्मीकियों की शमशान भूमि, जिसका माप 1 बीघा 17 बिस्वा है, को अधिग्रहीत नहीं किया गया है।

(ख) जी नहीं। दिल्ली प्रशासन के भू-अर्जन समाहर्ता/दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा खसरा सं० 276 का वास्तविक कब्जा नहीं लिया गया है।

(ग) उपर्युक्त (ख) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली में पूजाघरों के लिये भूमि का आबंटन

10128. **श्री बी. के. नायर** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1984 को दिल्ली की जनसंख्या समुदाय-वार अनुमानतः कितनी थी ;

(ख) इस क्षेत्र में समुदाय वार कितने पूजाघर हैं ;

(ग) इन पूजाघरों को कितनी भूमि आबंटित की गई है और इन्होंने कितनी भूमि पर कब्जा कर रखा है ; और

(घ) क्या दिल्ली प्रशासन का इन स्थानों के आबंटन पर किसी प्रकार का नियंत्रण है ; यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) तथा (ख) सूचना सुलभता से उपलब्ध नहीं है ।

(ग) तथा (घ) दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में धार्मिक संस्थानों को भूमि का आबंटन या तो दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा या भूमि तथा विकास कार्यालय द्वारा किया जाता है । इन प्राधिकरणों ने दिल्ली प्रशासन तथा गृह मंत्रालय के परामर्श से विभिन्न पूजा स्थलों के लिए लगभग 80 एकड़ भूमि आबंटित की है । इन धार्मिक संस्थानों द्वारा कब्जा की गई भूमि की सीमा सुलभता से उपलब्ध नहीं है ।

जूता (फुटवेयर) फैक्टरी, नारायणा में आग लगना

10129. **श्री राम सिंह शाक्या।** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 27 मार्च, 1984 के इंडियन एक्सप्रैस में "फायर इन फुटवेयर फैक्टरी" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो भवन उप नियमों की अवहेलना किए जाने के क्या कारण हैं और नारायणा में अनेक लोगों द्वारा निम्नतल (बेसमेंट) का अलग-अलग भाग में बांटने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार का दिल्ली में भवन उप नियमों की अवहेलना की जांच करने का विचार है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां ।

(ख) क्षेत्रीय तथा भवन विनियमनों के अनुसार औद्योगिक प्रयोग के मामले में तहखाने का प्रयोग स्टोर के लिए है । तहखाने का विभाजन अनुमेय नहीं है । दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि अगस्त 1975 में पूरणता प्रमाणपत्र जारी करते समय भवन उप नियमों/

विकनयमनों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ था तथापि, बताया गया है कि कुछ मकान मालिकों ने तहखाने का निर्माण किया है, और पूरणतया प्रमाण पत्र जारी करने के पश्चात विभाजक लगाया है।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण भवन नियमों/विनियमनों को कठोरता से लागू करता है और दुरुपयोग के विरुद्ध कार्रवाई करता है।

भवन उप नियमों तथा दिल्ली नगर निगम अधिनियम के उल्लंघन के विरुद्ध दिल्ली नगर निगम भी कार्रवाई करता है। जिस कर्मचारी के आचरण पर कर्रवाई करनी अपेक्षित पायी जाती है निगम उसके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई करता है।

डेनमार्क सरकार द्वारा उड़ीसा के तटवर्ती जिलों में पेयजल की व्यवस्था करने के लिए आरम्भ किया गया काम

10130. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या निर्माण और आवास मंत्री डेनमार्क सरकार द्वारा उड़ीसा के तटवर्ती जिलों में पेयजल की व्यवस्था के लिये आरम्भ किये गये कार्य के बारे में 12 मार्च, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2392 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि डेनमार्क परियोजना निदेशालय द्वारा भेजे गये परियोजना संबंधी मुल्यांकन को शीघ्र स्वीकृति देने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है और परियोजना मूल्यांकन के कब तक स्वीकृत कर दिये जाने की सम्भावना है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : परियोजना निदेशालय द्वारा तैयार की गई परियोजना रिपोर्ट का फरवरी, 84 में डेनिश मूल्यांकन मिशन द्वारा मूल्यांकस किया गया। डेनिश प्राधिकारियों से मूल्यांकन दस्तावेज अभी प्राप्त होना है लेकिन मिशन ने यह संकेत दिया है कि वह सम्भावित डेनिश सहायता के लिए लगभग 33.43 करोड़ रुपये मात्र की कम गुजाइंश वाली एक परियोजना की सिफारिश कर रहा है। संशोधित परियोजना के लिए उपलब्ध सम्भावित सहायता 27.61 करोड़ रुपये होने की सम्भावना है। संशोधित परियोजना के लिए राज्य सरकार के अनुमोदन की प्रतीक्षा है। राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त होने पर ही डेनिश प्राधिकारियों से बातचीत की जा सकती है।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के तकनीकी और गैर-तकनीकी कर्मचारियों के लिए कार्यघंटे

10131. **श्री शिवशरण वर्मा** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के श्रेणी तीन के स्थायी तकनीकी और गैरतकनीकी कर्मचारियों के लिये कार्य के कितने घंटे निर्धारित किये गये है और कितने समय का भोजनावकास है और उनके मामले में कितने घंटे कार्य करने के पश्चात समयोपरि कार्य प्रारम्भ होता है ;

(ख) क्या यह कर्मचारी फैक्ट्री अधिनियम, 1981 के खंड 59 (1) द्वारा शासित होते हैं और तदनुसार उनके मामले में 9 घंटे कार्य करना अनिवार्य है ;

(ग) यदि नहीं तो उपर्युक्त कर्मचारियों की वे श्रेणियां जो उपर्युक्त कानून द्वारा शासित नहीं होती है और जो होती हैं अलग-अलग कौन सी हैं और "वर्क चार्ज" कर्मचारियों के सम्बन्ध में कार्य के घंटे कितने हैं ; और

(घ) क्या तकनीकी और गैर-तकनीकी "वर्क चार्ज" कर्मचारियों और संसद भवन विद्युत प्रभाग में कार्य करने वाले अन्य कर्मचारियों को सामन्य रूप में नौ घंटे कार्य करना होता है और यदि हां, तो उन पर यह नियम कब से लागू है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

रामूगर केन एण्ड शुगर कम्पनी लिमिटेड का आधुनिकीकरण

10132. श्री रेणुपद दास : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नादिया, मुर्शिदाबाद, बीर भूम और बर्दवान के पिछड़े क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण उद्योग रामूगर केन एण्ड शुगर कम्पनी लिमिटेड में 1200 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि इन जिलों का अधिकतर गन्ना इस मिल द्वारा खरीदा जाता है ;

(ग) क्या राष्ट्रीय, चीनी संस्थान, कानपुर ने इस कम्पनी के चीनी कारखाने का सर्वेक्षण करने के पश्चात यह सुझाव दिया था कि कुछ आधुनिकीकरण करके इस यूनिट को स्थायी और सुदृढ़ प्रबन्ध के अधीन लाभप्रद बनाया जा सकता है ;

(घ) क्या कुप्रबन्ध के कारण मजदूरों की मजदूरी तथा गन्ना उत्पादकों को देय राशियों की अदायगी पिछले पांच वर्षों से नहीं की गई है ;

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(च) क्या सरकार इस कम्पनी का राष्ट्रीयकरण करने पर विचार कर रही है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) और (ख) पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा दी गई सूचनानुसार, उत्तर स्वीकारात्मक है ।

(ग) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि प्रबन्ध ने संयंत्र और मशीनरी का आधुनिकीकरण करने का कार्य शुरू किया है ।

(घ) कामगारों के 5 महीनों का वेतन बकाया है । गन्ना उत्पादकों का भुगतान केवल 1982-83 और 1983-84 के लिए बकाया है ।

(ङ) वेतन और गन्ने के मूल्य के बकायों का भुगतान सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है जिनके पास ऐसे भुगतान कराने के लिए आवश्यक शक्तियां और फील्ड संगठन हैं । केन्द्रीय सरकार ने सामान्यतया चीनी उद्योग की तरलता में सुधार करने के उद्देश्य से पग उठाए हैं ।

(च) ऐसा कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

उड़ीसा को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत सप्लाई किये गये खाद्यान्नों का उपयोग

10133. **श्री रास बिहारी बहेरा :** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत सप्लाई किए गए खाद्यान्नों का पूरा उपयोग किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) और (ख) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत उड़ीसा को वर्ष 1980-81 से लेकर 1983-84 तक उपलब्ध किए गये खाद्यान्नों तथा उनके उपयोग की स्थिति नीचे दर्शायी गई है :—

वर्ष	पिछले वर्ष के उपयोग में न लाये गये खाद्यान्नों सहित उपलब्ध खाद्यान्नों की मात्रा	उपयोग में लाई गई मात्रा (मीटरी टन में)
1980-81	134660.54	123460.07
1981-82	36057 23	24835.00
1982-83	28322.23	12172 85
1983-84	33769.38	17851.81 (फरवरी, 84 तक)

वर्ष 1983-84 के दौरान ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकार को 3750 मी० टन खाद्यान्नों की मात्रा बंटित की गई थी इस मात्रा में से किये गये उपयोग के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है ।

उड़ीसा में पशुओं का संकर प्रजनन

10134. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आप्रेशन फ्लड-2 क्षेत्रों के अन्यत्र क्षेत्रों में अच्छी नस्ल के पशुओं से संकर-प्रजनन और "फ्रोजन वीर्य" तकनीक के प्रयोग से भैंसों की नस्ल में सुधार संबंधी केन्द्रीय क्षेत्र योजना को उड़ीसा में कार्यान्वित किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उसके लिए उड़ीसा में कितने "फ्रोजन वीर्य" बैंक स्थापित किए गए हैं;

(ग) इस योजन की कुल अनुमानित लागत क्या है ;

(घ) क्या राज्य के कुछ अन्य जिलों में इस योजना का विस्तार करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां ।

(ख) इस योजना के तहत तीन हिमित वीर्य बैंक तथा एक हिमित वीर्य साण्ड केन्द्र स्थापित किया जा रहा है ।

(ग) लगभग 161 लाख रुपये । इसमें राज्य का शेयर भी शामिल है ।

(घ) तथा (ङ) इस प्रकार का विस्तार करने का कोई इरादा नहीं है ।

उत्तर-पूर्वी राज्यों को समय पर खाद्यान्नों का कोटा सप्लाई करना

10135. **श्री पी० एम० सईद** :

श्री बी ० वी० देसाई : क्या **खाद्य और नागरकि पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने उत्तर-पूर्वी राज्यों को खाद्यान्नों की ठीक समय पर सप्लाई करने का आश्वासन दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि 19 अप्रैल, 1984 को एक उच्च-स्तरीय प्रतिनिधि मण्डल उन्हें मिला था और उन्हें अपनी कठिनाइयों से अवगत करवाया था ; और

(ग) यदि हां, तो उक्त बातचीत का क्या निष्कर्ष प्राप्त हुआ है और उन्हें अप्रैल, 1984 में अथवा उसके बाद खाद्यान्नों की कितनी मात्रा सप्लाई की जाएगी ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डा. एम. एस० संजीवी राव) : (क) से (ग) उत्तर-पूर्वी राज्यों के मंत्रियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल 9 अप्रैल, 2984 को खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री से मिला था और उन्होंने अन्य बातों के अलावा, खाद्यान्नों की समय पर आपूर्ति करने के लिए अनुरोध किया था। प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन दिया गया था कि उनके क्षेत्र में संचलन सम्बन्धी समस्याएं होने के बावजूद खाद्यान्नों की आवंटित की गई मात्रा की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी सम्भव प्रयास किए जायेंगे। अप्रैल, 1984 के दौरान और उसके बाद भी सम्बन्धित राज्य को आवंटित मात्रा की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक पग उठाए जायेंगे।

2000 ई० तक असिंचित क्षेत्र

10136. **श्री बी० वी० देसाई :**

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में कृषि के अन्तर्गत कुल क्षेत्रफल के 40 प्रतिशत से अधिक क्षेत्रफल इस शताब्दी के अंत तक असिंचित रहने की संभावना है ;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्ष 2000 तक फसल का कुल क्षेत्र 2000 मिलियन हैक्टेयर के करीब होगा ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार 87 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र को शामिल न करके 113 मिलियन हैक्टेयर से अधिक क्षेत्र को परिवर्तन तथा भण्डारण के परम्परागत तरीकों के माध्यम से सिंचित करने पर विचार कर रही है ;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या मुख्य कारण हैं ;

(ङ) सरकार द्वारा इस 40 प्रतिशत क्षेत्र को भी वर्ष 2000 तक शामिल करने के लिए क्या प्रयत्न किए जा रहे हैं ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) से (ग) राष्ट्रीय कृषि आयोग ने अपनी रिपोर्ट (1976) में प्रक्षिप्त किया था कि 2000 सन् ईसवी तक देश में सकल बुआई क्षेत्र 200 मिलियन हैक्टेयर तक हो जाएगा। देश में परम्परागत तरीकों के जरिए अंतत: सृजनीय सिंचाई क्षमता का 113 मिलियन हैक्टेयर के होने का मूल्यांकन किया गया है। इसको इस शताब्दी के समाप्त होने अथवा इसके शीघ्र पश्चात् तक प्राप्त करने की संभावना है।

(घ) और (ङ) सरकार ने जल संसाधन विकास के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य तैयार किया है जिसमें जहां पर संभव हो विभिन्न नदियों पर इष्टतम जल संचयन का सृजन करने और स्थानीय

आवश्यकताओं को पूरा करने के पश्चात् फालतू जल-प्रवाह को अन्ततः सम्पर्क लिंकों के निर्माण द्वारा कमी वाले क्षेत्रों में उपयोग वास्ते ट्रांस्फर करने की परिकल्पना की गई है। इस स्कीम के कार्यान्वयन से लगभग 35 मिलियन हैक्टेयर के अतिरिक्त क्षेत्र को लाभ पहुंचेगा। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के घटक प्राय: द्वीपीय नदियों के सर्वेक्षणों और अन्वेषणों को करने के लिए राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण को स्थापित किया गया है।

विट्ठलभाई पटेल हाउस, नई दिल्ली स्थित सुपर बाजार में सिक्कों की कमी

10137. **श्री सैफुद्दीन चौधरी :**

श्री एन० सेलवाराजू : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विट्ठलभाई पटेल हाउस, नई दिल्ली स्थित सुपर बाजार में सिक्कों की हमेशा कमी रहती है, जिसके कारण ग्राहकों में काफी असन्तोष है ;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है यदि ग्राहक बकाया सिक्के लेने के लिए जोर देता है, तो कभी-कभी सुपर बाजार के अधिकार पाँच, दस, पंद्रह और बीस पैसे आदि देने के स्थान पर ग्राहकों को बिना रसीद के बदले में वस्तुएं देने की प्रक्रिया अपनाते हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या सुपर बाजार के अधिकारी ग्राहकों से इस प्रकार कमाए गए बकाया धन का कोई हिसाब रखते हैं ;

(घ) क्या यह सच है कि इस प्रकार सिक्कों की कमी से कर्मचारियों के कुछ वर्गों में भ्रष्टाचार पनपता है ; और

(ङ) इस प्रथा के विरुद्ध तथा विट्ठलभाई पटेल हाउस, सुपर बाजार, नई दिल्ली को पर्याप्त मात्रा में सिक्कों की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मन्त्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) सुपर बाजार ने सूचित किया है कि स्टोर को अभी तक विट्ठलभाई पटेल हाउस स्थित सुपर बाजार में सिक्कों की कमी की कोई शिकायत नहीं मिली है।

(ख) कभी-कभी जब छोटे सिक्के उपलब्ध नहीं होते हैं, जो खजांची उपभोक्ता को उतने ही मूल्य की वस्तुएं जैसे दियासलाई आदि देने की पेशकश करते हैं।

(ग) जब कभी कोई बकावा रही छोटी राशि (विशेषकर जो 5 पैसे के गुणज में नहीं है) खजांची के पास उपलब्ध नहीं होती है और उसके बदले उतने मूल्य की कोई वस्तु नहीं दी जा

सकती है तो खजांची द्वारा बकाया राशि, यदि कोई हो, सुपर बाजार में जमा कर दी जाती है। इसी प्रकार ग्राहकों द्वारा छोटे सिक्कों में देय छोटी राशि, यदि उनके पास उपलब्ध नहीं है तो सुपर बाजार द्वारा उसे देने के लिए ग्राहक को मजबूर नहीं किया जाता है और इस प्रकार भी ली गई राशि में कमी हो जाती है। विट्ठलभाई पटेल हाउस शाखा के प्रभारी द्वारा 1.7.83 से 31.3.84 तक अधिक/कम जमा की गई राशि के बारे में एक विवरण संलग्न है। सुपर बाजार ने सूचित किया है कि जमा की गई अधिक राशि भण्डार के खाते में चली जाती है और एक दिन में 25 पैसे से अधिक की कमी होने पर राशि सम्बन्धित कर्मचारी से वसूल कर ली जाती है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) छोटे सिक्कों की आम कमी होने के कारण सुपर बाजार द्वारा सिक्के भारतीय रिजर्व बैंक से लिए जाते हैं। विट्ठलभाई पटेल हाउस शाखा के उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए उक्त शाखा को छोटे सिक्कों का अधिक आबंटन करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

विवरण

पहली जुलाई, 1983 से 31 मार्च, 1984 की अवधि के दौरान विट्ठल भाई पटेल हाउस शाखा द्वारा जमा की गई नकद कम/अधिक राशि को दर्शाने वाला विवरण

मास	कम जमा की गई (रु०)	अधिक जमा की गई (रु०)
जुलाई, 1983	0.09	0.12
अगस्त, 1993	0.08	1.81
सितम्बर, 1983	33.99	1.15
अक्तूबर, 1983	17.06	20.82
नवम्बर, 1983	13.15	1.52
दिसम्बर, 1983	5.90	2.45
जनवरी, 1984	6.63	6.18
फरवरी, 1984	1.37	7.95
मार्च, 1984	35.02	2.57
	113.29	44.57

भारतीय डेरी निगम/राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा पशुधन का विकास

10138. **श्री राम अवध** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय डेरी निगम/राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड ने 1980-81 से 1983-84 तक, डेरी उद्योग के अलावा पशु विकास कार्यों के लिए वर्षवार कितनी धनराशि खर्च की है और 1984-85 के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया है ; और

(ख) क्या सरकार भारतीय डेरी निगम/राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड की इस प्रकार की भूमिका से संतुष्ट है, यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और यदि नहीं, तो सुधारात्मक कदम क्या उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) 1980-81 से 1983-84 तक पशुधन विकास कार्यकलापों तथा दुग्ध परिसंस्करण सुविधाओं के लिए भारतीय डेरी निगम द्वारा पृथक से निर्मुक्त की गई धनराशि का विवरण तथा 1984-85 के लक्ष्य संलग्न विवरण में दिए गए हैं ।

(ख) जी हां । सरकार भारतीय डेरी निगम/राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के कार्य से संतुष्ट है, क्योंकि आपरेशन फ्लड कार्यक्रम के तहत की गई प्रगति संतोषजनक मानी गई है ।

विवरण

1980-81, 1981-82, 1983-84 के दौरान पशुधन विकास कार्यकलापों तथा दुग्ध परिसंस्करण सुविधाओं के लिए भारतीय डेरी निगम द्वारा पृथक से निर्मुक्त की गई धनराशि तथा 1984-85 के लक्ष्यों को प्रदर्शित करने वाला विवरण

(लाख रुपए)

मद	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84 (फरवरी, 1984 तक)	1984-85 लक्ष्य
1	2	3	4	5	6
1. पशु विकास कार्यकलाप (तकनीकी आदान तथा अवस्थापनात्मक सहायता)	419.37x	1161.62	1333.14	1156.18	1320.00

1	2	3	4	5	6
2. दुग्ध परिसंस्करण सुविधाये	731.66x 1273.71xx	1822.01	2493.95	2738.73	3184.00

xआप्रेशन फ्लड ।

xxआपरेशन फ्लड 2

आन्ध्र प्रदेश में मूंगफली की खेती की लागत के आंकड़े

10139. **श्री पी० राजगोपाल नायडू :**

श्री एस० आर० ए० गस० अप्पाला नायडू : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में मूंगफली की खेती के लागत आंकड़े एकत्रित किए गए हैं ; और

(ख) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

उड़ीसा में दुग्ध संसाधन संयंत्रों की स्थापना

10140. **श्री हरिहर सोरन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उड़ीसा में कुछ दुग्ध संसाधन संयंत्रों की स्थापना करने का है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे दुग्ध संसाधन संयंत्रों को लगाने के लिए जिन स्थानों का चयन किया गया है, उनके नाम क्या हैं ;

(ग) इस मामले में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) आपरेशन फ्लड-2 के अन्तर्गत दो तरल दुग्ध संयंत्र, एक भुवनेश्वर में और दूसरा राऊरकेला में, निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं । इसके अतिरिक्त, धनकेनाल और क्योंझर में प्रशीतन केन्द्रों की स्थापना की जा रही है ?

सहायतार्थ क्रिकेट मैच

10141. **श्री रतन सिंह राजदा** : क्या खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने हाल ही में केन्द्रीय सरकार के संरक्षण में आयोजित सुरजीत सिंह और मिशन सिंह सहायतार्थ मैच की ही तरह अन्य सहायतार्थ मैच आयोजित करने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या सहायतार्थ क्रिकेट मैच आयोजित करने के लिए सरकार द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में भाग लेने के लिए कोई मानदंड निर्धारित किए गए हैं ; और

(ग) लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी और उपर्युक्त प्रत्येक मैच के कितने टिकट बिके ?

खेल विभाग में उपमंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) सरकार ने सामान्यत: इस अर्थ से समझे जाने वाले इन "सहायतार्थ मैचों" को प्रायोजित नहीं किया था और न ही इन मैचों के लिए उन्हें कोई अनुदान दिया था। ऐसे खिलाड़ियों के लाभ के लिए जिन्होंने देश का गौरव बढ़ाया है, के लिए राष्ट्रीय खेल संघों द्वारा की गई पहल का स्वागत किया जाता है।

(ख) इस तथ्य को ध्यान में रख कर कि "सहायतार्थ मैच" भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड के तत्वाधान में आयोजित किए जाते हैं, इसलिए सरकार द्वारा कोई मानदण्ड निर्धारित करने का प्रश्न नहीं उठता।

(ग) दोनों मैचों में दर्शकों की संख्या बहुत थी। तथापि, सरकार को बेची गई टिकटों की संख्या के बारे में कोई सूचना नहीं है।

दिल्ली दुग्ध योजना को हुआ घाटा

10142. **श्री रींग कृष्ण मोरे** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली दुग्ध योजना को कुप्रबन्ध के कारण कई वर्षों से भारी घाटा हो रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इसे लाभप्रद उद्यम बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) जी नहीं। पिछले तीन वर्षों में दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा उठाया गया घाटा इस प्रकार है :—

वर्ष	रुपये (लाख में)
1981-82	623.34
1982-83	1,130.00 (अनन्तिम)
1983-84	850 (अनन्तिम)

दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा उठाए गए घाटे का एक प्रमुख कारण टोन्ड दूध के उत्पादन की लागत की तुलना में कम बिक्री मूल्य का होना है, जिसका उत्पादन कुछ घटकों की वजह से वर्षानुवर्ष बढ़ता जा रहा है, और ये घटक दिल्ली दुग्ध योजना के नियंत्रण के बाहर है, जो इस प्रकार है :—

(1) कच्चे दूध (2) स्किम दुग्ध पाउडर और वटर आयल (3) डीजल, फरनेस आयल, कोयला, टायर ट्यूबों और अल्यूमीनियम के ढक्कनों आदि के क्रय मूल्यों में वृद्धि होना ; तथा (4) कर्मचारियों को वार्षिक वेतनवृद्धि देने तथा सरकार द्वारा समय-समय पर मंजूर किए गए मंहगाई भत्ते में वृद्धि करना।

कुल व्यय का लगभग 80 प्रतिशत भाग कच्चे दूध, स्किम दूध पाउडर और वटर आयल की खरीद पर हो जाता है। वटर आयल और स्किम दुग्ध पाउडर के दाम भारती डेरी निगम द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। कच्चे दूध के मूल्यों में हर वर्ष उत्तरोत्तर वृद्धि की जाती है ताकि इससे किसानों को राज्य डेरी संघों के माध्यम से दिल्ली दुग्ध योजना को अधिक दूध सप्लाई करने के लिए और अधिक लाभकारी दाम मिल सकें। इसी प्रकार, वेतन में कुछ वृद्धि होना भी अपरिहार्य है। तथापि, क्षमता उपयोग में सुधार करके तथा रखरखाव से होने वाले नुकसान और बोतलों आदि के टूटने से होने वाले घाटे पर नियंत्रण करके प्रचालानात्मक व्यय में वृद्धि होने पर उचित निगरानी रखना संभव हो सका है। 1983-84 के दौरान, दूध के उत्पादन पर आने वाली कुल लागत का लगभग 18 प्रतिशत प्रचालानात्मक व्यय हुआ, जबकि वर्ष 1981-82 के दौरान यह लगभग 20 प्रतिशत था।

उड़ीसा में मत्स्य जेटियों का निर्माण

10143. **श्री चिन्तामणि प्राणिग्रही** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना में मत्स्य जेटियों के निर्माण के लिए उड़ीसा सरकार और केन्द्र द्वारा कितनी धनराशि का अनुमान लगाया गया था ;

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान उड़ीसा में कितनी मत्स्य जेटियों के निर्माण करने का विचार है ;

(ग) उन के लिए किन योजनाओं का पता लगाया गया है ;

(घ) प्रत्येक मत्स्य जेटियों के निर्माण पर अनुमानित कितनी लागत आएगी ; और

(ङ) मत्स्य जेटियों के निर्माण में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) केन्द्रीय सरकार केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के तहत मत्स्य घाटों का निर्माण करने की मंजूरी देती है। इस योजना के

तहत, निर्माण की लागत में केन्द्र तथा राज्य बराबर-बराबर का योगदान करते हैं । उड़ीसा के मामले में केन्द्रीय सरकार ने 18.64 लाख रुपये की कुल अनुमानित लागत से तीन घाटों की मंजूरी दी है ।

उड़ीसा सरकार ने सूचित किया है कि उनके पास मत्स्य घाटों के लिए क्षेत्र के तहत 10 लाख रुपए केन्द्र परिव्यय का प्रावधान है ।

इनके अलावा, अस्ट्रांग में मात्स्यिकी परियोजना, यू०के० की द्विपक्षी सहायता से मंजूर की गई है, जिसमें लगभग 74 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर छोटे मत्स्यन बन्दरगाह तथा समुद्र तटीय निर्माण कार्य शामिल हैं ।

(ख) से (घ) छठी योजना में अब तक मत्स्यन घाटों की तीन परियोजनाएं अर्थात 2.07 लाख रु० की अनुमानित लागत पर सबालिया में, 14.07 लाख रुपए की चुडामनी और 2.50 लाख रुपए की पाथरा में मंजूर की गई है । उड़ीसा सरकार से वर्ष 1984-85 के दौरान और अधिक प्रस्ताव भेजने के लिए अनुरोध किया गया है ।

(ङ) चुडामनी घाट का यगभग 70 प्रतिशत कार्य पूरा हो गया है । सबालिया में घाट निर्माण करने के लिए टेंडर मांगे गए हैं । पाथरा में मत्स्य घाट संबंधी प्रस्ताव मार्च, 1984 में मंजूर किया गया था ।

आल इण्डिया कोआर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट द्वारा विकसित की गई गाय की नई नस्लें

10144. श्री सूर्य नारायण सिंह : क्या कृषि मंत्री आल इंडिया को आर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट द्वारा विकसित की गई गाय की नई नस्लों के बारे में 16 अप्रैल, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7683 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मवेशी अनुशंधान परियोजना द्वारा मवेशियों की नई नस्लों के लिए विकसित की गई प्रौद्योगिकी क्या है और क्या मिलिटरी डेरी फार्मों को इसका पता नहीं था और क्या मिलिटरी डेरी फार्म तथा अन्य केन्द्रीय/राज्य डेरी फार्म इसे इस्तेमाल कर रहे हैं; यदि हां, तो कहां और कब से, इसके क्या-क्या परिणाम हैं;

(ख) इस परियोजना पर आरम्भ से अब तक कुल कितना व्यय हुआ है;

(ग) क्या मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिमी बंगाल और उत्तर प्रदश में पशु परियोजना केन्द्रों में पर्याप्त जल उपलब्ध है; यदि हां, तो सिंचाई सुविधाओं सहित केन्द्र-वार कितना क्षेत्र उपलब्ध है;

(घ) चारे के उत्पादन के लिए वर्षा के पश्चात एक क्यूसेक पानी से कितने क्षेत्र की सिंचाई की जा सकती है और उसके लिए कितना पानी पर्याप्त समझा जाता है; और

(ङ) पुनरीक्षा समिति और वर्कशापों द्वारा केन्द्र-वार निष्पादन संतोषजनक मानने के लिए क्या मानदंड अपनाये गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) तकनीकी कार्यक्रम में विभिन्न प्रजनक संकरों का मूल्यांकन और आनुवंशिकी शामिल है जो उपलब्ध तुलनात्मक सीमा तक विभिन्न कृषि परिस्थितिकी के अन्तर्गत हैं । हमारे पास नई डेरी नस्लों के विकास में प्रयोग के लिए उपर्युक्त नस्लें व आनुवंशिकी ज्ञान है । सैनिक फार्म और केन्द्रीय फार्मों में उन्हीं उद्देश्यों के लिए संकर प्रजनन वैसे नही किया जाता है जैसे गोपशु पर अखिल भारतीय सम० अनुसंधान प्रायोजना के अंतर्गत किया जाता है जैसे विशेषकर अन्तः प्रजनक संकर नस्ल और 3/4 दो विदेशी प्रजनक संकर पैदा करना । इन फार्मों से एकत्र आंकड़े विश्लेषित किए गए हैं जिनमें ऐसी सूचना मिली हैं जिन पर गोपशुओं पर अ० भा० स० अनु० प्रा० में गहन खोज की गई है ।

(ख) गो-- पशु पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजना पर 1970-71 से 31-3-83 तक हिसार, जबलपुर, राहुरी, हरिंगाटा और लाम में लगभग 1085.97 लाख कुल व्यय हुआ है । इसमें हरिंगाटा इकाई पर वर्ष 1980-81 और 1981-82 के व्यय को शामिल नहीं किया गया है ।

(ग) जी नहीं, श्रीमान । महाराष्ट्र, उ० प्र०, म० प्र० और प० बंगाल केन्द्रों में क्रमशः 160,585,135 व 40 एकड़ क्षेत्र सिंचाई क्षेत्र है ।

(घ) एक क्यूसेक पानी 100 एकड़ भूमि में फसल के लिए पर्याप्त समझा जाता है ।

(ङ) संवीक्षा समिति ने इकाई के कार्य निष्पादन की जांच के लिए निम्नलिखित विधि अपनायी :—

(1) विभिन्न आनुवंशिक वर्गों के विभिन्न संकर प्रजनित पशुओं की पीढ़ी, कमी के कारणों का पता लगाना, यदि कोई हो ।

(2) कार्य निष्पादन का आलेख ।

(3) लक्ष्य उत्पादन की प्राप्ति ।

(4) मृत्यु और बीमारी की घटनाएं ।

दिल्ली दुग्ध योजना में कैश-क्लर्कों के कार्य

10145. **श्री अनवार अहमद** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली दुग्ध योजना में कार्यरत कैश क्लर्क निरीक्षण कार्य और कैश एकत्र करने के दोनों काम करते हैं और वे भारी वाहन चालकों वरिष्ठ डिपो एजेंटों और कनिष्ट डिपो एजेंटों का भी निरीक्षण करते हैं;

(ख) क्या कैश क्लर्कों का वेतनमान 200-400 रुपए है जबकि भारी वाहन चालकों का जिनका वे निरीक्षण करते हैं; वेतनमान 320-400 रुपए है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस असमानता को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) रोकड़ लिपिक केवल डिपो एजेंटों और वरिष्ठ डिपो एजेंटों के काम की आंशिक रूप से निगरानी रखते हैं और वे भारी वाहन चालकों के कार्य की निगरानी नहीं करते । रोकड़ लिपिकों का वेतनमान 290-400 रुपये है न कि 200-400 रुपये ।

वनस्पति तैयार करने के संयंत्र

10146. श्री चन्द्र देव प्रसाद वर्मा : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री वनस्पति तैयार करने के बारे में 12 मार्च, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2466 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तत्संबंधी तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट की इस बीच जांच कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें देरी के क्या कारण है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा०एम०एस० संजीवी राव) : (क) से (ग) तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट विचाराधीन है ।

सरकारी मुद्रणालयों में कर्मचारियों की पदोन्नति सम्बन्धी नीति

10147. श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी मुद्रणालयों में पदोन्नति के बारे में सरकार की क्या नीति है ;

(ख) क्या सभी पदोन्नतियों के लिए समान नीति अपनाई जाती है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकारी मुद्रणालयों के ओवरसियरों की पदोन्नति में सामान्य निर्धारित नीतियों का पालन किया जाता है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) भारत सरकार मुद्रणालयों में पदोन्नतियां, पदों के भर्ती नियमों के अनुसार की जाती हैं। पदोन्नति के सभी मामलों पर एक विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा विचार किया जाता है।

(ख) जी, हां।

(ग) वर्तमान भर्ती नियमों के अनुसार ओवरसियर, सहायक प्रबन्धक (तकनीकी) के पद पर पदोन्नति के पात्र हैं जो कि एक चयनित पद है उनकी पदोन्नतियों में सभी सामान्य प्रक्रियाओं का अनुसरण किया जाता है।

जल प्रदाय तथा मल व्ययन उपक्रम द्वारा पाइपों की सप्लाई का ठेका दिया जाना

10148. **श्री भीखाभाई** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जल प्रदाय तथा मल व्ययन उपक्रम द्वारा पिछले वर्ष किन-किन कम्पनियों को पाइप सप्लाई करने का ठेका दिया गया था ;

(ख) उपर्युक्त कम्पनियों की कितनी कितनी राशि को तथा किस किस आकार, क्वालिटी के पाइपों के ठेके दिये गये थे ;

(ग) क्या यह भी सच है कि जिन दरों पर उपरोक्त कम्पनियों को सप्लाई के आर्डर दिए गए हैं उससे कम दरों के टेंडर प्राप्त हुए थे किन्तु उन्हें स्वीकार नहीं किया गया ; और

(घ) स्वीकृत दरों तथा अन्य टेंडर में दी गई दरों के सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) तथा (ख) दिल्ली जल प्रदाय तथा मल व्ययन संस्थान से प्राप्त सूचना अनुलग्नक "क" तथा "ख" में दी गई है। [ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल० टी० 8368/84]।

(ग) संस्थान ने इस बात से इन्कार किया है।

(घ) संस्थान द्वारा दी गई सूचना अनुलग्नक "ग" में है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 8368/84]।

"दी अगली कंकरीट मोंस्टर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

10149. **श्री दिगम्बर सिंह** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 8 मार्च, 1984 के "स्टेट्समैन" में "दी अगली कंकरीट मोंस्टर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार दिल्ली विकास प्राधिकरण का विचार इस काम्पलेक्स में मामले को ठीक करने तथा ऊंचे भवनों में आग बुझाने वाले यंत्र लगाना अनिवार्य करने का है ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां ।

(क) दिल्ली विकास विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि कई भवन ब्लाकों पार्किंग स्थलों, दुकानों कार्यालयों, होटलों, सिनेमा घरों इत्यादि के लिए विभिन्न ऊंचाइयों के भवनों की व्यवस्था के लिए एक विस्तृत योजना के आधार पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा नेहरू प्लेस के नाम से परिचित जिला केन्द्र का विकास किया गया था । ये प्लाट गैर सरकारी पार्टियों को बेचे गये थे जिन्होंने कि निर्धारित वस्तुकीय नियंत्रण को मद्दे नजर रखते हुए विस्तृत योजना के आधार पर अपने भवन नक्शों को अनुमोदित कराने के बाद भवनों का निर्माण किया । प्रत्येक भवन के नक्शों की जांच अग्नि सेवा विभाग द्वारा की गई थी और उसके बाद हाल ही में किये गये सर्वेक्षण के बाद भी निर्माण कर्ताओं को अग्नि शमन प्रणाली को चालू स्थिति में रखने की हिदायतें दी गई हैं । दिल्ली नगर कला आयोग सबसे पहले सम्पूर्ण नक्शे का अनुमोदन करता है और उसके बाद वे भवन नक्शों का अनुमोदन करते हैं । सार्वजनिक उपयोगी सेवाओं का अनुरक्षण दिल्ली नगर निगम द्वारा किया जाता है और भवन के आन्तरिक अनुरक्षण का उत्तरदाइत्व दखलकारों की एसोशिएशन या प्रवर्तकों का है । इस केन्द्र में पार्किंग भू-खण्डों का भी विकास किया गया है । सभी मालिक को अग्नि शमन के लिए लगाये गये उपकरणों के सनुरक्षण के लिए कहा गया है । दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि इस सम्बन्ध में हाल ही के महीनों में सुधार हुए है ।

ऊंचे ऊंचे भवनों में अग्नि सावधानियों के सम्बन्ध में 1983 के भवन उपनियमों में इसके लिए विस्तृत मार्ग निर्देशन दिए गए हैं । जब कभी भी विसंगतियों के मामले मुख्य अग्निशमन अधिकारी को भेजे जाते हैं तो वह उपयुक्त सिफारिशें भी देते हैं । दिल्ली विकास प्राधिकरण ने संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में ऊंचे ऊंचे भवनों में अग्नि सुरक्षा तथा अग्नि खतरों के अध्ययन तथा उपयुक्त उपचारी उपाय सुझाने के लिए एक इकाई का गठन किया है । यह इकाई विभिन्न ऊंचे-ऊंचे भवनों तथा उच्च अग्नि खतरे वाले संरचनात्मक क्षेत्रों का निरीक्षण कर रही है ।

दिल्ली जल प्रदाय तथा मल व्ययन संस्थान ने जलपूर्ति की कमी के बारे में सूचित किया है कि नेहरू प्लेस को सप्लाई किया जाने वाला पानी समीप ही बने एक ऊपरी टैंक से सप्लाई किया जाता है यह सप्लाई सुबह 3 घंटे और शाम को 2½ घंटे तक की जाती है । इसके

अतिरिक्त 3 नलकूप भी इस क्षेत्र की जलपूर्ति में वृद्धि करते हैं। पानी बहुमंजिले भवनों के भू-तल कुण्डों में सप्लाई किया जाता है।

शिमला में केन्द्रीय सरकार के स्मारक और ऐतिहासिक भवनों में आग

10150. **श्री दिगम्बर सिंह** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) कुछ समय पहले शिमला में केन्द्रीय सरकार के स्मारक और ऐतिहासिक भवनों में आग लगने की घटनाओं के कारणों से संम्बधित विभिन्न विशेषज्ञ समितियों की रिपोर्ट के क्या, परिणाम रहे; और

(ख) इस समय जो थोड़े बहुत पुराने भवन बचे हैं; उनमें आग न लगने देने और उनकी विरासत को बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) तथा (ख) शिमला में आग की दुर्घटनाओं से केन्द्रीय सरकार के तीन भवन संबंधित हैं। इन भवनों के सम्बन्ध में स्थिति का ब्यौरा इस प्रकार है :-

(1) पीटर हॉफ भवन (राज निवास)

यह भवन हिमाचल प्रदेश सरकार के अनुरक्षणाधीन है जिसने आग की दुर्घटना की जांच की। केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई जांच नहीं की गई है।

(2) सेना मुख्यालय (पश्चिमी कमान)

पश्चिमी कमान की एक समिति द्वारा आग दुर्घटना की जांच की गई थी तथा रक्षा प्राधिकारियों द्वारा इस रिपोर्ट को गुप्त रखा गया है।

(3) कनेडी कोटेज

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जांच की गई थी। जांच समिति की रिपोर्ट पर कार्यवाही की जा रही है।

संजय गांधी परिवहन नगर में प्लाटों का आबंटन

10151. **श्री हीरालाल आर० परमार** :
श्री चित्त बसु : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 1975-76 में औद्योगिक प्लाटों के आबंटन के लिए परिवहन व्यवसाइयों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये थे ?

(ख) प्रत्येक आवेदक से आवेदन पत्र के साथ 500/- रुपये की राशि प्राप्त करने के बाद दिल्ली विकास प्राधिकरण प्लाटों के आबंटन के अपने वादे को पूरा नहीं कर सका और जमा धनराशि आवेदकों को वापस कर दी;

(ग) क्या दिल्ली नगर निगम ने अब उन परिवहन व्यवसाईयों, वर्कशाप स्वामियों, फालतू पुर्जों के व्यापारियों आदि से आवेदन पत्र आमंत्रित करने की घोषणा की है जो 1976 में संजय गांधी परिवहन नगर में प्लाटों में आबंटन के लिए आवेदन नहीं कर सके थे ;

(घ) क्या जिन लोगों ने 1975-76 में औद्योगिक प्लाटों के लिए डी०डी०ए० से आवेदन किया था किन्तु वे कोई प्लाट प्राप्त न कर सके, संजय गांधी परिवहन नगर में प्लाटों के आबंटन के लिए उनके नामों पर भी विचार किया जाएगा और यदि नहीं, तो उनके क्या कारण हैं ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 1975-76 में औद्योगिक प्लाटों के आबंटन के लिए अनुनरूप क्षेत्रों में कार्यरत औद्योगिक एककों से, और न कि परिवहन व्यवसायों में लगे व्यक्तियों से. आवेदन पत्र आमंत्रित किए थे।

(ख) उपर्युक्त (क) की दृष्टि से प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) जी, नहीं। दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि इस योजना के अन्तर्गत प्लाट सीमित हैं और उनसे केवल उनके अपने पंजीकृत व्यक्तियों की ही पूर्ति हो सकेगी।

राष्ट्रीय बीज निगम में नौकरी दिलाने का धोखा देने वालों का गिरोह

10152. **श्री मनोहर लाल सैनी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 28 मार्च, 1984 के "टाइम्स आफ इंडिया" में **थ्री अरेस्टेड इन नेशनल सीड्स कारपोरेशन जाबरेकेट**" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस धोखा देने वाले गिरोह के पूरे तथ्य क्या हैं और राष्ट्रीय बीज निगम में तथा उनके मंत्रालय के अन्तर्गत अन्यत्र कहीं भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृति को रोकने के लिए क्या निरोधात्मक उपाय किए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां।

(ख) वर्ष 1980 में रोजगार कार्यालय ने राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा भेजी गई मांग पर 139 व्यक्तियों की सूची भेजी, जिसमें से निम्न श्रेणी लिपकों के पद पर नियुक्ति के लिए 26 अभ्यर्थियों की सूची बनाई गई। पहली किश्त में केवल 4 अभ्यर्थियों की नियुक्ति की गई। नियुक्ति के पश्चात इन चार में से एक व्यक्ति टंकण में दक्ष नहीं पाया गया। इससे इसकी असलियत के बारे में शका हुई और निगम द्वारा की गई जांच से पता चला कि उक्त व्यक्ति ने टंकण परीक्षा में पररूप धारण करके लाभ प्राप्त करने की कोशिश की थी। उसको नियुक्ति के सम्बन्ध में दिया गया प्रस्ताव वापिस ले लिया गया और स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों के पास रिपोर्ट दर्ज की गई। दिल्ली रोजगार कार्यालय के संयुक्त निदेशक द्वारा की गई शिकायत, जिसमें कुछ कदाचारों के बारे में सन्देह व्यक्त किया गया है जो कि रोजगार कार्यालय द्वारा निगम को भेजी गई सूची में पायी गई हैं, के सम्बन्ध में उप आयुक्त (अपराध और रेलवे) द्वारा की गई और जांच पर निगम के कार्यालय अधीक्षक और दिल्ली रोजगार कार्यालय के दो अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। निगम ने उक्त अधिकारी को निलम्बित कर दिया है। पुलिस द्वारा जांच की जा रही है।

त्रिलोकपुरी आवासीय योजना में बने बनाए मकान

10153. **श्री आर० एन० राकेश :**

श्री गंगाधर एस. कुचन : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिलोकपुरी आवासीय योजना में उन व्यक्तियों को, जिनके पास मुख्त्यारनामा है और जिन्होंने अपनी भूमि पर मकान बनाए थे जिनको 1975-76 में आपातकाल के दौरान गिरा दिया गया था, दिल्ली विकास प्राधिकरण में 1976 के दौरान पंजीकृत हुए व्यक्तियों के तुरन्त बाद उन्हें वरीयता देते हुए वैकल्पिक मकान आबंटित करने की कोई योजना है ;

(ख) क्या इस प्रकार के फ्लैटों का मूल्य दिसम्बर, 1980 जब यह योजना स्वीकृत की गई थी, में विद्यमान लागत पर निश्चित किए जाने थे और अप्रैल-मई, 1982 में विद्यमान लागत के आधार पर नहीं, जैसा कि वास्तव में वसूल किए गए हैं ; और

(ग) क्या आबंटियों को ये फ्लैट मार्च, अप्रैल, 1983 में आबंटित किए गए थे और इस तथ्य की ओर ध्यान दिए बिना कि उन व्यक्तियों को जिन्होंने फ्लैटों का प्रारम्भिक कुल मूल्य जमा करा दिया था, उस अवधि के लिए ब्याज की छूट नहीं मिली, मांग पत्र जारी करने की तिथि से ब्याज लिया गया था ;

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्याविभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

पूर्वी दिल्ली के गावों में साफ किए पानी की पूर्ति

10154. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी दिल्ली के घोंडा में अरविन्द नगर मौजपुर बाबरपुरी, उस्मानपुर, आदि में साफ किए पानी की पूर्ति का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो किन विशिष्ट इलाकों में पानी की पूर्ति की जाएगी और प्रस्ताव कब तक कार्यान्वित होगा और व्यक्तिगत उपभोक्ताओं को पानी के कनेक्शन किन आधारों पर मंजूर किए जाएंगे ; और

(ग) यदि नहीं, तो उपर्युक्त क्षेत्रों के निवासियों को पानी की पूर्ति न किए जाने के विशेषकर जब गंगा के पानी की पाइप लाइन वहां से होकर गुजरती है, क्या कारण है ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने कहा है कि घौंडा तथा मौजपुर उनके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत नगरीय ग्राम हैं तथा अरविन्द नगर, ब्रहमपुरी एवं उस्मान पुर नियमित अनधिकृत कालोनियां हैं। उनके अनुसार घौंडा तथा मौजपुर नगरीय ग्रामों में पेयजल की व्यवस्था करने के लिए एक योजना स्वीकृत की गई है तथा अगामी 6 माह में जलपूर्ति मुहैया कर दिये जाने की आशा है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह भी सूचित किया है कि नियमित तथा अनधिकृत कालोनियों में जलपूर्ति से संबंधित काम लाभ भोगियों द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण में विकास प्रभार जमाकर देने के बाद ही आरम्भ किया जाएगा।

दिल्ली जल प्रदाय एवं मल व्ययन संस्थान ने सूचित किया है कि बाबरपुर ग्रामीण ग्राम है जिसे वजीराबाद रोड़ मेन से जलपूर्ति दी गई है तथा उस्मानपुर एक नगरीय ग्राम है जिसे गढ़ी मांडू के नलकूप से जल सप्लाई प्राप्त हो रही है।

संस्थान के अनुसार व्यक्तियों द्वारा जब कभी आवेदन किया जाता है, सामान्य प्रभारों की अदायगी कर देने पर पानी के कनेक्शन स्वीकृत कर दिए जाते हैं।

सरोजनी नगर मार्किट में दुकानदारों द्वारा अवैध कब्जा

10155. **श्री मनोहर लाल सैनी** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरोजनी नगर मार्किट में दुकानदारों ने दुकानों के आगे बरामदों पर अवैध कब्जा कर लिया है और नई दिल्ली नगर पालिका उद्यान के एक भाग को तोड़कर लोगों के इस्तेमाल के लिए एक अन्य रास्ता बना रही ;

(ख) यदि हां, तो नई दिल्ली नगर पालिका के अवैध कब्जों को हटाने में असफल रहने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरोजनी नगर, नई दिल्ली में बाबू मार्कीट सभी स्थानों पर तथा सर्विस रोड के दोनों ओर तथा सब्जी मार्किट के निकट भी अवैध कब्जा कर लिया गया है ;

(घ) यदि हां, तो क्या इन अवैध कब्जे को हटाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) नई दिल्ली नगर पालिका ने सूचित किया है कि बरामदों पर अतिक्रमण कर लिया गया है और कि नई दिल्ली नगर पालिका के पार्क के चारों ओर इस मार्किट में विद्यमान खुले मार्ग पर एक पगडण्डी बनाई जा रही है ।

(ख) नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा बताए गये अनुसार यह मामला निर्णयाधीन है ।

(ग) से (ङ) इस संबंध में रिपोर्ट प्राप्त हो गई हैं और आवश्यक कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है ।

हिसार में ए० आई० सी० आर० पी० केन्द्र को दी गई धनराशि

10156. **श्री बी० डी० सिंह** : क्या कृषि मंत्री हिसार में ए. आई. सी. आर. पी. केन्द्र को दी गई धनराशि के बारे में 9 अप्रैल, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7118 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आनुवंशिक-ग्रुप-वार, वर्ष-वार देने वाली गऊओं की संख्या कितनी है और इसके अनुरूप 1977-78 से 1983-84 तक दूध उत्पादन की वार्षिक मात्रा कितनी हैं और हिसार केन्द्र की शुरू से 1 अप्रैल, 1984 तक वर्ष-वार, इसका बिक्री मूल्य क्या है ;

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा स्वीकृत कुल कितनी धनराशि हर वर्ष दी जाती है तथा उसकी तुलना में तदनुसार 1973-74 से 1983-84 तक कितनी धनराशि दी गई है और हर वर्ष अलग-अलग केवल अनावर्ती हिस्से पुर्जों के लिए कितनी धनराशि दी गई है, स्वीकृत धनराशि, बढाई गई धनराशि से सम्बन्धित है ;

(ग) पुनरीक्षा समिति/कार्यशालाओं ने कार्यनिष्पादन के लिए तरीकों और मानदण्डों के आधार पर केन्द्र के कार्यनिष्पादन को सन्तोषजनक घोषित किया है जबकि उसकी उत्पादकता कम हो रही है ; और

(घ) केन्द्रीय सरकार का विचार, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के हिसार केन्द्र को, कब तक समर्थन देना जारी रखने का है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) वर्ष 1977-78 से 1983-84 तक दूध देने वाली गाय की संख्या ग्रुपवार संलग्न विवरण-I में दी गई हैं इसके अनुरूप 1982-83 तक उत्पादित दूध अनुवंशिकवार, वर्षवार संलग्न विवरण-II में दिया गया है। वर्ष 1983-84 के दूध उत्पादन तथा वर्षवार बेचे गये दूध के मूल्य के सम्बन्ध में आकड़े एकत्रित किये जा रहे हैं तथा उसे यथासमय सभा के पटैल पर रख दिया जायेगा ।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा देय स्वीकृत कुल वार्षिक राशि तथा परिषद द्वारा रिलीज की गई तथा उसके तदनरूप अनावर्ती मदों के लिए स्वीकृत राशि संलग्न विवरण-III में दी गई है ।

(ग) एकक के कार्य को आंकने के लिए मध्यावधि-समीक्षा समिति ने निम्नलिखित विधि अपनाई ;

(1) विभिन्न आनुवंशिक ग्रुपों में संकर नस्ल के पशुओं की पीढ़ी. कमी के लिए कारणों की जांच यदि कोई हो तो ।

(2) कार्य की रिकार्डिग ।

(3) लक्षित उत्पादन की प्राप्ति ।

(4) मृत्यु तथा रोग घटना ।

मध्यावधि मूल्यांकन समिति ने एकक के सम्पूर्ण कार्य को संतोषजनक पाया है हालांकि फाउन्डेशन मादा स्टोक की अपेक्षित संख्या प्राप्त करने में समस्या थी तथा हालांकि बिभिन्न आनुवंशिक ग्रुपों में पशुओं की अपेक्षित संख्या की पीढ़ी में देरी थी । आनुवंशिक ग्रुप सर्जन को ध्यान में रखते हुए विभिन्न वर्षो में उत्पादन स्तर तुलना योग्य नहीं होंगे ।

(घ) इस समय प्रायोजना छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक स्वीकृत है ।

विवरण-I

अखिल भारतीय समन्वित गोपशु प्रायोजना वर्ष के 31 मार्च तक दूध देने वाली गायों का विवरण

एकक: हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार

वर्ष	वर्ष के 31 मार्च तक दूध देने वाली गाय											
	एच	एफ एच	बी एच	जे एच	एफ बी एच	एफ जे एच	बी एफ एच	जे एफ एच	आई एन टी ई आर एस ई एफ बी एच	एफ जे एच	बी एफ एच	जे एफ एच
1977-78	21	49	56	40	10	7	11	17	—	—	—	—
1978-79	12	78	62	48	21	13	24	20	—	—	—	—
1979-80	3	93	45	52	41	23	44	28	—	2	2	1
1980-81	—	79	35	6	38	25	30	25	4	2	2	2
1981-82	—	70	18	24	46	35	34	39	4	5	3	7
1982-83	—	55	19	29	47	38	25	27	6	7	7	11
1983-84	—	66	22	29	46	50	27	23	12	9	9	16
30.9.1983 तक												

विवरण II

अखिल भारतीय समन्वित गोपशु अनुसंधान प्रायोजना दूध उत्पादन का विवरण (कि० ग्रा०)
यूनिट : हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार

आनुवंशिक ग्रुप	1977-78	1978-79	1979-80	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84
हरियाणा	16319 8	15738.7	10144 8	—	—	—	
½एफ ½एच	181993.0	213610.5	23987 .5	252761.6	242266.2	215997.5	
½बी ½एच	139141 7	179309.1	1 .287.3	111057.7	80338.4	57574.3	
½जे ½एच	80578.8	116030.1	116122.0	110985 4	92744.8	79637 3	
½एफ ¼जे ¼एच	14897 4	37890 1	64717.7	96702.7	12369.6	150323.0	
½एफ ¼जे ¼एच	11775 9	27316.4	387 2 4	73684 0	89352 0	91500.5	
½बी ½एफ ½एच	26808.9	46416.8	82220.9	75029.7	24455 6	83224.7	उपलब्ध नहीं
½जे ¼एफ ¼एच	27129.8	49092.5	56613.9	61557.5	88031.2	100138.9	
¾आई एन टी ई आर एस ई	—	—	606.7	17269.7	34507.4	79901.5	
कुल	498645.3	685454 2	762401.2	799051.3	846292.2	858257.7	

विवरण-III

(रु० लाख में)

अखिल भारतीय समन्वित गोपशु अनुसंधान प्रायोजना स्वीकृत राशि तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा रिलीज की गई निधि का विवरण

यूनिट : हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार

वर्ष	अनावर्ती सहित कुल स्वीकृत राशि	पूर्वानुमानित प्राप्ति	राज्य शेयर 25%	भा.कृ.अ.प. शेयर 75%	भा.कृ.अ.प. द्वारा रिलीज की गई निधि	अनावर्ती राशि
1973-74	8.32	---	—	8.32	3.27	—
1974-75	10.72	6.50	1.06	3.16	5.49	—
1975-76	13.62	6.00	1.90	5.72	4.57	3.00
1976-77	14.16	6.25	1.98	5.93	5.19	2.50
1977-78	12.00	6.40	1.40	4.20	4.20	0.75
1978-79	12.21	6.50	1.43	4.28	रिलीज नहीं किया गया	0.15
1979-80	—	—	---	--	4.58	—
1980-81	19.89	12.00	1.97	5.92	16.63	—
1981-82	22.03	13.00	2.26	6.77	9.39	---
1982-83	32 06	13.50	4.64	13.92	13.92	5.30
1983-84	33.98	14.00	5.00	14.98	14.99	5.50

मैसर्ज बालाजी वनस्पति उद्योग सीतापुर द्वारा निर्मित वनस्पति घी

10157. **श्री रामलाल राही** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

मैसर्स बालाजी वनस्पति उद्योग (सुहागिन) ने वर्ष 1981-82, 1982-83 और 1983-84 में कुल कितने वनस्पति घी का उत्पादन किया है और उन्हें स्रोत-वार कुल कितना कच्चा माल उपलब्ध कराया गया ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : 1981-82, 1982-83, और 1983-84 (फरवरी,1984 तक) के दौरान मैसर्स बालाजी वैजीटेबल प्रोडक्टस, सीतापुर द्वारा किये गये वनस्पति के उत्पादन तथा राज्य व्यापार निगम के माध्यम से सप्लाई किये गये आयातित तेल और साथ ही स्थानीय बाजारों से लिये गये देशी तेलों की खपत का ब्यौरा निम्नांकित विवरण में दिखाया गया है :-

मीटरी टनों में

वर्ष	वनस्पति का उत्पादन	खपत	
		आयातित तेल	देशी तेल
1981-81	5293.3	4190.4	1563.2
1982-83	4131.4	2707.3	1738.7
1983-84 (फरवरी तक)	3404.4	3279.7	406.2

महाराष्ट्र सरकार का अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के किसानों द्वारा लिए गए ऋण को बट्टे खाते डालने का निर्णय

10158. **श्री गिरिधर गौमांगो** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने निर्णय किया है कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, छोटे और मध्य श्रेणी के किसानों और कमजोर वर्गों को ऋण से मुक्त करने के लिए उनके द्वारा कोआपरेटिव से लिए गए ऋणों को बट्टे खाते डाला जाए ;

(ख) क्या कुछ अन्य राज्यों ने भी कमजोर वर्गों को इसी प्रकार की सहायता दी है ; और

(ग) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) महाराष्ट्र सरकार ने 1981 में कमजोर वर्गों के सदस्यों से देय 49 करोड़ रुपए की धनराशि के सहकारी ऋणों को बट्टे खाते में डाल दिया था। इसी प्रकार, केरल सरकार ने भी 1981 में सरकारी ऋणों को बट्टे खाते में डाल दिया गया था।

पोर्ट ब्लेयर नगर बोर्ड द्वारा पानी की लाइन के पाइपों की खरीद

10159. **श्री ए० नीलालोहित दसन नाडार** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोर्ट ब्लेयर नगर बोर्ड ने 1983 के अन्त तक कोई दरें आमंत्रित किए बिना ही लगभग 6.0 लाख रुपये मूल्य के पानी के लाइन-पाइप खरीदे थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सरकार द्वारा निर्धारित सभी नियमों के विपरित नहीं है ; और

(ग) क्या उक्त खरीद से पूर्व, 1983-84 में नगर बोर्ड ने कोई दरें आमंत्रित की थी, यदि हां तो जिन पार्टियों से दरें मांगी गई थी उनका तथा उनके द्वारा उद्धृत दरों का पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभापटल पर रख दी जाएगी।

नेरादी बांध के निर्माण के कारण उड़ीसा में भूमि का जल मग्न होना

10160. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई, 1961 में हुए समझौते के अन्तर्गत वंशधारा नदी पर नेरादी बांध के निर्माण के कारण उड़ीसा क्षेत्र में कितनी भूमि जल में डूब गई है ;

(ख) वंशधारा प्रोजेक्ट चरण-II के लिए मार्च, 1979 में आंध्र प्रदेश द्वारा तैयार की गई प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार कितनी भूमि जल में डूब गई है ;

(ग) वर्ष 1980 में आई बाढ़ को हिसाब में लेने के बाद जुलाई, 1982 के संशोधित प्रस्ताव में कितना क्षेत्र जलमग्न दिखाया गया है ;

(घ) क्या यह सच है कि वर्ष 1961 में हुए समझौते के अनुसार यदि बांध का निर्माण किया जाता है तो नदी के जल में गाद जमा होने के कारण अधिक भूमि जल में डूब जाएगी ; और

(ङ) यदि हां, तो जल में भूमि के डूबने को कम करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

*सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश के बीच जुलाई, 1961 के करार के अनुसार, प्रस्तावित नेरादी बराज से उड़ीसा क्षेत्र में 106 एकड़ भूमि के जलमग्न हो जाने की संभावना थी ।

(ख) मार्च 1979 की परियोजना रिपोर्ट में जलमग्न होने वाला क्षेत्र 540 एकड़ बताया गया है ।

(ग) जुलाई 1982 की अशोधित परियोजना रिपोर्ट के अनुसार, उड़ीसा में जलमग्न होने वाला क्षेत्र 1266 एकड़ है ।

(घ) और (ङ) बराजों के निर्माण के पश्चात कभी कभी प्रतिप्रवाह में नदी का अवतलन हो जाता है, जिससे जलमग्नता बढ़ सकती है । तथापि, मौजूदा मामले में ऐसा हो सकता है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि बराज का निर्माण नहीं हुआ है ।

प्रस्तावित बराज के कारण संभावित जलमग्न क्षेत्र के सम्बन्ध में उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश सरकारें विचार-विमर्श कर रही हैं ।

उड़ीसा में गैर-वन प्रयोजनों के लिए परिवर्तित क्षेत्र

10161. श्री गिरिधर गोमांगो : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 से पूर्व और उपर्युक्त अधिनियम के अन्तर्गत अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् कुल कितना क्षेत्र गैर-वन प्रयोजनों के लिए परिवर्तित किया गया है ;

(1) सिंचाई परियोजनाएं ;

(2) उद्योग ;

(3) संस्थाएं ;

(4) पारेषण लाइन ;

(5) संचार ;

(6) सड़क ;

(7) रेल लाइनें आदि ; और

(ख) क्या इन विकास योजनाओं के लिए कुल वन भूमि क्षेत्र झूम क्षेती के लिए, लिए गए क्षेत्र से कम नहीं है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के लागू किये जाने से पूर्व उड़ीसा में कुल 1,33,600 हैक्टार वन भूमि गैर-वन उपयोग के लिए परिवर्तित की गई थी । वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के लागू करने के बाद,विभिन्न प्रयोजनों के लिए निर्मुक्त किये गये वन क्षेत्रों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :-

	(क्षेत्र हैक्टार में)
1) सिंचाई परियोजनाएं	514.348
2) उद्योग	294. 29
3) प्रसारण लाइन	165.06
4) संचार	3.58
5) सड़कें	43.62
6) रेल को लाइनें	शून्य
7) अन्य (पुनर्वास/संस्थान/रक्षा आदि)	310.04
योग:	1330.938

(ख) जी नहीं ।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के भेड़ अनुसंधान केन्द्रों में विदेशी भेड़ें

10162. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के भेड़ अनुसंधान केन्द्रों में विदेशी भेड़ें हैं यदि हां, तो वर्ष वार, केन्द्र वार प्रत्येक विदेशी नस्ल की लिंग वार, आयु वार, कितनी भेड़ें सप्लाई की जाती हैं और उनके अनुरूप वर्ष वार कितनी भेड़ें मर जाती हैं और उनके मरने का क्या कारण है ;

(ख) क्या जिन राज्यों के भेड़ अनुसंधान केन्द्र हैं तो क्या उन्होंने अपने विकास कार्यक्रमों में उसी विदेशी नस्लों का उपयोग किया है और यदि नहीं, तो उनको शामिल न करने के क्या कारण है और सरकार राज्य अथवा क्षेत्र वार विकास आवश्यकताओं सहित अनुसंधान दृष्टिकोणों की सम्बद्धता को किस तरह सुनिश्चित करेगी ;

(ग) क्या सरकार का विचार अपने अनुसंधान प्रयास, सम्बद्धता और निष्कर्ष की जाँच के लिए उच्चाधिकारी समिति का गठन करने का है ; और

(घ) योजना अवधियों के दौरान क्या सुधारात्मक कदम उठाये गये हैं और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा उसे बाद में संलग्न कर दिया जायेगा ।

(ख) जी हां, श्रीमान ।

(ग) जी नहीं, श्रीमान ।

(घ) समय समय पर आयोजित कार्यशालाओं द्वारा अखिल भारतीय समन्वित भेड़ अनुसंधान प्रायोजना को मोनीटर किया गया है तथा परिषद द्वारा गठित मध्यावधि मूल्यांकन समिति ने सामान्य तौर पर प्रायोजना के कार्य को संतोषजनक बताया है । तथापि, कुछ एककों में कुछ क्षेत्रों में इस प्रायोजना के आगे सुधार के लिए सुझाव/सिफारिशें की गयीं है जिन पर संबंधित एककों द्वारा कार्यान्वयन के लिए विचार किया गया है ।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में डेरी कर्मचारी

10163. श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद डेरी सम्बन्धी कार्य तथा उसके प्रबन्ध पर सहायता देती है और अनुसंधान करती है तथा इसे एक पृथक विषय मानती है, यदि हां, तो इस कार्य के लिये कितने पद हैं और उनके वेतनमान क्या हैं ;

(ख) वर्ष 1970 और 1984 के बीच डेरी में कितनी अनुसंधान परियोजनाएं/योजनाएं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने मंजूर की, उनके नाम, स्थान, मंजूर शुदा धनराशि और अवधि का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक क्षेत्र की क्रियान्विति निष्कर्ष से प्राप्त मुख्य उपलब्धियां क्या हैं ;

(ग) डेरी अनुसंधान के मामले में आई० सी० ए० आर० को सलाह देने के लिये तकनीकी सलाहकार समिति की सदस्यता का ब्यौरा क्या है और यह आप्रेशन फ्लड कार्यक्रम के अनुसंधान आवश्यकताओं में किस प्रकार समन्वय करती है और उनमें अनुसंधान निष्कर्षों के प्रयोग को सुनिश्चित करती है ; और

(घ) क्या सरकार डेरी में अनुसंधान और विकास गतिविधियों के बीच वर्तमान सम्पर्क व्यवस्था से संतुष्ट है और यदि नहीं, तो क्या आपरेशन फ्लड कार्यक्रम के लिये बनाई गई मूल्यांकन समिति को इस पर विचार करने के आदेश देने और रिपोर्ट पेश करने का प्रस्ताव है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान । भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद डेरी उद्योग को सहायता देती है/अनुसंधान करती है तथा उसका प्रबन्ध करती है । यद्यपि इसकी शाखाओं का कठोर विभक्तिकरण नहीं है फिर भी कार्य के अनुश्रवण को सहल बनाने के लिए रु० 1800-100-2000-2125/2-2250 के वेतनमान में एक सहायक महानिदेशक (डेरी उद्योग तथा पशु उत्पादन प्रौद्योगिकी) के पद का प्रावधान किया गया है और वह कार्यरत है ।

(ख) वर्ष 1970 तथा 1984 के बीच डेरी के क्षेत्र में अनुसंधान परियोजनाएं/योजनाएं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने मंजूर की, उनके नाम, स्थान, मंजूर शुदा धनराशि और प्रमुख उपलब्धियों सहित अवधि अनुबंध-I में दी गई है । [ग्रंथालय में रखा गया/देखिये संख्या एल० टी० 8369/84]

(ग) तदर्थ योजनाओं के अन्तर्गत अनुसंधान के कार्यक्रमों, अखिल भारतीय समन्वित गौपशु अनुसंधान प्रायोजनाओं, भैंस, खुरपका तथा मुंहपका रोग की महामारी तथा आर्थिक पशुधन राशन को विकसित करने के लिए कृषि पुर्नउत्पाद के उपयोग के माध्यम से देश में डेरी, डेरी उत्पादन, डेरी प्रौद्योगिकी तथा डेरी स्वास्थ्य के विभिन्न पहलुओं पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सलाह देने के सम्बन्ध में अनुसंधान बैंक आपके लिए पांच वैज्ञानिक पैनल है । राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान दूध उत्पादन तथा प्रक्रियाओं के क्षेत्र में अनुसंधान चला रहा है तथा दूध उत्पादन के विभिन्न कार्यक्रमों की सहायता के लिए क्षेत्र में आवश्यक जनशक्ति देने के लिए तकनीकी तथा वैज्ञानिक प्रशिक्षण देता है । विभिन्न स्तरों पर किये गये अनुसंधान तथा दिये गये प्रशिक्षण की प्राप्त सूचना से पशु स्वास्थ्य, दुग्ध उत्पादन तथा प्रोसेसिंग से संबंधित समस्याओं को सुलझाने में एन० डी० डी० बी० को मदद मिलती है । पैनलों के सदस्यों की सूची अनुबंध-II से VI तक संलग्न है [ग्रंथालय में रखे गये/देखिये संख्या एल० टी० 8369/84]

(ग) जी हां, सरकार डेरी उद्योग में अनुसंधान तथा विकास गतिविधियों के बीच सम्बन्धों वर्तमान प्रबन्ध से सामान्य रूप से सन्तुष्ट है ।

फुट एण्ड माउथ डिसीज इन्स्टीट्यूट बंगलौर द्वारा वैक्सीन का उत्पादन

10164. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या कृषि मंत्री फुट एण्ड माउथ डिसीज इन्स्टीट्यूट बंगलौर द्वारा वेक्सीन के निर्माण के बारे में 9 अप्रैल, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7055 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 80 लाख खुराक की वार्षिक क्षमता का वैक्सीन संयंत्र लगाते समय सरकार ने काफी कम क्षमता पर इसे चलाने की योजना बनाई थी और यदि हां, तो किन बातों को ध्यान में रखकर इतनी क्षमता के संयंत्र का चयन किया गया और 1982 के दौरान पहले से भी कम मात्रा में वैक्सीन का उत्पादन करने के क्या कारण हैं तथा उत्पादित वैक्सीन की खुराक बेची गई खुराक और उसके मूल्य के वर्षवार आंकड़े क्या हैं ;

(ख) संयंत्र और प्रयोगशाला निर्माण की क्या लागत है ;

(ग) इसके चालू होने से पहले वर्ष से 21 अप्रैल, 1984 तक वर्ष वार कार्यचालन वार्षिक लागत कितनी थी और कौन से अन्य यूनिट इस समय फुट माउथ रोग की वैक्सीन बना रहे हैं और 1982-8 : और 1983-84 में प्रत्येक यूनिट में कितनी वैक्सीन बनाई गई ; और

(घ) 1983 में विश्लेषण के लिए माह-वार कितने वाइरल नमूने प्राप्त हुए और कितनों की विश्लेषण और रिपोर्ट दी गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) प्लांट डेनिश अन्तर्राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण (डानिडा) द्वारा फरवरी, 1970 में सम्पन्न भारत-डेनिश करार के अन्तर्गत नि:शुल्क दिया गया था । टीकों का उत्पादन विद्यमान भण्डार और सम्भावित बाजार मांग को ध्यान में रखते हुए समायोजित किया जाता है । क्योंकि टीकों को सीमित समय तक ही रखा जा सकता है टीकों के उत्पादन और विक्रय की वर्ष-वार सूचना एकत्र की जा रही है और उसे लोकसभा के पटल पर रख दिया जाएगा ।

(ख) प्लांट का मूल्य 90 लाख डेनिश क्रोनर था जिसे कि नि:शुल्क भेंट किया गया । इसके अलावा बाद में लगभग 14 लाख डेनिश क्रोनर अनुपूरक सहायता के रूप में दिए गए । प्रयोगशाला निर्माण की लागत लगभग एक करोड़, छह लाख रुपये थी ।

(ग) वार्षिक परिचालन लागत का पता लगाना कठिन है क्योंकि जो वैज्ञानिक टीका उत्पादन में लगे हैं वे अपना काफी समय अन्य अनुसंधान कार्यों को भी देते हैं जिसमें संस्थान के बंगलौर परिसर में एफ० एम० डी० टीके का अनुसंधान और विकास भी शामिल है । अन्य इकाईयां खुरपका और मुंहपका रोग के टीकों का उत्पादन कर रही है जिसके वर्षवार उत्पादन का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया जा रहा है ।

(घ) सूचना संलग्न विवरण-II में दी गई है ।

विवरण-I

एफ० एम० डी० टीका उत्पादन इकाइयां और उत्पादित टीकों की संख्या

इकाई का नाम		उत्पादित संख्या *	
		1982-83	1983-84
(i)	भारतीय एग्रो-इंडस्ट्रीज फाऊंडेशन, पुणे	15.00	12.50
(ii)	दि इंडियन इम्यूनोलाजीकल्स, (एन० डी० डी० बी०), हैदराबाद	शून्य	36.00
(iii)	हैक्स्ट फार्मास्यूटिकल्स, बम्बई	अज्ञात	अज्ञात

* बहुसंयोजक खुराक लाखों में ।

विवरण-II

वर्ष 1984 में एफ० एम० डी० पर अ० भा० स० अ० प० के अन्तर्गत प्राप्त एफ० एम० डी० वायरल नमूने

माह	नमूने			
	बी० एफ०	प्राप्त/एकत्र	संसाधित*	संसाधन के** अन्तर्गत
जनवरी	17	137	89	65
फरवरी	65	175	129	111
मार्च	111	183	243	51
अप्रैल	51	121	123	49
मई	49	120	108	61
जून	61	89	77	73

1	3	4	5	7
जुलाई	73	57	81	49
अगस्त	49	102	108	43
सितम्बर	43	85	99	29
अक्तूबर	29	91	87	33
नवम्बर	33	60	60	33
दिसम्बर	33	133	144	22
वर्ष 1983	17	1353	1348	22

* संसाधित नमूनों के परिणाम तत्काल वापस रिपोर्ट किए गए, प्रायः तार से ।

** जब नमूने महीने के अन्त में प्राप्त हुए तो भी उनका परीक्षण किया गया । परिणाम के लिए उन्हें अगले महीने में ले जाया गया । जब नमूना सामग्री अपर्याप्त होती तब भी छोटी चुहियाओं/ऊतक संबद्धों के माध्यम से भेजा गया-जिसमें पुनः कुछ समय लगा ।

गुजरात में ग्रामीण सड़कों का निर्माण

10165. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गुजरात राज्य में ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए वर्ष 1984-85 में कितनी राशि की व्यवस्था की गई है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : वर्ष 1984-85 की वार्षिक योजना में गुजरात राज्य के लिए 19.19 करोड़ रुपये का योजना परिव्यय (जिसमें न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण सड़कों के लिए 5.00 करोड़ रुपये शामिल हैं) अनुमोदित किया गया है ।

राज्यों को खाद्य तेलों की सप्लाई

10166. **श्री एन० ई० होरो** :

श्री लक्ष्मण मलिक : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम, राज्यों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण के लिए खाद्य तेलों की सप्लाई करने में असफल रहा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि केन्द्र द्वारा राज्य सरकारों को किये गये आवंटन भी बकाया चल रहा है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और खाद्य तेलों की सप्लाई न किए जाने से उसका सार्वजनिक वितरण प्रणाली और मूल्य स्थिति को स्थिर रखने में क्या प्रभाव हुआ है ; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ) तेल वर्ष 1983-84 के प्रथम छः महीनों (नवम्बर 1983-अप्रैल, 1984) के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए आबंटित 4.40 लाख मीटरी टन मात्रा की तुलना में राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को 3.07 लाख मीटरी टन आयातित खाद्य तेल दिया जा चुका है । सार्वजनिक वितरण के ज़रिये आयातित खाद्य तेलों की बिक्री करने से खाद्य तेलों के मूल्यों में वृद्धि का रुख नियंत्रित रहता है । आबंटन और वास्तविक वितरण की मात्रा के बीच अन्तर को कम करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं । राज्यों द्वारा आयातित तेल की मात्रा उठाने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि खाद्य तेलों के संचलन में कोई बाधा न आये, नागरिक पूर्ति विभाग में एक परिवीक्षा सेल खोला गया है । राज्य व्यापार निगम को कहा गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि राज्यों को आबंटित मात्रा की शीघ्र तथा नियमित सप्लाई हो ।

टाईप "बी" क्वाटरों के आबंटियों को अतिरिक्त सुविधाएं

10167. **श्री एन. ई. होरो** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को क्वार्टरों के आवंटन की पात्रता के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रक्रिया अपनाई गई है ;

(ख) टाइप तीन और टाइप चार श्रेणियों में किस वरीयता तारीख तक आवंटन किए गए हैं ;

(ग) दिल्ली में टाइप 'तीन' और टाइप 'चार' के कितने क्वार्टर हैं और इन श्रेणियों के कितने क्वार्टर निर्माणाधीन हैं ;

(घ) क्या सरकार टाइप दो के उन आवंटियों को, जो टाइप तीन के क्वार्टरों के पास हैं, कुछ अतिरिक्त सुविधाएं दे रही हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) किसी टाइप विशेष के वास के आवंटन के लिए पात्रता का निर्धारण अधिकारी की श्रेणी या विशिष्ट तारीख को उसकी मासिक परिलब्धियों द्वारा किया जाता है। पात्र टाइप में आवास का आवंटन उस टाइप के आवास के लिए सर्वप्रथम अग्रता तिथि वाले आवेदक को किया जाता है।

(ख) तथा (ग) सामान्यपूल में क्वार्टरों को टाइप-ए से टाइप-ई तक वर्गीकृत किया गया है। आवश्यक ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

आवास का टाइप	30.4.84 तक जिस अग्रता तिथि तक आवंटन कर दिया गया है	सामान्यपूल में उपलब्ध क्वार्टरों की संख्या	निर्माणाधीन क्वार्टरों की संख्या
टाइप-सी	1.7.63	16,413	3784
टाईप-डी	13.10.60	5,370	—

(घ) जी नहीं।

(ङ) सामान्यपूल वास के विभिन्न टाइप के क्वार्टरों में सुविधाएं टाइप के अनुसार दी जाती है।

पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए अनुसंधान हेतु एक विशेष कक्ष की स्थापना

10168. **प्रो. नारायण चन्द पराशर** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण प्रोद्योगिकी विकास सम्बन्धी परिषद ने देश में हिमालय के क्षेत्र में फैले पहाड़ी क्षेत्रों की विशेष आवश्यकताओं की ओर ध्यान दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या पहाड़ी क्षेत्रों की आवश्यकताओं के बारे में अनुसंधान करने के लिए एक विशेष कक्ष की स्थापना की गई है ताकि 20 सूत्री कार्यक्रम की विभिन्न मदों में ग्रामीण विकास के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकी का पहाड़ी क्षेत्रों में क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी स्वरूप और ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) से (घ) ग्रामीण प्रोद्योगिकी विकास परिषद में, हाल ही में, नियमित महानिदेशक के कार्य-भार ग्रहण करने पर अभी कार्य शुरू हुआ है । परिषद अपने कार्यक्रमों, नीतियों और प्राथमिकताओं की रूप रेखा तैयार कर रही है ।

सम्पत्तियों का अंतरण

10169. श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित प्लाटों पर बनाए गए मकानों और 1979/1980 में आवंटित दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बने बनाए फ्लैटों के अंतरण की अनुमति की योजना का कोई प्रत्युत्तर नहीं प्राप्त हुआ है और अभी भी दिल्ली में बिक्री अप्रतिसंहारणीय मुख्तारनाम, अप्रतिसंहारणीय वसीयत और डिग्री के समझौतों के पंजीकरण के आधार पर ऐसी सम्पत्तियों का बड़े पैमाने पर अंतरण हो रहा है ; और

(ख) क्या सरकार ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की योजनाओं का ऐसे अंतरणों के सम्बन्ध में अध्ययन किया है और दिल्ली विकास प्राधिकरण की योजनाओं को लोगों को अंतरण के चोरी छिपे कार्यों से हतोत्साहित करने के लिए और उदार बनाने का है ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि जहां तक फ्लैटों का सम्बन्ध है, मध्यम आय वर्ग तथा निम्न आय वर्ग फ्लैटों के लिए केवल 25 अनुरोध विक्रय स्वीकृति हेतु प्राप्त हुए हैं । जहां तक प्लाटों का सम्बन्ध है, वर्ष, 1979-1980 में ऐसी कोई योजना नहीं चलाई गई थी । बने बनाए प्लाटों का अन्तरण दिल्ली में बड़े पैमाने पर भूमि के अर्जन, विकास तथा विक्रय योजना 1961 के अनुसार पट्टाकर्ता के अनुमोदन से अनुमेय था । सरकार को दिल्ली में पंजीकरण करारों/मुख्तारनामो आदि के आधार पर बड़े पैमाने पर सम्पत्तियों के अन्तरण का समुचित ज्ञान नहीं है ।

(ख) दिल्ली में भू-धृति की पट्टाधिकार पद्धति की समाप्ति का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की बजट योजना

10170. श्री के० ए० राजन : क्या कृषि मंत्री भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की बजट योजना के बारे में 9 अप्रैल, 1984 के अतारांकित प्रश्न सं० 7113 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वर्ष 1983-84 के लिए संस्थान वार (पूर्वोत्तर पहाड़ी क्षेत्रों और इंडियन इंस्टीटयूट आफ होर्टीकल्चरल रिसर्च, बंगलौर को छोड़कर) इतना अधिक खर्चीली योजना बजट मंजूर किया जाना उचित मानती है जबकि फरवरी, 1984 के अन्त तक तदनुरूपी योजना व्यय की तुलना में वास्तविक खर्च केवल 25 से 46 प्रतिशत तक हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो गैर समवर्ती मद के अन्तर्गत वर्ष 1980-81 से 1983-84 तक संस्थान-वार, वर्ष-वार कितनी धनराशि मंजूर की गई थी और फरवरी 1984 के अन्त तक तदनुरूपी कितनी धनराशि का उपयोग किया गया था और गैर समवर्ती मदों के लिए मंजूर सुदा धनराशि में से 1983-84 तक कितनी धनराशि अप्रयुक्त रह गई थी और क्या सरकार इस प्रकार अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की योजनाओं की धनराशि को रोक कर मार्च, 1984 में इसके उपयोग को औचित्य पूर्ण मानती है ; और

(ग) छठी योजना की गतिविधियों में अब तक पूंजीगत मदों की व्यवस्था किए बिना इन संस्थाओं के संचालन को सरकार किस प्रकार न्यायोचित ठहराएगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) पहले पांच महीनों के वास्तविक व्यय और वर्ष की शेष अवधि के दौरान प्रत्याशित व्ययों को भी ध्यान में रखते हुए हर वर्ष अक्तूबर/नवम्बर के दौरान संस्थानों/प्रायोजनाओं के सिलसिले में बजट आकलनों की समीक्षा की जाती है। उसके बाद भी हर महीने परिषद में इसके उपयोग का अनुश्रवण किया जाता है। यदि ऐसी समीक्षाओं के दौरान किसी संस्थान में बचत का पता लग जाता है या प्रत्याशा की जाती है तो उन्हें महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जो निधियों की आवश्यकताओं के अनुसार एक संस्थान से दूसरे संस्थान में पुनर्विनियोग करने में सक्षम है, उनके अनुमोदन पर दूसरे ऐसे संस्थानों में लगाया जाता है जो अपनी वास्तविक आवश्यकताओं पर निर्भर है बशर्ते, पूर्ण रूप से स्वीकृत बजट आंकलन अधिक न बढे हों। अन्तिम विनियोग वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले किए जाते हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) निर्माण-कार्य और सामान पूंजीगत मदों में ही शामिल है। इन मदों के सिलसिले में छठी योजना के दौरान स्वीकृति पहले ही जारी की गई हैं। छठी योजना में किये गये प्रावधान के अनुसार संस्थान भवन निर्माण और सामान की खरीद का कार्य कर रहे हैं।

गुन्टूर के निकट भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की पशु प्रजनन अनुसंधान परियोजना

10171. **श्री के० ए० राजन** : क्या कृषि मंत्री 26 मार्च, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4662 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 1 अप्रैल, 1980 से 1 अप्रैल, 1983 तक बछियाओं और जवान बछियाओं की संख्या संकर नस्ल के मादा पशुओं के झुण्ड से आधी थी तथा अन्य आधी संख्या गायों की थी, लेकिन दिनांक 1 दिसम्बर, 1983 को गायों की संख्या संकर नस्ल के मादा पशुओं के झुण्ड की 70 प्रतिशत थी, यदि हां, तो दिनांक 1 अप्रैल, 1980 से 1 अप्रैल, 1983 तक तथा दिनांक 1 दिसम्बर, 1983 को दुधारू गायों, दूध न देने वाली गायों तथा सम्भावित दुधारू गायों की वर्ष-वार पृथक-पृथक संख्या क्या है और सम्भावित दुधारू गायों की संख्या कम होने के क्या कारण हैं तथा इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं ;

(ख) क्या दिनांक 1 अप्रैल, 1980 की तुलना में दिनांक 1 अप्रैल, 1983 को दूध न देने वाली गायों की प्रतिशतता दुगुनी थी, यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) वर्ष 1979-80 से 1983-84 तक वर्ष-वार प्रजातिवार, वर्गवार, गायों की संख्या क्या थी और दूध का कुल वार्षिक उत्पादन क्या-क्या था ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान् । 1.4.1980, 1.4.1983 और 1.12.1983 को गायों की संख्या, मादा बछियों तथा ओसरों की संख्या निम्नलिखित है :

	गायें	ओसर तथा मादा बछिये	कुल
1.4.1980	343	293	636
1.4.1983	327	374	701
1.12.1983	477	199	676

चूंकि अधिक उम्र की संकर नस्लों को छांटा गया और उनमें बाद में मादाओं (ओसर और मादा बछिये) को बाड़े में नहीं मिलाया गया था जबकि 1.4.1983 को उपलब्ध ऐसे युवा स्टाक में से बहुत सी ब्यांत हो गई तथा गायें बन गई। इस प्रकार गायों की संख्या बिना तदनुरूप बढ़ गई और उनके बाद वाली मादाओं में भी वृद्धि हो रही है।

(ख) जी हां, श्रीमान् । दूध देने वाली गायों की प्रतिशतता में अन्तर समूह की आयुसंचरन के ऊपर निर्भर है जो छांटने और प्रजनित क्षमता से प्रभावित होगी। आगे, हरे चारे की उपलब्धता वातावरण सम्बन्धी अभाव का पुनरूत्पादन क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

(ग) वर्ष के 31 मार्च को अनुवंशिकी ग्रुप-वार दूध देने वाली गायें और आनुवंशिकी ग्रुप-वार उत्पादित दूध का ब्यौरा क्रमश: संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है ।

विवरण-1

अखिल भारतीय समन्वित गोपशु अनुसंधान प्रायोजना
सारिणी-I वर्ष के 31 मार्च को दूध देने वाली गायों की संख्या
यूनिट : ए० पी० ए० यू०, लाम

अनुवंशिकी ग्रुप	1979	1980	1981	1982	1983	1984
स्थानीय	8	—	—	—	—	उ
1/2एफ 1/20	81	128	92	101	84	प
1/2बी 1/20	47	65	39	43	2	ल
1/2जे 1/20	14	51	41	40	20	ब
1/2एफ 1/4बी 1/40	—	1	6	16	19	घ
1/2एफ 1/4जे 1/40	—	—	8	17	12	न
1/2बी 1/4एफ 1/40	—	1	5	9	16	हीं
1/2जे 1/4एफ 1/40	—	2	7	22	22	
कुल	150	248	198	248	175	

विवरण-II

अखिल भारतीय समन्वित गोपशु अनुसंधान प्रायोजना
सारणी-2 दुग्ध उत्पादन (कि० ग्रा०)
यूनिट, ए० पी० ए० यू०, लाभ

आनुवंशिकी ग्रुप	1979-80	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84
स्थानीय	11353.5	925.8	—	—	उ
1/2एफ 1/20	363487.0	310061.3	220155.5	233647.0	प
1/2बी 1/20	183004.0	134356.5	88244.5	29991.0	ल
1/2जे 1/20	101999.5	111173.5	73310.5	106175.5	ब
1/2एफ 1/4बी 1/40	3505.0	9676.0	129977.0	34690.0	ध
1/2एफ 1/4जे 1/40	—	8959.0	11377.0	25742.5	न
1/2बी 1/4एफ 1/40	4085.0	10711.2	10977.5	20468.0	ह्री
1/2जे 1/4एफ 1/40	2982 5	10326.2	20732.0	45151.0	
कुल	670416.5	596189.5	441794.0	495865.0	

बिहार में छोटे किसानों को देय राजसहायता की बकाया धनराशि

10172. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में ऐसे कुल कितने छोटे और सीमांत किसान हैं जिनको गत चार वर्षों में प्रत्येक वर्ष के लिए राज सहायता की धनराशि दी जानी बकाया है और कितनी धनराशि बकाया है ;

(ख) क्या यह सच है कि इस बकाया धनराशि का भुगतान न होने के कारण कृषि उपकरण खरीदने के लिए किसानों को दिए गए ऋणों पर बैंक ब्याज दिन प्रति दिन बढ़ता जा रहा है और किसानों में भारी असंतोष व्याप्त है ; और

(ग) यदि हां, तो राजसहायता की इस बकाया धनराशि की अदायगी के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) बिहार सरकार को 1980-81 से 1983-84 तक निम्नलिखित केन्द्रीय सहायता दी गई थी :—

(लाख रुपए)

		80-81	81-82	82-83	83-84
(1)	समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	551.59	1249.06	1921.00	1842.00
(2)	कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए छोटे तथा सीमान्त किसानों की सहायता के लिए विशेष योजना	—	—	—	910.06
(3)	सिंचाई साधनों के उपयोग को बढ़ावा देने की योजना	—	—	5.75	—
(4)	प्रयोगशाला से खेत कार्यक्रम	—	2.45	10.62	8.02

कितने मामलों में राज सहायता की रकम बकाया पड़ी है, इनसे संबंधित जानकारी उपलब्ध नहीं है। तथापि आशा है कि राज्य स्तर की समन्वयन समिति तथा जिले स्तर की परामर्शदात्री समितियां आवश्यकता पड़ने पर समय-समय पर ऋण प्रवाह तथा राज सहायता के उपयोग की समीक्षा तथा प्रबोधन करेंगी।

विश्व खाद्य सुरक्षा

10173. श्री के० प्रधानी : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य और कृषि संगठन (एफ० ए० ओ०) के महानिदेशक का विकसित देशों में विश्व खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु खाद्य भंडारों के अनंतिम प्रणाली बनाने तथा विकासशील देशों को उनकी स्वयं की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों के साथ उनकी सहायता करने हेतु खाद्य तथा कृषि संगठन की खाद्य सुरक्षा कार्यवाही कार्यक्रम के लिए विश्व खाद्य सुरक्षा संधि का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बीच प्रस्ताव पाठ प्राप्त किया है और इसका निरीक्षण किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में भारत की क्या प्रतिक्रिया है और भारत द्वारा इस कार्यक्रम में क्या सहयोग देने की सम्भावना है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) यद्यपि इस योजना पर विचार विमर्श किया गया था, लेकिन इस संबंध में खाद्य और कृषि संगठन में अभी विवरण तैयार किए जाने हैं ।

रबी के मौसम में मक्का की अधिक उपज क्षमता

10174. **श्री के० प्रधानी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में किए गए अनुसंधानों से पश्चिम बंगाल जैसे कुछ पूर्वी राज्यों में रबी के मौसम में मक्का की अधिक उपज क्षमता का पता चला है ;

(ख) क्या इस बात का भी पता चला है कि रबी मौसम के दौरान मक्का का उत्पादन खरीफ की तुलना में अधिक स्थाई है ;

(ग) क्या उनके मंत्रालय द्वारा उड़ीसा में भी कोई मक्का विकास और उसमें सुधार की कोई परियोजना शुरू की गई है और रबी मक्का की खेती शुरु की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो उस राज्य में कितने क्षेत्र में खेती की गई है और मक्का उत्पादन में क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां श्रीमान् । विधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, कल्याणी में अखिल भारतीय समन्वित मक्का सुधार प्रायोजना के अन्तर्गत किये गये हाल ही के अनुसंधानों ने यह दर्शाया है कि रबी मौसम के दौरान मक्का के दाने की उपज 40 से 60 क्विंटल प्रति हैक्टर प्राप्त की जा सकती है ।

(ख) जी हां, श्रीमान् । अध्ययनों ने यह दर्शाया है कि रबी मौसम के दौरान मक्का का उत्पादन खरीफ की तुलना में अधिक स्थाई है मुख्यतः क्योंकि कीट व्याधि तथा अन्य निरोधक नगण्य हैं ।

(ग) उड़ीसा में कृषि मंत्रालय द्वारा रबी मक्का की खेती के लिए कोई विशेष कार्यक्रम शुरू नहीं किया गया । तथापि राज्य में सीमित ढ़ंग से मक्का की खेती शुरू की गई है ।

(घ) उड़ीसा राज्य में रबी मक्का के लिए क्षेत्र, उत्पादन तथा उत्पादकता के सम्बन्ध में निम्नलिखित क्षेत्र, उत्पादन और उपज/हैक्टर की प्रवृत्ति दर्शायी गई है :—

	1978-79	1979-80	1980-81	1981-82	1982-83
क्षेत्र (हजार हैक्टर)	4.8	5.3	6.5	7.4	6.3
उत्पादन (हजार टन)	6.4	6.9	7.7	11.4	9.6
उपज (कि० ग्रा०/हैक्टर)	1333	1302	1185	1541	1524

अण्डों की खपत

10175. **श्री के० प्रधानी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में अंडों की खपत बहुत ही कम अर्थात 23 अंडे प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति हैं जबकि इसकी तुलना में विकसित देशों में अंडों की प्रति व्यक्ति वार्षिक खपत औसतन लगभग 400-अंडे है ;

(ख) यदि हां, तो भारत में अंडों के कम उत्पादन के क्या कारण हैं ; और

(ग) अंडों के उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग) एक तरफ लोगों की क्रय शक्ति एवं खाने-पीने की आदत तथा दूसरी तरफ कुक्कुट फार्मों की लाभप्रदता मांग तथा आपूर्ति की स्थिति को प्रभावित करती है और उससे अंडों का उत्पादन प्रभावित होता है। अंडों का उत्पादन बढ़ाने के लिए अनेक कुक्कुट विकास कार्यक्रम शुरू किए गए हैं तथा सातवीं योजना के लिए और अधिक कार्यक्रम विचाराधीन है ।

फल उत्पाद आदेश, 1955 में संशोधन करना

10176. **श्री के० प्रधानी** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उसके मंत्रालय का सभी मृदु पेयों (फलों पर आधारित पेयों को छोड़कर) को फल उत्पाद आदेश (एफ०पी०ओ०) 1955 की परिधि से बाहर लाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव की विस्तृत रूपरेखा क्या है ; और

(ग) किन परिस्थितियों के अन्तर्गत इस प्रकार का निर्णय लिया जा रहा है और क्या इसके परिणामस्वरूप किसी प्रकार मृदु पेय सस्ती दरों पर उपलब्ध हो सकेंगे को और कुछ नकली ब्रांडों के बढ़ने को रोका जाएगा जोकि फलों के जूस का प्रयोग करने का दावा कर रहे हैं जबकि वास्तव में वह रसायनों का उपयोग कर रहे हैं ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) से (ग) केन्द्रीय फल उत्पाद सलाहकार समिति की सिफारिश के आधार पर मीठे वातित जल सहित संश्लिष्ट उत्पादों जिनमें फल-रस/गूदे की विहित प्रतिशतता नहीं होती है, को फल उत्पाद आदेश, 1955 की परिधि से हटाने विषयक एक प्रस्ताव विचाराधीन है । यदि इनको हटा लिया जाता है तो उस दशा में उत्पादों के मूल्यों पर कोई प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है और जो नकली पेय फल रस होने का गलत दावा करते हैं वे निरन्तर खाद्य अपमिश्रण अधिनियम, 1954 के अधीन उत्तरदायी होंगे ।

राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम में वेतन और भत्ते

10177. श्री नवीन रावणी : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम ने अपने नियमित कर्मचारियों के लिए केन्द्रीय सरकार के वेतनमान और मंहगाई भत्ते की योजना अपनाई है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत अन्तरित सहायता राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम के कर्मचारियों को अभ्यावेदन के बावजूद स्वीकृत नहीं की गई है ;

(ग) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम ने अभी तक उपयुक्त वेतन मान सहित औद्योगिक मंहगाई भत्ते लागू नहीं किये हैं ;

(घ) क्या यह भी सच है कि राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम स्थानीय और बाहर के यूनियनों के साथ बातचीत किये बिना खुद अपने वेतनमान तैयार करने की कोशिश कर रहा है ; और

(ङ) क्या सरकार का विचार औद्योगिक शांति बनाये रखने के लिए राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम में नए वेतन मान अपनाए जाने और रर्मकृत किये जाने तक केन्द्रीय सरकारी दरों पर अंतरिम सहायता और मंहगाई भत्ते मंजूर करने के लिए राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम को निदेश देने का है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) से (ग) जी, हां ।

(घ) और (ङ) जी, नहीं ।

राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम में गृह निर्माण अग्रिम प्रदान करने की योजना

10178. श्री नवीन रावणी : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेजी से विकसित हो रहे उपक्रम राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम में गृह निर्माण अग्रिम प्रदान करने की कोई योजना नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो 20 सूत्री कार्यक्रम के बावजूद इस योजना को शुरू न करने के क्या कारण हैं, जबकि राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम की तुलना में राष्ट्रीय कपड़ा निगम जैसी नई कम्पनियों ने जो घाटे में चल रही है, इस योजना को अपना लिया है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार ने भी हाल में गृह निर्माण अग्रिम प्रदान करने सम्बन्धी नियमों को उदार बनाया है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार कर्मचारियों के लाभ के लिए अन्य सरकारी उपक्रमों की भांति राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम से इस योजना को शुरू करने के लिए अनुरोध करने का है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) जी हां ।

(ख) निगम की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है । फिलहाल यह अपने कर्मचारियों को भवन निर्माण अग्रिम मुहैया करने की स्थिति में नहीं है ।

(ग) जी हां ।

(घ) जी नहीं ।

किसानों के लिए कृषि में व्यावसायिक शिक्षण

10179. **श्री जी०वाई० कृष्णन्** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में किसानों के लिए कृषि क्षेत्र में व्यवसायिक प्रशिक्षण देने की मांग की गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस समय विभिन्न राज्यों में कार्य कर रहे कृषि-विज्ञान केन्द्रों के संबंध में ब्यौरा क्या है ; और

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों में कितने कृषि विज्ञान केन्द्र खोलने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) विभिन्न राज्यों में कार्य कर रहे कृषि विज्ञान केन्द्रों के बारे में ब्यौरा अनुबन्ध-क में देखा जा सकता है । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी० 8370/84]** ।

(ग) वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान, 20 कृषि केन्द्र स्थापित किये जाने हैं । विभिन्न राज्यों में कृषि विज्ञान केन्द्र के लिए स्थान के सम्बन्ध में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के निरीक्षण दलों द्वारा अन्तिम रूप दिया जाता है जोकि विशेषकर इस उद्देश्य के लिए गठित किये जाते हैं ।

भारतीय खाद्य निगम/पटना में चौकीदारों के लिए साक्षात्कार

10180. **श्री आर० एंतर्व राकेश** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम के क्षेत्रीय कार्यालय, पटना में 76 चौकीदारों (31 अनुसूचित जाति के और 45 अनुसूचित जनजाति के) की भर्ती के लिए 1983 में साक्षात्कार किया गया था और एक पेनल बनाया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो उस पेनल के अनुसार अभी तक नियुक्ति न किये जाने के क्या कारण है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा. एम. एस. संजीवी राव) : (क) जी हां । 76 चौकीदारों का एक पेनल बनाया गया था ।

(ख) इस पेनल को चलाया नहीं जा सका था क्योंकि बाद में पद समाप्त कर दिये गए थे ।

नकदी फसल वाला क्षेत्र

10181. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में राज्य-वार कुल कितनी क्षेत्र में कपास, तम्बाकू, गन्ना, तिलहन, कागज, रबड़, नारियल, मूंगफली आदि के लिए पौधों जैसी नकदी फसलें होती हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : कागज के लिए पौधों को छोड़कर मुख्य नकदी फसलों के अन्तर्गत राज्य-वार क्षेत्र को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है । कागज के लिए पौधों के बारे में 21 लाख हैक्टार अनुमानित क्षेत्र में बांस के वन हैं और 397 लाख हैक्टार क्षेत्र में पतझड़ी चौड़े पत्तों वाले वृक्ष हैं । इस सम्बन्ध में राज्य-वार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है ।

विवरण

मुख्य नकदी फसलों 1982-83 के अन्तर्गत राज्य-वार अखिल भारतीय क्षेत्र

(क्षेत्र-हजार हैक्टार में)

	मूंगफल	तिल	तोरियां एवं सरसों	कुल नौ तिलहन	नारियल	कपास	गन्ना	तम्बाकू	रबड़ (अस्थायी)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
आंध्र प्रदेश	1491.4	161.6	0.7	2011.6	44.6	443.0	169.7	252.5	—
असम	—	12.6	224.0	244.2	6.5	3.9	49.4	5.0	—
बिहार	6.8	17.5	74.9	226.0	—	0.3	123.6	13.4	—
गुजरात	2057.7	128.0	171.4	2552.0	—	1496.2	95.2	110.6	—
हरियाणा	7.1	2.7	202.0	212.0	—	397.0	147.0	0.2	—
हिमाचल प्रदेश	1.4	3.4	6.6	17.3	—	0.5	3.1	0.3	—
जम्मू एवं काश्मीर	—	6.4	43.1	52.2	—	0.5	0.8	0.1	—
कर्नाटक	854.6	104.3	2.5	1412.0	178.9	1087.4	177.2	48.7	9.5

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
केरल	9.4	14.3	—	23.7	658.5	6.1	8.0	0.5	256.2
मध्य प्रदेश	296.9	243.3	259.6	2145.7	—	607.4	54.3	1.2	—
महाराष्ट्र	757.5	198.5	5.3	2049.0	10.2	2654.8	325.8	12.2	—
मणिपुर	—	1.1	3.0	4.1	—	0.6	1.7	—	—
मेघालय	—	0.7	6.1	7.5	—	7.7	0.2	0.6	—
नागालैंड	0.2	0.8	2.6	4.0	—	—	4.5	—	—
उड़ीसा	252.9	216.9	123.7	775.2	22.5	3.3	51.2	15.9	—
पंजाब	78.0	14.3	85.0	178.4	—	724.0	104 0	—	—
राजस्थान	182.2	481.1	605.9	1339.5	—	394.7	38.0	2.6	—
सिक्किम		—	5.3	8.4	—	—	—	—	—
तमिलनाडु	1028.5	132.6	1.4	1247.3	143.0	205.4	171.1	8.2	15.8
त्रिपुरा	1.2	2.6	3.0	6.8	1.4	1.4	1.8	0.9	—
उत्तर प्रदेश	305 3	912.6	2187.5	4205.5	—	36.5	1802.6	11.4	—
पश्चिमी बंगाल	1.6	122.6	170.9	364.0	3.3	0.2	31.1	16 1	—
अखिल भारतीय	7145.2	2780.1	4194.2	19102.5	1113.3	8074.4	3364.8	501-3	291-0*

*योग में 9500 हैक्टार शामिल है जिसके लिये राज्य-वार ब्योरा उपलब्ध नहीं है।

देश में नलकूप

10182. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुल कितने नलकूप हैं ; और

(ख) इनमें से कितने डीजल इंजन से और कितने बिजली से चलते हैं ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) यह अनुमान है कि मार्च, 1984 तक देश में 31.50 लाख नलकूप लगाए गए हैं। इनमें से कितने नलकूप डीजल इंजनों के द्वारा तथा कितने वैद्युत मोटरों के द्वारा कार्य कर रहे हैं, इस सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि, उपलब्ध सूचना के अनुसार, देश में मार्च, 1984 तक खुदाई कुंओं, नलकूपों तथा भूतल जल संसाधनों पर लगाए गए वैद्युत तथा डीजल पम्पसेटों की अनुमानित संख्या नीचे दी गई है :—

	(संख्या लाख में)
वैद्युत पम्पसैट	53.50
डीजल पम्पसेट	33.74
	87.24

चावल के उत्पादन में वृद्धि

10183. **श्री चिंतामणि जेना** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चावल की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए देश में चावल का उत्पादन बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ; और

(ग) चावल उत्पादक राज्यों के क्या नाम हैं और वर्ष 1984-85 के दौरान चावल का उत्पादन बढ़ाने के लिए उन राज्यों को दी जा रही सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) चावल के उत्पादन को छठी पंच वर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष 1984-85 में 630 लाख मीटरी टन करने का प्रस्ताव है, जबकि 1983-84 में यह 593.3 लाख मीटरी टन हुआ है।

(ख) चावल उत्पादन को बढ़ाने से सम्बन्धित नीति में निम्नलिखित बातों पर बल दिया जाएगा : –

(1) अधिक पैदावार देने से सम्बन्धित प्रोद्योगिकी को अपनाकर सिंचित क्षेत्रों में पैदावार को अधिकतम करना ।

(2) ऊपरि-भूमि तथा निचली भूमि के समस्याग्रस्त क्षेत्रों में उपयुक्त प्रोद्योगिकी के माध्यम से पैदावार को इष्टतम करना ।

(3) स्थान विशेष के लिए बीजों के किस्मों का बीज सम्बर्धन तथा उनका प्रसार करना ।

(4) (i) प्रतिरोपित क्षेत्र में पास पास पौधे लगाकर तथा

(ii) सीधे बीजे गए क्षेत्रों में सीधी बुआई, के माध्यम से पौध संख्या में वृद्धि करना ।

(5) उर्वरक उपयोग में वृद्धि ।

(6) सूक्षम पौषक कमी को दूर करना ।

(7) समेकित कीट (कृषि/रोग/खरपतवार) प्रबन्ध ।

(ग) चावल सभी राज्यों में पैदा किया जाता है । चावल उत्पादन बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं, अर्थात (1) चावल की सामुदायिक नर्सरियों की स्थापना ; तथा (2) चावल का मिनिकिट प्रदर्शन ; तथा (3) राज्य स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्रदान की जाती है सामुदायिक नर्सरी कार्यक्रम के अन्तर्गत चावल की नर्सरी लगाने के लिए किसानों को 1500 रुपए प्रति हैक्टार की दर से राजसहायता प्रदान की जाती है इसी प्रकार चावल की अधिक पैदावार देने वाली किस्मों के बीजों के मिनिकिट किसानों में नि:शुल्क वितरित किए जाते हैं । चावल उत्पादन प्रोद्योगिकी में राज्य स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए 7200 रुपए की राशि प्रदान की जाती है ।

1984-85 के दौरान उपरोक्त योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 500 लाख रुपए के परिव्यय की स्वीकृति दी गई थी । योजनावार ब्यौरा निम्नलिखित है :—

1	चावल की सामुदायिक नर्सरियों की स्थापना	348.75 लाख रुपए

2. चावल मिनिकिट प्रदर्शन	145.85 लाख रुपए
3 चावल उत्पादन प्रोद्योगिकी के सम्बन्ध में राज्य स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	5.40 लाख रुपए
योग :	500.00 लाख रुपए

राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम द्वारा विदेशों में अपने कर्मचारी नियुक्त करना

10184. **श्री चिंतामणि जेना :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम विदेशों में लिए गए निर्माण कार्यों के लिए अपने नियमित कर्मचारियों को वहां नियुक्त कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इनके चयन का मानदंड क्या है और उनकी विदेशों में नियुक्ति की अधिकतम अवधि कितनी है;

(ग) क्या यह सच है कि कुछ कर्मचारियों को दुबारा विदेश भेजा गया है/भेजा जा रहा है जबकि अन्यों को एक बार भी विदेश जाने का अवसर नहीं दिया गया है ;

(घ) कितने कर्मचारियों को दो बार विदेश भेजा गया है और उसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) क्या विदेशों में नियुक्ति के लिए सभी कर्मचारियों को बराबर अवसर प्रदान करने के लिए सरकार कोई नीति निर्धारित करेगी ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) जी हां।

(ख) राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम ने सूचित किया है कि चयन के लिए निम्नलिखित मापदण्ड निर्धारित किए गए हैं :—

(1) कर्मचारियों से विदेश में तैनाती के लिए विकल्प देने को कहा जाता है।

(2) विदेश में तैनाती के लिए विकल्प देने वालों में से चयन के लिए निम्नलिखित मापदण्ड अपनाए जाते हैं :—

(क) पूर्व सेवा/ग्रेड में सेवाकाल

(ख) कार्य के लिए उपयुक्तता

(ग) कार्य की अपरिहार्यता पर निर्भर कर्मचारियों की उपलब्धता।

इसके अतिरिक्त, जहां अपेक्षित अनुभव/विशेषज्ञता वाले व्यक्ति संगठन में उपलब्ध नहीं होते हैं तो केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग सी.आर.आर., आई.डी.जी.बी. आर., सी. ए.जी. जैसे अन्य सरकारी विभागों से उचित चुनाव के पश्चात व्यक्ति प्रतिनियुक्ति पर लिए जाते हैं। कर्मचारियों को 2 वर्ष की अवधि के लिए तैनात किया जाता है लेकिन किसी भी स्थिति में अवधि को 4 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाया जाता है।

(ग) जी हां।

(घ) 33 कर्मचारियों का चयन दूसरी बार किया गया है। उनका चयन उपर्युक्त भाग (ख) में दिये गये मापदंड के अनुसार किया गया है।

(ङ) जी, नहीं।

राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि का भुगतान

10185. श्री चिन्तामणि जेना : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर, 1980 से कुछ कर्मचारियों के मामले में अंशदायी भविष्य निधि योजना को कर्मचारी भविष्य निधि योजना में बदल दिया गया है लेकिन राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम में इसके कार्यान्वयन में विलम्ब हुआ है ;

(ख) क्या निगम की ओर देय संशोधित योजना सम्बन्धी अंशदान का राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम द्वारा अभी तक, भुगतान नहीं किया गया है ;

(ग) विलम्ब के क्या कारण हैं तथा निगम द्वारा यह अंशदान किस तारीख तक कर दिया जाएगा ;

(घ) क्या गृह निर्माण अग्रिम प्रदान करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि नियम उदार बना दिए गए हैं और निगम उन नियमों के अनुसार अपने कर्मचारियों को ऋण नहीं दे रही है और जब पहले ऋण के लिए आवेदन दिया गया था, उस समय से अवधि की कटौती कर रही है ; और

(ङ) क्या सरकार का विचार गृह निर्माण ऋण के लिए भेजे गए आवेदन के समय से पात्रता का आंकलन करने के लिए ऐसे अग्रिम प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम को उचित निर्देश देने का है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) जी, हां। राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम ने सूचित किया है कि कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1.11.1980 से प्रस्तुत की गई है तथा योजना के कार्यान्वयन में असामान्य विलम्ब नहीं हुआ है।

(ख) तथा (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभापटल पर रख दी जाएगी।

(घ) जी, हां। राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम ने सूचित किया है कि उदारीकृत नियमों के अनुसार भविष्य निधि से गृह निर्माण अग्रिम, अवधि में किसी कटौती के बिना दिया जा रहा है।

(ङ) उपर्युक्त (घ) के उत्तर की दृष्टि से प्रश्न ही नहीं उठता।

सफदरजंग एनक्लेव में प्लाट नं० बी-7/2 का उसकी नीलामी के समय से कूड़ा-करकट डालने के स्थान के रूप में उपयोग किया जाना

10186. **डा० वसन्त कुमार पण्डित** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सफदरजंग स्थित एन्क्लेव आवासीय प्लाट नं० बी-7/2 की कब नीलामी की गई थी और उसे किसने खरीदा था ;

(ख) उस प्लाट पर भवन बनाने की क्या शर्तें थी और उन शर्तों को अभी तक क्यों पूरा नहीं किया गया ;

(ग) क्या यह सच है कि उक्त प्लाट उसकी नीलामी के समय से अब तक खाली पड़ा रहा है और इस समय उसका उपयोग कूड़ा करकट डालने और जन सुविधा के स्थान के रूप में किया जा रहा है और उस पर जंगली पौधे उग रहे हैं और इससे आसपास के मकानों के निवासियों एकांतता और स्वास्थ्य को खतरा पैदा हो गया है ; और

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की कि उस प्लाट पर बिक्री की शर्तों के अनुसार भवन का निर्माण किया जाये ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) प्लाट नं० बी-7/2 सफदरजंग रिहायशी योजना, 25.10.64 को नीलाम किया गया था। खरीददारों के नाम केप्टेन आर.के. खन्ना तथा श्री नन्द कुमार खन्ना पुत्र स्वर्गीय श्री हवेली राम खन्ना हैं। 5.7.73 को प्लाट मेजर आर.के. खन्ना के नाम में अन्तरित किया गया था।

(ख) पट्टा विलेख की शर्तों के अनुसार पट्टाधारी प्लाट का कब्जा लेने की तारीख से 2 वर्ष की अवधि के भीतर भवन का निर्माण पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध होता है। एक वर्ष माफी की अवधि के रूप में दिया जाता है। इस मामले में, प्लाट का कब्जा पट्टाधारी को 13.3.68 को दिया गया था। प्लाट पर भवन का निर्माण पूरा करने के लिए पट्टाधारी को बिना जुर्माने के समय वृद्धि 31.12.74 तक अनुमेय की गई थी क्योंकि वह एक सामरिक क्षेत्र में तैनात था। 23.7.76 को पट्टाधारी ने इस आधार पर कि वह एक विदेशी पाठ्यक्रम में भाग ले रहा था तथा बाद में उसकी देश से बाहर तैनाती के कारण वह भारत वापस आने में असमर्थ था तथा तीन वर्ष से अधिक अवधि तक उसके विदेश में ठहरने की संभावना थी, भवन का निर्माण पूरा करने के लिए समय वृद्धि के लिए पुन: अनुरोध किया था। उसके अनुरोध पर विचार किया गया था तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण के दिनांक 10.8.76 के पत्र द्वारा पट्टाधारी को सूचित किया गया था कि सन्दर्भाधीन प्लाट पर भवन का निर्माण पूरा करने के लिए समय वृद्धि के उसके अनुरोध पर विचार किया गया तथा उसके भारत वापस आने की तारीख से उसे दो वर्ष की अवधि भवन का निर्माण पूरा कर करने के लिए दी गई थी। पट्टाधारी ने विदेश से अपनी वापसी के बारे में दिल्ली विकास प्राधिकरण को सूचित नहीं किया था। अत: दिल्ली विकास प्राधिकरण के दिनांक 5.6.79 के पत्र द्वारा पट्टाधारी से यह पूछा गया था कि क्या उसने प्लाट पर कोई भवन बना लिया था अथवा नहीं। उक्त पत्र में यह भी स्पष्ट कर दिया गया था कि यदि उसने प्लाट पर भवन का निर्माण पूरा कर लिया है तो वह सम्पूर्णता प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रतिलिपि प्रस्तुत करे। उक्त पत्र का अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, प्लाट पर भवन का निर्माण न करने एवं प्लाट के पट्टे का निर्धारण करने तथा प्राधिकरण द्वारा प्लाट का कब्जा वापस लेने का एक कारण बताओ नोटिस पट्टाधारी को 2.4.84 को जारी किया गया है। इस नोटिस के प्रत्युत्तर में पट्टाधारी का उत्तर प्रतीक्षित है।

(ग) प्लाट खाली तथा बिना बना पड़ा है।

(घ) प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में पहले ही जैसा कहा गया है, पट्टाधारी को प्लाट पर भवन का निर्माण आरम्भ करने के लिए विवश करने का प्रत्येक प्रयास किया गया है। क्योंकि निर्माण न करने तथा पट्टा विलेख के निर्धारण के बारे में पहले ही कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। प्लाट का आवंटन/बोली निरस्त करने की आगामी कार्यवाही पट्टाधारी से उत्तर प्राप्त हो जाने के बाद की जाएगी।

लाडो सराय में मकानों के लिए भूमि का आवंटन

10187. **श्री निहाल सिंह :**

श्री राम सिंह शाक्य : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लाडो सराय, नई दिल्ली के अनुसूचित जाति के बाल्मीकियों ने मकानों के निर्माण हेतु भूमि के आवंटन के लिए आवेदन पत्र दिये थे ;

(ख) क्या यह भी सच है कि अपने आवेदनपत्रों में उन्होंने यह मांग भी की थी कि ग्राम समाज की भूमि उपलब्ध न होने की स्थिति में खसरा संख्या 276 के अंतरित की 1.17 बीघा भूमि, जो उनके पूर्वजों को पृथक रूप से दाह संस्कारों के प्रयोजनों हेतु आवंटित की गई थी, और अब जहां शवों का दाह संस्कार नहीं किया जाता है, मकानों के निर्माण हेतु उन्हें आवंटित की जाए ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है और कब तक यह भूमि उनको आवंटित कर दी जाएगी ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि अप्रैल, 1982 में जारी की गई एक अधिसूचना के अनुसार, राजस्व ग्राम लाडो सराय को ग्रामीण क्षेत्र से पृथक कर दिया था । उस क्षेत्र के लिए गठित ग्राम सभा भंग हो गई तथा ग्राम सभा में निहित सम्पत्ति तथा देयता आदि केन्द्रीय सरकार को अन्तरित कर दी गई थीं । खसरा नं० 276 में 1.17 बीघे माप की भूमि राजस्व रिकार्ड में हरिजनों के लिए श्मशान भूमि के रूप में दर्ज की गई है । यह भूमि मकानों के निर्माण के लिए उपयोग में नहीं लाई जा सकती है ।

दिल्ली में पुनर्वास बस्तियों में नागरिक सुविधाओं का प्रावधान

10188. **डा० कृपा सिन्धु भोई** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में पुनर्वास बस्तियों जैसी सीलमपुर, सीमापुरी आदि मलजल निकासी की तथा अन्य नागरिक सुविधाएं नहीं हैं ;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा नागरिक सुविधाएं प्रदान न करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) उपरोक्त जल निकासी व्यवस्था कब तक कर दिये जाने की आशा है ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) तथा (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि मल

नियॉन और पानी के अलग-अलग कनैक्शनों के अलावा सभी नागरिक सुविधाएं इन पुनर्वास कालोनियों में दे दी गई है ।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए अनुमान तैयार कर लिए गए हैं तथा नई सीमापुरी में इस कार्य के लिए निविदाएं आमंत्रित की जा रही हैं । तथापि, इसे पूरा करने के बारे में कोई समय सीमा बताना व्यवहार्य नहीं है ।

हाउसिंग सोसाइटीज की सदस्यता का अन्तरण

10289. **श्री हीरालाल आर० परमार :**

श्री टी०आर० शमन्ना : क्या निर्माण और आवास मंत्री हाउसिंग सोसाइटीज की सदस्यता का संबंधियों के नाम अन्तरण के बारे में 16 अप्रैल, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7696 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में सहकारी भूमि और सामूहिक आवास समितियों के जीवित सदस्यों के मामले में सदस्यता के अन्तरण के लिए अपनाये जाने वाले संगत नियम खंडों की प्रक्रिया और ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या जीवित सदस्यों के मामले में सदस्यता अन्तरण की मन्जूरी स्वयं समिति द्वारा दी जानी होती है न कि सहकारी समितियों के पंजीयक द्वारा ;

(ग) क्या अन्तरण से पूर्व दिल्ली विकास प्राधिकरण की मन्जूरी और पंजीयक सहकारी समितियों की पुस्तकों में आवश्यक परिवर्तन आवश्यक है ; और

(घ) यदि हां, तो सदस्यता अन्तरण से पूर्व दिल्ली विकास प्राधिकरण की मन्जूरी किस नियम के अन्तर्गत प्राप्त की जानी होती है और संगत नियमों का ब्यौरा क्या है ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) इस सूचना को देते हुए दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम, 1972 की धारा 25 तथा दिल्ली सहकारी समिति नियमावली, 1973 का नियम 34 अनुलग्नक में दिए गए हैं । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 8371/84]

(ख) जी, हां ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) जिन सहकारी आवास समितियों को दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा पट्टा आधार पर भूमि दी गई है, उनके अन्तरण के मामले में, दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा मार्ग निर्देशन निर्धारित किए गए हैं। ऐसे मामलों में अन्तरण का अनुमोदन दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाता है और अन्तरणी, दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा समिति के मध्य एक नये उप पट्टे पर हस्ताक्षर किये जाने होते हैं।

आनन्द पर्वत में अनधिकृत फैक्टरी शाप आदि

10190. श्री निहाल सिंह : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने व्यक्तियों ने आनन्द पर्वत नई दिल्ली के इर्द-गिर्द फैक्टरी शाप और आवास बनाये हैं और उनका तथा उनके व्यवसाय का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) कितने व्यक्ति वहां बिना लाइसेंस के फैक्टरी चला रहे हैं और इनमें से कितने व्यक्तियों ने बिना अनुमति के हैवी मोटर्स स्थापित कर दिये हैं ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) तथा (ख) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि घर-घर जाकर ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है तथा इसलिए कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

2. तथापि दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने सूचित किया है कि आनन्द पर्वत सहित दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के सप्लाई क्षेत्र में उपभोक्ता संस्थापनाओं में संस्थान द्वारा अधिक विद्युत भार के प्रयोग या स्वीकृत प्रयोजन के अन्यथा सप्लाई के प्रयोग का पता लगाने के लिए समय-समय पर अचानक जांच की जाती है तथा आनन्द पर्वत क्षेत्र में सप्लाई के दुरुपयोग तथा/या अधिक भार का प्रयोग करने के ऐसे लगभग 3000 मामले हैं दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने दिसम्बर, 1983 में परीक्षण जांच पर यह पाया कि इस क्षेत्र में निम्न वोल्टता (एल० वी०) पर सिस्टम हानियां असामान्य, यहां तक कि 22 प्रतिशत तक थीं।

परिधानों संबंधी विज्ञापनों में मामले में भाग लेने के लिए भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों पर जुर्माना

10191. श्री चिंता मणि जेना।

श्री धर्मवीर सिंह : क्या खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान; विज्ञापनों में भाग लेने पर भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों पर जुर्माने के सम्बन्ध में 26 फरवरी, 1984 के "टाइम्स आफ इंडिया" में प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है ;

(ख) परिधानों संबंधी विज्ञापन के संबंध में वस्तुतः भारतीय कानून तथा नियम क्या है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या वेस्ट इंडीज के खिलाड़ियों पर जुर्माना किया गया था ;

(घ) किन कारणों से जुर्माने की घोषणा खेल श्रृंखला के बाद की गई थी ; और

(ङ) इस अन्तर को दृष्टिगत न रखने के क्या कारण हैं कि विदेशी खिलाड़ियों ने एक ही मैच खेला है या सभी ग्यारह मैच खेले हैं ?

खेल विभाग में उप मन्त्री (श्री अशोक गहलौत) : (क) जी, हां ।

(ख) मामला कानून से संबंधित नहीं है, किन्तु संविदात्मक प्रकार का है, जिसमें, विज्ञापक, खिलाड़ी और संबंधित राष्ट्रीय खेल संघ शामिल हैं ।

(ग) भ्रमण पर, विदेशी खिलाड़ी, विज्ञापन के मामले में, अपने आचरण के लिए, भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड के उत्तरदायी नहीं हैं ।

(घ) भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड के अनुसार भारतीय खिलाड़ी पर जुर्माना, उनके द्वारा, लम्बित किया गया था, क्योंकि एक तो बोर्ड को यह खिलाड़ियों के ध्यान में लाना था और दूसरा कि यह मामला बोर्ड की विशेष समिति को भेजना था और तीसरी बात यह है कि दौरे के दौरान, जुर्माना लगाने से, बोर्ड के लिए प्रशासनिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती थी ।

(ङ) भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड ने सूचित किया है कि वे प्रत्येक खिलाड़ी के साथ सारे दौरे के लिए समझौता करते हैं और यह समझौता गारण्टी नहीं देता कि, सभी खिलाड़ी सभी मैच खेलेंगे ।

मंत्रियों के वैयक्तिक और अनुसचिवीय स्टाफ को क्वार्टरों का आवंटन

10192. **श्री निहाल सिंह** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय मंत्रियों के वैयक्तिक और अनुसचिवीय स्टाफ के लिए आवासों का कितना कोटा निर्धारित है ;

(ख) क्या प्रत्येक मंत्रालय में मंत्रियों के स्टाफ को क्वार्टर आवंटित किए गए हैं ; और

(ग) डाक्टरी आधार पर क्वार्टरों के आवंटन के लिए कितने आवेदन विचाराधीन हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) इस निमित्त बिना बारी आधार पर निम्नलिखित श्रेणी के मामलों में तदर्थ आवंटन किया जाता है अथवा रिहायशी वास के आवंटन को बदला जाता है ।

(1) (i) मंत्री द्वारा यथा संस्तुत, मंत्री (राज्य मंत्री सहित) से सम्बद्ध निजी स्टाफ (समूह "घ" को छोड़कर) के दो सदस्यों को बशर्ते कि उस मंत्री की सिफारिशों पर पहले ही कोई तदर्थ आवंटन न किया गया हो ; मंत्री के विभाग में परिवर्तन हो जाने पर कोई नवीन स्वीकृति नहीं दी जानी है यदि स्टाफ के वे सदस्य मन्त्री के साथ बने रहते हैं तथा सामान्य पूलवास में काबिज हैं ।

(ii) मन्त्री के निजी स्टाफ के तीसरे सदस्य को भी यदि मन्त्री ने उस सदस्य को किसी राज्य से अथवा सेवाओं के बाहर से विशेषतौर पर चयन किया है, केन्द्रीय इलाके में पात्र टाइप के बास का तदर्थ आवंटन किया जा सकता है ।

(iii) किसी नए मन्त्री के मामले में, उसकी सिफारिशों पर दो नए आवंटन किए जा सकते हैं चाहे उसके निजी स्टाफ के कुछ सदस्य पहले ही सामान्य पूलवास के काबिज क्यों न हों ।

(2) उपर्युक्त (i) में विनिर्दिष्ट प्रावधानों की शर्त पर उपमन्त्री द्वारा यथा संस्तुत उसके निजी स्टाफ (समूह "घ" को छोड़कर) के एक सदस्य को ।

(3) किसी उपमन्त्री के निजी स्टाफ के एक सदस्य को यदि मन्त्री ने उस सदस्य को किसी राज्य से अथवा सेवाओं के बाहर से विशेषतौर पर चयन किया है, केन्द्रीय इलाके में पात्र टाइप के वास का तदर्थ आवंटन किया जा सकता है ।

(4) मन्त्री/उप मन्त्री द्वारा यथा संस्तुत मन्त्री/उपमन्त्री से सम्बद्ध एक जमादार अथवा चपरासी को । इसके अतिरिक्त समूह (घ) स्टाफ के एक सदस्य को एक तदर्थ वास तबदीली भी अनुमेय है ।

(ख) जी, हां । विशिष्ट अनुरोध पर ।

(ग) चिकित्सा अर्थात् फुटफुस टी०बी० केन्सर आधार पर अथवा शारीरिक विकलांगता के आधार पर मंत्रियों के निजी स्टाफ के सदस्यों में से किसी ने भी पिछले कुछ समय में क्वार्टर के आवंटन के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया है ।

समुद्र से पकड़ी मछलियों आदि के निर्यात में घोखाधड़ी

10193. **श्री रामविलास पासवान :**
श्री सतीश अग्रवाल :
श्री हरिकेश बहादुर :
श्री टी० एस० नेगी :
श्री हरीश कुमार गंगवार : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 17 मार्च, 1984 को 'ब्लिट्ज' में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि केन्द्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारियों ने समुद्र से पकड़ी गई मछलियों आदि के व्यापार और निर्यात में राजकोष में करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी की है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ;

(ख) क्या कुछ नियमों का उल्लंघन कर रही कम्पनियों को अर्थात् मैसर्स गोल्डन फिशरीज और बाली एक्सपोर्टस को बहुत से लाइसेंस दिए गए हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस मामले की जांच करने का है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्री (राव वीरेन्द्र सिह) : (क) जी, हां । समाचार टिप्पणी में मुख्यत: तमिलनाडु मात्स्यिकी विकास निगम द्वारा समुद्री उत्पाद के निजी संसाधनकर्ता को ठेका मंजूर किए जाने का आरोप लगाया गया है । यह विषय राज्य सरकार से सम्बन्धित है ।

(ख) कृषि मन्त्रालय द्वारा भाड़े पर विदेशी मत्स्यन जलयान लेने के लिए मैसर्स गोल्डन फिशरीज प्राइवेट लि०, नई दिल्ली को जारी किए गए अनुमति पत्र और मैसर्स बाली कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लि०, मद्रास को जारी किए गए पत्र भारतीय समुद्री क्षेत्र (विदेशी जलयानों द्वारा मत्स्यन का विनियमन) अधिनियम, 1981 के उपबन्धों और इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अनुरूप हैं ।

(ग) प्रश्न नहीं होता ।

उड़ीसा के समस्याग्रस्त गांवों को निर्धारित सूची में शामिल किया जाना

10194. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उड़ीसा के ऐसे समस्याग्रस्त गांवों को जिन्हें निर्धारित सूची में पहले शामिल नहीं किया गया है, शामिल करने के लिए क्या कार्यवाही की जाएगी ताकि उन गावों में नलकूप लगाने के लिए केन्द्रीय सहायता उपलब्ध करायी जा सके ;

निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : 20 सूत्री कार्यक्रम के सूत्र सं० 8 के अन्तर्गत 1.4.80 तक समस्याग्रस्त ग्रामों के रूप में पता लगाये गये सभी ग्रामों को छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त अर्थात 31 मार्च, 1985 तक लाभान्वित करने का प्रयास है। अन्तर्राष्ट्रीय पेयजल पूर्ति तथा स्वच्छता दशक कार्यक्रम के अन्तर्गत उद्देश्य यह है कि मार्च 1991 तक ग्रामीण आबादी सहित शतप्रतिशत जन संख्या को शुद्ध पेयजल सुविधाए मुहैया कर दी जाएं। सातवीं पंचवर्षीय योजना और अन्तर्राष्ट्रीय पेयजल पूर्ति तथा स्वच्छता दशक के उद्देश्यों के संदर्भ में राज्यों से समस्याग्रस्त गावों की सूची की समीक्षा करने का अनुरोध किया गया है।

सरकारी मुद्रणालय, नासिक कर्मचारी संघ कार्यालय के लिए किराए का निर्धारण

10195. **श्रीमती प्रमिला दंडवते** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा सरकारी मुद्रणालय, नासिक के राष्ट्रीय प्रैस कामगार यूनियन के कार्यालय के लिए नाममात्र का किराया निर्धारित करने पर विचार किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बारे में कोई निर्णय लिया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्द उस्मान आरिफ) : (क) से (ग) इस मामले पर विचार करने पर यह निर्णय लिया गया है कि यूनियन से मौलिक नियम 45-ए के अन्तर्गत लाइसेंस फीस ली जाए या उक्त मौलिक नियम के अन्तर्गत सरकारी आदेशों के अनुसार पुलित मानक लाइसेंस फीस सहित वास के सेवा प्रभार लिए जांय। इस प्रकार जैसा कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने सलाह दी है, 160 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से यूनियन से अनन्तिम लाइसेंस फीस ली जा रही है क्योंकि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने इस वास के लिए पूलित मानक लाइसेंस फीस नहीं आंकी है।

बम्बई में सम्पदा कार्यालय द्वारा सेवा-निवृत होने वाले अलाटियों से बेबाकी प्रमाणपत्र का मांगा जाना

10196. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई में सम्पदा कार्यालय अलाटियों से उनके सेवा-निवृत होने से पूर्व संबंधित विभागों के अध्यक्षों का बेबाकी प्रमाण पत्र मांगता है ;

(ख) क्या बम्बई में सम्पदा कार्यालय अलाटियों से उनकी सेवा-निवृत्ति के बाद बढ़ा-चढ़ाकर राशियों की मांग करता है ;

(ग) क्या सरकार सेवा-निवृत्त होने वाले कर्मचारियों के वेतन से उनकी पेंशन की राशि से सम्पदा कार्यालयों को देय राशि वसूल करती रही है ; और

(घ) क्या सेवा निवृत होने वाले कर्मचारियों को वित्तीय परेशानी के निवारण के लिए प्रत्येक अलाटी के सम्बन्ध में वार्षिक विवरण जारी करने का कोई प्रस्ताव है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्द उस्मान आरिफ) : (क) बम्बई में सम्पदा कार्यालय द्वारा ऐसा कोई प्रमाणपत्र प्राप्त करना अपेक्षित नहीं है। इसके विपरित संशोधित पेंशन नियमों के अनुसार सम्बन्धित विभाग को सम्पदा कार्यालय बम्बई से ऐसा प्रमाणपत्र प्राप्त करना होता है।

(ख) जी नहीं।

(ग) जब तक आवंटति सरकारी सेवा में रहता है, लाइसेंस फीस की वसूलियां विभाग द्वारा उसके वेतन में से करनी अपेक्षित हैं। सेवा निवृत्ति के पश्चात यदि इस सम्बन्ध में कोई राशि देय पायी जाती है तो वह राशि सम्बन्धित विभाग द्वारा उसकी पेंशन से वसूल न करके उनकी मृत्यु व सेवानिवृत्ति उपदान या अन्य पेंशन के लाभ से वसूल की जाती है।

(घ) यह पहले ही प्रचलित है।

ग्रामीण उच्च शिक्षा के लिए संस्थान

10197. **श्री के. ए. स्वामी** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण उच्च शिक्षा के लिए किसी संस्थान की स्थापना की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

पानी के पाइप के फट जाने के कारण पहाड़गंज में राम नगर के निवासियों को गन्दे पानी की सप्लाई

10198. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पहाड़गंज, सदर बाजार जोन में राम नगर के निवासियों को दूषित पेयजल मिल रहा है जिससे बदबू आती है और जो बीमारियां फैलाने वाला है ;

(ख) क्या भूमिगत जल सप्लाई पाइप 50 वर्ष से अधिक पुराने हैं और स्थान स्थान पर फट गये हैं जिसके परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र के निवासियों को दूषित जल मिल रहा है ;

(ग) यदि हां,तो तत्सम्बन्धी पूर्ण ब्यौरा क्या है और इस क्षेत्र के निवासियों की शिकायतें दूर करने के लिए पुराने जल सप्लाई पाइपों के न बदले जाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या सरकार का विचार पुराने और जंग लगे पाईपों को बदलने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करने का है ; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और यदि नहीं तो विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) दिल्ली जल प्रदाय तथा मल व्ययन संस्थान ने सूचित किया है कि गली नं० 1 तथा 2, रामनगर के कुछ निवासियों से उनके नलों में दूषित पानी आने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई थी और निरीक्षण करने पर यह पाया गया था कि कुछ मकानों के सेवा पाइप छीज गये थे और चू रहे थे । इस संस्थान ने यह भी बताया है कि निवासियों द्वारा सेवा पाइपों की मरमत कर दी गई है और मुख्य लाइनों को साफ कर दिया गया है तथा फिलहाल वहां पानी के दूषण की कोई शिकायत नहीं है ।

(घ) इस संस्थान के अनुसार सेवा पाइपों की मरम्मत तथा उनको बदलने का उत्तर-दाइत्व उपभोक्ता का होता है तथापि जब कभी भी निगम की मुख्य लाइने छीज जाती हैं और चूने लगती हैं तो यह संस्थान उन पाइप लाइनों को बदलता है ।

मध्य प्रदेश के लिए जलपूर्ति योजनाएं

10199. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने मध्य प्रदेश में के०एफ०डब्ल्यू० योजना सहित केन्द्रीय प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत गत चार वर्षों के दौरान कितनी जलपूर्ति योजनाएं और हैंड पम्पों की स्वीकृति दी है ;

(ख) क्या इन योजनाओं और लक्ष्यों को 31 मार्च, 1984 तक पूरा कर लिया गया है ; और

(ग) उक्त कार्यक्रम के लिए चार वर्षों के दौरान कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री **मोहम्मद उस्मान आरिफ**) : (क) जलपूर्ति राज्य का विषय है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल मुहैया करने के लिए योजनाएं राज्य क्षेत्र में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकारों द्वारा बनाई व क्रियान्वित की जाती है । पता लगाए गए समस्याग्रस्त गावों को लाभान्वित करने के लिए केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम (एoआरóपीo) के अन्तर्गत केन्द्र अनुदान सहायता देकर राज्यों के संसाधनों को बढ़ाता है । मध्य प्रदेश में 1977-78 से 9,726 समस्याग्रस्त गावों को लाभान्वित करने के लिए केन्द्रीय क्षेत्र त्वरित ग्रामीण कार्यक्रम के अंतर्गत 6125.857 लाख रुपए की अनुमानित लागत की योजनाओं की सी.पी.एच.ई.ई.ओ. ने तकनीकी अनुमोदन दे दिया था । इसके अतिरिक्त, मध्य प्रदेश में 1208 समस्याग्रस्त गावों को लाभान्वित करने के लिए 1983-84 के दौरान 788.371 लाख रुपये की योजनाओं को निष्पादन पर आधारित ग्रामीण जलपूर्ति की केन्द्र द्वारा प्रवर्तित नवीन प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत सी.पी.एच.ई.ई.ओ. ने तकनीकी अनुमोदन दे दिया था । पाइप द्वारा जलपूर्ति/हैण्डपम्प योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित क्षेत्र के ब्यौरे सुलभता से उपलब्ध नहीं हैं ।

मध्य प्रदेश में ग्रामीण जलपूर्ति के लिए के.एफ. डब्ल्यू योजना के अंतर्गत जर्मन संघीय गणराज्य के वित्तीय अभिकरण द्वारा 23 मिलियन डी.एम. की ऋण सहायता से483 गांवों को लाभान्वित करने की सम्भावना है ।

(ख) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा केन्द्रीय क्षेत्र त्वरित ग्रामीण कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभान्वित (आंशिक रूप से लाभान्वित सहित) किए गये गाँवों की संख्या नीचे दी गई हैं :

वर्ष	लाभान्वित किए गए गांव
1980-81	563
1981-82	950
1982-83	2314
1983-84	2874 (अनन्तिम)

मध्य प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि के.एफ़.डब्ल्यू. योजना के अन्तर्गत अब तक 155 गांव पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से लाभान्वित किए गए हैं ।

(ग) त्वरित ग्रामीण कार्यक्रम तथा नवीन प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा मध्य प्रदेश को रिलीज किए गए अनुदान नीचे दिये गये हैं :

वर्ष	रिलीज की गई निधियां	
	त्वरित ग्रामीण कार्यक्रम	प्रोत्साहन योजना (1983-84 के दौरान) आरम्भ की गई
1980-81	690.00	
1981-82	1033.75	
1982-83	1397.50	
1983-84	1244.20	600.00

मध्य प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि वर्ष 1982-83 से 1984-85 तक के दौरान के. एफ. डब्ल्यू. योजना के लिए निम्नलिखित बजट प्रावधान किए गए थे :

1982-83	300 लाख रुपये
1983-84	600 लाख रुपये
1984-85	520 लाख रुपये
	(अभी वितरित किया जाना है)

मध्य प्रदेश द्वारा अतिरिक्त जलपूर्ति योजनाओं का प्रस्ताव

10200. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश सरकार ने 1983-84 के दौरान स्वीकृति देने और केन्द्रीय प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम में शामिल करने के लिए, कुछ अतिरिक्त जलपूर्ति योजनाएं प्रस्तुत की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इनमें से कितनी योजनाओं को 31 मार्च, 1984 तक स्वीकृति प्रदान की गई है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) तथा (ख) मध्य प्रदेश सरकार ने 1983-84 के दौरान समस्याग्रस्त ग्रामों को शामिल करने के लिए इस मन्त्रालय के तकनीकी अनुमोदन के लिए निम्नलिखित विवरण के अनुसार योजनाएं प्रस्तुत कीं :

क्रम सं०	वह कार्यक्रम जिसके अन्तर्गत शामिल किया जाना प्रस्तावित है।	शामिल किये जाने वाले प्रस्तावित समस्याग्रस्त ग्रामों की संख्या	योजना की अनुमानित लागत (लाख रुपयों में)
1.	केन्द्र द्वारा प्रयोजित त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम	388	270.152
2.	कार्य निष्पादन पर आधारित केन्द्र द्वारा प्रायोजित नई प्रोत्साहन योजना	1581	1218.392

(ग) उपर्युक्त योजनाओं में से 1983-84 के दौरान केन्द्र द्वारा प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत 113.76 लाख रुपये की अनुमानित लागत से 105 समस्याग्रस्त ग्रामों को शामिल करने की योजनाओं को इस मन्त्रालय ने तकनीकी अनुमोदन दे दिया था। इन योजनाओं के अनुमोदन के फलस्वरूप 1977-78 से त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत 6125.857 लाख रुपये की अनुमानित लागत से मध्य प्रदेश के 9726 समस्याग्रस्त ग्रामों के लिए ग्रामीण जलपूर्ति योजनाओं को अनुमोदित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त कार्य निष्पादन पर आधारित केन्द्र द्वारा प्रायोजित नवीन प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत, 1983-84 के दौरान 788.371 लाख रुपये की अनुमानित लागत से 1208 समस्याग्रस्त ग्रामों के लिए योजनाएं अनुमोदित कर दी गई है।

भारतीय डेरी निगम का "फुट माउथ" रोग वक्सीन कार्यक्रम

10201. **श्री पीताम्बर सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय डेरी निगम के "फुट माउथ" रोग वेक्सीन कार्यक्रम में यही वैकसीन बनाने वाली अन्य प्रयोगशालाओं से भिन्न किस्म के "वायलर" प्रयोग किए जाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) वैज्ञानिकों के निर्णय में भारतीय डेरी निगम के परियोजना प्रभारी के सम्बन्ध होने के बावजूद सरकार का एक और समिति नियुक्त करने का विचार है जिसमें विदेशी कर्मचारी भी होंगे, यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है और भारतीय कर्मचारियों की सिफारिशों पर विश्वास न करने के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या इस मामले की जांच करने के लिए सरकार का भारतीय विशेषज्ञों की सहायता प्राप्त एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करने का प्रस्ताव है, और यदि हां, तो कब और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) भारतीय डेरी निगम ने उनके द्वारा विनिर्मित चार प्रकार के प्रभाव वाले टीके में ओ०सी० और एशिया-1 को समाविष्ट करने के अलावा ए-5 की बजाए वाइरस किस्म का ए-22 समाविष्ट कर रहा है।

(ग) और (घ) इस मामले पर विचार किया जा रहा है।

डी० डी० ए० द्वारा फर्जी फर्मों को ठेका दिया जाना

10202. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते** : क्या निर्माण और आवास मंत्री डी० डी० ए० द्वारा फर्जी फर्मों को ठेका दिए जाने के बारे में 27 फरवरी, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 301 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या डी० डी० ए० ने मैसर्स जय हिन्द की प्रिस्ट्रेसड कंक्रीट, पाइप बनाने सम्बन्धी क्षमता का पता लगाया था और क्या उन्होंने इस तरह का काम किया था ;

(ख) यदि नहीं तो सरकार ने किन कारणों से 2 करोड़ रुपये का काम सौंपा है ;

(ग) क्या मैसर्स जय हिन्द को कोई अग्रिम राशि दी गई थी यदि हां तो कितनी ?

(घ) क्या उन्हें भूमि भी उपलब्ध कराई गई थी ; और

(ङ) क्या भूमि का यह आवंटन निर्धारित नियमों और भूमि प्रयोग के अनुरूप हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बागवानी विभाग में स्कूटर भत्ते का भुगतान

10203. **श्री निहाल सिंह** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बागवानी विभाग के उद्यान अधीक्षक सहायक निदेशकों और उप-निदेशकों को स्कूटर भत्ते के रूप में केवल 135 रुपये प्रतिमाह का भुगतान किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह धनराशि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त है कि उनके आधीन क्षेत्र दूर-दूर तक फैला हुआ है और उन्हें प्रतिदिन मौका देखने (साइट्स) जाना पड़ता है ; और

(ग) अन्य मंत्रालय में ऐसे अधिकारियों को इस प्रकार यात्रा-भत्ते के रूप में कितनी धनराशि अनुमत है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) 135 रुपये प्रतिमाह की अधिकतम सीमा तक उन्हें सवारी (स्कूटर) भत्ता दिया जाता है ।

(ख) वित्त मंत्रालय के दिनांक 6-2-81 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 19039/1/79-ई IV में स्वीकृत संशोधित दरों के अनुसार उद्यान निदेशालय के विभिन्न अधिकारियों को सवारी भत्ते की अदायगी की जा रही है । इसमें सरकारी ड्यूटी के लिए मासिक औसतन यात्रा पर विभिन्न सीमाओं के लिए प्रतिमाह सवारी भत्ते की राशि का प्रावधान है ।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

उत्तरी भारत की आटा मिलों में वित्तीय संकट

10204. **श्री बापू साहिब पारूलेकर :**
श्री सुब्रहमण्यम स्वामी :
श्रीमती किशोरी सिन्हा : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तरी क्षेत्र की आटा मिलें इस समय भारी वित्तीय संकट से गुजर रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि वे इन दिनों अपनी उत्पादन क्षमता के केवल 16 प्रतिशत मात्रा ही उपयोग कर रही है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि उत्तरी क्षेत्र में रोलर फ्लोर मिलें इस समय अत्यधिक वित्तीय संकट से गुजर रही हैं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रथम एशियाई कुश्ती चैम्पियनशिप पर व्यय की गई राशि

10205. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवम्बर, 1979 में जालंधर में आयोजित प्रथम एशियाई कुश्ती चैम्पियनशिप पर शिक्षा मंत्रालय ने कितना धन व्यय किया ;

(ख) क्या मंत्रालय ने उपर्युक्त चैम्पियनशिप के लिए लेखापरीक्षा किए गए लेखा प्राप्त हो गए हैं ; और

(ग) यदि हां तो क्या लेखा परीक्षकों ने इसमें भारी अनियमितताओं की ओर ध्यान दिलाया है ; और इनमें लिप्त लोगों पर मंत्रालय ने क्या कार्यवाही की है ?

खेल विभाग में उपमंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (ग) सरकार ने भारतीय कुश्ती संघ को प्रतियोगिता आयोजित करने के लिए कुछ घाटे को पूरा करने के लिए 50,000/-रुपये का अनुदान दिया था । अनुदान, भारतीय कुश्ती संघ से मई, 1980 में प्राप्त यथा-प्रमाणित लेखा-परीक्षित लेखों के विवरण, जिसमें एक लाख रुपये से अधिक घाटा दिखाया गया था, के आधार पर, जुलाई, 1980 में मंजूर किया गया था, अनुदान देने से पहले, सरकार इस बात से संतुष्ट थी कि अनुदान मुक्त करने के लिए अपेक्षित घाटा वस्तुतः था । लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में उनकी टिप्पणियां, संघ जो एक स्वायत्त निकाय है, के लिए ही विचारार्थ थी ।

"फूड क्राप" पत्रिका की भाषा

10206. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम "फूड क्राप" नाम की एक पत्रिका प्रकाशित करता है ;

(ख) यदि हां, तो "फूड क्राप पत्रिका के जनवरी, फरवरी के अंक में पहले 57 पृष्ठ अंग्रेजी में और शेष 21 पृष्ठ राजभाषा हिन्दी में प्रकाशित करने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह पत्रिका इस प्रकार प्रकाशित हो सकती है कि पहले हिन्दी के पृष्ठ हों और बाद में अंग्रेजी के तथा दोनों भाषाओं के पृष्ठों की संख्या भी बराबर हो ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्रवाई की गई है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) जी हां । तथापि, पत्रिका का नाम "फूड क्राप" है ।

(ख) से (घ) हिन्दी में उपलब्ध सभी सामग्री को "फूडक्राप" पत्रिका में प्रकाशित किया गया था । हिन्दी में अधिक सामग्री की कमी होने के कारण पृष्ठों की संख्या 21 से अधिक नहीं हो सकी थी । भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों से और अधिक सामग्री प्राप्त करने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं ताकि हिन्दी के पृष्ठों की संख्या को अंग्रेजी के बराबर लाया जा सके । जहां तक हिन्दी से पहले अंग्रेजी के पृष्ठों को लाने का सम्बन्ध है, ऐसा किसी विशेष कारण से नहीं किया गया था । तथापि, निगम ने हिन्दी के पृष्ठों को पहले लाने का हाल ही में निर्णय किया है ।

स्वतंत्रता सेनानी कालोनी का निर्माण

10207. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्हें अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी संगठन और दिल्ली के स्वतंत्रता सेनानियों की ओर से दिल्ली में स्वतंत्रता सेनानी कालोनी के निर्माण का निवेदन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) बतलाया गया है कि दिल्ली में स्वतंत्रता सेनानी कालोनी का निर्माण करने के लिए अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी संगठन के किसी अनुरोध से दिल्ली विकास प्राधिकरण अवगत नहीं है ।

संसद सदस्यों को भूमि/फ्लैटों का आवंटन

10208. **श्री रामावतार शास्त्री :**

श्री त्रिलोक चन्द : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार संसद सदस्यों को भूमि अथवा फ्लैटों का आबंटन करती है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में नियमों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) कितने संसद सदस्यों ने पिछले तीन वर्षों के दौरान भूमि, फ्लैटों अथवा अन्य मकानों के लिए आवेदन किया है ;

(घ) इस अवधि के दौरान कितने संसद सदस्यों को भूमि अथवा फ्लैटों का आवंटन किया गया है ? और

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) चौथी तथा पांचवीं स्ववित्त पोषित योजनाओं में संसद

सदस्यों के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा 3 प्रतिशत फ्लैट आरक्षित किये गये हैं। संसद सदस्यों के लिए प्लाटों का कोई आरक्षण नहीं है।

(ग) शून्य, क्योंकि विगत 3 वर्षों के दौरान पंजीकरण के लिए कोई नये आवेदन पत्र आमंत्रित नहीं किये गये।

(घ) तथा (ङ) प्लाट:- 2-1-1979 से संसद सदस्यों के लिए प्लाटों/फ्लैटों के आबंटन के लिए विशेष कोटे की समाप्ति के बाद आबंटन से सम्बन्धित औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए कोई उपयुक्त प्रत्याशित तिथि निश्चित करके प्लाटों के आबंटन के लिए 2.1.1979 तक लम्बित आवेदन पत्रों पर विचार करने का निर्णय लिया गया था। 4.2.82 और 12.12.83 को हुए ड्रा में (देखिये संलग्न विवरण III) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 33 मामलों में आवंटन किया है।

फ्लैट :— स्ववित्त पोषित योजना तथा सामान्य आवास योजना के अन्तर्गत जिन संसद सदस्यों को फ्लैट आवंटित किए गए उनके ब्यौरे क्रमश: संलग्न विवरण I और II में दिए गए है। क्योंकि फ्लैटों के आबंटन का विशेष कोटा भी 2-1-79 से समाप्त कर दिया गया था इसलिए जैसे कि ऊपर बताया गया है, जिन्होंने प्लाटों के आबंटन के लिए आवेदन किया था, लम्बित पत्रों को उन्हीं के समतुल्य समझा गया।

विवरण-I

उन संसद सदस्यों के नाम जिन्हें स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत फ्लैटों का आवंटन किया गया है :

सर्वश्री	
1. हरीश कुमार गंगवार	वसंत कुंज, सैक्टर बी, पॉकेट -7, पहली मंजिल
2. धर्मचन्द जैन	ईस्ट आफ कैलाश टाइप-111/डी 12 वीं मंजिल
3. श्रीमती केनाम्मा	एस. बी. तीसरी मंजिल
4. श्री रतन लाल किशोरी लाल	वसन्त विहार पहली तथा दूसरी मंजिल
5. श्री कृष्ण चन्द्र पाण्डेय	एस. बी. सैक्टर -1 पाकेट के और एल भूतल

6. आर. पी. वर्मा	मुनिरका टाइप-III ए 10 वी मंजिल
7. सैयद शाहाबुद्दीन	एस. वी. सैक्टर-1 पाकेट सी पहली मंजिल
8. एन. एस. रामाचन्द्रन	वसन्त कुंज सैक्टर-बी पाकेट 10 पहली मंजिल
9. चिगंवजकिन्नायक	वसन्त कुंज सैक्टर बी -पाकिट 5 प्रथम मंजिल
10. के. वी. आर. एस. बालासुब्बाराव	वसन्त कुंज सैक्टर सी पाकेट -2 पहली मंजिल
11. बारी रामचन्द्रन राव	एस. वी. सैक्टर -1 पाकेट-डी पहली मंजिल
12. अरूणा कुमार नेहरू	बसन्त कुंज सैक्टर-सी पाकेट-8 भूतल
13. के. पी. मल्लिकार्जुन	वसन्त विहार तृतिया मंजिल
14. जगजीत सिंह आनन्द	मुनिरका कैटागिरी -111
15. मोहम्मद यूनूस सलीम	-वही-
16. सतीश अग्रवाल	ईस्ट आफ कैलाश

विवरण II

उन संसद सदस्यों के नाम जिन्हे सामान्य पंजीकरण योजना के अन्तर्गत विभिन्न कालोनियों में आवंटन किया गया है :

क्रम सं०	आवेदक का नाम	भुगतान की तारीख	टिप्पणी
सर्व श्री			
1.	बापू चन्द्रासन	30.7.77	2-बी/पी०एच.-III/ ब्लाक 9 अशोक विहार
2.	गुलाम मोहम्मद खान	1.10.77	5-बी/पी एच. III/ ब्लाक 9 अशोक विहार

1		2	3
3.	अनन्त डी. दाबे	29.6.78	13 बी/पाकेट-सी-III शालीमार बाग
4.	बृज भूषण तिवारी	31.7.78	12-बी पब्लिक ब्लाक ए/पाकेट-III शालीमार बाग
5.	एम.एस. संजीवी राव	21.12.78	77 ए/ए-14 कालका जी
6.	गंगा भगत सिंह	29.7.78	52 ए - वही—
7.	पी. पार्थ सारथी	1-12.78	53 ए—वही—
8.	एल एल. कूपर	1.8.77	51 ए—वही—
9.	एम.ए. हनान अल्हज	30.3.77	54 ए—वही—
10.	निरंजन प्रसाद	18.8.77	56 ए—वही—
11.	श्याम सुन्दर लाल	29.6.78	55 ए—वही—
12	श्रीमती उमारा वशीर पत्नी श्री वशीर अहमद	30.12.77	57 ए—वही—
13.	लाखन सिंह	20.12.78	36सी/ए-13 कालका जी
14.	बीरेन्द्र प्रसाद	5.12.78	बी 28/जी-1 दिलशाद गार्डन
15.	एस. मुर्तवा	7.7.78	16 सी/ए 12 कालका जी
16.	पीयुष तिरकी	28.11.76	27 बी/ए 10 कालका जी
17.	मोहम्मद समसुल हसन खान	जुलाई 77	9 डी, सराय जुलहा
18.	गार्गी शंकर मिश्र	21.10.75	45 डी. शेख सराय
19.	सुखदेव प्रसाद	29.9.77	38 बी—वही—
20.	राम किंकर	20.12.77	37 बी—वही—
21.	मुलतान सिंह	26.8.77	32 सी—वही—

1		2	3
22.	विजय कुमार एन. पाटिल	7.12.78	9 ए—शेख सराय
23.	श्रीमती अजीज इमाम	31.7.78	44 सी—वही —
24.	कमला पति त्रिपाठी	15.10.77	28 बी—वही —
25.	आनन्द राम जायसवाल	31.7.78	4 सी—वही —
26.	श्याम सुन्दर लाल स्वामी	28.7.78	7 सी/ए 10 कालका जी
27.	एम.आर. कृष्ण	20.12.75	36 बी शेख सराय
28.	बाबू काला	—	24 सी शेख सराय

विवरण III

संसद सदस्यों को आबंटन के ब्यौरे

क्रम सं०	संसद सदस्य का नाम	योजना के अन्तर्गत आबंटित प्लाट/फ्लैट
1.	श्री महेन्द्र मोहन मिश्रा	ए-104 प्रशान्त विहार
2.	श्री आर.एन. यादव	सी (उत्तारी)/33 पीतमपुरा
3.	श्रीमती वी. जेय लक्ष्मी	बी-1 ए मालवीय नगर एक्स०
4.	श्री एस.डी. सिंह चौरसिया	ए-1/173 पश्चिम विहार
5.	श्री चरणजीत चानना	ए-1/172 पश्चिम बिहार
6.	श्री राम कृपा सिन्हा	ए-103 पश्चिम बिहार
7.	मुल्क गोविन्द रेड्डी	ए-/26 जनकपुरी
8.	श्री जगबीर सिंह	डी-13 विकासपुरी
9.	श्री कृष्ण कृपलानी	ए-/153 पश्चिम विहार
10.	श्रीमती एम. चन्द्र शेखर	बी-1 बी मालवीय नगर एक्स०
11.	श्री जी. वाई. कृष्णन	सी (उत्तरी) 35 पीतमपुरा
12.	श्री पी. के. देव	सी-67 फ्रेण्डस कालोनी

1		2
13.	एन. आर. लश्कर	ए-1/361 जनकपुरी
14.	प्यारे लाल कुरील (तालिब)	डी-11 विकासपुरी
15.	विजय कुमार मलहोत्रा	ई-110 मालवीय नगर एक्स०
16.	श्री रामधन	ए-105 प्रशान्त विहार
17.	एफ कौट जंग	ए-102 प्रशान्त विहार
18.	एफ.एच. मोहसिन	बी-1 मालवीय नगर एक्स०
19.	प्रपण मुखर्जी	ए-101 प्रशान्त विहार
20.	भगवान दीन	बी-10 मालवीय नगर एक्स०
21.	श्री एम. एस. संजीवी राव	सी-67ए फ्रेण्डस कालोनी
22.	श्रीमती बी० राघावाई आनन्द राव	ई-105 मालवीय नगर एक्स०
23.	श्री डी.पी. चट्टोपाध्याय	ए-3/146 जनकपुरी
24.	एस.एन. सिन्हा	ए-174 पश्चिमपुरी
25.	मोहम्मद शफी कुरेशी	बी-4/246 सफदरजंग
26.	जगन्नाथ राव	पी टी-62/4 कालका जी
27.	देवेन्द्र सतपथी	पी टी 62/9 कालका जी
28.	श्री आर. डी. जगताप अरारगांवकर	पी टी 62/2 कालका जी
29.	शक्ति कुमार सरकार	पी टी 62/3 कालका जी
30.	एम.एम. हशीन	पी टी 62/10 कालका जी
31.	श्री वी. तुलसी राम	पी टी 62/23 कालकाजी
32.	जी. वेंकटास्वामी	पी टी 62/14 कालका जी
33.	नागेश्वर प्रसाद शाही	पी टी 62/22 कालकाजी

"फूड क्राप" के हिन्दी और अंग्रेजी के सम्पादकों के वेतनमानों में अन्तर

10209. श्री रामावतार शास्त्री : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम द्वारा "फूड क्राप" नामक पत्रिका का नियमित रूप से प्रकाशन किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इसकी सम्पादकीय सेवा में अंग्रेजी और हिन्दी के सम्पादकों तथा अन्य कर्मचारियों की पृथक-पृथक संख्या कितनी है;

(ग) क्या उनके वेतनमानों आदि में समानता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

इलैक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा०एम० एस० संजीवी राव) : (क) जी हां। तथापि, पत्रिका का नाम "फूड कार्प" है।

(ख) इस पत्रिका का सम्पादन और प्रकाशन प्रकाशनों के सम्पादक द्वारा किया जाता है। पत्रिका के हिन्दी भाग का सम्पादन उप-प्रबन्धक (हिन्दी) द्वारा किया जाता है जोकि भारतीय खाद्य निगम के मुख्यालय के हिन्दी सैल के प्रमुख हैं। सम्पादक, जोकि पत्रिका के समन्वय, प्रकाशन और वितरण के लिए जिम्मेदार हैं, को एक आशुलिपिक भी दिया गया है।

(ग) और (घ) सम्पादक और उप-प्रबन्धक (हिन्दी) के पदों का एक समान वेतनमान अर्थात 1100-50-1600 रुपये है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

राजस्थान में बीज फार्मों की स्थापना

10210. श्री बुद्धि चन्द्र जैन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में विभिन्न खाद्य फसलों जैसे गेहूं, बाजरा, तिलहन, मक्का, जौ, धान आदि के बीजों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कितने बीज फार्म स्थापित किये गये हैं, अथवा स्थापित करने का विचार है और ये कहां कहां स्थित हैं;

(ख) इन का फार्मों में मूल बीज और विकसित बीज का कुल अनुमानित उत्पादन कितना है;

(ग) क्या इन फार्मों से बीजों का उत्पादन, राजस्थान की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगा; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या केन्द्रीय सरकार का विचार राजस्थान सरकार की सहायता करने का है; यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) भारतीय राज्य फार्म निगम भारत सरकार का प्रतिष्ठान है । इसकी सूरतगढ़, सरदारगढ़ तथा जेतसर में तीन फार्म हैं । इसके अतिरिक्त, विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से राजस्थान सरकार स्वयं द्वारा स्थापित 58 फार्मों में से लगभग 40 ब्लाक स्तरीय फार्मों में बीज का उत्पादन करती है, जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है । राज्य में बीजों के उत्पादन करने के लिए किसी नये फार्म को स्थापित करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) आधारी एवं प्रमाणीकृत बीजों के उत्पादन के आंकड़े अभी राज्य सरकार से नहीं मिले हैं । 1982-83 के दौरान भारतीय राज्य फार्म निगम ने 49500.06 क्विंटल आधारी बीजों तथा 57525.18 क्विंटल प्रमाणीकृत बीजों का उत्पादन किया था ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) राज्य की मांग तथा आन्तरिक उपलब्धि के बीच के अन्तर को राष्ट्रीय बीज निगम, अन्य राज्यों के राज्य बीज निगमों, निजी बीज सप्लायरों आदि जैसे वाह्य स्रोतों की सप्लाई से पूरा किया जाता है ।

विवरण

राजस्थान में स्थापित फार्मों की संख्या

क्रम सं०	जिले का नाम	फार्म का स्थान		
	1	2	3	4
1.	जलवर	1. मौजपुर	2. टिकारोली	3. नागन
2.	अजमेर	2. टाबीजी		
3.	भीलवाड़ा	5. अरजीया	6. रूपहेली	7. कल्याणपुर

	1	2	3	4
4.	बुंदी	9. गाटंडा	10. सियाना	11. छत्तरपुर
5.	बाड़मेर	12. सादरी		
6.	भरतपुर	13. मालकपुर	14. सीवर	15. खेमड़ी
7.	चित्तौड़गढ़	16. मूनगना	17. चित्तौड़गढ़	18. घारीवाड़
8.	चूरू	20. खासोली		19. भडसर
9.	दौसा	21. बदवा	22. पाडासोली	
10.	डुंगरपुर	23. डमरिया		
11.	हनुमानगढ़	24. हनुमानगढ़		
12.	जालौर	25. रसियावास	26. संथू	
13.	झुनझुनू	27. बसबिजाना		
14.	जयपुर	28. दुर्गापुर		
15.	जोधपुर	29. रामपुरा	30. बिलाड़ा	
16.	जैसलमेर	31. जेठा		
17.	झालावार	32. खानपुर	33. इकलेरा	36. सुलतानपुर
18.	कोटा	34. लाडपुरा	35. उमेदगंज	37. कवाइ
19.	नागौर	38. हरसोर	39. रियान	
20.	पाली	40. सूरायता	41. हेमावास	42. सूमरपुर
21.	सिरोही	43. ओराडा		
22.	माधोपुर	44. मलारना डूंगर	45. बहरानवांडा	46. माधोपुर
23.	सीकर	47. श्री माधोपुर	48. पलसना	
24.	श्री गंगानगर	49. राय सिंग नगर	50. जेलसर	51. पदमपुर
		52. श्री गंगानगर	53. कर्णपुर	
25.	टोंक	54. टोंक	55. फरसिया	56. डिगी
26.	उदयपुर	57. मावली	58. लावा सरदारगढ़	

राजस्थान भवन के निर्माण के लिए भूमि का आवंटन

10211. **श्री भीखाभाई** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान संस्था संघ ने राजस्थान भवन के निर्माण के लिए भूमि का आवंटन करने हेतु लिखित रूप से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो उनके मंत्रालय द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) सामुदायिक उद्देश्यों के लिए भूमि के आवंटन में देरी के क्या कारण हैं ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं। तथापि, राजस्थान रत्नाकर (पंजीकृत) समिति से एक अनुरोध प्राप्त हुआ है।

(ख) 15.12.83 को दिल्ली विकास प्राधिकरण ने संस्थान को सलाह दी थी कि वह संस्थानों को भूमि के आवंटन के लिए निर्धारित मूलभूत औपचारिकताओं को पूरा करें।

(ग) राजस्थान रत्नाकर (पंजीकृत) समिति ने अभी तक औपचारिकताओं को पूरा नहीं किया है।

तमिलनाडु द्वारा केन्द्रीय पूल में चावल का अंशदान

10212. **श्री आर० प्रभु** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तमिलनाडु के मुख्य मंत्री ने केन्द्रीय पूल के लिए एक लाख टन चावल देने की पेशकश की है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इलैक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) और (ख) तमिलनाडु सरकार के खाद्य मंत्री ने केन्द्रीय खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री को सूचित किया है कि यदि उनके पास अपनी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए पर्याप्त स्टाक होंगे तो तमिलनाडु सरकार केन्द्रीय भण्डार में अंशदान देगी।

भारतीय लोगों के अकाल संबंधी न्यास

10213. **श्री के० ए० स्वामी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय लोगों के अकाल संबंधी न्यासों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन न्यास की निधियों का राज्यवार किस प्रकार वितरण किया जाता है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) वर्ष 1900 में जयपुर के तत्कालीन राजसी राज्य के स्वर्गीय महाराजा द्वारा स्थापित भारतीय लोक अकाल न्यास नामक न्यास इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य कर रहा है। यह न्यास प्रबन्ध मंडल द्वारा संचालित किया जाता है, जिसके अध्यक्ष केन्द्रीय कृषि मंत्री हैं प्रबंध मंडल के अन्य सदस्य निम्नलिखित हैं :—

1. भारत संघ के सभी 22 राज्यों से एक-एक प्रतिनिधि;

2. भारत सरकार द्वारा नियुक्त पांच व्यक्ति, जिनमें से तीन गैर-सरकारी सदस्य हैं, जो तीन वर्ष की अवधि के लिए कार्यभार सम्भालते हैं। अन्य दो सदस्य हैं :—

   (1) कृषि और सहकारिता विभाग के सचिव; तथा

   (2) कृषि मंत्रालय के मुख्य लेखा नियंत्रक 1 मुख्य लेखा नियंत्रक न्यास के अवैतनिक सचिव के रूप में भी कार्य करता है। तथापि, इस प्रावधान में संशोधन किया जा रहा है।

(ख) अनुदान के संवितरण का कार्य प्रत्येक मामले में प्राकृतिक विपदा के गुणावगुणों एवं भयंकरता के बारे में विचार करने के पश्चात राज्यों/संस्थानों/व्यक्तियों को किया जाता है। अनुदान का कोई राज्यवार कोटा निर्धारित नहीं किया गया है।

भारतीय उर्वरक निगम द्वारा घटिया किस्म के उर्वरकों का आयात

10214. **श्री के० ए० स्वामी :**
श्री जगपाल सिंह :
श्री राजेश कुमार सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय उर्वरक निगम की हरियाणा शाखा में भारी मात्रा में घटिया किस्म के उर्वरकों को 1976 से नहीं उठाया गया।

(ख) क्या यह सच है कि उनमें से अधिकांश उर्वरक आयातित थे ; और

(ग) यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) भारतीय खाद्य निगम देश में आयातित उर्वरकों का वितरण करने वाली एजेंसियों में से एक है। 1 मार्च 1976 से पूर्व भारतीय खाद्य निगम भारत सरकार के एजेंट के रूप में आयातित उर्वरकों की संभाल तथा वितरण का कार्य करता था। 1 मार्च 1976 से आयातित गैर-पोटाशयुक्त उर्वरकों का स्वामित्व उन्हें दिया गया जबकि माल महासमुद्र में था। भारतीय खाद्य निगम की हरियाणा शाखा के पास 29-2-1984 को 21,937 मीटरी टन घटिया उर्वरक पड़ा हुआ था। इन भंडारों का जमा होना एक सामान्य प्रक्रिया है जो संभाल तथा भंडारण की लम्बी अवधि के कारण होती है। ये भंडारण अधिकांशतः हरियाणा राज्य भांडागार निगम और केन्द्रीय भाँडागार निगम के गोदामों में संचित किये जाते हैं।

अन्तर्राज्यीय नदियों और नदी की घाटियों का विकास

10215. **श्री के०ए० स्वामी** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राज्यीय नदियों और नदी घाटियों के विनियमन और विकास के लिए कोई ठोस उपाय किए गए हैं तथा सामान्य नियम निर्धारित किए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) से (ग) अन्तर्राज्यीय नदियों के विनियमन तथा विकास के लिए कोई विशेष मानदण्ड निर्धारित नहीं किए गए हैं। संविधान के अधीन जल एक राज्य विषय है। विवादों के अधिनिर्णय हेतु कानून बनाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 262 में संसद को अधिकार दिए गए हैं तथा इस प्रावधान के अन्तर्गत 1956 में अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियमन पारित किया गया था। संविधान की सातवीं अनुसूची के अधीन संघ सूची की प्रविष्टि संख्या 56 में भी अन्तर्राज्यीय नदियों तथा नदी घाटियों के विनियमन और विकास के वास्ते केन्द्र सरकार को अधिकार दिये गए हैं। अब तक संबंधित राज्यों के बीच सीधी बातचीत को प्रोत्साहन देकर तथा केन्द्र सरकार के सद्भावना प्रयासों के माध्यम से अन्तर्राज्यीय नदियों तथा नदी घाटियों के विकास को विनियमित किया गया है।

समन्वित अनुसंधान परियोजनाओं और योजनाओं द्वारा मध्य प्रदेश को दी गई धन राशि

10216. **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या कृषि मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शानेवाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की "समन्वित अनुसंधान परियोजनाओं और योजनाओं" द्वारा वर्ष 1981, 1982 और 1983 के दौरान मध्य प्रदेश में क्षेत्रीय स्टेशनों और केन्द्रों के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई है ; और

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा मध्य प्रदेश के क्षेत्रीय स्टेशनों में शुरू की गई विशेष परियोजनाओं और योजनाओं का ब्यौरा क्या है और तत्संबंधी उपलब्धियां क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा उसे शीघ्र ही सभा के पटल पर रख दिया जायेगा ।

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत मध्य प्रदेश को सहायता

10217. **श्री दलीप सिंह भूरिया** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान "न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम" के अन्तर्गत केन्द्र द्वारा मध्य प्रदेश राज्य को कितनी वित्तीय सहायता दी गई ;

(ख) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार द्वारा ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए आबंटित की गई, तमाम राशि को पूरी तरह इस्तेमाल कर लिया है ;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जातियों को बस्तियों और अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों को मुख्य सड़कों के साथ जोड़ने के उद्देश्य से कोई ग्रामीण सड़क निर्माण योजना तैयार की है ;

(ङ) यदि हां, तो उसका क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है ;

(च) क्या सरकार का ध्यान मध्य प्रदेश में प्रगति की धीमी गति की ओर आकर्षित किया गया है और ;

(छ) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) व (ग) केन्द्र द्वारा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण सड़कों के लिए कोई धनराशि आबंटित नहीं की जाती है ।

(घ) व (ङ) छठी योजना में मध्य प्रदेश सरकार ने सड़कों के निर्माण के लिए 343 लाख रु० की व्यवस्था की है, ताकि हर जिले के कम से कम एक ऐसे गांव को सड़क से जोड़ा जा सके, जहां अधिकतर अनुसूचित जातियों के लोग रहते हों। जहां तक राज्य में अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का संबंध है, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण सड़कों के निर्माण हेतु छठी योजनावधि में 2299 लाख रु० का प्रावधान किया गया है।

(च) जी नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

राज्य और केन्द्रीय योजनाओं में मध्य प्रदेश के लिए छठी योजना 1980-85 के दौरान न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम हेतु सुलभ की गई धनराशि।

(लाख रुपयों में)

	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के घटक	राज्य योजना	केन्द्रीय योजना
1.	ग्रामीण विद्युतीकरण	4855	
2.	ग्रामीण सड़कें	4000	
3.	प्रारम्भिक शिक्षा	6460	630.48 *
4.	ग्रामीण स्वास्थ्य	3607	1343.51 **
5.	ग्रामीण जल आपूर्ति	6000	4482.00
6.	ग्रामीण आवास	2900	
7.	गंदी बस्तियों का पर्यावरणिक सुधार	800	
8.	पोषाहार	2000	
	योग	30,622	6430.03

* वर्ष 1980-81 से 1983-84 के दौरान मंजूर की गई धनराशि।

** 1980-84 के चार वर्षों के दौरान आबंटन।

नोट: प्रारंभिक शिक्षा, ग्रामीण स्वास्थ्य और ग्रामीण जल आपूर्ति के अलावा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्य घटकों के लिए कोई केन्द्रीय धनराशि प्रदान नहीं की जाती है।

स्रोत=राज्य योजना प्रस्तावों के लिए छठी योजना प्रलेख तथा केन्द्रीय योजना प्रावधानों के लिए संबंधित केन्द्रीय मंत्रालय।

भारतीय खाद्य निगम कानपुर में महिला कर्मचारियों के वेतन ढ़ाचे में असंगति

10218. **श्री आर० एन० राकेश :**

श्री त्रिलोक चन्द : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ए० जी०-II (जी) संवर्ग के ए० जी०-II (एम) में परिवर्तित होने के फलस्वरूप भारतीय खाद्य निगम, कानपुर में काफी संख्या में महिला कर्मचारियों के वेतनमान कम किये गये थे ;

(ख) यदि हां, तो उनके वेतनमान में कमी करने का क्या औचित्य है ; और

(ग) सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों के वेतनमान की असंगति को दूर करने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में, तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा. एम. एस० संजीवी राव) : (क) से (ग) कुछ महिला कर्मचारियों, जिन्हें प्रारम्भ में भारतीय खाद्य निगम के जिला कार्यालय, कानपुर में सहायक ग्रेड-III (डी०) के पद पर नियुक्त किया गया था और जिन्हें तदर्थ आधार पर सहायक ग्रेड-II (डी०) के पद पर पदोन्नति दी गई थी, ने उन्हें डिपो संवर्ग से बदल कर अनुसचिवीय संवर्ग में भेजने के लिए अनुरोध किया था। उनके अनुरोध को विशेष मामले के रूप में इस शर्त पर मान लिया गया था कि वे डिपो संवर्ग में अपनी वरीयता को छोड़ देंगी। अतः संवर्ग में परिवर्तन होने के फलस्वरूप उनका पदनाम बदल कर सहायक ग्रेड-III (एम०) कर दिया गया था और उनका वेतन इस पद के वेतनमान में निर्धारित किया गया था जो कि सहायक ग्रेड-II (डी०)/सहायक ग्रेड-II (एम०) से कम है।

"नाफेड" द्वारा पान के पत्तों की खरीद

10219. **श्री सत्य गोपाल मिश्र :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नाफेड ने हमारे देश के बाजारों में पान के पत्तों की खरीद आरम्भ की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या नाफेड ने पान के पत्तों के निर्यात "ट्रेड" का कार्य आरम्भ किया है ;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (च) नाफेड ने न तो हमारे देश के बाजारों में पान के पत्तों की खरीद की है और न ही निर्यात व्यापार में, क्योंकि किसी भी विपणन सहकारी समिति ने पान के पत्तों के विपणन में उनकी सहायता करने के लिए नाफेड से कोई अनुरोध नहीं किया है इसके अलावा भारत से पान के पत्तों का निर्यात बहुत ही कम मात्रा में हुआ है ।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा अनुसंधान संस्थाओं के लिए योजना राशि जारी करना

10220: **श्री बी० डी० सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् अपनी अनुसंधान संस्थाओं/केन्द्रों को वार्षिक योजना राशि राज्य कृषि विश्वविद्यालयों की तुलना में अधिक बार जारी करती हैं, जबकि कृषि, शैक्षिक और अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान केन्द्र का संचालन प्रारम्भिक तौर पर कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा होता है और उनकी दिन-प्रतिदिन की कार्य आवश्यकताएं अनुसंधान संस्थाओं से मिलती जुलती है ;

(ख) यदि हां, तो परिषद् द्वारा इन संस्थाओं और कृषि विश्वविद्यालयों को अनुदान राशि जारी करने का मानदंड/प्रणाली क्या है और इस प्रकार की दोहरी नीति के क्या कारण हैं जो कि राज्य विश्वविद्यालयों के लिए कम लाभकारी है तथा विश्वविद्यालयों और इसकी संस्थाओं को अलग-अलग 1978-79 से 1983-84 तक वर्ष-वार कितनी योजना धनराशि जारी की गई ; और

(ग) परिषद् द्वारा 1980-81 से 1983-84 तक वर्ष वार आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में कृषि विश्वविद्यालयों और परिषद् की संस्थाओं को परियोजना-वार कितनी योजना राशि, जारी की गई और यह धनराशि किस तारीख को जारी की गई ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) कृषि विश्व विद्यालयों को वर्ष में दो बार निधियां रिलीज की जाती हैं । ये निधियां उन्हें उनकी उन मांगों पर दी जाती हैं जिनमें वे रोकड़ जमा और उपयोग में लायी जाने वाली राशि का उल्लेख करते हैं । ये रिलीज पहले जारी किए गए अनुदानों के लिए उनके लेखा परिक्षित उपयोग प्रमाणपत्रों के ऊपर भी निर्भर है । ऐसी रिलीज की गई निधियां सहायता अनुदान के रूप में होती हैं । तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा स्वीकृत विभिन्न अनुसंधान गतिविधियों को पूरा करने के लिए उन्हें दी जाती हैं ।

इसके विपरीत, संस्थान जारी की गई स्वीकृतियों और बजट में किए गए प्रावधानों के अनुसार खर्च करते हैं। ऐसे खर्च को वहन करने के लिए उन्हें परिषद के मुख्यालय से समय समय पर निधियां प्रदान की जाती हैं। विश्वविद्यालयों को रिलीजों की तुलना संस्थानों को किए जाने वाले रिलीजों से नही हो सकती।

(ग) पूर्वोक्त को ध्यान में रखते हुए इस सम्बन्ध में कोई सूचना प्रस्तुत करने का प्रश्न ही नहीं उठता विशेषकर क्योंकि कृषि विश्वविद्यालयों को जारी की गयी निधियों के सम्बन्ध में खाते प्रायोजनावार रखे जाते हैं, ना की विश्वविद्यालयवार रखे जाते हैं।

सेवा निवृत सरकारी कर्मचारियों द्वारा सरकारी आवास को खाली करना

10221. **डा० कृपा सिन्धु भोई** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कितने सेवा निवृत सरकारी कर्मचारी सरकारी आवास में निर्धारित समय से अधिक समय से रह रहे हैं ;

(ख) उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उनसे आवास को खाली कराने और उनको जरूरतमंद अन्य सरकारी कर्मचारियों को आबंटित करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री **(श्री मल्लिकार्जुन)** : (क) 741.

(ख) किसी अधिकारी को आबंटित निवास कतिपय शर्तों पर सेवा निवृत्ति पर उसके द्वारा दो महीनों तक रखा जा सकता है बशर्ते कि वह निवास उस अधिकारी या उसके परिवार के सदस्यों के वास्तविक उपयोग के लिए अपेक्षित हो। उसके बाद आबंटन रद्द समझा जाता है तथापि, विशेष मामलों में कोई अधिकारी दो महीनों के बाद बढ़ी हुई लाइसेन्स फीस के भुगतान पर 6 माह की और अवधि तक निवास को अपने पास रख सकता है। कतिपय मामलों में आबंटी इस 6 माह की अवधि के बीत जाने के बाद भी अनधिकृत रूप से निवास को अपने पास रखते हैं और जहां कहीं भी आवश्यक होता है निवास को खाली कराने के लिए लोक परिसर (अनधिकृत दखलकारों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ की जाती है। बेदखली का आदेश पारित करने के बाद कुछ सेवा निवृत कर्मचारी न्यायालय से रोकादेश प्राप्त कर लेते हैं।

(ग) निवास को खाली कराने के लिए लोक परिसर (अनधिकृत दखलकारों की बेदखली अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ की जाती है।

राज्यों में चावल उत्पादन योजना

10222. श्री पी० एम० सईद :
श्री बी० वी० देसाई :
श्री एन० ई० होरो :
श्री लक्ष्मण मलिक :
श्री विजय कुमार यादव :
श्री अर्जुन सेठी :
श्री संतोष मोहन देव : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रति एकड़ उपज बढ़ाने के लिए पांच करोड़ रुपये की प्रायोगिक चावल उत्पादन परियोजना चलाई जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत किन किन राज्यों को सम्मिलित किये जाने की सम्भावना है ;

(ग) इस समय इन राज्यों की प्रति एकड़ क्या उपज है ;

(घ) परियोजना को कब तक प्रारम्भ किये जाने की सम्भावना है ; और

(ङ) क्या इस परियोजना का ब्यौरा तैयार कर लिया गया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) असम, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल राज्यों के चुनिन्दा खंडों में चावल के उत्पादन/उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए एक मार्गदर्शी परियोजना शुरू करने का प्रस्ताव है ।

(ग) इन राज्यों में 1982-83 में चावल की प्रति हैक्टार उपज नीचे दी गई है :—

राज्य	उपज किलोग्राम प्रति हैक्टार
असम	1121
बिहार	681
मध्य प्रदेश	711
उड़ीसा	728
उत्तर प्रदेश	1115
पश्चिम बंगाल	1018

(घ) और (ङ) मार्गदर्शी परियोजना के खरीफ 1984-85 से शुरू होने की सम्भावना है। परियोजना तैयार करने हेतु मार्गदर्शी सिद्धांत राज्यों को भेज दिए गए हैं।

भारतीय राज्य फार्म निगम को हुई हानि

10223. **श्री बी० वी० देसाई :**
श्री एम० वी० चन्द्र शेखर मूर्ति :
श्री के० मालन्ना :
श्री अर्जुन सेठी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय राज्य कृषि निगम को 1982-83 के दौरान काफी अधिक घाटा हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि 1982-83 में 35.83 लाख रुपये की हानि हुई जिससे निगम की कुल हानि बढ़ाकर 307.39 लाख रुपए हो गई ;

(ग) क्या भारतीय राज्य कृषि निगम ने अपनी खस्ता हालत होने के कारण सरकारी ऋण की बकाया किस्तों का भुगतान भी स्थगित कर दिया है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि निगम ने अपने क्रियाकलापों के नये क्षेत्रों का पता लगाने का काम भी बंद नहीं किया है ;

(ङ) क्या बीज उत्पादन कार्यक्रम के लिए दो नई योजनाएं शुरू की गई हैं ;

(च) क्या केन्द्रीय सरकार ने निगम के कार्य निष्पादन में सुधार करने के लिए अपनी गतिविधियों का विविधीकरण करने की सलाह दी है ; और

(छ) यदि हां, तो घाटा कम करने के लिए निगम को अन्य क्या निर्देश जारी किए गए हैं और निगम द्वारा इस बारे में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) वर्ष 1982-83 के दौरान भारतीय राज्य फार्म निगम को 35.33 लाख रुपये की हानि हुई और 30.6.1983 तक संचयी हानि 307.39 लाख रुपये थी। तथापि, हाल के संकेतों के अनुसार निगम को 1983-84 के दौरान 28 लाख रुपये का लाभ होने की आशा है।

(ग) निगम ने अपनी कठिन द्रव्यत्व स्थिति को ध्यान में रखते हुए 99.95 लाख रुपये के सरकारी ऋण की बकाया किस्त और 194.87 लाख रुपये के बकाया ब्याज की पुर्नअदायगी को स्थगित कर दिया था।

(घ) से (च) अपने मुनाफे में इजाफा करने की दृष्टि से निगम ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं :—

(1) प्रजनन बीजों का उत्पादन

(2) राष्ट्रीय बीज परियोजना के अन्तर्गत विभिन्न एजेन्सियों के लिए फार्म उपकरणों की अधिप्राप्ति

(3) चार फार्मों में मत्स्य उत्पादन

(4) सर्वोत्तम सन्तति फलोधान की स्थापना

(5) असम में चारा फार्मों की स्थापना

(6) राष्ट्रीय बीज परियोजना के अन्तर्गत फार्म सम्बन्धी विकास कार्य ।

(छ) निगम के कार्यपद्धति की जांच करने के लिए एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया है और उसकी रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है ।

गुजरात के तटवर्ती क्षेत्र में पेयजल सुविधा का प्रावधान

10224. **श्री मोहन लाल पटेल : क्या निमाण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के तटवर्ती क्षेत्र में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने की योजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या किसी अन्य देश से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और क्या कार्य हुआ है; और

(घ) गुजरात के तटवर्ती क्षेत्र के सभी गांवों को पेयजल सुविधा कब तक उपलब्ध करा दी जाएगी ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) जलपूर्ति राज्य का विषय है और राज्य बजट में दी गई निधियों से योजनाएं राज्य सरकारों द्वारा बनाई तथा कार्यान्वित की जाती हैं । केन्द्र, त्वरित ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुदान देकर राज्यों के साधनों को बढ़ाता है । मात्र गुजरात के तटीय क्षेत्रों में पेयजल सुविधाएं मुहैया करने की योजनाओं के ब्यौरों की सूचना सुलभता से उपलब्ध नहीं हैं । तथापि, 1982 में केन्द्रीय क्षेत्र के त्वरित ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम के आरम्भ से केन्द्र ने 2020.611 लाख रुपये की कुल लागत पर 1542 समस्याग्रस्त ग्रामों की ग्रामीण जल पूर्ति योजनाएं अनुमोदित की हैं । उपलब्ध

सूचना के अनुसार छठी योजना के आरम्भ में राज्य में पता लगाए गए 5318 समस्याग्रस्त ग्रामों में से अभी तक 2083 समस्याग्रस्त ग्रामों को जल सप्लाई मुहैया कराई गई है।

(ख) तथा (ग) इस समय विदेशी सहायता से गुजरात राज्य में दो जल पूर्ति योजनाएं निष्पादनाधीन हैं।

विश्व बैंक (आई०डी०ए०) लगभग 137.5 करोड़ रुपये की लागत की परियोजनाओं के लिए 72 मिलियन अमेरिकी डालर की सहायता देने के लिए सहमत हो गया गया है। इस परियोजना में मल जल निर्यास घटक सहित शहरी तथा ग्रामीण दोनों ही जल पूर्ति घटक शामिल हैं। ग्रामीण घटक के अन्तर्गत 7 क्षेत्रीय वर्गों में विभाजित लगभग 250 समस्या ग्रस्त ग्रामों तथा 110 पृथक-पृथक समस्याग्रस्त ग्रामों को नल जल सप्लाई दी जानी है। परियोजना कार्य के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने वितरण के लिए 10 मिलियन अमेरिकी डालर का अनुमान लगाया है।

नीदरलैंड सरकार भी गुजरात के बनासकांठा जिले के 3 तालुकों में ग्रामीण जल सप्लाई परियोजना के लिए 24 मिलियन डी०एफ०एल० (लगभग 88.8 मिलियन रुपये) की वित्तीय सहायता देने के लिए सहमत हो गई है। इस परियोजना में पेय जल सप्लाई से 72 ग्रामों को लाभान्वित करने का विचार है। गुजरात सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 72 ग्रामों में से अब तक 50 ग्रामों को पेय जल सप्लाई मुहैया करा दी गई है। परियोजना के जून, 1984 तक पूर्ण हो जाने की सम्भावना है।

(घ) यह आशा है कि नए 20 सूत्री कार्यक्रम के सूत्र संख्या 8 के अन्तर्गत तटीय क्षेत्रों सहित राज्य के सभी समस्या ग्रस्त ग्रामों को मार्च, 1985 तक पेय जल सुविधा मुहैया करा दी जायेगी।

वानिकी विकास कार्यक्रम के कारण विस्थापित आदिवासियों का पुनर्वास

10225. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय को उनके मन्त्रालय और राज्यों के वन विकास नियमों द्वारा आरम्भ में किये जा रहे वानिकी विकास कार्यक्रमों, परियोजनाओं के कारण विस्थापित होने वाले आदिवासियों के पुनर्वास के लिए गृह मन्त्रालय द्वारा जारी किये गये मार्ग निर्देशों की जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बधी ब्यौरा क्या है और उनके मंत्रालय द्वारा इन मार्ग निर्देशों को कार्यान्वित करने के लिए, क्या उपाय किये गये हैं और इस सम्बन्ध में राज्यों को क्या मार्ग निर्देश जारी किये गये हैं; और

(ग) पांचवीं और छठी पंचवर्षीय योजनाओं में राज्यों और उनके मंत्रालयों द्वारा कौन सी वानिकी विकास परियोजनाओं को आरम्भ की गई हैं तथा राज्यवार कुल कितने गांवों को हटाया गया और कितने लोग विस्थापित हुए ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) तथा (ख) इस मंत्रालय को सिंचाई, औद्योगिक एवं खनन परियोजनाओं तथा अन्य विकासात्मक कार्यकलापों की वजह से विस्थापित हुए आदिवासियों के पुनर्वास के सम्बन्ध में गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए मार्ग-दर्शनों के बारे में जानकारी है। गृह मन्त्रालय के मार्गदर्शन सभी राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को भेजे गये हैं।

(ग) कृषि मन्त्रालय ने पांचवीं तथा छठी पंच वर्षीय योजनाओं के दौरान कोई ऐसी वानिकी विकास परियोजना शुरू नहीं की है। जिसमें गांवों को अन्तरित करना अथवा लोगों को विस्थापित करना पड़े।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की महा सभा का गठन

10226. **डा० ए० यू० आजमी : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को महा सभा का गठन इसके लिए उद्देश्य कार्य की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए किया गया था यदि हां तो इस सभा में प्रत्येक सदस्य को शामिल करने का क्या औचित्य है तथा 1 जनवरी, 1979 से अब तक हुई बैठकों में बैठक-वार कितने लोगों ने नियमित और/या उसके वैकल्पिक सदस्य के तौर पर नियमित रूप से भाग लिया और जहां नियमित सदस्य 1 मई, 1984 तक हुई एक भी बैठक में भाग नहीं ले सका वहां उसकी कमी पूरी करने के लिए सरकार ने क्या निर्णय किया;

(ख) क्या सरकार ने इस प्रकार की अनुपस्थित के कारणों का पता लगाया है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या बहुत से महत्वपूर्ण सदस्यों की इस प्रकार की निरन्तर अनुपस्थिति से परिषद् के कार्य को स्वतन्त्र निगरानी/मार्गदर्शन संबंधी इस महासभा की अपेक्षित भूमिका पूरी नहीं हो पाती और जो सदस्य बैठक में भाग लेते हैं वे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा नियंत्रित संस्थाओं के प्रतिनिधियों की एक अंतरिक सभा होती है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हाँ, श्रीमान, भा०कृ० अ०प० के सामान्य निकाय के गठन पर भा०कृ०अ०प० के सामान्य निकाय को दिनांक 18-1-1975 को हुई बैठक में विचार किया गया था और इसे अपनाया गया था।

दिनांक 1.1.1979 से 1.5.9184 तक हुई सामान्य निकाय की बैठकों की तिथियों और इन बैठकों में भाग लेने वाले भा०कृ०अ०प० सोसायटी के सदस्यों के नामों को दर्शाने वाली सूचियां अनुबंध I से VIII तक दी गई है। [ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 837/284] भा०कृ०अ०प० सोसायटी के नियमों के अनुसार भा०कृ०अ०प० सोसाइटी के एक मनोनीत सदस्य का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है और भा०कृ०अ०प० सोसाइटी के अध्यक्ष से अनुमति लिये बिना यदि कोई सदस्य भा०कृ०अ०प० सोसाइटी को लगातार तीन बैठकों में भाग नहीं लेता है तो उसके कार्यकाल का निर्धारण किया जायेगा।

भा०कृ०अ०प० सोसाइटी के पदेन सदस्य अपने पद की हैसियत से अथवा जिस पद पर वे नियुक्त हैं, सामान्य निकाय के सदस्य बन जाते हैं तथा जब वे उस पद या नियुक्ति को समाप्त करते हैं तो उनकी सोसाइटी की सदस्यता समाप्त हो जाती है।

(ख) जी नहीं, श्रीमान सरकार भा०कृ०अ०प० के सामान्य निकाय की बैठकों में इसके मनोनीत सदस्यों द्वारा भाग न लेने के कारणों का पता न लगा सकी। विगत में ऐसी कोई परम्परा नहीं रही है अथवा नियमानुसार यह अपेक्षित नहीं है।

(ग) जी नहीं, श्रीमान। भा०कृ०अ०प० सोसाइटीकी बैठकें केवल तभी की जाती हैं जब नियमों में रखा गया कोरम पूरा हो जाता है। सरकारी सदस्यों के अतिरिक्त भा०कृ०अ०प० के सामान्य निकाय में सांसद, कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपति, परिषद के और इसके बाहर के वैज्ञानिक, वाणिज्य और उद्योग के प्रतिनिधि, किसान/ग्रामीण प्रतिनिधि भी सम्मिलित होते हैं। इन सदस्यों में से बहुत से सदस्य भा०कृ०अ०प० सोसाइटी की बैठकों में भाग लेने में बहुत उत्सुक रहते हैं। इसलिए, यह कहना सही नहीं है कि भा०कृ०अ०प० के सामान्य निकाय की बैठक में यदि कुछ सदस्य भाग नहीं लेते हैं तो यह भा०कृ०अ०प० द्वारा नियंत्रित संगठनों के प्रतिनिधियों का एक आंतरिक निकाय बन जाता है।

विभागीय कैंटीन भंडारों द्वारा बेची गई उपभोक्ता वस्तुएं

10227. डा० ए० यू० आजमी : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभागीय कैंटीनों/भंडारों द्वारा रक्षा मंत्रालय के सिविलियन कर्मचारियों आदि को बेची गई उपभोक्ता वस्तुएं सुपर बाजार केन्द्रीय भंडार और बाजार में बेची जाने वाली सामान वस्तुओं से कहीं सस्ती होती हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और क्या इन एजेन्सियों द्वारा वसूल किये जाने वाले तुलनात्मक मूल्य सभा पटल पर रखे जायेंगे ; और

(ग) क्या उपभोक्ता वस्तुओं पर दर्शाए गए अधिकतम खुदरा मूल्य और उसके स्थानीय कर उपभोक्ताओं से निश्चित रूप से लिए जाते हैं ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राय) : (क) जी हां।

(ख) विभिन्न कैन्टीन स्टोर्स डिपार्टमेंट द्वारा सस्ती दरों पर वस्तुएं बेचने के कारणों को संक्षेप में इस प्रकार कहा जा सकता है :—

i) विनिर्माताओं द्वारा कैन्टीन स्टोर्स डिपार्टमेंट को दी जाने वाली वस्तुओं के निर्गम मूल्य, उनके द्वारा अन्य संगठनों से लिए जाने वाले मूल्यों से कम हैं।

ii) कैन्टीन स्टोर्स डिपार्टमेंट में कुछ वस्तुओं पर बिक्री कर से छूट है, जबकि अन्य संगठनों के लिए कोई छूट नहीं है।

iii) कुछ वस्तुओं पर सेना कर्मचारियों से बिक्री कर नहीं लिया जाता है।

iv) कैन्टीन स्टोर्स डिपार्टमेंट की कैन्टीनों द्वारा बेची जाने वाली वस्तुओं का बिक्री मूल्य, उनकी लागत में सर्विस प्रभार के रूप में 1½ प्रतिशत राशि जोड़कर नियत किया जाता है। गैर-सेना कर्मचारियों के मामले में कुछ वस्तुओं के बारे में सर्विस प्रभार 6½ प्रतिशत है। दूसरी तरफ अन्य संगठन जिसमें सहकारी संस्थाएं शामिल हैं, विभिन्न खर्चों को ध्यान में रखते हुए लाभांश नियत करते हैं।

v) कैन्टीन स्टोर्स डिपार्टमेंट कैन्टीनें उन सभी वस्तुओं का व्यापार नहीं कर रही हैं जिनका व्यापार सुपर बाजार तथा केन्द्रीय भण्डार द्वारा किया जाता है। जिन वस्तुओं के तुलनात्मक मूल्य मांगे गये हैं, उनकी सूची की अनुपस्थिति में सभा पटल पर सूचना रखना सम्भव नहीं है।

(ग) जी नहीं। सुपर बाजार तथा केन्द्रीय भण्डार के बिक्री मूल्य आमतौर पर वस्तुओं पर अंकित अधिकतम खुदरा मूल्य से कम होते हैं। यहां तक कि कई मामलों में बिक्री मूल्य तथा बिक्री कर मिलाकर अंकित अधिकतम खुदरा मूल्य से कम होते हैं।

छठी योजना में वर्षा पर आधारित भूमि के लिए सिंचाई सुविधाएं

10228. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी योजना में वर्षा पर आधारित भूमि के लिए सिंचाई की व्यवस्था का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ;

(ख) अब तक छठी योजना के दौरान वर्षा पर आधारित कितने क्षेत्रों को सिंचाई के अन्तर्गत लाया गया है ; और

(ग) अब तक चालू योजना अवधि में वर्षा पर आधारित भूमि के लिए सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य-वार क्या लक्ष्य था और इसको किस सीमा तक प्राप्त किया गया ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) छठी योजना अवधि के लिए 13.74 मिलियन हैक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।

(ख) छठी योजना के पहले चार वर्षों के दौरान 9.12 मिलियन हैक्टेयर सिंचाई क्षमता के सृजित कर लिए जाने की प्रत्याशा है।

(ग) छठी योजना के दौरान राज्य-वार लक्ष्यों तथा 1983-84 तक प्रत्याशित उपलब्धियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

छठी योजना के दौरान राज्य-वार लक्ष्यों तथा 1983-84 तक प्रत्याशित उपलब्धियों का ब्यौरा

(हजार हैक्टेयर में)

क्रम सं०	राज्य का नाम	लक्ष्य			उपलब्धियां		
		बृहद और मध्यम	लघु	जोड़	बृहद और मध्यम	लघु	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	
1.	आंध्र प्रदेश	280	255	535	416	206.23	622.23
2.	असम	78	85	163	32	72.57	104.57
3.	बिहार	407	781	1138	334	705.64	1039.64
4.	गुजरात	402	156.6	358.6	209	116.6	325.6
5.	हरियाणा	102	135	237	122	128.5	250.5

1	2	3	4	5	6	7
6. हिमाचल प्रदेश	4	17	21	6	19.5	25.5
7. जम्मू और काश्मीर	43	16.8	59.8	90	18.42	108.42
8. कर्नाटक	317	163	480	153	91.72	244.72
9. केरल	149	71	220	89	62.65	151.65
10. मध्य प्रदेश	366	365	731	281	305.30	586.30
11. महाराष्ट्र	497	242	739	423	221.5	644.5
12. मणिपुर	34	10	44	23	9.4	32.4
13. मेघालय	—	8	8	—	11.6	11.6
14. नागालैंड	—	7	7	—	10.88	10.88
15. उड़ीसा	124	307	431	121	175.5	296.5
16. पंजाब	132	163	295	140	147.4	287.4
17. राजस्थान	327	122	449	208	139.41	347.41
18. सिक्किम	—	4.5	4.5	—	3.75	3.75
19. तमिलनाडु	36	114	150	45	121.2	166.2
20. त्रिपुरा	—	6.3	6.3	—	5.68	5.68
21. उत्तर प्रदेश	740	2619	3359	749	2796.8	3545.8
22. पश्चिम बंगाल	157	309.5	466.5	97	194.55	291.55
कुल संघ राज्य क्षेत्र	—	23.3	23.3	—	18.51	18.51
कुल जोड़	3995	5931.0	9926	3538	5583.31	9121.31

अनिवासी भारतीयों को एशियाड फ्लैटों की बिक्री

10229. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :**

श्री राम कृष्ण मोरे : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एशियाड फ्लैट को खरीदने के लिए कितने अनिवासी भारतीयों ने बयाना राशि जमा की है ;

(ख) उनमें से अब तक कितनों को "ऐशियाड फ्लैट" आबंटित किए गए हैं ; और

(ग) प्रत्येक फ्लैट की लागत का ब्यौरा क्या है ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 95.

(ख) 78 फ्लैटों के आबंटन पत्रों का एक सप्ताह के भीतर जारी हो जाने की सम्भावना है । 17 व्यक्तियों ने खरीद के लिए अपने अनुरोध को वापस ले लिया है ।

(ग) 29 प्रकार के फ्लैट हैं जिनमें कुर्सी क्षेत्रफल भिन्न-भिन्न हैं तथा एककी से जुड़े आंगन भी भिन्न-भिन्न साइज के हैं । उनकी विक्रय लागत 7,20,000 रुपये से 15,65,600 रुपये के बीच हैं, जिसमें जुड़नार तथा साज़सज्जा की लागत तथा जहां गैराज/सर्वेंट क्वाटरों की व्यवस्था की गई है, वहां उनकी लागत भी शामिल है ।

किसानों के राष्ट्रीय स्तर के स्वयं सेवी संगठन

10230. **श्री हरिकेश बहादुर :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त किसानों के राष्ट्रीय स्तर के स्वयं सेवी संगठनों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) इन संगठनों को किस प्रकार की सरकारी सहायता दी गई है और कार्यक्रमों का भार सौंपा गया है तथा इन कार्यक्रमों के आयोजन के बारे में 1980-81, 1981-82, 1982-83 के वर्षों के लिए इन संगठनों द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्टों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या 1982-83 के उत्पादकता वर्ष में 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत इन संगठनों को कोई विशेष कार्यक्रम सौंपे गये थे ;

(घ) इन कार्यक्रमों के लिए उत्पादकता वर्ष 1982-83 में इन संगठनों को कितनी धनराशि दी गई ; यदि कोई धनराशि नहीं दी गई, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ङ) क्या सरकार ने अनुदान राशि कार्यक्रमों के शुरू होने से पूर्व ही जारी कर दी और/या वित्तीय वर्ष में या उससे आगे वर्ष में दे दी ; और

(च) क्या सरकार द्वारा राज्य सरकारों और स्वयं सेवी संगठनों को ऐसे कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए अनुदान राशि जारी करने के लिए क्या तरीका अपनाया जाता है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) कृषि मंत्रालय ने विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए निम्नलिखित राष्ट्रीय स्तर के स्वैच्छिक संगठनों को मान्यता प्रदान की है : —

1) भारत कृषक समाज

2) यंग फार्मर्स एसोसिएशन आफ इंडिया ।

3) राष्ट्रीय किसान संगठन ।

4) भारतीय ग्रामीण महिला संघ ।

5) कृषि राहत संघों का संगठन ।

6) भारतीय कृषक संघ ।

(ख) 1) पहले तीन संगठनों (जिनके उपर्युक्त "क" के उत्तर में दिए गए हैं) को प्रशासनिक अनुदान देने के लिए मान्यता प्रदान की गई है, ताकि राष्ट्रीय मुख्यालयों में न्यूनतम कर्मचारी वर्ग और योग्यता प्राप्त कार्मिक सुनिश्चित किए जा सकें, जिससे कि वे अपनी प्रभावात्मकता में सुधार ला सकें और अपने कार्यकलापों को बढ़ा सकें। यह अनुदान किये गये खर्च का 25 प्रतिशत तक सीमित है, और प्रत्येक संगठन को कुल अनुदान 10,000.00 रुपये वार्षिक से अधिक नहीं दिया जाता ।

2) ऊपर (1) से (5) तक उल्लिखित संगठनों को किसानों और फार्म महिलाओं के लिए अल्पावधि प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करने और देश में किसानों द्वारा आपस में विचार विमर्श (किसान और खेतीहर महिलाएं) करने सम्बन्धी कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए मान्यता प्रदान की गई है ।

3) ऊपर (6) पर उल्लिखित संगठन देश के अन्तर्गत केवल किसानो के आपसी विचार विमर्श के आदान-प्रदान कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए मान्यता प्रदान की गई है ।

4) वर्ष 1980-81, 1981-82 और 1982-83 के लिए संगठनों द्वारा भेजी गई रिपोर्ट :-

भारत कृषक समाज और राष्ट्रीय किसान संगठन केवल ऐसे संगठन हैं, जो नियमित रूप से अपनी रिपोर्टें भेज रहे हैं। भारतीय कृषक संघ ने उन्हें सौंपे गए कार्यक्रमों को आयोजित करने में स्पष्ट रूप से अपनी असमर्थता व्यक्त की है। यंग फार्मर्स एसोसिएशन आफ इंडिया, भारतीय ग्रामीण महिला संघ और कृषि राहत संघों का संगठन अपनी रिपोर्टें नियमित रूप से नहीं भेजते हैं।

(ग) नए 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्पादकता वर्ष 1982-83 के दौरान इन संगठनों को कोई विशेष कार्यक्रम नहीं सौंपे गए।

(घ) केवल दो संगठनों अर्थात् भारत कृषक समाज और राष्ट्रीय किसान संगठन को जिन्होंने पूरे आवश्यक दस्तावेजों सहित पूर्ण विवरण भेजे हैं, वर्ष 1982-83 के लिए अनुदान इस प्रकार दिया गया :-

क) भारत कृषक समाज — 10,000.00 रुपये

ख) राष्ट्रीय किसान संगठन — 43,727.00 रुपये

लेकिन अन्य संगठनों ने अभी अपने दस्तावेज तथा कार्यकलापों का ब्यौरा नहीं भेजा है, अतः उनको अभी अनुदान नहीं दिया गया है।

(ङ) प्रचलित पद्धति यह है कि उसी वित्तीय वर्ष में अनुदान दे दिया जाए, बशर्ते कि ये संगठन कार्यक्रम कार्यान्वित करें और समय पर अपेक्षित दस्तावेजों सहित विवरण भेज दें।

(च) इस प्रकार के कृषक विचार-विमर्श आदान-प्रदान कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकारों को धनराशि मुहैय्या करने हेतु सरकार द्वारा जो पद्धति अपनाई जाती है, वह यह है कि इस प्रयोजन के लिए उन्हें लेखा अग्रिम भेजा जाता है, जो बाद में राज्य सरकारों के सम्बन्धित प्राधिकारियों से समायोजन लेखे की प्राप्ति के बाद समायोजित कर लिया जाता है। स्वेच्छिक संगठनों के मामले में अपनाई गई पद्धति ऊपर (ङ) के उत्तर में दी गई है।

शहरी भूमि अधिकतम सीमा कानून को उदार बनाना

10231. **श्रीमती प्रमिला दंडवते :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नगरीय भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम को उदार बनाने संबंधी बात पर ध्यान दिया है ;

(ख) यदि हां तो उसमें क्या मुख्य परिवर्तन किए गये ;

(ग) क्या इन परिवर्तनों से कृषि भूमि के मालिक प्रभावित हुए हैं ;

(घ) क्या अनेक किसानों ने इस अधिनियम में किये गये परिवर्तनों के विरुद्ध सरकार से अभ्यावेदन किया है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) से (ङ) राज्य सरकारों द्वारा शहरी भूमि (अधिकतम सीमा तथा विनियमन) अधिनियम, 1976 को प्रशासित करने में महसूस की जा रही कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने इस मामले की जांच करने तथा उपर्युक्त सिफारिशें सुझाने के लिए एक कार्यकारी दल का गठन किया था। इस कार्यकारी दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है तथा दल की सिफारिशों पर अन्तिम निर्णय अभी लिया जाना है। इस स्तर पर ब्यौरे बताना लोक हित में नहीं होगा।

आन्ध्र प्रदेश के लिए खाद्य कोटा

10232. **श्री पी० राजगोपाल नायडू :**

श्री अनन्त रामुलु मल्लु : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि राज्य को सप्लाई किए जाने वाले गेहूं के कोटे को 20,000 मीट्रिक टन कर दिया जाए; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्रवाई की गई है ?

इलैक्ट्रानिकी विभाग में खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा०एम०एस० संजीवी राव) : (क) और (ख) 1983 के दौरान राज्य सरकार ने रोलर फ्लोर मिलों के लिए गेहूं के मासिक आबंटन को 8,500 मीटरी टन से बढ़ाकर 20,000 मीटरी टन करने के लिए अनुरोध किया था। इसे अब स्वीकार कर लिया गया है और मासिक आवंटन को जनवरी, 1984 से बढ़ाकर 21,000 मीटरी टन कर दिया गया है।

बाढ़ नियंत्रण कार्यों के लिए आन्ध्र प्रदेश को राशि

10233. **श्री पी० राजगोपाल नायडू : क्या सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983-84 के दौरान बाढ़ नियंत्रण कार्य के लिए आंध्र प्रदेश को कितनी राशि आबंटित की गई है;

(ख) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने इस उद्देश्य के लिए 400 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता देने का निवेदन किया है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) 1983-84 के लिए आंध्र प्रदेश राज्य योजना में बाढ़ नियंत्रण सेक्टर के वास्ते 500 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया था ।

(ख) वर्ष 1983-84 के दौरान, राज्य सरकार ने अपने बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम के लिए 425 लाख रुपये की केन्द्रीय ऋण सहायता हेतु अनुरोध किया था ।

(ग) विभिन्न राज्यों से प्राप्त हुए प्रस्तावों की जांच इस उद्देश्य के लिए गठित एक जांच समिति ने की थी । आंध्र प्रदेश सरकार का प्रस्ताव ऐसी सहायता दिए जाने के लिए निर्धारित मानदण्ड के अनुरूप नहीं पाया गया था, इसलिए इसे स्वीकार नहीं किया गया था ।

खाद्य पदार्थों की प्रोसेसिंग और पैकिंग तकनीक को आधुनिक बनाने का प्रस्ताव

10234. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार खाद्य पदार्थों और प्रोसेसिंग और पैकिंग तकनीक को आधुनिक और उच्च स्तरीय बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

इलैक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) और (ख) खाद्य विधायन और पैकेजिंग टेक्नोलोजी का आधुनिकीकरण और उच्च श्रेणीकरण करना एक निरन्तर प्रक्रिया है । इस सम्बन्ध में मंत्रालय ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य किए है/कर रहा है :—

(1) चावल मिलिंग का आधुनिकीकरण करने का कार्य शुरू किया गया है ताकि चावल के उत्पादन में वृद्धि की जा सके और चावल तथा चावल की भूसी की किस्म में सुधार किया जा सके । चावल मिलिंग का आधुनिकीकरण करने के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान और विकास करने और तैयार की गई आधुनिक

प्रक्रिया का प्रसार करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध की गई है । हाल ही में हलरों का आधुनिकीकरण करने के लिए राजसहायता देने की एक योजना शुरू की गई है ।

(2) खाने के प्रयोजन हेतु चावल की भूसी के तेल का उच्च श्रेणीकरण करने की प्रक्रिया के रूप में भौतिक परिष्करण की टेक्नोलोजी को हाल ही में स्वीकार किया गया है । खाने के प्रयोजनों हेतु तेलों का उच्च श्रेणीकरण करने के लिए मिसेला परिष्करण जैसी आधुनिक टेक्नोलोजी (अर्थात हेक्सेना/एल्कोहल आदि जैसे विलायकों की मौजूदगी में परिष्करण करने की अनुमति देने विषयक एक प्रस्ताव विचाराधीन है। हाल ही में कम घनता के पोलीएथीलीन सामग्री, पोलीविनील क्लोराइड आदि के लचीले पैकों में वनस्पति की पैकिंग करने की अनुमति दी गई है ।

(3) सोवियत रूस के सहयोग से अर्द्ध-विषायित उष्णकटिबंधीय फल उत्पादों का अपूतिदूषित परिरक्षण/भण्डारण करने विषयक एक प्रायोगिक परियोजना शुरू करने के बारे में एक प्रस्ताव विचाराधीन है ।

(4) मार्डन फूड इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड, जोकि मंत्रालय का एक उपक्रम है, ने सिल्चर में एक अनन्नास रस सांद्रण संयंत्र, जोकि आधुनिक टेक्नोलोजी पर आधारित होगा, लगाने का कार्य शुरू किया है । कम्पनी ने हाल ही में अपने दो बेकरी यूनिटों में गुंथे आटे को मिक्स करने के लिए एक आधुनिकी मिक्सर लगाया है ।

खेलों के संवर्धन के लिए बड़े औद्योगिक गृहों को शामिल करने का प्रस्ताव

10235. **श्री राम कृष्ण मोरे : क्या खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में विभिन्न खेल गतिविधियों के संवर्धन के लिए बड़े औद्योगिक गृहों को शामिल करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खेल विभाग में उप मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (ग) सरकार, देश में खेल को बढ़ावा देने में गैर-सरकारी निकायों के यथा सम्मिलित होने का स्वागत करेगी । वित्त, अवस्थापना आर व्यवस्थापन के मामले में ही, सम्मिलित किया जा सकता है ।

एशियाड फ्लैटों का एन० आर० आई० को आबंटन

10236. **श्री राम कृष्ण मोरे** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाड के दौरान खेल गांव में निर्मित किया गया कोई फ्लेट/भवन को किसी अन्य संस्था को आबंटित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) तथा (ख) जी, नहीं । तथापि, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा कालेज के प्रशिक्षु अधिकारियों के उपयोग के लिए रक्षा मन्त्रालय को अस्थाई रूप से 37 फ्लैट दिए गए हैं । ग्राम में आवास के विक्रय पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है ।

पशुओं की नस्ल सुधार के लिए योजनाएं

10237. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में पशुधन की नस्ल में सुधार करने के लिए कुछ केन्द्रीय योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो अब तक किन-किन राज्यों में इस प्रकार की केन्द्रीय योजनाएं कार्यान्वित की गई हैं;

(ग) क्या इस प्रकार की कुछ योजनाएं डेनमार्क के सहयोग से उड़ीसा में कार्यान्वित की जा रही हैं;

(घ) यदि हां, तो कब से और उनमें अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) छठी योजना में इस सम्बन्ध में निर्धारित लक्ष्य का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां ।

(ख) विभिन्न राज्यों में क्रियान्वित की जा रही केन्द्रीय योजनाएं निम्नलिखित हैं :—

(1) राजस्थान, उड़ीसा (2 फार्म) कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, गुजरात तथा तमिलनाडु राज्यों में सात केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म,

(2) उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल, बिहार, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, असम तथा त्रिपुरा राज्यों में आपरेशन

फ्लड के बाहर के क्षेत्रों में देशी गोपशु के साथ विदेशी डेरी नस्लों का संकर प्रजनन तथा हिमित वीर्य तकनीक का उपयोग करके भैंसों की नस्ल में सुधार करना ।

(3) कर्नाटक में केन्द्रीय हिमित वीर्य उत्पादन तथा प्रशिक्षण संस्थान ।

(4) हरियाणा, गुजरात, राजस्थान तथा आन्ध्र प्रदेश राज्यों में केन्द्रीय यूथ पंजीयन योजना ।

(5) केरल, असम तथा पंजाब राज्यों में समन्वित गोपशु प्रजनन परियोजना (सन्तति परीक्षण योजना) ।

(6) हरियाणा में केन्द्रीय भेड़ प्रजनन फार्म ।

(7) कर्नाटक, उड़ीसा, महाराष्ट्र राज्यों तथा चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में केन्द्रीय कुक्कुट प्रजनन फार्म ।

(8) कर्नाटक में केन्द्रीय बत्तख प्रजनन फार्म ।

(9) उत्तर प्रदेश में गोपशुओं, बकरियों, सूअरों तथा कुक्कुट के संबंध में हरियाणा में भैंसों के संबंध में तथा राजस्थान में भेड़ों के संबंध में अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्) क्रियान्वित की जा रही है ।

(ग) डेनमार्क की सहायता से ऐसी कोई योजना क्रियान्वित नहीं की जा रही है ।

(घ) तथा (ङ) — प्रश्न ही नहीं उठता ।

हिन्दी माध्यम में मानक (स्टैंडर्ड) के सम्बन्ध में जानकारी

10238. श्री राम विलास पासवान : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य वस्तुओं को मानक (स्टैंडर्ड) की सूचना हिन्दी में दी जाती है ; और

(ख) हिन्दी में "मानक" (स्टैण्डर्ड) समझने में सरकार आम आदमी की सहायता के लिए क्या उपाय कर रही है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) जी हाँ, स्थापित किए जाने वाले सभी भारतीय मानकों के बारे में में सूचना भारत के राजपत्र में हिन्दी व अंग्रेजी दोनों में प्रकाशित की जाती है ।

(ख) इस सम्बन्ध में किए गए उपाय इस प्रकार हैं :

i) आम आदमी की रुचि तथा उपयोग वाले उत्पादों से सम्बन्धित भारतीय मानकों को हिन्दी में प्रकाशित किया जा रहा है ।

ii) महत्वपूर्ण उपभोज्य वस्तुओं से सम्बन्धित कुछ भारतीय मानकों के बारे में भारतीय मानक संस्था की त्रैमासिक हिन्दी पत्रिका "मानकदूत" में प्रकाश डाला जाता है ।

iii) हिन्दी में मानकों के बारे में सूचना भारतीय मानक संस्था द्वारा प्रकाशित की जाने वाली प्रकाशनों की पुस्तिका (हेंडबुक ऑफ पब्लीकेशन्स) तथा भारतीय मानकों की विभिन्न अनुभागीय सूचियों (सेक्शनल लिस्ट्स) में भी शामिल की जाती है ।

उपहार में प्राप्त सपरेटा दुग्ध चूर्ण और बटर आयल से प्राप्त धन में से व्यय

10239. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या कृषि मन्त्री उपहार में प्राप्त सपरेटा दुग्ध चूर्ण और बटर आयल से प्राप्त धन में से व्यय के बारे में 16 अप्रैल, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7682 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आप्रेशन फ्लड-1 और 2 में पृथक-पृथक दुग्ध का उत्पादन बढ़ाने में सहायता हेतु दुग्ध तैयार करने और विपणन की सुविधाओं के लिए प्रारम्भ में कितनी धनराशि आबंटित की गई थी ; तथा राज्य-वार और आप्रेशन फ्लड-परियोजना-वार वास्तव में कितनी धनराशि जारी की गई ;

(ख) दुग्ध तैयार करने और विपणन के लिए ढाई गुना खर्च करने के क्या कारण है जब कि राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिश के अनुसार इनकी प्रति व्यक्ति उपलब्धता कम है ; और

(ग) राज्य-वार पशुओं और भैंसों की संख्या कितनी है तथा दुग्ध विकास कार्यों के लिए कितनी धनराशि खर्च की गई और इस प्रकार के आवंटन के लिए क्या मानदण्ड अपनाया गया ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) आपरेशन फ्लड-1 तथा 2 के तहत दुग्ध का उत्पादन बढ़ाने में सहायता हेतु दूध संसाधित करने और विपणन की सुविधाओं के लिए धनराशियों का आबंटन तथा राज्यों को संवितरित रकम संलग्न विवरण I तथा II में प्रस्तुत की गई है ।

(ख) तथा (ग) आपरेशन फ्लड-1 के तहत धनराशियों का आबंटन जो 31-3-1981 को समाप्त हुआ वह प्रत्येक महानगरीय शहरी डेरियों से दुग्ध स्रवण क्षेत्रों, इन दुग्ध क्षेत्रों,

में दूध की प्रत्याशित उपलब्धि, अवस्थापनात्मक संबंधी उन सुविधाओं पर आधारित था, जो महानगरीय शहरों में संबंधित दुग्ध क्षेत्रों तथा अतिरिक्त परिसस्करण और विपणन में आवश्यक थीं। इस परियोजना के अन्त में भारतीय डेरी निगम को बहुत से राज्यों द्वारा धन-राशियों का धीरे-धीरे उपयोग करने पर चिन्ता थी और यह मामला भारत सरकार के ध्यान में लाया गया था और भारत सरकार विश्व खाद्य कार्यक्रम के मिशन ने संयुक्त रूप में सितम्बर, 1979 के दौरान उन आपरेशन फ्लड के क्षेत्रों का दौरा किया। भारत सरकार/विश्व खाद्य कार्यक्रम मिशन इस बात पर सहमत हुए कि राज्यों को उनकी उपयोगिता तथा परियोजना के कार्यान्वयन के अनुसार धनराशि निर्मुक्त की जानी चाहिए और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आपरेशन फ्लड-2 परियोजना शुरू की जानी है।

आपरेशन फ्लड-2 के तहत धनराशि की मांग राज्य सरकारों और इसके नामित क्रियान्वयन एजेंसी के परामर्श से तथा परियोजना के आयामों पर निर्धारित की जाती है।

भारतीय डेरी निगम को राज्यों द्वारा तैयार किए गए तथा प्रस्तुत किए गए सम्भाव्य डेरी विकास योजना के आधार पर धनराशि आबंटन की जाती है। सम्भाव्य योजना में दिए गए डेरी विकास परियोजना के मानदण्डों पर इस प्रकार का आबंटन किया जाता है। आबंटन भारतीय डेरी निगम के निदेशकों के मंडल द्वारा मंजूर किए जाते हैं जिसमें सरकार के प्रतिनिधि भी शामिल हैं।

12 वीं अखिल भारतीय पशुधन गणना 1977 पर आधारित राज्य-वार पशुओं और भैंसों की संख्या संलग्न विवरण III में दी गई है।

विवरण I

आपरेशन फ्लड-1 के तहत, राज्य-वार आधार पर दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए दूध संसाधित तथा विपणन सुविधाएं तथा सहायता के लिए आबंटित धनराशि तथा किया गया व्यय प्रदर्शित करने वाला विवरण

(लाख रुपए)

कार्य मद	संसोधित आबंटन	प्रारम्भ से 31-3-1981 तक संवितरण
1	2	3
दूध संसाधित तथा विपणन संबंधी सुविधाएं		
1. चार शहरों की वर्तमान क्षमता का विस्तार	351.00	454.84

1	2	3
2. वर्तमान सम्भाल सुविधाओं में बढ़ोत्तरी द्वारा सम्भाल क्षमता को बढ़ाना और नए शहरी तरल दूध संयंत्रों का निर्माण	3030.00	2540.65
4. तथा 5. दूध एकत्रण तथा प्रशीतन केन्द्रों और फीडर संतुलन दुग्ध संयंत्र	4155.50	4494.40
दूध बढ़ाने के लिए समर्थन		
7. तकनीकी आदानों के उपबन्ध से दूध उत्पादन बढ़ाना जिसमें मिश्रित सांध्रित तथा हरा चारा कृत्रिम, गर्भाधान, पशुचिकित्सा सेवाएं तथा दवाओं तथा बछड़ा पालन की सहायता शामिल है।	2300.00	2399.86
8. उन्नत दुधारू पशुओं का विकास	300.00	295.01

राज्य का नाम	(लाख रुपए) प्रारम्भ से 31-3-1984 तक धनराशि का संवितरण
1 2	3
1. आन्ध्र प्रदेश	
कार्य मद संख्या 4 तथा 5	292.65
7	135.79
2. बिहार	
कार्य मद संख्या 4 तथा 5	197.36
7	100.56
3. दिल्ली	
कार्य मद सं० 1	200.00
2	703.35

1	2	3
4. गुजरात		
कार्य मद सं०	4 तथा 5	1341.25
	7	753.03
5. हरियाणा		
कार्य मद सं०	4 तथा 5	224.73
	7	98.13
6. महाराष्ट्र		
कार्य मद सं०	1	125.41
	2	945.56
	4 तथा 5	486.37
	7	165.92

विवरण II

आपरेशन फ्लड-2 के तहत राज्यवार आधार पर दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए दूध परिसंस्करण और विपणन सुविधाओं के लिए आबंटित धनराशि और व्यय तथा समर्थन प्रदर्शित करने वाला विवरण

कार्य मद	नियतन	(लाख रुपए) आरम्भ होने से जनवरी, 1984 (अस्थायी) तक संवितरण
दुग्ध परिसंस्करण तथा विपणन संबंधी सुविधाएं		
1. परिसंस्करण की क्षमताएं	15005.5	7579.17

1	2	3
3. दुग्ध विपणन की पद्धति	5391.2	1571.41
दूध उत्पादन बढ़ाने की सहायता		
2. तकनीकी आदान	10845.6	1975.21
8. रोग नियंत्रण तथा दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए अवस्थापनात्मक सहायता	2580.0	1646.91

राज्य काम नाम	कार्य मद		
	1	3	2
(1)	(2)	(3)	(4)
1. अन्दमान तथा निकोबार	10.00	—	4.02
2. आंध्र प्रदेश	1483.01	96.04	79.42
3. असम	70.79	—	36.98
4. बिहार	64.41	—	32.16
5. दिल्ली	—	478.57	—

राज्य का नाम		लाख रुपए प्रारम्भ से 31-3-1984 तक धनराशि का संवितरण
1	2	3
7. पंजाब		
	कार्य मद सं० 4 तथा 5	301.53
	7	176.59

1	2	3
8. राजस्थान		
कार्य मद सं०	4 तथा 5	270.15
	7	101.65
9. तमिलनाडु		
कार्य मद सं०	1	64.13
	2	319.22
	4 तथा 5	697.45
	7	262.43
10. उत्तर प्रदेश		
कार्य मद सं०	4 तथा 5	292.76
	7	215.20
11. पश्चिम बंगाल		
कार्य मद सं०	1	65.30
	2	572.52
	4 तथा 5	390.15
	7	390.54
कुल कार्य मद सं०	1	454.84
	2	2540.65
	4 तथा 5	4494.40
	7	2399.86

टिप्पणी : कार्य मद सं० 8 सम्बन्धी व्यय भारतीय डेरी निगम का प्रत्यक्ष व्यय था ।

विवरण III

12वीं अखिल भारतीय पशुधन संगणना 1977 के अनुसार राज्य-वार पशु तथा भैंसों की संख्या को प्रदर्शित करने वाला विवरण

(संख्या '000 में)

राज्य का नाम	कुल पशु	कुल भैंस
1	2	3
1. आन्ध्र प्रदेश	12041	7163
2. असम	6603	730
3. बिहार	15162	4463
4 गुजरात	6006	3473
5. हरियाणा	2442	2940
6. हिमाचल प्रदेश	2106	560
7. जम्मू व काश्मीर	2138	500
8. कर्नाटक	10222	3278
9. केरल	3006	454
10. मध्य प्रदेश	26253	5845
11. महाराष्ट्र	15218	3899
12. मणिपुर	294	52
13. मेघालय	477	40
14. नागालैण्ड	93	8
15. उड़ीसा	12120	1359
16. पंजाब	3312	4110
17. राजस्थान	12896	5072
18. सिक्किम	158	5
19. तमिलनाडु	10801	3077
20. त्रिपुरा	592	14
21. उत्तर प्रदेश	25773	13965
22. पश्चिमी बंगाल	11878	824

(1)	(2)	(3)	(4)
6. गोआ, दमन तथा दीव	82.50	—	11.21
7. गुजरात	2469.50	144.75	405.49
8. हरियाणा	—	—	91.49
9. हिमाचल प्रदेश	—	—	--
10. कर्नाटक	300.00	—	8.00
11. जम्मू तथा कश्मीर	1.40	—	0.58
12. केरल	154.35	5.18	134.02
13. मध्य प्रदेश	524.59	85.99	205.60
14. महाराष्ट्र	504.11	463.31	73.15
15. उड़ीसा	229.11	14 33	154.75
16. पाण्डिचेरी	13.64	0.63	7.97
17. पंजाब	764.75	24.81	241.43
18. राजस्थान	152.33	14.91	8.18
19. सिक्किम	6.27	—	14.02
20. तमिलनाडु	520.43	72.00	239.30
21. त्रिपुरा	1.12	—	8.06
22. उत्तर प्रदेश	159.91	—	35.28
23. पश्चिम बंगाल	66.95	170.89	184.06
योग :	7579.17	1571.41	1975.21

टिप्पणी : कार्य मद सम्बन्धी व्यय भारतीय डेरी निगम का प्रत्यक्ष व्यय है ।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्वर्ण जयन्ती

10240. **श्री पी. के. कोडियन** : क्या कृषि मंत्री भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्वर्ण जयन्ती के बारे में 16 अप्रैल, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 690 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रयोगशाला और भूमि, कार्यक्रम के अन्तर्गत वार्षिक 2 करोड़ रुपये का उप-शीर्ष-वार ब्यौरा क्या है और इसमें से किसानों को कितनी धनराशि राज सहायता के रूप में दी गई और वर्ष 1981 से 1983 की अवधि में वर्ष-वार कितने परिवारों को अपनाया गया ;

(ख) कार्यक्रम का कहां और कितना प्रभाव पड़ा है और इसमें यदि किसी परिवर्तन की जरूरत है तो उस परिवर्तन सहित यह कब तक जारी रहेगा ; और

(ग) क्या सरकार का विचार इसकी जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति बनाने का है ; यदि हां तो कब ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) "प्रयोगशाला से खेत तक" कार्यक्रम के अन्तर्गत उप-शीर्ष-वार खर्चों तथा वर्ष 1981 से 1983 तक अपनाये गये किसान परिवारों की संख्या को नीचे दिया गया है :

वर्ष	अपनाये गये परिवारों की सं०	किसानों को दी गई आर्थिक सहायता (रु० लाख में)	क्षेत्रीय समन्वय पर खर्च (रु० लाख में)	अन्य विस्तार गतिविधियों पर खर्च (रु० लाख में)
1981-82	49.344	95.71	9.35	16.23
1982-83	73.075	273.75	9.36	49.27
1983-84	जारी	236.72	12.14	42.61

(ख) खेत से प्रयोगशाला तक कार्यक्रम को, 142 केन्द्रों द्वारा जिसमें देशभर में फैले 3000 गाँव आते हैं, हाथ में लिया गया है इस कार्यक्रम का प्रभाव सभी केन्द्रों पर पड़ा जिसके कारण कृषि उत्पादन में 50-200% वृद्धि हुई ।

छठी पंचवर्षीय योजना अवधि (मार्च 1985) के अन्त तक प्रायोजना स्वीकृत कर दी गई है सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जारी कार्यक्रम पर अभी विचार किया जाना है ।

(ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने पहले ही प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम की प्रगति के मूल्यांकन हेतु एक उच्च स्तरीय मूल्यांकन समिति का गठन किया है।

दिल्ली दुग्ध योजना में "कैस क्लर्कों" के पदोन्नति के अवसर

10241. **श्री अनवार अहमद** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली दुग्ध योजना में कुल कितने "कैस क्लर्क" हैं ;

(ख) क्या "कैश क्लर्कों" के लिए पदोन्नति के कोई अवसर हैं यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) उनके लिए पदोन्नति के अवसर बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ; और

(घ) क्या "कैश क्लर्कों को सलेक्शन ग्रेड देने का कोई विचार है और यदि हाँ, तो उन्हें यह कब तक दिया जाएगा और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) दिल्ली दुग्ध योजना में रोकड़ लिपिकों के 144 स्वीकृत पद हैं।

(ख) रोकड़ लिपिक बिक्री सहायक (उत्पाद) और उच्च श्रेणी लिपिक के पदों पर प्रोन्नति के पात्र हैं।

(ग) ऊपर (ख) को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्न ही नहीं होता।

(घ) रोकड़ लिपिक के 33 पद सेलेक्शन ग्रेड के पदों में परिवर्तित कर दिए गए हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम

10242. **श्री दलीप सिंह भूरिया** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982-83 और 1983-84 के दौरान देश में ग्रामीण क्षेत्रों में महिला और बाल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल कितनी महिलाओं और बच्चों को लाभ हुआ;

(ख) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत किस आयुवर्ग की महिलाओं और बच्चों को लाभ हुआ;

(ग) उनमें से कितनी महिलाएं और बच्चे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हैं; और

(घ) वर्ष 1982-83 और 1983-84 के दौरान मध्य प्रदेश में कुल कितनी महिलाओं और बच्चों को लाभ हुआ और उनमें से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की इस कार्यक्रम से लाभान्वित महिलाओं और बच्चों का क्या प्रतिशत है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं तथा बच्चों का विकास कार्यक्रम जो समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की एक उप-योजना है के अन्तर्गत अलग-अलग महिलाओं तथा बच्चों को सहायता नहीं दी जाती है। इसका प्रयोजन संगठन स्थापित करने में महिलाओं के ग्रुपों को सहायता देना है जो इस ग्रुप की निर्धनतम महिलाओं तथा बच्चों के लिए सेवाएं तथा योजनाएं प्राप्त कर सकें। अब तक प्राप्त हुई रिपोर्टों के अनुसार समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 1982-83 में कुल 2,08,000 महिलाओं तथा 1983-84 में 1,87,107 महिलाओं को लाभ पहुंचा है।

(ख) व (ग) आयुवार ब्यौरा तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की संख्या का ब्यौरा एकत्र किया जा रहा है।

(घ) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत मध्य प्रदेश में 1982-83 में 12,995 तथा दिसम्बर, 1983 तक 2,586 महिलाओं को सहायता पहुंचायी गयी थी।

रक्षा विभाग को भारतीय खाद्य निगम द्वारा दालों की सप्लाई

10243. **श्री भीखा भाई** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि रक्षा विभाग को भारतीय खाद्य-निगम दालें सप्लाई करता है;

(ख) भारतीय खाद्य निगम ने एन०सी०सी०एफ० के माध्यम से 1 जनवरी, 1982 से 31 मार्च, 1984 तक चना, अरहर, मूंग, उड़द और मसूर की अलग-अलग कुल कितनी मात्रा में दालें रक्षा विभाग को सप्लाई की;

(ग) उपरोक्त अवधि के दौरान भारतीय खाद्य निगम ने जिन गैर-सरकारी व्यापारियों से उपरोक्त भंडार खरीदा था उसकी तुलना में भारतीय खाद्य निगम को एन०सी०सी०एफ० को कितनी अतिरिक्त धनराशि का भुगतान करना है;

(घ) भारतीय खाद्य निगम को बिचौलिए के रूप में एन०सी०सी०एफ० बनाने और रक्षा विभाग से अतिरिक्त पैसा लेने की क्या जरूरत थी; और

(ङ) क्या सरकार का विचार भारतीय खाद्य निगम का केवल दालों की उतनी सप्लाई करने तक सीमित रखने का है जितनी उनके अपने खरीदे गये भंडार में हों ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) जी हां ।

(ख) 1.1.1982 से 31.3.1984 तक की अवधि के दौरान, भारतीय खाद्य निगम ने रक्षा सेवाओं को सप्लाई करने के लिए दालों की निम्नलिखित मात्रा की खरीदारी की थी :—

(1) दाल चना	— 2,375 मीटरी टन
(2) दाल अरहर	— 5,630 मीटरी टन
(3) दाल मूंग	— 5,806 मीटरी टन
(4) दाल उरद	— 2,872 मीटरी टन
(5) दाल मसूर	— 823 मीटरी टन
	जोड़ 17,506 मीटरी टन

(ग) निगम ने लगभग उसी अवधि के दौरान दोनों एन०सी०सी०एफ० और व्यापारियों से केवल अरहर की दाल ही खरीदी थी । एन०सी०सी०एफ० को अदा की गई औसत दर 0.74 रु० प्रति क्विंटल तक मामूली अधिक थी और इसके कारण केवल 5,550/-रु० की अतिरिक्त लागत आयी थी ।

(घ) सरकार की नीति-निर्णय के अनुसार यदि निगम मंडियों से पर्याप्त मात्रा में वसूली करने में असमर्थ रहता है तो उससे सहकारी समितियों से भी खरीदारी करने की अपेक्षा की जाती है । निजी व्यापारियों से खरीदारी तभी की जा सकती है जब सहकारी समितियां आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ रहती हैं ।

(ङ) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

केन्द्रीय मत्स्य उद्योग प्रौद्योगिकी संस्थान कोचीन के निदेशक की नियुक्ति

10244. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय मत्स्य उद्योग प्रौद्योगिकी संस्थान कोचीन में इस समय कोई अर्हता प्राप्त निदेशक नहीं है;

(ख) क्या यह भी सच है कि निर्धारित अर्हताओं के अनुसार केन्द्रीय मत्स्य उद्योग प्रौद्योगिकी संस्थान में कम से कम ऐसे दो अधिकारी हैं जिनके मामले में निदेशक के पद पर नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकता है; यदि हां तो इन अर्हता प्राप्त और केन्द्रीय मत्स्य उद्योग प्रौद्योगिकी संस्थान में कार्य कर रहे अधिकारियों में से निदेशक का पद न भरने के क्या कारण हैं; और

(ग) वहां एक अर्हता प्राप्त स्थायी निदेशक नियुक्त करने हेतु सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) कृषि वैज्ञानिक नियुक्ति मंडल के माध्यम से संस्थान के लिए नियमित निदेशक अभी नियुक्त किया जाना है । तथापि स्थानापन्न निदेशक बिल्कुल अर्हता प्राप्त हैं ।

(ख) दिनांक 8.10.83 को केन्द्रीय मात्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान के निदेशक के पद को विज्ञापित किया गया है । केन्द्रीय मात्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान, कोचीन के अधिकारियों सहित उम्मीदवारों से आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं । पद के लिए साक्षात्कार की तिथि का अभी निर्णय लिया जाता है । केन्द्रीय मात्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान के अधिकारियों की अभ्यर्थिता, जिन्होंने अन्य पात्र उम्मीदवारों के साथ आवेदन किया है, उन पर भी विचार किया जायेगा ।

(ग) स्थिति को उपरोक्त (ख) में दर्शाया गया है ।

आवास निर्माण ऋण योजना को उदार बनाना

10245. **श्री मनोहर लाल सैनी** : क्या निर्माण और आवास मंत्री आवास निर्माण हेतु ऋण की राशि बढाने के प्रस्ताव के बारे में 23 अप्रैल, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8480 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे कर्मचारियों को आवास निर्माण ऋण योजना की सुविधा उदारता से न देने के क्या कारण हैं जो पहले ही विशेषकर उस समय जबकि उच्चतम न्यायालय ने 1अप्रैल, 1979 के बाद सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारियों को पेंशन के बारे में आदेश प्रभावी कर दिया था आवास निर्माण ऋण योजना का लाभ उठा चुके थे; और

(ख) उक्त आदेश के पैरा आठ को हटाने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है जिससे कि वही सुविधा उन सभी सरकारी कर्मचारियों को दी जा सके जिनके मकान आधे ही बने हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) तथा (ख) गृह निर्माण अग्रिम नियमों के अन्तर्गत जिन्होंने यह अग्रिम पहले ले लिया है, उन्हें दूसरा

अग्रिम अनुमेय नहीं है । गृह निर्माण अग्रिम की मंजूरी के लिए उपलब्ध निधियां भी सीमित हैं । इसलिए निर्माण और आवास मंत्रालय के दिनांक 7-4-1984 के कार्यालय ज्ञापन संख्या आई०-170/561/83- आवास-11 के उपबन्ध उन सरकारी कर्मचारियों को लागू नहीं होते हैं, जिन्होंने इन आदेशों के जारी होने से पहले पूरा गृह निर्माण अग्रिम ले लिया हो ।

डी०सी०एम० द्वारा वनस्पति घी छोटे पेकों में पैक करना

10246. **श्री मनोहर लाल सैनी** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री 23 अप्रैल, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8432 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च 1984 में इससे गत तीन महीनों की तुलना में 16.5 किलो ग्राम पनघट के घी के टिनों की कमी के क्या कारण हैं तथा खुले घी की उपलब्धता की स्थिति और अधिक न बिगड़ने देने के लिए टिनों की संख्या बढ़ाने या यूं कहिये कि 1 5 लाख करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

(ख) मार्च, 1984 में इससे पिछले तीन महीनों की तुलना में अधिक घी 10.5 और 2 किलो के पैकों में पैक करने के क्या कारण थे;

(ग) डी०सी०एम० द्वारा घी के वितरण का आधार क्या है और क्या डी०सी०एम० द्वारा गत 12 महीनों में सभी मात्रा के पैकों में आवंटित किए गए घी का वितरण सभा पटल पर रख जायेगा; और

(घ) क्या पनघट घी के बारे में लागू होने वाले आदेश ओ०एस०डी० (आई) कैंटीन पर भी लागू होते हैं ?

इलैक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) और (ख) फर्म के उत्पादन रिकार्ड से पता चला है कि उन्होंने मार्च, 1984 के दौरान, स्पष्टत: व्यापारिक कारणों से उत्पाद का अधिक भाग छोटे पैकों में पैक किया था ।

(ग) डी०सी०एम० के अनुसार वे अपने उत्पाद को कई थोक विक्रेताओं तथा सरकार द्वारा नामित एजेन्सियों के माध्यम से जो उनके वितरण तंत्र के तहत आते हैं, उचित आधार (विगत में उठाई गई मात्रा) पर वितरित करते हैं । उन्होंने सूचित किया है कि इस तथ्य को देखते हुए कि उत्पाद को कई पार्टियों में वितरित किया जा रहा है, फर्म के लिए पिछले 12 महीनों के दौरान पैकवार तथा पार्टीवार किए गए आबंटन को तत्काल बता सकना सम्भव नहीं है।

(घ) डी०सी०एम० द्वारा दी गई सूचना के अनुसार परस्पर चर्चा तथा करार के बाद सी०एस०डी० (I) को सप्लाई की जाती है ।

शांति निकेतन में खाली भूखण्ड (प्लाट) का दुरुपयोग

10247. **श्री दिगम्बर सिंह :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गवर्नमेंट सर्वेंट्स कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी लिमिटेड, नई दिल्ली की शांति निकेतन कालौनी में गली संख्या 2 के पीछे स्कूल भवन के लिए आरक्षित एक टीले जैसे भूखण्ड (प्लाट) को पिछले लगभग 12 वर्षों से भी अधिक समय से खुले शौचालय के रूप में प्रयोग किया जा रहा है और वहां मच्छर पैदा हो रहें हैं;

(क) क्या स्कूल खोलने के एक लिए गैर-सरकारी शिक्षा समिति को हाल ही में आवंटित किए गए इस प्लाट के टीले जैसे भू भाग को समतल किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है और केवल इसके चारों ओर के क्षेत्र को स्कूल भवन के निर्माण के लिए प्रयोग किया जा रहा है; और

(ग) क्या उपरोक्त सोसायटी ने दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा गत मार्च, में किए गए शिलान्यास के बाद से अब तक निर्माण कार्य में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं की है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सोसायटी द्वारा इस भवन का निर्माण कार्य पूरा करने की लक्ष्य तिथि निर्धारित करेगी ताकि उसके पास की बस्ती के निवासियों के लिए इस स्थायी परेशानी तथा उनके स्वास्थ्य को गंभीर खतरे को समाप्त किया जा सके ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) :(क) तथा (ख) सरकारी कर्मचारी गृह निर्माण समिति की कालौनी शान्ति निकेतन की गली सं० 2 के पीछे 2.5 एकड़ माप का एक प्लाट विद्यालय भवन के लिए उद्दिष्ट था और प्राथमिक विद्यालय के निर्माण हेतु साधू वासवानी मिशन को 11-1-83 को आबंटित किया गया था । दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इस प्लाट का कब्जा उनको 29-4-83 को सौंपा था ।

(ग) प्लाट का कब्जा सौंपने के पश्चात, साधू वासवानी मिशन ने प्लाट पर बाढ़ लगा दी है ।

(घ) आबंटित भूमि पर साधू वासबानी मिशन को विद्यालय भवन का निर्माण कब्जा सौंपने की तारीख से 3 वर्षों की अवधि के भीतर पूरा करना अपेक्षित है जिसमें 1 वर्ष की छूट अवधि भी शामिल है ।

मुद्रण निदेशालय के कर्मचारियों को उत्पादकता से जुड़ा बोनस

10248. **श्री कृष्ण चन्द हाल्दर :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मुद्रण निदेशालय के अधीन कार्यालयों के कर्मचारियों को उत्पादकता से जुड़ा हुआ बोनस नहीं मिला है जबकि केन्द्र सरकार के सभी कर्मचारियों को यह मिल गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार मुद्रण निदेशालय के अधीन कार्यरत कर्मचारियों को बोनस मंजूर करने के लिए कदम उठा रही है; और

(घ) यदि हां, तो कदमों का स्वरूप क्या है?

निर्माण और आवास संत्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) से (घ) सरकार ने वर्ष 1980-81 तथा 1981-82 के लिए मुद्रणालय कर्मचारियों को पहले ही तदर्थ आधार पर उत्पादकता सम्बद्ध बोनस मन्जूर कर दिया है। तथापि, 1982-83 के लिए उत्पादकता सम्बद्ध बोनस देने का प्रश्न सक्रिय रूप से सरकार के विचाराधीन है।

राजस्थान नहर परियोजना के श्रमिकों के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम सहायता

10249. **श्री भीखा भाई :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन, वर्ष 1968 से हर वर्ष राजस्थान नहर परियोजना के श्रमिकों के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम के अन्तर्गत, बाजार में प्रचलित मूल्यों से आधे मूल्यों पर गेहूं, तेल, दूध पाउडर और दालों के लिए सहायता प्रदान करता रहा है, यदि हां, तो इस परियोजना के लिए 1978 से 1983 तक (वर्ष-वार) कितनी राशि दी गई है;

(ख) क्या राजस्थान सरकार ने 1968 से उसकी योजनागत स्कीमों के लिए दी गई अधिकतर राशि को गैर योजनागत स्कीमों पर खर्च किया है, यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या विश्व खाद्य कार्यक्रम के चलाने वालों द्वारा सहायता की 75 प्रतिशत को खुले बाजार से बेचा जा रहा है और केवल 25 प्रतिशत की सहायता श्रमिकों तक पहुंच पाती है; और

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने इस मामले की जांच करने के लिए कोई आयोग स्थापित किया है और यदि हां, तो तत्सम्बधी क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां। विभिन्न चरणों के दौरान इस परियोजना को बचनबद्ध की गई और उपलब्ध कराई गयी सहायता नीचे दी गई है :—

जिन्स सहायता	प्रथम चरण अक्तूबर, 1968— सितम्बर, 1973 (की गई वास्तविक सप्लाई) (मीटरी टन में)	द्वितीय चरण दिसम्बर, 1975 मई, 1979 (की गई वास्तविक सप्लाई)	तृतीय चरण 1.8.1980 से जारी है (बचनबद्ध)
गेहूं	30,365	31,004	31,600
खाद्य तेल	480	1'051	4,240
शुष्क स्प्रे टा दुग्ध चूर्ण	484	—	1,460
दलहन	570	—	2,920

सहायता देने का वायदा परियोजना की समूची अवधि के लिए किया जाता है न कि विभिन्न वर्षों के लिये। श्रमिकों को यह सहायता बाजार मूल्यों के लगभग 50 प्रतिशत पर उपलब्ध करायी जाती है।

(ख) तथा (ग) इस समय भारत सरकार के पास इस संबंध में न तो विश्व खाद्य कार्यक्रम से, जिनके पास प्रभारी प्रबोधन तन्त्र हैं, अथवा राज्य सरकार से कोई रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है।

(घ) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुये प्रश्न ही नहीं उठता।

वर्क्स, हाउसिंग एण्ड सप्लाई कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी को आबंटित भूमि

10250. **श्री कमल नाथ** : क्या निर्माण और आवास मंत्री वर्क्स, हाउसिंग एण्ड सप्लाई कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी को आबंटित भूमि के बारे में 1 अगस्त, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1246 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भूमि का शेष क्षेत्र सोसाइटी को सौंपने के सम्बन्ध में क्या स्थिति है ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि 222 बीघा तथा 4 बिस्वा माप का एक क्षेत्र निर्माण और आवास तथा आपूर्ति मन्त्रालय सहकारी गृह निर्माण समिति लिमिटेड को आबंटित किया गया था जिसमें से 203 बीघा तथा 13 बिस्वों का कब्जा इस समिति को दे दिया गया था ।

शेष 18 बीघा तथा 11 बिस्वा माप के क्षेत्र का कब्जा इस समिति को इस कारण नहीं दिया जा सका कि 16 बीघा तथा 15 बिस्वा पर अनधिकृत निर्माण था जबकि 2 बीघा तथा 6 बिस्वा का क्षेत्र दिल्ली नगर निगम का था जिसको कि अभी तक दिल्ली विकास प्राधिकरण को अन्तरित नहीं किया गया है ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि अतिक्रमण की गई जिस भूमि का कब्जा निर्माण और आवास तथा आपूर्ति मन्त्रालय सहकारी गृह निर्माण समिति को नहीं दिया जा सका वह प्लाटों के विकास के लिए नहीं थी । यह भूमि प्राथमिक विद्यालय, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आदि जैसी सुविधाओं के लिए उपयोग की जानी थी और हर हालत में दिल्ली विकास प्राधिकरण की नीति के अनुसार योग्य संस्थानों को आबंटित करने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण को सौंपी जानी थी । इसलिए समिति पर किसी भी तरह से प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है और समिति के साथ हुए कुल प्लाटों की बचनबद्धता को बरकरार रखा गया है ।

सुपारी का उत्पादन

10251. **श्री पी. के. कोडियन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में सुपारी का राज्यवार कुल कितना उत्पादन होता है;

(ख) क्या यह सच है कि सुपारी उत्पादकों को उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने में सहायता के लिए पर्याप्त सहायता नहीं दी जाती है; और

(ग) सुपारी का उत्पादन बढ़ाने में विकास में सहायता की योजनायें क्या हैं और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) भारत में 1982-83 के दौरान सुपारी (छिलका रहित सुखी गिरी) का कुल उत्पादन लगभग 1,84,500 मीटरी टन हैं । राज्यवार उत्पादन नीचे दिया गया है ;

(उत्पादन "000 मीटरी टन)
(छिलका रहित सूखी गिरी))
(संसाधित गिरी)

राज्य का नाम	उत्पादन 1982-83
1	2
आंध्र प्रदेश	0.2
असम	48.1
कर्नाटक	81.5
केरल	40.7
महाराष्ट्र	2.4
मेघालय	4.9
तमिलनाडु	3.6
त्रिपुरा	1.0
पश्चिम बंगाल	0.8
गोवा, दमन और दीव	1.3
अखिल भारत	184.5

(ख) देश के सुपारी का उत्पादन प्राय: आत्म-निर्भरता के स्तर पर पहुंच गया है। इस लिए सुपारी सम्बन्धी क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम को प्रोत्साहित नहीं किया गया है। प्रत्याशित मांग में मामूली वृद्धि को पूरा करने के लिए उत्पादकों को वर्तमान बगीचों में सघन कृषि शुरू करने की सलाह दी गई है ताकि उत्पादन तथा उत्पादकता को बढ़ाया जा सके। इसके लिए राज्य सरकारें सुपारी के बगीचों में वैज्ञानिक कृषि के साथ-साथ अन्त: तथा मिश्रित फसल पद्धति को प्रोत्साहन देने के लिए बहुत सीमित पैमाने पर कतिपय-विकासात्मक कार्यक्रम क्रियान्वित कर रही हैं।

(ग) सुपारी का विकास करने के लिए पांचवीं तथा छठी योजना अवधि में कोई केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना या केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं क्रियान्वित नहीं की गई हैं। तथापि, केरल में सुपारी का विलगन (महाली) फल रोग के नियंत्रण की एक योजना तमिलनाडु तथा कर्नाटक में पौध उत्पादन तथा वितरण के अन्तराल की भरपाई के लिए सुपारी विकास की योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। कर्नाटक में माडल सुपारी उद्यान के रख-रखाव की एक योजना भी क्रियान्वित की जा रही है।

केरल में नारियल उत्पादकों की समस्याएं

10252. श्री पी. के. कोडियन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल में नारियल की खेती करने वालों की समस्याओं के बारे में केरल किसान कृषक संगम से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार ने नारियल बोर्ड में अभी तक नारियल उत्पादकों का प्रतिनिधित्व मनोनीत नहीं किया है; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) नारियल के खेतों की सिंचाई की क्या योजनाएं हैं और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां ।

(ख) नारियल विकास बोर्ड के पुनर्गठन जिसमें बोर्ड में नारियल उत्पादकों के प्रतिनिधि का नामांकन भी शामिल है, से संबंधित प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

(ग) नारियल फार्मों को सिंचाई सुविधा प्रदान करने के लिए कोई केन्द्रीय योजना नहीं चल रही है ।

ग्रुप हाऊसिंग कालोनियों में नागरिक सुविधाएं

10253. श्री सज्जन कुमार : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण और एन०डी०एम०सी० द्वारा प्लाट होल्डिंग सोसाइटियों और विकास ग्रुप हाउसिंग (बहुमंजिली इमारतों) को पेयजल बिजली और मल व्ययन जैसी मूल नागरिक सुविधाएं दी जा रही हैं;

(ख) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली में पीतमपुरा और दूसरे क्षेत्रों में ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों को जिन्हें भूमि आबंटित की गयी है सभी मूल सुविधाओं से वंचित रखा गया है और उनसे कहा जा रहा है कि वे अपने सैप्टिक टैंक वाटर टैंक (पानी की सप्लाई का प्रबन्ध) का स्वयं निर्माण करें और बिजली के सब-स्टेशन के लिए भूमि और उसके निर्माण की लागत का भुगतान करें; और

(ग) यदि हां, तो सोसाइटियों के दो ग्रुपों के साथ समान व्यवहार न किये जाने के क्या कारण हैं जबकि दोनों ग्रुप हाउसिंग समितियां एक ही प्राधिकरण (दिल्ली विकास प्राधिकरण) से शासित होती हैं ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां, । जलपूर्ति, बिजली और मल निर्यास प्रणाली को प्रश्नगत क्षेत्रों तक बढ़ाया जा रहा है ।

(ख) और (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण, सहकारी ग्रुप आवास समितियों को अर्द्ध विकसित भूमि आबंटित करता है । जलपूर्ति, बिजली, मल निर्यास इत्यादि जैसी परिधीय सेवाओं की व्यवस्था दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा की जाती है । ये समितियां उन्हें आबंटित भूमि पर इन सेवाओं के आन्तरिक विकास के लिए उत्तरदाई हैं । दिल्ली विकास प्राधिकरण इन समितियों को अपने सेप्टिक टैंक पानी के टैंकों के निर्माण के लिए नहीं कहता है । इस बारे में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया प्रबन्ध प्लाट आवास समितियों के समान ही है ।

विद्युतीकरण का उत्तरदायित्व सहकारी आवास समितियों का है सहकारी गृह निर्माण समितियां तथा सहकारी ग्रुप आवास समितियां दोनों ही को विद्युतीकरण के लिए दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को आवेदन करना होता है तथा एच०टी०फीड सब स्टेशन तथा निम्न वोल्टता वाली मुख्य लाइनों की अनुमानित लागत का 50 प्रतिशत तथा पथ प्रकाश की शत-प्रतिशत लागत का भी भुगतान करना होता है इसके अलावा उन्हें दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के सब स्टेशन के लिए निःशुल्क स्थल भी देना पड़ता है । इस सम्बन्ध में चाहे वह प्लाटधारी समितियां हो या ग्रुप आवास समितियां हों दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान दोनों को बराबर समझता है ।

सरकारी आवासों का बिना बारी के आबंटन

102. 4. प्रो० नारायण चन्द पाराशर : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में और अन्य महानगरों में सरकारी कर्मचारियों को बिना बारी के आबंटन के लिए कोई नियम और विनियम हैं:

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दिल्ली में 1983 और 1984 के दौरान सरकारी कर्मचारियों की प्रत्येक श्रेणी को प्रत्येक वर्ष अलग-अलग कितने मकानों का आबंटन किया गया ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) तथा (ख) सामान्यतया बिना बारी के आबंटन निम्नलिखित आधार पर किए जाते हैं :

(i) राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति प्रधानमन्त्री/मन्त्रियों/राज्य मन्त्रियों/उप मन्त्रियों/योजना आयोग/राज्य सभा के अध्यक्ष के निजी स्टाफ की ।

(ii) सामान्य फूल वास के कब्जेदार मृत सरकारी कर्मचारियों के पात्र बच्चों को ।

(iii) सामान्य फूल वास के कब्जेदार सेवा निवृत सरकारी कर्मचारियों के पात्र बच्चों को ।

(iv) चिकित्सा आधार पर अर्थात असाध्य कैंसर तथा सक्रिय अवस्था की अन्य के लिए जोखिम वाली तथा ए०एफ०बी० के लिए धन धूक वाली फुफुसीय टी०बी० ।

(v) विकलांग सरकारी कर्मचारियों को जिनकी विकलांगता पर तदर्थ आबंटन के लिए विचार करना आवश्यक हो ।

(vi) सामान्य फूल वास के पात्र कार्यालयों को स्थानान्तरित होने वाले विभागीय फूल के कब्जेदारों को ।

(vii) अनुकम्पा आधार; कर्त्तव्य की प्रकृति तथा लोक हित ।

(ग) प्रत्येक श्रेणी में तदर्थ आबंटन के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :—

आवास का टाइप	के दौरान आबंटन एककों की संख्या	
	1983	1984 (अप्रैल, 1984 तक)
टाइप-ए	330	118
टाइप-बी	860	235
टाइप-सी	166	26
टाइप-डी	38	10
टाइप-ई	56	21
टाइप-ई-1	27	7
योग	1487	417

सरकारी कर्मचारियों का श्रेणीवार रिकार्ड नहीं रखा जाता है ।

एस. डी. शिक्षा समिति, करोलबाग को आबंटित भूमि

10255. **प्रो. नारायण चन्द पराशर :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूमि और विकास अधिकारी ने 1966 में अथवा उसके आस-पास एस० डी० शिक्षा समिति, दिल्ली को राजकीय सहायता से डी-दो झण्डेवालान करौलबाग, नई दिल्ली में जे० वी० एस० डी० बालिका सीनियर सेकेण्डरी विद्यालय चलाने के लिए भूमि आबंटित की थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या सोसायटी को भूमि का कब्जा दे दिया गया है और यदि हां, तो किस तारीख को ;

(ग) यदि नहीं, तो उनके मन्त्रालय अथवा दिल्ली विकास प्राधिकरण जैसी इसकी एजेन्सियों ने एस० डी० शिक्षा समिति को इसका कब्जा सौंपने के लिए क्या कदम उठाए हैं ; और

(घ) इसका कब्जा वह कब तक दिला पाएंगे और विलम्ब के क्या कारण हैं ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) 1.4 एकड़ के एक भू-खण्ड, जिसे पहले देखभाल तथा रख-रखाव के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण को सौंपा गया था, का आबंटन किया गया तथा इस सोसायटी को वास्तविक कब्जा 3-6-1966 को दिया गया। तथापि, तीन अनाधिवासियों ने दिल्ली विकास प्राधिकरण के विरुद्ध न्यायालय से रोकादेश लिये भूमि तथा विकास कार्यालय ने दिल्ली विकास प्राधिकरण से शीघ्र ही रोकादेश को समाप्त करवाने का अनुरोध किया था।

दक्षिण बलजीत नगर को नियमित करने के लिए अभ्यावेदन

10256. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दक्षिण बलजीत नगर नई दिल्ली के निवासियों से उनकी कालोनी को दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली नगर निगम द्वारा नियमित करने के बारे में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इस अभ्यावेदन पर सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है और निर्णय कौन सी तारीख को लिया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उक्त कालोनी को कौनसी तारीख तक नियमित कर दिये जाने की सम्भावना है ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) क्योंकि यह कालोनी पूर्वनिर्दिष्ट मलिन क्षेत्र के अन्तर्गत पड़ती है, यह बात विचाराधीन है कि क्या इस कालोनी को नगरीय मलिन बस्तियों की पर्यावरणीय सुधार योजना के तहत विकसित किया जाए।

(ग) कोई तारीख जिस तक वह कालोनी नियमित कर दी जाएगी, बतानी व्यवहार्य नहीं है।

नेशनल मिल्क ग्रिड

10257. श्री ए० नीलालोहितदसन नाडार : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के 142 बड़े शहरों से 25 समूहों (कलस्टर्स) का सम्पर्क स्थापित करने के लिए आप्रेशन फ्लड-2 के अन्तर्गत "नेशनल मिल्क ग्रिड" स्थापित किया जाना था, यदि हां, तो वर्ष-वार निर्धारित किये गये लक्ष्य और उपलब्धियां क्या हैं ;

(ख) क्या पैर तथा मुंह टीके का भारी उत्पादन और नेशनल वेबसीन डिलीवरी सिस्टम आप्रेशन फ्लड-2 का अंग था और यदि हाँ, तो इस बारे में वर्षवार लक्ष्य तथा उपलब्धियां क्या हैं ;

(ग) क्या उत्पादकता को सुधारने का कार्य एक महत्वपूर्ण कार्य था यदि हां, उसके लक्ष्य तथा उपलब्धियां क्या है ; और

(घ) समूहों (कलस्टर्स) के मूलभूत समर्थन करने के अन्तर्गत अन्य क्या लक्ष्य थे और उनकी क्या उपलब्धि रही ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) आपरेशन फ्लड परियोजना का लक्ष्य ग्रामीण दुग्ध क्षेत्रों को शहरों/कस्बों के साथ इस ढंग से जोड़ना है जिससे कि दूध के उत्पादन और आपूर्ति म क्षेत्रीय और मौसमी असंतुलन समाप्त किया जा सके। इस प्रकार के सम्पर्क का प्रयोजन राष्ट्रीय दुग्ध ग्रिड का सृजन करना और अवसंरचना का विकास करना है ताकि दूरस्थ स्थलों में बड़े पैमाने पर दूध का संचयन किया जा सके और सुरक्षित जिंसों के लिए भण्डारण सुविधाओं का सृजन किया जा सके। इस केन्द्रीयकृत कार्रवाई के लिए कोई वर्ष वार कोई लक्ष्य नहीं है। कार्यक्रम के अन्तर्गत फरवरी, 1984 तक, 28.80 लाख लीटर की कुल क्षमता के 81 रेल दुग्ध टैंकर और 63.87 लाख लीटर की कुल क्षमता के 562 सड़क दुग्ध टैंकर इस्तेमाल में लाए गये हैं तथा 11.66 लाख लीटर की क्षमता के 32 रेल टैंकरों और

25.47 लाख लीटर की क्षमता के 251 सड़क टैंकरों के लिए आदेश दे दिए गए हैं। 5300 एम॰ टी॰ दुग्ध चूर्ण और 1200 मीट्री टन वटर आयल/वटर के लिए भंडारण सुविधाओं का सृजन किया गया है।

(ख) खुर पका और मुंह पका रोग के टीकों का बडे पैमाने पर उत्पादन और सहयोजित वितरण प्रणाली आपरेशन फ्लड-2 परियोजना का भाग है । परियोजना के अन्तर्गत स्थापित किए गए खुरपका और मुंहपका रोग टीका संयंत्र ने नवम्बर, 1983 से वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिया है। खुरपका और मुंहपका रोग के टीके का उत्पादन दुग्ध क्षेत्रों में पशुओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जा रहा है । 1983-84 के दौरान खुर पका और मुंह पका रोग के चतुः संयोजक 36 लाख खुराकें विनिर्मित की गई। तथापि इसके लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं ।

(ग) दुधारु पशुओं की उत्पादकता में सुधार लाने के लिए आपरेशन फ्लड के अन्तर्गत अवसंरचना सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था करने की परिकल्पना की गई है उत्पादकता में सुधार करने के लिए लगभग 27 लाख पशुओं को सुधरी पशुपालन पद्धतियों के अन्तर्गत शामिल किया गया, जबकि 1983-84 के दौरान लगभग 22 लाख दुधारु पशुओं को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया था ।

(घ) ग्रामीण प्रबंध संस्थान की स्थापना की गई है। इस संस्थान से तीन दल पहले ही स्नातक स्तर प्राप्त कर चुके हैं । चार क्षेत्रीय प्रशिक्षण एवं-प्रदर्शन केन्द्र पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं । व्यावहारिक अनुसंधान और विकास एक आवश्यकता पर आधारित अनवरत गतिविधि है, जिसके लिए वर्ष-वार लक्ष्य और उपलब्धियां निर्धारित नहीं की जा सकती । एक रोग निदान प्रयोगशाला आनन्द में स्थापित की गई हैं । भैंस उत्पादकता कार्यक्रम और जोत फार्म पर विचार किया जा रहा है ।

आपरेशन फ्लड-2 की कई समूहों में वार्षिक समीक्षा

10258. **श्री ए॰ नीलालोहितवसन नाडार** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपरेशन फ्लड-2 के अन्तर्गत वार्षिक समीक्षाएं कई समूहों में की जानी थी और मध्यवर्ती संशोधन किया गया था, और यदि हां, तो समूह-वार उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ख) क्या पशु चारा संयंत्र आपरेशन फ्लड-2 का एक भाग था और यदि हां, तो इस प्रकार के कितने संयंत्र स्थापित किये गये और स्थापना से लेकर इनके उत्पादन की वार्षिक प्रतिशतता क्या है और कमियां यदि कोई है, के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) आपरेशन फ्लड-2 में राज्यों की योजना की सांवधिक समीक्षाएं तथा मध्यवर्ती संशोधन करने का प्रावधान है। सम्बन्धित डेरी संघों के अनुरोध पर मध्यवर्ती संशोधन किए जाते हैं उड़ीसा योजना का आजकल मध्यवर्ती संशोधन किया जा रहा है और केरल तमिलनाडु तथा आन्ध्र प्रदेश से अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

(ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

निकोबार में भूमि के कटाव को रोकने के लिए समुद्र के किनारे दीवारों का निर्माण

10259. **श्री ए० नीलालोहितदसन नाडार** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्दमान एण्ड निकोबार इम्प्लाईज वेल्फेयर एसोसिएशन ने प्रधान मन्त्री और गृह मन्त्री को भेजे गये अपने ज्ञापन में निकोबार में समुद्र के पानी से भूमि के कटाव को रोकने हेतु समुद्र के किनारे दीवारों का-निर्माण करने की मांग की गई है ;

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान नमकीन जल के रिसने और समुद्री पानी से भूमि के कटाव को रोकने के लिए अन्दमान जिले में कितना धन खर्च किया गया है और निकोबार जिले में आदिवासी क्षेत्र में इस सम्बन्ध में कितना धन खर्च किया गया और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : अन्डमान तथा निकोबार कर्मचारी कल्याण संघ ने अपने ज्ञापन में निकोबार जिले में कटाव से भूमि की सुरक्षा की मांग रखी है। मस ग्राम आदि में कार निकोबार पर कटाव पर नियंत्रण पाने के वास्ते भूमि की सुरक्षा के लिए समुद्री दीवारों (सी वाल्स) के निर्माण का सुझाव दिया है।

(ख) अन्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह प्रशासन से सूचना एकत्र की जा रही है।

गैर सरकारी लघु क्षेत्र में आइसक्रीम का उत्पादन

10260. **श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने आईसक्रीम का उत्पादन गैर सरकारी लघु क्षेत्र में आरक्षण करने का निर्णय किया है और यदि हां, तो इस नीति निर्णय को कब लिया गया था ;

(ख) क्या हाल ही में इसी के अनुसरण में दिल्ली दुग्ध योजना के मूल्यवान आइसक्रीम उपकरण की नीलामी की गई थी ;

(ग) क्या सरकार को यह जानकारी है कि आइसक्रीम एक समृद्ध खाद्य पदार्थ है और इसकी व्यवस्था सरकारी डेरियों द्वारा बिना लाभ हानि के आधार पर की जानी चाहिए और निम्न आय समूह के स्कूल के बच्चों को इसकी सप्लाई राष्ट्रीय नीति के रूप में की जानी चाहिए ; और

(क) क्या सरकार का अपनी नीति पर पुनः विचार करने तथा जरूरतमन्द स्कूली बच्चों को आइसक्रीम उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) दिसम्बर, 1977 से आइसक्रीम का उत्पादन लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) आइसक्रीम को हमारे देश में सुखकर खाद्य पदार्थ समझा जाता है । अन्य खाद्य पदार्थ भी हैं जो सस्ते हैं और उतने ही पोषक हैं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

आपरेशन फ्लड 2 से लाभान्वित होने वाले खेतिहर परिवार

10261. श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के जुलाई, 1976 के "आपरेशन फ्लड 2 के प्रस्ताव के अनुसार वर्ष 1982-83 तक 87 लाख खेतिहार परिवारों को इसका लाभ मिलता था और यदि हां, तो वास्तव में कितने परिवार इससे लाभान्वित हुए हैं;

(ख) क्या वर्ष 1982-83 तक 73 लाख दूध देने वाले पशु पाले जाने थे और यदि हां, तो वास्तविक उपलब्धि कितनी है;

(ग) क्या सहकारी समितियों द्वारा प्रतिदिन 135 लाख लीटर दूध का उत्पादन और बिक्री की जानी थी; और

(ग) क्या दूध का प्रति व्यक्ति उत्पादन प्रति दिन के लिए 125 ग्राम किया जाना था और यदि हां, तो अब तक उपलब्धि क्या है; और

(ङ) क्या सरकार प्रगति से संतुष्ट है और यदि हां, तो सरकार ने कोई मूल्यांकन किया है तो उसका ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) भाग लेने वाले दुग्ध उत्पादक परिवारों की संख्या 1982-83 तक 22.31 लाख थी ।

(ख) 1982-83 तक पाले गये दुधारू पशुओं की संख्या 5,25,000 होने का अनुमान था।

(ग) 1982-83 तक सहकारी समितियों द्वारा खरीदे गये और बेचे गये दूध की मात्रा प्रतिदिन 32.9 लाख लीटर थी।

(घ) 1982-83 के दौरान दूध का प्रति व्यक्ति दैनिक उत्पादन 135 ग्राम होने का अनुमान था।

(ङ) आपसेशन फ्लड 2 के अन्तर्गत पूर्वापेक्षित औपचारिकताओं को पूरा करने में हुये विलम्ब के कारण योजना प्रक्रिया को सभी राज्यों में एक साथ शुरू नहीं किया गया था। आपरेशन फ्लड 2 के अन्तर्गत लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए परियोजना को क्रियान्वित करने की दृष्टि से, कर्णधार समिति ने 3.6.1983 को हुई अपनी बैठक में आपरेशन फ्लड 2 परियोजना को 1989-90 तक बढ़ाने का निर्णय लिया था। तथापि, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति अभी प्रदान की जानी है।

आपरेशन फ्लड 2 परियोजना की कृषि और सहकारिता विभाग में नियमित रूप से समीक्षा की जा रही है। अन्तः मन्त्रालयी कर्णधार समिति द्वारा भी आपरेशन फ्लड 2 की समीक्षा की जा रही है।

"कोस्टली केटास्ट्राफी" शीर्षक में प्रकाशित समाचार

10262 **श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 1978 में मंजूर किये गये टेट्रा मिल्क के बारे में दिल्ली रिकार्डर के मार्च, 1984 में कोस्टली "केटास्ट्राफी" शीर्षक में प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि कैट्रीपल परियोजना, जैसी कि मंजूर की गई थी के अन्तर्गत थैलियों में मिलने वाले उसी दूध की तुलना में लागत में 0.10 से 0.50 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि होनी थी;

(ग) क्या यह सच है कि अमूल तथा इन्दौर डेरियां बम्बई में टैट्रामिल्क की बिक्री पर 2 रुपये प्रति लीटर से अधिक का मुनाफा कमा रही हैं; और

(घ) क्या सरकार का अमूल जैसी सहकारी समितियों की सहायता देना बन्द करने का विचार है जो इस प्रकार का भारी मुनाफा कमा रही हैं और समृद्ध लोगों को ही दूध उपलब्ध करा रही हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां। सरकार ने मार्च, 1984 के दिल्ली रिकार्डर में छपी प्रैस रिपोर्ट को देखा है।

(ख) परियोजना व्यवहार्य रिपोर्ट के अनुसार कैट्रापैक में दूध की कीमत थैलियों में बिकने वाले उसी प्रकार के दूध से लगभग 15 पैसे प्रति लीटर अधिक मंहगे होने की संभावना थी। तथापि, बम्बई में ये दोनों दूध एक ही मूल्य पर बेचे जा रहे हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

आपरेशन फ्लड-2 के अन्तर्गत बनाये गए "मिल्क शेड"

10263. **श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "आपरेशन फ्लड वन" के अंतर्गत बनाये गये 18 ग्रामीण मिल्क शेड्स के अतिरिक्त आपरेशन फ्लड टू के अन्तर्गत 25 नये मिल्क शेड बनाये जाने थे और यदि हां, तो उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) "आपरेशन फ्लड-वन और आपरेशन फ्लड टू" मिल्क शेड में परियोजना पूर्व दुग्ध उत्पादन क्या था और वर्तमान उत्पादन कितना है;

(ग) "आपरेशन फ्लड टू" के अन्तर्गत निर्धारित 25 लक्ष्यों की तुलना में अब तक कितने "बलस्टर फेडरेशन" बनाये गये हैं;

(घ) क्या "आपरेशन फ्लड टू" के अन्तर्गत 155 डेरी निगम यूनियनें बनाई जानी थी और यदि हां, तो वास्तविक उत्पादन क्या है; और

(ङ) क्या राजधानी में डेयरी सहकारिता द्वारा दूध की सप्लाई होती है और यदि नहीं; तो इस असफलता के क्या कारण हैं और क्या सुधारात्मक कदम उठाये जाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) आपरेशन फ्लड 2, के तहत 155 दुग्ध स्रवण क्षेत्रों को 25 समूह के संघों में समूहित किया जाना है। 104 दुग्ध स्रवण क्षेत्रों में कार्य चल रहा है।

(ख) आपरेशन फ्लड 1 तथा आपरेशन फ्लड-2 के तहत दूध उत्पादन के पृथक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) राज्य-स्तरीय शीर्ष संगठन 23 राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में गठित किए हैं।

(घ) परियोजना का दूध की सप्लाई के लिए एक लाख और उससे अधिक जनसंख्या वाले प्रत्येक 153 शहरों/कस्बों के साथ 155 दुग्ध ग्रहण क्षेत्र जोड़ने का विचार है। कार्य प्रगति पर है।

(ङ) विभिन्न डेरी सहकारी संघों द्वारा दिल्ली दुग्ध योजना तथा दिल्ली मदर डेरी को दूध की सप्लाई की जा रही है।

पश्चिम बंगाल को अन्य राज्यों से चावल मंगवाने की अनुमति

10264. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने 1984-85 के लिए अपने खरीद की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अन्य राज्यों से 3 लाख टन चावल मंगवाने की अपनी मांग का संकेत दिया था लेकिन केन्द्रीय सरकार ने उसके लिए अभी अनुमति नहीं दी है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने देश के अन्दर चावल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने ले जाने की अपनी नीति को बदल दिया है और यदि हां, तो ऐसा विचार किस कारण करना पड़ा; और

(घ) उनका विचार पश्चिम बंगाल के मामले में किस प्रकार निपटाने का है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में, तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) और (ख) पश्चिमी बंगाल सरकार ने खरीफ विपणन मौसम 1983-84 के प्रारम्भ में अधिशेष राज्यों से तीन लाख मीटरी टन चावल खरीदने की अनुमति मांगी थी।

राज्य सरकार को सूचित किया गया था कि राज्य सरकार द्वारा भारी पैमाने पर खरीदारियां करने से बाजार-उपलब्धता और केन्द्रीय भण्डार के लिए वसूली कार्यों पर कुप्रभाव पड़ेगा।

(ग) व्यापार खाते पर मुक्त संचलन की नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

(घ) पश्चिमी बंगाल सरकार से कोई और अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

"मल्टीज फिश इन रिजर्वड वाटर्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

10265. श्री डी. एस. ए. शिवप्रकाशम : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 14 अप्रैल, 1984 के करेंट में "मल्टीज फिश इन रिजर्वड वाटर्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियां तटवर्ती राज्यों द्वारा केवल परम्परागत मछुआरों के उपयोग के लिए निर्धारित पृथक क्षेत्रों का उल्लंघन कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस उल्लंघन को रोकने तथा उल्लंघन करने वालों को सजा देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने रिपोर्ट दी है कि उनके पास पंजीकृत 9 बड़े व्यापारी घराने और 6 बहुराष्ट्रीय कम्पनियां मछली का व्यापार करने में लगे हुए थे। इससे आगे पता चलता है कि सिर्फ 6 बड़े घराने बहुराष्ट्रीय की अपनी 20 मीटर तथा उससे ज्यादा आकार के अपने मछली पकड़ने वाले जलयान हैं।

परम्परागत नावों, छोटे सांत्रिकृत नावों और मछली पकड़ने वाले बड़े जलयानों के कार्य करने के लिए क्षेत्रों के सीमांकन के लिए केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उड़ीसा तथा गोवा, दमन तथा द्वीप की सरकारों द्वारा कानून बनाए गए हैं। शेष समुद्री क्षेत्रों वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भी इस संबंध में उपयुक्त कानून बनाने के लिए सलाह दी गई है। कृषि मंत्रालय को हाल में पिछले दिनों में राज्यों से बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा उपबंधों के उल्लंघन के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

उपभोक्ता सहकारी भंडार, पोर्टब्लेयर, अंडमान और निकोबार के निदेशकों के विदेशों के अध्ययन दौरों पर हुआ खर्च

10266. श्री बाबू राव परांजपे : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उपभोक्ता सहकारी भंडार, पोर्टब्लेयर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के निदेशकों के विदेशों के अध्ययन दौरों पर तथा देश के अनेक भागों में किए गए खरीद और अध्ययन दौरों पर 1981-82 से 1983-84 तक कितनी धनराशि खर्च की गई ; और

(ख) उन निदेशकों का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक निदेशक पर खर्च की गई धनराशि तथा उनके दौरों का उद्देश्य, तारीख और प्रत्येक दौरे की अवधि का ब्यौरा क्या है ?

इलैक्ट्रानिकी विभाग में, तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) तथा (ख) उपभोक्ता सहकारी भण्डार लि०, पोर्ट ब्लेयर के निदेशकों द्वारा 1981-82 से 1983-84 तक की अवधि के दौरान विदेशों का कोई अध्ययन दौरा अथवा क्रय-एवं-अध्ययन दौरा नहीं किया गया है। तथापि, 1983-84 के दौरान, सोसायटी द्वारा मुख्य भू-भाग (मेनलैंड) का अध्ययन दौरा किया गया था, जिसमें सोसायटी के चार निदेशकों और दो कर्मचारियों ने भाग लिया था तथा इस दौरे पर मात्र अट्ठाइस हजार, चार सौ, पचास रुपये व्यय हुए थे।

उपभोक्ता सहकारी बोर्ड

10267. श्री बाबूराव परांजपे : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरों ने 1983 के उत्तरार्ध के दौरान अंडेमान निकोबार द्वीप समूह में अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा जारी और प्राप्त किये गये बारह जाली उत्पाद शुल्क परमिटों के सम्बन्ध में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

(ख) यदि हां, तो अपराधियों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने पर विचार कर रही है ;

(ग) क्या यह सच है कि उपभोक्ता सहकारी भंडार पोर्ट ब्लेयर अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह को स्थानीय सहकारिता अधिनियम के अनुसार विलासिता की वस्तुओं की बिक्री करने और उनकी किश्तों पर बिक्री करने का अधिकार नहीं है ; और

(घ) यदि हां, तो किश्तों पर क्या क्या वस्तुएं बेची गई ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में, तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) और (ख) इस मंत्रालय को इन द्वीप समूहों में जाली उत्पादन परमिट जारी किये जाने तथा अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा परमिटों का उपयोग किये जाने के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरों द्वारा की जाने वाली किसी जांच की जानकारी नहीं है ;

(ग) अंडमान एण्ड निकोबार आईलैंड्स कोआपरेटिव सोसायटीज रेग्यूलेशन, 1973 में कन्ज्यूमर कोआपरेटिव सोसायटीज लि०, पोर्ट ब्लेयर द्वारा विलासिता की वस्तुओं का व्यापार करने तथा उन्हें किश्तों पर बेचने के बारे में कोई प्रतिबन्धात्मक उपबंध नहीं है।

(घ) टेलीविजन के सैट केवल कन्ज्यूमर कोआपरेटिव स्टोर्स लि०, पोर्ट ब्लेयर के सदस्यों को किश्तों में बेचे जाते हैं।

अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह प्रशासन के वन विभाग द्वारा चिरी हुई लकड़ी की नीलामी

10268. **श्री बाबू राव परांजपे** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह प्रशासन के वन विभाग ने अप्रैल, 1980 से 31 मार्च, 1984 तक चिरी हुई लकड़ी की कितनी नीलामियां की ;

(ख) इन नीलामियों में कुल कितने क्यूबिक मीटर लकड़ी की नीलामी की गई ;

(ग) सफल बोली लगाने वालों के विवरण क्या हैं ;

(घ) वन विभाग द्वारा बोली लगाने और बोली छूटने के बाद की निर्धारित राशि क्या थी और कम या अधिक दोनों रूपों में उनमें क्या अन्तर था ;

(ङ) इन नीलामियों में "खराब होने का खतरा" के अन्तर्गत वर्गीकृत कुल कितने क्यूबिक मीटर लकड़ी नीलामी की गई ;

(च) "खराब होने का खतरा" के अन्तर्गत चिरी हुई लकड़ी और लट्ठों का वर्गीकरण करने के लिए वन विभाग द्वारा क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है ; और

(छ) क्या केन्द्रीय सरकार ने वन विभाग द्वारा की गई अनियमितताओं की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच कराने के आदेश दिए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (छ) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

विश्व बैंक की सहायता से काजू की खेती

10269. **श्री जगन्नाथ पाटिल** : क्या कृषि मंत्री विश्व बैंक की सहायता से काजू की खेती के बारे में 8 अगस्त, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2339 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक की सहायता से काजू की खेती करने की परियोजना को अन्तिम रूप दिया गया है ; और

(ख) महाराष्ट्र के सम्बन्ध में इस परियोजना का क्या ब्यौरा है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) विश्व बैंक की सहायता से महाराष्ट्र, तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में काजू की खेती से सम्बन्धित परियोजनाओं पर विभिन्न चरणों में कार्य हो रहा है ।

(ख) महाराष्ट्र की प्रस्तावित काजू विकास परियोजना का सही ब्यौरा विश्व बैंक द्वारा इसे स्वीकार किए जाने के पश्चात ही उपलब्ध हो पाएगा ।

केन्द्रीय जल आयोग के कर्मचारियों की गंगा बेसिन जल संसाधन संगठन में विलय के बाद पदोन्नति

10270. **श्री जायनल अबेदिन :** क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय जल आयोग के कर्मचारियों, विशेष रूप से सुपरवाईजर, ग्रुप सी कर्मचारियों को गंगा बेसिन जल संसाधन संगठन का वर्ष 1978 में केन्द्रीय जल आयोग के साथ विलय हो जाने के बाद अपनी सेवाओं में अपनी नियत पदोन्नति और स्थायीकरण प्रदान नहीं किये गये हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस सम्बन्ध में कोई उपाय करने का है ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) से (ग) 1978 में केन्द्रीय जल आयोग के साथ गंगा बेसिन जल संसाधन संगठन के विलय के बाद भी, समेकित वरिष्ठता सूचियों के आधार पर, जो इस विलय के पश्चात तैयार की गई हैं, केन्द्रीय जल आयोग में विभिन्न ग्रेडों में पदोन्नतियां की जा रही हैं । राजपत्रित संवर्गों में स्थायीकरण इस लिए नहीं किये जा सके क्योंकि कुछ कर्मचारियों ने वर्ष 1979 तथा 1980 में दिल्ली उच्च न्यायालय में पदों के विलियन को चुनौती दी थी । स्थायीकरण अप्रत्यावर्ती कार्रवाई होने के कारण, उन वरिष्ठता सूचियों पर आधारित नहीं हो सकती जिनको चुनौती दी जा रही है । अराजपत्रित संवर्गों के मामले में, स्थायीकरण नहीं किए जा सके क्योंकि विलय किये गये संवर्गों के बीच परस्पर वरीयता को अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका । विभागीय परिषद में भी इस मामले पर विचार-विमर्श किया गया था किन्तु विभिन्न कर्मचारी संघों के प्रतिनिधि परस्पर सहमत शर्तों पर संयुक्त वरिष्ठता सूचियों को अन्तिम रूप देने में सहमत नहीं हो सके ।

सी. पी. सी. आर. आई., कासरगोड़ के वैज्ञानिकों तथा अन्य कर्मचारियों में असंतोष

10271. **श्रीमती सुशीला गोपालन :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सी. पी. सी. आर. आई., कासरगोड द्वारा कुछ वैज्ञानिकों के साथ किए गए दुर्व्यवहार के कारण कुछ वैज्ञानिकों ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को छोड़ दिया है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार सी. पी. सी. आर. आई. के वैज्ञानिकों तथा अन्य कर्मचारियों में बढ़ते असंतोष और निराशा के बारे में कोई जांच कराने का है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं, श्रीमान ।

(ख) उपरोक्त (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए जांच की आवश्यकता नहीं है ।

सेंट्रल प्लांटेशन क्राप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट में मार्ग गत लाज

10272. श्रीमती सुशीला गोपालन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "सेंट्रल प्लांटेशन क्राप्स रिचर्स इंस्टीट्यूट कासारगोड" में दो गैस्ट हाउस हैं जिनमें 40 आदमी ठहर सकते हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि हाल ही में बनाये गये दो आवासीय भवनों को जो कि खाली पड़े थे निम्न आय वर्ग के कर्मचारियों को जिन्हें आवासी क्वार्टरों की अत्याधिक आवश्यकता है आवंटित करने के बजाय मार्गगत लाजों में बदल दिये गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार यह जाँच करने का है कि क्या यह दो लाजों का मेहमानों को ठहराने के लिए अत्यधिक आवश्यकता है और यदि नहीं तो क्या इन्हें निम्न आय वर्ग के उन कर्मचारियों को जिन्हें इनकी अत्यधिक आवश्यकता है आवंटित किया जा सकता है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) केन्द्रीय बागानी अनुसंधान संस्थान, कसारगौड में प्रशिक्षार्थियों के लिए दो गैस्ट हाउस और एक छात्रावास है जिनमें 28 व्यक्ति ठहर सकते हैं ।

(ख) हाल ही में बनाए गये एक कमरे वाले 16 एपार्टमेन्टों के चार ब्लाकों को नये नियुक्त कर्मचारियों और स्थानांतरण पर कसारगौड आए हुए कर्मचारियों (कम वेतन वाले कर्मचारियों सहित) के लिए अस्थाई आवास के रूप में प्रयोग में लाया जा रहा है, जब तक कि उन्हें कोई उपयुक्त वैकल्पिक आवास नहीं मिल जाता ।

(ग) उपरोक्त (क) और (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए मामले की आगे जांच करना आवश्यक नहीं है ।

टैस्ट मैचों के दौरान क्रिकेट खिलाड़ियों के वस्त्रों पर विज्ञापन देने के बारे में नियम

10273. श्री बाबू राव परांजपे : क्या खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टैस्ट मैचों और एक दिवसीय मैचों के दौरान क्रिकेट खिलाड़ियों के वस्त्रों पर किसी प्रकार का विज्ञापन देने के बारे में नियम क्या हैं ;

(ख) क्या सरकार को यह पता है कि भारत-वैस्टइंडीज श्रृंखला 1983 में कुछ खिलाड़ियों ने केवल एक मैच में ही खेला और कुछ खिलाड़ी सभी मैचों में खेले ;

(ग) क्या सरकार को यह पता है कि एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय मैच में एक खिलाड़ी द्वारा पहने गये वस्त्र पर मोटे-मोटे अक्षरों में "मफतलाल" लिखा हुआ था जो दूरदर्शन पर साफ दिखाई दे रहा था । यदि हां, तो क्या इस खिलाड़ी पर जुर्माना किया गया है ; और

(घ) क्या सभी खिलाड़ी शीतल पेय का प्रतीक चिन्ह (लोगो) पहने हुए थे या कुछ खिलाड़ियों ने शीतल पेय कम्पनी का प्रतीक चिन्ह (लोगो) कभी नहीं पहना ?

खेल विभाग में उपमंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड, जो भारत में क्रिकेट मैच आयोजित करने के लिए उत्तरदायी है और जो भारतीय क्रिकेट टीम सहित क्रिकेट खिलाड़ियों पर नियंत्रण करता है, ने सूचित किया है कि, खिलाड़ी बोर्ड के साथ कानूनी करार द्वारा बाध्य हैं, जिसकी शर्तों में खिलाड़ी, क्रिकेट बूट तथा बल्ले के अलावा अपने वस्त्रों पर कोई विज्ञापन नहीं दे सकता ।

(ख) सरकार को टैस्ट मैचों के बारे में, इसकी जानकारी है ।

(ग) भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड ने सूचित किया है कि उन्हें इस विषय पर कोई सूचना नहीं है ।

(घ) यह मामला भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड से सम्बन्धित है और यह पृथक-पृथक खिलाड़ी द्वारा किये गए ठेके पर आधारित है ।

फल उत्पाद आदेश के उपबंधों को पूरा करने के सम्बन्ध में दुरदर्शन द्वारा कार्यान्वयन

10274. श्री राम जेठमलानी : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 9 अप्रैल, 1984 के तारांकित प्रश्न संख्या 628 के उत्तर के सम्बन्ध में सरकार द्वारा दिये गये इस आश्वासन की फल उत्पाद आदेश के प्रावधानों को कड़ाई से कार्यान्वित किया जाएगा के बावजूद दूरदर्शन/आकाशवाणी विज्ञापन पट्टों पर मृदु पेय के विज्ञापनों में फल उत्पाद आदेश के खंड 11 (3) के अन्तर्गत सांविधिक सूचना नहीं दर्शाई जाती है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : फल उत्पाद आदेश, 1955 के अधीन उन लाइसेंसधारियों, जो कि आदेश के खण्ड 11 (3) की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं कर रहे थे, को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था । उनसे प्राप्त उत्तर विचाराधीन हैं ।

दिल्ली दुग्ध योजना सड़े हुए दुग्ध पाउडर की सप्लाई

10275. **श्री के० ए० राजन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दुग्ध योजना को बोतल भरने के लिए डेलेदार और सड़े हुए दुग्ध पाउडर के 422 बोरे दिए गए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

भागीरथी के ऊपर पुल

10276. **श्री जायनल अबेदिन** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरक्का बांध के चालू हो जाने से भागीरथी नदी में पानी का दबाव बढ़ जाने के कारण नदी के आमने सामने वाले किनारों पर स्थित दो बड़े नगर और व्यापार-केन्द्र रघुनाथ गंज और जोगीपुर के सम्बन्धित लोगों के निर्बाध आवागमन को भारी आघात पहुंचा है और उन्हें पूरे वर्ष अपना व्यापार चलाने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या स्कूल और कालेज जाने वाले लड़के और लड़कियों सहित हजारों लोगों को भारी परेशानी उठाते हुए देशी नौकाओं पर प्रतिदिन उफनती नदी पार करनी पड़ती है ;

(ग) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने नाव से पार करने वाले लोगों और उनके छकड़ों से सम्बन्धित कठिनाइयों और जोखिम को कम करने के लिए उस स्थल पर भागीरथी के ऊपर एक पुल का निर्माण करने हेतु बहुत पहले उनके मंत्रालय/फरक्का बांध प्राधिकरण से अनुरोध किया था;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस सम्बन्ध में अनुकूल कार्यवाही करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ङ) रघुनाथगंज तथा जंगीपुर को मिलाने वाली भागीरथी नदी पर पुल के निर्माण के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने फरक्का बराज परियोजना प्राधिकारियों तथा भारत सरकार को कहा था। राज्य सरकार को सूचित किया था कि फरक्का बराज परियोजना प्राधिकारियों ने फीडर नहर पर तीन पुलों का

पहले ही निर्माण कर दिया है और उसी पर एक और पुल का निर्माण किया जा रहा है। भागीरथी पर पुल का निर्माण करना यदि आवश्यक है तो इसे पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा किया जाना होगा।

गृह निर्माण की राशि बढ़ाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव

10277. **श्री केशवराव पारधी** : क्या निर्माण और आवास मंत्री गृह निर्माण की राशि बढ़ाने के प्रस्ताव के बारे में 23 अप्रैल, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8480 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा फ्लैटों के निर्माण और इनमें परिवर्तन करने के लिए दी गई अनुमति को देखते हुए कोई ऐसा प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, जिसके अन्तर्गत जिस कर्मचारी ने वर्ष 1974 में जनता फ्लैट खरीदने के लिए उस धनराशि का ¼ भाग लिया है, जिसके पाने का हकदार था, यदि उसका सेवाकाल 20 वर्ष से अधिक है, तो वह गृह निर्माण की शेष ¾ धनराशि प्राप्त कर सकता है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : जिन कर्मचारियों ने पहले ही गृह निर्माण अग्रिम सुविधा प्राप्त कर ली है उन्हें दूसरी बार ऐसी सुविधा देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

शकरपुर और लक्ष्मी नगर क्षेत्रों में विकास कार्य

10278. **प्रो० अजीत कुमार मेहता** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन ठेकेदारों के नाम क्या हैं जिन्हें डी० डी० ए० में शकरपुर लक्ष्मी नगर क्षेत्र में विकासकार्य के ठेके दिये थे;

(ख) क्या इन निर्माण कार्यों के लिए निविदाएं आमन्त्रित करने के लिए समाचार पत्रों में कोई विज्ञापन दिया गया था;

(ग) ठेकों का मूल्य कितना था और ठेकों का ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक ठेकेदार को दिये गये ठेके का ब्यौरा क्या है और उनमें से प्रत्येक को दिए गए भुगतान का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या इस बीच ये काम पूरे हो गए हैं; यदि नहीं, तो उनको पूरा न करने के क्या कारण हैं ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) तथा (ग) ये ब्यौरे अनुलग्नक-I तथा II में दिए गए हैं। **[ग्रंथालय में रखे गये/देखिए संख्या एल० टी० 8373/84]**

(ख) जी, हां।

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि लाभभोगियों द्वारा विकास प्रभार अदा न करने के कारण हुई धन की कमी से कार्यों को पूरा नहीं किया जा सका।

यमुनापार की कालोनियों में पेयजल की सप्लाई

10279. **प्रो० अजित कुमार मेहता :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेनी कुएं खोदे जाने के कारण यमुना पार की लक्ष्मी नगर, शकरपुर, गुरु राम दास नगर जैसी कालोनियों में पानी का स्तर नीचे चला गया है;

(ख) यदि हां, तो वहां के निवासियों को पेय जल की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं; और

(ग) इन क्षेत्रों के लिये शुद्ध पेय जल की व्यवस्था कब तक कर दी जायेगी ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क), (ख) और (ग) दिल्ली जल प्रदाय एवंम मल व्ययन संस्थान ने सूचित किया है कि जल सप्लाई बढ़ाने के लिए शाहदरा मार्जिनल बांध के साथ साथ यमुना नदी की पूर्वी तरफ निर्मित चार रैनी कूपों के चालू होने के कारण इन कूपों के समीपस्थ कतिपय क्षेत्रों में लगभग 200 मीटर की परिधि में भूमिगत जल स्तर नीचा हो गया है जिससे लक्ष्मी नगर, शकरपुर आदि की कालोनियां, जहां लोग हैंण्ड पम्पों से पानी निकालते हैं, प्रभावित हुई हैं। इन कालोनियों के निवासियों के साथ विचार-विमर्श के बाद, दिल्ली जल प्रदाय एव्म मल व्ययन संस्थान ने सार्वजनिक नलों द्वारा इन क्षेत्रों में जल पूर्ति मुहैया करने का निर्णय लिया था। तदनुसार, दिल्ली जल प्रदाय एव्म मल व्ययन संस्थान ने प्रभावित क्षेत्रों में 115 नि:शुल्क सार्वजनिक नल मुहैया किये हैं तथा 64 ऐसे अतिरिक्त जल मुहैया किए जा रहे हैं।

इन कालोनियों के निवासियों को नियमित जलपूर्ति तब उपलब्ध कराई जायेगी जब लाभभोगी सम्बन्धित प्राधिकरणों के पास अपेक्षित विकास प्रभार जमा कर देंगे।

डिविजन सं० 7 में डी० डी० ए० उद्यानों (पार्क) से चोरी

10280. **प्रो० अजित कुमार मेहता :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण के डिवीजन संख्या 7 में कितने उद्यान (पार्क) बनाये गये हैं और इन उद्यानों में बच्चों के कितने झूले स्थापित किये गये हैं;

पहले ही निर्माण कर दिया है और उसी पर एक और पुल का निर्माण किया जा रहा है। भागीरथी पर पुल का निर्माण करना यदि आवश्यक है तो इसे पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा किया जाना होगा।

गृह निर्माण की राशि बढ़ाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव

10277. **श्री केशवराव पारधी** : क्या निर्माण और आवास मंत्री गृह निर्माण की राशि बढ़ाने के प्रस्ताव के बारे में 23 अप्रैल, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8480 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा फ्लैटों के निर्माण और इनमें परिवर्तन करने के लिए दी गई अनुमति को देखते हुए कोई ऐसा प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, जिसके अन्तर्गत जिस कर्मचारी ने वर्ष 1974 में जनता फ्लैट खरीदने के लिए उस धनराशि का ¼ भाग लिया है, जिसके पाने का हकदार था, यदि उसका सेवाकाल 20 वर्ष से अधिक है, तो वह गृह निर्माण की शेष ¾ धनराशि प्राप्त कर सकता है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : जिन कर्मचारियों ने पहले ही गृह निर्माण अग्रिम सुविधा प्राप्त कर ली है उन्हें दूसरी बार ऐसी सुविधा देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

शकरपुर और लक्ष्मी नगर क्षेत्रों में विकास कार्य

10278. **प्रो० अजीत कुमार मेहता** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन ठेकेदारों के नाम क्या हैं जिन्हें डी० डी० ए० में शकरपुर लक्ष्मी नगर क्षेत्र में विकासकार्य के ठेके दिये थे;

(ख) क्या इन निर्माण कार्यों के लिए निविदाएं आमन्त्रित करने के लिए समाचार पत्रों में कोई विज्ञापन दिया गया था;

(ग) ठेकों का मूल्य कितना था और ठेकों का ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक ठेकेदार को दिये गये ठेके का ब्यौरा क्या है और उनमें से प्रत्येक को दिए गए भुगतान का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या इस बीच ये काम पूरे हो गए हैं; यदि नहीं, तो उनको पूरा न करने के क्या कारण हैं ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) तथा (ग) ये ब्यौरे अनुलग्नक-I तथा II में दिए गए हैं। **[ग्रंथालय में रखे गये/देखिए संख्या एल० टी० 8373/84]**

(ख) जी, हां।

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि लाभभोगियों द्वारा विकास प्रभार अदा न करने के कारण हुई धन की कमी से कार्यों को पूरा नहीं किया जा सका।

यमुनापार की कालोनियों में पेयजल की सप्लाई

10279. **प्रो० अजित कुमार मेहता** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेनी कुएं खोदे जाने के कारण यमुना पार की लक्ष्मी नगर, शकरपुर, गुरु राम दास नगर जैसी कालोनियों में पानी का स्तर नीचे चला गया है;

(ख) यदि हां, तो वहां के निवासियों को पेय जल की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं; और

(ग) इन क्षेत्रों के लिये शुद्ध पेय जल की व्यवस्था कब तक कर दी जायेगी ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क), (ख) और (ग) दिल्ली जल प्रदाय एवंम मल व्ययन संस्थान ने सूचित किया है कि जल सप्लाई बढ़ाने के लिए शाहदरा मार्जिनल बांध के साथ साथ यमुना नदी की पूर्वी तरफ निर्मित चार रैनी कूपों के चालू होने के कारण इन कूपों के समीपस्थ कतिपय क्षेत्रों में लगभग 200 मीटर की परिधि में भूमिगत जल स्तर नीचा हो गया है जिससे लक्ष्मी नगर, शकरपुर आदि की कालोनियां, जहां लोग हैंण्ड पम्पों से पानी निकालते हैं, प्रभावित हुई हैं। इन कालोनियों के निवासियों के साथ विचार-विमर्श के बाद, दिल्ली जल प्रदाय एवम् मल व्ययन संस्थान ने सार्वजनिक नलों द्वारा इन क्षेत्रों में जल पूर्ति मुहैया करने का निर्णय लिया था। तदनुसार, दिल्ली जल प्रदाय एवम् मल व्ययन संस्थान ने प्रभावित क्षेत्रों में 115 नि:शुल्क सार्वजनिक नल मुहैया किये हैं तथा 64 ऐसे अतिरिक्त जल मुहैया किए जा रहे हैं।

इन कालोनियों के निवासियों को नियमित जलपूर्ति तब उपलब्ध कराई जायेगी जब लाभभोगी सम्बन्धित प्राधिकरणों के पास अपेक्षित विकास प्रभार जमा कर देंगे।

डिविजन सं० 7 में डी० डी० ए० उद्यानों (पार्क) से चोरी

10280. **प्रो० अजित कुमार मेहता** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण के डिवीजन संख्या 7 में कितने उद्यान (पार्क) बनाये गये हैं और इन उद्यानों में बच्चों के कितने झूले स्थापित किये गये हैं;

(ख) इन उद्यानों से कितने लोहे के झूले लोहे के फाटक, लोहे के रेलिंग चोरी हो गए; और

(ग) क्या इन चोरी की घटनाओं की पुलिस में शिकायत दर्ज की गई है और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण के उद्यान अंचल संख्या 7 में 239 पार्कों का विकास किया गया है और इन पार्कों में बच्चों के लिए 19 क्रीड़ा उपस्कर (झूले आदि) लगाए गए हैं ।

(ख) तथा (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि ऐसी कोई चोरी की सूचना नहीं दी गई है/ध्यान में नहीं आई है ।

गीता कालोनी में सब्जी मण्डी का निर्माण

10281. **प्रो० अजित कुमार मेहता** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने गीता कालोनी में दशहरा मैदान में सब्जी मण्डी बनाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो जनता के अनेक संगठनों ने इसका विरोध किया है;

(ग) क्या न्यायालय ने इस सम्बन्ध में स्थगन आदेश जारी किया था;

(घ) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इस आदेश के विपरीत कार्यवाही की है; और

(ङ) यदि हां, तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) झील कुरेन्जा में कार्यरत सब्जी विक्रेताओं की मांग की पूर्ति करने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण ने गीता कालोनी में सब्जी मार्किट निर्मित करने का निर्णय किया है । क्षेत्रीय योजना में यह क्षेत्र दशहरा मैदान के उपयोग के लिए उद्दिष्ट नहीं है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) से (ङ) इस मामले में न्यायालय का रोक आदेश है । दिल्ली विकास प्राधिकरण ने न्यायालय के रोका आदेश का उल्लंघन नहीं किया है ।

डिफेन्स कालोनी में कमीशन अफसरों और जूनियर कमीशन अफसरों के लिए भू-खण्डों का आरक्षण

10282. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा मन्त्रालय द्वारा विकसित मूल योजना में डिफेन्स कालोनी नई दिल्ली में दो भू-खण्ड भवनों के लिए-एक 'सी' ब्लाक में कमीशन, अफसरों के लिए दूसरा 'ए' ब्लाक में जे०सी०ओ०/एन०सी०ओ० के लिए आरक्षित किए गए थे ;

(ख) क्या 'ए' ब्लाक में जे०सी०ओ० क्लब के भू-खण्ड पर मिलटरी इंजीनियरी सेवा द्वारा 1953 में भवनों का निर्माण किया गया और उसे रक्षा मन्त्रालय के निपटान निदेशालय द्वारा 'साइट' कार्यालय के रूप में इस्तेमाल किया गया, जो अब भी वहीं पर है ;

(ग) क्या तत्कालीन क्वार्टर मास्टर जनरल सेना मुख्यालय ने 1963 में मन्त्रालय से उक्त प्लाट और भवन को डिफेन्स कालोनी एसोसिएशन 'ए' सेक्टर को हस्तान्तरित करने का अनुरोध किया ;

(घ) क्या उपर्युक्त एसोसिएशन 1959 से उस प्लाट और भवन के हस्तान्तरण के लिए अनुरोध कर रही है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसे हस्तान्तरित करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ङ) सम्बन्धित सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

सर्व-हितकारी कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी के सदस्यों को प्लाटों का आबंटन

10283. **श्री हीरालाल आर० परमार** : क्या निर्माण और आवास मंत्री 26 मार्च, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4785 के उत्तर जिसमें यह आश्वासन दिया गया था कि सहकारी सोसायटियों के रजिस्ट्रार सर्वोच्च न्यायालय के 6 सितम्बर, 1983 के निदेशों के अनुसार सर्व हितकारी कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी के सदस्यों को प्लाट आबंटित करने के सम्बन्ध में शीघ्र ही अपना निर्णय देंगे, के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोआपरेटिव सोसायटियों के रजिस्ट्रार ने अपना निर्णय दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और इस मामले में सदस्य कब तक निर्णय की आशा कर सकते हैं ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) तथा (ख) जी, नहीं ।

(ग) दिल्ली की सहकारी समितियों के पंजीकार ने सूचित किया है कि आबंटन के मामलों की जांच के लिये, 191 सदस्यों के मामले में 20 वर्ष से अधिक की अवधि के मांग तथा भुगतान के रिकार्ड की विस्तृत जांच अपेक्षित है । इसके अतिरिक्त प्रत्येक सदस्य को अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिये उचित अवसर भी दिया जाना है । सूची को शीघ्रता से अन्तिम रूप देने के लिये पंजीकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं ।

कोको संसाधन केन्द्र

19248 प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कोको संसाधन केन्द्र है और जब कोको के मूल्य गिर जाते हैं तो क्या कोको उत्पादकों से उन्हें समर्थन मूल्य देकर कोको खरीदने की कोई प्रणाली है ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार कोको उत्पादकों से कोको को समर्थन मूल्य पर वसूल करने और उसे संसोधित करने का प्रबन्ध करने का है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां । औद्योगिक विनिर्माता तथा सहकारी समितियां भी कोको संसाधन केन्द्र चला रही है, समर्थन मूल्य पर कोको खरीदने की कोई प्रणाली नहीं है । तथापि, कर्नाटक सरकार कोको उत्पादकों को गीली फलियों पर एक रुपया प्रति कि०ग्रा० की दर से राज सहायता दे रही है ।

(ख) इस समय इस प्रकार के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है ।

कोको की खेती के अन्तर्गत भूमि

10285. प्रो० पी०जे० कुरियन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुल कितनी भूमि में कोको की खेती की जाती है तथा उसका कुल वार्षिक उत्पादन कितना है ;

(ख) क्या यह सच है कि कोको उत्पादकों को अपने उत्पाद का लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है ; और

(ग) यदि हां तो कोको उत्पादकों को लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) कोको की जो एक ऐसी फसल हैं जिनका पूर्वानुमान नहीं लगाया जाता, फसल के क्षेत्र और उत्पादन के संबंध में निश्चित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । तथापि, 1982-83 में कोको उगाने वाले प्रमुख राज्यों में कोको की खेती के अन्तर्गत अनुमानित क्षेत्र और उसका उत्पादन क्रमश: 28,274 हैक्टार और 3,000 मीटरी टन शुष्क फलियां था ।

(ख) और (ग) कोको के दामों की समस्या के सम्बन्ध में सरकार को कोई जानकारी नहीं मिली है । कोको की फसल उन फसलों में से नहीं है जिनके बारे में सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करती है । तथापि, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि कोको उत्पादकों को इसके उचित दाम मिलें, कोको उत्पादकों के हितों की रक्षा करने के लिए अनेक उपाय पहले ही किए गए हैं । इन उपायों में ये शामिल हैं :

(1) कोको की फलियों की घरेलू खपत में वृद्धि करने और इसके फलस्वरूप मूल्यो में सुधार करने के लिए सरकार और अधिक कोको संसाधन एकक स्थापित करने के प्रयास कर रही है ।

(2) सरकार सहकारी समितियों को कृत्रिम ड्रायर्स लगाने के लिए वित्तीय सहायता दे रही है ।

(3) कर्नाटक सरकार कोको उत्पादकों को एक रुपैया प्रति किलोग्राम की दर से गीली फलियों पर राजसहायता दे रही है ।

(4) केरल और कर्नाटक की राज्य सरकारें सहकारी क्षेत्र में वसूली केन्द्रों को खोलकर कोको फलियों की खरीद के लिए प्रोत्साहन दे रही है ; और

(5) केरल सरकार ने सरकार ने सहकारी समितियों को किण्वन और शुष्क करने वाले एककों की स्थापना करने के लिए 1.5 लाख रुपए की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की है ।

केरल कृषि विश्वविद्यालय में अन्य विश्वविद्यालयों से प्रवेश

10286. **प्रो० पो०जे० कुरियन** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल कृषि विश्वविद्यालय के अन्य विश्वविद्यालयों के उन विद्यार्थियों को जिन्होंने तीन वर्ष का डिग्री पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया है प्रवेश न देने का निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय का क्या औचित्य है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस निर्णय में परिवर्तन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की जानकारी में लाया गया है कि केरल कृषि विश्वविद्यालय ने निर्णय लिया है कि भारत में दूसरे कृषि विद्यालयों के द्वारा संचालित तीन वर्षीय बी. एस. सी. (कृषि) डिग्री (10+3 या 10+2+3 या 11+3 पद्धति को 8-9-1983 से आगे केरल कृषि विश्व-विद्यालय में उच्च अध्ययन हेतु भर्ती के लिए मान्यता नहीं मिल रही है।

(ख) विश्वविद्यालय के अनुसार 3 वर्षीय बी. एस. सी (कृषि) डिग्री कार्यक्रम का पाठ्यक्रम धारिता और पढ़ाई हेतु वास्तविक समय के दृष्टिकोण से चार वर्षीय बी एस. सी. (कृषि) कार्यक्रम की तुलना के योग्य नहीं हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा नियुक्त डीन-समिति ने भी 10+2 पद्धति के बाद बी. एस. सी. (कृषि) कार्यक्रम के लिए 4 वर्ष की अवधि के पाठ्यक्रम का सुझाव दिया है।

(ग) कृषि विश्वविद्यालय दूसरे विश्वविद्यालयों के द्वारा प्रस्तुत शैक्षिक कार्यक्रमों के स्तर पर आधारित दी गई उपाधि को पारस्परिक रूप से मान्यता देते हैं। चूंकि, यह अन्तर्विश्व-विद्यालय का मामला है, इसलिए केरल कृषि विश्वविद्यालय के निर्णय पर विचार करने के लिए भारतीय कृषि विश्वविद्यालयों की संस्था से निवेदन करने का निर्णय लिया गया है।

केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म

10287.-**श्री बी०डी० सिंह** : क्या कृषि मंत्री केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्मों के बारे में 23 अप्रैल, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8401 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म के लिए 29 नवम्बर, 1983 को गठित की गई विशेषज्ञों की समिति के अध्यक्ष किस अवधि के दौरान पशु पालन आयुक्त के पद पर आसीन थे और उससे पहले कितनी अवधि के दौरान वह किसी पशु प्रजनन फार्म के प्रभारी थे और उसके क्या परिणाम थे ;

(ख) 29 नवम्बर, 1983 को सरकार द्वारा नियुक्त की गई विशेषज्ञ समिति के निर्देश पद क्या हैं तथा इसकी रिपोर्ट देने की अन्तिम तारीख क्या है और अब तक कितना कार्य पूरा हो चुका है ; और

(ग) फार्म-वार कौन-कौन सी नस्लें विद्यमान हैं तथा प्रत्येक फार्म के लिए विनिर्दिष्ट प्रजनन कार्यक्रम क्या है और बाद में यदि कोई परिवर्तन किए गए हैं, तो कब तथा उनका वर्ष-वार ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) इस समिति के अध्यक्ष ने 1964-65 की अवधि के दौरान पशु पालन आयुक्त के रूप में कार्य किया था। उससे पहले वह पशु धन विकास सलाहकार था और उक्त अवधि के दौरान उसके अधीन कोई पशु प्रजनन फार्म नहीं था।

(ख) समिति के विचाराधीन विषय निम्नलिखित है :

(1) विभिन्न केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्मों तथा उसके साथ-साथ उनके उद्देश्यों की प्रगति की समीक्षा करना ;

(2) केन्द्रीय फार्मों के यूथों तथा उसके साथ-साथ अन्य फार्मों में उन नस्लों के यूथों की उत्पादकता तथा केन्द्रीय फार्मों में यूथों के कार्य निष्पादन में सुधार करने में की गई प्रगति की समीक्षा करना तथा इन फार्मों की कार्य पद्धति में सुधार करने के लिए उपायों का सुझाव देना ;

(3) देश में गोपशु एवं भैंस विकास के संदर्भ में यदि जरूरी हुआ तो फार्मों के तकनीकी कार्यक्रम तथा कार्यकलाप में किसी प्रकार का परिवर्तन करने का सुझाव देना ; तथा

(4) मुख्यालय से निगरानी, निरीक्षण और मार्गदर्शन के स्वरूप के बारे में सुझाव देना तथा पुरस्कार एवं दण्ड से युक्त निष्पादन लेखा परीक्षा के प्रावधान सहित प्रबन्ध आसूचना पद्धति तैयार करना।

समिति को अपने गठन की तारीख (29.11.83) से ७: महीने की अवधि में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। समिति की अब तक तीन बैठकें हुई हैं।

(ग) केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्मों में रखी गई गोपशुओं/भैंसों की नस्लें निम्नलिखित हैं :

क्रम संख्या	केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म का स्थान	नस्ल का नाम
1.	सुरतगढ़ (राजस्थान)	थारपारकर
2.	चिपलिमा (उड़ीसा)	रेड सिंधी
3.	हैस्सरघट्टा (कर्नाटक)	होल्सटियन फ्रिजियन

4.	अन्देश नगर (उत्तर प्रदेश)	होल्सटियन फ्रिजियन
5.	मिमिलिगुडा (उड़ीसा)	जर्सी
6.	धामरोड (गुजरात)	सुरती
7.	अवादी (तमिलनाडु)	मुर्राह

चुनिन्दा प्रजनन के माध्यम से पशु यूथ का आनुवंशिक सुधार करना फार्मों की प्रजनन नीति है।

संसद सदस्यों द्वारा बिजली/जल कनेक्शनों के लिए जमानत जमा राशि का जमा किया जाना

10288. **श्री सूर्य नारायण सिंह :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद सदस्यों द्वारा बिजली/पानी जल कनेक्शनों के लिए जमानत जमा धन-राशि को वर्ष 1975-76 के दौरान बढ़ा कर 410 रुपये किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा तथा उपरोक्त अधिसूचना को जारी करने की तिथि क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि कुछ संसद सदस्यों द्वारा उस समय बढ़ाई गई धनराशि को जमा नहीं कराया गया था; और

(घ) यदि हां, तो उन संसद सदस्यों की संख्या क्या है जिन्होंने बढ़ाई गई जमा राशि जमा करा दी थी और उनकी संख्या क्या है जिन्होंने इसका भुगतान नहीं किया था ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

राष्ट्रीय पशु जैनेटिक संसाधन ब्यूरो और पशु जैनेटिक संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव

10289. **श्री सूर्य नारायण सिंह :** क्या कृषि मंत्री, 16 अप्रैल, 1984 के अतरांकित प्रश्न संख्या 7691 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्यूरो ने अपना कार्य कैसे शुरू किया था, जबकि कार्य प्रणाली की खोज करनी/पशु जैनेटिक संस्थान, जो शुरू नहीं हुआ था, द्वारा उसे सुनिश्चित किया जाना अभी बाकी था और बंगलौर में ब्यूरों के स्थापित करने में प्रत्येक संस्थान की क्या भूमिका रही;

(ख) भारत में पालतू पशुओं की कौन सी नस्लों के लुप्त होने का खतरा है और ब्यूरो, उनका बचाव कैसे करेगा;

(ग) बंगलौर डेरी संस्थान केन्द्र के पास कितनी भूमि है तथा ब्यूरो को आवश्यकता की तुलना में, उसमें से कितना क्षेत्र ब्यूरो को दिया गया है;

(घ) किस विकासशील देश ने ऐसा ब्यूरो, कब, कहां और किन उद्देश्यों से शुरू किया है; और

(ङ) क्या विद्यमान नस्लवार अनुसंधान संस्थान और विकास विभाग सामान्यत: ऐसा कार्य नहीं करते, जिसको ब्यूरो और/अथवा पशु जैनेटिक संस्थान से आशा की जाती है।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो पशु जनन द्रव्य स्रोतों का विधिपूर्वक सर्वेक्षण, वितरण और सूचीबद्ध करने का कार्य करेगा तथा विभिन्न पशुओं और कुक्कुट प्रजातियों को उन नस्लों/प्रजातियों के जिनकी संख्या कम पाई गई है, संरक्षण के लिए कदम उठाने की सिफारिश करेगा। पशु आनुवंशिक संस्थान, जनसंख्या आनुवंशिकी, आणविक आनुवंशिकी और कोशिकानुवंशिकी, रक्त वर्ग रोग प्रतिरोधिता के संबंध में जैव रसायनिक बहुरूपता, उत्पादकता, पुनरुत्पादकता, पशु वंशों की पहचान और पशु नस्लों की फिनौजैनेटिक्स तथा आनुवंशिक विभिन्नता और संरक्षण के लिए रखी गई जनसंख्या के आकार पहचानने की विधि विकास को संक्रिय आदि से संबंधित मूल और अनुप्रयुक्त अनुसंधान कार्य करेगा। सर्वेक्षण की विधि और वितरण पहले ही उपलब्ध हैं। यद्यपि ब्यूरो और संस्थान दोनों को छठी योजना के दौरान स्थापित करना था पर ये अभी प्रारम्भ होने हैं। बंगलौर में अन्य संस्थानों की स्थिति यानी भारतीय विज्ञान संस्थान, कृषि विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान तथा भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, प्रत्येक के एक-एक केन्द्र का उपयोग पुस्तकालय और प्रयोगशाला सुविधाओं के आदान-प्रदान तथा कम्प्यूटर सुविधाओं का उपयोग और सूचनाओं का आदान-प्रदान के लिए किया जा सकेगा।

(ख) घोड़ों की विभिन्न नस्लें धीरे-धीरे विलुप्त होती जा रही हैं और प्रसिद्ध काठियावाड़ी घोड़ा अब बहुत दुर्लभ और विशिष्ट नस्ल है जिसे खोजना बहुत कठिन है। जांसकर घोड़ा जिसे हिमालयी नस्ल के रूप में जाना जाता है, बड़ी तेजी से विलुप्त हो रहा है तथा यदि इस दिशा में कुछ किया नहीं गया तो इसका भी वही हाल होगा जो अन्य पशु प्रजातियों का है। पशु उत्पादन और स्वास्थ्य पर खाद्य और कृषि संगठन (एफ०ए०ओ०) के भारतीय भेड़ और बकरी नस्लों पर क्रम सं०-3 में कुछ भेड़ नसलों जैसे राजस्थान की मागरा पुगल और चोकला और कर्नाटक की मांडया नस्ल तथा बकरियों की उत्तर प्रदेश में जमुनापारी और बारबरी नस्लों के संरक्षण की आवश्यकता की ओर इंगित किया गया है। ऐसी आशा है कि ब्यूरो, संरक्षण की विभिन्न विधियों जैसे इन विटरों और इन सुटो को अपनाकर विलुप्त हो रही पशु नस्लों को रोकेगा।

(ग) राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान के बंगलौर स्थित दक्षिण क्षेत्रीय केन्द्र के पास लगभग 150 एकड़ जगह है। इसमें से 20 एकड़ भूमि को ब्यूरो की तात्कालिक आवश्यकताओं से निपटने के लिए देने हेतु निवेदन किया गया है।

(घ) अन्य विकासशील देशों में ऐसा ब्यूरो प्रारम्भ होने के सम्बन्ध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। फिर भी एफ०ए०ओ० और यू०एन०ई०पी० ने पशु आनुवंशिक स्रोत संरक्षण और प्रबंध के लिए तथा सदस्य राष्ट्रों को इस दिशा में कदम उठाने के लिए सिफारिश करने हेतु एक संयुक्त पैनल का गठन किया गया है।

भारत में पशुधन और पक्षियों के बहुत व्यापक आनुवंशिक स्रोत हैं परन्तु इनमें अन्त: समागम अथवा संकर प्रजनन के लिए विशुद्ध प्रजनक के रूप में विदेशी नस्लों के आने से इनकी कमी आ रही है। पूर्व में देशी नस्लों को विशुद्ध रखने और उनका संरक्षण करने के बारे में कोई युक्तिपूर्वक प्रयत्न नहीं किया गया। यह एक खाई है जिसे प्राथमिकता के आधार पर पाटना है। विकासशील देशों में सम्भवत: भारत ही प्रथम देश है जहां राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक ब्यूरो की स्थापना की गई। इसलिए पशु और मछली आनुवंशिक स्रोतों के संरक्षण के लिए इसी प्रकार का ब्यूरो स्थापित करने की तुरन्त आवश्यकता है।

(ङ) वर्तमान पशु विज्ञान अनुसंधान संस्थान मूल रूप में नस्ल (उत्पादन) उन्मुख हैं और ब्यूरो और संस्थान द्वारा किया जाने वाला कार्य इन नस्ल (उत्पादन) उन्मुख संस्थानों द्वारा नहीं किया जा रहा है। इसलिए ऐसा ब्यूरो और संस्थान स्थापित करने से कार्यों में कोई दुहरापनह नहीं आएगा।

निर्माण एजेन्सियों की कठिनाइयां

10290. **श्री एन० सेलवराजु** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एन०बी०सी०सी०ई०पी०आई०, एन०पी०सी०सी० ब्रिज एण्ड रूफ लिमिटेड आदि जैसी सरकारी क्षेत्र की निर्माण एजेन्सियों के नए ठेके प्राप्त करने में कठिनाइयां आ रही हैं और इसलिए वे अपने लक्ष्य प्राप्त करने में असमर्थ हैं; और

(ख) क्या सरकार का इन एजेन्सियों को बातचीत से तय शर्तों के आधार पर काम देने और इन निगमों की क्षमता का अधिकतम सीमा तक उपयोग करने के अनुदेश देने का विचार है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) एन० बी०सी०सी० तथा ई०पी०आई० को अपने लक्ष्य पूरा करने में कुछ कठिनाइयां हो रही हैं जबकि एन०पी०सी०सी० तथा ब्रिज एण्ड रूफ लि० को ऐसी कोई कठिनाइयां नहीं हैं।

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को 10 प्रतिशत मूल्य अधिमान देने के लिए सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो द्वारा जारी किये गये मार्ग निर्देशन विद्यमान हैं। सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो के ध्यान में इस बात के लाये जाने का प्रस्ताव है कि इन मार्गनिर्देशनों को कठोरता से लागू किया जाय।

अंदमान की वन-भूमि में लाल ताड़ के पेड़ (रेड पाम) लगाना

10291. **श्री आर. एन. राकेश** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार लिटल अंदमान में लाल ताड़ के पेड़ (रेड पाम) लगाने के लिए कुछ आरक्षित वन भूमि देने के लिए सहमत हो गई है यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या अंदमान और निकोबार वन के शताब्दी समारोह में भूतपूर्व मुख्य वन संरक्षक ने सार्वजनिक रूप से इस योजना का इस तर्क पर विरोध किया है कि इससे द्वीप समूह के पर्यावरण और परिस्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) यदि हां, तो क्या टिप्पणियां और अन्य ब्यौरा सभा पटल पर रखा जाएगा?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) अंदमान तथा निकोबार द्वीप-समूह वन तथा बागान विकास निगम लिमिटेड लिटिल अंदमान में आरक्षण वन भूमि में 2400 हैक्टार पर रेड पाम का रोपण कर रहा है।

(ख) तथा (ग) जी नहीं।

ट्राइसेम योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षित युवाओं को ऋण दिया जाना

10291. क. **श्री सन्तोष मोहन देव** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में "ट्राइसेम" योजना के अन्तर्गत बहुत बड़ी संख्या में प्रशिक्षित युवाओं विशेष रूप से महिलाओं ने न तो बैंकों से ऋण लिया है और न उनका अपना कोई रोजगार है; और

(ख) क्या इस बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है, यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है इस क्षेत्र में युवाओं को रोजगार देने के लिए क्या विशेष उपाय किए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) और (ख) ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण की योजना (ट्राइसेम) के अन्तर्गत प्रशिक्षित युवकों की कुल संख्या में स्वरोजगार में लगे हुए युवकों का प्रतिशत इस समय 37.4 प्रतिशत आंका गया है।

ऐसे युवकों के बारे में सर्वेक्षण नहीं किया गया है जिन्होंने बैंक से ऋण नहीं लिया है । इस क्षेत्र में बैंकों की अपर्याप्त सुविधाओं को देखते हुए इसे बढ़ाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से कदम उठाए जा रहे हैं । क्षेत्र में युवकों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु उपायों का पता लगाने के लिए एक गोष्ठी शीघ्र आयोजित करने का प्रस्ताव है ।

इण्डियन सर्कस फैडरेशन द्वारा ज्ञापन

10291-ख. **श्री डी०एस०ए० शिवप्रकाशम्** : क्या खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में सर्कस कम्पनियों को उनके इस्तेमाल के लिए जानवरों, उपकरणों आदि के आयात के लिए करों सम्बन्धी तथा अन्य कौन सी रियायतें दी जाती हैं;

(ख) क्या इण्डियन सर्कस फैडरेशन ने अपनी शिकायतों के सम्बन्ध में तथा उन्हें दूर करने का अनुरोध करते हुए सरकार को कोई ज्ञापन दिया है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खेल विभाग में उप मन्त्री (श्री अशोक गहलौत) : (क) भारत में सर्कस कम्पनियों द्वारा प्रयोग के लिए जानवरों अथवा उपस्करों के आयात पर कोई सीमा शुल्क की रियायत स्वीकार्य नहीं है ।

(ख) सरकार को "इण्डियन सर्कस इन पैरिल" नामक शीर्षक से भारतीय सर्कस संघ द्वारा परिचालित ज्ञापन की जानकारी है ।

(ग) सरकार को भारतीय सर्कस ट्रप्स के सम्मुख आने वाली कठिनाइयों की जानकारी है और सरकार उन कठिनाइयों को दूर करने के दृष्टिकोण से राज्य सरकारों और संघ शासित प्रशासनों को समय-समय पर उपयुक्त सलाह जारी करती रही है ।

———

12.00

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया है । दिल्ली में एक महिला भूख से मर गई । हम सरकार के विरुद्ध निन्दा प्रस्ताव लाना चाहते हैं । यदि तीन व्यक्ति महानगर दिल्ली में मरे हैं, तो फिर अन्य राज्यों में क्या स्थिति होगी । यह अत्यन्त गम्भीर मामला है ।''' (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह कोई बात थोड़ी है ।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : महोदय, केन्द्रीय मन्त्रीगण सभा से बाहर बार-बार कह रहे हैं कि राष्ट्रपति प्रणाली की सरकार पर वाद-विवाद होना चाहिए और उन्होंने प्रायः यह संकेत दिया है कि वे संसदीय प्रणाली को राष्ट्रपति प्रणाली में बदलने के पक्ष में हैं। यह अत्यन्त गम्भीर मामला है। उन्हे सभा में वक्तव्य देने के लिए कहा जाए···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : वे सभा में यह बात क्यों कहें ?...

आप बाहर उनका खण्डन कर सकते हैं।

(**व्यवधान**)**

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं दी जाती ···।

(**व्यवधान**)**

अध्यक्ष महोदय : मैं इससे सहमत नहीं हूं।

प्रो० मधु दंडवते : मेरी मांग है कि सभा में वक्तव्य दें।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रजातंत्र है। मैं लोगों का मुंह बंद नहीं कर सकता···।

(**व्यवधान**)**

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं दी जाती।

मैं उनका मुंह क्यों बंद करूं ? बाहर आप अपनी कहते हैं, वे अपनी कहते हैं। मैं किसी का मुंह बंद नहीं कर सकता···।

(**व्यवधान**)**

प्रो० मधु दंडवते : जब केन्द्रीय मंत्रीगण ऐसी बात कहते हैं तब यह गम्भीर मामला है।

अध्यक्ष महोदय : कोई बात नहीं। वे एक राजनीतिज्ञ के नाते यह कह रहे हैं। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। वे निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कह रहे हैं। मैंने अनुमति नहीं दी है।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : मैं एक अत्यन्त गम्भीर विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आपको पता है, इंगलैंड में वे नेता जी पर एक फिल्म

** कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया है।

दिखा रहे हैं और आपको मालूम है कि पश्चिम बंगाल विधान मण्डल ने एक प्रस्ताव पारित किया है ।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे दे दीजिए । मैं पता करवा लूंगा ।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : उन्होंने एक मत होकर प्रस्ताव पारित किया है···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं देख लूंगा । आप लिख कर दीजिए ।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : मैं जानना चाहता हूं कि इस पर भारत सरकार की क्या राय है । उन्होंने नेता जी का निरादर दिखाया है और तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा गया है···। ...(**व्यवधान**)।

अध्यक्ष महोदय : आप लिख कर दे दीजिए ।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : आप को पता है कि नेताजी सुभाष चन्द्र बोस एक स्वतंत्रता सेनानी थे···(**व्यवधान**) ।

श्री के. लकप्पा (टुमकुर) : महोदय, मेरे राज्य में तमाम निन्दनीय कार्य हो रहे हैं । वहां साम्प्रदायिक दंगे हो रहे हैं ···(**व्यवधान**) ।

अध्यक्ष महोदय : यह राज्य का विषय है, इसके बारे में राज्य सरकार ध्यान देगी । केन्द्र सरकार इस बारे में क्या कर सकती है ?

श्री के० लकप्पा : राज्य में साम्प्रदायिक दंगे जारी हैं किन्तु वे नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं···आप केन्द्रीय मंत्री को निदेश दे सकते हैं कि वह राज्य सरकार को कार्रवाई करने का आदेश दें ।

अध्यक्ष महोदय : आप की बात सुन ली है । सैन्ट्रल गवर्नमेंट करना चाहेगी, तो कर लेगी ।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : यह अत्यन्त गम्भीर मामला है, महोदय···।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : महोदय, मैं श्री चक्रवर्ती का समर्थन करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे लिख कर दीजिए । मैं पता कर लूंगा कि क्या मसला है ।

तब हम इस पर कार्रवाई करेंगे ।

** कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : मैंने नियम 222 के अन्तर्गत आपको गृह मन्त्री जी के खिलाफ लिख कर दिया है कि इन्होंने सदन को गुमराह किया है ।

अध्यक्ष महोदय : वह मैंने देख लिया है ।

श्री मनी राम बागड़ी : मोगा के बारे में जो स्टेटमेंट दिया था एरेस्ट्स के सम्बन्ध में ।

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी बात सुनिये । आपके साथ कोई नई चीज नहीं कर रहा हूं। आपने मुझे 222 का नोटिस दिया है और वह 222 का नोटिस मैंने मन्त्री जी को भेज दिया है । अब अगर वे जवाब यहां देना चाहें तो यहां दे दें या फिर मुझे देना चाहें, तो मुझे दे दें ।

श्री मनीराम बागड़ी : खुल कर नाम आए हैं कि बाजार में पकड़ा है । इस से देश में डीमोरेलाइजेशन आया है और सारे सदन को गुमराह किया है । ...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय: ये आप कथा कर रहे हैं । वह बोल रहे हैं और मैंने उन्हें बोलने की अनुमति दी है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : मोगा के बारे में एक विस्तृत वक्तव्य आना चाहिए । उस दिन भी गृह मन्त्री महोदय ने दो लाइन में कह दिया था और उस से भ्रम और ज्यादा बढ़ गया ।

अध्यक्ष महोदय : वे बाद में स्टेटमेंट दे देंगे ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : वे तैयारी कर के आएं, मेरा निवेदन यह है ।

अध्यक्ष महोदय : अगर तसल्ली वाला बयान चाहें, तो अब करवा लें, नहीं तो बाद में करवा लेगें ।

श्री मनी राम बागड़ी: मेरे सवाल के बारे में वे जवाब दें रहे हैं और आप उन्हें रोकने की बात कर रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : रोकने की बात नहीं कर रहा हूं । मैं यह कह रहा हूं कि अगर पूरी तैयारी के साथ जवाब देना है, तो अलग बात है और अलग लिख कर जवाब देना है, तो अलग बात है ।

श्री मनी राम बागड़ी : तो क्या पहले तैयारी करके नहीं दिया था ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने होम मिनिस्टर को इस पर कहने के लिए कहा है ।

श्री डी के. नायकर (धारवाड़ उत्तर) : महोदय, मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि कर्नाटक में लोगों के हितों की रक्षा की जाए ।

अध्यक्ष महोदय : श्री नायकर, गृह मन्त्री खड़े हैं । मैंने उन्हें बोलने की अनुमति दी है ।

श्री डी० के० नायकर : महोदय, गृह मन्त्री को इसकी जानकारी प्राप्त करने और इस पर बयान देने की अनुमति दी जाए । यह हमारा निवेदन है ।

अध्यक्ष महोदय : क्या निवेदन है ।

श्री डी० के० नायकर : हमारा निवेदन यह है कि सरकार वहां के लोगों के हितों की रक्षा करें, क्योंकि राज्य सरकार वहां की स्थिति पर नियन्त्रण प्राप्त करने में विफल रही है ।

अध्यक्ष महोदय : अच्छा यह सब उन्होंने पहले ही सुर लिया है । श्री लकप्पा ने इसकी जानकारी उन्हें पहले ही दे दी है ।

गृह मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : महोदय, जहां तक मोगा की घटना का प्रश्न हैं, इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि 10 व्यक्ति 26 तारीख को गिरफ्तार किये गये थे । सही मायने में घटना वाले दिन 16 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था और तेरह हथियार बरामद किये गये थे । बाद में उपायुक्त ने तीन या चार व्यक्तियों के साथ गुरुद्वारे का दौरा किया और वहाँ मेटेलिक डिटेक्टर की सहायता से उन्हें दो हथगोले मिले । यह सच है ।

श्री मनी राम बागड़ी : अध्यक्ष जी, मेरी बात सुन लीजिए । आपने निरंकारियों को विश्वास दिलाया था कि पार्लियामेंटरी कमेटी बनाई जाएगी वह पार्लियामेंटरी कमेटी बनी है या नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : बात ऐसी है, आपको भी पता है कि हमने जब कमेटी बनाई थी तो उसमें कुछ लीगेलिटिज बाकी थीं । हमने उसको राज्यसभा के चेयरमैन को सौंप दिया था । उसकी एक कमेटी बनी हुई है और उसकी चेयरमैन श्रीमती मारग्रेट अल्वा हैं और राज्य सभा के सभापति उसको देख रहे हैं । राज्य सभा के जो चेयरमैन हैं उनकी मार्फत आप पता लगा सकते हैं । मैं पार्लियामेंटरी अफेअर्स के मिनिस्टर साहब से भी कहता हूं कि आप निरंकारियों की कमेटी के मुत्तल्लिक उस हाऊस से जानकारी लेकर हमारे मैम्बरों को बताएं ।

श्री मनी राम बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, आपने वह कमेटी बनानी थी और उसकी अध्यक्षता आपको करनी थी ।

अध्यक्ष महोदय : उस हाउस के चेयरमैन देखभाल कर रहे हैं, हमने उनको यह चीज सौंप दी है। एक ही बात है।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : अध्यक्ष जी, दिल्ली कालिज आफ इंजीनियरिंग के 103 टीचर्स...।

अध्यक्ष महोदय : इसका क्या औचित्य है ?

श्री रामावतार शास्त्री : वह मैं आपको बता रहा हूं। 103 टीचर्स हड़ताल पर हैं ''।

अध्यक्ष महोदय : नाट अलाउड। आप लिखकर दीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह इस प्रकार से चर्चा किये जाने का प्रश्न नहीं है।

श्री रामावतार शास्त्री : हड़ताल पर वे स्टेटमैंट तो दे सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : देंगे, आप लिख कर दीजिए।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव (मधेपुरा) : अध्यक्ष जी, इंडियन एयरलाइन्स की हालत रेलवे से भी बुरी है।

अध्यक्ष महोदय : आप लिख कर दीजिए, मैं मन्त्री महोदय को लिख दूंगा।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : जो प्लेन बम्बई से 7 बजकर 15 मिन्ट पर आना था वह 1 बजकर 15 मिन्ट पर आया है।

अध्यक्ष महोदय : प्लेन लेट हो जाता है। आप तो आ गये।

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्टसगंज) : अध्यक्ष महोदय, मैंने नियम 377 के अन्तर्गत मिर्जापुर के आदिवासियों और हरिजनों पर वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा किये गये अत्याचार का मामला उठाया था और आपने कृपा पूर्वक उसकी जांच कराई थी ···।

अध्यक्ष महोदय : यह कोई बात नहीं है। श्री पनिका, आप इसे इस तरह कैसे उठा सकते हैं ? अब मैं आपको अनुमति देने वाला नहीं हूं।

(व्यवधान)**

श्री बृजमोहन महन्ती (पुरी) : महोदय, त्रिपुरा में बहुत ही दर्दनाक स्थिति उत्पन्न हो गई है ।

अध्यक्ष महोदय : कैसी स्थिति ?

श्री बृजमोहन महन्ती : त्रिपुरा राष्ट्रीय स्वयंसेवक···।

अध्यक्ष महोदय : यह राज्य का विषय है । इसमें मैं क्या कर सकता हूं ?

श्री बृजमोहन महन्ती : कृपया मेरी बात सुनिये ।

अध्यक्ष महोदय : आप एक अनुभवी सांसद हैं । आपने ऐसा कैसे कह दिया ? अनुमती नहीं दी जाती । यह मेरा विषय नहीं है ।

श्री बृज मोहन महन्ती : कृपया मेरी बात सुनिये ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये । अनुमति नहीं दी जाती ।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको अनुमति नहीं दी है ।

श्री जमीलुर्रहमान (किशन गंज) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं एक निवेदन करना चाहूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : कोई निवेदन नहीं । आप नियम 377 के अन्तर्गत कहिए ।

श्री हीरा लाल आर० परमार (पाटन) : गुजरात में सारे इलाके में जाण्डिस की बीमारी बड़ी तेजी से फैल रही है ।

अध्यक्ष महोदय : आप लिख कर दीजिए, ऐसे थोड़े ही होता है ।

श्री हीरालाल आर० परमार : गुजरात की जनता को बचाने का सवाल है ।

अध्यक्ष महोदय : आप तो बचे हुए हैं ।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : महोदय, बंगलादेश सरकार ने स्थायी हल के लिए भारत के प्रस्ताव पर आक्रोस व्यक्त किया है ।

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

अध्यक्ष महोदया : ऐसी कोई बात नहीं ।

श्री चित्त बसु : मैंने पूर्व सूचना दी है ।

अध्यक्ष महोदया : ऐसी कोई बात नहीं ।

यह तो चलता रहता है, कोई माने या न माने, हम अपना काम करते रहते हैं । पहले हम डिसकस कर चुके हैं । अब इसकी अनुमति नहीं दी जाती ।

श्री चित्त बसु : महोदय, सिर्फ एक सेकण्ड । मैं जानना चाहता हूं कि सरकार की क्या प्रतिक्रिया है । (व्यवधान) उन्हें इस पर वक्तव्य देना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदया : आप इसे लिख कर दीजिए, हम सरकार से पता करेंगे ।

(व्यावधान)

अध्यक्ष महोदया : ठीक है आप लिख कर दे दीजिए ।

श्री अब्दुल रशीद काबुली (श्रीनगर) : अध्यक्ष महोदय, आज हिन्दुस्तान टाइम्स में भी आया है टूरिज्म के बारे में । पंजाब की स्थिति पर यहां कई बार बहस हो चुकी है लेकिन आप देखिये कि जम्मू कश्मीर का टूरिज्म तबाह हो रहा है और वहां की हालत···। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं क्या कर सकता हूं । मैं इस तरह अनुमति नहीं दे सकता ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह कोई औचित्यपूर्ण प्रश्न नहीं है । अनुमति नहीं दी जाती ।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें अनुमति नहीं दी है ।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं मदद नहीं कर सकता । श्री काबुली यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं हो सकता ।

श्री अब्दुल रशीद काबुली : यह व्यवस्था के प्रश्न का ख्याल नहीं है ।

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है । इसे उठाने का यह कोई तरीका नहीं है ।

(व्यवधान)**

श्री सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : उस पर मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : कोई बात नहीं । मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता, मैंने इसकी अनुमति नहीं दी है ।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : एक शब्द भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं हो रहा है । मैंने उन्हें अनुमति नहीं दी है ।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री काबुली, आपको मालूम होना चाहिए कि इस सदन में कुछ मामलों को उठाने के लिए कुछ तरीके हैं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : देखिये, वह क्या कर रहे हैं ? मैं आपको बता रहा हूं कि इसे करने के अन्य तरीके हैं । आप इसे नियम 377 के अन्तर्गत दीजिये मैं अनुमति दूंगा, किन्तु इस तरह नहीं । इस तरह से मैं आपको बिल्कुल भी अनुमति नहीं दूंगा । कितना सरल है यह ।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : क्या कोई व्यक्ति उन्हें कुछ समझा सकता है ? मैंने आपको बताया है कि आप इसे नियम 377 के अंतर्गत दीजिये और मैं आपको अनुमति दूंगा । इसमें मुश्किल क्या है ? यह आसान सा सवाल है इसे करने का आपके पास तरीका है किन्तु आप इसे करना नहीं चाहते ।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैंने एक स्थगत प्रस्ताव दिया है ...।

अध्यक्ष महोदय : अब बैठ जाईये, मैंने इसे निपटा दिया है ।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : महोदय, आपका विवेक है, मैं उससे सहमत हूं परन्तु एक मिनट के लिए मेरी बात सुनिये ।

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं आधा मिनट के लिए भी आपकी बात नहीं सुनूंगा। अनुमति नहीं है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री सोज, आप इस तरह चिल्ला नहीं सकते।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृतान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बाहर जाने के लिए कहूंगा। क्या कोई व्यक्ति उन्हें समझा सकता है ? वाजपेयी जी, क्या आप उन्हें बता सकते हैं कि मैं उन्हें सिर्फ नियम 377 के अंतर्गत अनुमति दे सकता हूं।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही आपकी मांग स्वीकार कर ली है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ भी यह सज्जन कह रहे हैं उसकी मैंने इजाजत नहीं दी है।

व्यवधान

अध्यक्ष महोदय : क्या आप समझते हैं कि मेरी अनुमति के बिना आप अपनी बात कह सकते हैं। क्या मैं अभी आपको बाहर जाने के लिए कहूं ?

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैं बहुत ही शिष्ट व्यवहार कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, आप शिष्ट व्यवहार नहीं कर रहे हैं।

(व्यवधान)

**कार्यवाही - वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही आपको अनुमति दे दी है और अभी भी आप अपनी जिद पर अड़े हुए हैं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें नियम 377 के अतर्गत अनुमति दे सकता हूं ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : माफ कीजिये, अगर आप उन्हें नियम 377 के अंतर्गत अनुमति देते हैं तो ठीक है । किन्तु यह अखबार में प्रकाशित हुआ है ।

अध्यक्ष महोदय : इससे कोई फर्क नहीं पड़ता । बहुत सी बातें छपती रहती हैं । क्या वे सदन की कार्यवाही इस प्रकार रोक सकते हैं ?

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : सभी कुछ आपकी अनुमति है ।

अध्यक्ष महोदय : बहुत हो गया ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : मैं भी आपकी अनुमति से बोल रहा हूं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यहां तक कि आपने मेरी सहानुभूति भी खो दी है । मैं आपके साथ सहानुभूति रखना चाहता था । मुझे मालूम है इसे हो जाना चाहिये था । मैं आपकी बात का समर्थन करना चाहता था, परन्तु आप बिना जरूरत ही सारे सदन को परेशान कर रहे हैं ।

(व्यवधान)

प्रो० सैफुद्दीन सोज : जी नहीं, मैं नहीं कर रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय : आप ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं । अब बैठ जाईये ।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : आप सहानुभूति प्रकट कर रहे हैं यह आपका अधिकार है । आप क्यों नहीं श्रीनगर में एक लोक सभा के एक विशेष अधिवेशन का आयोजन कर लेते ?

अध्यक्ष महोदय : फिर बहुत सी मांगे होंगी । मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूं । किन्तु बहुत सी मांगें होंगी । लोग बंगलौर मांग को भी आगे लायेंगे ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें अनुमति दे दी है ।

श्री सत्यागिरि चक्रवर्ती : जो कुछ उन्होंने कहा उसके सिलसिले में..... ।

अध्यक्ष महोदय : वह समाप्त हो गया है ।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : तमिलनाडु में निर्वाचन क्षेत्रों में उप-चुनाव है और तमिलनाडु सरकार (व्यवधान) ।

अध्यक्ष महोदय : निर्वाचन आयोग इसके प्रभारी हैं मेरा इससे कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री हरिकेश बहादुर : गृह मन्त्री निदेश दे सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : यह निर्वाचन आयोग है ।

श्री हरिकेश बहादुर : दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया जा रहा है । कौन इसकी जांच करेगा ?

अध्यक्ष महोदय : निर्वाचन आयोग । यही उचित प्राधिकरण है ।

श्री हरिकेश बहादुर : हम निर्वाचन आयोग को भी लिख रहे हैं । किन्तु लोग चाहते हैं कि इसे सदन में उठाया जाये । इसलिए सरकार को कार्यवाही करनी चाहिए । सरकार निर्वाचन आयुक्त को लिखे ।

अध्यक्ष महोदय : आप नियमों को जानते हैं । किन्तु आप अभी भी उनका उल्लंघन करना चाहते हैं ?

प्रो० मधुदण्डवते (राजापुर) : इसके अंतर्ग्रस्त लोग इसे सदन में उठाना चाहते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : वह अपना कार्य कर रहे हैं ।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष जी, जब सदन के बाहर प्रेजीडेन्शियल सिस्टम पर डिबेट चल रही है तो सदन में चलाने में क्या हर्ज है ? ..... (व्यवधान) ।

अध्यक्ष महोदय : बगैर इस सदन में चर्चा, विवाद या बहस हुए आप कुछ नहीं कर सकते । क्यों चिन्ता करते हो ?

श्री राम विलास पासवान : सदन में भी चर्चा चलाइए । मैंने नियम 193 के अन्तर्गत सूचना दे दी है ।

अध्यक्ष महोदय : जब मौका आयेगा तो देखेंगे ।

(व्यवधान)

श्री आर० एन० राकेश (चैल) : डा० गोपाल सिंह कमीशन की रिपोर्ट को पेश करने के लिए कहा गया था । लेकिन अभी तक पेश नहीं की गई । ·····(व्यवधान)

श्री कृष्ण चन्द्र हालदर : मेरा निवेदन है कि दुर्बल वर्ग की महिलायें दिल्ली में मरती हैं । मंत्री जी वक्तव्य दें । ·····(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं कुछ नहीं कह सकता । अब आप बैठ जाइए ।

(व्यवधान)

श्री मंगल राम प्रेमी (बिजनौर) : मेरे साथ पांच मई को दुर्घटना हुई । मेरे लड़के और पुत्र-वधु का एक्सीडेंट हुआ·····(व्यवधान) ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने देख लिया है । मैंने जानकारी के लिए पहले ही इसे भेज दिया है ।

श्री मंगल राम प्रेमी : बहुत गंभीर मामला है ।·····(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : देखेंगे । मैं पता करवा लेता हूं ।

(व्यवधान)

श्री मंगल राम प्रेमी : मेरे दोनों बच्चे ·····(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप शाउट करेंगे तो कोई भी बात रिकार्ड नहीं होगी । पहले मेरी बात सुन लीजिए । मैं, पता करवाए वगैर कुछ नहीं कर सकता । मैं हैल्थ मिनिस्टर को लिखूंगा । आपकी चिट्ठी मिल गई है । इसकी मैं पड़ताल करवाऊंगा ।

(व्यवधान)

श्री मंगल राम प्रेमी : अभी तक कुछ नहीं हुआ ·····(व्यवधान) ।

अध्यक्ष महोदय : एक तो बच्चों को चोट लगी है और आप इस तरीके से शोर मचा रहे हैं । उनकी देख-भाल करना हमारा भी काम है । मुझे भी उनसे हमदर्दी है । ऐसा करने से तो लगता है कि हम सब बावले हो गये हैं । इलाज के बंदोवस्त के लिए लिखेंगे । हैल्थ मिनिस्टर से भी कहूंगा कि ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा है ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आई विल डू । मेरे से जो हो सकता है मैं करूंगा ।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : एक भी शब्द कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं हो रहा है, क्योंकि वह अभी भी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं।

डा. वसन्त कुमार पंडित (राजगढ़) : महोदय, मैंने दो प्रस्ताव दिये हैं। एक 2,000 टन गाय की चर्बी के आयात के बारे में।

अध्यक्ष महोदय : हो गई बात खत्म। मैं पहले ही कार्य करवा रहा हूं। मैंने पहले ही उस प्रस्ताव पर काम करना आरम्भ कर दिया है। मैं इसकी जांच कराऊंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यहां तक कि जल्दबाजी करने में भी बक्त लगता है। मैं न तो मशीन हूं और न ही कम्प्यूटर हूं।

डा. वसन्त कुमार पंडित : एक दूसरा, विशेषाधिकार प्रस्ताव मैंने दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं कार्यवाही कर रहा हूं। यही काफी है, इसके अलावा मैं और क्या कर सकता हूं ?

डा. वसन्त कुमार पंडित : मेरा विशेषाधिकार प्रस्ताव एक महीने से लम्बित पड़ा है।

अध्यक्ष महोदय : इसमें समय लगता है।

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में मिट्टी के तेल की बहुत कमी है। मैंने नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं देखूंगा आप लिख कर दीजिए।

श्री हरिकेश बहादुर : हमने 377 में नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : नोटिस दिया है तो आ जायेगा, आप चिन्ता क्यों करते हैं।

श्रीमती प्रमिला दंडवते (बम्बई उत्तर मध्य) : महोदय, श्री बूटा सिंह, संसदीय कार्य के मंत्री एवं श्रीमती इंदिरा गांधी ने वायदा किया है कि दहेज प्रतिषेध बिधेयक इस अधिवेशन में लाया जायेगा। किन्तु अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है। मैं चाहती हूं कि संसदीय कार्य मंत्री श्री बूटा सिंह बतायें कि क्या इस विधेयक को इस अधिवेशन में लाया जायेगा।

*कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री अमर राय प्रधान (कूच बिहार) : महोदय, कल इंडियन एयर लाइन्स का हवाई जहाज रूट 490 जो पटना से दिल्ली उड़ान पर था, का अपहरण कर लिया गया। मैं उस जहाज में यात्रा कर रहा था। इसका अपहरण लखनऊ में हुआ। अन्ततः यह पाया गया कि इंडियन एयर लाइन्स के महा प्रबन्धक श्री बिलिमोरिया का कोई सम्बन्धी यात्रा कर रहा है··· ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप लिख कर दो। बगैर देखे मैं कैसे कर सकता हूं। यह इस तरह नहीं हो सकता।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमती नहीं है। आप लिखित रूप में मुझे दीजिये। मैं इसका पता लगाऊंगा। श्री अमर राय प्रधान, आप एक समझदार सदस्य हैं। आप मुझे लिखिये और मैं इसकी जांच कराऊंगा। मैं पता करूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मेम्बर्स न्याय चाहते हो। कभी-कभी स्पीकर के साथ भी न्याय किया करो। आप अकेले अध्यक्ष को बुलवाते हो, जबकि आप 50 आदमी एक साथ बोलते हो।

———

12. 21½ म.प.

सभा पटल पर रखे गये पत्र

आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें तथा पूर्वोत्तर प्रादेशिक कृषि विपणन निगम लिमिटेड, गोहाटी के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की समीक्षा और प्रतिवेदन

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) चीनी (वर्ष 1983-84 के उत्पादन के लिए मूल्य निर्धारण) संशोधन आदेश, 1984, जो 27 अप्रैल, 1984 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 306 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

**कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

(दो) सा० का० नि० 307 (अ), जो 27 अप्रैल, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, जिसमें 11 जनवरी, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 28 (अ) का शुद्धि-पत्र दिया गया है।

[ग्रंथालय में रखे गये देखिये। संख्या एल० टी० 8322/84]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत, निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संसकरण) :-

(एक) पूर्वोत्तर प्रादेशिक कृषि-विपणन निगम लिमिटेड, गौहाटी, के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पूर्वोत्तर प्रादेशिक कृषि-विपणन निगम लिमिटेड, गौहाटी, का वर्ष 1982-83 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये देखिये संख्या एल० टी० 8323/84]

नारियल विकास बोर्ड अधिनियम के अधीन अधिसूचना अंडमान तथा निकोबार द्वीप-समूह वन तथा बागान विकास निगम लिमिटेड, पोर्ट ब्लेयर का 1982-83 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा तथा भारतीय डेरी निगम, बड़ौदा का 1982-83 का प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा, आदि

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : मैं निम्नलिखत पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) नारियल विकास बोर्ड अधिनियम, 1979 की धारा 21 के अंतर्गत, नारियल विकास बोर्ड भर्ती विनियम, 1984 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 10 जनवरी, 1984 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 13 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 8324/84]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत, निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(क) (एक) अंदमान तथा निकोबार द्वीपसमूह वन तथा बागान विकास निगम लिमिटेड, पोर्ट ब्लेयर, के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) अंदमान तथा निकोबार द्वीप समूह वन तथा बागान विकास निगम लिमिटेड पोर्ट ब्लेयर, का वर्ष 1982-83 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षत लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखे गए) देखिए संख्या एल० टी० 7325/84]

(ख) (एक) भारतीय डेयरी निगम, बड़ौदा, के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) भारतीय डेयरी निगम, बड़ौदा, का वर्ष 1982-83 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षत लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(3) उपर्युक्त मद (2) के भाग (ख) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 8326/84]

सुपर बाजार, नई दिल्ली का 1981-82 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा और पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के सम्बन्ध में विवरण

इलेक्ट्रानिकी विभाग में, तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) सुपर बाजार, दि कोआपरेटिव स्टोर लिमिटेड, नई दिल्ली, के वर्ष, 1981-82 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) सुपर बाजार, दि कोआपरेटिव स्टोर लिमिटेड, नई दिल्ली, के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(2) उपर्युक्त (1) में निम्नलिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 8327/84]

आयकर अधिनियम के अधीन अधिसूचनाएं

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :

(1) का० आ० 1346, जो 28 अप्रैल, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अन्तर्गत निर्धारण वर्षों 1983-84 से 1985-86 तक की अवधि के लिए "भारतीय बाल कल्याण परिषद, नई दिल्ली" को छूट देने के बारे में है।

(2) का० आ० 1347, जो 28 अप्रैल, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अन्तर्गत निर्धारण वर्षों 1982-83 से 1984-85 तक की अवधि के लिये "भारतीय मौसम-विज्ञान सोसाइटी, नई दिल्ली" को छूट देने के बारे में है।

(3) का० आ० 1348, जो 28 अप्रैल, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अन्तर्गत निर्धारण वर्षों 1983-84 से 1985-86 तक की अवधि के लिये "आल इंडिया पिंगलवार सोसाइटी (रजि०)" को छूट देने के बारे में है।

(4) का० आ० 1349, जो 28 अप्रैल, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अन्तर्गत निर्धारण वर्षों 1983-84 से 1985-86 तक की अवधि के लिये "एम० के० टाटा ट्रस्ट" को छूट देने के बारे में है।

(5) का० आ० 1350, जो 28 अप्रैल, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अन्तर्गत निर्धारण वर्षों 1982-83 से 1984-85 तक की अवधि के लिये "गीता प्रतिष्ठान" को छूट देने के बारे में है।

(6) का० आ० 1351, जो 23 अप्रैल, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अन्तर्गत निर्धारण वर्षों 1982-83 से 1984-85 तक की अवधि के लिये "स्किलस फार प्रोग्रेस बंगलौर" को छूट देने के बारे में है।

(7) का० आ० 1352, जो 28 अप्रैल, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ

था तथा आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अन्तर्गत निर्धारण वर्षों 1985-86 से 1987-88 तक की अवधि के लिये "मोतीलाल मैमोरियल सोसाइटी" को छूट देने के बारे में है।

(8) का० आ० 1353, जो 28 अप्रैल, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अन्तर्गत निर्धारण वर्षों 1982-83 से 1985-86 तक की अवधि के लिये "दि म्यूजिक अकादमी मद्रास" को छूट देने के बारे में है।

(9) का० आ० 1354, जो 28 अप्रैल, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अन्तर्गत निर्धारण वर्षों 1981-82 से 1984-85 तक की अवधि के लिये "फादर म्यूलर" स चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन्स, मंगलौर' को छूट देने के बारे में है।

(10) का० आ० 1355, जो 28 अप्रैल, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अन्तर्गत निर्धारण वर्षों 1982-83 से 1984-85 तक की अवधि के लिये "पदमभूषण/ डा० एम० सी० मोदी पब्लिक ट्रस्ट, राजाजीनगर, बंगलौर" को छूट देने के बारे में है।

(11) का० आ० 1356, जो 28 अप्रैल, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अन्तर्गत निर्धारण वर्षों 1984-85 से 1986-87 तक की अवधि के लिये "दि थियोसाफिकल सोसाइटी, आड्यार मद्रास" की छूट देने के बारे में है।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 8324/84]

12.29

12.म..प

राज्य सभा से संदेश

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेशों की सूचना सभा को देनी है :-

(एक) मुझे लोक सभा को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि गुरुवार, 26 अप्रैल, 1984 को हुई अपनी बैठक में राज्य सभा ने लोक लेखा समिति के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किया :

"कि यह सभा लोक सभा की लोक लेखा समिति के 1 मई, 1984 से आरम्भ होने वाले कार्यकाल के लिए, उस समिति के साथ सहयोजित होने हेतु राज्य सभा के सात सदस्य नामनिर्दिष्ट करने की लोक सभा की सिफारिश से सहमत है, और उस तरीके से जैसे कि राज्य सभा के सभापति महोदय निदेश दें, उक्त समिति में कार्य करने के लिये अपने सदस्यों में से सात सदस्य निर्वाचित करने के लिए कार्यवाही करें'।

(2) मुझे लोक सभा को आगे सूचना देनी है कि उक्त प्रस्ताव के अनुपालन में उक्त समिति के लिए राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्य विधिवत निर्वाचित हुए हैं :

(1) श्रीमती अमरजीत कौर

(2) श्री भीम राज

(3) श्री निर्मल चटर्जी

(4) डा० (श्रीमती) नाजमा हैपतुल्ला

(5) कुमारी जयललिता

(6) श्री चतुरानन मिश्र

(7) श्री रामानन्द यादव

(दो मुझे लोक सभा को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि गुरुवार, 26 अप्रैल, 1984 को हुई अपनी बैठक में राज्य सभा ने सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किया :

"कि यह सभा लोक सभा की सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के 1 मई, 1984 से आरम्भ होने वाले कार्यकाल के लिये, उस समिति के साथ सहयोजित होने हेतु राज्य सभा के सात सदस्य नामनिर्दिष्ट करने की लोक सभा की सिफारिश से सहमत है, और उस तरीके से जैसा कि राज्य सभा के सभापति निदेश दें, उक्त समिति में कार्य करने हेतु अपने सदस्यों में से सात सदस्य निर्वाचित करने के लिए कार्यवाही करें।"

(2) मुझे लोक सभा को आगे सूचना देनी है कि उक्त प्रस्ताव के अनुपालन में उक्त समिति के लिए राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्य विधिवत् निर्वाचित हुए हैं :—

(1) श्रीमती मार्ग्रेट अल्वा

(2) श्री नन्दकिशोर भट्ट

(3) श्री जसवन्त सिंह

(4) कुमारी सरोज खापर्डे

(5) श्री सुशील चन्द मोहन्ता

(6) श्री राम पूजन पटेल

(7) श्री गुलाम मोहिउद्दीन शाल

(तीन) मुझे लोक सभा को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि गुरुवार, 26 अप्रैल, 1984 को हुई अपनी बैठक में राज्य सभा ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किया :

"कि यह सभा संकल्प करती है कि राज्य सभा दोनों सभाओं की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के कल्याण संबंधी समिति के 1 मई, 1984 से आरम्भ होने वाले कार्यकाल के लिए, उस समिति में सम्मिलित हो तथा एकल संक्रमणीय मत द्वारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से उक्त समिति में कार्य करने के लिए अपने सदस्यों में से दस सदस्य निर्वाचित करने के लिए कार्यवाही करें।"

(2) मुझे लोक सभा को आगे सूचना देनी है कि उक्त प्रस्ताव के अनुपालन में उक्त समिति के लिए राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्य विधिवत निर्वाचित हुए हैं :—

(1) श्री धरणीधर वसुमतारी

(2) श्री वी० गोपालसामी

(3) प्रो० एन० एम० कांवले

(4) श्री रामकृष्ण मजूमदार

(5) श्री रामभगत पासवान

(6) श्री पुट्टापागा राधाकृष्ण

(7) चौधरी राम सेवक

(8) श्री रोशन लाल

(9) श्री स्कैटो स्वे

(10) श्री हुक्म देव नारायण यादव

———

12.24 म.प.

याचिका समिति

17 वां प्रतिवेदन

श्री कृष्ण प्रकाश तिवारी (इलाहाबाद) : मैं याचिका समिति का सत्रहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संसकरण) प्रस्तुत करता हूं ।

———

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति

25 वां प्रतिवेदन

श्री आर. एस. स्पैरो (जालन्धर) : मैं अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति का पच्चीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी) तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं ।

———

लाभ के पदों सम्बन्धी समिति

10 वां प्रतिवेदन

श्री जमीलुर्रहमान (किशनगंज) : मैं लाभ के पदों सम्बन्धी समिति का दसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं ।

———

बैंककारी सेवा आयोग, विधेयक

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि पब्लिक सेक्टर के बैंकों में सेवाओं और पदों पर नियुक्तियों के लिए अधिकारियों की भर्ती और चयन के लिए आयोग की स्थापना और उससे सम्बन्धित या उसके अनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि पब्लिक सेक्टर के बैंकों में सेवाओं और पदों पर नियुक्तियों के लिए अधिकारियों की भर्ती और चयन के लिए आयोग की स्थापना और उससे सम्बन्धित या उसके अनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

*दिनांक 7.5.84 के भारत के अस्यकारण राजपत्र भाग II खण्ड 2 में प्रकाशित ।

प्रस्ताव स्वीकार हुआ ।

श्री जनार्दन पुजारी : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं ।

12.25 म.प.

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) इलाहाबाद विश्वविद्यालय को 1985 में उसके शताब्दी समारोह से पूर्व केन्द्रीय विश्वविद्यालय घोषित करने की मांग

श्री कृष्ण प्रकाश तिवारी (इलाहाबाद) : महोदय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1985 में अपना शताब्दी समारोह मनाने जा रहा है । यह देश के अग्रणी विश्वविद्यालयों में से एक है जिसने विगत में कई प्रतिभाशाली तथा यशस्वी वैज्ञानिक तथा प्रशासक पैदा किये है जिनमें स अधिकतर भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय विदेश सेवा के हैं । लेकिन अब धन की कमी के कारण इस विश्वविद्यालय में शिक्षा का स्तर दिनों-दिन गिरता जा रहा है । विश्वविद्यालय नये छात्रावासों का निर्माण करने, अधिक पुस्तकालय सुविधाएं देने तथा अन्य शैक्षणिक सुविधाएं प्रदान करने जैसी छात्रों की मांगों को पूरा करने की स्थिति में नहीं है, जिसके कारण छात्रों की संख्या तेजी से गिरती जा रही है । यदि इस विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की सूची में तुरन्त शामिल नहीं किया गया, तो मुझे डर है कि स्थिति असुधार्य हो जायेगी ।

मैं शिक्षा मंत्री के माध्यम से भारत सरकार से अनुरोध करूंगा कि कृपया अगले वर्ष विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह से पूर्व इस विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय घोषित कर दिया जाये ।

12.26 म.प.

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

(दो) बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार दिलाने तथा एक वर्ष के भीतर सरकार से रोजगार न पाने वाले व्यक्तियों को रोजगार भत्ते का भुगतान

श्री मनी राम बागड़ी (हिसार) : उपाध्यक्ष महोदय, देश में बढ़ती हुई बेकारी को ज्यों-ज्यों रोकने की कोशिश की गई, बह बढ़ती ही गई । अब चरम-सीमा पर है । पढ़े-लिखों की तादात बढ़ रही है, गांवों में जमीन सिकुड़ रही है, आबादी बढ़ रही है । बेकारों की तादाद में

आजादी से पहले और अब में आकाश-पाताल का अन्तर हो गया है। बेकारी को कम न किया गया तो देश खत्म हो जायेगा। सिर्फ नारों से नहीं अमल से काम करना होगा।

(1) सरकार की फिजूल खर्ची कम की जाये,

2. आमदनी और खर्च पर रोक लगायें,

3. देश के चन्द घरानों की पूंजी को बढ़ाने से रोका जाये,

4. आमदनी और खर्च का जो फर्क दरिद्र और बड़े में है, उसको रोका जाये।

इन उपायों से जो पूंजी बचे, उससे बेकारी घटाने के लिये नीचे लिखे यत्न किये जायें :-

(1) एक खेतिहर पल्टन बनायें, जो जमीन नकारा पड़ी है, उसको कास्त के काबिल बनायें। सरकार उस खेतिहर पलटन को उजरत और सहूलियत दे।

(2) अनपढ़ प्रौढ़ नर-नारियों की पढाई के लिये शिक्षा पलटन बनाई जाये, जिससे देश की अनपढ़ता खत्म हो और पढ़े-लिखे लड़कों और लड़कियों को काम मिल सके।

(3) छोटे-छोटे काम-धन्धों जैसे सड़क निर्माण, बांध इत्यादि के वास्ते मजदूर पलटन बनाई जाये, जो बड़ी मशीनों के बगैर रचना का काम पूरा कर सकें।

(4) घर-घर में से एक प्राणी को सरकारी या गैर सरकारी काम जरूर मिले।

(5) बेकार लोगों को एक साल तक अगर काम न दे सके, तो बेकार लोगों को कम-से-कम 400 रुपये बेकारी भत्ता प्रतिमास दिया जाना चाहिये।

(तीन) **स्वतंत्रता सेनानियों को और अधिक सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता**

श्री एनo डेनिस (नागरकोइल) : महोदय, स्वतंत्रा सेनानियों को लाभ प्रदान करने की जिस मांग का यहां उल्लेख किया गया है, उसे शीघ्रातिशीघ्र पूरा किया जाना चाहिए। सुपात्र स्वतंत्रता सेनानियों को आवासीय भूखंडों का आबंटन किया जाना चाहिए। स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को रोजगार तथा शैक्षणिक लाभ प्रदान करने के लिये नियमों तथा विनियमों का विस्तार किया जाना चाहिए तथा उन्हें कठोरता से लागू किया जाना चाहिए। सभी असली स्वतंत्रता सेनानियों को अविलम्ब 'ताम्र-पत्र' प्रदान किये जाने चाहिएं। उन्हें सभी राज्य तथा केन्द्र सरकार के समारोहों में आमंत्रित करके उचित सम्मान दिया जाना चाहिए। जरूरतमंद स्वतंत्रता सेनानियों की सुरक्षा के लिये प्रत्येक तालुक में कल्याण केन्द्र खोले जाने चाहिएं।

उनकी पेंशन की राशि में वृद्धि की जानी चाहिए ताकि यह आजकल के जीवन की आवश्यकताओं के अनुरूप हो सके। उन्हें राज्य तथा केन्द्रीय विधान मंडलों तथा स्थानीय निकायों के प्रतिनिधित्व के लिये मनोनीत किया जाना चाहिये। स्कूलों के बच्चों में राष्ट्रीय भावनाएं तथा देश भक्ति जागृत करने के लिये शैक्षणिक संस्थाओं में सुपात्र स्वतंत्रत सेनानियों के जीवन-वृत्त पाठ के रूप में शामिल किये जादे चाहिएं। स्वतंत्रता सेनानियों को कम से कम उनके अपने जिलों में यात्रा करने के लिये मुफ्त बस यात्रा सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिएं। दिये जाने वाले प्रस्तावित निःशुल्क रेल पास स्थायी होने चाहिएं। सरकार से अनुरोध है कि स्वतंत्रता सेनानियों की उपरोक्त तथा अन्य शिकायतों को दूर करने के लिए शीघ्रातिशीघ्र आदेश जारी किये जाएं।

(चार) लद्धाख के छंगथांग क्षेत्र में 1982 के भारी हिमपात के कारण जिनका समस्त पशुधन नष्ट हो गया था उनको अपना पशुधन जुटाने के लिए राहत देने की आवश्यकता

श्री पी० नामग्याल (लद्दाख) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित मामला उठा रहा हूं : –

लद्दाख के छंगथांग क्षेत्र में 1982 में भारी हिमपात के कारण आई राष्ट्रीय विपदाओं से प्रभावित लोगों को राहत का भुगतान न किये जाने की ओर कई बार भारत सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है। 85,000 से अधिक पशु, भेड़ें तथा बकरियां मर गई थीं लेकिन एक पैसे का भी भुगतान नहीं किया गया, यद्यपि केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को दी गई अतिरिक्त राशि, पहले ही निकाल कर खर्च कर ली गई बताई गई है।

अतएव, मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह मामले में हस्तक्षेप करे और जितनी जल्दी हो सके राहत की राशि प्रदान करे ताकि छंगपा आदिवासी अपनी आजीविका कमाने के लिए राहत की धन राशि से अपने लिए पशुधन जुटा सकें।

(पांच) दक्षिण रेलवे के मदुराई डिवीजन के कुछ अलाभप्रद रेल स्टेशनों को बंद किए जाने की संभावना

***श्री डी०एस०ए० शिवप्रकाशम** (तिरूनेलवेली) : महोदय, मुझे यह मालूम हुआ है कि दक्षिणी रेल की मदुराई डिवीजन में कुछ स्टेशनों को बन्द किया जा रहा है। इन स्टेशनों से राजस्व में कमी होना इसका कारण है। हमारी रेल सार्वजनिक हित में 130 करोड़ रुपये प्रति वर्ष की हानि पर 136 अलाभकर लाइनें चला रही है। इसी प्रकार कई अनिवार्य जिन्से सहायता प्राप्त भाड़े की दर पर हमारी रेलों द्वारा ढोई जा रही है इस पृष्ठ भूमि को देखते हुए

कुछ स्टेशनों को बंद कर देना उचित नहीं है। यदि पिछड़े हुए क्षेत्र में स्थित मेलाकल्लूर और कारूकुरीची स्टेशनों को बंद करने का आदेश दिया गया तो मैं इस आदेश को रद्द करने का अनुरोध करूंगा। ये दोनों स्टेशन तिरुनेलवेली-शेंकोट्टाह लाइन पर स्थित हैं, जहां से विद्यार्थी और सरकारी कर्मचारी तिरुनेलवेली आते हैं। कारूकुरीची परम्परागत बर्तन-निर्माण केन्द्र हैं और यहां अनेक छोटे छोटे एकक हैं। मेलाकोठारी से तिरुनेलवेली तक दूध ढोया जाता है। अनुरोध है कि इन स्टेशनों को बंद न किया जाये।

(छः) पीलीभीत (उ०प्र०) में बसे बंगाली शरणार्थी परिवारों को कतिपय सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : उपाध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से मैं नियम 377 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में केन्द्रीय सरकार ने हजारों बंगाली शरणार्थी परिवारों को बसाया है। ये अधिकतर पूरनपुर तहसील के जंगली क्षेत्र में बसे हुए हैं। ये परिवार पेयजल, बैंक ऋण, चिकित्सालय, विद्यालय तथा सड़कों की सुविधा से वंचित हैं। आवागमन के लिए कोई भी पक्की सड़क नहीं है।

20, 25 वर्ष तक खेती करने के बाद भी इस भूमि के पट्टे उन्हें नहीं किये गये हैं। परिणामस्वरूप कृषि के विकास से सम्बन्धित ऋण उन्हें नहीं मिल पा रहे हैं क्योंकि उनके नाम स्वामी के रूप में दर्ज नहीं हैं। जिला प्रशासन भी इस मामले में चुप है। ये बंगाली शरणार्थी परिवार भारतीय नागरिक बनकर गत चुनावों में मतदान करते रहे हैं। परन्तु अब उन्हें विदेशी बताकर मतदाता सूची से सैंकड़ों के नाम खारिज कर दिए गए हैं। उन्हें सिंचाई की सुविधाएं भी नहीं दी गई हैं।

केन्द्रीय सरकार से मेरा आग्रह है कि इन बंगाली शरणार्थी परिवारों की सुख सुविधा के लिए अधिक धन राशि जिला मैजिस्ट्रेट के माध्यम से सीधी प्रदान करें तथा उनके लिए पेयजल, सिंचाई, बैंकऋण, चिकित्सालय, विद्यालय, पक्की सड़कों आदि की व्यवस्था स्वयं करें तथा उन्हें मतदान से वंचित न होने दें तथा भूमि के पट्टे अविलम्ब करने के आदेश दें।

(सात) बीड़ी मजदूरों की समस्याओं पर विचार करने के लिए एक आयोग गठित करने की आवश्यकता

श्री बाबूराव परांजपे (जबलपुर) : उपाध्यक्ष जी, मैं नियम 377 के अन्तर्गत अपना विशेष उल्लेख करना चाहता हूं। वर्तमान में, देश में साठ लाख बीड़ी श्रमिक हैं, उसमें से तीस लाख मध्य प्रदेश में हैं। देश में प्रतिदिन साठ करोड़ बीड़ी का निर्माण होता है, जिसमें से आधा मध्य प्रदेश में।

*तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

शासन द्वारा निर्धारित मजदूरी की दर सात रुपये साढ़े सत्तासी पैसा प्रति हजार है। परन्तु श्रमिकों को केवल चार रुपये मिलते हैं। 3 87 पैसे की कटौती, अनिवार्य, कटौती, सिकाई के पश्चात की कटौती तथा पत्ती की घटत के कारण हो जाती है।

बीड़ी मालिकों को प्रति हजार बीड़ी बनवाने में 20 रु० 87 पैसा का खर्चा आता है तथा एक हजार बीड़ी की बिक्री की कीमत 25 रुपया है। इस प्रकार बीड़ी मालिक प्रति हजार बीड़ी के पीछे 4 रु० 13 पैसे का मुनाफा तथा 3 रु० 87 पैसे कटौती द्वारा कमाता है।

बीड़ी मालिक प्रति दिन अड़तालीस लाख रुपये कमाते हैं इसके विपरीत श्रमिक भूख से तड़पता है क्योंकि 4 रुपये में किसी का पेट नहीं भर सकता।

मध्य प्रदेश में बीड़ी मालिकों ने श्रमिकों से पन्द्रह करोड़ रुपया प्रोवीडेंट फंड काटा है, परन्तु मात्र एक करोड़ शासन के पास जमा किया। लागबुक रखना कानून में है, परन्तु कोई फर्म नहीं रखती। श्रमिकों के नाम रजिस्टर में नहीं चढ़ते, क्योंकि उन्हें अनेक लाभ देने पड़ेंगे, जैसे कि महिला श्रमिकों को प्रसूति लाभ।

अतः निवेदन है कि केन्द्रीय शासन, बीड़ी सिगार एक्ट, 1966 में संशोधन कर मोबाइल कोर्ट द्वारा सजा तथा अर्थदण्ड का प्रावधान करें तथा एक आयोग गठित कर बीड़ी श्रमिकों की समस्याओं का सर्वांगीण विचार कर श्रमिकों को शोषण मुक्त करायें।

(आठ) पश्चिम बंगाल में बर्दवान रेल स्टेशन के समीप ओल्ड कालना रोड़ पर एक उपरि पुल बनाने की आवश्यकता

श्री सुशील भट्टाचार्य (बर्दवान) : मैं सरकार का ध्यान बर्दवान में लम्बी अवधि से अनुभव की जा रही एक आवश्यता की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। रेल मंत्रालय ने अनेक बड़े शहरों में महत्वपूर्ण रेल सिगनल क्रासिंग पर कुछ उपरि पुलों का निर्माण करने की व्यवस्था की है। इससे वाहनों की गति में वृद्धि अवश्य होगी तथा जनता की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। किसी बड़े शहर में प्रायः वाहन का मालिक, सिगनलमैन द्वारा अपनी इच्छा से रेल द्वार खोलने की प्रतीक्षा में समय बेकार करना पसन्द नहीं करता। वाहनों को जबरदस्ती रोकने पर भी पैदल यात्री और साईकल चालक नहीं रुकते। चाहे सामने से आ रही रेलगाड़ी और कई बार दो विपरीत दिशाओं से आने वाली गाड़ियां बहुत निकट आ जायें तो भी वे रेल क्रासिंग पार कर लेते हैं। इसके परिणामस्वरूप बार-बार दुर्घटनाएं होती हैं और ऐसी दुर्घटनाओं से मरे या जीवन भर के लिये अपंग हुए व्यक्तियों की संख्या कुछ कम नहीं है। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वे बर्दवान रेलवे स्टेशन से लगभग एक किलो मीटर परे ओल्ड कालना मार्ग के वर्तमान लेविल क्रासिंग पर एक उपरि पुल का निर्माण करने का कार्य हाथ में लें। सरकार द्वारा की जाने वाली समयोचित कार्रवाही से न केवल वाहनों की गति में सुधार होगा और आम जनता को सुविधा होगी बल्कि अनेक पैदल यात्री मरने और अपंग होने से बच जायेंगे।

(नौ) तमिलनाडु के उन किसानों की क्षतिपूर्ति किये जाने की आवश्यकता जिनकी धान की फसलें कीड़ों के प्रकोप के कारण नष्ट हो गई थी

श्री एस० ए० दोराई सेबस्तियन (कन्नूर) : नियम 377 के अधीन मैं इस सभा का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाना चाहता हूं ।

इस मौसम में तमिनाडु में धान की खेती बहुत अधिक प्रभावित हुई है । यहां आई. आर. 50, अधिक उत्पादन देने वाले बीज की किस्म उगाई गई थी । यह किस्म एक कीड़े के प्रकोप से प्रभावित हुई है, जिसे तमिल भाषा में कुरुथुपूंची कहते हैं, यह कीड़ा तने में प्रवेश करके सारी फसल को खा जाता है । जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन का 50 प्रतिशत से अधिक भाग केवल भूसी रह गया है । कृषि नियंत्रण पद्धति के अंतर्गत सभी उपाय किये जाने के बावजूद ऐसा हुआ है और फसल की रक्षा करने के प्रयत्न निष्फल हुए हैं । इससे कृषकों को भारी क्षति हुई है ।

इसलिए मेरा माननीय कृषि मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वे इन कृषकों की क्षति पूर्ति करें ।

(दस) बिहार में बिजली की कमी की समस्या का समाधान करने के लिए कांटी ताप-बिजली परियोजना को निर्धारित समय के भीतर पूरा करने की आवश्यकता

श्रीमती किशोरी सिन्हा (वैशाली) : उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे तो समस्त बिहार ही आज विद्युत अकाल के साये में आया हुआ है, किन्तु मुजफ्फरपुर जिले में इस साये की कालिमा अधिक ही गहरी दिखाई दे रही है । सरकार की ओर से इस स्थिति से निपटने के लिए कांटी थर्मल पावर परियोजना नामक एक योजना तैयार की गई । इसके निर्माण का कार्य सरकारी प्रतिष्ठान भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्ज लि० को सौंपा गया । योजना के प्रथम चरण में 110 मैगा-वाट विद्युत उत्पादन का कार्य प्रारम्भ होना, जून 1983 तक निर्धारित किया गया, किन्तु जून 1983 में पुन: सितम्बर 1983 तक इस कार्य के पूर्ण होने की आशा बंधाई गई और आज समय ने सिद्ध कर दिया कि प्रथम चरण में निर्धारित कार्य ही 1984 तक भी पूर्ण होने की सम्भावना नहीं । विद्युत के अभाव में कृषि भूमि प्यासी है, औद्योगिक श्रमिक भूखे होते जा रहे हैं और दूसरी ओर इस परियोजना का निर्माण-व्यय, निर्धारित राशि से दुगना व तिगुना होता जा रहा है । संपूर्ण उत्तर बिहार आज अंधेरे में समाता चला जा रहा है । वैशली संसदीय क्षेत्र के सरैयां प्रखंड में 18 सरकारी ट्यूबवैलों में से मात्र 4 ट्यूबवैल ही चालू हालत में हैं और लगभग यही दशा पारू, वरूरीज, कांटी प्रखंडों की भी है । आज की स्थिति में किसान के कष्ट बढ़ रहे हैं, उद्योगपति की तक्लीफें तीव्र हो रही हैं और मजदूर भूख से मौत की ओर चलता जा रहा है ।

अत: मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह इन परियोजनाओं को प्राथमिकता दे और निर्धारित अवधि में ही इन्हें पूर्ण करे, जिससे क्षेत्र की गति में अवरोध उत्पन्न न हो ।

12.40 म/प.

निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) संशोधन विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय : श्री एन. आर. लांस्कर द्वारा 4 मई 1984 को प्रस्तुत किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर सभा अब और आगे विचार करेगी, अर्थात ;

"कि निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री रीतलाल प्रसाद : उपाध्यक्ष महोदय, जो निर्यात (क्वालिटी नियन्त्रण और निरीक्षण) संशोधन विधेयक सदन के सामने जो प्रस्तुत है, उसका मैं समर्थन करता हूं। आज हमारे देश में उद्योग बहुत बढ़ रहे हैं और जिन चीजों का उत्पादन हो रहा है उसमें 8 हजार से अधिक तैयार माल विदेशों को निर्यात किए जाते हैं तथा काफी बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा उसके द्वारा अर्जित की जाती है। फिर भी विदेशी बाजारों में हमारी साख नहीं जम पा रही है जिसका कारण यह है कि जो हमारा प्रोडक्शन है वह घटिया क्वालिटी का होता है। सरकार को चाहिए कि इस पर पूरा नियन्त्रण करे ताकि जो भी उत्पादन हो वह विश्व मार्केट के लिए उपयोगी हो सके। यह बात निश्चित है कि जब विदेशों में मांग बढ़ेगी तो भारत का विदेशी व्यापार भी बहुत काफी बढ़ेगा। सन् 1960 के अधिनियम में जो त्रुटियां रह गई थीं उनके निवारण के लिए आपने निश्चिय रूप से प्रयास किया है। निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) विधेयक को लागू हुए यद्यपि 23 वर्ष बीत चुके हैं परन्तु अभी तक 8 हजार वस्तुओं में से केवल 10 परसेन्ट वस्तुओं पर ही आपका कन्ट्रोल लागू हो सका है (व्यवधान) हमारे पास जो इंफार्मेशन है उसके अनुसार अभी तक जो लिस्ट है उसमें केवल 10 परसेंट वस्तुओं पर ही आपका क्वालिटी नियन्त्रण लागू हो सका है। (व्यवधान) मेरा निवेदन है कि जो भी एक्सपोर्टेबल कमोडिटीज हैं उसकी क्वालिटी सुधारी जाए। आजकल क्वालिटी का युग है, क्वालिटी प्रोडक्शन की ओर ज्यादा भाग-दौड़ है। आज इस देश में कोई भी परिवार ऐसा नहीं होगा जहां जापान या जर्मनी के द्वारा निर्मित घड़ियों, रेडियो, वी.सी.आर. तथा नाना प्रकार की अन्य चीजों की लालसा न हो। इसलिए आज के युग में क्वालिटी को मेनटेन करना परमावश्यक है। लेकिन हमारे देश में नकल करने वालों की बहुत बड़ी संख्या है, विदेशी चीजों की नकल बनाकर और उन पर जापान आदि की मोहर लगाकर हांगकांग के रास्ते बेचने का यत्न करते हैं। इसका कारण यह है कि हमारे देश में इस सम्बन्ध में जो निरीक्षण करने वाली सरकारी मशीनरी है वह सही नियन्त्रण नहीं कर रही है।

यह जो संशोधन आपने किया है, यह बहुत अच्छा है। इस तरह की अंधाधुंध नकलची पन की प्रवृत्ति की रोकथाम के लिए आवश्यक था। इसके साथ-साथ निर्यात निरीक्षण परिषद्

में सदस्यों की संख्या ग्यारह से पन्द्रह करने जा रहे हैं, इनके बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि दस सदस्य कम से कम टैक्नालाजी के विशेषज्ञ होने चाहिए। ताकि उत्पादित वस्तुओं का ठीक तरह से निरीक्षण कर सकें। आई० ए० एस० या आई० पी० एस० अधिकारी अच्छे प्रशासक हो सकते हैं; लेकिन उत्पादित वस्तुओं की जानकारी उनको नहीं हो सकती है। इसलिए मेरा सुझाव है कि कम से कम दस सैदस्य टैक्नालाजी के एक्सपर्ट हों ताकि हर वस्तु की क्वालिटी हम सही ढंग से मैनटेन कर सकें। इसी तरह से निरीक्षण परिषद् के अन्तर्गत निर्यात निरीक्षण अभिकरण भी सारे देश में बने हुए हैं, लेकिन उनकी व्यापारियों से सांठ-गाँठ बनी हुई है जिसकी वजह से वस्तुएं पास होकर उनको सर्टीफिकेट दे दिया जाता है। इस वजह से एक परेशानी यह होती है कि माल की जो आवश्यकता होती है, उसके अनुसार माल नहीं दिया जाता है। घटिया किस्म का माल होने से कभी कभी माल वापिस भी हो जाता है। रूस का उदाहरण है और दूसरे देशों का भी उदाहरण हमारे पास हैं। इस दिशा में गलत अधिकारियों के खिलाफ आपको कार्यवाही करनी चाहिए। जब एक बार देश की साख बन जाती है, तो फिर वह दोबारा नहीं बन पाती है। आज जापान की साख बनी हुई है; उसकी हर चीज अच्छी है, इलैक्ट्रानिक्स का सामान बहुत अच्छा है। लोग बड़े विश्वास के साथ सामान खरीद लेते हैं, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सरकार को इस दिशा की ओर सख्त कदम उठाने चाहिए।

इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि सरकार की मशीनरी में ऐसे एक्सपर्ट्स हों जो कि कारखानों के कार्य को जाकर समय समय पर निरीक्षण करें। यदि सामान को बनाने में तकनीकी ज्ञान का अभाव हो, तो उनको पूरा ज्ञान सरकार की ओर से दिया जाना चाहिए। यदि आर्थिक सहयोग की भी आवश्यकता हो तो वह भी दी जानी चाहिए। राष्ट्रीय उत्पादन अच्छा होता है तो विदेशों में हमारे देश का मान होता है और देश की हालत अच्छी होती है। हम अधिक निर्यात करेंगे तो हमें फॉरन एक्सचेंज काफी मात्रा में मिल सकेगा। तेल का उत्पादन कम होने की वजह से 600-700 करोड़ रु० का हमें आयात करना पड़ता है, खाद्य पर भी हमें तीन या साढ़े तीन सौ करोड़ हमें खर्च करना पड़ता है। अन्य आवश्यक मदों के लिए भी हमें आयात करना पड़ता है। जिसकी अदायगी हमें फॉरन एक्सचेंज में देने में मुश्किल होती है और हम कर्ज में फंस जाते हैं। इस वक्त भी 22 सौ हजार का कर्जा हमारे देश के ऊपर है। यदि हमारा क्वालिटी कंट्रोल ठीक ढंग से काम करे और निर्यात की मात्रा में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो तो हम विदेशी मुद्रा काफी मात्रा में हासिल कर सकते हैं। इससे देश को बड़ा लाभ हो सकता है। इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया जाता है और जो अधिकारी भेजे जाते हैं उनमें भी राष्ट्रीयता की भावना नहीं होती है। उत्पादन ठीक से बढ़े और देश समृद्धि की ओर जाए। इसके लिए उनके अन्दर यदि चिन्ता नहीं है तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए।

मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह जवाब देते समय बतलाएं कि इतने वर्षों में मौजूदा कानून के तहत कितने लोगों के खिलाफ कार्यवाही की गई है? कितने लोगों का इन

बड़े-बड़े व्यापारियों के साथ गुप्त-धन्धा, भ्रष्टाचार या सांठ-गांठ चलता रहा है जिसके कारण हमारे निर्यात व्यापार में जितनी वृद्धि होनी चाहिए थी, वह नहीं हो सकी है ? इतने वर्षों में देश के अन्दर अनेक कैल-कारखाने लगे हैं। लेकिन फिर भी देश का निर्यात व्यापार नहीं बढ़ पाया, इतना ही नहीं देश के अन्दर भी वे देश की जनता का ध्यान इस ओर आकर्षित नहीं कर पाये। आज 20-वीं शताब्दी में हर व्यक्ति चाहे वह गांव का साधारण व्यक्ति भी हो, क्वालिटी की दृष्टि से बढ़िया माल खरीदना चाहता है, अगर किसी वस्तु की क्वालिटी अच्छी न हो, तो उसे नहीं खरीदता। इसलिये राष्ट्र में उत्पादित की जाने वाली वस्तुएं क्वालिटी में बढ़िया हों, टिकाऊ हों, तभी हम न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी अपनी वस्तुओं की खपत बढ़ा सकेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विदेश व्यापार में प्रति वर्ष घाटा हो रहा है। जब से यह सरकार सत्ता में आई है तब से घाटा बढ़ता जा रहा है। 1980-81 में यह घाटा लगभग पांच हजार करोड़ रुपये तक पहुंच गया था। उसके बाद बढ़ कर कभी-कभी साढ़े 5 हजार करोड़ रुपये पहुंच गया। विदेश व्यापार में आज जो घाटा हो रहा है, यदि यह इसी प्रकार बढ़ता रहेगा तो इस देश की आगे स्थिति क्या होगी - यह बहुत गम्भीर बात है, इस पर सरकार को विचार करना चाहिए कि किस तरीके से विदेश व्यापार के इस घाटे को कम किया जाये तथा विचार करके उस पर आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिए। इस मामले को सदन में भी कई बार उठाया गया है, लेकिन दुख है कि सरकार इस ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दे रही है। यह सरकार इस मामले में स्थिति को सुधारने में अक्षम सिद्ध हुई है।

मान्यवर, जहां तक क्वालिटी कन्ट्रोल का सवाल है - इस पर ऐसे बहुत से मामले हम लोगों के सामने आये हैं जिनको हमने इस सदन में भी उठाया है और कई बार चर्चा के दौरान कहा गया है कि जब तक वस्तुओं की क्वालिटी को इम्प्रूव नहीं करेंगे तब तक हम उनका निर्यात नहीं कर सकेंगे, और न वे विदेशी बाजार में बिक सकेंगी। मुझे एक मामला याद आ रहा है - एक बार इटली को चप्पलें भेजी गई थीं, जो वहां के लोगों को पसन्द नहीं आई, जिस तरह का माल वे चाहते थे उस तरह का माल नहीं भेजा गया था, जिस के कारण उन्होंने वह माल वापस कर दिया। इससे देश की प्रतिष्ठा गिरी, साख गिरी और आज जो घाटा हो रहा है उस का मूल कारण यही है कि जो वस्तुएं हम देश के बाहर भेज रहे हैं उनकी ठीक ढंग से जाँच नहीं की जाती, अच्छी क्वालिटी की चीज नहीं भेज पा रहे हैं। यदि आगे भी यही स्थिति बनी रही तो विदेश व्यापार में हो रहे घाटे को हम कम नहीं कर सकेंगे।

मेरे पास ऐसी बहुत सी जानकारियां थीं जिनको मैंने समय समय पर मंत्री महोदय को बतलाया है। आज मै केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि आप की जो इंस्पैक्सन ऐजेन्सीज हैं,

जब तक आप उनको दुरूस्त नहीं करेंगे, जब तक आप इस बात को सुनिश्चित नहीं करेंगे कि जो बाहर भेजी जाने वाली चीजें हैं उनकी सही ढंग से जांच की जा रही है, अच्छी वस्तुएं बाहर भेजी जा रही हैं - तब तक देश का घाटा निरन्तर बढता जाएगा जिसका देश की अर्थ व्यवस्था पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा और वह केवल सरकार के लिए ही नहीं, बल्कि देश की जनता के लिए भी बहुत घातक सिद्ध होगा। इसलिए जो इंस्पैक्सन एजेन्सीज हैं उनको स्टीम लाइन कीजिए, उनमें व्याप्त भष्टाचार को समाप्त कीजिए। आज एक दुर्भाग्य पूर्ण स्थिति यह पैदा हो गई है कि जिन लोगों को किसी चीज की जांच का अधिकार दिया जाता है, वे लोग ही भष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं, इसलिए जांच का काम ठीक से नहीं हो पा रहा है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। जो भी जांच की जा रही है, यह सही जांच की जा रही है और जांच में लगे हुए लोग किसी प्रकार के भष्टाचार में संलग्न नहीं हो रहे हैं, इसको सुनिश्चित करने के लिए सरकार को तत्काल कारगर कार्यवाही करनी पड़ेगी। अगर सरकार ने इस दिशा में कारगर कार्यवाही नहीं की, तो जो आपकी इंस्पैक्सन एजेन्सीज है, न वे सही काम करेंगी और न ही अच्छी क्वालटी का माल आप विदेशों में भेज सकेंगे और अगर स्थिति ऐसी ही बनी रही जैसा कि मैंने पहले बताया कि कभी 5 हजार और कभी 6 हजार करोड़ रुपये का प्रति वर्ष घाटा विदेश व्यापार में चल रहा है, यहचलता ही रहेगा। इस साल अभी कितने महीने हुए हैं और इनमें कितना घाटा हो चुका है यह मन्त्री जी जानते होंगे और इसके सही आकड़े वे दे सकते हैं। जनवरी से अब तक बहुत थोड़ा समय बीता है, चार महीने बीत चुके हैं और पाचवा चल रहा है लेकिन इस पिरीयड में भी मन्त्री जी को जानकारी होगी कि किस प्रकार से घाटा बढ़ रहा है और लगातार घाटे में वृद्वि होती ही जा रही है।

जहां तक इस विधेयक का प्रश्न है, इस विधेयक में अच्छी बातें कही गई हैं लेकिन व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए यह आवश्यक है कि सरकार इन तमाम इंस्पेक्सन एजेन्सीज की कार्य-क्षमता को बढ़ाए और सरकार यह सुनिश्चित करे कि वहां पर ईमानदारी के साथ काम हो ताकि बाहर भेजी जाने वाली वस्तुओं की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके, उन को सुधारा जा सके।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री राम बिलास पासवान (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है, मेरी समझ में उसमें कुछ बात नजर में नहीं आ रही है सिवाय इसके कि इन्होने मेम्बरों को बढ़ाने का काम किया है आप यह देखेंगे कि विधेयक के अनुसार इंस्पेक्सन कौंसिल की जो स्थापना हुई है, वह अधिनियम की धारा 3 के अधीन, 1 जनवरी, 1964 को हुई थी और 20 वर्ष के बाद, मंत्री महोदय बतलाएंगे कि इन्होनें सिर्फ मेम्बरों को बढ़ाने के लिए यह विधेयक प्रस्तुत किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी हमारे साथी श्री हरिकेश बहादुर ने कहा कि हमारा एक्सपोर्ट घट रहा है और इम्पोर्ट बढ़ रहा है । सब से बड़ी बात यह है कि एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के अलावा, जो ट्रेड है उस ट्रेड में विश्व में हमारा शेयर केवल 1 पर सेन्ट ही रह गया है जबकि जापान का आप देखेंगे कि 20 पर सेन्ट शेयर है। इस का कारण क्या है इस का सबसे बड़ा कारण यह है कि आप क्वालिटी पर कभी ध्यान नहीं देते हैं और मेरे पास तीन-चार रीसेन्ट एग्जाम्पिल्स हैं टिंड फिश अमेरिका को जो भेजा था, वह लोट कर वापस आ गया। चीन को जो तम्बाकू भेजा था, वह लौट कर आपके पास भेज दिया गया। आपने रूस को जूता भेजा था वह भी लौट कर वापस चला आया और फिर रूस को आपने वासमती चावल भेजा, तो मालूम हुआ कि उसकी जगह पर परमल चावल भेजा गया और बासमती नहीं भेजा और वह लौट कर चला आया। ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पिल्स हैं। सबसे बड़ी दिक्कत हमारे सामने यह आती है कि सरकार को मालूम है कि किस चीज का उत्पादन हमारे यहां कितना होता है आपके यहां 20 लाख टन चावल का उत्पादन होता है और एक्सपोर्ट हो रहा है 40 लाख टन । तो यह एक साधारण अकल की बात है और सरकार इस बात को समझती है कि जबकि उत्पादन केवल 20 लाख टन का है, जो 40 लाख टन का एक्सपोर्ट कैसे कर रहे हैं। इस देश की प्रतिष्ठा गिरती है और सबसे बड़ा कारण यह है कि आप ने 36 प्राइवेट एजेन्सीज को एक्सपोर्ट करने का काम सौंप रखा है। अब प्राइवेट एजेन्सीज के सामने क्या मामला होता है। उनके सामने तो सबसे बड़ा मामला यह है कि उनका अपना मुनाफा कैसे हो चाहे देश की प्रतिष्ठा जेहन्नुम में चली जाए और चाहे भारत का नाम बदनाम हो जाए, उनको तो मुनाफा कमाना है और इसलिए वे क्वालिटी की तरफ ध्यान नहीं देती हैं। इसलिए मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि सारे का सारा जो एक्सपोर्ट ट्रेड है, वह सरकार अपने हाथ में ले ले और प्राइवेट एजेन्सीज के ऊपर इसको न छोड़े। आपने 5-6 एक्सपोर्ट हाऊसेज को रिकगनाइज किया है और मेरे कहने में कोई क्षति नहीं होगी अगर मैं यह कहूं कि सरकार को भी उसमें कोई शेयर मिलता है। सबसे पहली बात तो मैं यह कहना चाहूंगा कि इससे न सिर्फ हमारे देश को फाइनेन्शियेली घाटा हो रहा है बल्कि इससे हमारे देश की प्रतिष्ठा भी खराब होती है। आप यह देखेंगे कि पहले विदेशों में जिनका कोई मार्केट नहीं था, वह हम से आगे निकल रहे हैं । हम क्या एक्सपोर्ट करते हैं। हम तो रा-मैटीरियल्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं और जो हमारा बना बनाया हुआ सामान है, उसका हमारे पास कोई मार्केट नहीं रह गया है।

1.00 म. प

इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल इन सारी चीजों के लिए यदि लाया जाता तो मुझे खुशी होती। लेकिन जो यह बिल है, और जो इसका उद्देश्य रखा गया है, उससे मुझे नहीं लगता कि क्वालिटी कन्ट्रोल के लिए कोई कारगर कदम उठेगा या यह बिल क्वालिटी कन्ट्रोल या इन्सपेक्शन में सहायक सिद्ध हो सकेगा। इस बिल के द्वारा आप एक्सपोर्ट के मामले में कोई क्वालिटी कन्ट्रोल कर सकेंगे, ऐसी कोई चीज मुझे इसमें नजर नहीं आती।

इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि बजाए इस बिल को लाने के आप अपने प्रशासन को चुस्त और दुरुस्त कीजिए जिससे कि जो प्राइवेट एजेन्सीज है जो यह सब कुछ कर रही हैं उन पर अंकुश लगाइये। आप एक्सपोर्ट को अपने हाथ में लेकर ऐसा बिल लाइये जिससे कि भारत की दुनिया में प्रतिष्टा बढ़े, भारत की गिरती हुई साख बच सके। यही हमारे लिए बहुत बड़ी चीज होगी।

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : मैं उन सभी माननीय सदस्यों का वास्तव में आभारी हूं जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया है। मेरे विचार से श्री राम विलास पासवान के अतिरिक्त अन्य सभी वक्ता सदस्यों ने इस उपाय का संशोधन करने के लिए सिद्धान्ततः समर्थन किया है क्योंकि यह एक प्रशासनीय कदय है। इस अधिनियम के प्रचलन के पिछले कुछ वर्षों के दौरान कुछ कमियां हमारे ध्यान में आई हैं। इस संशोधन के उपाय द्वारा हमने उन कमियों को दूर करने का प्रयत्न किया है।

इसके अतिरिक्त इसको और अधिक कड़ा बनाने के लिए हमने कुछ नये प्रावधान भी इसमें शामिल किये हैं। इसलिए यह स्वाभाविक ही है कि जिन सभी सदस्यों ने इस संशोधन करने वाले विधेयक का अध्ययन किया है, उन्होंने किये जा रहे इस उपाय को पूर्ण समर्थन भी प्रदान किया है।

इसमें कोई शक नहीं कि अपने भाषणों के दौरान सुझाव देते समय उन्होंने कुछ क्षेत्रों की बेशक आलोचना की है मेरे विचार से उन सभी ने विषेष रूप से निरीक्षण एजेन्सियों के कार्य निष्पादन के विषय में उल्लेख किया है, और वे उन्हें और अधिक उपयोगी बनाने की हमसे अपेक्षा रखते हैं।

मुझे इस प्रकार के आलोचनात्मक विरोध या सुझावों से कोई चिड़ नहीं होती, क्योंकि मैं यह अनुभव करता हूं कि यहां हमारे सभी मित्रों के सम्पूर्ण दृष्टिकोण और प्रेरणा के पीछे विदेशी बाजारों में भारतीय वस्तुओं के हित में क्वालिटी नियंत्रण और नौभरण-पूर्ण निरीक्षणों के उपायों पर अधिक बल देने की भावना है। इसलिए इसी विचार को मन में रखते हुए उन्होंने ऐसे सुझाव दिये हैं। मेरा विश्वास है कि ये बहुत उपयोगी सुझाव हैं और सरकार को उनसे लाभ होगा।

मैं यह भी अवश्य कहना चाहता हूं कि कुछ क्षेत्रों में वे अपने भाषण देते समय अपनी सीमाओं को पार कर गए हैं। उनके भाषणों का प्रस्तावित उपाय के साथ बिल्कुल भी संबंध नहीं है। यदि समय मिला तो मै निश्चय ही उन मामलों की भी जांच करूंगा।

उदाहरण के लिए श्री राम विलास पासवान ने यह कहा था और मेरे मित्र श्री चक्रवर्ती, जिन्होंने चर्चा आरम्भ की थी, ने भी यह कहा था कि हम केवल एक करोड़ कि. ग्रा. दार्जिलिंग चाय पैदा करते हैं किन्तु हम निर्यात 4 करोड़ कि. ग्रा. चाय करते हैं। उन्होंने यह भी कहा था

कि हम जितनी मात्रा में बासमती चावल पैदा करते हैं निर्यात हम उस मात्रा से कहीं अधिक करते हैं। मैं नहीं जानता कि यह जानकारी उन्हें कहां से प्राप्त हुई और उस का स्रोत क्या है, किन्तु यह ऐसी बातें हैं जो गलत जानकारी पर आधारित हैं और अपने भाषण के दौरान मैं इसके बारे में स्पष्ट करूंगा।

मख्य रूप से तीन अथवा चार कठिन प्रश्न पूछे गए हैं। वे आशा करते हैं कि उनका कुछ उत्तर मिले। इनमें से एक प्रश्न यह किया गया है कि शत प्रतिशत मदों को शामिल क्यों नहीं किया गया है। जैसा कि प्रत्येक व्यक्ति बोल रहा था कि हमने लगभग 800 विभिन्न मदों के बारे में ही गुणता नियत्रण आरम्भ किया है, परन्तु वे पूछते हैं कि शत प्रतिशत मदों का गुणता नियंत्रण क्यों नहीं किया जाता ?

माननीय सदस्य, स्वत: प्रमाणन योजना की भी आलोचना कर रहे थे। कुछ तो यह कह रहे थे कि इसे समाप्त कर दिया जाए। तीसरे वे यह भी जानना चाहत थे कि हमने गलत निर्यातकों और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ? पिछले 20 वर्षों के दौरान हमने उनके विरुद्ध क्या कदम उठाए हैं। उन्होंने इन निर्यात निरीक्षण एजेन्सियों के बारे में भी प्रश्न उठाया है। अत: ये वो मुख्य, व्यापक और कठिन प्रश्न हैं, जिनका मैं संक्षिप्त उत्तर देना चाहूंगा।

जहां तक इस अधिनियम के अधीन अधिक मदों को शामिल करने की बात है, इसमें कोई शक नहीं है कि अभी तक केवल 875 मदों को ही अनिवार्य गुणता नियन्त्रण और लदान पूर्व निरीक्षण की परिधि में शामिल किया गया है। मेरे मित्र श्री वर्मा यहां नहीं हैं। उन्होंने कहा था कि निर्यात की जाने वाली पूर्ण मदों में से केवल 10% को ही शामिल किया गया है। यह सच नहीं है। ये 875 मदें भी देश के कुल निर्यात का 42% है और इनमें इंजीनियरी, खाद्य, कृषि, रासायन, सम्बद्ध उत्पाद, जूते और कल पुर्जे पटसन उत्पाद, गलीचे आदि मुख्य मदें शामिल हैं। इस अधिनियम के अधीन अधिसूचित मदों के अनिवार्य गुणता नियन्त्रण तथा माल लदान पूर्व निरीक्षण के अलावा अन्य संविहित विनियम भी हैं जिनके बारे में मेरे विचार से माननीय सदस्यों को जानकारी रखनी चाहिए। ये विनियम निर्यात के लिए वस्तुओं की गुणता को नियन्त्रित करते हैं। उदाहरण के लिए, टेक्सटाइल समिति अधिनियम, 1963 औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940; आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955; खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954; कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिन्हांकन) अधिनियम, 1937; भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिन्ह) अधिनियम, 1952 आदि संविहित विनियम है और ये भी लगभग 20 प्रतिशत निर्यात की मदों की गुणता का नियन्त्रण तथा निरीक्षण करते हैं। आप ध्यान दीजिए कि इस तरह 60 से 70 प्रतिशत तक निर्यात की जाने वाली मदें शामिल हैं। हम इसी से संतुष्ट नहीं हैं। माननीय सदस्यों के ध्यान में जो बात है, हम उसकी तरफ भी बढ़ रहे हैं। हमने अपनी निर्यात निरीक्षण परिषद को कहा है कि वह इस बात की जांच करे और पता लगाए कि कौन

कौन सी अधिक मदों को इस विनियम के अधीन लाया जा सकता है और वह हमें इस संबंध में सुझाव दे। मेरे विचार से उनको हमारे इस उपाय के बारे में कोई संदेह नहीं होगा क्यों कि हम भी उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

स्वत: प्रमाणन के बारे में कई सदस्यों ने यह कहा कि इसे समाप्त कर दिया जाए। हमने इस योजना को एक उच्च अधिकार प्राप्त तकनीकी समिति की बहुत ही ठोस सिफारिश पर अपनाया है। इस समिति ने स्वत: प्रमाणन के सम्बन्ध में अच्छी तरह जांच की और इस योजना को आरम्भ करने का सुझाव दिया। सरकार ने इस सुझाव को स्वीकार किया है, तभी हमने यह योजना आरम्भ की है। मई 1981 में, आरम्भ में इस योजना को इंजीनियरी उद्योग पर लागू किया गया था और अब तक इस योजना के अधीन केवल 18 इंजीनियरी एककों को मान्यता दी गई है। इन एककों को स्वत: प्रमाणन की सुविधाएं केवल एक वर्ष के लिए दी जाती है। और एक वर्ष के पश्चात समीक्षा की जाती है और यदि वे निर्धारित मानदण्ड को पूरा करते हैं तो तभी उनको ये सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। स्वत: प्रमाणन की सुविधाएं प्रदान करने से पहले, एक अन्तर्विभागीय पेनल, जिसमें भारतीय मानक संस्था विभाग के रक्षा निरीक्षण, उद्योग निदेशालय, व्यापार विकास महानिदेशालय, विकास आयुक्त, लघु उद्योग आदि के वरिष्ठ तकनीकविद शामिल हैं, स्वत: प्रमाणन की सुविधा प्रदान करने के लिए उन एककों के आवेदन की जांच करता है। यह सुविधा केवल उन एककों को प्रदान की जाती है जिनको उच्च अधिकार प्राप्त तकनीकी पेनल द्वारा अनुमोदित किया जाता है। यहां मुझे यह कहने की अनुमति दी जाए कि सभी पर शक करना कोई अच्छी बात नहीं है। कुछ अच्छे लोग भी होते हैं। परन्तु यदि आप, आम तौर पर, यही कहते रहें कि प्रत्येक व्यक्ति बेईमान है, प्रत्येक व्यक्ति बुरा है, तो यह अच्छा तरीका नहीं है क्योंकि वस्तुएं निर्यात करने के लिए निर्यातकों ने भी अपनी रकम बाजी पर लगाई होती है। और हमें कम से कम, अच्छे व्यक्तियों पर तो भरोसा करना चाहिए। एक माननीय सदस्य जो यहां उपस्थित नहीं हैं, ने बहुत बड़े आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा, इस योजना के लागू होने के बाद शिकायतें असीमित संख्या तक बढ़ गई हैं।" मेरे पास प्राप्त जानकारी के अनुसार, मई, 1981 से अब तक एक एकक द्वारा निर्यात किए गए छत के पंखों के सम्बन्ध में विदेशी खरीददार से केवल एक शिकायत प्राप्त हुई है। व्यापक रूप से तत्काल इसकी जांच की गई थी और इससे ज्ञात हुआ था कि शिकायत इस बारे में थी कि कुछ छत के पंखों की कनोपियों और रेगुलेटर टूटी हुई हालत में प्राप्त हुए थे और कुछ बक्सों में माल गायब था। वास्तव में यहां कोई तकनीकी शिकायत नहीं है और न ही गुणता की बात आती है। परन्तु, फिर भी जिन एककों को स्वत: प्रमाणन की सुविधा प्रदान की गई है उनकी आवधिक लेखा परीक्षा निर्यात निरीक्षण ऐजेन्सी, जिसके प्रधान अपर निदेशक है, द्वारा की जा रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन एककों द्वारा इस योजना का संचालन निर्धारित नियमों अनुसार हो।

अब हमने इस योजना के अंतर्गत अधिनियम की गई धारा 11 ख को भी शामिल कर

लिया है यह धारा इस बात को सुनिश्चित करेगी कि किसी भी एकक द्वारा किए गए किसी भी कदाचार से निबटने के लिए कठोर कार्यवाही की जाएगी ।

इसके बाद माननीय सदस्यों ने सबसे अधिक रोष गैर सरकारी निरीक्षण एजेन्सियों के बारे में दिखाया है । वास्तव में, श्री राजेश कुमार सिंह दोनों में से कोई यहां उपस्थित नहीं है—ने कहा कि सरकार द्वारा अधिनियम के अधीन, मान्यता प्राप्त इन गैर सरकारी निरीक्षण ऐजेन्सियों को समाप्त कर दिया जाए और सभी प्रकार का निरीक्षण केवल सरकारी ऐजेन्सियों द्वारा ही किए जाने चाहिएं । मेरे विचार से श्री पासवान ने भी यह सुझाय दिया था । अब यहां मैं अपने मित्रों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इन गैर सरकारी निरीक्षण ऐजेन्सियों को केवल उन क्षेत्रों और मदों के लिए मान्यता दी गई थी जिनके संबंध में विशेषज्ञ निरीक्षण ऐजेन्सियों के पास आवश्यक सुविज्ञता नहीं है । तब हम कहां जा सकते हैं ? केवल कुछ ही मामलों में हमने इसकी अनुमति दी है । सरकार ने यह भी निर्णय किया है कि भविष्य में और अधिक ऐजेन्सियों को मान्यता प्रदान नहीं की जाएगी । यह निर्णय लिया जा चुका है कि माल लादने से पहले निरीक्षण करने हेतु जिन मदों के संबंध में सरकार के पास सुविज्ञता उपलब्ध नही है, केवल उन्हीं के लिए सरकार गैर सरकारी ऐजेन्सियों को मान्यता प्रदान करेगी ।

यह फिर से प्रश्न किया गया है कि क्या इन गैर सरकारी निरीक्षण ऐजेन्सियों को कुछ और समय के लिए निरीक्षण करने दिया जाये । यह प्रश्न उच्च अधिकार प्राप्त समिति को भेजा गया था । इस समिति ने भी ऐसी निरीक्षण ऐजेन्सियों को जारी रखने का सुझाव दिया है । समिति की सिफारिशों को भी मान लिया गया है ।

माननीय सदस्य, संभवतः अधिनियम की नई धारा 11 (ख) (i) को देख सकते हैं । इसके द्वारा गैर सरकारी निरीक्षण ऐजेन्सियों के बेईमान कर्मचारियों पर निगार रखी जा सकेगी और उसमें कैद और उसके साथ जुर्माना, दोनों प्रकार के दण्ड का उपबन्ध है ।

अब मेरा विचार है कि मैं अपने मित्र श्री पासवान का प्रश्न लूं, जब उन्होंने पूछा है कि पिछले 20 वर्षों के दौरान शिकायतें आने पर निर्यातकों और निरीक्षकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है । यह भी एक सच्चाई है कि अधिनियम में कुछ त्रुटियों और दोषों के कारण अब तक हम कोई कार्यवाही नहीं कर पाये हैं; किन्तु अब इस संशोधन अधिनियम के पारित होने पर हम कार्यवाही कर सकेंगे । फिर भी मैं कुछ तथ्यों के बारे में, जिनकी मुझे जानकारी है, कुछ माननीय सदस्यों का समर्थन करना चाहूंगा । वर्ष 1979 से 1983 की अवधि के दौरान निदेशक, (निरीक्षण और गुणता नियन्त्रण) की स्वीकृत से दोषी निर्यातकों के विरुद्ध 33 से अधिक शिकायतें न्यायालय में दर्ज की गई थीं और जुर्माना भी किया गया था । चार को बरखास्त कर दिया गया और कुछ मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं । एक मामले में केरल के उच्च न्यायालय में अपील दायर की गई है ।

मेरे विचार से उन्होंने भी बताया और श्री राजेश कुमार सिंह ने भी इटली को निर्यात की गई लगभग 60 रु० के मूल्य की घटिया स्तर की चप्पलों के निरीक्षण के बारे में ध्यान आकर्षित किया था। जब कि यह सच है कि इटली की फर्म से एक शिकायत प्राप्त हुई थी परन्तु जैसे ही यह शिकायत प्राप्त हुई, सरकार ने यह मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिया था। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने मामले की और उन्होंने निर्यातक और निरीक्षण अधिकारी के विरुद्ध मुकदमा शुरू कर दिया। अत: हमें जब भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं, हमने दोषी निर्यातकों और अपराधी अधिकारियों के विरुद्ध तुरन्त कार्रवाही की है।

अधिकारियों के बारे में भी मेरे पास कुछ आंकड़े हैं। वर्ष 1979-83 की अवधि के दौरान जब कि छः अधिकारियों के विरुद्ध मुकदमा चलाया गया है। एक को दण्ड दिया गया है, और पांच के विरुद्ध मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं और एक मामले में केरल के उच्च न्यायालय में अपील दायर की गई है।

इसके अतिरिक्त, अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही भी की गई है। निदेशक द्वारा 12 अधिकारियों को सेवा से हटा दिया गया है, 9 अधिकारियों को विभाग की ओर से दंड दिया गया है। 21 अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय जांच जारी है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो संयुक्त निदेशक पद के दो अधिकारियों के संबंध में जिनके पास अपनी आय के अनुपात से कहीं अधिक आस्तियां हैं, जांच पड़ताल कर रहा है।

केवल इतना ही नहीं, अधिकारियों पर निगरानी रखने के लिए बम्बई, कोचीन, कलकत्ता दिल्ली और मद्रास में निदेशक के कार्यालय में एक केन्द्रीय सैल कक्ष के साथ एक-एक निगरानी सैल भी स्थापित किया है। बम्बई, कोचीन, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास में निरीक्षण ऐजेन्सियों के मुख्यालयों में तकनीकी लेखा-परीक्षा कक्षों की भी स्थापना की गई है जो कि नौभरण पतन पर जांच किये जा चुके प्रेसित माल की पुन: जांच करने तथा यह पता लगाने के लिये जिम्मेदार हैं, कि क्या निरीक्षण के बाद निर्मातकर्त्ताओं द्वारा प्रेषित माल में कोई गड़बड़ी की गई है।

दूसरा प्रश्न निर्यात जाँच एजेन्सियों के कार्य निष्पादन के संबंध में पूछा गया था। एक माननीय सदस्य ने कहा कि यह शर्मनाक बात है कि आज तक केवल 5 एजेन्सियां बनाई गई हैं। यह सच नहीं है। जबकि निर्यात जाँच परिषद की स्थापना केन्द्रीय सरकार द्वारा जनवरी, 1966 में की गई सरकार द्वारा 1.2.1966 को पांच एजेन्सियां बम्बई, कलकत्ता, कोचीन, मद्रास, और दिल्ली में स्थापित की गई, इन एजेन्सियों के पूरे देश में 62 उप-कार्यालय हैं जिनमें कुल 2140 व्यक्ति काम कर रहे हैं, इसमें तकनीशियन भी शामिल हैं। निदेशक, निरीक्षक और गुणता नियंत्रण पदों की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा समूचे प्रशासन और किस्म नियंत्रण तथा नदान-पूर्व निरीक्षण योजनाओं के पर्यवेक्षण को ध्यान में रखकर की जाती है। यहां प्रोफैसर चक्रवर्ती ने एक विशेष मामले का जिक्र किया है और वह जानना चाहते हैं कि क्या निदेशक तकनीकी अथवा गैर तकनीकी व्यक्ति हैं क्या उसकी नियुक्ति नियमों और विनियमों

के अधीन की गई है। प्रत्येक पहलू की जांच की गई है। निदेशक के पद पर नियुक्ति तथा वर्तमान पदधारी स्थायीकरण के मामले में नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ था। अतः माननीय सदस्य का दृष्टिकोण सही नहीं है।

मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा 1982 में निर्यात निरीक्षण परिषद और निर्यात निरीक्षण ऐजेन्सियों के कार्यकरण की आलोचनात्मक समीक्षा की जा चुकी है। समिति की सिफारिश पर निरीक्षण मानकों, निर्माताओं और निर्यातकर्त्ताओं विशेषकर लघु क्षेत्रों में, के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आधुनिक बनाने तथा उनका स्तर ऊंचा उठाने, उद्योगों में वस्तु की किस्म का स्तर ऊंचा उठाने, उसकी किस्म के विरुद्ध शिकायतों का विश्लेषण करने, किस्म पर नियन्त्रण के लिए आधुनिक धारणाओं तथा तकनीकों को लागू करने जन संचार साधनों का भारतीय उत्पादों के स्तर को प्रक्षेपित करने और अंतत: स्तर बढ़ाने तथा निर्यातकों में चेतना जगाने के लिए कई उपाय किये गए हैं। इस उद्देश्य के लिए किस्म विकास कक्ष की पहले ही मद्रास में स्थापना की जा चुकी है।

सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि निर्यात जाँच परिषद और एजेन्सियों के कार्यों में सुधार होने से, इन एजेन्सियों द्वारा प्रेषित माल की किस्म संबंधी शिकायतों में बहुत कमी आई है। एजेन्सियों द्वारा प्रति वर्ष औसतन 2.5 लाख प्रेषक वस्तुओं की जांच की जाती है। जबकि 1979-80 के दौरान 312 शिकायतें प्राप्त हुई थी, अप्रैल, दिसम्बर, 1983 के दौरान यह संख्या कम होकर 63 तक पहुंच गई है। जांच पड़ताल करने, गलत काम करने वाले निर्यातकों और अधिकारियों के विरुद्ध उपयुक्त कार्यवाही करने, और साथ ही ऐसी शिकायतों को रोकने के लिए आवश्यक सुधार करने के लिए बम्बई, कलकत्ता, कोचीन, दिल्ली और मद्रास में संबंधित प्रदेश के आयात-निर्यात के संयुक्त मुख्य नियंत्रक की अध्यक्षता में किस्म जांच कक्षों की स्थापना की गई है।

अत: सामान्य रूप से मैंने इन महत्वपूर्ण मुद्दों को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है। इनके अतिरिक्त कुछ छोटे-छोटे मुद्दे भी हैं, जो कि तथ्य नहीं है और जिनके बारे में मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैं उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा। सत्यसाधन बाबू यहां उपस्थित नहीं हैं। उनका बड़ा आरोप यह था कि हम 100 लाख किलो ग्राम दार्जिलिंग चाय का उत्पादन कर रहे हैं—जो कि सच है—हम करीब 400-440 लाख किलो ग्राम चाय निर्यात कर रहे हैं। हमारा दार्जिलिंग चाय का वार्षिक उत्पादन औसतन 120 लाख किलो ग्राम है। और इसमें से कम केवल करीब 80% अर्थात करीब 100 लाख किलो ग्राम चाय निर्यात करते हैं। अत: यह कहना निश्चित रूप से गलत है कि हम उत्पादन से अधिक दार्जिलिंग चाय निर्यात कर रहे हैं। तथापि, अधिकांशत: दार्जिलिंग चाय की बहुत अधिक मात्रा अमिश्रित रूप में भारत से निर्यात की जाती है। श्री चक्रवर्ती की यह जानने में रुचि होगी कि यह कैसे हो रहा है। ऐसा हो रहा है, मैं इससे इंकार नहीं करता, लेकिन यह कैसे हो रहा है, आपको भी यह पता होना चाहिये।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : आप जानते हैं किन्तु आपको कार्यवाही करनी पड़ती है-वह कठिनाई है। आप जानते हैं, मैं जानता हूं लेकिन मैं कार्यवाही नहीं कर सकता, कार्यवाही आपको करनी है।

श्री निहार रंजन लास्कर : आप प्रतिष्ठित वकील हैं, आप मेरी सहायता कीजिए ...(व्यवधान)...।

श्री सोमनाथ चटर्जी : जब मैं जांच कराने के लिए विशेषकर दूसरे सरकारी क्षेत्र उपक्रम के बारे में कुछ कहता हूं, तो वह कहते हैं कि इसमें कोई त्रुटि नहीं पाई गई। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे कोई अवसर नहीं दिया गया। और जांच किसने की ? प्रबंधकों के विरुद्ध आरोप लगाये गये थे। मैंने आरोप लगाये थे कि उनसे उनके आचरण के संबंध में पूछा जाए। उन्होंने कहा वह निर्दोष हैं और मंत्री महोदय ने मुझे कह दिया कि वह निर्दोष हैं।

श्री निहार रंजन लास्कर : मैंने इसकी जांच की जब आप मुझे लिख भेजते हैं, उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। मैं इसकी जांच करूंगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं पहले ही आपको एक लंबा पत्र लिख चुका हूं।

श्री निहार रंजन लास्कर : मैं यह बता रहा था कि दार्जिलिंग की चाय ने अपनी अनोखी सुगंधता के कारण 'चाय की रानी' के रूप में विश्व ख्याति प्राप्त की है। इस तथ्य के कारण कि हमारी दार्जिलिंग की चाय पैक करके विदेशों में भेज दी जाती है, हमारा इस पर कोई नियन्त्रण नहीं है कि अन्य चाय की पतियों में दार्जिलिंग चाय का कितना प्रतिशत मिलाया जाता है। अतः हम इसे अमिश्रित रूप में ही भेज देते हैं और वहां के लोग स्वयं इस में अन्य चाय मिला लेते हैं। उसमें दार्जिलिंग चाय कितनी है हमें वह जानकारी भी नहीं है। यह सच है कि आज अंतर्राष्ट्रीय मंडी में दार्जिलिंग चाय कई नामों से बेची जाती है जिसमें दार्जिलिंग चाय की मात्रा बहुत कम होती है-उसकी प्रतिशतता उपभोक्ता पैकेटों पर नहीं लिखी जाती। अतः अंतर्राष्ट्रीय चाय व्यापार में सब लोग जानते हैं कि दार्जिलिंग चाय के नाम से बेची जाने वाली सब तरह की चाय भारत में उत्पादित दार्जिलिंग चाय की किस्म से बहुत आगे बढ़ गई है।

इस स्थिति को रोकने के लिए, हम यह सुनिश्चित करने का प्रयत्न कर रहे हैं कि दार्जिलिंग चाय का कुल उत्पादन यथा संभव मूल्य और गुणवत्ता की दृष्टि से ही अर्थात टी पैकटों, टी० कैडीज आदि में निर्यात किया जाना चाहिए। एक मात्र विकल्प यही है। इससे शुद्ध दार्जिलिंग चाय को अन्य निम्न कोटि की चाय के मिलाकर दार्जिलिंग चाय के नाम से बेचे जाने को रोका जा सकेगा। दार्जिलिंग चाय की विपणन नीति की योजना बनाने तथा उत्पादकों को अधिकतम मूल्य वसूली को सुनिश्चित करने और दार्जिलिंग चाय की अनोखी किस्म को सुरक्षित बनाये रखने के लिए हाल ही में चाय बोर्ड के अन्तर्गत दार्जिलिंग क्षेत्र के चाय

उत्पादकों की एक विपणन समिति गठित की गई है। इसी कारण यह प्रश्न ही नहीं उठता कि भारत किसी तरह गैर दार्जिलिंग चाय को दार्जिलिंग चाय के रूप में बेचने का प्रयास कर रहा है। माननीय सदस्य ने यह एक दम गलत बयान दिया है।

अब महोदय, श्री चक्रवर्ती ने बासमती चावल के बारे में यह जिक्र किया है कि हम देश में जितना चावल उत्पादित कर रहे हैं उससे अधिक निर्यात कर रहे हैं। यह सच नहीं है। बासमती चावल का उत्पादन हमारे देश में मुख्यत: हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में किया जाता है और इसकी मात्रा केवल 2-5-3 लाख टन के करीब है।

बासमती चावल का निर्यात खुले सामान्य लाइसेन्स पर होता है और पिछले कुछ वर्षों में किये गये निर्यात का विवरण इस प्रकार है :—

1976-77 में 20,800 टन, 1977-78 में 10,000 टन, 1978-79 में 67,100 टन, 1979-80 में 470,00 टन और 1980-81 में 1 लाख 37,000 टन चावल निर्यात किया गया। 1981-82 में मैंने देखा कि निर्यात तीन लाख टन से कुछ अधिक हुआ है। अत: देखा जा सकता है कि अनुमानित उत्पादन से अधिक निर्यात नहीं किया जाता। केवल वर्ष 1981-82 में निर्यात की मात्रा अधिक रही है जबकि हमारे यहां पिछले वर्षों में कम मात्रा में निर्यात किये जाने के कारण निर्यात के लिए बासमती चावल का भंडारण काफी मात्रा में उपलब्ध था। लेकिन इन सब बातों को देखते हुए हमने अब कार्यवाही की है (व्यवधान)··· मैं तो कहूंगा कि जब भी हमें शिकायत मिली है, हमने कार्यवाही की है।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : मेरा चार्ज था कि बासमति चावल के बदले परमल चावल को बासमती कहकर भेजा गया था। यह ठीक है या नहीं ? अमेरिका में माल भेजा गया वह लौटा दिया गया, चप्पल और तम्बाकू भेजा गया, और वह लौटा दिया गया।

आपके पास फाउंड आर्डर करने की एजेन्सी है आप क्यों नहीं पता करते ?

श्री निहार रंजन लास्कर : हम जो कुछ कहते हैं, तथ्यों के आधार पर कहते हैं। जहां तक इन शिकायतों का सम्बन्ध है, हमें कुछ भी नहीं मिला है। परन्तु हमने अब सारी प्रणाली बदल दी है। हमने कहा है कि आज से केवल सरकारी एजेन्सी इसका निरीक्षण करेगी। पहले इन लोगों के सुझाव पर, जो यह चावल आयात कर रहे थे, प्रमाणित करने के लिए कुछ गैर-सरकारी एजेन्सियां थी। लेकिन अब हमने इसे समाप्त कर दिया है और केवल सरकारी एजेंसी इसे प्रमाणित करेगी।

अब मै कुछ शब्द इलायची और अन्य वस्तुओं के बारे में कहूंगा। वास्तव में यह विषय इस चर्चा के अन्तर्गत नहीं आता लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि हमने यह सुनिश्चित करने के लिए

कदम उठाए हैं कि ऐसी स्थिति फिर पैदा न हो । इसमें कोई सन्देह नहीं कि सूखे के कारण उत्पादन कम हो रहा था लेकिन अब हम यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रहे हैं कि उत्पादन में वृद्धि हो ।

मेरे विचार से यही मुद्दे उठाए गए थे और मैंने उन सबका उत्तर देने का प्रयास किया है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963, में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए । "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय : सदन अब विधेयक पर खंडवार विचार प्रारम्भ करेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

कि खंड 2 से 9 विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 2 से 9 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

उपाध्यक्ष महोदय : खंड 1 में सरकारी संशोधन है ।

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 1, पंक्ति 4 —

"1983" के स्थान पर

"1984" प्रतिस्थापित किया जाए । (2)

(श्री निहार रंजन लास्कर)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 1 संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 1, पंक्ति 1 —

"चौंतीसवें" के स्थान पर

"पैंतीसवें" प्रतिस्थापित किया जाए। (1)

(श्री निहार रंजन लास्कर)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

विधेयक का नाम

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री निहार रंजन लास्कर : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय, : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

———

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (संशोधन) विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम अगले मद पर चर्चा प्रारम्भ करते हैं—एकाधिकार तथा अवरोधक व्यवहार (संशोधन) विधेयक ।

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : उपाध्यक्ष महोदय; मै प्रस्ताव करता हूं

> "कि एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 और कम्पनी अधिनियम, 19-6 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथोपारित पर, विचार किया जाए । "

महोदय, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम 1969, की कार्य-प्रणाली, जो संविधि संग्रह में 13 वर्षों से अधिक समय से चल रही है, का अब उच्च शक्ति प्राप्त विशेषज्ञ समिति द्वारा 197 -78 में समीक्षा की गई थी । इस समिति ने इस महत्वपूर्ण कानून के अच्छे कार्यकरण के लिए अनेक संशोधनों का सुझाव दिया । अप्रैल 1982 में, इस अधिनियम के कुछ उपबन्धों में संशोधन करने के लिए संक्षिप्त विधेयक पेश करते हुए, मैंने सदन को आश्वासन दिया था कि उच्च शक्ति विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के प्रकाश में और इन वर्षों में इस अधिनियम के कार्यकरण से प्राप्त अनुभव के प्रकाश में इस अधिनियम में संशोधन के लिए व्यापक विधेयक संसद में शीघ्र ही पेश किया जाएगा । इस आश्वासन की पूर्ति के लिए, यह विधेयक लाया जा रहा है जिसमें न केवल संवेन्द्रण तथा एकाधिकार से सम्बन्धी कानून के वर्तमान उपबन्धों में सुधार करने के लिए व्यवस्था की गई है अपितु एकाधिकार तथा अनुचित व्यापारिक व्यवहार को रोकने के लिए कुछ नये उपबन्धों को शामिल किया गया है जिसका उद्देश्य उपभोक्ता को अधिक संरक्षण देना है ।

इस विधेयक में प्रस्तावित संशोधन तथा अगस्त, 1982 में अधिनियम में किए गए संशोधनों से सामान्य अहितकारी अर्थव्यवस्था के संकेन्द्रण को रोकना तथा हमारे राष्ट्रीय उद्देश्यों और आकाक्षांओं के अनुरूप विकास को प्रोत्साहित करने के दो उद्देश्यों में सन्तुलन स्थापित करना है । अत: "उपक्रम' "अन्तर सम्बद्ध उपक्रम" "माल" "परिसम्पत्ति का मूल्य" आदि की परिभाषा में विचारात्मक विविधीकरण को अधिक स्पष्ट रूप से समाहित कर लिया गया है, इस विधेयक के उपबन्धों में से उपबन्धों की व्याख्या से उत्पन्न कुछ असंगतियों को दूर किया गया है 'उपक्रम' की वर्तमान परिभाषा यह है कि पूंजी निवेश करने वाली कम्पनी द्वारा नियंत्रित उपक्रम के सीमा क्षेत्र से बाहर है क्योंकि पूंजी निवेश करने वाली कम्पनियां, जैसे कि 'उपक्रम' की वर्तमान परिभाषा है, अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले उपक्रम नहीं है । इसी प्रकार, 'उपक्रम' की वर्तमान परिभाषा के सीमा क्षेत्र में नए उद्यम और उपक्रम नहीं आते जिनमें अस्थाई रूप से उत्पादन बन्द हो गया है । पुन: अनुभवों से पता चलता है कि किसी कम्पनी पर प्रभावी नियंत्रण इक्यटी शेयर पूंजी में एक तिहाई नियंत्रण, मतदान शक्ति अथवा कम्पनी के निर्देशक बोर्ड के

गठन द्वारा आसानी से किया जा सकता है। अनुभव से यह भी पता चला है कि अधिनियम में जो यह उपबन्ध है कि निर्देशक बोर्ड के गठन के नियंत्रण के आधार पर जो अन्तर सम्बन्ध स्थापित करने का प्रस्ताव है उसमें कम्पनी के कर्मचारियों को दूसरी कम्पनी के बोर्ड में निर्देशक के रूप में कार्य करने की अवहेलना की गई है। इस सम्बन्ध में अभीष्ट परिणामों की प्राप्ति के लिए विधेयक में आवश्यक उपबन्ध किये गये हैं। साथ ही यद्यपि यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि आधुनिकीकरण और वैज्ञानिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए, सरकार की स्वीकृति के बिना अत्यधिक विस्तार की अनुमति दी जानी चाहिए, इस सम्बन्ध में अधिनियम के खंड 21 (4) में जो आवश्यक उपबन्ध किया गया है उससे असीमित विस्तार की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए अत: आधुनिकीकरण के लिए कोई ऐसा प्रस्ताव जिससे उपक्रम के विद्यमान लाइसेंस क्षमता से 50 प्रतिशत से अधिक की लाइसेंस क्षमता का विस्तार किया जाता है अब अधिनियम के विनियामक उपबन्धों के अन्तर्गत रहेंगे, आधुनिकीकरण द्वारा किया जाने वाला विस्तार विद्यमान लाइसेंस क्षमता के 25 प्रतिशत तक ही सीमित रहेगा।

विधेयक में जो महत्वपूर्ण कानूनी उपबन्ध का प्रस्ताव है, वह एकाधिकारी घरानों अथवा उनके सहयोगियों द्वारा कम्पनियों के अधिग्रहण सम्बन्धी है। इस नए उपबन्ध का अत्यधिक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह अधिग्रहण एक लोकप्रिय रूप में समझा जाना चाहिए जैसा कि हम सभी समझते हैं, न कि किसी विशेष तकनीकी रूप में समझा जाना चाहिए। खण्ड 23(4) के विद्यमान उपबन्ध की जो कि अधिग्रहण सम्बन्धी है, उच्चतम न्यायालय द्वारा इस प्रकार व्याख्या की गई है कि चाहे कम्पनी के पूरी शेयर पूंजी का एकाधिकारी घरानों द्वारा अर्जन कर लिया भी जाए, तब भी उस कम्पनी के जिसके शेयरों का अर्जन किया गया है, उपक्रमों का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। विधेयक में केवल यही स्पष्ट नहीं किया गया कि कम्पनी के शेयरों के कुछ प्रतिशत का अर्जन कम्पनी के उपक्रमों के अधिग्रहण के बराबर होगा, अपितु अध्याय 3 (क) में अन्य नये उपबन्ध भी किये गये हैं जो कि एकाधिकारी घरानों और उनके सहयोगियों द्वारा शेयरों के अर्जन तथा हस्तांतरण से सम्बन्धित है।

इसमें शक नहीं है कि कम्पनी अधिनियम में इसी प्रकार के उपबन्ध पहले से ही विद्यमान हैं। पर इसमें एक आवश्यक भिन्नता है। जब तक वह कम्पनी जिसके शेयरों का अर्जन अथवा हस्तांतरण किया गया है, वह एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार कम्पनी नहीं है तब तक उस पर कम्पनी अधिनियम के उपबन्ध लागू नहीं होते। कानून में तर्क संगत रूप से यह व्यवस्था की जानी चाहिए कि किसी भी कम्पनी के चाहे वह एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार के अन्तर्गत हो अथवा न हो, शेयरों के अर्जन पर तब तक प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिए। जब तक कि शेयरों के हस्तांतरण कर्त्ता और अर्जन कर्त्ता एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार कम्पनियों अथवा उनके जहां कानून में यह व्यवस्था होनी चाहिए कि शेयरों का कोई अर्जन अथवा हस्तांतरण जो कि आर्थिक शक्ति के संकेन्द्रण से सम्बन्धित है, को अवश्य ही विनियमित किया जाना चाहिए। अत: मैं इस विधेयक के प्रावधानों द्वारा प्रस्ताव करता

हूं कि कम्पनी अधिनियम, 1956 के खण्ड 108 क से 108 ज के विद्यमान उपबन्धों को हटा दिया जाए और इस अधिनियम के कुछ मिलते जुलते उपबन्धों को किया जाए, जो कि इन उपबन्धों के लिए उपयुक्त स्थान हैं। इस समय, कम्पनी अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार यद्यपि एक ओर एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार कम्पनी के 25 प्रतिशत अथवा अधिक शेयरों का किसी ऐसी ऐजेन्सी के द्वारा अर्जन के लिए जिसका एकाधिकारी घरों से कोई सम्बन्ध नहीं है, सरकार की स्वीकृति की आवश्यकता है, दूसरी ओर विद्यमान कानून में एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार कम्पनी पर अन्य दूसरी कम्पनी के शेयरों के अर्जन और अपनी आर्थिक शक्ति को बढ़ाने में कोई प्रतिबन्ध नहीं है। विधेयक में प्रस्तावित उपबन्धों में इस असामान्य स्थिति को ठीक करने की व्यवस्था की गई है।

जैसा कि मैंने पहले ही संकेत किया है विधेयक का उद्देश्य विद्यमान कमियों को समाप्त करना तथा सर्वांगीण विकास को प्रोत्साहित करना है। कानून के अनुसार, किसी उपक्रम को एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार उपक्रम तभी कहा जा सकता है यदि उसकी परिसम्पति 20 करोड़ रुपये से अधिक हो अथवा यदि इसकी परिसम्पति केवल 1 करोड़ रुपए अथवा उसके अधिक हो और उसका किसी भी उत्पादन के सम्बन्ध में उत्पादन अथवा क्षमता पर 25 प्रतिशत नियंत्रण हो। एम० आर० टी० पी० द्वारा नये उपक्रम की स्थापना से उसकी परिसम्पति के मूल्य में वृद्धि से आर्थिक शक्ति का संकेन्द्रण होगा। उत्तरवर्ती द्वारा नए उपक्रम की स्थापना से अर्थव्यवस्था में अधिकांश शेयरों के बढ़ाने से आर्थिक शक्ति का संकेन्द्रण तब तक नहीं हो सकता जब तक कि उसके द्वारा प्रभुत्व प्राप्त उत्पादन अथवा वर्तमान क्षमता को बढ़ाया नहीं जाता। इसलिए नए उपक्रम की स्थापना पर प्रतिबन्ध को प्रमुख उपक्रमों पर लागू नहीं किया जाना चाहिए जहां तक कि नये उपक्रम ऐसी वस्तुओं का निर्माण करें जिसमें उनको प्रभुत्व प्राप्त है। इससे विविधता को प्रोत्साहन मिलेगा और यही अभीष्ट उद्देश्य है। दूसरी ओर, यह भी सुनिश्चित होना चाहिए कि प्रमुख उपक्रमों को छोड़कर किसी भी एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार उपक्रम द्वारा नई वस्तु बनाये जाने के प्रस्ताव पर केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति लेनी आवश्यक होनी चाहिए। नई वस्तु किसी भिन्न स्थान पर बनाये जाने की आवश्यकता नहीं है। चाहे उस वस्तु का निर्माण उसी उपक्रम में भी किया जाये, फिर भी केन्द्रीय सरकार द्वारा पूर्व स्वीकृति ली जानी चाहिए।

विधेयक में समाविष्ट एक महत्वपूर्ण उपबन्ध अनुचित व्यापार व्यावहार से सम्बन्धित है। इन प्रक्रियाओं के विनियमन के लिए कोई विशेष उपबन्ध नहीं हैं। जबकि प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाएं मुख्यतः द्विपक्षी होती हैं, करारों के द्वारा चलती हैं, अनुचित व्यापार प्रक्रियाएं एक-पक्षीय होती हैं. जैसे भ्रामक विज्ञापन, सौदेबाजी द्वारा बिक्री, जमाखोरी और वस्तुओं को नष्ट करना इत्यादि; लेकिन इन दोनों में यह समानता है कि अवरोधक तथा अनुचित व्यापार प्रक्रियाओं दोनों का प्रतिस्पर्द्धा पर प्रभाव पड़ता है।

कपटपूर्ण और अनुचित व्यापारिक प्रक्रियाओं से प्रतियोगिता में अड़चन पैदा होती है और बाधा पड़ती है और इसके द्वारा उपभोक्ता पर उसी प्रकार से अनुचित मूल्य और भार थोपा जाता है जिस तरह प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रक्रियाएं भी प्रतियोगिता में अड़चन पैदा करती है और उपभोक्ता पर भार थोपती हैं। किन्तु इन प्रक्रियाओं का विनियमन करने वाले विशेष उपबन्धों के न होने के कारण इनको प्रभावपूर्ण तरीके से निबटना बहुत कठिन है। इन प्रक्रियाओं का विनियमन करने के लिए विश्व के अन्य देशों में कानून काफी लम्बे अरसे से लाग् हैं और वे अनैतिक प्रक्रियाओं के आक्रमण से उपभोक्ता की सुरक्षा करने में काफी प्रभावी सिद्ध हुए हैं। उच्च शक्ति प्राप्त विशेषज्ञ समिति ने तो यह भी सुझाव दिया है कि इन प्रक्रियाओं को तुरन्त गैर-कानूनी घोषित कर दिया जाए और यदि कोई व्यक्ति ऐसी प्रक्रियाओं को अपनाता है तो उस पर मुकदमा चलाया जाए। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि ये कुछ नए उपबन्ध हैं और इस विशाल देश के कोने-कोने में उल्लंघनों का पता लगाने के लिए प्रशासनिक तन्त्र को सक्रिय करना होगा, इसलिए यह महसूस किया गया है कि कम से कम अभी तो यह पर्याप्त होगा यदि इन प्रक्रियाओं का विनियमन निषेधात्मक आदेशों, तथा उपभोक्ता को हुई क्षति अथवा हानि का मुआवजा देने के संबंध में आदेशों द्वारा किया जाये और यदि इन निषेधात्सक आदेशों का उल्लंघन किया जाता है तो कैद के रूप में दण्ड दिया जाये। सरकार सहित किसी भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के वर्ग द्वारा अपनाये गये किसी भी अनुचित व्यापारिक व्यवहार से हुई क्षति अथवा हानि का मुआवजा देने के लिए विधेयक में प्रस्तावित उपबन्ध अन्य दो एक जैसे व्यवहारों अर्थात अवरोधक व्यापारिक व्यवहारों तथा एकाधिकार वादी व्यापारिक व्यावहारों पर भी सामान रूप से लागू होंगे।

महोदय, मैं अन्त में यह खुशी की बात बताना चाहता हूं कि इन संशोधनों का ध्येय विकास वृद्धि के उद्देश्य और इसके साथ-साथ सबको नुकसान पहुंचाने वाली आर्थिक शक्ति के केन्द्रीकरण को रोकने के उद्देश्य के बीच संतुलन पैदा करना है और इन संशोधनों को पुरः स्थापित करने के लिये सरकार के दृष्टिकोण का राज्य सभा के लगभग सभी सदस्यों ने स्वागत किया था जब उन्होंने इस विधेयक पर विचार किया था और इसे पिछले महीनों की 26 तारीख को पारित किया था। मुझे विश्वास है कि यहां पर उपस्थित माननीय सदस्यगण भी विधेयक के उपबन्धों का उसी प्रकार से स्वागत करेंगे जैसे कि इनका स्वागत राज्य सभा में किया गया था और यह विधेयक निर्विरोध पारित किया जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ;

> "कि एकाधिकार तथा अवरोधक व्यवहार अधिनियम, 1969 और कम्पनी अधिनियम, 1956 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाये।"

प्रो. मधु दण्डवते चर्चा आरम्भ करें।

प्रो. मधु दण्डवते (राजापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री इस अर्थ में बिल्कुल सही हैं कि यह संशोधन विधेयक प्रस्ताव वास्तव में उन विभिन्न वर्गों की मांग के बारे में बताया है जो आर्थिक शक्ति के केन्द्रीकरण के विरुद्ध हैं और जो इस देश में एकाधिकार की बेड़ियों को तोड़ना चाहते हैं और जो यह भी चाहते हैं कि वर्तमान एम. आर. टी. पी. अधिनियम में कुछ और संशोधन और परिवर्तन किये जाएं ताकि इसमें बचाव की कुछ खामियों को पूरी तरह से बन्द कर दिया जाए।

जहां तक इस संशोधन विधेयक का संबंध है वास्तव में, कई बातों पर ध्यान देने के बाद इस विधेयक को तैयार किया गया। नम्बर एक तो यह कि एक प्रसिद्ध सच्चर समिति थी जिसने आर्थिक सत्ता के केन्द्रीकरण और एकाधिकार की सुदृढ़ता के सभी कारणों के बारे में गहन अध्ययन किया और इस सच्चर समिति ने ठोस सिफारिशें भी की हैं। इसके बाद यह कि इस समय पर विद्यमान एम. आर. टी. पी. अधिनियम के कार्यकरण के बारे में हमारा 10 वर्ष से भी अधिक का अनुभव है। इसके बाद यह कि कुछ महत्वपूर्ण न्यायिक उद्घोषणाएं भी की गई हैं। उनके द्वारा भी वर्तमान कानून में बचाव की खामियों के संकेत मिले हैं। अन्तिम बात बहुत महत्वपूर्ण है जिसके बारे में ठीक तरह से ध्यान नहीं दिया गया है। यह नहीं कि इसको बिल्कुल छोड़ दिया गया है किन्तु इस पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। और वह बात है उपभोक्ता की सुरक्षा जिस पर अवश्य ही ध्यान देना होगा। इन सब बातों के फलस्वरूप सरकार ने यह आवश्यक समझा कि एक संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया, जाए और इसमें कोई शक नहीं है कि इस विधेयक में सच्चर समिति की कुछ सिफारिशें दिखाई देती हैं। परन्तु सच्चर समिति के कुछ मूल विचार इस संशोधन विधेयक में बिल्कुल गायब हैं।

वास्तव में, मैं सबसे पहले माननीय मन्त्री से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि हम आयोग के संपूर्ण तंत्र में सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप वर्तमान एम.आर.टी.पी. अधिनियम में बचाव की खामियों को बन्द करना चाहते हैं, और इस विषय पर विशेषज्ञ समिति की रिपार्ट के बाद जब मूल परिवर्तन करने ही हैं तो यह आवश्यक है और यह ज्यादा अच्छा होगा कि सभा में विधेयक को जल्दी-जल्दी पढने की बजाय संपूर्ण विधेयक को संयुक्त प्रवर समिति के पास भेज दिया जाये। वास्तव में यह मेरा पक्का दृष्टिकोण रहा है और इस अवसर पर मैं यहां इसे फिर दोहराना चाहता हूं। जहां तक धन विधेयकों, वित्त विधेयकों और एम.आर.टी.पी. संशोधन विधेयक जैसे विधेयकों का संबंध है। इनके लिये यह हमेशा के लिये अच्छा होगा कि संयुक्त प्रवर समिति द्वारा इन विधेयकों के प्रत्येक पहलू की उचित जांच की जाये। वास्तव में मैंने जोरदार अनुरोध किया था कि एक स्थायी वित्त समिति होनी चाहिए जिसे, वस्तुता सभी प्रकार के विधेयकों को भेजना चाहिए चाहे वे धन विधेयक हों अथवा बजट प्रस्तावों से उत्पन्न होने वाले विधेयक हों। और ये विधेयक जब समिति द्वारा पर्याप्त और व्यापक जांच के बाद सभा में वापस आएंगे तो, मेरे विचार से ऐसे विधेयक प्रभावपूर्ण होंगे।

सौभाग्यवश, मैं पांचवीं लोक सभा के दौरान कम्पनी विधि संशोधन संयुक्त समिति का सदस्य था, और वैसे मेरे किसी भी संशोधन को इस सभा में अनुमोदन नहीं प्राप्त हुआ, किन्तु कम्पनी विधि संशोधन समिति ने मेरे बहुत से संशोधनों को लागू किया क्योंकि कम्पनी स्तर पर तो केवल गुणावगुणों के आधार पर और बिना किसी पक्षपाती विचार के अपने विशेष दृष्टिकोण को ही प्रस्तुत करना होता है। आमतौर पर समिति में इन संशोधनों की उचित सुनवाई हो जाती है और उन्हें कुछ-कुछ अपना भी लिया जाता है, लेकिन इस सभा में ऐसा नहीं होता। कई बार तो ऐसा भी होता है कि जब आप संशोधन को मतदान के लिये प्रस्तुत करते हैं तथा ये संशोधन सत्तारुढ़ पार्टी के होते हैं, और यदि सत्तारुढ़ पार्टी के सदस्य बहुत ध्यान न दे रहे हों कि यह किसका संशोधन है, तो कभी-कभी उनमें से कई सदस्य 'न' इसलिए कह देते हैं क्योंकि वे निश्चित रूप से मान लेते हैं कि संशोधन विपक्ष द्वारा प्रस्तावित हुए होंगे और सत्तारुढ़ पार्टी द्वारा उसको विफल किया ही जाना है। इस प्रकार से इस सभा में संशोधनों के विरुद्ध एक मनो धारणा सी बनी हुई है। ऐसी स्थिति में यदि इन सभी वित्तीय तथा कम्पनी विधि मामलों और आर्थिक शक्ति के केन्द्रीयकरण अथवा एकाधिकार अथवा व्यापारिक व्यवहारों से संबंधित मामलों को ऐसी संयुक्त समिति को भेजा जाये तो उनकी उचित जांच हो जायेगी, जो, शायद, इस सभा में वाद-विवाद स्तर पर संभव नहीं है, वह संयुक्त प्रवर समिति के जांच स्तर पर सम्भव हो जायेगा। इस दृष्टि से मैं सबसे पहले एक रचनात्मक प्रस्ताव देना चाहता हूं कि संपूर्ण संशोधन विधेयक को संयुक्त प्रवर समिति को भेज दिया जाये और उचित जांच के बाद जब लगभग सभी विवादास्पद मुद्दों का सौहार्दपूर्ण ढंग से हल हो जायेगा तो उसके बाद यदि विधेयक फिर से सभा में आता है तो मेरे विचार से वह विशेष विधेयक प्रभावपूर्ण होगा और बिलकुल कमजोर नहीं होगा।

एम. आर. टी. पी. अधिनियम के कुछ उपबन्धों के बारे में मुझे इस सभा में हुई एक बहुत ही रुचिकर घटना याद आ रही है। एम. आर. टी. पी. अधिनियम की धारा 62 के अनुसार यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि जब भी एम. आर. टी. पी. आयोग को मामले भेजे जायें और सरकार को एम. आर टी. पी. आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाये, चाहे वे प्रशासनिक मामले हों अथवा अलग-अलग रिपोर्टें, ऐसी रिपोर्टों को छः महीने के भीतर राज्य सभा और लोकसभा के दोनों सदनों में सभा पटल पर रखा जाये। पांचवीं लोकसभा में, एक विशेष मामले का अध्ययन करने में मेरी रुचि थी। मैं ग्रंथालय में गया और मुझे पता चला कि तत्कालीन विधि मंत्री ने काफी समय तक रिपोर्ट को सभा पटल पर ही नहीं रखा था। मैंने उनके विरुद्ध विशेषाधिकार सूचना दी। उन्होंने महान्यायवादी की सलाह मांगी और उन्होंने स्वयं इस सभा में उल्लेख किया कि "प्रो० मधु दंडवते द्वारा मेरे विरुद्ध इस विशेषाधिकार सूचना के बाद ही हमने महान्यायवादी से परामर्श किया और उन्होंने भी यह स्वीकार किया है कि पिछले कुछ वर्षों में जो कुछ हुआ है वह वस्तुतः एम. आर. टी. पी. अधिनियम के उपबंध 62 की अवहेलना है।" तब श्री एच आर. गोखले विधि न्याय और कंपनी कार्य मंत्री थे। उन्होंने बिना

शर्त के इस सभा को क्षमा याचनाएं कीं और क्योंकि हममें से कोई भी सत्तारूढ़ पार्टी के किसी विशेष सदस्य अथवा किसी मंत्री को नीचा नहीं दिखाना चाहता था, हमने तुरंत सत्तारुढ़ पार्टी की उस विशेष क्षमायाचना को स्वीकार कर लिया। और अब हम देखते हैं कि उस समय के बाद एकाधिकार और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम की धारा 62 का नियमनिष्ठा से ध्यान देने की प्रथा का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। यदि कोई सतर्क रहे तो इस अधिनियम के कुछ उपबंध जो वित्तीय दृष्टिकोण से बहुत ही आवश्यक हैं, प्रभावपूर्ण हो जायेंगे।

एम. आर. टी. पी. अधिनियम के कुछ उपबंधों को सुनिश्चित रूप से कार्यान्वित करने के लिये विशेषाधिकार के प्रश्न को उठाने के शैक्षिक अधिकार की दृष्टि से ही मैं इस पहलू पर बात नहीं कर रहा हूं। कुछ वित्तीय परिणाम हैं जो निकल आयेंगे, यदि एम. आर. टी. पी. अधिनियम के इस उपबंध 62 को प्रभाव पूर्ण ढंग से कार्यान्वित नहीं किया गया। उदाहरण के लिये टैरिफ आयोग की रिपोर्ट और एम. आर. टी. पी. आयोग की रिपोर्ट हैं। इनमें से कुछ रिपोर्टों को सरकार को पहले ही प्रस्तुत कर दिया गया है। यदि उन्हें सभा पटल पर न रखा गया तो उन रिपोर्टों पर कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता। इस बीच में संबंधित व्यापार घरानों तथा एकाधिकार घरानों को एम. आर. टी. पी. आयोग के निष्कर्षों के बारे में पता लग जाता है और वे इस तरह से हेरा-फेरी कर लेते हैं कि जब तक रिपोर्टों पर कार्यवाही आरम्भ हो, आप देखेंगे कि वे कानून की गिरफ्त से फिर बाहर निकल गये होंगे। ऐसा टैरिफ आयोग के मामले में, एम. आर. टी. पी. आयोग के मामले में, तथा कई अन्य आयोगों के मामले में हो सकता है। इसलिये हम जब भी सतर्कतापूर्ण प्रश्न उठाते हैं तो यह केवल हमारा शैक्षिक ढंग से अधिकार प्रयोग करने का प्रश्न नहीं है ताकि अधिनियम की विभिन्न धाराओं का उचित कार्यान्वियन हो, अपितु यदि इस अधिनियम का कोई उल्लंघन होता है तो कुछ वित्तीय परिणाम निकलते हैं जिनके फलस्वरूप देश की आर्थिक व्यवस्था को कुछ नुकसान पहुंचता है और यही कारण है कि हम इस पर जोर दे रहे हैं। यदि आज भी विपक्ष में से कोई वर्तमान विधेयक में कुछ बचाव की खामियों का उल्लेख करता है तो ऐसा वह यह सुनिश्चित करने की इच्छा से करता है कि एकाधिकारवादियों की अर्थव्यवस्था पर गलघोंटू पकड़ कमजोर पड़ जाये और जो अधिनियम आप बना रहे हैं, उसमें बचाव की खामियों से उन्हें कोई लाभ न लेने दिया जाये। ये व्यापार घराने और एकाधिकार घराने देश में इतनी कुशलता से और प्रभावपूर्ण ढंग से कार्य कर रहे हैं कि जैसे ही आप का मंत्रालय बचाव की खामियां बन्द करने के लिए कार्यवाही करता है, ये भी एक विशेषज्ञ दल का साथ ही में गठन करते हैं और यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि क्या उन बचाव की खामियों को बन्द करने के बाद भी कोई और बचाव की खामियां बची हैं। वे अपनी नीतियों को व्यवस्थित करते हैं और इस ढंग से कार्य कर रहे हैं कि वे बचाव के नये रास्ते खोज सकें जबकि आपने बचाव के पुराने रास्तों को बन्द कर दिया है। अतः वे उसके बारे में बहुत सचेत हैं। अपनी जिम्मेदारियों के प्रति हमें भी सचेत होना है, और यही कारण है कि मैं कुछ मुद्दे उठाना चाहूंगा।

सबसे पहले मुझे एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग को भेजे जाने वाले विभिन्न मामलों के संबंध में प्रश्न उठाने की अनुमति दी जाये। आप पिछले कई वर्षों के अनुभव को बड़े ध्यानपूर्वक देख सकते हैं। सब कुछ लेखबद्ध है। सौभाग्य से हमें सच्चर समिति रिपोर्ट से एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (एम आर टी पी) आयोग के कुछ सदस्यों के दृष्टिकोण का भी पता लगा है कि एम. आर. टी पी. आयोग के सदस्यों के नाते कार्य करते समय उन्हें किन कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। बहुत से व्यापारिक संघों से इस बात का भी पता लगा है कि एकाधिकार घरानों के बारे में उनकी क्या शिकायतें थीं, और उसके आधार पर उनसे कुछ अत्यन्त महत्वपूर्ण निष्कर्षों की प्राप्ति हुई हैं। एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग को मामले कैसे भेज दिये गये ? क्या इसके लिए कोई निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धांत तथा मानदण्ड हैं जिनके आधार पर मामले एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग को सीधे ही भेज दिये जाते हैं ? आपको पता लगेगा कि एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग को भेजे जाने वाले वैयक्तिक मामले भी दुर्भाग्य से सरकार के मनमाने विवेक पर छोड़ दिये जाते हैं जोकि सरकार की स्वविवेकीय शक्ति है। परिणाम स्वरूप, यदि सरकार कुछ मामलों में सुरक्षा करना चाहती है तो सरकार यह सुनिश्चत कर ले कि वे मामले एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग को बिल्कुल न भेजे जाएं। कई मामलों में ऐसा हुआ है। यह नहीं कि जो कुछ मैं कह रहा हूं वह काल्पनिक है। मेरे पास कम्पनियों और एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम पर उच्च शक्ति प्राप्त विशेषज्ञ समिति जिसकी अध्यक्षता श्री सच्चर ने की थी, की रिपोर्ट है। इसके पृष्ठ 250, पैरा 20.13 में बताया गया है कि :

> "जब कि प्रारम्भिक वर्षों में सरकार ने आयोग के पास बहुत थोड़े से मामले भेजे थे, आयोग को भेजे जाने वाले ऐसे मामलों की संख्या अन्तिम वर्षों में जाकर प्रायः कम हो गयी। इस प्रकार अधिनियम की धारा 21 और 22 के अंतर्गत जनवरी, 1974 और दिसम्बर, 1976 के बीच सरकार द्वारा अंतिम रूप से निपटाये गए 246 मामलों में से 227 मामले आयोग को भेजे बिना ही निपटा दिये गये और केवल 19 मामलों में सरकार ने अपना निर्णय आयोग से रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद दिया था। इन 19 मामलों में से 3 मामलों के लिए आयोग ने स्वीकार करने की सिफारिश की थी और ये सिफारिशें केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई थीं। बाकी 16 मामलों में, तीन प्रस्तावों को रद्द कर दिया गया और अन्य 13 मामलों में केन्द्रीय सरकार ने संशोधित शर्तों के अधीन अनुमोदन दे दिया।

सच्चर समिति जो कि एक विशेषज्ञ समिति है, ने विभिन्न व्यापारिक संगठनों और एकाधिकार घरानों और विभिन्न संस्थाओं के कार्यकरण के अनुभव के आधार पर गहन अध्ययन करके यह पता लगाया है कि विचाराधीन अवधि में वास्तविक रूप से उनके समक्ष रखे गये, 246 मामलों में से 227 मामले सरकार ने आयोग के परामर्श के बिना ही निपटा दिये थे और

केवल 19 मामले एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग को भेजे गये थे। अब यह इसलिये होता है क्योंकि सरकार हमेशा पक्षपात पूर्ण रवैया अपनाती है। मैं सरकार पर बिना बजह आरोप मढ़ना नहीं चाहता। किन्तु हमें अपने कानून में परिवर्तन लाना होगा और परिवर्तन इस ढंग से करना होगा कि चाहे सत्ता में श्री क हों अथवा श्री ख हों, चाहे कोई व्यक्ति व्यापारिक हितों के प्रति अपनी रुचि रखता हो अथवा कोई व्यक्ति पूरी तरह उनसे अलग हो, किसी भी मामले में हमेशा के लिये कुछ एजेन्सियों और कुछ विभागों पर व्यक्ति विशेष की विवेकाधीन शक्तियां नहीं होनी चाहिए जिससे कि एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के मूल उद्देश्य स्वतः ही व्यर्थ सिद्ध हो जांये। यही कारण है कि यह स्वविवेकीय शक्ति जो सरकार को एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग को मामले भेजने के लिए दी गई हैं, यह शक्ति अपने आप समाप्त हो जानी है। अतः निश्चित मार्गदर्शी सिद्धांत और मानदण्ड निर्धारित करने होंगे। यह निर्देश के बारे में है।

किन्तु उन रिपोर्टों के बारे में क्या स्थिति है जो कि आयोग को भेजे गये मामलों पर आयोग द्वारा पहले ही प्रस्तुत की जा चुकी हैं ? जहां तक आयोग का प्रश्न है, जो मामले स्पष्ट नहीं है उनकी बात छोड़ दीजिए, किन्तु सरकार अपनी स्वविवेकीय शक्तियों के प्रयोग के बाद मामलों की जांच के बाद, जब कुछ मामलों को एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग को भेजती है और एम. आर. टी. पी. आयोग सभी प्रकार की रिपोर्टें—प्रशासनिक रिपोर्टें तथा वैयक्तिक रिपोर्टें—भेजता है तो एम. आर. टी. पी. आयोग का अनुभव क्या है एकाधिकार घरानों का अनुभव क्या है और संसद का अनुभव क्या है ? इसके बाद हमें पता लगता है कि एम. आर. टी. पी. आयोग को मामलों की जांच करने की पूरी छूट है, उन्हें सिफारिश करने की पूरी छूट है किन्तु उन्हें इस बात पर आग्रह करने की कोई छूट नहीं है कि उनकी सिफारिशों का सख्ती से अनुसरण किया जाए और कार्यान्वित किया जाए। यहां फिर यह मामला सरकार के स्वविवेक पर छोड़ दिया जाता है। मुझे यह जानकर बड़ा खेद है कि संशोधन विधेयक में भी ऐसे कोई मानदण्ड सम्मिलित नहीं किये जा रहे हैं जिनके मानदण्डों के और मार्गदर्शी सिद्धांतों के आधार पर मामले एम. आर टी. पी. आयोग को स्वतः ही भेजे जा सकें और एम. आर. टी. पी. आयोग द्वारा जिन मामलों पर एक बार बिचार करने दिया जाए और सिफारिश कर दी जाये तो उसके बाद संशोधन विधेयक में ऐसा कोई उपबंध नहीं है कि जहां कुछ अपनाये गये मानदण्डों और सिद्धांतों के आधार पर जब ये रिपोर्ट और सिफारिशें आएं तो उन्हे रिपोर्ट में हेर फेर किये बिना सीधे ही कार्यान्वित किया जाये। एक यह भी सुरक्षा नहीं की गई है। यह दूसरी कमी है और यदि इस कमी को बनाये रखा जाये, तो मेरे विचार से यह अनर्थकारी होगा। इस बात को भी ध्यान में रखा जाये। दुर्भाग्य से हमारे पास एक ऐसी रिपोर्ट है जिसमें खतरे का संकेत दिया गया है। सच्चर समिति रिपोर्ट प्रवृत्ति का पता लगाने की कोशिश की है। एक प्रवृत्ति यह है कि एम. आर. टी. पी. आयोग से बचा जाय और एम. आर. टी. पी. आयोग द्वारा दी गई सिफारिशें कार्यान्वित न की जाये और इसके परिणाम एकाधिकार घरानों की परिसम्पति में वृद्धि होने देना है और आर्थिक केन्द्रीयकरण को स्थान देना है। इस घटना को बताते हुए रिपोर्ट के पृष्ठ 251 पारा 20.15 में बताया गया है कि : ...

"एकाधिकार आयोग ने इस प्रवृत्ति का पूर्वानुमान कर लिया था और इस मुद्दे को 1972 में संसद में प्रस्तुत की गई अपनी दूसरी वार्षिक प्रशासन रिपोर्ट में उठाया था। रिपोर्ट में कहा गया तथापि आयोग ने यह देखा कि अर्थ व्यवस्था के बहुत विस्तार और महत्व के कई मामले केन्द्र सरकार ने आयोग के पास भेजे बिना ही निपटा दिये थे .....किन्तु आयोग उस नीति को नहीं समझ पाया है जिसका इस संबंध में अनुसरण किया जा रहा है..... आयोग यह महसूस करता है कि उसमें कुछ असंगति है। कभी-कभी आयोग के पास ऐसे मामले भी भेज दिये जाते हैं जिनमें कोई बड़ी समस्या नहीं होती जब कि वे मामले, जिनमें प्रत्यक्षत: महत्वपूर्ण विचार होते हैं आयोग को नहीं भेजे जाते.....यह कहीं अधिक अच्छा होगा यदि सरकार द्वारा यह स्पष्ट मार्ग दर्शी सिद्धांत निर्धारित कर दिये जाएं कि मामले आयोग को भेजे जाने हैं अथवा नहीं।" कम्पनी कार्य विभाग ने इसका उत्तर वर्ष 1972 से 1974 तक की वार्षिक रिपोर्ट में आलोचना के द्वारा दिया था। उसने बताया कि अधिकांश मामलों पर बिना किसी आगे की जांच के निर्णय किया जा सकता है क्योंकि एम. आर. टी. पी. उपक्रमों द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन और सूचना सामान्यतया पूरी तरह सही पाये गये थे। और सरकार की संशोधित औद्योगिक नीति के अनुसार (नई औद्योगिक नीतियों वक्तव्य की घोषणा 2 फरवरी, 1973 को की गई थी जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह स्पष्ट किया गया था कि उद्योग बड़े घरानों के लिए हैं) यह आवश्यक नहीं समझा गया कि कोई मामला आयोग के पास भेजा जाए।"

2.00 म.प.

महोदय, यह वस्तुत: वह है जो हो रहा है। आगे कहा गया है कि :—

"प्राय: अधिकांश मामलों को आयोग के पास भेजे बिना स्वयं सरकार द्वारा उनके निपटान के चाहे जो भी कारण रहे हों, यह कल्पना नहीं की जा सकती कि, जब अधि-नियम में यह उपबंध किया गया था कि आयोग के पास मामले भेजने अथवा नहीं भेजे जाने का अधिकार केन्द्र सरकार को है ऐसी स्थिति में आयोग का प्राय: समस्त कार्य समाप्त हो जायेगा। अत: इसकी आलोचना यह है कि आयोग ने आर्थिक शक्ति के केन्द्रीयकरण से सम्बन्धित मामलों पर विचार करने की कोई भी प्रभावी भूमिका निभाना बन्द कर दिया है। क्योंकि धारा 21, 22 और 23 के अनुसार वह ऐसा नहीं कर सकता किन्तु उसे न्यायोचित कार्य करना है। निस्संदेह, इसके विपरीत, कभी-कभी यह कहा जाता है कि केन्द्र सरकार की ओर से बड़े घरानों द्वारा नये उपक्रमों के विस्तार अथवा उनकी स्थापना किये जाने का भारी प्रतिरोध किया जाता है। तथापि तथ्यों से पता चलता है कि इस सम्पूर्ण अवधि के दौरान बड़े व्यापारिक घरानों की परिसम्पत्ति में काफी वृद्धि होती रही है। एकाधिकार जांच आयोग ने अनुमान लगाया था कि वर्ष

1963-64 में गैर सरकारी और गैर-बैंकिंग कम्पनियों की परिसम्पत्तियां मोटे तौर पर 5,552.14 करोड़ रुपये की थीं। एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत बड़े 20 व्यापारिक घरानों के नवीनतम आंकड़ों से पता चलता है कि परिसम्पत्तियों का मूल्य वर्ष 1969 में 2,430.61 करोड़ रुपये था और वर्ष 1975 में बढ़कर 4,465.17 करोड़ रुपये हो गया है, वर्ष 1972 और 1975 के बीच परिसम्पत्तियों में वृद्धि का प्रतिशत 68.6 रहा है। मजे की बात यह है कि 1975 में 20 के इस ग्रुप के प्रथम दो बड़े औद्योगिक घरानों (अर्थात 10%) के पास 1,768.49 करोड़ रुपये की परिसम्पत्ति थी जो कि मोटे तौर के हिसाब से 20 बड़े औद्योगिक घरानों की कुल परिसम्पत्ति का 40% थी।"

महोदय, मैंने जानबूझ कर यह उद्धृत किया है। सच्चर समिति की सही रूप से क्या उपलब्धि है ? यह कोई ऐसी बात नहीं है जो सार्वजनिक स्थान पर कही गई है अथवा किसी कार्मिक संघों द्वारा कोई आलोचना की गई है। मैं आपको निष्कर्ष बता रहा हूं और इन्हें ध्यान में रखा जाना है। सच्चर समिति द्वारा कुछ निर्णायक सिफारिशें की गई हैं। वे चाहते थे कि मानदण्ड और मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित किये जाएं। दूसरे इस समय चाहे कोई विशेष मामला अध्याय के अंतर्गत उत्पन्न होता हो। उसे निर्णय के लिए एम. आर. टी पी, आयोग को भेजे जाने का फैसला सरकार करती है और 12 प्रतिशत से अधिक मामले स्वयं सरकार द्वारा निपटाए जाते हैं। सच्चर समिति ने सिफारिश की है कि एम.आर. टी. पी. आयोग की रिपोर्ट अंतिम मानी जाए। इसे एक विशेषज्ञ स्वायन्तशासी निकाय के रूप में माना जाए और अतः इसके द्वारा जो भी कहा जाए उसे सांविधिक प्रावधान का दर्जा दिया जाए। मैं उद्धृत करता हूं :

"एकाधिकार वादी व्यापार प्रक्रियाओं के मामले में भी यह अधिनियम, इस समय आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन करने और न करने का निर्णय सरकार पर छोड़ता है।

सच्चर समिति की सिफारिशें सरकार की स्वविवेकीय शक्ति का विरोध करती हैं।"

उन्होंने इस प्रकार की स्वविवेकीय शक्ति का विरोध किया है और मेरे विचार से उस हद तक कुछ संशोधन से हमें आवश्यक परिवर्तन लाने में मदद मिलेगी। तब परस्पर सम्बन्धों के बारे में निर्णय :

"इस प्रश्न का निर्णय सरकार द्वारा किया जाता है न कि आयोग द्वारा कि क्या कुछ एकक एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के सन्दर्भ में से परस्पर सम्बन्धित हैं।"

यह एक अच्छा मुद्दा है। यदि आप विवादग्रस्त कई मुद्दों के मामले में सरकार जो कि एक मात्र प्राधिकरण है को निर्णय लेने की अनुमति दें कि क्या उनके सरकार से पारस्परिक संबंध

हैं, अथवा नहीं हैं इस स्थिति में बहुत हेरा फेरी होती है । इसलिये, यह मामला एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक आयोग को सौंपा जाना चाहिए और उनके निर्णय को अंतिम माना जाए ।

अब मैं निर्णय करने की शक्तियों पर आता हूं :

"मामलों को हाथ में लेने के बारे में निर्णय लेने की शक्तियां आदि जिन्हें कम्पनी अधिनियम से एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम में अन्तरित किया जा रहा है, सरकार के अधिकार में रखा जा रहा है ।"

मेरे विचार से इस पर गौर किया जाना चाहिए । यहां मैं एक अन्य मुख्य सिफारिश का उल्लेख करूंगा अर्जन के बारे में सच्चर समिति ने निम्नलिखित कहा था :

पृष्ठ 254 – पैरा 20.24

धारा 23(4) में किसी उपक्रम का पूरे या उसके एक अंश की खरीद द्वारा या अर्जन द्वारा या किसी अन्य प्रकार से अधिग्रहण करने का प्रावधान है । यहां भी आयोग को संदर्भ केन्द्रीय सरकार के स्वनिर्णय से मिलते हैं । हम यह अनुभव करते हैं कि यह एक ऐसा क्षेत्र है, जहां कम से कम कुछ मामलों को आयोग जैसी, किसी विशेषज्ञ निकाय द्वारा किये जा रहे निष्पक्ष परीक्षण का लाभ प्राप्त होना चाहिये । तदनुसार हम यह सिफारिश करते हैं कि खरीद, अर्जन या किसी और प्रकार से अधिग्रहण करने के लिए आवेदन केन्द्रीय सरकार द्वारा निम्न-लिखित मामलों में अनिवार्य रूप से आयोग को भेजे जायेंगे और आयोग उनका निपटान करने में सक्षम होगा तथा उन विषयों पर अंतिम आदेशों की मंजूरी देगा :—

(i) किसी ऐसे उपक्रम का खरीद, अर्जन अथवा अन्य प्रकार से अधिग्रहण से संबंधित किसी प्रस्ताव जिसमें ऐसे व्यक्ति का लाभ निहित है या वह उसका अधिकारी है जिसे कम्पनी अथवा उसके शेयर अन्तरित किये गये हैं, वह उस कम्पनी जिसके अधिग्रहण का प्रस्ताव है, कि किसी आम सभा में (किसी सरकारी क्षेत्र की लिमिटेड कम्पनी के मामले में) मतदान शक्ति का 33⅓ प्रतिशत या उससे अधिक का उपयोग करने का अधिकारी या उपयोग पर नियंत्रण करने का अधिकारी होगा ।

(ii) खरीद या अधिग्रहण की लागत तीन करोड़ रुपये से अधिक है ; या

(iii) खरीद, अर्जन या किसी अन्य प्रकार से अधिग्रहण करने के परिणाम स्वरूप अधि-नियम की धारा 20(ख) के अर्थ के अन्तर्गत एक प्रबल उपक्रम स्थापित हो जाने की संभावना है ।

यह एक महत्वपूर्ण सिफारिस है और अनेक वित्तीय पत्रिकाओं द्वारा इसका उपयोग किया गया है और मुझे आशा तथा विश्वास है कि इस स्तर पर भी वे इस पर गौर करेंगे तथा आवश्यक परिवर्तनों और संशोधनों सहित आगे आयेंगे । सरकार का विवेकाधिकार अवश्य ही कम किया जाये और एकाधिकार तथा व्यापारिक व्यवहार आयोग को एक प्रकार का स्वायतशासी संगठन या संस्थान समझा जाना चाहिए । मैं जानता हूं आप घड़ी पर समय देख रहे हैं । क्योंकि मैंने पांच संशोधन प्रस्तुत किये हैं, इसलिए मैं उपभोक्ता संबंधी पहलू पर विस्तृत रूप से नहीं कहूंगा ।

2.08 म. प.

(श्री सोमनाथ चटर्जी पीठासीन हुए)

ये पाचों संशोधन स्वतः स्पष्ट हैं इसमें कोई शक नहीं है कि माननीय मंत्री महोदय के विधेयक में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने की आवश्यकता पर भी विचार किया गया है । परन्तु मैं इसे और अधिक कड़ा करना चाहता हूं । यदि श्रीमती दण्डवते यहां उपस्थित होतीं तो वे उपभोक्ताओं के हितों के सम्बन्ध में और अधिक ज्ञान प्राप्त कर लेतीं । मैंने पांच संशोधन प्रस्तुत किये हैं । वे स्वतः स्पष्ट हैं । इन संशोधनों का उद्देश्य हमारी उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना है इतना सब होने के बावजूद कुछ कमियां रह जायेंगी । और उनमें कुछ गड़बड़ करने की गुंजाइस आदि रह जायेगी परन्तु यदि ये पांच संशोधन स्वीकृत हो गये तो मैं आश्वस्त हूं कि वे इस देश में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के मामले में काफी सहायक सिद्ध होंगे और मुझे आशा है कि माननीय मंत्री महोदय इस विषय के इस पहलू पर भी ध्यान देंगे । इस विधेयक का संशोधन करने के संबंध में मुझे अंत में यह भी कहने दीजिये कि वे इस विधेयक के संशोधन करने को भी वे अपने आमूल परिवर्तन बाद में बिल्ले के रूप में चिपका कर प्रदर्शित करना चाहेंगे । परन्तु विभिन्न प्रावधानों के न होने के संबंध में मैंने कुछ सुझाव दिये हैं जो सरकार विवेकाधिकार को कम करेंगे । इन दिनों जबकि सरकार के प्रत्येक कार्य के पिछे चुनाव संबंधी स्वार्थ जुड़े रहते हैं, और संभावना है कि इस विधेयक को इसकी कमियो सहित एक प्रकार का संरक्षण और कृपा दृष्टि प्रदान करने की तरह से उपयोग किया जायेगा और यह शासन दल के लिए धनराशि जोड़ने का माध्यम बन जायेगा । मैं यह नहीं चाहता कि ऐसा हो, चाहे कांग्रेस दल का शासन हो या जनता पार्टी का शासन या हम एक क्षण के लिये यह मान लें कि साम्यवादी दल शासन में हैं । शासन में चाहे कोई दल क्यों न हो, यदि यह विवेकाधिकार सरकार में निहित रहते हैं, चाहे उस समय किसी भी प्रकार की सरकार क्यों न हो, उस सरकार का कुछ बड़े व्यापारिक घरानों के दबाव में आ जाने की पूरी संभावना है । इसके बदले में उन्हें कुछ उपहार और लाभ और मिलेंगे, जिससे उन्हें कुछ वित्तीय लाभ प्राप्त होंगे । इसको रोकने के लिए और भष्टाचार और अनियममितताओं को रोकने के लिये मुझे आशा है कि माननीय मंत्री महोदय मेरे द्वारा दिये गये विभिन्न सुझाओं पर गौर करेंगे यदि वे इस पूरे विधेयक को पूर्ण

समीक्षा के लिये संयुक्त प्रवर समिति को सौंप देने की अनुमति दें तो वे मुझे सबसे अधिक प्रसन्नता होगी। विधेयक की पूरी तरह से समीक्षा हो जाने और उसे सरल बना दिये जाने के पश्चात यदि यह सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो माननीय मंत्री महोदय यह पायेंगे कि इस विधेयक को आज की अपेक्षा अधिक सदस्यों की स्वीकृति मिलेगी।

श्री बृजमोहन मोहन्ती (पुरी) : अध्यक्ष महोदय; यह वास्तव में एक प्रेरणादायक स्थिति है कि मार्क्सवादि दल के एक सदस्य पीठासीन हैं।

2. 12. म. प.

(श्री चिन्तामणि पाणिग्रही पीठासीन हुए)

जब हम एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (संशोधन) विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं तो हमें 1972 से 1982 तक प्राप्त उपलब्धियों पर भी एक नजर डालनी चाहिए और यह देखना चाहिए कि क्या हम एकाधिकार को समाप्त करने तथा धन के एकत्रीकरण को रोकने में सफल हुए हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इसका उत्तर 'हाँ' भी है और 'नहीं' भी। हमने लक्ष्यों को पूरी तरह प्राप्त नहीं किया परन्तु हमने कुछ प्रगति की है 1972 में 850 एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार कम्पनियाँ थी जबकि 1982 में एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार के अंतर्गत कम्पनियों की संख्या बढ़कर 1273 हो गई है। एकाधिकार घरानों की परिसम्पतियां 1972 में 5597.94 करोड़ रुपये थी और 1982 में ये बढ़कर 21,619.08 करोड़ रुपये हो गई है। इसकी एक सफाई यह दी जा सकती है कि धन का मूल्य नीचे गिरता गया है। उस समय के पांच हजार करोड़ रुपये का मूल्य 1982 में आठ या हजार करोड़ रुपये के बराबर है।

चाहे यह कुछ भी हो, मैं माननीय मंत्री महोदय को यह स्मरण दिलाना चाहता हूं कि कांग्रेस के कलकत्ता सम्मेलन में कांग्रेस दल ने, जो अब शासक दल है, इस देश में समाजवादी कार्यक्रम शुरू करने और समतावादी समाज की स्थापना करने का स्वीकारात्मक निर्णय लिया था।

जहां तक एक समतावादी समाज की स्थापना और सामाजिक परिवर्तन का संबंध है केवल सरकार ही नहीं पूरे के पूरे राष्ट्र को इसके लिये संकल्प करने की आवश्यकता है। राष्ट्र को यह संकल्प करने की आवश्यकता है कि आगे बढ़ना है और यह कोई मामूली बात नहीं है। मैं जानता हूं, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है परन्तु मिश्रित अर्थव्यवस्था अपने आप में बुरी नहीं है। यदि आप चीन की ओर देखें तो पायेंगे कि वहां बीस लाख नीजि उद्यमी हैं, जिन्हे व्यापार चलाए रखने की अनुमति दी गई है,परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि ये अर्थव्यवस्था का नियन्त्रण कर रहें है। इस देश में सरकारी क्षेत्र प्रभावशाली शिखर तक पहुंच गया है परन्तु

प्रचालन संबंधी अक्षमताओं के कारण, सरकारी क्षेत्र इस स्थिति में नहीं है कि अर्थ व्यवस्था को नैतिक नेतृत्व प्रदान कर सके। अर्थ व्यवस्था को उचित दिशा का मार्गदर्शन करना तो बहुत दूर की बात है हमें इसे नहीं भूलना चाहिए। जहा तक सरकारी क्षेत्र का संबंध है, यह केवल सरकारी एजेंसियों की सहायता और सहयोग से ही समृद्ध हो रहा है। निजि क्षेत्र की वित्त व्यवस्था का 80 प्रतिशत सरकारी क्षेत्रके अंतर्गत कार्यरत वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्राप्त होता है इसके अतिरिक्त भी, निजी क्षेत्र की कुछ अन्य विशेषताएं है। यहां निजि क्षेत्र को सरकार की और समुदाय को हो रही क्षति के बल पर खड़ा किया जाता है। आपको विदित है, तब भी निजि क्षेत्र प्रतियोगिता करने के मामले में मैदान छोड़ रहा है। हालांकि प्रतियोगिता ही वह मूल दर्शन हैं जिसके आधार पर निजि क्षेत्र समृद्ध हो रहा है। निजि क्षेत्र उन्मुक्त उद्यम के सिद्धान्त पर आधारित है इसका मूल आधार है अबाध प्रतियोगिता और योग्यतम की उत्तरजीविता। दुर्भाग्यवश इस देश के निजि क्षेत्र की अबाध प्रतियोगिता में कोई रुचि नहीं है। वे अंतर्राष्टीय बाजार में संरक्षण चाहते हैं। वे सरकार से सहयोग, सहायता और विभिन्न नियामक उपाय चाहते हैं। ताकि वे स्वयं इस देश में सम्पन्न हो सकें। इसलिए यह त्रासदी है। आप सोच सकते हैं कि निजी क्षेत्र की क्या प्रतिक्रिया होती है जब विदेशी धन देश में आ रहा है और देश में आने वाला यह विदेशी धन अर्थव्यवस्था में लगाया जायेगा। वे इसका विरोध कर रहे हैं। वे प्रतियोगिता से डरते हैं। तो यह उनकी हालत है। हमें सीमाओं को नहीं भूलना चाहिये। इस संदर्भ में, संकट कहां से पैदा हो रहा है? मैं श्री वी. के. आर. वी. राव की पुस्तक 'इंडियन सोशलिजम रिट्रोस्पेक्ट और प्रोस्पेक्ट' के एक पैरे से उल्लेख देना चाहूंगा। मैं पृष्ठ 122 से पढ़ रहा हूं "सामाजिक परिवर्तन की दिशा में बढ़ने के लिये इन संस्थानों को ऐसे लोगों द्वारा चलाये जाने की आवश्यकता है जो समाजवादी उद्देश्यों के प्रति समर्पित हों तथा जिनमें उच्च स्तर की संगठनात्मक योग्यता और तकनीकी निपुणता हो। ऐसी स्थिति न होने पर, राज्य (सरकार) अर्थव्यवस्था के प्रभावशाली शिखर तक तो शायद पहुंच जाये परन्तु उसका उपयोग समाजवाद को सुदृढ़ करने की बजाये नीजी आर्थिक या अफसरशाही या विभाजित वेतनभोगी वर्ग को सुदृढ़ करने के लिये किया जायेगा। कानून की किताबों में समाजवाद की दिशा में किये जा रहे परिवर्तन के मार्ग में रोड़ा अटकाने का प्रयास करने वालों को सजा देने के लिए आवश्यक सभी कानून विद्यमान हो सकते हैं, परन्तु राज्य बल प्रयोग के तन्त्र का उपयोग करने में सक्षम नहीं होगा या उपयोग करने का इच्छुक भी नहीं होगा और उसे एक दुर्बल राज्य शक्ति की तरह कार्य करना पड़ेगा।"

महोदय यह है संकट। संकट यह है कि जब तक हम पूरे देश को आचरण ही समाजवादी न बना दें, जब तक समाजवादी परिवर्तन के लिये अपने प्रशासनिक तंत्र की पुनर्रचना न कर लें, किसी भी कानून से समस्या का समाधान नहीं मिलेगा। महोदय, आज स्थिति यह है कि पश्चिम बंगाल की प्रगतिशील सरकार भी कुछ नहीं कर सकती। वे क्या कर रहे हैं? वे उद्योग स्थापित करने के लिए बिड़ला को निमंत्रण भेज रहे हैं।

2. 18. म. प.

(श्री एफ. एच. मोहसिन पीठासीन हुए)

(व्यवधान)

श्री बृजमोहन महन्ती (पुरी) : आप तथ्यों को स्वीकार क्य न ि करते, पद्धति ऐसी है कि उद्योग के विकास के लिए हमें बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को बुलाना पड़ता यही दुःख की बात है, सिद्धातों का अभाव है। मैं आपको दोष नहीं देता।

(व्यवधान)

मैं आपके हितों की बात कर रहा हूं। मैं सदैव प्रगतिशील बातों का हिमायती रहा हूं। आप मुझे बोलने क्यों नहीं देते ?

सभापति महोदय : वह अपने विचारों के लिए हकदार है आप अपने विचारों के लिए उन्हें अपनी बात पूरी करने दें।

एक माननीय सदस्य : हम केवल उनका समर्थन कर रहे हैं।

श्री बृजमोहन महन्ती : समस्या इस हद तक बिगड़ गई है कि पश्चिम बंगाल सरकार सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को निजी कम्पनियों को सौंपने की सोच रही है, आप उद्योगों में रुग्णता के बारे में जानते हैं। सर्वत्र बीमारी बढ़ती जा रही है और आप जानते है कि कई स्थानों पर इसे कैसे व्यवस्थित किया जा रहा है। कुछ उद्योगपतियों द्वारा उद्योगों की रुग्णता में हेर-फेर की जा रही है श्री चौबे-एक बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, आप इसे अच्छी तरह समझ सकते हैं। जहां तक अर्थव्यवस्था की स्थिति का संबंध है यह स्वाभाविक है कि स्थिति के साथ निपटने के लिए कुछ आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है। एक बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि आमूल का अर्थ लोकतान्त्रिक मूल्यों को नकारना नहीं है, जैसा कि विश्व के कुछ देशों में हुआ है। हम लोकतान्त्रित मूल्यों के पक्षधर हैं और इन मूल्यों के साथ हमें समाज को बदलना होगा आपमें और हममें यहीं अन्तर है।

- यह मैं व्यक्तिगत रूप से आपके बारे में न आपकी पार्टी के बारे में नहीं कह रहा हू –मैं. तो 'दुनिया' के 'सर्वहारा वर्ग एक हो जाओ' के मार्क्स के सिद्धान्त के बारे में कह रहा हूं। लोकतंत्र में मार्क्स का सिद्धान्त नहीं चल सकता। आप अब जन-लोकतन्त्र की हद तक पहुंच गए हैं।परन्तु हम चाहते हैं कि सामाजिक और सांस्कृतिक ढांचा लोकतान्त्रिक ढ़ंग से बनाया जाना चाहिए। (व्यवधान)

सभापति महोदय : एक बार आप हस्तक्षेप कर सकते हैं किन्तु लगातार नहीं बोल सकते।

श्री बृजमोहन महन्ती : जब भी मैं बोलने लगता हूं तो वे बेचैन हो उठते हैं मैं नहीं समझता कि क्यूं वे अपने विचार बदल रहे हैं।

स्थिति यह है, इसलिए विधि मंत्री से मेरा निवेदन है कि इन संशोधनों के बावजूद समस्या के लिए शत प्रतिशत उत्तर ढूंढना सम्भव नहीं होगा। इससे यह कुछ हद तक ही हल हो सकेगी।

मैं संशोधनकारी विधेयक का स्वागत करता हूं जिसमें कुछ अच्छी बातें हैं आधुनिकीकरण के नाम पर अब तक असीमित आर्थिक शक्ति की अनुमती दी जा रही थी। जिसे अब सीमित करके 25 प्रतिशत कर दिया गया है कम्पनी के गैर-एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार कम्पनियों से शेयर अधिग्रहण करने की कम्पनी की शेयर खरीदने की शक्ति में कमी करने के लिए प्रावधान किये गए हैं। यह एक अच्छी बात है।

एक और विशेषता यह है कि गलत व्यापार प्रथाओं की गणना की गई है। मैं इसका स्वागत करता हूं। लेकिन यह भी कहना चाहूंगा कि इन बातों को लागू करने के लिए जब तक कुशल लोग नहीं होंगे मुझे सन्देह है कि इससे हमें अपेक्षित परिणाम नहीं मिल सकेंगे। यह हमारी मदद करेगा और एक अंगला कदम होगा लेकिन लोग बहुत बेचैन हैं, ऐसा नहीं है कि वहां पर धन एक जगह पर इट्ठा हो गया हो बल्कि यह तो हमारे देश के सम्पूर्ण आर्थिक उद्देश्यों को नकार रहा है। इसीलिए हम चिन्तित हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि इस संशोधन-कारी विधेयक के प्रावधानों को लागू करने पर विधिमंत्री विशेष ध्यान दें। इसे इतने कारगर ढंग से लागू किया जाये कि यह फिर एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार वाली कम्पनियों के हक में फिर काम न करे।

इन शब्दों के साथ मैं संशोधन कारी विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं विधि मंत्री को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने यह बिल पेश करने का साहस किया, धन्यवाद,

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : मैं समझ नहीं पाया कि क्या श्री महन्ती ने विधेयक का समर्थन किया। फिर भी उन्होंने मंत्री महोदय का धन्यवाद किया। मेरा अनुरोध है कि श्री महन्ती एक मिनट मेरी बात सुनलें।

श्री महन्ती ने बताया कि पश्चिम बंगाल सरकार ने उद्योग स्थापित करने के लिए बिरला को आमन्त्रित किया। वह स्वयं यह भी कहते हैं कि इस देश की वर्तमान आर्थिक तथा औद्यो-गिक नीति, और इस अधिनियम के द्वारा उद्योग पर इन एकाधिकार प्राप्त घरानों का पूरा नियंत्रण हो गया है।

जहां तक सरकारी क्षेत्र का सम्बन्ध है केन्द्र सरकार न केवल आर्थिक दृष्टि से साधन-सम्पन्न है बल्कि लाइसेन्स, परमिट, योजना आयोग आदि की दृष्टि से भी साधन सम्पन्न है।

इस देश में वर्तमान पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के अतिरिक्त कोई और राज्य सरकार नहीं बनी जो सरकारी क्षेत्र परियोजनाओं को पश्चिम बगाल राज्य में लगाने के लिए लगातार जोर दे रही है। किन्तु बार-बार झूठे हास्यास्पद तर्कों के साथ केन्द्र सरकार पश्चिम बंगाल में उद्योग स्थापित करने के लिए एक के बाद दूसरे उत्तर दायित्वपूर्ण प्रस्तावों को रद्द करती रही है।

आज देश में आप टाटा-बिरला और पता नहीं किस-किसको प्रोत्साहित कर रहे हैं उनका निदेशक सिद्धांतों, देश की सत्तारूढ़ पार्टी की तथाकथित सम्भावनाओं के होते भी काफी प्रभुत्व है। यदि आप इससे इन्कार करते हैं तो मैं आपको आँकड़े दे सकता हूं।

इस देश में सर्वत्र बेरोजगारी है, इसके लिए युवक जिम्मेदार नहीं हैं, उन्होंने पढ़ाई की है, सत्तारूढ़ दल के लोग जितने ईमानदार हैं, वे भी उतने ही ईमानदार भी हैं। उन्हें भी देश से प्रेम है, वे कुछ काम करना चाहते हैं। वे उचित तरीके से, सम्मानजनक और सभ्य ढंग से कमाना चाहते हैं, लेकिन कोई काम नहीं है, अब क्या किया जा सकता है, दुर्भाग्य से इस देश में उद्योग स्थापित किये जा सकते हैं जिसके लिए केन्द्र सरकार का आशीर्वाद चाहिये ओर आशीर्वाद केवल इन बड़े व्यापारिक घरानों को दिया जा सकता है, इसलिए हमें कहना पड़ता है रोजगार के अवसर पैदा करने होंगे। औद्योगिक उत्पादन बढ़ाया जाना होगा, लेकिन हमारी बचन बद्धता जो निजी क्षेत्र के एकाधिकारियों के प्रति है वह केन्द्र सरकार को नहीं सुहाती। मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि इस समय प्रो० मधु दण्डवते यहां पर मौजूद नहीं हैं। उन्होंने कहा था "यदि साम्यवादी आते हैं तो इस विधेयक का क्या होगा" ? उन्हें भी इस विधेयक की जरूरत है, यदि हम सत्ता में आते हैं, शायद हमारा सत्ता में आना मेरे जीते जी सम्भव न हो, आपके जीते जी ऐसा न हो,

सभापति महोदय : इस शताब्दी में !

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप इस शताब्दी में भविष्यवाणी चाहते हैं। जब हम सत्ता में आयेंगे तो तब ऐसे झूठे विश्वास दिलाने वाले विधेयकों की कोई आवश्यकता नहीं होगी।

श्री चित्तबसु (बारसाट) : तब कोई भी एकाधिकारी नहीं होगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : तब किसी विश्वास दिलाने वाले प्रस्ताव की भी आवश्यकता नहीं होगी जैसे यह सरकार पेश कर रही है। हम एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार के विधेयक में समय-समय पर किये जाने वाले संशोधनों से वास्तव में हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं सिर्फ यह दिखाने के लिए कि सरकार एकाधिकारियों के विरुद्ध है वही इसकी खामियों को ढूंढ़ने की और उन्हें दूर करने की कोशिश में लगी है। आम लोगों के लिए सरकार की चिन्ता देखें। सरकार द्वारा एकाधिकारी घरानों के विरुद्ध छेड़े गये जिहाद की ओर देखें।

आमूल परिवर्तन की भावना केवल लोगों को यह दिखाने के लिए है ताकि लोग समझें कि सरकार एकाधिकारियों और आर्थिक शक्ति के संकेन्द्रण के बिल्कुल विरुद्ध है। मैं कहता हूं यही रोना है क्योंकि इस देश को कंगाल बनाया जा रहा है और मुट्ठी भर लोग देश के सभी साधनों का लाभ उठा रहे हैं। ये हमारे आंकड़े नही, ये वे आंकड़े हैं जिन्हें सदन के पटल पर रखा गया। 1972 में 20 एकाधिकारी घरानों की पूंजी 2883 करोड़ रुपये थी। इसके तीन वर्ष बाद एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार विधेयक लागू किया गया। सरकार को आमूल परिवर्तन के बाद एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक विधान के कार्यान्वियन के बाद वर्ष 1981 में यह बढ़कर तीन गुना अर्थात 8987 करोड़ रुपये हो गयी। टाटा की वर्ष 1972 में 641 करोड़ रुपये की सम्पति बढ़कर 2 430 करोड़ रुपये हो गयी, बिरला, जिनके योग्य प्रतिनिधि का आपने अभी समर्थन किया है, आप न केवल उनके व्यापार को प्रायोजित करते हैं बल्कि उनके उम्मीदवारों को भी प्रायोजित करते हैं—उनके प्रतिनिधि भी अब प्रायोजित होते हैं। सदन के बाहर और भीतर दोनों जगह वे आपके सहयोगी हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : विस्तारक !

श्री सोमनाथ चटर्जी : वर्ष 1972 में इनकी परिसम्पतियां 589 करोड़ थीं जो इस अधिनियम के लागू होने के 13 वर्ष बाद बढ़कर 2,004 करोड़ रुपये हो गई 1,589 करोड़ रुपये से 2,004 करोड़ रुपये। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा, जैसा हम पूछते रहे हैं,—वह क्या उत्तर देंगे, मैं नहीं जानता —यदि वे सही उत्तर देते हैं तो वह अपना पद गंवा बैठेंगे, अपना पद गवांकर श्री महन्ती एकाएक निर्दलीय बने हैं।

अब प्रश्न है कि इस विधान का उद्देश्य क्या है? क्या इस विधान ने अपना यह उद्देश्य निभाया है ? क्या इसने इस उद्देश्य से कोई खामी तलाश करने की भूमिका निभाई है ? कब कमियां पाई गई और कैसे ? क्या मंत्री महोदय आपके माध्यम से, इस सदन के माध्यम से देश को आश्वासन दिला सकते हैं कि आगे से कभी किसी चीज का संकेन्द्रण नहीं होगा ? असम्भव! असम्भव! कानून के कारण नहीं बल्कि यह सरकार इस देश के एकाधिकारियों की एक पार्टी है। यह सरकार एकाधिकारियों, और जिनके पास आर्थिक शक्ति है उनकी सहायता के बिना सत्ता में नहीं रह सकती है। इस सरकार की एकाधिकारों पर अंकुश रखने की न तो प्रशासनिक इच्छा है और न ही राजनीतिक इच्छा। 1969 में जब यह अधिनियम पारित हुआ तो इसका उद्देश्य अन्य बातों के अलावा यह सुनिश्चित करना था कि आर्थिक शक्ति मुट्ठी भर लोगों के हाथ में न आए क्योंकि यह हानिकारक होगा। यह बात संविधान के एक अनुच्छेद, नीतिनिर्देश सिद्धांतों के अध्याय 4 में कही गयी है। यह उपहास की बात बन गयी है और अत्याधिक हास्यस्पद हो गई है। इस दौरान आपकी सरकार सत्ता में थी। यह दुर्भाग्य की बात है कि ऐसा हुआ। ऐसा क्यों हुआ ? प्रो० हजारी की रिपोर्ट ·····(व्यवधान)

सभापति महोदय : हमारी पार्टी ने ही इस कानून को 1969 में बनाया था ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : उसके परिणाम वही हुए जिनका मैंने अभी जिक्र किया । क्या क्या कार्यकुशलता है प्रो० हजारी ने जो रिपोर्ट दी उस में उन्होंने कहा कि 'लाइसेन्सिंग व्यवस्था के कारण देश के कई बड़े व्यापारी घरानों में विषम विकास हुआ है ।

प्रो० मधु दंडवते : जब आप अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठते हैं तो आपका किसी पार्टी से सम्बन्ध नहीं होता है ।

सभापति महोदय : किन्तु जब वह मुझ पार्टी का सदस्य मान कर बात करते हैं तो मुझे उत्तर देना पड़ता है ।

श्री चित्त बसु : कुछ समय के लिए आप किसी पार्टी के सदस्य नहीं रहते हैं ।

प्रो० मधु दंडवते : इस सभा में केवल आप ही एक तटस्थ व्यक्ति हैं ।

सभापति महोदय : आप सही कह रहे हैं । जब तक मैं इस कुर्सी पर हूं तब तक मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूं ।

श्री चित्त बसु : केवल कुछ समय के लिए ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : एकाधिकार जांच आयोग ने पता लगाया है कि 75 ऊंचे व्यापारी घरानों की कुल सम्पति 2,605.9 करोड़ रु० की है जो कि गैर-सरकारी कम्पनियों की कुल सम्पति का 46.9 प्रतिशत है । अत: 75 व्यापारी घराने निजी क्षेत्र के करीब 50 प्रतिशत उद्योगों पर नियंत्रण रखते हैं ।

महोदय, 196) में दत्त समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि औद्योगिक 'लाईसेन्सिंग' व्यवस्था ने कई बढे औद्योगिक संस्थानों की वृद्धि में मदद की है । जहां तक सच्चर समिति का सम्बन्ध है, मैं आपको बताऊंगा कि उन्होंने क्या कहा है ।

श्री रामप्यारे पनिका (राबार्टस गंज) : यह आप कहां से पढ़ रहे हैं ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : न्यायमूर्ति सच्चर उस कमेटी के चेयरमैन बने थे ।

सभापति महोदय : श्री भीमसेन सच्चर ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : न्यायमूर्ति सच्चर की अध्यक्षता में कम्पनियों एवं एकाधिकार निर्बन्धकारी व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के सम्बन्ध में एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति बनाई गई थी ।

सभापति महोदय : न्यायमूर्ति सच्चर अथवा श्री भीमसेन सच्चर द्वारा ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : 'इमरजेन्सी' के दौरान उनके पुत्र श्री भीमसेन सच्चर 'आंतरिक सुरक्षा कानून' के शिकार हुए । वह स्वयं बुर्जुग आंतरिक सुरक्षा कानून के अंतर्गत पकड़े गए थे । सच्चर समिति का कहना है :

"कि 1969 के आधार पर देश के प्रथम 20 औद्योगिक घरानों की सम्पति के मूल्य में 1972, 1973, 1974 तथा 1975 के वर्षों में क्रमशः 25.9, 38.9, 61.3 और 83.7 प्रतिशत से बढ़ोत्तरी हुई ।"

इमरजेन्सी के दौरान उन्होंने एक ही वर्ष में अपनी सम्पति 83.7 प्रतिशत तक बढ़ा ली ।

"1973,1974 और 1975 में क्रमशः 10.3,16.1 और 13.9 प्रतिशत से पिछले वर्षों की तुलना में बढ़ोत्तरी हुई । इन आँकड़ों से ज्ञात होता है कि इस अधिनियम ने अर्थव्यवस्था के विकास में कोई बाधा नहीं उत्पन्न की हैं । केन्द्रीय सरकार ने विस्तार और नए उपक्रमों को स्थापित करने के लिए बहुत ढील दी है । किन्तु अधिनियम के इस उपबन्ध का, कि विस्तार आदि करने से पहले आयोग की सलाह ली जाएगी, पालन नहीं किया गया है ।"

प्रचार एवं अन्य माध्यमों से, जो उनके नियंत्रण में है, ऐसा बताया जाता रहा है कि, अब हमने न्यायालय के एक विद्वान न्यायाधीश को एकाधिकार आयोग का प्रधान बनाया है, जो कि इन मामलों की जांच पड़ताल कर रहा है और इसकी अनुमति दे रहा है । लोगों के दिलों में यह एक गलत धारणा पैदा की गई है । आँकड़े स्वयं प्रत्येक बात स्पष्ट करते हैं । एकाधिकार आयोग के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहा गया है । 1981-82 में केन्द्र सरकार द्वारा धारा 21 (विस्तार के आवेदन) के अंतर्गत इस आयोग को एक भी मामला नहीं भेजा गया । 1982-83 में 177 आवेदनों में से केवल चार आवेदन आयोग के पास विचार के लिए भेजे गए । कुछ और आंकड़े भी दिये गये हैं ।

"इस प्रकार जनवरी 1974 से दिसम्बर 1976 तक इस अधिनियम की धारा 21 और 22 के अन्तर्गत सरकार ने जो 246 मामलों का निपटारा किया उनमें से 227 मामलों पर सरकार ने इस आयोग की सलाह लिए बिना ही निर्णय किया और केवल 19 मामलों में सरकार ने आयोग की रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात निर्णय लिया । इन 19 मामलों में से आयोग ने 3 मामलों को अस्वीकृत करने की सिफारिश की थी, और केन्द्र सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार किया था । शेष 16 मामलों में से 3 प्रस्ताव सफल नहीं हुए और केन्द्र सरकार ने शेष 13 मामलों को पुनरीक्ष के अध्यधीन स्वीकृति दे दी ।"

आयोग का पूरा उद्देश्य ही यही है । अर्ध-न्यायिक संस्थान से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपना कार्य उतनी ही बखूबी से निभाए जितना संविधान में प्रावधान है और संविधान के दिये गए लक्ष्यों के लिए कुछ ऐसे तरीके और कार्यवाही अपनाये जिससे सफलता प्राप्त हो । इसे नगण्य बना दिया गया है । परिणामस्वरूप यह एकाधिकार निर्बन्धनकारी व्यापार व्यवहार अधिनियम एक ऐसा सशक्त माध्यम बन गया है जिसके द्वारा उन लोगों को प्रसन्न किया जाता है जो प्रसन्न होना चाहते हैं और बदले में यह प्रसन्न होने वाले अपने लाभकर्ताओं को प्रसन्न करने को अधिक आतुर रहते हैं । यह हमारे देश में मुआवजा देने का एक सरल माध्यम बन गया है जहां तक एकाधिकार उपक्रमों का प्रश्न है और जहां तक अधिक से अधिक आर्थिक शक्ति संचित करने का सम्बन्ध है, माननीय मंत्री कह रहे थे कि सच्चर समिति की सिफारिशों को लागू किया जा रहा है किन्तु ध्यान देने की एक महत्वपूर्ण बात जो मैंने "उद्देश्यों और कारणों के कथन' में पाई वह यह थी कि वर्तमान विधेयक जैसा कि बताया गया है सच्चर समिति की सिफारिशों और सरकार द्वारा प्राप्त सुझावों के परिणामस्वरूप संशोधनों की दूसरी और अंतिम किस्त के रूप में है । अतः उनका कहना है कि जहां तक इस सरकार का सम्बन्ध है, जब तक यह सत्ता में है यह अन्तिम स्वीकृति है। और कोई सिफारिशें स्वीकार नहीं की जाएंगी ।

प्रो० मधु दण्डवते : बुद्धिमता के अंतिम शब्द ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : अंतिम शब्द जिनमें बुद्धिमता झलकती है, जैसा कि प्रो० मधु दंडवते ने कहा । उसने पृष्ठ 252 पर यह सिफारिश की, कि केन्द्र सरकार को जांच पड़ताल और अन्तिम निर्णय के लिए आयोग को मामले अवश्य भेजे जाने का प्रावधान होना चाहिए । यदि आप मुझे समम दें तो मैं उन सब को पढ़ कर आपको सुनाऊँ ।

सभापति महोदय : आपको सब कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं तीन मामले उद्धृत करता हूं :—

(i) किसी प्रमुख उपक्रम से विस्तार अथवा नया उपक्रम शुरू करने के लिए प्राप्त आवेदन । ·····

(ii) किसी भी उपक्रम से जो विस्तार के लिए अध्याय 3 के खण्ड 'क' के अंतर्गत आवेदन करे ·····और जिसकी कुल राशि पांच करोड़ रु० से अधिक हो ।

(iii) किसी भी मामले में जहां एक से अधिक उपक्रम प्रत्याशी हों, अथवा उस मामले में जिसमें प्रस्तावों का विरोध करने हेतु आपत्तियां उठाई गई हों ।

आयोग को भेजे जाने चाहिए ।

यह सिफारिश स्वीकार नहीं की गई है। इरादा बहुत स्पष्ट है। यदि वह एक प्रकार की विरोधाभासी व्यवस्था बन जाती है। एक दावा करता है और दूसरा उसका विरोध। 'क' दावा करता हैं और 'ख' उसका विरोध। कानूनी भाषा में जैसे कहा जाता है कि विरोधाभासी व्यवस्था उत्पन्न होती है उसी प्रकार यहां जहां 'लाईसंसिंग की मांग और विस्तार की मांग का सम्बन्ध है यही होगा। आप अधिकारियों द्वारा या चुनाव को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक तरीके से इसका निर्णय नहीं करेंगे परन्तु आयोग पर इसका निर्णय छोड़ देंगे। अब क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं। यह कहना अति सरल है कि यह दिश' निर्देश संविधान के उद्देश्य हैं। वह सदा ही संविधान के उद्देश्य होते थे। अब इन आवेदनों का भाग्य निर्णयक कौन है? इसलिए हमने 1982 के संशोधनों का विरोध किया था। कुछ कठोर प्रावधानों को नर्म करने के लिए ऐसा किया गया था। निर्यात के बहाने से वह एकाधिकार निर्बन्धन व्यापार व्यवहार अधिनियम से निकाल लिया गया।

इस विधेयक द्वारा कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशों को केवल दिखावा मात्र के रूप अमल में लाया जा रहा है। इनमें संशोधन की आवश्यकता है। मैं जानता हूं कि 'उपक्रम' शब्द ने कठिनाई पैदा कर दी है क्योंकि जब केन्द्र सरकार के पास कोई जाता है, – आयोग के साथ ऐसा नहीं है क्योंकि आयोग के पास कोई नहीं जाता है—तो और भी कई दावेदार आ पहुंचते हैं जो बाद में सरकार के निर्णय को न्यायालयों में चुनौती देते हैं, अतः इसे और लचीला बनाएं।

एक और महत्वपूर्ण बात है कि इससे पूंजी निवेश कम्पनियां बाहर कर दी गई—जैसे संचायिता इत्यादि कम्पनियां। अब वे दोबारा से आ गई हैं और विस्तार करना चाहती हैं। ठीक है इस विभाग के द्वारा विस्तार कीजिए। सरकार के माध्यम से विस्तार कीजिए। सरकार के आशीर्वाद से आप विस्तार कर सकते हैं अन्यथा नहीं।

श्री चित्त बसु : आपको भी पूंजी निवेश की आवश्यकता है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं जानता हूं कि कैरिव कम्पनी के बारे में जो निर्णय दिया गया था, उससे आपके समझने में, कुछ समय के लिए कठिनाई उत्पन्न हो गयी है। यह बहुत छोटा सा मामला था, जिसके लिए इतने वर्षों तक उन्हें प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए थी। उन्हें सच्चर समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इस अधिनियम के अंतर्गत कौन से उपक्रम आते हैं, यह सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद समझना कठिन हो गया है। इस बारे में कई अलग-अलग मत प्रकट किये गये। यह बहुत छोटे से मामले हैं। इसके अतिरिक्त हमें और क्या देखना है? इस संशोधन विधेयक की क्या भूमिका है? इसलिए मैं माननीय मंत्री से आग्रह करता हूं। महोदय, उनके प्रति मेरे मन में आदर है। उन्हें कई बुराईयों को साथ ले कर चलना पड़ता है। किन्तु वह क्या कर सकते हैं? उन्हें हर प्रकार के लांछन

लेकर चलना पड़ता है । यह तो कई मंत्रियों को करना पड़ता है । अत: महोदय क्या वह यह मानते हैं और क्या वह यह आश्वासन दे सकते हैं कि आज के बाद आर्थिक शक्ति का संकेन्द्रण नहीं किया होगा अपितु आर्थिक शक्ति का विकेन्द्रीयकरण होगा । वह यह आश्वाशन नहीं दे सकते हैं वह ऐसा क्यों नही कर सकते हैं ? आप अपनी नीति को इस अधिनियम द्वारा जारी कर रहे हैं, जो कि इस देश के एकाधिकारियों के हित में नहीं है । इस देश में आप और हम जिस खतरे का सामना कर रहे हैं, वह यह है कि वे सरकारी क्षेत्रों को अधिक से अधिक ऊंचाई पर ले जाने के बजाए समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं ।

चुनाव भाषणों के प्रयोजनार्थ हमें याद दिलाया जाता रहा है और वे ऐसा कहते रहे हैं कि देश में सार्वजनिक क्षेत्र का उच्च स्थान होगा । लेकिन वास्तव में हम पाते हैं कि उनकी पूंजी दिन-प्रति-दिन कम होती जा रही है । सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को इस कारण बन्द किया जा रहा है कि उन्हें अच्छे प्रबन्ध नहीं मिल पाते । प्रो० रंगा ने कहा है, कि मेरे दिमाग में विको लारी के अलावा कोई अन्य बात नहीं है । लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक प्रमुख इंजीनियरिंग कम्पनी, जोकि पहले 50 वर्षों से देश में बिजली उत्पादन के लिए आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करती रही है और जिसका वार्षिक उत्पादन प्रति वर्ष बढ़ता रहा है, तथा जिसमें 1500 के करीब मजदूर कार्य करते हैं । उसे न केवल धमकी दी गई, बल्कि मंत्रिमण्डल ने उसे बन्द करने का निर्णय लिया है । और जब मैंने इस मामले को सभा में और सभा के बाहर उठाया तो मुझे बताया गया कि जब हमें उपयुक्त प्रबन्ध निदेक ही नहीं मिलता तो हम क्या कर सकते हैं । इसलिए इस कम्पनी को घाटा ह रहा । इसलिए इस कम्पनी को बन्द कर दिया जाना चाहिए । और छह करोड़ रुपये का उत्पादन जो यह सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग करता है, वह जी. सी. क्राम्पटन और पार्किनसन्स के पास जायेगा ; क्या सरकार इस तरह से सार्वजनिक क्षेत्र को महत्व दे रही है ? अब चिन्ता यह है । हम न केवल आर्थिक सत्ता के केन्द्रीकरण को ही रोकने में असफल रहे हैं, बल्कि आप एकाधिकारी उपक्रमों के विस्तार को इस प्रतिबंधित व्यापार प्रक्रियाओं द्वारा इन प्रमुख उपक्रमों रोकने में असफल रहे हैं । आप उन पर नियंत्रण रखने में असफल रहें हैं । उन पर कोई नियंत्रण नहीं है । अब हम उपभोक्ता के संरक्षण की बात करते हैं । इस संबंध में भी कोई नियंत्रण नहीं है । यहाँ तक कि छोटे से छोटा सामान्य क्षेत्र जोकि लघु क्षेत्र और कुटीर उद्योग के लिए काफी उपर्युक्त है, वहां भी बड़े उद्योगों को निर्माणों की अनुमति दी गई है । श्री पनिका भी यह बात जानते हैं । जिस साबुन का आप प्रयोग करते हैं, जोकि आपके राज्य में लघु क्षेत्र और कुटीर उद्योग द्वारा बनाया जा सकता है उसका बड़े औद्योगिक घराने और यहां तक कि बहु-राष्ट्रीय कम्पनियां उत्पादन कर रही हैं । ऐसा हो रहा है । अब, आप न केवल इन पर नियंत्रण ही कर पा रहे हैं, बल्कि आपने जिस सार्वजनिक क्षेत्र को स्थापित किया है, उसे भी समर्पित कर रहे हैं । स्थिति से निपटने का यह तरीका नहीं है । इसलिए आपको अपनी नीति, अपना रवैया बदलना होगा । यह मात्र एक कागजी प्रस्ताव है । सच्चर समिति की सिफारिशें प्रभावशाली तरीके से लागू की जा सकती हैं और लोगों को भी वास्तव में विश्वास हो सकता है, मगर यह सरकार इन विधानों द्वारा अपना

नियंत्रण खत्म करती है। इसे आयोग को सौंप दीजिए, मैं इस देश की न्यायिक व्यवस्था और ढांचे के प्रति भी काफी आसक्त नहीं हूं। खुले तौर पर मैंने कई दफा यह कहा है और मैं अब भी कह रहा हूं कि जब हमें एक उद्देश्य के लिए जोकि जरूरी है। या कानून के लागू करने के बीच चुनाव करना है तो मैं कम बुराई पसन्द करूंगा, यानि न्यायपालिका को। क्या किया जा सकता है ? इन व्यक्तियों को दूर नहीं किया जाता है। एक या दो संशोधन किये गये हैं जिनका कि शायद कम असर हुआ है और वकीलों के लिए पैसा पैदा करना आसान हो गया है और मुकदमेबाजी अनावश्यक रूप से लम्बी हो गई है। लेकिन कानूनन से मूल उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी।

निदेशक (निरीक्षण) के स्थान पर आपने दोहरे कार्यप्रभारी अधिकारी महानिदेशक निरीक्षण और पंजीकरण रखा हुआ है। इससे क्या फर्क पड़ता है ? जहां तक महानिदेशक का संबंध है, केन्द्रीय सरकार इसे राय के लिए भेज सकती है। कई एक नये परिवर्तन किये गये हैं। वे न तो इस तरफ है न उस तरफ—अस्थायी स्थगनादेश दिया जा सकता है। मैं इसे बुरा नहीं मानता। न्यायालय में स्थगन के लिए जाने की बजाय क्योंकि इसमें अधिक से अधिक खामियां हैं; आयोग ही यह कर सकता है। लेकिन कितने मामलों में आयोग इनसे निपटता है—या यह आयोग के क्षेत्राधिकार में है कि वह मुआवजा दिलवाये। यह केवल कागजों तक ही सीमित है। विधान का मूल उद्देश्य इस प्रकार है।

जहां तक अन्य प्रस्तावों का संबंध है, गलत व्यापारिक व्यवहारों के लिए कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है। ठीक है। हम बुरा नहीं मानते। हम इसका समर्थन करते हैं। उन्हें लाइए, लेकिन उन्हें लागू भी कीजिए। आप समस्या को सुलझा नहीं पाये हैं।

जहां तक खाद्य मिलावट का संबंध है, इसमें आप बुरी तरह विफल रहे हैं। खाद्य वस्तुओं में मिलावट रोकना आवश्यक है, लेकिन आप कहेंगे कि यह राज्य के क्षेत्राधिकार में है। जब तक गलत व्यापारिक व्यवहार चलते रहते हैं, तो कृपया देखें कि क्या हो रहा है ? आप अमेरिका और ब्रिटेन से प्रेरणा ले रहे हैं। अगर आप गलत व्यापारिक व्यवहारों को बन्द कर दें तो मैं आपको अपना समर्थन दूंगा। जहां तक धारा 21, 22 के क्षेत्राधिकार को थोड़ा और बढ़ाने का संबंध है सिद्धांत रूप से यह एक अच्छी बात है। लेकिन इसे सही ढंग से लागू नहीं किया गया है।

जहां तक कम्पनियों.....से कुछ धाराओं को हटाने का संबंध है.....।

(व्यवधान)

जहां तक वस्तुओं की परिभाषा का संबंध है, अगर अनिश्चितताओं को दूर किया जाता है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

जहां तक कुछ संशोधनों का संबंध है, मैं और ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। वे कुछ हद तक तकनीकी हैं। कुछ का अवश्य ही कुछ न कुछ लाभ होगा। जब तक हम इस देश को

राजनीतिक और प्रशासनिक इच्छा को बिल्कुल ही अलग ढंग से तथा पूर्ण ईमानदारी से इस मामले पर विचार नहीं करते तब तक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आयेगा।

आपकी अनुमति से मैं कुछ और आंकड़े देना चाहता हूं। 20 बड़े घरानों की सम्पति 1980 में 14,408 करोड़ रु० थी, जोकि 1982 में बढ़कर 21,688 करोड़ की हो गई। इसमें 50% की वृद्धि हुई। 14000 करोड़ रु० 21,000 करोड़ रु० बन गया। कुल कारोबार 4000 करोड़ रु० से बढ़ गया। 20,000 करोड़ रु० का बढ़कर 24,000 करोड़ रु० का हो गया। 1980 में कर से पूर्व लाभ 1,121 करोड़ रु० था और 1981 में यह 1,334 करोड़ रु० हो गया। 1982 में यह 1,071 करोड़ रु० से भी अधिक हुआ। यह केवल एक क्षेत्र में है। श्री महतो ने पूछा था कि किसकी कीमत पर निजी क्षेत्र पैसा कमा रहा है। हम किन के धन से पैसा बना रहे हैं ? जीवन बीमा निगम भारतीय यूनिट ट्रस्ट आदि सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं द्वारा धन मुहैया किया जा रहा है।

हम मांग करते रहे हैं। मैं कुछ समय तक कार्यमंत्रणा समिति का सदस्य रहा हूं, उसमें भी हम यह मांग करते रहे हैं ? सरकार निदेशकों की नियुक्ति कैसे करती है। वे अपनी शक्तियों का प्रयोग कैसे करते हैं और वे कितनी बैठकों में शामिल होते हैं ? एस्कार्ट के मामले में यह एक नवीनतम विवाद बन गया है—क्या सरकार इसका नियंत्रण करे या नहीं ? लेकिन दुर्भाग्यवश इस विषय ने तब नया मोड़ ले लिया जब इसको राजनैतिक स्तर पर निपटाया जाने लगा। इसको और अधिक महत्व तब मिला जब अनिवासी विदेशी, भारतीयों को शामिल किया गया, लेकिन एक भारतीय था या पहले भारतीय मूल का होने या भारतीय नागरिकता वाले इन लोगों को इस देश में थाल में परोस कर ये सुविधाएं दी गई। सारा वास्तविक विवाद निजी क्षेत्र के बारे में फैसला करने के लिए है। आपको इनका राष्ट्रीयकरण करने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपना नियंत्रण और अधिक प्रभावी तरीके से लागू करना चाहिए। आप ऐसा नहीं करते हैं।

निजी क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र के संसाधनों और वित्त से पैसा बना रहा है। इस निजी क्षेत्र का कर उत्तरदायित्व क्या है ? वह अपना पूरे कर नहीं अदा करते। ये कर बकाया पड़े हुए हैं। 30-9-82 तक बिरला पर 144.66 करोड़ रु० का आयकर बकाया था। 1982 में टाटा का 5.94 करोड़ रु० और श्री राम का 174.78 लाख रु० आयकर के बकाया थे। यह रिपोर्टों में कहा गया है। इनका अपना पूंजी निवेश पांच से दस प्रतिशत भी नहीं है। बंगूर पर 24.50 लाख रु० कर के रूप में बकाया है। प्रो. साहिब, ये लोग कौन हैं ? आप कौन हैं ? जरा पर्दा हटा कर देखिए। इस तरह इस प्रकार का कपट, कपट एक जोरदार शब्द है, इसलिए मै इसका प्रयोग नहीं करना चाहता - दोहरे मापदण्ड से कोई लाभ नहीं होगा। इन कानूनों को आप पारित करते जाइए। परिवर्तित कानून और आप द्वारा की गई कार्यवाही से आप कह सकते हैं कि आप कितने परिवर्तन वादी हैं, हमने कमियों को खत्म कर दिया है। श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में ज्यादा एकाधिकारी उपक्रम तथा शक्ति शक्ति का संकेन्द्रण नहीं हो सकता है क्योंकि हम गरीबी दूर कर रहे हैं, इस विधेयक का यही प्रचार होगा लेकिन हम तथ्य जानते हैं, यह तो भरोसा दिलाने वाली बात है। यह सब कागजी प्रावधान हैं। ये आगामी चुनावों

के लिए है। करने दें और कृपा करें मैं बुरा नहीं मानता। उन्हें ऐसा करने दीजिए। लेकिन लोगों को अपनी सही राय देने दें और यह राय उस दल की नीतियों के विरुद्ध है जोकि लोगों के अहित के लिए वर्षों से अपनाई जाती रही है।

प्रो० एन० जी० रंगा (टूगुंर) : सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और मुझे खुशी है कि उन्होंने आखिरकार इसे सभा में पेश किया है। काफी पहले हमें यह विधेयक या इसी प्रकार का कोई अन्य विधेयक लाना चाहिए था। फिर भी अच्छा है कि आखिरकार इसे पेश किया गया है। लेकिन मेरे मित्र श्री सोमनाथ चटर्जी इससे भी सन्तुष्ट नहीं हैं। वह कहते हैं तुम्हारी सरकार जितना दिखावा करती है उतनी परिवर्तनशील नहीं है। मुझे खुशी है कि उन्होंने इससे ज्यादा बुरे शब्दों का प्रयोग नहीं किया है।

प्रो० मधु दंडवते : उन्होंने सख्त शब्दों का प्रयोग इसलिए नहीं किया क्योंकि आप यहां उपस्थित थे।

प्रो० एन० जी० रंगा : लेकिन फिर भी अगर श्री मोहन कुमार मंगलम जोकि मेरे एक अच्छे और पुराने मित्र थे और काफी समय तक मेरे सहयोगी रहे, आज जीवित होते और हमारे दल में होते जैसा कि कुछ समय पहले थे, तो मुझे विश्वास है कि उन्होंने इस विधेयक का समर्थन किया होता और उन्होंने इस विधेयक का स्वागत किया होता। वह मेरे मित्र से किसी भी तरह से कम साम्यवादी नहीं थे। अब, मेरे मित्र इस निजी उद्यम को बिल्कुल नहीं चाहते। वह इसे नहीं चाहते और साथ ही वह, उनका दल और उनका दल और उनके सहयोगी इस बात के लिए भी तैयार नहीं हैं कि इस सरकार के साथ सहयोग किया जाए, मात्र इस बात के लिए कि सार्वजनिक उपक्रम जोकि हमारे पास हैं—राज्य के अधीन राज्य द्वारा संचालित, राज्य सहायता प्राप्त है—अच्छा कार्य करें और कुछ अच्छे परिणाम दिखाएं और ज्यादा से ज्यादा घाटे में न चलते रहें।

इसके अलावा, श्रीमन्, क्या उनके लिए बिना किसी निजी उद्यम के चल पाना सम्भव हो सकता है अगर ये सभी सार्वजनिक प्रतिष्ठान अच्छी हालत में पहुंच जाएं और उस उद्यम में सफल है।

परन्तु वे बुरी तरह असफल हो रहे हैं—उनमें से अधिकांश—और इन परिस्थितियों में, क्या हमें निजी उपक्रम पर निर्भर नहीं करते रहना चाहिये ? प्रश्न यह खड़ा होता है। हमारे और उनके समझ यही चुनौती है। हमें क्या उत्तर देना है ? पंडित जवाहरलाल नेहरू मेरे से भी बड़े समाजवादी थे। मेरी यह शिकायत रहती थी कि कि पंडित जवाहर लाल नेहरू मेरे से अधिक उग्र समाजवादी नहीं थे। उन दिनों मैं स्वयं को अधिक समाजवादी समझा करता था।

परन्तु अन्त में, श्री श्याम प्रसाद मुखर्जी सहित हममें से तीन, उन सबको लेकर जो हमारे पीछे थे, उस राष्ट्रीय सम्मेलन में गये, जहां पर तत्कालीन राज्य सरकारों के प्रतिनिधि थे, श्रम-संघों —'इन्टक', 'एन्टक, —और उनके प्रतिनिधियों का भी प्रतिनिधित्व किया गया था और और उद्योग पतियों का भी प्रतिनिधित्व था ।

हम सभी इस निष्कर्ष पर पहुचे कि हमें मिश्रित अर्थ-व्यवस्था के आधार पर अपनी औद्योगिक अर्थ व्यवस्था को विकसित करने का अपनी ओर से भरसक प्रयास करना चाहिये । हमें इस सीमा तक निजी उपक्रम को भी आमन्त्रित करना होगा, उसका स्वागत करना, होगा, सहायता और प्रात्सोहन देना होगा तथा हम निजी उपक्रम को, अपने औद्योगिक ढांचे के कुछ क्षेत्रों में परिचालन की अनुमति दें । इसी प्रकार, स्वयं राज्यों को भी पहल करके इन राज्य उपक्रमों को विकसित करना चाहिये ।

इसके अतिरिक्त, हम सहकारी उपक्रमों को प्रोत्साहित करना चाहते थे क्योंकि हम समाजवादी सहकारी संगठन में विश्वास रखते थे ! और हम उसे उस ढंग से विकासित करना चाहते थे । हमने तो यहां तक सोचा था कि सहकारी संगठन द्वारा, हम राज्य मात्र समाज की तुलना में और प्रदर्शन कर सकेंगे । हमारे ये समान विचार थे । उस समय के, हमसे वरिष्ठ लोगों में से एक, मेरे माननीय मित्र के विख्यात पिता जी थे जो कि मेरे बहुत अच्छे सहकर्मी थे और श्री एन० सी० चटर्जी भी उन दिनों हमारे साथ थे । हम सबने मिलकर साथ-साथ कार्य किया था ।

सभापति महोदय : उनके पिताजी साम्य वादी नहीं थे ।

प्रो० एन० जी० रंगा : वह एक महान नेता थे और एक महान सामाजिक कार्यकर्ता भी । और जन सेवा को जारी रखने के लिए उन्होंने उच्च न्यायालय के न्यायधीश पद को ठोकर मार दी ।

अतः, हम सभी देश भक्त थे । हमें एक-दूसरे पर विश्वास था । हमने एक-दूसरे को सहयोग दिया और मिश्रित अर्थ-व्यवस्था की इस नीति को विकसित किया तथा उस नीति के अनुसरण में, हम निजी उद्यमियों को भी इस तरह से नियन्त्रित करना चाहते थे कि उनमें से कुछ, कुछ औरों को समाप्त न कर दें और उनमें से कुछ के ही सबसे ऊपर न पहुंच पाएं तथा संसदविज्ञों को नियन्त्रित करना और प्रशासकों को भी बस में करना आरंभ न कर दें और फिर हमको उनके शिकंजे से छुड़ाना जैसा कि वे अमरीका में किया बताते हैं । इस

देश को उन निजी उद्यमियों और एकाधिकार-पतियों हालांकि वे थोड़े से हैं जैसा कि हम इन्हें पुकारते हैं और जो सबसे ऊपर हैं, से बचाने के लिए यह सब किया गया था और तभी हमने यह कानून पास किया था। जब हमने यह कानून पास किया था तो हमारे सामने अमरीका का कानून भी था। इसके बाद अब हम देखते हैं कि कानून पर्याप्त नहीं था। अतः, इसलिए यह संशोधन विधेयक लाना पड़ा।

इसलिए, मेरे माननीय मित्रों को चाहिये कि ऐसे कठोर शब्दों से सरकार को दोषी ठहराने के बजाय उसके इस कदम का मिलकर स्वागत करना चाहिये।

(व्यवधान)

प्रो० एन० जी० रंगा : दूसरे, मेरे माननीय मित्रों को पश्चिम बंगाल में प्रयोग करने की छूट है। वे पश्चिम बंगाल में जो भी सरकार उद्यम हैं, उन्हें सफल बनाने में तो निश्चय ही हमारी सहायता कर सकते हैं। इसके बजाय उन्होंने उद्योगपतियों को इस सीमा तक भयभीत कर दिया है कि जो पूंजीपति और एकाधिकारी पति जो उनकी पीठ पर है, उन सभी उद्योगों को धीरे-धीरे अलग-अलग करके वहां से ले जा रहे हैं। यद्यपि नाम तो वहां पर ही हैं, परन्तु मशीनें उपादान वहां पर नहीं हैं, वह सब तो अन्य राज्यों को भेजा जा रहा है और इसीलिए तो मेरे माननीय मित्र हर समय शिकायत करते रहते हैं कि इतने सारे मजदूर बेकार हो गये हैं। मैं मन्त्री महोदय से अब जो बात पूछना चाहता हूं—और अन्य मन्त्री महोदय सही समय पर कुछ संतोषजनक उत्तर देने का प्रयास करेंगे—वह यह है कि उन्होंने एक आरोप लगाया है कि कुछ ऐसे सरकारी उद्यम हैं, जिनमें से एक का उन्होंने उल्लेख किया है, जिन्हें भारत सरकार सहायता नहीं दे रही है। कारण का मुझे पता नहीं है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं आपकी सहायता का करता हूं और कृपया मेरी ओर से भी उनसे बोलना।

प्रो० एन० जी० रंगा : मैं कौन होता हूं, मैं भी आप जैसा ही हूं। आप सभी के रिक्त शीर्षक है, वैसे ही मेरा भी है। ये सभी प्रतीकात्मक हैं—सभा में वरिष्ठता। अतः, मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा क्यों हुआ। इस और उस सरकार के बीच कुछ न कुछ गलत अवश्य है या फिर दोनों सरकारों की गलती है और सम्भवतया दोनों ही सरकारें सही हों परन्तु स्वयं मजदूर ही दोषी हो।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं आपको सविनयपूर्वक मेरे साथ वहां चलने का निमन्त्रण देता हूं और आप स्वयं वहां जाकर उद्योगों को देखें और यदि आप उनके बन्द करने की सिफारिश करें तो यह मुझे स्वीकार्य होगा। परन्तु, मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसा आप मामले के पूर्ण विचारण करके ही करेंगे।

प्रो० एन० जी० रंगा : मैंने इस मामले को उठाकर अपना कर्त्तव्य पूरा कर दिया है, जो कि मेरे माननीय मित्र के उस कथन के समर्थन में नहीं है जो कुछ उन्होंने कहा है, बल्कि इस मामले की ओर सरकार का ध्यान दिलाने के लिए किया है । जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है, मैं इससे अधिक कुछ नहीं कहना चाहता हूं ।

लेकिन जब मैं विपक्ष में था, तो जो मुझे एक बात कुछ समय के लिये चिंतित किए रहती थी, वह मेरी एक विशेष चिंता अभी भी है...

प्रो० मधु दण्डवते : वह आपका सबसे अच्छा समय था !

प्रो० एन० जी० रंगा : और इस समय भी है, जबकि मैं इस ओर हूं ।

जैसा कि मेरे माननीय मित्र ने कहा है, अधिकांश सफल और भली भांति चलने वाले गैर-सरकारी उद्यमों को उन विभिन्न वित्तीय संस्थानों द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है जिन्हें हमने स्वतन्त्रता प्राप्त करने के बाद खड़ा किया है । ऐसा हम उनको विभिन्न दिशाओं में फलने-फूलने और अनेक उद्योगों तथा उद्यमों का विकास करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु करना चाहते थे जिससे कि हमारा देश समृद्ध हो सके और औद्योगिक रूप से प्रगति कर सके ।

अतः, हम चाहते थे, कि शेयर-पूंजी में भागीदार के रूप में, ऋणदाता आदि के रूप वित्तीय संस्थान धन दें । हम चाहते थे कि सार्वजनिक संस्थान उन निदेशक बोर्डों में अपने निदेशक भी भेजें, जिससे जिस ढंग से निजी उद्यमियों द्वारा ये उद्योग चलाये जा रहे हैं, उसमें जन-हित को सुरक्षित रखा जा सके । अब क्या हो रहा है ?

मेरे माननीय मित्र और अन्य बहुत से लोग भारत मूल के उन एक या दो या पांच अथवा दस भारतीयों के हाथ बांधने एक जुट होकर काम कर रहे हैं जो कि बाहर जाकर बस गये हैं या जो विदेशों में बसे भारतीयों की सन्तानें हैं । वे सब मिलकर एक हो गए हैं और वे भारी मात्रा में धन यहां लाना चाहते हैं और हमारे उद्योगों में निवेश करना चाहते हैं । परन्तु ये माननीय मित्र इस पर इतना हल्ला-गुल्ला मचा रहे हैं कि वे ऐसा क्यों करें । क्या उद्योगपतियों का एक ग्रुप उनके भाई हैं और दूसरा ग्रुप साले हैं ? वे सभी हमारे भाई हैं, वे सभी उद्योगपति हैं, वे अपना धन यहाँ लाना चाहते हैं...

श्री सोमनाथ चटर्जी : हमने यह कहा है कि गत वर्ष के वित्त विधेयक में और बजट प्रस्तावों में अकस्मात हमने यह एक विशेष प्रावधान पाया था जो कि भारतीय मूल के गैर-

आवासी विदेशियों के पत्र में था। इन उपबन्धों का लाभ कितने लोगों ने उठाया है सिवाय विश्वास पात्रों के या उस सज्जन के जिनसे आजकल आपकी बातचीत चल रही हैं ? अधिकतर इन दो व्यक्तियों ने ही लाभ उठाया है। हमने यह कहा है, क्या यह उपबन्ध कुछ व्यक्तियों के लिए ही था, केवल एक या दो व्यक्तियों के लिए ही यह विस्तार किया गया था।

(व्यवधान)

प्रो० एन० जी० रंगा : कहीं न कहीं या तो शुरूआत की गई है। यह एक परीक्षण का मामला था। अमरीका और कनाडा में भारत मूल के अमरीकी हैं। उनमें से कुछ आकर मुझे तब मिले थे, जब ये बातें चल रही थीं। उनका कहना था कि क्या उन्हें भी अपना धन यहां लाकर लगाने और अपने स्वयं के उद्यम चालू करने का अवसर मिलेगा या अन्य उन उद्यमों में निवेश कर सकते हैं जो कि यहां पर पहले से ही चल रहे हैं जिनमें वे भागीदार बनना चाहेंगे, जिससें वे भी कार्य आरंभ कर सकें। कहीं न कहीं तो शुरूआत की जानी है। ये सभी लोग बड़े भाग्यवान थे कि सभी मिलकर बहुत सारा धन जुटा सकें और जैसा कि आप कहते हैं, उल्लेखनीय मात्रा में धन। उसके पश्चात वे आकर प्रयास करते हैं।

जैसे ही वह प्रयास करते हैं, वे उसे डराना-धमकाना आरंभ कर देते हैं कि हमारे देश में कोई धन नहीं लाया जा सकता है, यहां पर किसी प्रकार का उद्यम नहीं खड़ा किया जाना चाहिये। जिसका आशय है कि हमारा पहले का उद्देश्य जो हमने अपने समक्ष रखा था, राष्ट्रीय सर्व सम्मति के रूप में, कि इस देश में उद्यमों को विकसित किया जाए चाहे वह निजी हो या सरकारी, उद्योगों का विकास होना चाहिये और उन्हें गति प्रदान की जाए।

(व्यवधान)

वह उद्देश्य, वह राष्ट्रीय उद्देश्य धूमिल हो जायेगा, यदि हम इस प्रकार का बहु-मुखी जन रवैया अपनायेंगे। यह तो कठिनाई है।

इन औद्योगिक उद्यमों के ऊपर सरकार का करना नियन्त्रण होगा ? क्या उन्हें कोई नियन्त्रण रखना चाहिये ? हमारे अधिकांश अंग्रेजी दैनिकों और वैसे ही महत्वपूर्ण आंचलिक दैनिकों की सम्पादकीयों के माध्यम से, आप पायेंगे कि वे किसी प्रकार के उस विकास के विरुद्ध हैं जो कि हमारे अपने देश में और अन्य देशों में राज्य उद्यम से आने वाला है। क्यों ? उन्हें राज्य और सरकार का कोई नियन्त्रण स्वीकार्य नहीं है। इससे तो ऐसा लगता है

है कि वे राज्य नियन्त्रण के बजाय निजी उद्यम चमक-दमक चाहते हैं। सरकार होनी ही नहीं चाहिए। सरकार को प्रहरी की तरह नहीं, बल्कि वृद्ध, नेत्रहीन धृतराष्ट्र की तरह होना चाहिए, ताकि वह मनमाने ढंग से कार्य कर सके। प्रिय मित्रों, आज यही हो रहा है।

हमें इन बातों को राष्ट्रीय दृष्टिकोण से, दलगत भावना से परे होकर देखना चाहिए। इस देश में किसी प्रकार का विकास कैसे हो सकता है? विकास तो होना ही चाहिए। इसीलिए, निजी उद्यमों का भी स्वागत किया जाए। साथ ही साथ उस निजी उद्यम को कैसे सही तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है? इस बात में मैं अपने मित्रों से सहमत हूं और उन्हें मेरे साथ सहमत होना चाहिए। क्या हमें इन लोगों इन निजी उद्यमियों को, स्वेच्छा से कार्य करने और सरकार को औद्योगिक नियंत्रण के दायरे से दूर रखने पूरी स्वतन्त्रता देनी चाहिए। सरकारी नियंत्रण अवश्य होना ही चाहिए और सरकार को अधिकाधिक शक्तियां दी जानी चाहिएं। लेकिन किस सीमा तक? यह आयोग, महानिदेशक, अनेक अधीनस्थ, बहुत से निदेशक और अन्य लोग हस्तक्षेप करते रहते हैं और फिर इसका क्या परिणाम निकलता है? हमारे पूंजीपति शिकायतें कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं यह नियंत्रण भी चाहता हूं। इसलिए, हम सरकार से यह आशा करते हैं कि वह अपने विवेक का और अपने अधिकारों का इस्तेमाल ऐसे तरीके से करेगी जिससे देश को प्रगति की ओर बढ़ने में सहायता मिलेगी और इसके साथ ही साथ इन उद्योगपतियों को सही, कारगर तरीके से और सूझ-बूझ से नियंत्रित करेगी। मेरे लिए यह कहना या मेरे मित्रों के लिए मुझसे सहमत होना इतना आसान नहीं है। किन्तु, इतने विवेकपूर्ण तरीके से इन अधिकारों का इस्तेमाल करना इन मंत्रियों के लिए भी बहुत कठिन है। ये मंत्री यहीं पर ही गलतियां करेंगे। इसीलिए, इन्होंने स्वयं को और उद्योगों को नियंत्रित करने वाला यह विधेयक प्रस्तुत किया है। और इसी कारण से मैं इस विधेयक को पसंद करता हूं।

हम अपने उद्योगपतियों को ऋण देते हैं। हम उन्हें स्वतंत्रता देते हैं। हम अपने अधिकारों का इस्तेमाल करके उनके मार्ग में बाधा नहीं डालेंगे और इसलिए, हम सरकार से कहेंगे कि वह अपने अधिकारों का इस्तेमाल विवेकपूर्ण तरीके से करे। ये सभी बातें हमें करनी हैं। ये उद्योगपति भी गड़बड़ घोटाला करते हैं। ये लोग घोटाला कर रहे हैं। बहुत से इन व्यापारियों का यह धन्धा बन गया है कि विभिन्न तरीकों से यथासम्भव अधिकतम राशि जमा की जाए, अपने उद्योगों को घाटे वाले उद्योगों में बदला जाए और इसके बाद हमारे इस सर्वहारा वर्ग को, श्रमिक वर्गों को संसद पक, सरकार पर यह दबाव डालने के लिए एक साधन के रूप में इस्तेमाल किया जाये कि क्या "आप सांसद इन बेरोजगार लोगों को रोजगार नहीं देंगे?" इन लोगों के बेरोजगार रहने का दोष किसका है? ये लोग प्रशिक्षित हैं, कार्यकुशल हैं। इनका बेरोजगार रहना क्या राष्ट्रीय हानि नहीं है? इसलिए हम संसद सदस्य सरकार के पास जाते हैं।

यह सम्भव है कि सरकार जागरुक रहे और प्राय: सरकार जागरुक रहती है परन्तु यदि सरकार सो रही हो तो हम कहते हैं "क्या आप जानते हैं कि ये मजदूर बिना किसी कसूर के कष्ट उठा रहे हैं।" उद्योग रुग्ण है। कृपया इन्हें बचाइए। पहले, एक दायित्व की तरह रुग्ण उद्योगों को अपने हाथ में लीजिए और फिर इन लोगों को रोजगार देकर इनके चरण-पोषण की व्यवस्था कीजिए और बाद में इन सभी घाटों को सार्वजनिक लेखे में डाल दीजिए। "आज यही हो रहा है। क्या हम सरकार को अधिकार देकर और इस बात पर निगरानी रखने का दायित्व सौंपकर इन बातों को रोक नहीं सकते कि उत्तरोत्तर बढ़ रहे थे हजारों निजी उद्यम जो समूचे देश में चल रहे हैं, कैसे कार्य कर रहे हैं। क्या ये उद्यम ठीक चल रहे हैं या नहीं। बहुत से उद्यम ठीक से चल रहे हैं और इसलिए हमें इनमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। परन्तु इनमें से कुछ की व्यवस्था बिगड़ने वाली है। आप अपने अधिकारियों को भेजिए, इन उद्यमों की जांच कराइए और यह सुनिश्चित करिए कि क्या प्रबन्धकों को आवश्यक चेतावनी देकर और समस्याओं को ठीक तरीके से समझने के लिए मजदूरों की सहायता करके और कम से कम इस स्थिति में प्रबन्धकों को इस बात के लिए बाध्य करके कि मजदूरों को भागेदारी दी जाए — जैसा कि अब बहुत से सार्वजनिक उद्यमों में करने का प्रयास किया जा रहा है —इन उद्यमों को सही तरीके से चलाया जा सकता है। इस भागीदारी में एक तिहाई मजदूर, एक तिहाई निजी उद्यमी और एक तिहाई वित्तीय संस्थाओं का हिस्सा होना चाहिए। इसके बाद इन उद्योगों में घाटा नहीं होगा।

यह बात राष्ट्रीय हित में है कि सरकार को इस मामले को गम्भीर मानना शुरू कर देना चाहिए और इसके बाद इस बात पर गम्भीर तरीके से विचार करना चाहिए कि यह काम कैसे किया जा सकता है; मेरे माननीय मित्र विधि मंत्री, को जो इस विधान, इस गतिविधि, के इन्चार्ज हैं, क्या अधिकार दिए जाएं और उद्योग मंत्री तथा वाणिज्य मंत्री और अन्य संबंधित प्राधिकारियों को कौन-कौन से दायित्व सौंपे जाएं इस प्रकार आप देखेंगे कि सार्वजनिक उद्योगों की यथासम्भव अधिकतम कार्यकुशलता रखी जा सकती है। अकुशलता तो होगी ही। किन्तु, यह अकुशलता इतनी न हो कि जिससे उद्योग घाटे में चला जाए। आज इसी बात की आवश्यकता है। मैं चाहूंगा कि मेरे माननीय मित्र, विधि मंत्री जी योजना आयोग और अन्य सम्बन्धित मंत्रियों की सलाह लें और इसके बाद किसी उपयुक्त समय पर यह विधेयक लेकर यहां आएं। यह विधेयक निजी उद्यमों की ओर भी यथासम्भव अधिकतम प्रगति करने में देश की, राष्ट्र की, सहायता करने के लिए सरकार के सभी सम्बन्धित मंत्रालय को अधिकार प्रदान करेगा।

धन्यवाद, श्रीमान ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : इनके भाषण के इस भाग, अर्थात् रुग्ण उद्योगों और कम्पनियों के सम्बन्ध में इनकी टिप्पणियों, से मैं सहमत हूं ।

प्रो० एन० जी० रंगा : धन्यवाद ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : कृपया आप इसके पीछे लगे रहें ।

सभापति महोदय : श्री चित्त बसु ।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : अध्यक्ष महोदय, आज यह स्मरण करना उचित होगा कि भारत में एकाधिकार ने एक दानव का रूप धारण कर लिया है और जब तक इस दानववृत्ति को रोकने के लिए कारगर कदम नहीं उठाए जाते, यह बढ़ती ही जाएगी । भारत में इस एकाधिकार ने न केवल स्वतन्त्र विकास --हमारे देश के आर्थिक विकास—की वृद्धि को ही अवरुद्ध कर दिया है बल्कि मैं तो कहूंगा कि इससे हमारे देश में पूंजीवादी विकास पर निर्भर विकास की नीति अपनाने पर बाध्य कर दिया है । वे निजी विदेशी पूंजीपतियों के साथ सहयोग कर रहे हैं, जिससे प्रभावित विदेश नीतियां और अन्य सम्बन्धित राष्ट्रीय नीतियों का विस्तार होगा ।

इसलिए, महोदय, हमारी यह मांग राष्ट्रीय हित में है कि एकाधिकार के इस दानव को यदि पूर्णत: समाप्त न किया जाए तो इसे पंगु अवश्य बना दिया जाए । हमारे देश में एकाधिकार की वृद्धि के खतरे को समझने की आवश्यकता है । मैं भारतीय रिजर्व बैंक के अध्ययन की हाल ही की रिपोर्ट का हवाला देता हूं । इसमें कहा गया है कि :—

> 1972-73 और 1980-81 की अवधि में एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार गृहों की वृद्धि की भारतीय रिजर्व बैंक के अध्ययन द्वारा जांच की गयी है ।"

मैं उनके निष्कर्षों का उल्लेख करता हूं । प्रो० रंगा, जिनका मैं बहुत आदर करता हूं, कृपया इसे नोट कर लें, मैं उद्धृत करता हूं :

> "एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार गृहों की पूंजी की वृद्धि 158% थी और इनके सर्वोच्च दस गृहों की वृद्धि 149% तथा अगले सर्वोच्च बीस ग्रहों की वृद्धि 162 % थी ।"

यह 1972-73 से 1980-81 तक की अवधि का है। मैं बात श्री चटर्जी या मैं नहीं कह रहा हूं। यह वामपंथी दृष्टिकोण नहीं है। यह उद्धरण भारतीय रिजर्व बैंक की अध्ययन रिपोर्ट से है। क्या इससे इन्कार करने का दम आपमें है ? (व्यवधान)। सुनने का धैर्य रखें और सहन करने की शक्ति।

महोदय, इसमें आगे कहा गया है :

"एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार गृहों की परिसम्पत्तियां 1972 से 1977 तक की अवधि में 5,597 करोड़ रुपये से बढ़कर 10,005 करोड़ रुपये हो गयीं।".....

जो 70% से भी अधिक की वृद्धि है और 1977 से 1982 तक की अवधि में परिसम्पत्तियां 10,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 21,000 करोड़ रुपये हो गयीं, जो कि 116% वृद्धि है।"

इसलिए, महोदय, इससे भारी वृद्धि का पता चलता है और यह वृद्धि हमारे देश के स्वतंत्र विकास के विरुद्ध है। इस राजनीतिक पहलू को भी ध्यान में रखा जाना है।

महोदय, सरकार से मेरा यह प्रश्न है कि क्या थोड़ी सी अवधि में इस प्रकार की असामान्य वृद्धि राष्ट्र के सामान्य हित के विरुद्ध कुछ एक लोगों के हाथ में आर्थिक शक्तियों के केन्द्रीकरण को रोकने के उद्देश्य के अनुरूप है ? मैं कहूंगा "यह वृद्धि उद्देश्य के अनुरूप नहीं है।" यह वृद्धि हमारे राष्ट्र हित तथा देश को औद्योगिक और अन्य प्रकार के विकास के लिए हानिकारक है।

महोदय, हमारे आदरणीय नेता प्रो० एन० जी० रंगा ने एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम की प्रशंसा में बहुत कुछ कहा है। मैं केवल उसका उल्लेख करना चाहूंगा जो आयोग के एक न्यायभूति मधुसूदन राव ने कहा है। उन्होंने एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के उद्देश्य को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है :

"एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम आर्थिक केन्द्रीकरण को अवरुद्ध या रोकता नहीं है। यह अधिनियम किसी को बड़ा, उससे बड़ा और सबसे बड़ा बनने से रोकता नहीं है। यह अधिनियम केवल यह सुनिश्चित करता है कि आर्थिक केन्द्रीकरण सामान्य व्यक्ति के हित में न हो .. ..यह अधिनियम एकाधिकार को नियंत्रित करता है, लेकिन एकाधिकार का निषेध नहीं करता।"

इसलिए, स्वयं एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम का उद्देश्य एकाधिकार का ही निषेध करना और उसे समाप्त करना नहीं है । बल्कि, जैसा कि श्री सोमनाथ चटर्जी ने कहा है, इस प्रकार की एकाधिकार-विरोधी लोकप्रिय उपाय ने पिछले कुछ वर्षों में एकाधिकार को और भी अधिक सुदृढ़ बना दिया है ।

महोदय, प्रो० दण्डवते और श्री चटर्जी-दोनों ने एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग का हवाला दिया है । मैं आयोग के भूतपूर्व अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंगाराजन का मत उद्धृत करता हूं :

> "इस आयोग में कारगर तरीके से काम करने के लिए उपयुक्त ढांचे और कर्मचारीयों की कमी है । राजनैतिक नेताओं की इच्छा बिल्कुल नहीं थी और अधिकारी वर्ग अपनी किसी भी शक्ति को छोड़ना नहीं चाहता ।"

आपको ये सारी बातें ध्यान में रखनी चाहिएं । यह आयोग अप्रभावी सिद्ध हो चुका है विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम की धारा 21 के अन्तर्गत 1981-82 में भारी विस्तार के लिए 295 आवेदन-पत्रों में से एक भी इस आयोग को नहीं भेजा गया । क्यों नहीं भेजा गया ? 1981-82 में 295 आवेदन पत्र आये और उनमें से एक को भी आयोग के पास नहीं भेजा गया । यह आयोग किस लिए है ?

अप्रैल से दिसम्बर, 1982 के दौरान प्राप्त 177 आवेदन-पत्रों में से आयोग को केवल 4 मामले सौंपे गए । कुछ विशेष मामले ही क्यों सौंपे गए शेष क्यों नहीं सौंपे गए । जब भी मैं ऐसी बातें कहता हूं तो मन्त्री महोदय मुझ पर कुछ राजनैतिक लाभ सम्बन्धी आरोप लगाते हैं । मैं यह कहूंगा कि कुछ ऐसे राजनैतिक और अन्य कारण हैं, जो इतने अधिक मामलों को आयोग के पास सौंपने से सरकार को रोकते हैं ।

सभापति महोदय ने स्वयं कहा है कि इस आयोग से किसी का कोई नुकसान नहीं होगा । एकाधिकार प्राप्त घरानों की वृद्धि करने और उन्हें सुदृढ़ करने में सरकार की क्या भूमिका है । इसके लिए कौन-कौन से कारण उत्तरदायी हैं ? सरकार की नीति के कारण ही एकाधिकार घरानों की जबरदस्त पकड़ और अधिक सुदृढ़ हो गई है । मैं आपको केवल एक उदाहरण दूंगा 26 अगस्त, 1983 के 'इकोनोमिक्स टाइम्स' के अनुसार अखिल भारतीय वित्तीय ऋण दाता संस्थाओं ने एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार के अन्तर्गत कम्पनियों को 31 मार्च, 1985 तक कुल मिलाकर 3065 करोड़ रुपये के ऋणों की मंजूरी दी है और इनमें से 2312

करोड़ रुपये का वितरण अब तक हो चुका है। यह किसका धन है ? यह सार्वजनिक धन है। इन एकाधिकार प्राप्त घरानों को और मजबूत करने के लिए ये आवधिक ऋणदाता संस्थान यह राशि इन घरानों को दे रहे हैं।

बड़े घरानों की वित्तीय प्रगति का कितना विस्तार हुआ, यह निम्नलिखित बात से आंका जा सकता है। एक कांग्रेस के सदस्य ने, इन सब तथ्यों का वर्णन करते हुए एक ज्ञापन आपकी प्रधान मंत्री को भेजा था। यह मैंने नहीं भेजा था, बल्कि एक कांग्रेस(इ) के सदस्य ने भेजा था। भारत में बड़े व्यापारी घराने 148 करोड़ रुपए के थोड़े से पूंजी-निवेश के माध्यम से ऐसी कम्पनियों का नियंत्रण कर रहे हैं जिनकी कुल परिसम्पत्तियां 27,000 करोड़ रुपये है। क्या आपने इसको चुनौती दी है ? क्या आपने इस विवरण को चुनौती दी है ? इसलिए ये जीवन के कड़वे सत्य हैं। आप इन बातों की उपेक्षा नहीं कर सकते। प्रस्तावित विधेयक महा-निकर, तटस्थ और ख्यातिहीन है। लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए यह एक मामूली-सा कागज है। इससे अधिक यह कुछ भी नहीं है।

सरकार ने इन कम्पनियों में भारी पूंजी लगाई है। कई मामलों में सरकार के नियंत्रण में 50 प्रतिशत शेयर हैं। कम्पनी के मालिक के पास बहुत कम शेयर होते हैं, कई बार तो केवल 5 प्रतिशत ही होते है। अधिनियम की धारा 19 के अन्तर्गत सरकार कम्पनियों को अपने स्वामित्व में ले सकती है। तो ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा ? ऐसी कम्पनियों की संख्या बहुत अधिक है जिसमें सरकार के शेयर 50 प्रतिशत से अधिक हैं। मेरा प्रश्न यह कि सरकार उनका अधिग्रहण क्यों नहीं करती ?

मेरे मित्र श्री सोमनाथ चटर्जी कह रहे थे कि वामपन्थी सरकार के शासन में इस प्रकार के किसी कानून की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि वहां एकाधिकार नहीं होता। यदि एकाधिकार नहीं है और उसे समाप्त कर दिया गया है तब एकाधिकार का नियंत्रण करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी।

श्री रामप्यारे पनिका (राबर्टसगंज) : पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री श्री ज्योति बासु ने अनेक बार उद्योगपतियों को राज्य में उद्योग स्थापित करने के लिए आमन्त्रित किया है और उन्होंने काफी हद तक उद्योगपतियों की रियायतों और राजसहायता द्वारा सहायता की है और राज्य सरकार उनसे बहुत अधिक प्रसन्न है.....

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : अब उन्हें उन तथा कथित मजदूर संघों को पैसा नहीं देना पड़ता.....

(व्यवधान)

श्री चित्त बसु : मैं जानता हूं श्री पनिका अच्छी जानकारी रखने वाले व्यक्ति हैं क्या राज्य विधान सभा के पास भी, जैसा कानून बना रहे हैं वैसा बनाने की कोई शक्ति है ?

श्री विक्रम महाजन (कांगड़ा) : ऐसे मामले में, राज्य सरकार को उद्योगपतियों को वहां उद्योग स्थापित करने के लिए अनुरोध करने और आने के लिए निमंत्रण भेजने तथा उन्हें पश्चिमी बंगाल सरकार से रियायतें और राजसहायता प्राप्त करने के लिए कहने की कोई आवश्यकता नहीं है.....

(व्यवधान)

सभापति महोदय : उन्हें बोलने दीजिए। मैं हर उस सदस्य से कहना चाहता हूं जो मान नहीं रहा कि बीच में व्यवधान न डालें। **(व्यवधान)** ऐसे मैत्रीपूर्ण आदान-प्रदान केवल बाहर जाकर किए जा सकते हैं।

श्री चित्त बसु : हालांकि माननीय सदस्य ने प्रश्न मुझसे नहीं पूछा फिर भी मैं उनको इसका उत्तर देना चाहूंगा। क्या पश्चिम बंगाल राज्य एक स्वतन्त्र और प्रभुसत्ता सम्पन्न प्रदेश है ? क्या आप चाहते हैं कि यह ऐसी हो ? आईए हम खुलकर बात करें... **(व्यवधान)** पश्चिम बंगाल सरकार पूरी तरह से इस देश का एक भाग है और इस संसद की प्रभुसत्ता के अन्तर्गत कार्य करता है। जो कुछ भी पश्चिम बंगाल ने किया है वह सब कुछ संसद द्वारा एकाधिकार प्राप्त घरानों के विषय में बनाए गए कानूनों की रूपरेखा और परिधि के अन्तर्गत किया गया है।

जहां तक औद्योगिक घरानोंको प्रोत्साहन देने का संबंध है सभी राज्य सरकारें दे रही हैं और वही पश्चिमी बंगाल सरकार ने दी है। इसमें हानि क्या है ? यदि यह हानिकारक प्रमाणित हुई, तो हम भी आपके द्वारा बनाए गए वर्तमान कानूनों की चार दीवारी के अन्तर्गत रहकर ही, अपने हितों और कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना जानते हैं। इसलिए इस प्रश्न का तो उत्तर दे दिया है।

एकाधिकार प्राप्त घरानों की वृद्धि ने हमारे देश के छोटे और मध्यम आकार के उद्योगों के हितों पर भारी चोट की है। मैंने अपनी पहली टिप्पणियों में यह उल्लेख किया था कि

एकाधिकार प्राप्त घरानों ने राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध कार्य किया है। देखिए उन्होंने कितनी बरबादी की है। भारतीय जन प्रशासन संस्थान ने एक रिपोर्ट में उल्लेख किया है :

"लघु स्तरीय क्षेत्र को उपलब्ध और प्रदान की जाने वाली वित्तीय रियायतों और वित्तीय ऋणों की सुविधाओं का उपयोग अनेक बड़े औद्योगिक घराने और परा-राष्ट्रीय निगमों ने किया है।"

इससे आगे लिखा है :

"लघु क्षेत्र की सरकारी मान्यता प्राप्त सदस्यता ने अनेक बडी व्यवसायी कंपनियों को नियामक दायित्व से बचने में सहायता की है।"

इसलिए एकाधिकार प्राप्त घरानों की वृद्धि होना राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध है। विशेष रूप से इसके लिए, मैंने यह उल्लेख किया है।

अब, बड़े व्यवसायी घरानों की कार्यविधि के विषय में मैं आपका अधिक समय नहीं लेना चाहूंगा। मैं केवल यह कहूंगा कि बड़े व्यवसायी घरानों की कार्यविधि पर महालोनोबिस समिति एकाधिकार जांच आयोग की रिपोर्ट और दत्ता समिति की रिपोर्ट ने काफी प्रकाश डाला है। क्या आप उन्हें पढ़ेंगे ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : कौन पढ़ेगा ?

श्री चित्त बसु : यदि उनके पास राजनैतिक इच्छा शक्ति हो तो वे पढ़ सकते हैं और वे कोई न कोई समाधान भी खोज लेंगे। यह वास्तविक स्थिति है। एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम मूल रूप से बड़े विशाल औद्योगिक घरानों के सामने मामूली-सा दस्तावेज है, जिसका वे जो चाहें बना-बिगाड़ सकते हैं। आज आवश्यकता केवल कानून की कमियों को भरने की ही नहीं है, बल्कि शासक दल यदि वास्तव में एकाधिकार विरोधी प्रभावी कदम उठाने में रुचि ले रहा है, तो उसके सम्पूर्ण आर्थिक, वित्तीय रवैये में भी परिवर्तन करने की भी आवश्यकता है। महोदय, यह विधेयक कोई राजनैतिक इच्छा शक्ति नहीं दर्शाता है बल्कि यह विधेयक एक ऐसा झूठा प्रभाव पैदा करने जा रहा है कि यह सरकार एकाधिकार का वास्तव में विरोध करती है। परन्तु सचाई यह है कि सरकार एकाधिकार समर्थक है। कुछ सीमाएं उन्होंने अपने ऊपर लागू कर ली हैं और उससे आगे वे जा नहीं सकते।

यदि सरकार ईमानदार है तो वह सच्चर समिति की अन्य सिफारिशों पर विचार क्यों नहीं करती। मैं केवल यह कहूंगा कि यदि इस विधेयक में सच्चर समिति की सभी

सिफारिशों पर विचार किया जाता तो यह कुछ अधिक मजबूत विधेयक होता और एक ऐसा अधिक मजबूत अधिनियम बनाता जो एकाधिकार प्राप्त घरानों से थोड़ी-बहुत सख्ती तो कर सकता था। परन्तु महोदय, आपने कुछ सिफारिशों को चुन कर उठा लिया और समिति की अत्यावश्यक तथा महत्वपूर्ण सिफारिशों की उपेक्षा की है और उन पर ध्यान नहीं दिया।

इसलिए यदि सरकार वास्तव में एकाधिकार विरोधी बनना चाहती है, तो मैं महसूस करता हूं कि उसे अपने एकधिकार समर्थक रवैया और एकधिकार समर्थक औद्योगिक नीतियों को पूरी तरह से बदलना होगा और उनको नया कानून लाना होगा, एक ऐसा विधेयक लाना होगा जो इस भारतीय एकाधिकार नामक राक्षस से लड़ने के लिए एक प्रभावी साधन बन सके।

श्रीमती गीता मुखर्जी (बंसकुरा) : इस विधेयक को पढ़ते समय मुझे वित्त मंत्री महोदय द्वारा दी गई बजट की प्रस्तावना की याद आ रही है जिसमें वे इस बात से प्रारम्भ हुए थे कि "कुछ आगामी घटनाओं को ध्यान में रखते हुए....." उन्होंने यह नहीं बताया कि वह घटना क्या थी। इसकी बजाय उन्होंने हमें आश्वस्त करने का प्रयास किया कि वह सातवीं योजना थी। परन्तु सब समझ गए थे कि वह घटना चुनाव है। इसलिए वह बजट पर चुनाव का बजट था। इसलिए महोदय यह विशेष विधेयक भी जैसा कि मैं समझता हूं, उस आगामी घटना को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है।

इसलिए यह स्वाभाविक है कि कम से कम कागजों पर कुछ ऐसे प्रावधान किये जायें जो यदि कार्यान्वित हो जायें तो लोग यह सोचें कि ये प्रावधान बहुत अच्छे थे। परन्तु महोदय वर्तमान बजट के बावजूद आगामी घटना से गुजरना इतना आसान नहीं होगा। इसके साथ ही मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि यह विधेयक हमारे संदेह दूर नहीं कर सकेगा। मैं इस विधेयक के प्रावधानों के विरुद्ध नहीं हूं। सभी सदस्यों ने कहा है कि प्रावधानों के इस रूप में कोई बुराई नहीं है। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या हमारे पास पड़े रिकार्ड के साथ-साथ इस विधेयक को भी हम गम्भीरता से ले सकते हैं। यह मूल कानून का एक संशोधन है। अब हरेक जानता है कि उस कानून का नाम एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम है।

व्यंजन का स्वाद खाने से पता चलता है। यह कानून कोई कल पास नहीं किया गया है। इसको वर्षों बीत चुके हैं। इन एकाधिकारी घरानों को क्या हुआ है ? उनकी संख्या बढ़ गई है। 13-12-1970 को उनकी संख्या 850 थी, 13-12-1983 को उनकी संख्या बढ़कर 1325 हो गई थी। उनकी परिसम्पत्तियां बढ़ गई हैं।

पिछले वक्ताओं में से अधिकतर ने उनकी परिसम्पत्तियों में अत्यधिक वृद्धि होने का उल्लेख किया है। समय की कमी के कारण में इस सम्बन्ध में आंकड़े नहीं दूंगी। लेकिन, 'इकनोमिक टाइम्स' ने भी कहा है कि 1972 तथा 1981 के बीच शीर्षस्थ 20 औद्योगिक घरानों की परिसम्पत्तियों में औसतन वार्षिक वृद्धि 30 प्रतिशत है। उनके लाभ बढ़ गए हैं। इस सम्बन्ध में काफी आंकड़े पहले ही दिए जा चुके हैं। मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहती, लेकिन मैं उन आधार का उल्लेख करना चाहती हूं जिनके कारण उनके लाभ बढ़ गए हैं। क्या उन्होंने राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था में कोई वास्तविक योगदान दिया है, जिसके द्वारा उनके लाभों में वृद्धि हुई है ?

केवल एक तथ्य रखूंगी --बिरला घराने की 21 कम्पनियों का 1982-83 में सकल लाभ 27·9 प्रतिशत बढ़ गया, जबकि उनकी बिक्री में वृद्धि केवल 2·2 प्रतिशत थी। क्या आप किसी अन्य सामान्य लघु उद्योग से ऐसी उपलब्धि की कल्पना कर सकते हैं ? इसका अर्थ यह हुआ कि उन्होंने राष्ट्रीय उत्पादन में इतना योगदान नहीं दिया जितना उन्होंने आम लोगों की दैनिक जिन्दगी से कमाया।

यह तो रही उनके लाभ की बात। तदुपरांत, सरकारी संस्थानों से उनके ऋण का भाग भी बढ़ गया है। श्री चित्त बसु इस बारे में आंकड़े दे चुके हैं। इतना ही नहीं, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों, जैसे भारतीय औद्योगिक वित्त निगम औद्योगिक ऋण का पूंजी निवेश निगम, जीवन बीमा निगम, सामान्य बीमा निगम तथा यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया, द्वारा 31 मार्च, 1982 तक एकाधिकारवादी घरानों को मंजूर की गई संचित सहायता 12,497 करोड़ थी। इसमें 8831 करोड़ रुपए की राशि वितरित की जा चुकी है। यदि हम स्वराज पाल का मामला निकाल भी दें, जिसका कि श्री चित्त बसु ने उद्धरण दिया था, उससे हमें पता चलता है कि केवल 148 करोड़ रुपए के पूंजी निवेश से ये घराने सरकारी संस्थानों की 2',000 करोड़ रुपए की राशि का उपयोग कर रहे हैं। वास्तविक आंकड़े तभी पता चलते हैं, जब ये एकाधिकारवादी घराने परस्पर लड़ने लगते हैं। लेकिन ये भी सरकारी आंकड़े हैं। लेकिन इन घरानों ने अपना प्रभाव भी बढ़ा लिया है।

जहां तक उनके द्वारा विदेशी मुद्रा का अपव्यय करने का सम्बन्ध है, हम देखते हैं कि बिरला घराने की 12 इकाइयों ने एक वर्ष के भीतर 33·6 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा खर्च की, जबकि उन्होंने केवल 21 करोड़ रुपए मूल्य की विदेशी मुद्रा अर्जित की।

सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात उनकी राजनीतिक शक्ति में वृद्धि है जिसका पता न केवल उनकी शक्ति की नवीनतम ऊंचाइयों से चलता है, बल्कि इसका पता उस लज्जाहीन समर्थन से

भी चलता है जो सत्ताधारी दल ने श्री बिरला के चुनाव में दिया —इससे पहले उन्होंने खुलेआम ऐसा नहीं किया था।

अतएव, यदि हम शब्दकोष में अर्थ ही एकदम बदल दें और कहें कि निर्बन्धन का अर्थ है विस्तार, केवल तभी हम कह सकते हैं कि इस विधेयक को पारित करके तथा इसको कार्यान्वित करके एकाधिकारवादियों को प्रतिबन्धित किया जा रहा है। लेकिन सभी क्षेत्रों में उन्होंने अपने लाभ में वृद्धि कर ली है, उन्होंने हमारी अपनी संस्थाओं के शेयरों में भी वृद्धि कर ली है जिनका अन्शदान जनता द्वारा किया जाता है, और उनका बाजार पर नियंत्रण है, और औषधियों जैसी चीजों में वे मनमाने मूल्य थोपते हैं। यदि इस अधिनियम का यह परिणाम है, तो मंत्री महोदय बताएं कि निर्बन्धन कहां लागू किया जाता है।

मैं आरोप लगाती हूं कि वे केवल कानून पास करते हैं और उनका अभिप्राय किसी प्रकार के निर्बन्धन से नहीं है, उनका इससे उद्देश्य केवल विस्तार करने का है। इसलिए, जहां तक इस अधिनियम का सम्बन्ध है, यह बेहतर होगा कि वे कोई नया शब्दकोष ढूंढें जो लोगों की आंखों में धूल झोंकने के बजाए वास्तविकता के अनुरूप हो। मुझे डर है कि वास्तव में बहुत कम लोग इस धोखे में आएंगे।

इस आयोग के साथ कैसा व्यवहार किया गया, मुझे इस बारे में स्वयं उद्धरण देने की आवश्यकता नहीं है। 26 मई, 1983 के 'हिन्दुस्तान टाईम्स' ने लिखा है :

> "सरकार स्वयं 'एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापार व्यवहार आयोग' के पेनल को बेकार बना रही है, पर्याप्त विस्तार या नई इकाइयां स्थापित करने के सम्बन्ध में एम० आर० टी० पी० कम्पनियों के सभी अभ्यावेदनों को आयोग को भेजे बिना सीधे सरकार द्वारा निपटाने से आयोग अनावश्यक बना दिया गया है।"

यदि यही परिणाम होना था जिसका मैं पहले उल्लेख कर चुकी हूं, जहां तक वित्तीय स्थिति का सम्बन्ध है तथा उसमें एकाधिकारियों की भूमिका का सम्बन्ध है, वास्तविक परिणाम यह हुआ कि सरकार की अपने ही द्वारा बनाए गए पिछले कानूनों को कार्यान्वित करने में भूमिका यह रही कि वह अपने पास आए मामलों को 'एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापा

व्यवहार आयोग' के पास भेजने की परवाह नहीं की। उनका गठन किस कार्य के लिए किया गया है ? एक बार इसी सदन में हमने बताया था कि उनके कर्मचारियों के नाम पर केवल एक व्यक्ति काम करने के लिए है। स्थिति ऐसी है। मैं गम्भीरतापूर्वक चुनौती देती हूं कि न केवल सरकार की कोई राजनैतिक इच्छा नहीं है, एकाधिकारियों को निर्बन्धित करने का कोई सच्चा इरादा नहीं है बल्कि एकाधिकारियों को निर्बन्धित करने की बजाए एकाधिकार सरकार की गतिविधियों का भी पर्यायवाची बनता जा रहा है, वास्तव में एकाधिकारी ही सत्ताधारी दल की नीतियों का संचालन करते हैं, इसी कारण यह विधेयक पुरःस्थापित किया गया है. एक निवाले के रूप में है और वह भी ऐसे वर्ष में जो एक महत्वपूर्ण वर्ष है। मुझे तो लगता है कि इससे कुछ खास होने वाला नहीं है।

जहां तक हमारा सम्बन्ध है, एक मुद्दा उठाया गया था कि हमारी सरकार यह करती है कहा करती है। सभी जानते हैं कि हम एक पूंजीवादी व्यवस्था के भीतर कार्य कर रहे हैं और इसमें हमारी राज्य सरकार के पास काम करने की शक्ति बहुत सीमित है। जब तक सत्ताधारी दल में तथा सत्ताधारी बर्ग में ऐसे लोग रहेंगे जो इस व्यवस्था के प्रवर्तक है, जिसमें जब तक पूंजीवाद रहेगा, एकाधिकार अवश्यमेव बढ़ेगा, जब तक हमारे देश में सत्ताधारी दल में वही पूंजीपति विशेष रूप से प्रतिनिधित्व करते रहेंगे, तब तक एकाधिकार पर कोई निबन्धन नहीं हो सकता। इसलिए, यह व्यवस्था जितनी जल्दी समाप्त हो सके उतना ही अच्छा है। एकाधिकार को समाप्त करने का यही वास्तविक उत्तर है। कागजी जोड़-तोड़ चाहे जितना कर लो उससे यह काम नहीं होने वाला।

इतना ही नहीं, हम सरकारी क्षेत्र द्वारा बहुत प्रगति किए जाने की बातें कर रहे हैं। दरअसल, इन्हीं एकाधिकारियों के प्रचालन से सरकारी क्षेत्र की लगातार काट की जा रही है, और यही लोग, चाहे जैसे भी हो, सदैव इससे सर्वाधिक लाभ उठाते आए हैं। यही कारण है कि आपने बहुत बड़े आकार के बावजूद देश में सरकारी क्षेत्र वास्तविक प्रभावशाली ऊंचाइयों को छू पाने में सफल नहीं हो पाया है। कारण यह है कि यह व्यवस्था ही उन्हें यह लाभ देती है और सरकार उन्हें ये कार्य करने के लिए शरण तथा सभी सहायता देती है।

अतएव मैं कहूंगी कि यदि हम एकाधिकारियों को वास्तव में निर्बन्धित करने के बारे में गम्भीर हैं, तो वर्तमान सरकार को अपना सम्पूर्ण रवैया बदलना होगा, और क्योंकि वर्तमान सरकार का रवैया बदलता नहीं दिखता तथ्य स्पष्ट बोल रहे हैं---मैं कहूंगी कि एकाधिकारी घरानों को निर्बन्धित करने के लिए एकमात्र विकल्प मौजूदा सरकार को बदलना होगा।

सभापति महोदय : श्री राम प्यारे पनिका।

श्री राम प्यारे पनिका (रॉबर्टसगंज) : सभापति महोदय, मैं एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक (संशोधन) विधेयक, 1984 का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस बिल के बारे में आदरणीय मंत्री जी ने इसके आब्जेक्टस के बारे में विस्तार से प्रकाश डाला है। इस डिस्कशन में हमारे श्री दण्डवते जी, श्री चटर्जी या कोई और विरोध पक्ष के सदस्य बोले हों, उन्होंने इसे एकदम राजनीतिक रूप देने की कोशिश की है। इनको यह पता नहीं है कि 1956 का जो इंडस्ट्रियल रेज्यूलूशन है, जिसको इस सदन ने और देश ने पास किया है, उसके मातहत ही देश में प्राइवेट सैक्टर और पब्लिक सैक्टर की बात आई है। उत्तरोत्तर 1956 की इंडस्ट्रियल पालिसी के अनुरूप ही कार्यक्रम चल रहा है।

देश की तत्कालीन आर्थिक व्यवस्था को देखकर ही हमने तय किया था कि इसमें प्राइवेट सैक्टर का योगदान होना बहुत जरूरी है। उसके तहत देश में मिक्स्ड इकनामी बनी और प्राइवेट सैक्टर सामने आया। उन सारी बुनियादी नीतियों की आज यहां इस बहाने आलोचना की गई है जिसके द्वारा हमारी सरकार ने देश में समता और समाजवाद लाने की बात कही है, उसको उन्होंने ताक पर रख दिया है।

हमारी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में, आज जो अपने को सी० पी० आई० (एम०), सी० पी० आई० और फार्वड ब्लाक कहते हैं, सब समर्थन करते रहे हैं। क्योंकि ऐसा हुआ है ? इसीलिए ऐसी नीति बनाई गई थी कि हम पब्लिक सैक्टर और प्राइवेट सैक्टर में स्पष्ट प्रतियोगिता कर सकें। यह हमारा उद्देश्य था।

वर्तमान स्थिति में हमारे यहां प्राइवेट सैक्टर और पब्लिक सैक्टर दोनों की इंडस्ट्रीज हैं। हमारे यहां ओवरा पावर स्टेशन है जिसमें 1500 मेगावाट बिजली की क्षमता है लेकिन वह केवल 200 मेगावाट ही जैनरेट करता है। दूसरी तरफ बिरला जी का एक पावर हाऊस है जिसकी क्षमता 225 मेगावाट है जो शत-प्रतिशत इलैक्ट्रिसिटी जैनरेट करता है। बिरला जी के यहां जो कोयला आता है, वह बहुत खराब होता है और जो हमारे इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड में आता है, वह अच्छी खान का आता है, लेकिन हमारे यहां प्रबन्ध व्यवस्था कुशल और कारगर नहीं है इसलिए शत-प्रतिशत रिजल्ट देने में सक्षम नहीं है। इस पावर हाउस ने 51.84 प्रतिशत बिजली पैदा की है। कुल राज्य, बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में 35,40 प्रतिशत बिजली का उत्पादन हो रहा है। क्या यह ठीक नहीं होगा कि प्रतियोगिता को बनाए रखने के लिए दोनों में कम्पटीशन करें।

बात यही है कि जब योजना शुरू हुई तो उस समय भी प्राइवेट सैक्टर की पूंजी कम नहीं थी, ज्यादा थी। ये जो आंकड़े यहां दिए गए हैं, ये सरकारी किताबों के है। हमने कोई

तथ्य छिपाया नहीं है लेकिन जो कैपिटलिस्ट कहते हैं, हकीकत भी है, आज किसी न किसी रूप में हमारी सरकार का पैसा ही उनके पास है।

4·00 म० प०

सरकार को ध्यान रखना पड़ेगा कि प्राइवेट सैक्टर वाले मजदूरों का एक्सप्लायटेशन न कर सकें और धनराशि का उपयोग अपने निजी काम में न करें। वित्त मंत्री ने पश्चिम बंगाल में कहा था कि प्राइवेट सैक्टर को अच्छे रिजल्ट देने पड़ेंगे, वे बैंकों के पैसों का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन वे अच्छे रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं। विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य राजनैतिक उद्देश्य को सामने रखकर बोले हैं, यह ठीक नहीं है।

श्री चटर्जी ने कहा कि हम कैपिटलिस्टस के विरुद्ध हैं, लेकिन वैस्ट बंगाल में समय-समय पर उनके दल ने इंडस्ट्रियलिस्टस को इनवाइट किया है। यह बिल्कुल सर्वविदित है कि लास्ट जनरल इलैक्शन में सारी इंडस्ट्रीज ने सी० पी० आई० (एम०) को समर्थन किया था और उसके फन्ड में योगदान किया था। ये लोग भाषणों में ऐसे सिद्धांतों की बातें करते हैं, जिनका कोई व्यावहारिक अर्थ नहीं है, लेकिन जहां तक कार्यान्वयन का सम्बन्ध है, वे अपने दलगत स्वार्थ के लिए कार्यक्रम चलाते हैं।

हमारी सरकार ने हमेशा कैपिटलिस्टस और कम्पनियों को कन्ट्रोल किया है। वित्त मंत्री ने यह प्रस्ताव रखा था कि 20 लाख रुपए से अधिक वाली कम्पनियों का कम्पलसरी आडिट किया जाए। लेकिन विरोधी पक्ष के जो सदस्य लेपिट्रस्ट बन रहे हैं, उन्होंने सिफारिश की कि इस प्राविजन को हटा दिया जाए। मजबूर होकर सरकार को यह संशोधन करना पड़ा कि 50 लाख रुपए की कम्पनियों का कम्पलसरी आडिट किया जाए। शुरू से हमारी सरकार कैपिटलिस्टस और मानोपलिस्टस पर कन्ट्रोल रखे हुए हैं और उसने उन्हें कभी आजादी नहीं दी है। कानसेन्ट्रेशन आफ वैल्थ और एकाधिकार का कन्ट्रोल करने के लिए मंत्री महोदय यह बिल लाए हैं।

यह खुशी की बात है कि राज्य सभा में इस विधेयक को सर्व सम्मति से पास किया गया है। यहां पर भी सारे सदस्यों ने इसकी तारीफ की है और कहा है कि वे इसका समर्थन करते हैं। जहां तक इम्पलीमेंटेसन का प्रश्न है, बंगाल में सरकार, जहां-जहां इन लोगों की सरकारें हैं, वे सब कैपिटलिस्टस को सुविधाएं दे रही हैं। केवल राजनीतिक दृष्टि से और चुनाव को ध्यान में रखते हुए यहां पर भाषण किए जाते हैं। क्या चौधरी चरणसिंह ने ओबराय को राज्य सभा का सैंदस्य नहीं बनवाया था ? क्या यह सही नहीं है कि उन्होंने मोदी को पदमश्री की उपाधि दिलाई थी ? ये लोग के० के० बिड़ला की बात करते हैं। राजस्थान में जनता पार्टी ने किसको खड़ा किया था, सारा देश जानता है ? भाषण करने की बात दूसरी है

मगर ये लोग उन्हीं चीजों में डूबे हुए हैं। सदन में पिछले दिनों कई लोगों ने कहा कि ऐसी राजनीति लाई जा रही है, जिसमें केवल एक परिवार को महत्व दिया जा रहा है ।

चुनाव में खड़ा होने जा रहा है या नहीं ?

(व्यवधान)

सभापति महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा ।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : पनिका जी, आप किसी ऐसे व्यक्ति का नाम नहीं ले सकते जो यहां अपना बचाव नहीं कर सकता, और इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा ।

श्री राम प्यारे पानिका : बाबू जगजीवनराम एक आदरणीय नेता हैं, उन्होंने *··· चाहा श्री मोरार जी देसाई ने···*चाहा···*···

(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री पनिका, इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। यदि आप यही करते रहे तो कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा ।

(व्यवधान)*

सभापति महोदय : पनिका जी, कृपया बैठ जाइए। मैं आपको पहले ही कह चुका हूं कि उन व्यक्तियों के नामों का उल्लेख न करें जो अपने बचाव के लिए सदन में नहीं है। विशेष कर, जब आप किसी पर लांछन लगाते हैं, तो पहले आपको लिखित रूप में देना होगा । इस सम्बन्ध में निर्णय दिए जा चुके हैं । आप एक अनुभवी सदस्य हैं ।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं भी यह बात कहने जा रहा हूं । आप धीरज क्यों नहीं रखते । पनिका जी, जो कुछ आपने कहा है तथा जो कुछ उसने कहा है, वह नियमों के विरुद्ध है तथा उसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलिनत नहीं किया जाएगा ।

श्री राम प्यारे पनिका : सभापति जी, हम लोग तीन-चार घण्टे से इस सदन में इस बिल पर चर्चा कर रहे हैं लेकिन कोई भी माननीय सदस्य अभी तक इस बिल के उपर नहीं बोला है । अभी तक केवल राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप ही लगाए जाते रहे हैं ।

* कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

हमने इस में मिक्स्ड एकोनामी के सिद्धांत को स्वीकार किया है और उसी के आधार पर हमने प्राइवेट सैक्टर को भी सुविधायें दी हैं। प्राइवेट सैक्टर को बैंकों से सुविधाएं दी गई हैं। इण्डस्ट्री लगाने के लिए उनको हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध की गई हैं इसलिए कि देश को इण्डस्ट्रियल विकास की आवश्यकता है। लेकिन आप देखेंगे कि जनता राज के ढाई-तीन साल में इस देश का इण्डस्ट्रियल उत्पादन 1.4 परसेन्ट नीचे चला गया था। परन्तु जैसे ही हमारी सरकार आई उसने 1980-81 में, केवल एक वर्ष में ही 9 परसेन्ट इण्डस्ट्रियल ग्रोथ करके दिखलाई। बावजूद तमाम कमियों के, बावजूद बाढ़ और सूखे के और बावजूद हाइडल प्रोजेक्टस में का बिजली उत्पादन होने के, इस वर्ष भी हम 5 परसेन्ट इंडस्ट्रियल ग्रोथ प्राप्त करने जा रहे हैं। हमारी सरकार ने जो इण्डस्ट्रियल पालिसी अपनाई है क्या वह इस बात की द्योतक नहीं है कि हम अपने सारे लक्ष्यों को प्राप्त करते जा रहे हैं? पब्लिक सेक्टर में भी है, उनके बारे में भी हमारी प्रधानमंत्री ने साफ कहा है कि पब्लिक सेक्टर को रिजल्ट देना पड़ेगा, उसको भी लाभ दिखाना पड़ेगा वरना उसके साथ कड़ाई के साथ पेश आया जाएगा। इसी प्रकार से हमारे वित्त मंत्री जी ने बंगाल में चैम्बर आफ कामर्स को एड्रेस करते हुए कहा था कि प्राइवेट सेक्टर को भी समय के साथ चलना पड़ेगा और सरकार की जो कर्मचारी हितैषी नीति है उसके अनुसार आचरण करना पड़ेगा। प्राइवेट सेक्टर की नीति केवल धन कमाने की ही नहीं होनी चाहिए। हमारी सरकार 1956 की इण्डस्ट्रियल पालिसी में समय-समय पर संशोधन करती रही है। अब सातवीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप सामने आ रहा है, उसमे भी जो लक्ष्य रखे जा रहे हैं उनको भी हम प्राप्त करेंगे। लेकिन विरोधी दलों को जो एक मौका ढाई साल के लिए मिला था उसका नतीजा भी आप देख चुके हैं। उनके साथ में इण्डस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन दोनों ही गिरे। लेकिन 1982-83 में जबकि 31 करोड़ लोग सूखे से प्रभावित थे और बाढ़ की कठिनाई भी थी फिर भी 15 करोड़ टन गल्ला देश में पैदा हुआ।

बिजली के उत्पादन में दिक्कत होते हुए इण्डस्ट्रियल प्रोडक्शन को हमने बढ़ाया है। इसके अलावा प्राइवेट सैक्टर नहीं ज्वाइंड सेक्टर और कोआपरेटिव सेक्टर भी बनाया है। हमारा कहीं ऐसा उद्देश्य नहीं है कि देश में मोनोपाली बढ़े। मैं अभी साउथ कोरिया गया था, वहां पर मैंने देखा कि पावर हाउस में 120 परसेन्ट उत्पादन होता है। सारे प्राइवेट सेक्टर कोई हमारे दुश्मन नहीं हैं। हमने मिक्स इकोनामी को माना है। डेमोक्रेटिक सैटअप में सरकार शासन चला रही है। इन सारी परिस्थितियों को हमें देखना होगा। दुनिया में जहां डेमोक्रेसी

हैं, वहां के प्राइवेट सेक्टर को देखिए। जापान को देखिए। हम अपने यहां फूड ट्रेड एक पर-सेन्ट कर सकें हैं, जबकि साउथ कोरिया और जापान दोनों के हाथों में दुनिया का 20 परसेन्ट ट्रेड आ गया है। हमारे पूंजीपतियों ने धन को बढ़ाया है, तो वे कहीं बाहर तो नहीं ले जा रहे हैं। आज आवश्यकता है कि उनको कहा जाए कि इण्डस्ट्रीज और लगाई जाएं। रोजगार मुहैया करने के अवसर और पैदा किए जाएं। जहां तक मजदूरों की स्थिति का ताल्लुक है, उनकी बड़ी खराब स्थिति हो गई है। विरोधी पक्ष का जिन यूनियों पर कमांड हैं, जैसे बैंक हैं, वहां क्या हालत है ? सबसे ज्यादा तनख्वाहें उनको दी जाती हैं, लेकिन क्यों वे लोग अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। आई० आर० डी० पी०, एन० आर० ई० पी०, स्पेशल कम्पोनेंट प्लान और ट्राईबल प्रोग्राम— इन कार्यक्रमों में बैंकों को पूरी सहायता देने के लिए कदम उठाने चाहिए। हमारे नेता इन्दिरा जी के कहने पर भी ये बैंक इनके नेतृत्व में चलते हैं। क्या विरोध पक्ष का यह फर्ज नहीं बनता है कि इन कार्यक्रमों को सफल बनाया जाए।

मान्यवर, चुनाव जल्दी आने वाले हैं लेकिन आज जितने भी भाषण सदन में हुए हैं विरोध पक्ष से, उनके कोई दम नहीं है। वे सब आधारहीन है। इस बिल का मुख्य उद्देश्य है जो सम्पत्ति एक जगह इकट्ठी हो रही है, उसको कम करना चाहते हैं। मुझे खुशी है कि राज्य सभा की ओर से यह सर्व सम्मति से पास हो गया है। और भगवान इनको सद्बुद्धि दे और यह बिल सर्व सम्मति से पास हो जाए। मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं कि विरोध पक्ष से जितने भी सदस्य बोले हैं, वे इस बिल पर नहीं बोले हैं, इसलिए मैं मजबूर हूं हिन्दुस्तान की जनता को सदन के माध्यम से बताने के लिए कि यह विरोधी पक्ष जनमानस को भ्रमित कर रहा है। जनता ने देख लिया है कि विरोधी पक्ष काम सिर्फ भाषण देना है और सत्ताधारी पक्ष का काम काम को आगे बढ़ाना है। जनता ने इनके ढाई तीन साल के राज को देख लिया है। ये जो लेफटिस्ट हैं, इनकी भी कहानी बड़ी विचित्र है। जब हम उधर थे, तो ये हमारे साथ थे, लेकिन जैसे ही जनता पार्टी की सरकार बनी, तो उनके साथ हो गए। हमारी सरकार 1980 में सत्ता में आई और तभी से ये लोग एक होने की कोशिश कर रहे हैं। इनके पास कोई आडियोलॉजी नहीं है, कोई कार्यक्रम नहीं है, कोई दिशा नहीं है, ये दिशाहीन है। इनका कोई उद्देश्य नहीं हैं। इनका कोई लक्ष्य नहीं है। केवल एकमात्र येनकेन-प्रकारेण की स्थिति में आना चाहते हैं। नगेटिव बात करते हैं और जनता को भ्रमित करते हैं। हमारी सरकार को आए हुए पांच साल होने को जा रहे हैं, लेकिन ये लोग पांच साल में भी एक नहीं हो पाए हैं। वैसे भी ये महागठबन्धन कई बार कर चुके हैं। इनकी नाकामयाबी को जनता कई बार देख चुकी है।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि पूरा सदन इसको सर्व सम्मति से पास करेगा ।

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : सभापति जी, हम इस समय एम० आर० टी० पी० बिल के संशोधन पर चर्चा कर रहे हैं । मैं माननीय कानून मंत्री जी से कहना चाहता हूं—मुझ से पूर्व वक्ता ने आपके इस अमेण्डिंग बिल की भावना के खिलाफ बोलकर इस बिल की भावना का अनादर किया है । आपने अपने भाषण में कहा था कि हम एकाधिकारवादी जो घराने हैं, उनकी मनी को थोड़ा सा कर्टेल करना चाहते हैं और जनता को राहत देना चाहते हैं ।

सभापति महोदय, माननीया प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने भी इस देश के संविधान के प्रिएम्बल में 'सौशलिस्ट' शब्द को जोड़ा था और कास्टीचूशन के डाएरेक्टिव प्रिंसिपल्ज में संविधान बनाने वालों ने इस बात पर जोर दिया था कि हमारे देश की जो धन दौलत है उसका एकीकरण नहीं होना चाहिए, विकेन्द्रीकरण होना चाहिए । बाबा साहेब डा० अम्बेदकर ने इस देश के संविधान को देश के राष्ट्रपति को सौंपते हुए यह बात विशेष रूप से कही थी कि अगर इस देश के लोगों को आर्थिक-समानता नहीं मिली, तो यह संविधान भी अर्थहीन हो जाएगा, मीनिंगलेस हो जाएगा । पिछले 36 सालों की आजादी में क्या हुआ ? मेरे पूर्व वक्ता ने कहा - इस देश का पूंजीपति, इस देश का प्राइवेट सेक्टर इस देश की सम्पत्ति को लेकर कहां जाएगा । मैं समझता हूं—वह अर्थ-तंत्र की बात को समझते ही नहीं हैं । इस सरकार की अभी तक इस कानून के बारे में जो मंशा रही है वह इस देश के लोगों को, एक-एक आदमी को मालूम है । इस देश के 12 करोड़ लोगों की सम्पत्ति को जोड़ा जाय और दूसरी तरफ बिड़ला की पूंजी को जोड़ा जाय, तो बिड़ला की पूंजी ज्यादा निकलेगी । इस देश में 13 करोड़ लोगों को इन्साफ की तराजू पर रखा जाय और दूसरे पलड़े में बिड़ला को रखा जाय तो बिड़ला की पूंजी का बोझ ज्यादा होगा । इस देश के पांच आदमियों के परिवार की आमदनी को जोड़ा जाय तो वह 1250 रुपए से ज्यादा नहीं बनती है । 20 रुपए कुछ पैसों पर एक आदमी पूरा महीना अपना जीवन चलाता है जिसमें शिक्षा, दवा, खाना, कपड़ा सब शामिल हैं । यह कैसी समारता है, कैसा विकेन्द्रीकरण है ? श्रीमती इन्दिरा गांधी ने इस देश में जो फाइव-स्टार कल्चर पैदा की है, एक फाइव स्टार कल्चर पैदा की हैं, एक फाइव स्टार होटल में 24 घन्टे तक ठहरने का किराया 2700 रुपए हैं । एक तरफ साल भर की आमदनी 1250 रुपए और दूसरी तरफ इस मुल्क के कुछ घरानों का आदमी फाइव स्टार होटल के एक कमरे

में एक रात ठहरने का किराया 2700 रुपए खर्च करता हो, उसके खाने-पीने और रम का खर्चा अलग, इन सबको जोड़ा जाय तो 6000 हजार रुपए से कम खर्च नहीं करता है—मेरी समझ में नही आ रहा है कि यह कैसा विकेन्द्रीकरण है ? एम० आर० टी० पी० कमीशन ने कहा है कि इस देश के 75 घरानों की जो पूंजी है वह टोटल कैपिटल की 40 परसेन्ट है, यानि 40 परसेन्ट पूंजी 75 घरानों के हाथों में कन्सेन्ट्रेट हो गई है—आप बतलाइए, आप कैसे इस को डीसेन्ट्रलाइज करने जा रहे हैं, इस अमेण्डिंग बिल के द्वारा, जबकि आपकी सरकार में बैठे हुए मिनिस्टरों के इरादे हमको साफ दिखाई नहीं पड़ते हैं। इस कमीशन की ओर से जो भी सिफारिशें सरकार के पास गई हैं, आपने कोई प्रोवीजन उनके आधार पर नहीं किया है, आप ने कहीं नहीं कहा है कि इस कमीशन की फलां सिफारिश को इस बिल के द्वारा लागू किया जाएगा।

सरकार में बैठे हुए लोग पूंजीपतियों के एजेण्ट हैं। वे एम० आर० टी० पी० कमीशन की सिफारिशों को कभी नहीं मानेंगे। एम० आर० टी० की सिफारिशों के बावजूद सरकार में बैठे हुए ब्योरोक्रेटस उनके विरुद्ध फैसला दे देते हैं और पूंजीपतियों के हक में फैसला दे देते हैं और एम० आ० टी० पी० कमीशन के फैसलों को मानने के लिए तैयार नहीं है तो यह जो आपका एस० आर० टी० पी० बिल है, यह मीनिंगलैस होगा और संविधान के बिल्कुल विपरीत काम करने के लिए जा रहा है।

एक बात मैं यह कहना चाहूंगा कि गगन मंडल पर जबकि चुनाव के बादल छा रहे हैं, तो यह एम० आर० टी० पी० बिल जो हैं, यह इस देश के पूंजीपतियों से धन और दौलत लेने का काम न करे और आने वाले चुनाव में इस बिल को छड़ी बनाकर छोड़ दिया, तो यह ठीक नहीं होगा। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आपके भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री फखरुउद्दीन अली अहमद ने इस सदन के अन्दर कहा था और बाकायदा सारी पार्टियों के नाम ले लेकर कहा था कि किस पार्टी ने कितना पैसा हिन्दुस्तान के मोनोपाली हाउसेज से लिया था और जब वे पार्टियों के नाम गिना रहे थे, तो कांग्रेस पार्टी ने चुनाव के लिए मोनोपाली हाऊसेज से सबसे ज्यादा पैसा लिया था और आज भी मैं इस सदन में कहना चाहता हूं कि दूसरी पार्टियां भी पैसा लेती होंगी लेकिन वे कांग्रेस पार्टी से कम लेती होंगी। मैं उन सारी पार्टियों के लिए कुछ नहीं कहना चाहता लेकिन मैं यह कहया हूं कि कांग्रेस पार्टी आज भी मोनोपली हाऊसेज से चुनाव के लिए, चुनाव प्रचार के लिए, पोस्टर के लिए और दूसरी योजनाओं के लिए सबसे ज्यादा पैसा लेती है। अब वह पार्टी कैसे मोनोपली हाऊसेज के कैपीटल को करटेल

करेगी··· (**व्यवधान**) ···श्री फखरुउद्दीन अली अहमद ने यह कहा था आप प्रोसीडिंग्स निकाल कर पढ़ लीजिए।

श्री के० लक्कप्पा (टुमकुर) : यह सरासर गलत है। हम उनसे कोई धन एकत्रित नहीं करते।

श्री जगपाल सिंह : मैं कार्यवाही में से उद्धृत कर रहा हूं।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय यह बिल्कुल सही कह रहे हैं। यह कुल मात्रा को चुनौती दे रहे हैं।

श्री जगपाल सिंह : मैं यह कहना चाहता हूं कि चाहे मेरी पार्टी हो और चाहे मेरे पार्टी के लीडर हों, वे अगर एकाधिकार घरानों से पैसा लेकर चुनाव लड़ने का काम करते हैं तो वह इस देश में पूंजी के विकेन्द्रीकरण का काम नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं उधर बैठे हुए साथियों से कहना चाहता हूं कि अगर आप 'बड़े एकाधिकार घरानों' की पूंजी का विकेन्द्रीकरण करना चाहते हैं···

श्री के० लक्कप्पा : क्या आप इसका कोई सबूत दे सकते हैं ? क्या आप जानते हैं कि पैसा कर्नाटक से आ रहा है ? प्रो० मधु दण्डवते यह जानते हैं। आप जानते हैं कि टाटा और बिरला ने पश्चिम बंगाल में एकाधिकार कर लिया है।

प्रो० मधु दण्डवते : श्री लक्कप्पा यदि आप यह सिद्ध कर दें कि मेरे पास पैसा आ रहा है तो 24 घण्टे के अन्दर मैं संसद को अपना इस्तीफा दे दूंगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यदि वे साबित नहीं कर पायेंगे तो मैं उन्हें इस्तीफा देने के लिए कहूंगा।

सभापति महोदय : हम विधेयक पर चर्चा न करके उससे कहीं दूर जा रहे हैं। उन्हें बोलने दीजिए।

श्री जगपाल सिंह : सभापति जी, मेरे कहने का मकसद यह है कि अगर हमारी मंशा यह है कि इनकी पूंजी को लेकर देश के करोड़ों करोड़ों लोगों तक हम पहुंचाएं और इस तरह से उनको इन्साफ दिलाने का काम करें, तो हिन्दुस्तान के राजनीतिक नेता और राजनीतिक पार्टियों को मोनोपली हाउसेज से पैसा लेना बन्द करना पड़ेगा और अगर बन्द नहीं करते हैं तो यह जो एम० आर० टी० पी० बिल है, यह मीनिंगलैस होगा और इसके कोई माइने

नहीं होंगे। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर आप इस मंशा से यह बिल लाए हैं कि देश के करोड़ों लोगों को इन्साफ मिले, तो इस बिल को आप पास मत करवाए और जैसा कि प्रो० मधु दंडवते ने डिमांड की है, इस बिल को ज्वाइन्ट सलेक्ट कमेटी में भेजा जाए और वह कमेटी इस पर सीरियसली विचार करने के बाद एक प्रारूप इसका लाए जोकि सदन के बीच आप लाइए और उसके बाद उसे पास कराइए। अगर आप ऐसा करते हैं, तो आपकी मंशा पूरी होगी वरना पूरी नहीं हो पाएगी।

आप अन्दाजा लगाइए कि सन् 1947 में बिरला की सम्पत्ति 50 करोड़ रुपए थी और आज यह बढ़ कर तीन हजार करोड़ रुपये से ज्यादा हो गई है और दूसरी तरफ मजदूरों और किसानों की जो आमदनी है वह तिल भर भी नहीं बढ़ी है। आज भी देश की 52 प्रतिशत जनसंख्या पावर्टी लाइन से नीचे है और उसे अपना पेट भरने के लिए दोनों वक्त भी रोटी नहीं मिलती है और जैसा कि मैंने पहले कहा है आज एक आदमी एक दिन में फाइव स्टार होटल में 5 हजार रुपये खर्च कर देता है जबकि एक मजदूर और एक किसान के लिए एक रुपये की भी बहुत कीमत होती है। वनिस्पत उसके मुकाबले में जो 6 हजार रुपये खर्च करके चला जाता है।

इसलिए, सभापति जी, मैं सदन का ज्यादा समय न लेता हुआ माननीय मंत्री जी से यह मांग करता हूं कि इस देश के करोड़ों लोग जो गरीबी की रेखा के नीचे अपना जीवन बसर कर रहे हैं, जिनके पास मकान नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, कोई ट्रांस्पोर्ट के साधन नहीं हैं, खाने को खाना नहीं है उनको आप इस संशोधन के द्वारा इन्साफ नहीं दिला सकते हैं। सोशलिस्टक रिपब्लिक कर रचना करने के लिए यह जरूरी है कि इस देश के करोड़ों लोगों को खाना मिले, कपड़ा मिले, रहने को मकान मिले। इस देश के जो करोड़ों लोग कारखानों और उद्योगों में काम करते हैं उन्हें आप उनकी सम्पत्ति और प्राफिट में भागीदार बनाइए।

मैं विदेशी कम्पनियों के बारे में इस समय नहीं कहना चाहता जो कि इस देश के मोनोपली हाऊसिज के साथ साठगांठ करके इस देश की अर्थव्यवस्था को हानि पहुंचा रही हैं। हालांकि उनसे भी जूझने और उन पर भी कुठाराघात करने की जरूरत है। वरना आप इस देश के करोड़ों गरीब लोगों को इन्साफ नहीं दिला सकेंगे।

मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं। एक पूंजीपति ने शुरू में एक शूगर फैक्टरी लगाई थी, आज उसकी सैंकड़ों बड़ी और छोटी इंडस्ट्रीज खड़ी हो गई हैं। उसने कितना मुनाफा और लाभ कमाया है। यह मुनाफा और लाभ उसने हिन्दुस्तान के किसानों और

मजदूरों की खून-पसीने की कमाई को चूस कर कमाया है। कार्ल मार्क्स के अनुसार देश की प्राकृतिक सम्पदा पर उन लोगों का कब्जा होना चाहिए जो कि खून और पसीने बहाते हैं। ये खून-पसीना बहाने वाले लोग आज इस सरकार के संरक्षण में बिल्कुल नंगे और भूखे हैं। इस देश का पूंजीपति जो न दिमाग से कार्य करता है और न शारीरिक श्रम करता है वह सारी सम्पदा का मालिक बना बैठा है। देश के बड़े-बड़े इंजीनियर, साइंटिस्ट्स उसके पास अपना दिमाग गिरवी रखते हैं, देश के किसान और मजदूर उसके लिए खून-पसीना बहा कर कमाई करते हैं। पूंजीपति करोड़ों रुपये कमाता जा रहा है और किसान और मजदूर भूखा-नंगा है।

इसलिए मैं मंत्री जी से मांग करूंगा कि आप ऐसा कानून बनाइए जिससे कि सम्पत्ति का विकेन्द्रीकरण हो और देश के करोड़ों किसान-मजदूरों को भी लाभ मिले। मैं इस बिल का विरोध तो नहीं करता लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि इस बिल को लाने की आपकी जो मंशा है उस मंशा को आप इससे पूरा नहीं कर पायेंगे।

मैं फिर से कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के राजनीतिक नेताओं के ऊपर यह पूंजीपति हैं, और राजनीतिक नेता उससे दबे हुए हैं, उनको सोचना चाहिए कि जो किसी का खाता है वह उसके सामने खड़ा नहीं हो सकता है। यह महाभारत में लिखा है। अगर हम पूंजीपतियों का पैसा खाकर उनको दबाना चाहेंगे तो कभी भी उन्हें दबा नहीं सकेंगे। आप अपनी ही सरकार में बैठे लोगों पर प्रतिबन्ध लगाइये और उनसे कहिये कि आप लोग पूंजीपतियों से पैसा लेकर इस देश में राजनीति चलाने का काम नहीं कर सकेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं।

श्री मगन भाई बरोट (अहमदाबाद) : सभापति महोदय, मिश्रित अर्थव्यवस्था में विश्वास रखने वाली सरकार द्वारा ऐसा विधेयक लाए जाने पर किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए, जो आंशिक रूप से एकाधिकारियों के पक्ष में हो हालांकि वह यह दावा करती है कि विधेयक के कानूनों से और संशोधनों से उन्होंने इन पर प्रतिबन्ध लगाया है।

इस विधेयक का प्रयोजन श्री फखरुद्दीन अली अहमद, जिन्होंने इसको रखा था, उनके 17 दिसम्बर 1969 को हुई चर्चा के अन्त में दिए गए भाषण में प्रतिबिम्बित होता है, और मैं उद्धृत करता हूं।

"समस्या निजी इकाइयों के आकार की बढ़ोतरी की नहीं है अपितु उन कुछ व्यापारी वर्गों की है जिनकी औद्योगिक और व्यापारिक गतिविधियां काफी व्यापक और विविध क्षेत्रों

में बढ़ती जा रही हैं जिससे कि उनका अर्थव्यवस्था पर प्रभुत्व बढ़ता जा रहा है। और आकार का यही पहलू अन्त:सम्बद्ध उपक्रमों में दिखाई पड़ता है।"

आगे वह कहते हैं :

"जब कुछ व्यापारी घराने धीरे-धीरे अधिकांश व्यापारिक गतिविधियों पर नियंत्रण करने लगेंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था पर उसके गम्भीर परिणाम होंगे। उससे प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा नहीं मिलता है अपितु उसे दबा दिया जाता है। छोटे और मध्यम वर्ग के व्यापारी जिन्हें हम प्रोत्साहित करना चाहते हैं ;

हम समझते हैं कि यह इसका मूल भाव था अत: मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहूंगा कि क्या हमने ये उद्देश्य प्राप्त कर पाये हैं ?

भूतपूर्व कम्पनी कार्य मंत्री श्री रघुनाथ रेड्डी ने एक सभा में यह कहा था। बेशक उन्होंने सुझाव दिया था कि बड़े व्यापारिक घरानों का अधिग्रहण किया जाना चाहिए किन्तु उनके भाषण से मैं वह भाग उद्‌धृत करूंगा जो बड़े व्यापारी घरानों के सरकार से सम्बन्ध के बारे में है। मैं 'फाइनेंनशियल एक्सप्रेस" के 9 मई 1983 संस्करण में दिए गए श्री रघुनाथ रेड्डी के वक्तव्य से उद्‌धृत करूंगा :

> "उन्होंने कुछ आंकड़े उद्‌धृत किए जिनसे यह पता चलता था कि सरकार 'कम्पनी अधिनियम' की धारा 19(ख) के अन्तर्गत इन कम्पनियों का स्वामित्व ग्रहण करेगी और फिर उनके साथ सरकारी उपक्रमों के समान व्यवहार करेगी। उदाहरण के लिए सरकारी क्षेत्र के 'इक्विटी शेयर' 'एस्कोर्ट' में 54.4 प्रतिशत, कोहिनूर मिल में 71.68 प्रतिशत है, लारसेन और टूब्रो की हिन्दुस्तान ब्राऊन बोवेरी में 63.93 प्रतिशत है, किरलोस्कर न्यूमेटिक कम्पनी में 60.42 प्रतिशत और 'गुजरात स्टेट फरटिलाइजर्स' में 74.1 प्रतिशत है।"

इन सब कम्पनियों में सरकार के शेयर 51 प्रतिशत से अधिक है अत: कुछ मित्रों का इस विधेयक के पहले से ही यह विश्वास था, और आज भी हमारा यही मत है, कि जब सरकार के पास 51 प्रतिशत से अधिक के शेयर हैं तो फिर इन कम्पनियों को बड़ी कम्पनियां मानकर क्यों चला जाता है और सरकारी क्षेत्र से इन्हें अलग क्यों माना जाता है ? इसके विरुद्ध यह हमारा अनुभव है। क्योंकि विधि-मंत्री इस समय यहां पर उपस्थित हैं इसलिए मैं उन्हें बता देना चाहता हूं। वित्त विधेयक पर बोलते समय मैंने 'गुजरात स्टेट फरटिलाइजर' और उसके अध्यक्ष के बारे में कहा था। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं। किन्तु मैं यह

कहना चाहता : इन कम्पनियों का प्रबन्ध जिनमें सरकार के 51 प्रतिशत शेयर हैं, हम उन लोगों के हाथों में सौंप रहे हैं, जिनकी गुजरात उच्च न्यायालय ने गम्भीर निंदा की है, जिसके फलस्वरूप 1 करोड़ रु० की राशि का स्वैच्छिक प्रकटन किया गया। इस प्रकार के लोग हमारे सरकारी उपक्रम चला रहे हैं और यही लोग बड़े व्यापारी संस्थानों के कर्ता-धर्ता हैं। इन लोगों के विरुद्ध एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम भी सफल नहीं हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह लोग कैसे कार्य कर रहे हैं। यह बड़े व्यापारी घराने इसे विस्तार के नाम पर इसे कार्यान्वित कर रहे हैं। वे रुग्ण इकाइयों का अधिग्रहण करते हैं और अपने उधार और हानि इत्यादि इसमें दिखा देते हैं परन्तु अपने लाभ को ठीक रखते हैं; और फिर एक समय आता है जब ये इकाइयां काम नहीं करती हैं। मैं आपको इसका एक ठोस उदाहरण देना चाहता हूं। मैंने अभी एक महाशय, गुजरात राज्य उर्वरक कम्पनी के अध्यक्ष के बारे में बताया था। इन्होंने अपनी और मिलों के साथ अहमदाबाद मे

4--34 म० प०

(श्री सोमनाथ चटर्जी पीठासीन हुए)

एक और मिल खरीद ली। उन्होंने उस समय यह कहा कि यह विस्तार नहीं हैं अपितु एक इकाई का अधिग्रहण है, जबकि यह विस्तार ही था। अन्त में परिणाम यह था। इस इकाई के अधिग्रहण से पूर्ण उनकी अपनी मिलें ठीक प्रकार से चल रही थीं किन्तु इस कपड़ा मिल सहारनपुर नं० 2 के अधिग्रहण के पश्चात वह रुग्ण हो गई और बन्द कर दी गई। वह आश्चर्य की बात है कि एक मिल मालिक दूसरी मिल का अधिग्रहण कैसे कर सकता है। वह अपनी मिल तो अच्छी तरह से चला लेता है किन्तु एक और मिल जिसका उसने अधिग्रहण किया है उसे चलाने में कठिनाई का अनुभव करता है। यही हमारी शिकायत है। राज्य सरकार ने राहत अधिनियम के अन्तर्गत गुजरात में 20 बन्द हुई मिलों में से केवल दो मिलों को राहत दी। इन दो मिलों में से एक यह मिल है जो बन्द की गई थी। यह हरिवल्लभ समूह की है और गुजरात राज्य उर्वरक कम्पनी के अध्यक्ष इसके सदस्य हैं। यह आपत्तिजनक है।

यह एकाधिकारी स्वयं कहते हैं कि कोई प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिए और जब प्रतिबन्ध लगाए जाते हैं तो यह बचने का कोई न कोई उपाय निकाल लेते हैं। मैं तो यही कहूंगा कि चाहे आप प्रतिबन्ध लगाएं अथवा नहीं ये लोग जानते हैं कि उनसे बचकर कैसे निकला जा

सकता है और फलस्वरूप होता यह है कि उचित परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं। यह सब कानूनी त्रुटियों का लाभ तथा शरारतें कानूनी प्रावधानों के अन्तर्गत ही की जाती हैं।

नवीन खण्ड 17 धारा 22 को संशोधित करता है। इस संशोधन के अन्तर्गत बताया गया है :

मूल अधिनियम की धारा 22 में :

(क) उप-धारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित की जाए, अर्थात :

(1) "सरकार के अतिरिक्त कोई भीव्यक्ति अथवा प्राधिकारी इस अधिनियम नियम क जारी होने के पश्चात।

(i) कोई नया उपक्रम चालू नहीं कर सकता है, जो कि बाद में अन्तः सम्बद्ध उपक्रम के रूप में कार्य करें, जिस उपक्रम से यह खण्ड सम्बन्धित है।

(ii) कोई नया एकक इकाई अथवा खण्ड किसी ऐसे उपक्रम से नहीं जोड़ा जा सकता है जिस उपक्रम पर यह भाग लागू होता है जोड़ा नहीं जा सकेगा। ऐसा सिर्फ केन्द्र सरकार द्वारा दी गई पूर्व अनुमति के अन्तर्गत ही हो सकता है।"

यह मामला यही समाप्त हो जाता है क्योंकि इस खण्ड द्वारा लगाए गए प्रतिबंध जो कानून के अन्तर्गत है अर्थविहीन हैं क्योंकि एक तरफ तो प्रतिबंध लगाए गए हैं और दूसरी ओर केंद्र सरकार से अनुमति लेना आवश्यक है। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि ये लोग किसी तरह यह अनुमति प्राप्त कर लेते हैं। अतः उसी उद्देश्य का हनन हो जाता है जिसके लिए यह बनाया गया था।

प्रश्न यह है कि आज हम विदेशों में रहने वाले भारतीयों एवं अन्य संस्थाओं को जिनके पास 50 प्रतिशत शेयर हैं यहां पूंजी निवेश की अनुमति दे रहे हैं।

आज वह समय है जब हमारा देश विदेशी मुद्रा की सम्पूर्ण आवश्यकता तथा तकनीकी और वैज्ञानिक प्रगति की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है और इस प्रक्रिया में वह नवीन

पूँजी निवेश और औद्योगिकी को हर प्रकार से लाभ उठा सकता है। मैं उच्च और संवेदनशील पदों पर कार्य कर रहे व्यक्तियों मिय चुका हूं .....

प्रो. मधु दंडवते : हमें केवल एक आपत्ति यह है कि ये विदेशी कम्पनियां जिनके तुलन-पत्र लाभ अथवा उधार की ओर इंगित नहीं करते हैं, यदि वे भारतीय कंपनियों में अपना पैसा लगाये तो हमें शक होगा कि काला धन भारत से बाहर जाकर भारतीय कंपनियों में श्वेत धन के रूप में आ रहा है। इस बात पर हमें आपत्ति है हमें भारतीय मूल के विदेशियों द्वारा पूँजी निवेश पर कोई आपत्ति नहीं है।

श्री मगन भाई बरोट : यदि किसी प्रकार का कोई संदेह है तो मैं समझता हूं कि सरकार के पास इस पर रोक लगाने के लिए पर्याप्त शक्ति है। प्रश्न यह है कि हम किस प्रकार से विदेशों में रहने वाले भारतीयों को इस देश में पूँजी-निवेश के लिए आकर्षित कर सकते हैं जिससे उनके यहां पर संबंध बने रहें। मैं इसके बारे में एक सुझाव देता हूं और मैं निष्ठापूर्वक इसे रख रहा हूं।

हम इस पर अवरोध लगाना चाहते हैं लेकिन हम ऐसा करने में समर्थ नहीं है। तथापि इस निशेष वाद-विवाद में मैं विदेशों में रहने वाले भारतीयों के संबंध में कुछ कहना चाहूंगा।

मैं जानता हूं कि कुछ सदस्यों द्वारा विदेशों में रह रहे उन भारतीयों के संबंध में यह टिप्पणी दी गई है कि उन्हें प्रोत्साहन दिया जा रहा है। लेकिन इस मुद्दे के संबंध में मैं अपने विचार स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं। चाहे अनुभव अच्छा हो या बुरा से अथवा तटस्थता या किसी अन्य कारण से मुझे पूरे विश्व में विदेशों में रह रहे भारतीयों के बीच रहने का मौका मिला है। मैं इनसे मिला हूं। यद्यपि वे भारत से चले गए हैं किन्तु आज तक उनका इस देश से लगाव बना हुआ है। उनमें से अधिकांश ने स्वयं को सफल सिद्ध किया है। भले ही वे किसी भी देश में हों वे बहुत अच्छे तकनीशियन हैं। अमेरिका में रह रहे एक भारतीय की प्रति व्यक्ति आय अमेरिका के नागरिक से अधिक है।

ये लोग अपनी मातृ भूमि के साथ अपने अटूट सम्बन्ध बनाए रखना चाहते हैं। उनका अभी भी उतना ही लगाव है। प्रश्न है : हम उन्हें कैसे आमंत्रित करते हैं ? पिछले 12 महीनों में इस देश में जो कुछ हुआ और कुछ व्यक्तियों की चर्चा हुई उससे मेरे मित्र भयभीत हैं जिस को मैं समझता हूं। मैं कहूंगा कि ऐसी घटनाओं के सामान्यीकरण की आवश्यकता नहीं···

प्रो० एन० जी० रंगा : लेकिन वह अनुभव बुरा नहीं था।

श्री मगन भाई बरोट : मैं आपकी बात से सहमत हूं लेकिन में ऐसे लोगों के साथ लड़ना नहीं चाहता जिन्हें इसका कटु अनुभव हो । महोदय, इजराइल की अर्थ-व्यवस्था इसीलिए समृद्ध हुई है क्योंकि इसने इजराइली नागरिक को दोहरी नागरिकता प्रदान की है । वह भले अमेरिका में रहे या ब्रिटेन में या अन्यत्र, वह इजराइल का नागरिक है, और बना रह सकता है । मैं सरकार से निवेदन करता हूं तथा यह सुझाव देना चाहता हूं कि विदेशों में रहने वाले नागरिकों को दोहरी नागरिकता प्रदान की जाए ।

प्रो० एन० जी० रंगा : इसके बारे में सोचना चाहिए ।

श्री मगन भाई बरोट : इस पर विचार किया गया है यथा मैं तो कहूंगा कि यदि विदेश में रह रहा भारतीय अपने को भारतीय ही समझता है और वहां के स्थानीय कानूनों के तहत उसे इन सब बातों का लाभ मिलता रहे तो इसमें गलत क्या है ? हमें विदेशों से धन लाकर उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए । मैं समझता हूं कि माननीय प्रो० मधु दण्डवते को कंपनियों में काम करने वाले कुछ लोगों का भय है जो कि गलत कार्यों इत्यादि में लगे हैं ।

मैं उस औसत भारतीय के बारे में चिंतित हूं जो विदेशों में जाकर बस गए हैं । वे अपनी कंपनी बना सकते हैं । हमने उन पर विदेशों में खोले जाने वाली किसी कम्पनी में उनकी सदस्यता 60% से अधिक होने पर प्रतिबंध लगाया है । साथ ही हम बहु-राष्ट्रिकों निगमों की चिंता है जो कि हमारे देश में कई कंपनियों को अपने हाथ में ले रहे हैं । क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो इन बहु-राष्ट्रिकों निगमों को चुनौती दे सके ? मैं समझता हूं केवल विदेशी भारतीय ही वह काम कर सकता है । उन्हें वैसा करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए ।

इसी तरह एक विकसित देश में हमें लघु उद्योगों को प्रोत्साहन दे रहे हैं एक ऐसे देश में, जहां का औद्योगिक ढांचा मुख्यत: लघु उद्योगों पर आधारित है, यह आवश्यक है कि एकाधिकारी लघु उद्योगों के विकास के रास्ते में न आएं । यह कैसे होता है । वह अनुभव हमें पिछले वर्ष ही हुआ । पिछले वर्ष के बजट के समय लघु उद्योगों का एक वर्ग, जो रंग-रोगन बनाने वाले लोगों का एक ग्रुप अपने मामले की सिफारिश के लिए यहां आया था । एकाधिकारियों उन्हें यह आशंका थी कि के कहने पर उन्हें दी गई कुल रियायतें बंद कर दी गई हैं ।

मैं सादर निवेदन करना चाहता हूं कि इस दवाव का असर पड़ता है । यह दबाव लघु उद्योगों के रास्ते में बाधा डालता है । अत: हमें देखना है कि हम कानून मे जो प्रावधान करते हैं वह केवल कागजों तक ही सीमित न रहे तथा इसे केवल आयोग के दैनिक प्रशासन तक ही नहीं छोड़ देना चाहिये । हमें देखना चाहिए कि हमारे देश जैसे विकासशील देश में, जहां एक

अलग ही प्रणाली है, लघु उद्योगों का ध्यान रखा जाए और उद्योग के विकास में हमें देखें कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा हो।

अंतत: एकाधिकार तथा बालक व्यापरिक अवरोधक अधिनियम उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने और उन्हें सुरक्षित बनाए रखने के उद्देश्य से ही बनाया गया था। अत: सरकार को सबसे अच्छा काम यह करना चाहिए कि वह उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करें।

दूसरे, हम एकाधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने तथा कुछ कानून बनाने पर भी विचार कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य से हम प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता पर विचार नहीं कर रहे हैं। उन्हें भी अवसर दीजिये। इकाइयां क्यों बंद कर दी गई हैं, वही लोग बता सकते हैं। वे लोग जानते हैं कि उन्हें बाहर निकालने में प्रबंधक किस तरह सहायता दे रहे हैं। वे आपको बतायेंगे कि उसकी रक्षा कैसे करनी है।

अंतत: इस देश में बड़े उद्योगों ने अपनी कई इकाइयां बंद कर दी हैं क्योंकि उन्होंने देखा कि लाभ अर्जित नहीं हो रहा है।

अंतत: उसकी कीमत देश को, वित्तीय संस्थानों अर्थात, बैंकों को चुकानी पड़ती है। उपभोक्ताओं को लाभ नहीं मिलता। अत: यह सभी हानि हमें ही उठानी पड़ती है।

उदाहरण के लिए—हमने सूती कपड़ा उद्योगों को कई लाभ दिये। आपने पटसन उद्योग में उसकी अनुमति दी। क्या वे आगे उपभोक्ताओं या श्रमिकों को लाभ का भाग देते हैं? जी नहीं महोदय इस बजट में सूत्री कपड़ा उद्योग को कई रियायतें दी गई। स्पस्ट कह तो सूत्री कपड़ा उद्योगपतियों को रियायतें दी गईं। रेलवे में ऋण देने उत्पाद-शुल्क और कई अन्य चीजों पर लाभ दिए जाते हैं। लेकिन, परिणाम यह हुआ कि बजट प्रस्तुत होने के बाद और वित्तीय विधेयक के पारित होने से पूर्व, गुजरात में 6 सूत्री कपड़ा मिलें और बंद हो गईं। अत: प्रश्न है।

... (व्यवधान) ...

प्रो० एन० जी० रंगा : रियायतों के कारण ऐसा नहीं हुआ है।

श्री मगनभाई बारोट : उपभोक्ताओं या श्रमिक वर्ग को इन रियायतें के देने से कोई

लाभ नहीं हुआ । अच्छा होगा कि साथ-ही साथ आप श्रमिक वर्ग मजदूरों तथा कर्मचारियों की भी बात सुन और प्रबंध व्यवस्था में उन्हें भी सहयोगी बनाएं ।

मैं केवल इतना कहूंगा कि यही समय है कि सरकार को ऐसी कुछ कंपनियों को अपने हाथ में ले लेना चाहिए जिनमें सरकार ने 51% या इससे अधिक राशि लगाई है । कानूनों को बांट दिया जाना चाहिए-वहे उद्योग घरानों के लए अलग कानून बनायें और अवरोधक व्यापरियों के लिए अलग कानून बनाए जाने चाहिए । अवरोधक व्यापरियों के मामले में केवल 20 करोड़ या कम या थोड़ा अधिक तक का प्रतिबंध नहीं रखना जाना चाहिए । उन्होंने इससे भी कम पूंजी लगाई है । इसलिए यह आवश्यक है कि इस सुझाव को स्वीकार किया जाए ।

भारतीय वाणिज्य मंडल के अध्यक्ष ने भी इस सुझाव का समर्थन किया है कि केवल आकार के आधार पर ही इसे सीमित नहीं रखा जाना चाहिये तथा मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह इन सभी बातों पर विचार करें ।

बहुत बहुत धन्यवाद ।

श्री आर० एन० राकेश (चैल) : सभापति महोदय, सबसे पहले मैं जनता सरकार को बधाई देता हूं, जिसने एम० आर० टी० पी० हाउसिज की एसेट्स की सीमा 50 करोड़ रुपए से घटा कर 20करोड़ रुपए कर दी थी ।

सत्ता पार्टी के एक सदस्य ने अभी विपक्ष पर आरोप लगाया कि ये लोग नैयिकता की बात करते हैं ।

लेकिन परिवार वाद को बढ़ावा देते हैं । ये लोग इस सदन में उस भूखे नंगे इन्सान की बकालत करने के लिए आते हैं, जिसकी आंखें अंदर धंस गई हैं और पेट पीठ से चिपक गया है, लेकिन वे बकालत करने लग जाते हैं उसकी, जिसकी बहुत बड़ी तोंद है और लाल गुलाबी गाल हैं । यह बड़ी सुखद बात है ।

जिन लोगों ने परिवार वाद की बात कहीं, वे भूल जाते हैं कि सारे देश में 20-पायंट प्रोग्राम का ढिंढारा पीटा जा रहा है । पता नहीं, इन लोगों को मैथेमैटिक्स का ज्ञान है या नहीं । मैथेमैटिकल फैक्ट यह है कि जीरो की अपनी कंपनी कोई अलग अहमियत नहीं होती । उसका यह गुण है कि वह नम्बर के दाहिनी ओर रहता है और बाई तरफ के नम्बर को हाईलाइट करता है । 20-पायंट प्रोग्राम के 20 में जीरो 2 के दाहिनी और बैठा है और 2 को

हाईलाइट कर रहा है। इस 2 में मां-बेटे हैं और जीरो में सारा देश है। यह है इनका 20-पायंट प्रोग्रामा जब ये विपक्ष पर परिवार को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हैं, तो पहले ये अपनी करनी को देख लें। यह 20-पायंट प्रोग्राम सारे देश को जीरो-शून्य—करता है और मां-बेटे को उभार रहा है।

मां-बेटे के लिए सारे देश को जीरो करने वाले कहते हैं कि विपक्ष परिवारवाद को बढ़ावा देता है !

माननीय सदस्य ने मिर्जापुर में बिड़ला की प्राईवेट फैक्टरी हिंदालकों और रेणुसागर का उदाहरण देते हुए कहा कि प्राईवेट सेक्टर बिजली का ज्यादा उत्पादन कर रहा है और पब्लिक सेक्टर कम उत्पादन कर रहा है। शायद उनको पता नहीं है कि जिसको रेणुसागर कहा जाता है, रिकार्ड्ज में उसका नाम पन्तसागर है। जिनकी फैक्टरी है, उनकी ग्राड-डाटर का नाम रेणु है। उसके नाम पर पन्त का नाम मिटा दिया गया। रेणुसागर से बिड़ला कितना पानी ले जाते हैं, उसको नापने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। किसानों को बिजली किस भाव पर दी जाती है और बिड़ला जी को बिजली किस भाव पर दी जाती है ?

कुछ लोगों ने कहा कि विपक्षी लोगों ने भी पूंजीपतियों को राजनैतिक बढ़ावा दिया, विपक्ष के लोगों ने भी बिड़ला को आगे बढ़ाया, राजनैतिक संरक्षण दिया।

वे भूल जाते हैं कि उत्तर प्रत्येक में श्री बहुगुणा चीफ मिनिस्टर थे, और उन्होंने बिड़ला को लखनऊ की धरती से चुनाव हराकर वापिस किया था। उसी बात पर इस देश की मौजदा प्रधान मन्त्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी और बहुगुणा में टकराव शुरू हुआ था।

इस सदन के वरिष्ठ संसत्स, प्रो० रंगा जी ने कहा कि यह बिल बड़ा पाक है और इस बिल को जैसा कि राज्यसभा ने पास किया है, वैसे ही इस सदन से भी पास कर दिया जाना चाहिए तथा इस बिल पर एतराज नहीं करना चाहिए क्योंकि सरकार की नीति अच्छी है।

सरकार की नीति कितनी अच्छी है यह तो इसी बात से स्पष्ट हो जाती है कि सच्चर कमीशन की रेकमेंडेशन्स में से जो अच्छी अच्छी बातें थीं उनको इस बिल में इन्कारपोरेट नहीं किया गया है बल्कि दूसरी लचीली बातों को इसमें जोड़ दिया गया है।

मैं प्रो० रंगा साहब और उनकी भावनाओं का बड़ा आदर करता हूं लेकिन इस बात

का क्या भरोसा है कि सरकार की नीति ठीक ही रहेगी ? अभी तक पूंजीपति इस देश की राजनीतिक पार्टियों का संरक्षण लेकर आर्थिक चोरी करते थे लेकिन अब तो टाटा, बिड़ला, डालमिया जैसे तमाम पूंजीपति लोग सत्ता पार्टी के टिकट को खरीदकर इस सदन की चेयर को भी खरीदने लग गए हैं। ऐसी हालत में यह बिल जो यहां पर पेश किया गया है उसका अंजाम क्या होगा, यह अपने आप साफ जाहिर है।

नि: सन्देह यह बिल इस देश की गरीबी को दूर करने के लिए नहीं है लेकिन यह बिल सत्ता पार्टी के लिए अधिक से अधिक चन्दा इकट्ठा करने का माध्यम जरूर है। इसीलिए यह बिल यहां पर पेश किया गया है, इसके अलावा और कोई इन्टेन्शन नहीं है। जैसा कि प्रो० दण्डवते जी ने कहा है, इस बिल में बड़ी खामियां हैं, सच्चर कमीशन की तमाम रेकमेंडेशन्स की इसमें उपेक्षा की गई हैं, इस बिल में तमाम लैकुने हैं और अगर इस सरकार की नीति और नीयत ठीक है तो इस बिल को एक ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी के पास भेज देना चाहिए जहां पर इस बिल पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जा सके। ला मिनिस्टर से मेरा अनुरोध है कि आज वे इस बिल को पास न करावें बल्कि इसको ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी के पास भेज दें।

मैं प्रो० रंगा साहब से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि उन्होंने कहा है कि यह बिल बड़ा रैडिकल है, बड़ा क्रांतिकारी है, अगर बास्तव में सरकार का इरादा कोई क्रांतिकारी बिल लाने का है जिससे कि देश में मौलिक परिवर्तन किए जा सकें तो मैं कहना चाहूंगा कि सरकार इस देश के बीस बड़े-बड़े उद्योगपतियों के घरानों की सम्पत्ति का राष्ट्रीयकरण करने का विधेयक लावें टाटा, बिड़ला, डालमिला की सम्पत्ति का सरकार राष्ट्रीयकरण करे और एक सीमा बांधे कि उससे अधिक जिन कम्पनियों की भी आय होगी उनकी सम्पत्ति का राष्ट्रीयकरण सरकार कर लेगी तो उसको एक रैडिकल बिल कहा जायेगा अन्यथा नामाक इरादे से लाये गए बिल की शक्ल भी बिगड़ जाती है।

सच्चर कमीशन ने सेक्शन 294 (ए) में कई इंस्टांसेज देते हुए राकनीतिक पार्टियों को चन्दा देने पर पावन्दी लगाने की बात कही है।

जैसा कि प्रो० दंडवते जी ने कहा है कि ये जो उद्योगपति हैं, ये राजनीतिकपार्टियों को चन्दा देकर खराब करते हैं। विशेषकर रुलिंग पार्टी को खराब करते हैं। चन्दा देकर उनके ईमान और इन्साफ को खरीद लेते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि कानून बनाने से पहले उनकी राय ली जाती है। मेरी मांग है कि इस प्रकार चन्दा देने की व्यवस्था को समाप्त कर देना चाहिए। किसी भी कम्पनी को चाहे रुलिंग पार्टी या कोई भी राजनीतिक पार्टी हो चन्दा देने की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए।

दूसरी तरफ ब्लैक मनी हमारे देश में बढ़ रही है। 1956 के प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के सामन्जस्य की बात कही गई है। लेकिन आज हालत यह है कि अमीर और अमीर हो रहा है तथा गरीब और गरीब होता चला जा रहा है। सारे देश में ब्लैक मनी की सरकार होती है। इस प्रकार की सरकार सही ढंग की व्यवस्था नहीं दे सकती है। इसलिए मेरे विचार में इस बिल को अभी पेश नहीं करना चाहिए था।

जैसा कि अभी प्रो० दंडवते, चैटर्जी साहब और चित्त बसु साहब ने बताया कि 1981 से 1982 में जितने भी केसें सरकार के पास आए उनमें से एक भी केस सरकार ने कमीशन को रैफर नहीं किया है। उनको केवल शो-पीस बनाकर रखा गया है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या कोई अन्दरूणी व्यवस्था तो नहीं है ?

इन शब्दों के साथ मैं कहना चाहता हूं कि यह जो बिल पेश किया गया है, वह नापाक इरादों से पेश किया है। इसे आप वापिस लें और नहीं तो इसको ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी को भेज दें और गम्भीरता से विचार करने के बाद इसको पेश किया जाए। इसलिए इस बिल का मैं विरोध करता हूं।

इस बिल के द्वारा आप रैडिकल परिवर्तन नहीं कर पायेंगे, क्योंकि इस बिल के पीछे नापाक इरादे हैं, वे भी आपके पूरे नहीं होंगे।

श्री जगन्नाथ कौशल : सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं उन सभी सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने वाद विवाद में भाग लिया और अपने बहुमूल्य विचारों को सदन के समक्ष विचार किए जाने के लिए प्रस्तुत किया। वाद-विवाद से मुझे यह समझ में आया है कि विधेयक के उपबंध इतने आपत्तिजनक नहीं है। दूसरी तरफ एक-दो को छोड़कर अधिकतर सदस्यों ने यह स्वीकार किया है कि यह विधेयक काफी हद तक ठीक हैं।

5.00 म० प०

प्रो० मधु दण्डवते कहते हैं कि नि:सन्देह सरकार ने नियंत्रण को कड़ा करने का प्रयास किया है, परन्तु वह महसूस करते हैं कि यह नियंत्रण और अधिक कड़ा होना चाहिए।

प्रो० मधु दण्डवते : सरकार भी कड़ी होनी चाहिए।

श्री जगन्नाथ कौशल : और माननीय सदस्य का, सभापीठ पर विराजमान हैं (श्री सोमनाथ चटर्जी) विधेयक के साथ उनका कोई मतभेद नहीं है। परन्तु-उन्हें आपत्ति यह है कि जब हमने मूल कानून पारित किया था और जब हम विधेयक को उद्देश्य प्राप्त करने में सफल नहीं हुए तो हमें इस विधेयक को क्यों पेश करना चाहिए। इसके लिए मेरे मन में बहुत सम्मान है।

जैसा कि इन्होंने कहा कि इनके मन में मेरे लिए है क्योंकि सम्मान पारस्परिक होता है। परन्तु, जो बात मैं सोच रहा था वो यह है कि यदि एक बात हम यह स्वीकार कर लें कि नियंत्रण किया जाना है, जिस नियंत्रण का संविधान में उल्लेख किया गया है और जो एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनिमय की प्रस्तावन में दोहराया गया है, तो स्पष्टतः यदि अधिनियम के क्रियान्वयन में कतिपय त्रुतियां पायी गई हैं, यदि विभिन्न न्यायिक निर्णयों के कारण हमारा उद्देश्य समाप्त हो जाता है, यदि उसमें असंगतियां हैं, विसंगतियां हैं तो निश्चय ही इसका एक मात्र रास्ता उन त्रुतियों को दूर करना होगा। और यही हमने करने का प्रयास किया है। जो बड़ा प्रश्न सदन द्वारा उठाया गया है वह मिश्रित अर्थ-व्यवस्था के बारे में है।

5.02 म० प०

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।

श्री जगन्नाथ कौशल : इस विषय में प्रो० रंगा बहुत स्पष्ट तरीके से बोले हैं और मैं इस बात को इससे बेहतर तरीके से व्यक्त नहीं कर सकता। इनका कहना है कि यह राष्ट्रीय नीति के रूप में स्वीकृत है।

प्रो० मधु दंडवते : अपरिहार्य है।

श्री जगन्नाथ कौशल : यदि यह अपरिहार्य है तो यह अभी भी अपरिहार्य बना हुआ है। साम्यवादी दल के मेरे मित्र स्पष्टतः निजी उद्यमों से प्रसन्न नहीं हैं ! वे चाहते हैं कि प्रत्येक चीज राज्य के नियंत्रण में हो और सभी उद्योग राज्य द्वारा चलाये जायें। देश ने उनकी इस विचार धारा को स्वीकार नहीं किया है। देश ने मिश्रित अर्थ-व्यवस्था को स्वीकार किया है।

जैसा कि प्रो० साहब ने स्वयं और प्रो० रंगा ने ठीक ही कहा है। यह भारतीय स्थिति की वास्तविकता का सामना करने के लिए है।

हम क्या करते रहे हैं ? हमने कतिपय उद्योगों को लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित रख लिया है। इसके लघु क्षेत्र से आगे हमने मंझोले उद्योगों का वर्गीकरण किया हैं और इसके बाद हम बड़े उद्योगों पर आ गए हैं, जो मुख्य उद्योग हैं, जो पूंजी-प्रधान हैं, जिनमें परिष्करण की आवश्यकता है, जिनमें आधुनिक प्रौद्योगिकी की जरूरत है और जिनमें आधुनिक प्रबन्धकीय विशेषज्ञता की आवश्यकता है।

हम अब भी यह प्रश्न उठा सकते हैं कि क्या हमें समूचे उद्योग को पूरी तरह सरकारी क्षेत्र को दे देना चाहिए। आपने यह प्रयोग भी देखा है ! मैं यह नहीं कह रहा हूं कि बात पर गर्व है कि सरकारी क्षेत्र का अपना अस्तित्व है। किन्तु, सरकारी क्षेत्र उतना सफल नहीं रहा है कि जितना हम चाहते थे !

इसके अनेक कारण हैं। एक कारण जिसका शायद श्री चटर्जी ने सलाहकार समिति में उल्लेख किया वह यह था कि उपयुक्त प्रबन्धकीय विशेषज्ञता की कमी है। अब, निश्चित रूप से हम प्रबन्धीय विशेषज्ञता उत्पन्न नहीं कर सकते और हम रातों रात प्रबन्धक भी पैदा नहीं कर सकते, क्योंकि किसी उद्योग को सफलतापूर्वक चलाने के लिए केवल एक चीज काफी नहीं है। प्रौद्योगिकी का समर्थन आवश्यक है, धन चाहिए, मजदूरों का समर्थन चाहिए, श्रमिकों की सांझेदारी की भी आवश्यकता है।

इसलिए, किसी उद्योग को सफलतापूर्वक चलाने के लिए सैकड़ों चीजें अपेक्षित होती हैं। चाहे आप सरकार के साथ सहमत हों, चाहे न हों, मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि इन एकाधिकार तथा व्यापारिक अवरोधक व्यवहार गृहों के या तो विस्तार करने की अथवा महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नये उद्योग लगाने की अनुमति दी जाती है !

यह अनुबंध-1 है। इस अनुबंध में यदि आप उद्योगों पर नजर डालें तो आपको पता चलेगा कि जो उद्योग इसमें हैं वे लघु अथवा सझौले क्षेत्रों द्वारा नहीं चलाये जा सकते। या तो इन सभी उद्योगों को सरकारी क्षेत्र को सौंप दिया जाये अथवा यदि सरकारी क्षेत्र इन सभी उद्योगों को नहीं चला सकता तो जाहिर है हमें निजी क्षेत्र की सहायता लेनी होगी।

इसीलिए मैं कहता हूं कि मिश्रित अर्थ-व्यवस्था को स्वीकार कर लेना ही मौजूदा स्थिति की अपरिहार्य वास्तविकता है ! एक बार ऐसा हो जाने पर हमें निजी क्षेत्र को विनियमित करना होगा। हर व्यक्ति को यह कहने का अधिकार है !

किन्तु, क्या मैं उन माननीय सदस्यों से सविनय पूछ सकता हूं, जिन्होंने इस वाद-विवाद में भाग लिया है : आपकी धारण के अनुसार सामान्य वृद्धि क्या होती है ? उद्योग के सम्बन्ध में कौन सा उद्योग स्वस्थ्य उद्योग है, जो आप समझते हैं कि ठीक चल रहा है, एक वर्ष में इसका कितना विस्तार होना चाहिए ?

क्या आप इसके लिए 10 प्रतिशत से 15 प्रतिशत तक की वृद्धि को सामान्य वृद्धि

मानेंगे या नहीं। कोई भी व्यक्ति किसी उद्योग में पूंजी अथवा विशेषज्ञता लगाना नहीं चाहेगा, यदि उसमें 10 प्रतिशत से 15 प्रतिशत तक विस्तार नहीं हो सकता ! इस पर मुद्रा स्फीति को भी ध्यान में रखना है।

यदि 10 से 15 प्रति तक का विस्तार सामान्य विस्तार है तो मुद्रा-स्फीति के लिए थोड़ा सा और जोड़ते हुए अन्त तो गत्वा 17 से 18 प्रतिशत तक का विस्तार कोई ऐसा असामान्य विस्तार नहीं है, जिसके लिए हम यह कहें कि हमारे उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हुई है, अथवा हमारा तंत्र विफल हो गया है या कि एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम असफल हो गया है।

मैं यह आलोचना स्वीकार करने को तैयार नहीं हूं और जो सीधा रास्ता हमने सोचा था, यह है कि जहां कहीं हमने कमियां पाईं हमने उन्हें दूर करने का प्रयास किया है। जहां कहीं हमने पाया। कि आम आदमी को हानि पहुंचाने वाली विषमता फिर से सामने आ रही है, हमने बहुत सी बातों को उदार बनाया है जैसा कि हमने एक मामले में यहां भी किया है।

उदाहरणतः दो प्रकार के एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार घराने हैं। एक तो ऐसे घराने जिनकी परिसंपत्तियां 20 करोड़ रु० से अधिक हैं और दूसरे, ऐसे घराने जिनका किसी एक विशेष किस्म के मालके उत्पादन तथा अवरोधक हैं।

वे भी प्रमुख घराने हैं, और एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार घराने हैं। पहले का प्रावधान ऐसा प्रतीत होता है यदि वे ऐसा माल तैयार करते थे जिस पर उनका प्रमुख नहीं था, तो इन्हें केन्द्रीय सरकार की अनुमति लेनी पड़ती थी क्योंकि वे एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार घराने। अभिप्राय यही है कि यदि वे एक विशेष प्रकार की सेवाओं अथवा माल के क्षेत्र में प्रमुख हैं, और यदि वे और विस्तार करना चाहते हैं, तो वे हमारे पास आयें।

उनका हमारे पास आने का उद्देश्य यह है कि विस्तार अथवा उद्योगों की स्थापना की अनुमति देते समय हम बहुत सी बातों की जांच करते हैं। केवल एक मंत्रालय ही इसकी जांच नहीं करता। कई मंत्रालय इसकी जांच करते हैं, और वे विभिन्न पहलुओं से इस की जांच करते हैं। उन सभी पहलुओं पर गौर करने के बाद, उन सभी बातों के संबंध में, आमतौर पर बोलते हुए, जिन्हें कम्पनी कार्य बिभाग महत्व देता है, मैं इनका उल्लेख कर दूं

क्योंकि इससे प्रो० मधु दण्डवते के इस तर्क का उत्तर भी मिल जाएगा कि हम एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग को और अधिक मामले क्यों नहीं भेजते ?

जब हमारे पास कोई अभ्यावेदन आता है, तो आमतौर पर उस पर जो विभाग गौर करने हैं वे हैं···

प्रो० मधु दंडवते : यह केवल मेरी ही शिकायत नहीं है। सच्चर आयोग की भी यही शिकायत है।

श्री जगन्नाथ कौशल : उससे फर्क नहीं पड़ता। आप उनकी शिकायत दोहरा रहे हैं। आप जो कुछ कहते हैं उसे मैं बहुत महत्व देता हूं, हालांकि आप अपनी बात के बीच में सच्चर समिति को ला रहे हैं। अन्य बातों में, आपके द्वारा कही गई बात को मैं बहुत महत्व देता हूं। इस दलील का उत्तर मैं कुछ देर बाद दूंगा।

प्रो० मधु दण्डवते : श्री साठे का कोई अनादर न करते हुए।

श्री जगन्नाथ कौशल : बिल्कुल नहीं। दूसरी तरफ से आप सही है। अपनी दलील को और मजबूत करने के लिए आप उस विशेषज्ञ समिति की टिप्पणी को उद्धृत कर रहे हैं। यह भी मान लिया। जो कुछ हम करते हैं, वह यूं है। विद्यमान उपक्रमों के पर्याप्त विस्तार अथवा नई इकाईयां स्थापित करने के लिए विभाग द्वारा प्राप्त प्रस्ताव की, कम्पनी कानून विभाग द्वारा प्रशासनिक मंत्रालय, तकनीकी विकास के महानिदेशक, वित्त मंत्रालय, योजना आयोग तथा अन्य मंत्रालयों के साथ विचार-विमर्श करके ध्यानपूर्वक जांच की जाती है। ऐसे मामलों में, जहां कि मांग तथा आपूर्ति स्थिति, प्रौद्योगिकी, वित्त प्रदान करने की योजना, स्थल आदि जैसे सभी संगत विषयों के संबंध में संबद्ध विभागों अथवा विभिन्न मंत्रालयों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों में एकरूपता अथवा सहमति हो, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग को भेजना आवश्यक नहीं है। तथापि, ऐसे मामलों के संबंध में, जहां मांग तथा आपूर्ति स्थिति, निर्यात संभाव्यता घरेलू सक्षमता के विकास जैसे सभी मामलों को लेकर विचारों में गम्भीर मतभेद हो अथवा जहां सरकारी क्षेत्र का प्रभावशाली दृष्टिकोण अंतर्निहित हो, ऐसी स्थिति में सामान्यतः, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग का उल्लेख किया जाता है, और अपने माननीय मित्र, प्रो० मधु दण्डवते की जानकारी के लिए मैं यह उल्लेख कर दूं कि हमने हर हालत में आपके द्वारा, आपकी सरकार के द्वारा भेजे गए मामलों से अधिक मामले भेजे, क्योंकि आप अपनी सरकार में तीन वर्षों तक रहे और आपने 11 मामले भेजें और हमने 21 मामले भेजे हैं, हमारे द्वारा भेजे गए मामले आपसे लगभग दो गुने हैं।

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग को केवल मात्र और अधिक मामले भेजने का अर्थ है, और विलम्ब । जब तक कि कोई जटिलता ना हो, जब तक कि कोई ऐसा मामला न हो जिसके सम्बन्ध में हम संतोषजनक रूप से पूछताछ न कर सकते हों, हमें एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग की सेवाओं की आवश्यकता नहीं होती । तो, यहां यह प्रश्न सामने आता है कि जब आपकी सरकार सत्ता में थी, उस समय भी आपने प्रत्येक मामलों को आयोग के पास भेजना आवश्यक नहीं समझा । सरकार पर एक आरोप यह है कि वह एक अभ्यावेदन पर कार्यवाही करने में बहुत ज्यादा समय लेती है और इस बीच कीमतें बढ़ जाती हैं, लागत मूल्य बढ़ जाता है । दूसरी ओर, यदि हम प्रत्येक मामला आयोग को सौंपे तो स्पष्ट है कि विलम्ब होगा । यही एक बात हैं जो प्रत्येक मामले में तथ्यों पर विचार करते समय किसी भी सरकार को ध्यान में रखनी होती है ।

प्रो० मधु दण्डवते : मेरा यह अभिप्राय बिल्कुल नहीं है कि यदि कोई साधारण मामला भी सरकार के पास आता है तो स्वत: यह उसके पास पहुंच जाए । जो कुछ मैंने कहा वह यही है कि निश्चित नियम तथा दिशा निर्देश होने चाहिए, यह मंत्रालयों की मर्जी पर नहीं छोड़ दिया जाना चाहिए । मर्जी के ही रूप में, यदि सभी मंत्रालय सामूहिक रूप से सहमत हो, यदि वे दिशा निर्देशों का उल्लंघन करें···

श्री जगन्नाथ कौशल : आप 'मर्जी' शब्द का प्रयोग बहुत ही अवास्तविक रूप में कर रहे हैं । सभी मंत्रालय अनियत बन जायेंगे, सभी मंत्रालय अपनी मर्जी से चलेंगे । उस स्थिति में तो मैं यह समझ सकता हूं कि आप यदि किसी विशेष व्यक्ति पर यह लांछन लगाएं । जैसा कि मैंने कहा, 5-6 मंत्रालय जांच करते हैं और जब हमने एक नई प्रणाली तैयार की है क्योंकि हम उत्पादन के बारे में, निर्यात के बारे मे, और उन क्षेत्रों में उद्योगों के बारे में चिंतित हैं जहां उद्योगी की पहुंच ही नहीं हो पाई । आपने यह कहने के बजाय कि हमने निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया है, कितने ही ऐसे जिले हैं जहां कोई उद्योग नहीं है । सरकार की हाल की नीति में आपने देखा होगा कि उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि लोग उद्योग-रहित क्षेत्र में जाएं, और हमने उद्योग रहित क्षेत्र को तीन श्रेणियों, क, ख तथा ग में बांट दिया है, और जब हम इन लोगों को उद्योग रहित क्षेत्रों में जाने के लिए कहते हैं, तो हम उन पर सदैव यह जिम्मेदारी सौंपते हैं कि वे माल का निर्माण करें । माननीय सदस्यों को यथार्थवादी होना चाहिए । क्या कम पूंजी वाला कोई व्यक्ति अथवा नवयुवक उद्यमी अथवा मध्यम आकार के उद्योग से संबंध रखने वाला कोई व्यक्ति ऐसे स्थान पर जाएगा जहां उद्योग सम्बन्धी आंतरिक ढांचे की सुविधा ना हो ?

यहां तक कि जिन घरानों की क्षमता है, वे भी संकोच करते हैं क्योंकि कोई भी नुकसान नहीं उठाना चाहता, एक बार भी वे नुकसान उठा लें तो उद्योग रुग्ण हो जाता है फिर

हमारे ही पास आता है। इसलिए सरकार का दृष्टिकोण सन्तुलित है। कुछ पार्टियों का रवैया हठधर्मी का हो सकता है लेकिन हमारा नहीं, यहां तक कि सौभाग्य से हमारा दृष्टिकोण श्री चटर्जी तथा अन्य माननीय सदस्यों द्वारा भी स्वीकार कर लिया गया है, इसके बिना गुजारा नहीं। पश्चिम बंगाल में भी निजी क्षेत्र का लाभ प्राप्त करना पड़ता है क्यों ? उनका कहना है कि वे रोजगार के अधिक अवसर पैदा करना चाहते हैं। अधिक उद्योग स्थापित करना चाहते हैं। वे इसे स्वयं बढ़ाने की स्थिति में नहीं हैं इसलिए उन्हें बड़े घरानों का लाभ उठाना है। वास्तव में हम बड़े घरानों को एकदम बुरा मानकर यह नहीं कह सकते कि वहां उनकी कोई आवश्यकता नहीं है।

इसलिए इस विधेयक को सदन में पेश करते हुए मैंने कहा कि इसका दोहरा उद्देश्य है, हम महसूस करते हैं कि जो हमारा प्रयोजन है उसे या तो विधेयक के प्रारूपण की कमियों द्वारा या न्यायिक निर्वाचन के कारण अथवा कुछ लोगों द्वारा अधिक चतुराई दिखाने की कोशिश के कारण समाप्त किया जा रहा है, तब हमें इसकी कमियों को कम करने के लिए विधान लाना पड़ता है। मुझे प्रसन्नता है कि आप में से प्रत्येक ने ऐसा कहा, यह अच्छी बात है। आपने कहा कि अच्छा हुआ कमियां दूर कर दी गई है। कुछ अन्य सदस्यों का कहना है कि निजी क्षेत्र में कुछ कमियां पाए जाने की सम्भावना है। स्पष्टतया मनुष्य की पटुता की कोई सीमा नहीं। आखिरकार मुझे अथवा विपक्ष में बैठे मित्रों को त्रुटि रहित कानून बनाने का तरीका मालूम नहीं, अन्ततः यह एक लिखित कानून है। लिखित कानून एक बार बन जाए लोग कानून से बचने के लिए चालाकी से कुछ कमियां ढूंढ़ने की कोशिश करते हैं। यदि वे कानून के दरवाजे तक जाते हैं तो कोई न्यायालय कहता है कि वह विधान सभा का आशय जानने की कोशिश करेगा। चाहे व्याकरणिक निर्वचन हो या शाब्दिक निर्वचन, कई बार आशय को हार माननी पढ़ती है, विधान सभा का आशय कानून में संशोधन करना है और उसकी खामियों को दूर करना है। हम यहां पर यही करना चाहते हैं।

अब एक बात और जो कुछ मित्रों ने उठाई है कि आयोगों की सभी सिफारिशें लागू करने के लिए सरकार बाध्य होनी चाहिए। इस विशेष दलील में एक विरोधाभास है। आयोग एक सलाहकार संस्था होती है। यह सरकार को सिफारिशें करती है और सरकार को बहुत सी बातों को ध्यान में रखकर निर्णय लेना होता है, लेकिन यदि आप हर समय सरकार की नीयत पर शक करते हैं फिर तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता। आपके देखने का ढंग पूर्वाग्रही है। हम देश में जाते हैं। हम देश में जाकर वोट प्राप्त करते हैं। यह निश्चित है कि विपक्ष देश का प्रतिनिधित्व नहीं करता। मेरी समझ में नहीं आता कि विपक्षी सदस्य क्यों यह समझते हैं कि केवल वे ही लोगों द्वारा उचित रूप से

निर्वाचित सदस्य हैं। हम भी लोगों के मतों द्वारा निर्वाचित किए गए हैं। यदि आप सोचते हैं कि जो कुछ आप कहते हैं वह सही है तो आप लोगों को लोकसभा की सभी 550 सीटें जीत लेनी चाहिए थीं। दुर्भाग्य से आप काफी अल्पमत में हैं। आप कभी लोगों को विश्वास दिलाने में समर्थ नहीं हो सके।

जब मैं राज्य सभा का सदस्य था मुझे उन सुन्दर दिनों की याद आती है मैंने सुना है कि राष्ट्रपति रूजवैल्ट कहा करते थे—जब मैं विपक्ष के सदस्यों को सुनाता हूं मुझे लगता है कि कोई भी मेरे साथ नहीं लेकिन देश में मतदाताओं के पास जब जाता हूं तो लगता है कि सभी लोग मेरे साथ है।' कई बार मेरे मन में भी ऐसे ही विचार पैदा होते हैं। जब भी मैं विपक्ष की ओर से बोल रहे सदस्यों को सुनाता हूं कम से कम मुझे लगता है कि वे सर्वगुण सम्पन्न है, वे आदर्शवादी लोग है और उनकी नीतियां शतप्रतिशत अच्छी है लेकिन जिस तरीके से उन्हें फिर से चुना जाता है वह देश को स्वीकार्य नहीं है। पता नही क्यों, मैं नहीं जानता। मैं इसे नहीं समझ पाया। इसलिए मेरा निवेदन है कि गुणों के आधार पर विधेयक को परखें।

(व्यवधान)

आप विधेयक के विषय से अलग हटकर भी बोले हैं। कुछ माननीय सदस्य तो विधेयक के किसी भी अनुच्छेदों के बारे में एक शब्द भी नहीं बोले हैं। लेकिन आपने स्वनात्मक सुझाव दिए हैं। आपने कहा —कृपया यह करो वह करो। आपने आयोग के प्रतिवेदन का भी उल्लेख किया। लेकिन अन्य सदस्यों को कोई फिक्र नहीं। वे कहते हैं कि यह बुरा, बदबूदार, बेकार, वाह-वाह लूटने के लिए और पता नहीं क्या-क्या है ? मैं एक विधेयक रख रहा हूं आपके अनुसार जिसका उद्देश्य मतदाताओं को खुश करना है। हां, मैं यह विधेयक आम आदमी के हित के लिए पारित कराना चाहता हूं, इसलिए कुछ मामलों में हमने सच्चर समिति की सिफारिशें स्वीकार कर ली है और कुछ अन्य मामलों में स्वीकार नहीं की गयीं। कुछ मामलों में हम उससे भी आगे निकल गए हैं जिनकी सच्चर समिति ने सिफारिश की। इसी कारण यह उच्चाधिकार प्राप्त आयोग और समितियां नियुक्त की जाती हैं। स्पष्टतया सरकार द्वारा उन्हें बड़े आकार की दृष्टि से देखे जाने का अधिकार है। लेकिन इस बात का निर्णय सरकार करती है कि कौन सी सिफारिश स्वीकार करने योग्य है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि कितनी भी उच्च शक्ति प्राप्त समिति क्यों न हो, सरकार को इसकी सभी सिफारिशें स्वीकार कर लेनी चाहिए। सरकार को इस बात की जांच करनी होती है कि क्या यह सिफारिश समाज के हित में है या नहीं।

माननीय सदस्यों की दलील में मुख्यतया यह कहा गया कि विधेयक तो हितकारा है

लेकिन सरकार इसे लागू नहीं करेगी। हम यह सब कुछ बेकार में ही नहीं कर रहे हैं। मैं सदन को विश्वास दिला सकता हूं कि पहली चीज है कि विधेयक की त्रुटियां दूर की जाएं और उसके बाद विधेयक में निहित नीतियों को लागू किया जाए ताकि हमें विश्वास हो जाएं कि यह आम आदमी के कल्याण के लिए हैं।

विधेयक के एक उपबन्ध के अनुसार जिसे सबने सराहा है, वह अनुचित व्यापारिक व्यवहार। इससे हर व्यक्ति इसलिए खुश है क्योंकि यह उपभोक्ता के हित के लिए हैं। मैं माननीय सदस्यों का धन्यवाद करता हूं कि कम से कम उन्होंने एक उपबन्ध को अपना समर्थन दिया।

श्री मगन भाई बरोट : ऐसी शुभ इच्छा कि इसे लागू किया जाएगा।

श्री जगन्नाथ कौशल : हम संजीदगी से इसे लागू करना चाहते हैं। हम पुन: आयोग को शक्तियां दे रहे हैं। वे निषेधादेश भी जारी कर सकते हैं। यदि निदेशों की पालना नहीं की जाती तो दोषी व्यक्ति पर मुकदमा चलाया जा सकता है। जिसे हमने स्थापित किया है वह बड़ी कारगर मशीनरी है। हमें आशा है कि एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम में निहित उद्देश्यों को इस विधेयक के उपबन्ध और आगे बढ़ाएंगे। लेकिन एक बात मुझे स्पष्ट कर देनी चाहिए कि एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम कभी भी वृद्धि के विरुद्ध नहीं था। वृद्धि तो होगी लेकिन ऐसी वृद्धि नहीं जो आम इन्सानों के हितों के विरुद्ध जाए। इसलिए चीजें देखने की हमारे दृष्टिकोण के अनुसार निजी क्षेत्र ने देश में औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने में मदद की है। वे रोजगार भी उपलब्ध करा रहे हैं। वृद्धि की साधारण प्रक्रिया और मौजूदा मुद्रा स्फूर्ति के कारण स्पष्ट है कि उनकी परिसंपतियां बढ़ी है। मुझे याद है राज्य सभा में एक सदस्य कह रहे थे —उन्होंने कुछ आंकड़े पढ़े, मुझे खेद है कि मैं अभी उन्हें साथ नहीं लाया हूं, जिसके द्वारा उन्होंने साबित करने की कोशिश की कि टाटा, बिरला की निजी परिसंपत्तियां कम होती जा रही है और नियमित की परिसंपत्तियां बढ़ती जा रही है। लेकिन यह कुछ बुरा है या अच्छा ? यदि उनकी निजी संपत्ति घटती जा रही है और वे हर चीज को सहकारी क्षेत्र में लगा रहे हैं, हमें इस बात की प्रसन्नता होनी चाहिए।

श्री मगन भाई बरोट : कर आयोजना का यह सर्वोत्तम तरीका है।

प्रो० मधु दण्डवते : किसी व्यक्ति की सम्पत्ति के घटते जाने की कार्यप्रणाली एक भिन्न चीज है।

श्री जगन्नाथ कौशल : मैं नहीं सोचता कि मुझे सदन का अधिक समय लेना चाहिए, मैं एक बार फिर उन सदस्यों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने वाद-विवाद में हिस्सा लिया। कृपया प्रस्ताव स्वीकार किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (संशोधन) अधिनियम, 1969 तथा कम्पनी अधिनियम, 1959 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में है, विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयक पर खंडवार विचार आरंभ करेंगे ।

खण्ड 2 से 4 तक

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

कि खण्ड 2 से 4 विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 5

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सतीश अग्रवाल अनुस्थित ।

प्रो० मधु डण्डवते, क्या आप अपना संशोधन पेश कर रहे हैं ?

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : जी श्रीमान्। मैं पेश करना चाहता हूं कि :

पृष्ठ 8

पंक्ति 14 के पश्चात् निम्नलिखित अन्त: स्थापित किया जाए :

"परन्तु इस धारा की कोई भी बात अनुचित व्यापारिक व्यवहारों और अवरोधक व्यापारिक व्यवहारों और अवरोधक व्यापारिक व्यवहारों के बारे में खण्ड (क) से खण्ड (च) तक में उल्लिखित किसी या सभी उपक्रमों पर लागू नहीं होगी ।"

श्री जगन्नाथ कौशल : श्रीमान्, आप सभी संशोधन एक साथ पेश क्यों नहीं करते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह विधेयक खण्डवार विचार हो रहा है ।

प्रो० मधु दण्डवते : श्रीमान्, मैं यह नहीं करूंगा क्योंकि मैं इसे पूर्णतया समाप्त करने में विश्वास नहीं रखता । कुल मिलाकर मैं कहूंगा कि यह एक संशोधन है जो विधेयक और

मजबूत करेगी । अधिनियम के सम्बन्ध में खण्ड 3 में हैं कि यह कुछ मामलों में लागू नहीं होगा । मैं उपभोक्ताओं के हित की रक्षा के जिग संशोधन पेश कर रहा हूं— 'बशर्ते कि अनैतिक व्यापार व्यवहार तथा व्यापारिक व्यवहार के संबंध में अव रोधक इस धारा की कोई भी बात अनुच्छेद (क) से (ख) तक दर्शाए गए खण्ड पर लागू नहीं होगी ।

मुझे आशा है कि इस संशोधन के पीछे क्या उद्देश्य है— वे देखकर इसे स्वीकार कर लेंगे ।

कभी भूलकर कम से कम उन्हें एक संशोधन स्वीकार कर लेना चाहिए ।

श्री जगन्नाथ कौशल : मैं वह गलती करने के लिए तैयार नहीं जो गलती वह मुझसे करवाना चाहते हैं । यह आवश्यक नहीं कि इस संशोधन को स्वीकार किया जाए मैं इसके लिए तीन कारण बता रहा हूं । एक कारण तो यह है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से यह अपेक्षा है कि वे एकाधिकारी अवरोधक और अनैतिक व्यापारिक व्यवहार का मुकाबला करें । दूसरा कारण यह है कि सरकार का अपनी नीति और मशीनरी का स्वयं संचालन करना इस संबंध में किसी भी आशंका के प्रति पर्याप्त सुरक्षा है । तीसरा यह कि इस संबंध में सरकारी क्षेत्र को मुक्त रखने का यह मतलब बिल्कुल नहीं कि जो लोग सरकारी उपक्रमों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की बिक्री और आपूर्ति के काम में लगे हैं, उन्हें छूट दी गई है ।

उदाहरण स्वरूप जो डीलर सरकारी क्षेत्र से संबद्ध है उन्हें छूट नहीं दी जाती है । अर्थात केवल सरकारी क्षेत्र को ही छूट दी जाती है और मेरे विचार से इस संशोधन को स्वीकृत करने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप उनकी बात सुनने के बाद अपना संशोधन वापिस ले रहे हैं ।

प्रो० मधु दण्डवते : नहीं, महोदय ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं प्रो० मधु दण्डवते द्वारा प्रस्तुत किए गए खण्ड 5 के संशोधन सं० 1 को सभा में मतदान के लिए रखूंगा ।

संशोधन संख्या 1 सभा में मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 5 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 5 को विधेयक में जोड़ दिया गया :

खंड 6 और 7

उपाध्यक्ष महोदय : खण्ड 6 और 7 के कोई संशोधन नहीं है । मैं उन्हें एक साथ रखूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड और 7 विधेयक का अंग बने ।"

खंड 6 और 7 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

खड 8

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं ।

पृष्ठ 9,—

पंक्ति 33 **के पश्चात्** निम्नलिखित **अन्तःस्थापित किए जाए** :

"परन्तु यदि ऐसे अन्वेशण के आधार पर यह पाया जाता है कि शिकायत की जांच करने की आवश्यकता नहीं है, तो शिकायतकर्त्ता को तत्संबंधी कारण सूचित किए जाएंगे और उसे आयोग के समक्ष ऐसे अन्य तथ्य और कारण पेश करने की अनुमति दी जाएगी, जो शिकायत की जांच करने के लिए आवश्यक हों ।

परन्तु यह भी कि जहां आयोग धारा 10 के खण्ड (क) के उपखण्ड (I) के अन्तर्गत की गई शिकायत के बारे में जांच करता है, वहां ऐसी शिकायत से आयोग या किसी अपीलीय न्यायालय के समक्ष होने वाली सभी कार्यवाहियों में शिकायतकर्त्ता को एक पक्ष के रूप में माना जायगा और इसे इसके संबंध में कोई साक्ष्य या गवाह प्रस्तुत करने तथा उनका परीक्षण करने का भी अधिकार होगा ।" (2)

मैं इस संशोधन में, मंत्री महोदय से न केवल यह निवेदन कर रहा हूं कि जब महा-निदेशक जांच करता है और विभिन्न कारणों से वह इस निर्णय पर पहुंचता है कि इसका कोई आधार नहीं है, तो मेरा यही कहना है :

"परन्तु यदि ऐसे अन्वेषण के आधार पर यह पाया जाता है कि शिकायत की जांच करने की आवश्यकता नहीं है, तो शिकायतकर्ता को तत्सम्बन्धी कारण सूचित किए जाएंगे और उसे आयोग के समक्ष ऐसे अन्य तथ्य और कारण पेश करने की अनुमति दी जाएगी, जो शिकायत की जांच करने के लिए आवश्यक हों। परन्तु यह भी कि जहां आयोग धारा 10 के खण्ड (क) के उपखण्ड (1) के अन्तर्गत की गई शिकायत के बारे में जांच करता है, वहाँ ऐसी शिकायत से आयोग या किसी अपीलीय न्यायालय के समक्ष होने वाली सभी कार्यवाहियों में शिकायतकर्ता को एक पक्ष के रूप में माना जाएगा और उसे इसके सम्बन्ध में कोई साक्ष्य या गवाह प्रस्तुत करने तथा उनका परीक्षण करने का भी अधिकार होगा।"

मेरा विचार है कि मंत्री महोदय को इसे स्वीकार कर लेना चाहिए।

श्री जगन्नाथ कौशल : मुझे खेद है, मैं दो कारणों से इसका एक बार फिर विरोध करता हूं। प्रथमतः, ये कार्यवाहीगत मामले हैं जो कि एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग के लिए छोड़ दिए गए हैं। दूसरे 1974 के एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार के विनियम 22 में प्रोफेसर की इच्छानुसार प्रावधान है। अतः इस संशोधन की आवश्यकता ही नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 2 को मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 2 सभा में मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : चूंकि खण्ड 9 का कोई संशोधन नहीं है, मैं खण्ड 8 और 9 को सभा में मतदान के लिए एक साथ रखता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है।

"कि खण्ड 8 और 9 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 8 और 9 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 10

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं।

पृष्ठ 11,

पंक्ति 9 **के पश्चात** निम्नलिखित **अन्तःस्थापित किया जाए** :

"परन्तु इस अधिनियम या किसी अन्य विधि की कोई भी बात आयोग को, किसी उपभोक्ता को हुई असुविधा या कठिनाई की पर्याप्त क्षतिपूर्ति करने के लिए, इस प्रकार हुई हानि या नुकसान के पांच गुना तक शिक्षात्मक हर्जाना देने से नहीं रोकेगी।"

महोदय, क्षतिपूर्ति के बारे में यह एक और छोटा सा संशोधन है। मैं एक बार फिर यही कहता हूं कि उपभोक्ताओं के हितों को सुरक्षित रखने के लिए इस संशोधन को स्वीकार कर लिया जाए। मैं तो केवल देय क्षतिपूर्ति की मात्रा का उल्लेख कर रहा हूं और मेरे विचार से मात्रा को लेकर मतभेद नहीं होना चाहिए।

श्री जगन्नाथ कौशल : हमें आयोग के फैसले पर पूर्ण विश्वास हैं। आयोग की शक्तियां असीमित हैं और यह कोई भी क्षति पूर्ति स्वीकान/प्रदान कर सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 3 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 3 सभा में मतमान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

खंड 10, 11 से 29 तक

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 10, और 11 से 29 तक विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 10, और 11 से 29 तक विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 30

प्रो० मधु दंडवते: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 30, 44 पंक्ति,—

"उपभोक्याओं से" **के पश्चात्** निम्नलिखित **अन्तःस्थापित किया जाए**—

"या किसी राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार या आयोग द्वारा इस निमित्त मान्यता प्राप्त किसी उपभोक्ता निकाय से"

पृष्ठ 31,—(4)

पंक्ति 12 के पश्चात् निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाए —

"परन्तु यदि ऐसे अन्वेषण के आधार पर यह पाया जाता है कि शिकायत की जांच करने की आवश्यकता नहीं है, तो शिकायतकर्त्ता को तत्संबंधी कारण सूचित किए जाएंगे और उसे आयोग के समक्ष ऐसे अन्य तथा और कारण पेश करने की अनुमति दी जाएगी, जो शिकायत की जांच करने के लिए आवश्यक हों :

परन्तु यह भी कि जहां आयोग धारा 10 के खंड (क) के उपखण्ड (i) के अन्तर्गत की गई शिकायत के बारे में जांच करता है, वहां ऐसी शिकायत से आयोग या किसी अपीलीय न्यायालय के समक्ष होने वाली सभी कार्यवाहियों में शिकायतकर्त्ता को एक पक्ष के रूप में माना जाएगा और उसे इसके सम्बन्ध में कोई साक्ष्य या गवाह प्रस्तुत करने तथा उनका परीक्षण करने का भी अधिकार होगा।" (5)

महोदय, यह एक और सरल-सा संशोधन है। मैं नहीं जानता कि वह संशोधन को स्वीकार न करने में बस इतना कड़ा रुख क्यों अपना रहे हैं। मैं यहां पर एक और बात नहीं जोड़ रहा हूं। वह आवश्यकता से अधिक सावधानी बरत रहे हैं। वह उसका विरोध क्यों कर रहे हैं।

श्री जगन्नाथ कौशल : जहां तक प्रो० मधु दण्डवते द्वारा प्रस्तुत किए गए खण्ड 30 के संशोधन संख्या 4 का संबंध है, यह आवश्यक नहीं है। स्वयं अधिनियम के उपबन्धों में यह सब दिया गया है। आयोग स्वत: पूर्ण कार्यवाही कर सकता है। यदि एक उपभोक्ता के आवेदन पत्र से भी आयोग संतुष्ट है तो वह स्वयं मामले को उठा सकता है। जहां तक प्रोफेसर द्वारा प्रस्तुत किए गए संशोधन संख्या 5 का संबंध है, मैं वे कारण पहले ही बता चुका हूं जिन को लेकर मैं इसका विरोध करता हूं।

प्रो० मधु दंडवते : कुछ न कुछ तो किया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं प्रो० मधु दण्डवते द्वारा रखे गए संशोधनों अर्थात खण्ड 30 के संशोधन संख्या 4, और 5 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 4 और 5 सभा में मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।

खंड 30—41

उपाध्यक्ष महोदय : खण्ड 71 से 41 तक में कोई संशोधन नहीं है। अतः मैं खण्ड 30 समेत इन सभी खण्डों को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 30 से 41 तक विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 30 से 41 तक विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 42 से 52 तक

उपाध्यक्ष महोदय : सर्व श्री सतीश अग्रवाल और मनोहर लाल सैनी उपस्थित नहीं हैं। इसलिए मैं खण्ड 42 से 52 तक की एक साथ सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 42 से 52 तक विधेयक का अंग बनें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 42 से 52 तक विधेयक का अंग बने।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री जगन्नाथ कौशल : मैं प्रस्ताव करता हूं।

"कि विधेयक को पारित किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चिन्तामणि पाणिगही।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : मैं इस विधेयक के सभी प्रावधानों का समर्थन करता हूं। यह अत्यन्त स्वागत योग्य विधेयक है जिसे प्रस्तुत किया है। मैं माननीय मंत्री जी के नोटिस में कुछ बातों को लाना चाहता हूं। मुझे आशा है वे इस पर ध्यान देंगे। हो सकता है वे अभी इसका जवाब न दें। परन्तु वे मेरे बताये गए मुद्दों की जांच करा सकते हैं।

हमारा मुख्य उद्देश्य है एकाधिकार घरानों पर नियंत्रण करना। मुख्य उद्देश्य है कि हमारे देश में उत्पादन, अर्थव्यवस्था में वृद्धि को हानि नहीं होनी चाहिये, अपितु एक समाज की समाजवादी व्यवस्था भी होनी चाहिए। अत: हमने सोचा कि एकाधिकार घरानों पर नियंत्रण किया जाएगा और एकाधिकार घरानों के व्यक्तियों के पास ही धन का केन्द्रीयकरण नहीं होना चाहिए। हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं।

एकाधिकार घरानों की कुल परिसम्पत्ति लगभग 10,000 करोड़ रुपये है। आप हमारा देश वित्तीय संकट में है। इन एकाधिकार घरानों से आश व्यक्त की जाती है कि कुल परिसम्पत्ति के 10,000 करोड़ रु० में से, प्रत्येक वर्ष कम से कम 3000 करोड़ रु० देश के विकास में लगाने चाहियें, जब हमारे पास पूंजी की कमी हो। माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि इन बड़े एकाधिकार घरानों को सभी तरफ से, बाहर से तथा जनता से सभी प्रकार की सुविधाएं दी जा रही हैं। कम से कम उन्हें देश की वित्तीय कठिनाइयों को समझना चाहिए और उन्हें अपनी यह भरसक कोशिश करनी चाहिए कि देश के विकास के लिए वे अपने मुनाफे को लगायें।

आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इन एकाधिकार घरानों का कुल पूंजी निवेश सिर्फ 146 करोड़ रु० है। उन्होंने जनता से 27,000 करोड़ रु० एकत्र किए हैं। वे इस देश में निजी क्षेत्र के विकास को स्वीकृति नहीं दे रहे हैं जिसके लिए हम वचनबद्ध हैं। राजनीतिक पहलू पर नहीं जा रहा हूं जैसा कि विपक्षी दल के अन्य मित्र कह रहे हैं कि माननीय मंत्री जी देश में चुनाव के कारण ऐसा कर रहे हैं। हमें लोगों के पास जाना पड़ता है। लोग हमें स्वीकार करेंगे। हम वही करेंगे जो लोगों को मंजूर होगा। मैं सिर्फ आर्थिक पहलू को ध्यान में रख रहा हूं जिस पर कि माननीय मंत्री जी आप जवाब न दें परन्तु वित्त मंत्री, विधि तथा कम्पनी कार्य मंत्री तथा एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग को इस समस्या पर विचार करना चाहिए। क्या हमें यह देखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि ये बड़े एकाधिकार घराने, पूंजी लगाने वाली संस्थाएं जो कि इन लोगों को अधिक से अधिक पैसा दे रहे हैं, इन्हें हमारे निजी क्षेत्र के लघु उद्यमियों को वंचित नहीं रखना चाहिए जिनका हम विकास करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हजारों लघु उद्यमी विकास करें। जैसा कि माननीय मंत्री जी एवं प्रो० रंगा ने कहा है कि मिश्रित अर्थ-व्यवस्था हमारी राष्ट्रीय नीति है। यहां तक कि सोवियत

रूस ने भी कई वर्षों के बाद महसूस किया कि कुछ व्यापार निजी क्षेत्र में भी होना चाहिए। अतः हमने इसे स्वीकार करके ठीक ही किया है।

माननीय मंत्री जी इस विधेयक की परीधि में निवेश निगमों को लाये हैं। मंत्री जी बुद्धिमान हो सकते हैं परन्तु एकाधिकार घराने सभी 500 सदस्यों से कहीं ज्यादा बुद्धिमान हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : वे न सिर्फ बुद्धिमान ही हैं अपितु चालाक भी हैं।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : जी हां, वे चालाक भी हैं। यह अच्छा है कि एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार ने इन्हें पकड़ लिया। उन्हें डब्ल्यू धारा 27(ख) की परिधि के अधीन लाया गया है। इस प्रक्रिया से वे निगमित क्षेत्र, इन बड़े व्यापार घरानों पर नियंत्रण रखते हैं। 1979 में पूंजी निवेष निगमों की संख्या 1302 थी। 1982 में इनकी संख्या 3843 हो गई। जो कुछ भी हम करें वे कोशिश करेंगे कि किसी भी तरह उनकी पूंजी बढ़े।

उपाध्यक्ष महोदय : परन्तु मूल्य वृद्धि है।

श्री चिंतामणी पाणिग्रही : हमारा उद्देश्य है, हमें अनुचित व्यापार तरीकों को रोकना चाहिए।

मैं मंत्री जी के ध्यान में लाऊंगा। उड़ीसा में इंडियन मेटलस एवं फैरो अलायस लिमिटेड नाम की एक कम्पनी है। इस कम्पनी ने बिजली के 8 करोड़ रु० तक के बकाया में उड़ीसा सरकार को धोखा दिया। मैं इसमें अन्तग्रस्त व्यक्तियों का नाम नहीं लूंगा क्योंकि वे विरोधी पक्ष के सदस्य हैं। इसलिए मैं उनके नाम बताने नहीं जा रहा हूं।

कलिंग ट्यूब्स का अधिग्रहण किया गया था और कम्पनी नियमों का उल्लंघन करते हुए आई० एम० एफ० ए० के साथ मिला दिया गया। एम० आर० टी० जी० ने यहां तक कि इस मुद्दे को जांच भी नहीं की। बहुत अधिक मूल्यों के शेयरों को अत्यन्त कम कीमत पर खरीदा गया। कलिंग ट्यूब्स को आई० एम० एफ० ए० में मिला दिया गया था। कलिंग ट्यूब्स कतिपय विशिष्ट वस्तुओं का उत्पादन कर रही थी। आई० एम० एफ० ए० में मिलने के पश्चात् यह अचानक बन्द हो गई। लगभग 2000 श्रमिकों की छंटनी कर दी गई। यही कम्पनी सरकार से इजाजत मांगने आई कि उन्हें 100 प्रतिशत निर्यात संवर्धन के आधार पर कलिंग ट्यूब्स में 'चार्ज क्रोम' उत्पादन करने की अनुमति दे दी जाए, इस नई योजना के अधीन निर्यात संवर्धन के लिए वे अधिकतम राज सहायता 500 करोड़ रु० ले सकते हैं। आई. एम. एफ. ए.

तथा कॉलिंग ट्यूब्स किस तरह से चार्ज क्रोम फैक्ट्री शुरू करने की बात कर सकते हैं ? आयकर विभाग ने इस तरह की बात पर सख्त आपत्ति की है। जिसमें आई. एम. एफ. ए. लिमिटेड की रद्द की है। यहां तक कि आई. एम. एड. ए. ने उत्पादन शुल्क के नियमों का भी उल्लंघन किया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस कम्पनी से लगभग 30 लाख रु० का आयकर बकाया है। इसका भुगतान नहीं किया गया है। बिजली शुल्क के 8 करोड़ रु० का भी भुगतान नहीं किया गया है। परन्तु अभी कम्पनी चाहती है कि भारत सरकार उसे 250 मेगावाट का स्वयं का तक्षित बिजलीघर बनाने की अनुमति दे। आप इसे समझ सकते हैं। उड़ीसा का समस्त बिजली उत्पादन 600 मेगावाट है। किन्तु वह राज्य सरकार के 8 करोड़ रु० का धोखा देने के बाद 250 मेगावाट का तक्षित बिजलीघर चाहता है।

ये बात हैं जो कि मैं माननीय मंत्री जी की सूचना में लाया हूं। और मैं आशा करता हूं कि वे विचार करेंगे किस प्रकार से ऐसा हो रहा है और उचित कदम उठायेंगे। इन शब्दों के साथ में विधेयक के प्रावधानों का समर्थन करता हूं और ये कमियां हैं जिनकी माननीय मंत्री जी को जांच करानी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय.: श्री रामवतार शास्त्री। स्थायी तृतीय वाचन सदस्य।

श्री रामअवतार शास्त्री : इसलिए, महोदय आप मुझे बाधा न पहुंचाये।

उपाध्यक्ष महोदय : आप जितना हो सके संक्षिप्त बोलने की कोशिश कीजिए।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : उपाध्यक्ष महोदय, देश के इजारेदार पूंजीपतियों की की सम्पत्ति (एसेट्स) का ब्यौरा इस प्रकार है।

सन् 1980	14,408·97 करोड़ रु०
सन् 1981	17,443·72 करोड़ रु०

इस प्रकार दो वर्षों में 18 से 21 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

टाटा की सम्पत्ति

1979	1309·38 करोड़ रु०
1980	1538.97 ,,
1981	1840·16 ,,
1982	2430·83 ,,

मैंने यहां पर आपके लिए अपना गृह कर दिया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : तृतीय वाचन में आपको कुछ नए मुद्दे बताने चाहिए जिनका किसी भी सदस्य ने उल्लेख न किया हो ।

प्रो० मधुदण्डवते : यह सभा पटल पर रखे जा सकते हैं ।

आचार्य भगवान देव (अजमेर) : शास्त्री जी को फिर श्री ज्योतिबसू के बेटे की सम्पत्ति का भी उल्लेख कर दें ।

श्री रामावतार शास्त्री : इसी प्रकार बिड़ला की सम्पत्ति इस प्रकार है ।

1937	1.8	करोड़ रु०
1979	1309·99	,,
1980	1431·99	,,
1981	1691·69	,,
1982	2004·79	,,

आचार्य भगवान देव : उपाध्यक्ष महोदय, शास्त्री जी की तबियत को देखते हुए शास्त्री जी सभी आंकड़े पटल पर रख दें तो टाइम बच जाएगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, वे भाषण दे रहे हैं । वे पत्र से सिर्फ संकेत ले रहे हैं । और मन्त्री जी जवाब देंगे ।

श्री रामावतार शास्त्री : धन इकट्ठा करने की यही स्थिति सिंहानिया मफतलाल, थापर, ए. सी. सी. और रिलायंस ग्रुप की है ।

हिन्दुस्तान लीवर

1979	187·80	करोड़ रु०
1982	286·72	,,

मुनाफा : इजारेदार घरानों के मुनाफा टैक्सों का भुगतान करने के पहले सन् 1980 में 1121·37 करोड़ रु० थे, जो बढ़कर सन् 1334·00 करोड़ रु० हो गए । इसी प्रकार करों की

चोरी सन् 1980-81 में 66 कम्पनियों और 1981-82 में 78 कम्पनियों ने सरकार को किसी प्रकार से टैक्स भुगतान नहीं किया। इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई। 50.1 से 70 प्रतिशत कर अदा करने वाली कम्पनियों की संख्या सन् 1980-81 में 29 थी जो सन् 1981-82 में घट कर 14 रह गई।

टैक्सों का बकाया : सन् 1978 और 1982 में 111 कम्पनियों पर सरकार के करों की 10,738.66 लाख धनराशि बकाया थी। सेंचुरी स्पिनिंग एण्ड मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी पर 169.51 लाख रु० बकाया था। हिन्दुस्तान एलुमिनम पर 169 लाख रु० बकाया था। हैदराबाद एसबस्टस पर 136.28 लाख रु० का बकाया, जयाजी काटन मिल्स पर 91.87 लाख रुपये का बकाया, केशोराम काटन मिल्स पर 133.56 लाख रुपए का बकाया, ए.सी.सी. वेकर बेवकाक पर 269.12 लाख रु० का बकाया, बजाज 123.25 लाख रु० का बकाया जे० के० सिंहानिया पर 895.39 लाख रु० का बकाया, टाटा पर 370 लाख रु० का बकाया केवल टिस्को पर 196.11 लाख रु० का बकाया है।

मैं जानना चाहता हूं कि इन धनराशियों की वसूली के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

पेड-अप-कैपिटल : टाटा के शाफको इंडियन थियरिंग की चुकता पूंजी केवल 8 लाख रु० है, जब कि उसने 484.30 लाख रु० का ऐसेट्स इक्ट्ठा कर लिया है। हैलेन-कर्टिस का पेड-अप कैपिटल 6.13 लाख रु० था जबकि उसका एसेट्स 78.17 लाख रु० और टर्न-ओवर 235.14 लाख रु० हो गया है। अगर देखा जाय तो इजारेदार घरानों ने 27,000 करोड़ सार्वजनिक रु० को अपने कब्जे में कर रखा है।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक (एम. आर. टी. पी.) कानून के बावजूद देश से मुट्ठीभर इजारेदार घराने सरकार की पूंजीवादी नीति के चलते अरबपति बनते जा रहे हैं और देश की अधिकांश मेहनतकश जनता गरीबी रेखा से नीचे रह कर भुखमरी की मार से कराह रही है। अगर सरकार सचमुच में इस कानून को सख्ती के साथ लागू करती तो इजारेदारों की वृद्धि को रोका तथा उन पर अंकुश लगाया जा सकता था। परन्तु सरकार के पास कोई वैसी पक्की राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है। वास्तव में यह सरकार पूंजीपतियों एवं इजारेदारों की ही परस्त है और उनके ही इशारे पर नाचती है।

शासक पार्टी को चुनावों में उन्हीं से करोड़ों रु० प्राप्त होते हैं। तो, फिर यह सरकार उनकी जड़ क्यों काटे ?

सरकार गरीबों के लिए कितना भी घड़ियाली आंसू बहा ले, उसकी नीतियों के चलते इजारेदार घराने मालामाल हो रहे हैं।

सरकार ने एम. आर. टी. पी. के बारे में अभी तक गहरायी के साथ कोई अध्ययन नहीं करवाया है। ऐसा करने से सरकार पूरी तरह बेनकाब हो जाएगी।

इजारेदार घरानों की सम्पत्ति में इस बेरोकटोक की वृद्धि के बावजूद सरकार के कानून एवं कंपनी मंत्री श्री जगन्नाथ कौशल ने राज्य सभा में दावा किया है—

> "वृद्धि नियंत्रित है और आम व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली आर्थिक शक्ति का कोई केन्द्रीकरण नहीं हुआ है।"

ऊपर के बोलते हुए तथ्य श्री कौशल के दावे को पूर्णतः झुठला देते हैं। उनका उक्त कथन तब सत्य होता जब इजारेदार घरानों की सम्पत्ति में ह्रास होता और आम मेहनतकश आवाम की स्थिति में कोई उल्लेखनीय प्रगति होती।

विधेयक में गलत व्यापारिक व्यवहारों को रोकने के लिए जो उपबंध किए गए हैं, वे स्वागतयोग्य हैं। अपराधियों को सजा में वृद्धि करने की जो व्यवस्था है, वह ठीक है। अपितु, उसे और कठोर बनाने की आवश्कता है। परन्तु सबसे बड़ा प्रश्न है इन व्यवस्थाओं को सख्ती के साथ लागू करने की जिसके साथ प्रश्न चिह्न जुड़ा हुआ है।

समय की मांग है कि इजारेदार घरानों की संपत्ति का पूरी तरह से राष्ट्रीयकरण कर उनके हाथों से आर्थिक सत्ता छीन कर जनता के हाथों सुपुर्द कर दी जाए।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : जहां तक श्री चिन्तामणि पाणिग्रही का संबंध है, वे नहीं चाहते कि मैं कोई जवाब दूं। वह चाहते हैं कि उनके भाषण को नोट कर लिया जाए और इसे नोट कर लिया गया है।

जहां तक श्री रामावतार शास्त्री का संबंध है, मुझे खेद है, उन्होंने कोई भी नए मुद्दे मुझे नहीं बताए हैं। ये सभी मुद्दे अन्य माननीय सदस्यों ने बता दिए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

———

विश्व-भारती (संशोधन) विधेयक

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि विश्व-भारती अधिनियम 1951 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथोपारित पर विचार किया जाए।"

वर्तमान विधेयक एक ऐसा विधेयक है जिस पर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त समिति ने इसके सारांश की समीक्षा करने में काफी समय तथा अत्यधिक मेहनत की है ताकि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के आदर्शों को इसमें सम्मिलित कर लिया जाए। इस समिति ने अति उत्तम कार्य किया है और एक ऐसा विधेयक बनाया है जिससे इस संस्था के महान संस्थापक के आदर्शों को ध्यान में रखते हुए बहुत से नये उपाय एवं विचार रखे गए हैं। समिति के प्रतिवेदन को मोटे रूप में, राज्य सभा ने सराहा एवं समर्थन किया है और समिति द्वारा भेजा गया विधेयक बिना किसी परिवर्तन के राज्य सभा ने स्वीकृत कर लिया था। इस अवसर पर मैं समिति के सदस्यों द्वारा किए गए कार्य की सराहना करूंगी और जो अच्छा प्रतिवेदन उन्होंने तैयार किया उसके लिए उन्हें बधाई दूंगी।

5.56 म० प०

(श्री चिन्तामणि पाणिग्रही पीठासीन हुए)

माननीय सदस्यों की याद ताजा करने के लिए, राज्य सभा में मार्च, 1978 में इस बिधेयक के पुरःस्थापन की पृष्ठभूमि को संक्षेप में बताने के लिए मुझे इजाजत दी जाए।

गुरुदेव रविन्द्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित की गई विख्यात संस्था विश्व-भारती राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित कर दी गई थी, 1951 में संसद के अधिनियम द्वारा एकात्मक अध्यापन एवं आवासी विश्वविद्यालय के रूप में भी समाविष्ट किया गया था। जबकि विश्व-भारती को विश्वविद्यालय में समादिष्ट करते समय, सरकार का दृढ़ इरादा था कि गुरुदेव द्वारा स्थापित संस्था के अद्वितीय स्वरूप तथा विचारों को सुरक्षित रखने एवम् बढ़ावा देने के लिए सभी प्रयास किए जायेंगे। फिर भी विश्व-भारती वर्षों से देश में अन्य विश्व-विद्यालयों की ही तरह कार्य करने में निरन्तर लगी हुई है। न सिर्फ इतना ही, 1970-71 के दौरान विश्वविद्यालय परिसक में अशांति थी जिसके फलस्वरूप आगजनी, छुरेबाजी, विश्वविद्यालय उपकरणों तथा सम्पत्ति को नुकसान यहां तक की कार्यालय अधीक्षक की मृत्यु भी हो गई। कुछ व्यक्तियों द्वारा नकारात्मक रवैया अपनाने के कारण विश्वविद्यालय को रोजमर्रा के कार्य में गम्भीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इस सभी के कारण विश्वविद्यालय का शैक्षिक जीवन दूषित हो गया। उस स्थिति को सुधारने के लिए विश्व-भारती अधिनियम को राष्ट्रपति अध्यादेश द्वारा संशोधित

करना पड़ा था, बाद में नेम्बर, 1971 में संसद के एक अधिनियम द्वारा प्रस्तावित किया गया। वस्तुतः यह अन्तरिम उपाय की तरह किया गया था तथा व्यापक कानून का अनुसरण करना था।

बाद में, सरकार को शिकायतें प्राप्त हुई कि हमको स्थापित करने में गुरुदेव के दिमाग में जो आदर्श थे, विश्व-भारती उन आदर्शों से दूर होती जा रही थी और शैक्षिक स्तर नीचे गिर रहा था। इन घटनाओं से विक्षुब्ध एवम् विश्वविद्यालय के मूल स्वरूप को पुनःस्थापित करने को सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम. ए. मसूद की अध्यक्षता में तथा आठ अन्य सदस्यों की एक समिति नियुक्त की, जिनका कार्य था एक ऐसी रूपरेखा निश्चित करना जिससे विश्वभारती विकास कर सके तथा विश्व विद्यालय अधिनियम में संशोधन करने के लिए दिशा-निर्देश दे सके।

मसूद समिति ने अपनी रिपोर्ट जुलाई, 1975 में प्रस्तुत की थी।

शिक्षा मंत्रालय ने मसूद समिति की रिपोर्ट का गहराई से अध्ययन किया था और मुख्यतः इस समिति की सिफ रिशों के आधार पर एक संशोधन विधेयक मार्च, 1978 में राज्य सभा में प्रस्तुत किया था और उसे संयुक्त समिति को भी भेजा गया था। वर्ष 1980 में लोक सभा चुनावों के बाद जब कांग्रेस सरकार सत्ता में फिर से आई तो संयुक्त समिति का भिर से गठन किया गया।

मुझे यह कहने में प्रसन्नता हो रही है कि संयुक्त समिति ने इस संशोधन विधेयक का विस्तृत और गहन अध्ययन किया है और उसने विश्व-भारती से संबंधित और इसमें रुचि लेने वाले प्रतिष्ठित व्यक्तियों का बहुत बड़ी संख्या में मौखिक साक्ष्य लिया है। समिति को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञापन भी प्राप्त हुए हैं, जिनमें विधेयक के संबंध में सुझाव दिए गए हैं। काफी लम्बे विचार-विमर्श के बाद समिति ने अगस्त, 1983 में संसद को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

संयुक्त समिति द्वारा किया गया एक महत्वपूर्ण परिवर्तन यह है कि पथ-भवन का स्तर और शक्तियां नही होंगी जो विश्वविद्यालय के अन्य भवनों की शक्तियां और स्तर हैं। दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन यह किया गया है कि अधिनियम के ढांचे में विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को व्यापक रूप से शमिल किया गया है। संयुक्त समिति ने यह भी सिफारिश की

6.00 म० प० है कि विश्वविद्यालय की गतिविधियों को आयोजित करने के लिए और उसके शैक्षिक कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए और शिक्षा के स्वरूप के बारे में टैगौर के विचार को कार्य रूप देने के लिए, विश्वविद्यालय को एक विशेष कार्यभार सौंपना चाहिए।

संयुक्त समिति ने यह भी सिफारिश की है कि तीन पूर्ण कालिक निदेशकों का प्रावधान.....

सभापति महोदय : आप और कितना समय लेंगी, क्योंकि हमें छः बजे से आधे-घण्टे की चर्चा करनी है ।

श्रीमती शीला कौल : मुझे केवल तीन पृष्ठ और पढ़ने हैं .....

कुछ माननीय सदस्य : वे कृपया अपनी बात कल जारी रख सकती हैं

सभापति महोदय : ठीक है, आप अपनी बात कल जारी रख सकती हैं ।

6.01/2 म० प०

सभा के कार्य के बारे में

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : कल विपक्ष के अपने मित्रों से थोड़ी ज्यादा देर तक बैठने के लिए मुझे याचना करनी पड़ेगी क्योंकि कल विधान के बहुत महत्वपूर्ण माग पुरःस्थापित किए जाएंगे ।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : यह क्यों नहीं बताते कि ये हैं क्या ?

श्री बूटा सिंह : मैं कल आऊंगा । कल हमारे पास दो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव होंगे । इसलिए इस विश्व भारती विधेयक तथा इसके साथ विधान के अन्य भागों पर चर्चा समाप्त करने के लिए, हमें थोड़ा अधिक बैठना पड़ेगा ।

प्रो० मधु दण्डवते । इन्होंने महिलाओं को दहेज विरोधी विधेयक प्रस्तुत करने का वचन दिया है । परन्तु वे शरमा रहे हैं ।

6.01 म० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

वित्त मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत, अधिसूचना संख्या 122/84 सी० शु०, जो 7 मई, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्या-

व्याख्यात्मक टिप्पणी, जो कॉफी पर निर्यात शुल्क की दर 530 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 640 रुपए प्रति क्विंटल करने के बारे में है, सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी० 8328-ए/84]

6.02

आधे घण्टे की चर्चा

भारतीय इस्पात प्राधिकरण के घाटे में वृद्धि

सभापति महोदय : अब सभा आधे घंटे की चर्चा आरम्भ करेगी।

श्री लकप्पा।

श्री के० लकप्पा : यह चर्चा इस सभा में उठाए गए तारांकित प्रश्न के कारण की जा रही है। किन्तु चर्चा आरम्भ करने से पहले एक बात मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। आधे-घण्टे की चर्चा कितनी महत्वपूर्ण चर्चा है, परन्तु मैंने कई बार देखा है कि आधे-घंटे की चर्चा को समाचार पत्रों में तथा अन्य मीडिया में शामिल नहीं किया जाता। इसलिए, सभापति महोदय, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि सभा में हमारी कार्यवाही को, चाहे यह दिन अन्त में हो अथवा दिन के दौरान, इसे समाचार पत्रों में तथा अन्य मीडिया में उचित प्रकार से शामिल किया जाए।

एक हैरानगी की बात बताई गई है। मेरे मित्र श्री साल्वे एक इस्पात पुरुष है और मैं जानता हूं कि वे श्रृंगार प्रसाधन सामग्री का नहीं बल्कि इस्पात का उत्पादन कर रहे हैं। उस दिन भी उन्होंने इस्पात प्राधिकरण के भारी घाटे के बारे में बताया था। यह घाटा इस्पात के इतिहास में विरोधाभासी है क्योंकि अब तक उपलब्ध तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर यह 300 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। यह नहीं है कि मैं हैरानगी की बात कर रहा हूं। यह किसी और ने नहीं, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के अध्यक्ष ने कहा है। मैं इसे पढ़ता हूं :—

> "यह माना गया है कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण को वर्ष 1983-84 के दौरान 300 करोड़ रु० का घाटा हुआ है। यह दावे किए गए हैं कि घरेलू बस्तुओं की रिकार्ड बिक्री हुई, आयात में भारी कमी की गई और वस्तु सूची में भारी कटौती की गई। इन सब के बावजूद भी प्राधिकरण ने पिछले वर्ष नुकसान का पूर्वानुमान लगा लिया

था। किन्तु प्राधिकरण ने सही आंकड़े नहीं दिए हैं और प्राधिकरण ने तो आंकड़े एकत्र भी नहीं किए। ये वर्ष 1982-83 के दौरान हुए 100.5 करोड़ रुपए के घाटे की तुलना में 200 प्र. से भी अधिक है।"

अध्यक्ष, श्री समरपुंगावन की यह प्रेस विज्ञप्ति है। उन्होंने इस घाटे के बारे में स्वीकार किया है और उनका यह कहना एक और हैरानगी की बात है कि घाटा 320 करोड़ रुरोड़ की बजट की राशि के भीतर ही हुआ है।

"घाटे के अन्तिम अनुमान का परिकलन अभी नहीं किया गया है।"

हमारे देश का विकास वस्तुतः इस्पात और बिजली पर आधारित है। भारतीय इस्पात प्राधिकरण, प्राक्कलन, उत्पादन तथा वितरण पर नियंत्रण रखने वाला शीर्ष निकाय है। लेकिन नतीजा क्या है ? यह जानकर और भी हैरानगी होती है कि :

"स्टाक-यार्ड में पड़ा हुआ बहुत बड़ी मात्रा में इस्पात का भण्डार हमारा न बिका हुआ स्टाक है। प्रति वर्ष 100 करोड़ रुपए से भी अधिक का घाटा हो रहा है। भारतीय इस्पात प्राधिकरण ने सरकार से 940 करोड़ रुपए और इस्पात विकास निधि से 710 करोड़ रुपए उधार लिए हैं।"

इस घाटे को कैसे समाप्त किया जा सकता है ?

मेरे माननीय मित्र श्री साल्वे, संभवतः, भरसक प्रयत्न कर रहे होंगे। अब हम वर्ष 1976-77 को लेते हैं। वर्ष 1976-77 में कांग्रेस का शासन था। वर्ष 1977 के बाद ढ़ाई वर्षों के दौरान घाटा होना शुरू हो गया था। वर्ष 1976-77 में रिकार्ड उत्पादन हुआ था और कोई मूल्य-वृद्धि नहीं हुई थी। मेरे विचार से उस समय अध्यक्ष श्री बिल्ली मोरिया थे अथवा कोई और रहा होगा। यह कैसे हो सकता है कि 1977 के बाद इस्पात की मिलें काम नहीं कर रहीं थी। आज भी भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की अप्रभावकारी उत्पादन और वितरण नीति के कारण इसे भारी घाटा हो रहा है जबकि इस देश में इस्पात का पर्याप्त स्टाक उपलब्ध है। चाहे, श्री साल्वे ने आयात बिल में कई करोड़ रुपयों की कटौती के लिए भरसक प्रयत्न किए हैं, परन्तु फिर भी इस्पात यार्ड में पड़े भण्डार को किसी ने नहीं उठाया है। उदाहरण के लिए रेलवे बिजली बोर्ड, रक्षा विभाग और अन्य इसी प्रकार के संगठित क्षेत्रों को लीजिए। उन्हें इस्पात का स्टाक उठाना चाहिए किन्तु उन्होंने अभी तक नहीं उठाया है। यहां पर मैं यह सूचित करना चाहूंगा कि रक्षा विभाग, रेलवे और राज्य बिजली बोर्ड, भारतीय

इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड से बहुत अधिक मात्रा में इस्पात लेते थे। अब रक्षा विभाग और रेलवे ने अपनी मांग को 55% कम कर दिया है। राज्य बिजली बोर्डों ने इस्पात उठाने से मना ही कर दिया है। वे 60 से 65 प्रतिशत तक इस्पात लेते थे। अब उन्होंने अपनी मांग को 55 प्रतिशत तक कर दिया है।

अब इस देश में इतनी भारी मात्रा में इस्पात क्यों आयात किया जा रहा है ? हमने इस देश में विदेशी मुद्रा को किस प्रकार से खोया है ? अपने देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमारे पास इस्पात यार्ड में पर्याप्त मात्रा में इस्पात का स्टाक है, किन्तु फिर भी मूल्य बढ़ रहे हैं। आजकल स्वदेशी इस्पात से आयात किए गए इस्पात का मूल्य कम है। इस स्थिति से निबटने के लिए मंत्रालय में भारत सरकार ने क्या नीति अपनाई है ? हमारे देश में इस्पात का मूल्य कम करने के लिए हमें कुछ प्रयत्न करना चाहिए। क्या हम भारत की तुलना जापान और कोरिया से कर सकते हैं ? भारत एक महान देश है। मेरे विचार से यह विश्व का दशवां बहुत बड़ा औद्योगिक देश है। तीन चौथाई कच्चे माल का उत्पादन हम कर रहे हैं। कोरिया और जापान को कच्चा धातू हम भेज रहे हैं, और हम ही भारतीय इस्पात के मूल्य से कम मूल्य पर इस्पात आयात कर रहे हैं। क्या भारत में विशेषज्ञों की कमी है ?

भारत विश्व के महान देशों में से एक है। यहां पर बड़े-2 विशेषज्ञ, इंजीनियर और व्यापारी पैदा हुए हैं। यहां की विपणन नीति प्रसिद्ध है और हम कई देशों को तकनीकी जानकारी दे रहे हैं। किन्तु जहां तक इस्पात का संबंध, न जाने क्या हो गया है। वर्ष 1980-81 में 1.01 करोड़ रुपयों का लाभ हुआ था, वर्ष 1981-82 में यह लाभ 39.17 करोड़ रुपए हो गया, किन्तु वर्ष 1982-83 में 105.76 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। इतना अधिक घाटा होने के क्या मुख्य कारण हैं ? और घाटे को कम करने के लिए तथा लाभ कमाने के लिए इस्पात मंत्रालय ने क्या नीति अपनाई है ?

महोदय, अतिथि गृहों के रख-रखाव पर और विदेश में यात्राओं पर भी बहुत भारी खर्च किया जा रहा है। सरकार को इस विदेश यात्राओं से क्या प्राप्त हुआ है ? घाटे को कम करने के लिए तथा इस्पात की किस्म को सुधारने के लिए क्या कोई नई प्रौद्योगिकी निकाली गई है ? मेरे मित्र, माननीय मंत्री, विदेशों में इसका बाजार ढूंढ रहे हैं। भारत से इस्पात आयात करने के बारे में रूस से बातचीत चल रही है। क्या यह अब भी विचाराधीन है अथवा कोई समझौता हो गया ? विदेश में हमारे इस्पात की मांग की क्या स्थिति है ? इस देश में हम जिस इस्पात का उत्पादन कर रहे हैं, उसकी किस्म क्या है और हम बाहर से इस्पात क्यों खरीद रहे हैं ?

महोदय, हिसाब-किताब में भी बहुत हेर-फेर किया गया है। क्या किन्हीं विशेषज्ञों ने मूल्यांकन पद्धति के बारे में विचार किया है ? संसद की लेखा समीति और प्राक्कलन समिति ने

अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत कर दी हैं। अनेक जांचें की गई किन्तु अतिथिग्रहों के अनुरक्षण और विदेशी दौरों पर लाखों रुपये खर्च किए जा रहे हैं। करोड़ों रुपये व्यर्थ ही खर्च किए गए हैं।

महोदय, यह संगठन बहुत ही महत्वपूर्ण संगठनों में से है। देश का औद्योगिक विकास और अर्थव्यवस्था इस्पात पर आधारित है। आजकल इस्पात उचित मूल्य पर उपलब्ध नहीं है। अत्यधिक मूल्य वसूल किए जाते हैं। निजी पार्टियां हमारे मिलों से इस्पात नहीं खरीद रही हैं। निजी पार्टियों को इस्पात का आयात करने की अनुमति दी जा रही है। आयातित इस्पात बहुत सस्ता है और किस्म के हिसाब से भी अच्छा है। भारत को अच्छे किस्म के इस्पात का उत्पादन करना चाहिए और कीमतों की वृद्धि को भी रोकना चाहिए। मूल्यों की विशेषज्ञों द्वारा जांच करायी जानी चाहिए और इस संगठन के प्रबन्धकों की गतिविधियों का गहराई से अध्ययन किया जाना चाहिए।

महोदय, माननीय मंत्री जी हिसाब-किताब और वित्तीय मामलों में निपुण हैं। दक्षिण में इस्पात असंतुलन को दूर करने के लिए विजयनगर इस्पात संयंत्र शीघ्र ही चालू किया जाना चाहिए। एक ओर हम अधिक उत्पादन चाहते हैं.....हम अपने स्वदेशी उपभोक्ताओं की मांग को पूरा करने के लिए अधिक उत्पादन चाहते हैं। इसी दौरान हमें पता चलता है कि मिल क्षमता के अनुसार उत्पादन नहीं कर रहे हैं। वहां न कोई आधुनिकीकरण है, न प्रौद्योगिकी है, न बुद्धिमता है, न कारण है। वहां भारी घाटे हो रहे हैं जबकि देश की मुद्रास्फीति बढ़ रही है। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड ने इस प्रकार के भारी घाटों के कारणों को स्वीकार नहीं किया है। मैं पूछता हूं कि श्री साल्वे ने विजयनगर इस्पात सयंत्र की ओर ध्यान क्यों नहीं दिया है। आप विद्यमान संयंत्रों का आधुनिकीकरण नहीं कर रहे हैं। आपने कुछ बातों की व्यवस्था पहले ही कर दी है, आप कर्नाटक के प्रति अपनी पूरी सहानुभूति बताते हैं, किन्तु आपने और अधिक नए समेकित इस्पात संयंत्रों को स्थापित करने का कार्यक्रम और नीति बनाई हैं। बिजयनगर में इस प्रकार का कोई भी समेकित इस्पात संयंत्र नहीं हैं जहां कि विश्व में सबसे अच्छी कच्ची धातु उपलब्ध है। हम इसकी सम्पूर्ण विश्व में सप्लाई कर रहे हैं क्योंकि यह कच्ची धातु उत्कृष्ट है।

हमें उत्पादन में वृद्धि करनी है। किन्तु हम देखते हैं कि यहां विपणन की कोई कुशल नीति नहीं है। यहां उन्नत तकनीकों के लागू करने की कोई नीति नहीं है। यहां इस्पात संयंत्रों के आधुनिकीकरण की कोई नीति नहीं है। वहां कोई नियमित हिसाब-किताब की प्रणाली

भी नहीं है । प्रशासन क्या करता है ? इन कार्यों को कौन संचालित कर रहा है ? इस्पात संयंत्रों को कौन चला रहा है ? क्या जिम्मेदार व्यक्तियों पर कोई दायित्व निधारित किया। मामलों की दुर्व्यवस्था के कारण आधुनिकीकरण और पुनर्गठन की आवश्यकता है । क्या मैं इस विषय पर कुछ प्रश्न पूछ सकता हूं ? हमारे देश के प्रतिष्ठित इस्पात संयंत्र, राउरकेला इस्पात संयंत्र, अलौय इस्पात संयंत्र, सेलम इस्पात संयंत्र है, जो प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए के घाटे में जा रहे हैं । सरकार ने किसी की जिम्मेदारी निश्चित क्यों नहीं की है ? समस्त विभागीय और महाप्रबन्धकों तथा प्रबन्ध निदेशकों को इस्पात के क्षेत्र में अनुभव नहीं है और इसीलिए वहां भारी घाटा हो रहा है । इन मिलों के कार्य-कलापों के मार्ग दर्शन के लिए तकनीविजों के नियुक्त किए जाने की नीति को क्यों नहीं शुरू किया गया है ? आप इस्पात के आयात को बिल्कुल बन्द क्यों नहीं कर सकते ? बिजली बोर्ड और रेलवे तथा संगठन जैसे कई रक्षित संगठन तथा सरकारी क्षेत्र के संगठन इस्पात को क्यों नहीं उठा रहे हैं ?

इसमें बाधायें क्या हैं ? क्या मंत्री महोदय इन समस्त बातों की पूर्ण रूप से जांच करेंगे ? क्या मंत्री महोदय स्थिति को शीघ्र सुधारने के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ जांच तथा अन्तर्निरीक्षण करेंगे ? क्या माननीय मन्त्री महोदय इस विषय पर आश्वासन देंगे ?

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं । धन्यवाद ।

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : सभापति महोदय, मैं इस विषय पर चर्चा आरम्भ करने के लिए वास्तव में मैं माननीय सदस्य का आभारी हूं । मं इसलिए भी आभारी हूं कि उन्होंने सरकारी क्षेत्र के इस्पात उद्योग की चाहे कितनी भी निन्दा की है किन्तु व्यक्तिगत तौर पर वह मुझे दयालु लगे हैं । इससे पता चलता है कि श्री लकप्पा मित्रता को कितना महत्वपूर्ण समझते हैं । कुछ मूल तथ्य हैं जो माननीय सदस्य ने यहां पर उठाये हैं ।

माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है उसमें कुछ धारणाएं व्यक्त की हैं और उपयुक्त रहेगा कि मैं उन धारणाओं को स्पष्ट कर दूं।

एक वर्ष पहले, अप्रैल 1983 में भारत में इस्पात उद्योग अत्यन्त अन्धकारपूर्ण, था ; हमारे पास बहुत भारी स्टाक था, हमारे पास भारी मात्रा में संचित वस्तुएं थीं, हमारे पास भारी मात्रा में बैंकों के ओवर आफ्ट थे ; हमारे ऊपर ऋण का भार था और सबसे बुरी बात तो यह थी कि मांग भी बहुत बुरी तरह कम हो गई । जिसके कारण हमारे मात्र को बेचना सम्भव नहीं था ।

आज स्थिति पूरी तरह बदल गई है । यह विरोधाभास नहीं है कि हम घाटे में जा

रहे हैं। मैं इसके कारण स्पष्ट करना चाहूंगा, किन्तु क्यों कि माननीय सदस्य ने विरोधमास शब्द का इस्तेमाल किया है मैं यह बात कह रहा हूं। पूरे विश्व में इस्पात उद्योग के बारे में यह बिल्कुल सच है कि हम घाटे में जा रहे हैं ; और यह कहते हुए मुझे कोई संतोष नहीं है।

किन्तु हमारी अर्थ व्यवस्था में कुछ विशेष समुत्थान शक्ति जिसके कारण हम स्थिति में परिवर्तन ला सके हैं। पिछले वर्ष अमरीका के इस्पात उद्योग को छह बिलियन डालर, 6,000 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था ; ब्रिटिश इस्पात निगम को लगभग 170 करोड़ पौंड का घाटा हुआ था, तथा जापान और जर्मनी में इस्पात उद्योग अपनी क्षमता का 50 से 60 प्रतिशत तक कार्य कर रहे हैं।

इस प्रकार इस्पात उद्योग की अत्यन्त खराब स्थिति रही है, और एक वर्ष पूर्व ऐसा दिखाई देता था कि हम जैसा कर रहे थे यदि हम उसी को जारी रखते तो हम खतरनाक स्थिति में होते। किन्तु स्थिति में भारी परिवर्तन आया है।

जहां हमारे कुल भण्डार, संयंत्रों में स्टाक स्वदेशी बिक्री और स्टाकयार्ड 1 अप्रैल, 1983 को 15.4 लाख टन थे वे 1 अप्रैल, 1984 को गिर कर 7.7 लाख टन हो गए हैं। यह सब बहुत भारी प्रयत्नों का परिणाम है। हमने नई विपणन नीतियां अपनाई हैं और अन्य उपाय भी किए हैं जिनके परिणाम-स्वरूप एक ही वर्ष में, जबकि पूर्ण विश्व इस्पात उद्योग मंदी की चपेट में आ गया है, हम अपना माल बेचने में और अपने स्टाक को कम कर सके हैं। हमारे ओवर आफ्ट जो 800 करोड़ रुपसे से अधिक थे, अब 500 करोड़ रुपये से कुछ ही अधिक रह गए हैं।

श्री के० लक्कप्पा : आप ऐसे इस्पात का उत्पादन कर रहे हैं जिसकी इस देश को आवश्यकता नहीं है। यदि आप उन मदों का नियति कर रहे हैं तो कम से कम मेरी समझ में तो बात आती है।

किन्तु आप ऐसे इस्पात का उत्पादन क्यों करते हैं जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है।

श्री एन० के० पी० साल्वे : उनकी चिंता से मैं सहमत हूं।

मैं इस बात पर आ रहा था।

हम ऐसा क्यों कर सके हैं ? हमने जो कुछ महत्वपूर्ण उपाय किए हैं यह उन्हीं का परिणाम है। हमने मांग को भली प्रकार से पूरा करने के लिए सम्पूर्ण उत्पादन-स्थिति का पुनर्निधारण किया है। हमारा उद्देश्य वह वस्तु बनाना है जिसे हम बेच सकते हैं और वस्तु बेचना है जिसे हम बना सकते हैं।

इसके लिए हमने कब कड़े उपाय किए हैं। यदि संयंत्र कुछ ऐसी चीज का उत्पादन करते हैं। जो बिकती नहीं है तो न बिकने वाली चीजों का उत्पादन करने वाले संयंत्रों की विफलताओं का ऐसे ही संयंत्र कारण हैं। परन्तु यह एक अपना पहलू है ।

...(**व्यवधान**)...

हमारी बिक्री बढ़ रही है और हमारा स्टाक कम हो रहा है। मंदी के दिनों में हमारी बिक्रों सबसे अधिक होती है। क्या यह सम्भव है। कि हम 15 लाख टन तक ऐसी वस्तुएं" बनाकर कम कर सकते हैं जो लोग नहीं खरीदेंगे ?

अत: मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करना चाहता हूं कि वह मेरे साथ सहमत हों और यथार्थ परक मूल्यांकन करें इस सभा से छिपाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है ;

माननीय सदस्यों से भी छिपाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। ये खुले आंकड़े हैं। यदि हमें घाटा होता है तो इसके लिए मैं जवाब देह हूं ।

सरकार द्वारा अपनाई गई एक नीति यह है कि हमें इस प्रकार उत्पादन करना चाहिए कि जिससे मांग भी बढ़े और इसी के फलस्वरूप हमारे स्टाक कम हुए हैं। माननीय सदस्य ने कहा कि कुछ मदों पर बाजार में बहुत लाभ मिलता है। यह बहुत ही असामान्य है ।

मैं हाल ही में अमरीका आदि से लौटा हूं किन्तु वे मदें सरकारी मूल्य पर भी तीन चार महीने से नहीं बिक्री हैं। उनको बेचने की खातिर हमें सरकारी मूल्य में भी 1 प्रतिशत, 2 प्रतिशत, 3 प्रतिशत और 5 प्रतिशत की छूट देनी पड़ी थी ।

अब यह समस्त छूट बंद कर दी गई है और हमारी सभी वस्तुएं सरकारी मूल्य पर उठ रही है, और लोग हमसे खरीद रहे हैं और उन पर लाभ कमा रहे हैं। यह जादू से प्राप्त नहीं हुआ है। यह सब बाजार में बिकने वाली वस्तुओं के उत्पादन के लिए सूझबूझ के साथ, ठण्डे और हिसाब के साथ किए गए प्रयास के परिणाम स्वरूप प्राप्त हुआ है ।

अत: मैं आयात की बात करता हूं। मैं माननीय सदस्य द्वारा प्रकट की गई चिंता के लिए आभारी हूं। किन्तु महोदय, यदि उन्होंने मेरे से आंकड़ों के बारे में पूछा होता तो वह इतने अधिक चिंतित न होते। क्योंकि वर्ष 1982-83 के दौरान आयात 13.2 लाख टन था और वर्ष 1983-84 के दौरान यह 5.68 लाख टन तक गिर गया है।

सभापति महोदय : किन आंकड़ों में ? रुपयों में आंकड़े क्या हैं ?

श्री एन० के० पी० साल्वे : मेरे पास आंकड़े नहीं हैं किन्तु मात्रा में भारी गिरावट आई है। वर्ष 1984-85 के लिए हमारे सम्भावित आयात 3.6 लाख टन होंगे।

यह सब हमारी आयात नीति के कारण ही सम्भव हुआ है। यह आयात नीति बहुत कड़ी है और हम तब तक इस्पात का आयात नहीं करते रहे हैं जब तक उद्योग को इसकी अत्यन्त आवश्यकता न हो ; क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा उद्योग-इस्पात के लिए, जिसका उत्पादन हम नहीं करते बंद रहे।

सभापति महोदय : इसका आयात कैसे किया जाता है ?

श्री एन० के० पी० साल्वे : मैंने आंकड़े दे दिये हैं ! 1982-83 में यह आयात 13·2 लाख टन किया गया और 1983-84 में हमने इसे घटाकर 5·68 लाख टन कर दिया ! मेरा विचार है कि 1984-85 में अनुमानित आयात 3.6 लाख टन होगा !

श्री के० लकप्पा : जब भी आयात में वृद्धि हुई, तो भरमार हो गयी !

सभापति महोदय : वह एक-एक करके आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं।

श्री एन० के० पी० साल्वे : माननीय सदस्य ज्ञानी हैं और दयालु भी।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : आपको गलतफहमी है, श्रीमान।

...(**व्यवधान**)...

श्री एन० के० पी० साल्वे : माड्रनाइजेशन का तो बड़ा इम्पोर्ट पहलू है।

श्री राम विलास पासवान : इसको आप लकप्पा जी के ऊपर लागू कीजिए।

...(**व्यवधान**)...

श्री एन० के० पी० साल्वे : माड्रनाइजेशन के बगैर हमारे प्लान्ट्स चल नहीं सकते हैं।

माननीय सदस्य घाटे के बारे में बहुत चिन्तित हैं। इन्हें चिन्ता है, क्योंकि बहुत हानि हुई है। इन्हें गुस्सा आने दो ! मैं इनके सभी प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूं ! कुछ भारी और प्रश्न भी उठाए गए हैं। काजमाब अब नहीं हैं। अब ये आमान्य स्तर पर आ गए हैं। इसके बाद इन्होंने भारी मात्रा में आयात किए जाने के बारे में कहा है ! आयात भारी मात्रा में नहीं किया जा रहा। हमने आयात की मात्रा बहुत कम कर दी है ! हमने इसे घटाकर एक तिहाई कर दिया है।

अब मैं सुधार लाने की नीति पर आता हूं। माननीय सदस्य का कथन है कि हम अपने संयंत्रों का आधुनिकीकरण नहीं कर रहे हैं। मुझे सदन के समक्ष यह बात स्वीकार करनी है कि इनका कथन सही है। जहां तक संयंत्रों के आधुनिकीकरण और उन्हें नया रूप दिये जाने का प्रश्न है, जितना हमने इनकी ओर ध्यान दिया है, उससे कुछ अधिक ध्यान देना चाहिए था। सरकारी क्षेत्र में पांच समेकित इस्पात संयंत्र बहुमूल्य हैं।

हमें इस्पात के इन पांच समेकित संयंत्रों का लगभग पांच करोड़ रुपये की लागत से आधुनिकीकरण करना है, ताकि इन संयंत्रों की लगभग 120 लाख टन की निर्धारित क्षमता हो सके और मेरा विचार है कि इसकी कीमत 30/40/50 हजार करोड़ रुपये होगी। इसलिए, हम इन परिसम्पत्तियों को खराब नहीं होने दे सकते।

हाल ही में, दुर्गापुर के लिए हम दिन-रात काम करते रहे हैं। किसी इस्पात संयंत्र को नया रूप देना और उसका आधुनिकीकरण करना किसी रिकशा या मोटर कार की मरम्मत करने की तरह नहीं है। यह अपने आप में एक बहुत भारी काम है। और वर्ष हम यह काम करते रहेंगे।

माननीय सदस्य को यह सूचित करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि दुर्गापुर संयंत्र के आधुनिकीकरण के हमारे प्रस्ताव को सार्वजनिक पूंजी-निवेश बोर्ड ने स्वीकृति दे दी है और मैं सभा में यह वक्तव्य देता हूं कि हम मौजूदा इस्पात संयंत्रों के समुचित अनुरक्षण, आधुनिकीकरण और उन्हें नया रूप देने को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे।

महोदय, विजयनगर इस्पात संयंत्र के बारे में एक और बात भी है। भारत सहित पूरे विश्व में क्षमता पहले से 100 प्रतिशत अधिक हो गयी है। 30 लाख टन में कुछ अधिक क्षमता वाला विशाखापतनम इस्पात संयंत्र बन रहा है। और देश में जितनी इस्पात की आवश्यकता है, इस समय हमारी क्षमता उससे कहीं अधिक है और हमें इस महत्वपूर्ण पहलू को ध्यान में रखना है। हमने दैतारी संयंत्र है, और विजयनगर संयंत्र के बारे में निर्णय लिया है।

अब प्रौद्योगिकी में आमूल परिवर्तन किया जा रहा है। हम पुरानी परम्परागत धमयही वाली प्रौद्योगिकी जारी नहीं रख सकते। हमें नयी प्रौद्योगिकी प्राप्त करनी है और हम इसी दिशा में कार्य कर रहे हैं! सरकार ने विजयनगर में या दैतारी में इस्पात संयंत्र लगाने का अपना निर्णय रद्द नहीं किया है। हानियां होती हैं? मैंने अपने इसी उत्तर में उसके कारण बताये हैं।

मैंने यह दर्शाया है कि कच्चे माल की लागत, भण्डार, फालतू पुर्जों, विद्युत शान्ति, वेतन, अनुरक्षण सबंधी कार्य, मूल्य ह्रास और ब्याज आदि हमें प्राप्त हुई ऊंची कीमतों से अधिक क्यों हो जाते हैं। वर्ष 1981-82 और 1982-83 में बढ़े हुए मूल्यों द्वारा हमने लगभग 600 करोड़ रुपये प्राप्त किए हैं और उसके मुकाबले में हमने 750 करोड़ रु० इन मदों पर खर्च किए। हम मूल्यों में अन्धाधुंध वृद्धि नहीं करते क्योंकि यह देश की अर्थ-व्यवस्था के मर्म का आधार है। और इस्पात के प्रदर्शित मूल्यों में की गई कोई भी वृद्धि स्वयं को, आवश्य ही प्रदर्शित करेगी और मूल्य संरचना की अर्थ व्यवस्था पर इसका समग्र

प्रभाव पड़ेगा। मूल्य वृद्धि करने की हमारी गति बहुत कम है। जैसे निजी क्षेत्र कार्य करता है यदि वैसे ही कार्य हम कर सकते तो हम भी आसानी बी० आई० सी० पी० औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो ने भी मूल्यों में वृद्धि करने की सिफारिश की है। कलम की एक घुरीट से हम सीधे ही वृद्धि कर सकते हैं और फिर कोई हानि नहीं होगी। परन्तु सत्य यह कि हम ऐसा करना नहीं चाहते। बाजार में इतनी भारी मन्दी, भारी ब्याज और संयंत्र के भाग पर भारी मूल्य-ह्रास लगने के 300 करोड़ रुपए की बजट की हानियां हैं इन सबसे बढ़ाकर जितनी तेजी से हम बिक्री करना चाहते थे उतनी तेजी से करने में सक्षम न होने के कारण हमें यह हानि हुई है। इसलिये विवेक पूर्ण आधार पर बजट में हानियों की व्यवस्था की गई है मैं अभी यह नहीं बता सकता कि हानियों का क्या बनेगा क्योंकि विभिन्न मंत्रालयों से अभी भी इस विषय पर बातचीत की जा रही है कि अब क्या होगा। लेकिन हम अभी भी एस० डी० एफ० अर्थात इस्पात विकास निधि में अंशदान कर रहे हैं। हम इसमें 400 से 500 रुपए प्रति टन की दर से अंशदान कर रहे हैं जबकि हमें हानि हो रही है। यदि इसे बन्द कर दिया जाए तो शायद हमें कोई हानि नहीं होगी। यह इस देश की अर्थव्यवस्था की उत्थान शक्ति के प्रति प्रशस्ति है अर्थात हम इसमें एक परिवर्तन लाने में सफल हुए हैं और मेरा विचार है 1984-85 में हमारा कार्य निष्पादन और भी बढ़िया होगा। परन्तु जब तक हम अपनी लागत को शामिल करने के वास्ते मूल्यों में वृद्धि नहीं करते हानियां तो उठानी पड़ेंगी। यह अर्थशास्त्र का एक मूल तथा प्राथमिक नियम है। इसके अतिरिक्त कोई अन्य उत्तर नहीं है।

श्री के० लक्कप्पा : सरकारी क्षेत्र के एकक रेल मन्त्रालय, रक्षा मंत्रालय और बिजली बोर्ड अपना अनुमानित कोटा भी नहीं उठा रहे हैं। उनके कार्य निष्पादन में भी बहुत भारी परिवर्तन आया है।

सभापति महोदय : आपने मन्दी के विषय में कहा था। मांग भी तो कम थी।

श्री एन० के० पी० साल्वे। माननीय सदस्य महोदय ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। इसमें कोई शक नहीं कि मूल्यों में वृद्धि हुई है। कीमतें हर साल बढ़ी है। परन्तु एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो मैंने उठाया था अर्थात यह वृद्धि बहुत मामूली थी क्योंकि यदि हमने मूल्यों की जितनी वृद्धि की है यदि उससे अधिक कर देते तो हमारी अर्थ व्यवस्था पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना थी। मैं तो इसके लिए लड़ रहा हूं। मैं यह चाहता हूं कि मेरी लागत निकल आए परन्तु सरकार संयुक्त रूप से कार्य करती है। मुझे इस सीमा तक मूल्य वृद्धि करने की अनुमति नहीं दी जा सकती जहां से यह अर्थव्यवस्था को किसी प्रकार अस्थिर न कर दें।

इसकी अपेक्षा मैं तो भारतीय समेकित निधि से लेना पसन्द करूंगा और यह सुनिश्चित करूंगा कि किसी भी प्रकार से हमारी समग्र अर्थ व्यवस्था डांवाडोल न हो जाए।

एक और बात मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। जहां तक कर्मचारी प्रबन्ध व्यवस्था और अन्य

सगत बातों का संबंध है, हमने कोई भी नया कर्मचारी नियुक्त नहीं किया। वे सब पुराने 8 व्यक्ति हैं। अत: यह बात नहीं है कि नई भर्ती की गई है जिसके परिणामस्वरूप बड़े स्तर पर अक्षमता फैल गई है। वे कार्य करते रहे हैं और अपनी ओर से भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। मेरा यह भी अनुरोध है कि संयंत्र में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो यह कानकर चलता हो कि हानि तो होगी ही।

अगर हमने एक रुपया भी खोया है तो हम उसकी भी जांच करेंगे। और यदि कोई इसका कारण मालूम हो जाए और जिसके विषय में हमें विश्वास हो जायें तो हम उस संबंधित व्यक्ति को अवश्य ही इसके लिए जिम्मेवार ठहरायेंगे जिसके कारण यह हानि हुई है। लेखों को अन्तिम रूप भी देना है। वे भी आयेंगे। हम इसे नहीं छोड़ेंगे हम यह नहीं चाहते कि सरकारी क्षेत्र में हमारे अधिकारी यह मान लें कि संसद के प्रति उनका कोई उत्तरदायित्व ही नहीं है। यदि मेरे संशय दूर नहीं हुए तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध भी कार्यवाई करूंगा। लेकिन यदि व्यापार की स्थिति और समग्र अर्थ व्यवस्था की स्थिति यही रहती है कि हम उत्पादन की समस्त लागत को शामिल करना तो चाहते हैं परन्तु कुछ विवशता के कारण मूल्यों में वृद्धि नहीं कर सकते तो मैं इस सदन से यह अनुरोध करूंगा कि वे एक उदार दृष्टिकोण अपनाएं।

सभापति महोदय : एक अन्य विषय जिस पर श्री लकप्पा कुछ सूचना चाहते हैं, वह है प्रशानिक व्यय। क्या आप उसमें कुछ किफायत करने के विषय में सोच रहे हैं ?

श्री एन० के० पी० साल्वे : जहां तक व्यय में किफायत करने की बात है, जहां तक अतिथि गृहों या विदेशी दारों का सम्बन्ध है, यदि वे ऐसा कोई 10 रुपए का व्यय भी मेरे ध्यान मे ले आयें जिससे बचा जा सकता था, तो मुझे बहुत खुशी होगी। इस प्रकार का आरोप तो किसी भी सरकारी क्षेत्र के उपक्रम के विरुद्ध लगाया जा सकता है।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : परन्तु इस पांच सितारा संस्कृति का उन्मूलन अवश्य किया जाना चाहिए।

श्री एन० के० पी० साल्वे : मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूं। ऐसी कोई पांच सितारा संस्कृति नहीं है। आप किसी समय आइये और मेरे साथ उन अतिथि गृहों में ठहरिए। मैं आप को आमंत्रित करता हूं कि आप आइये और इस्पात संयंत्र स्टील प्लांट के अतिथि गृह में ठहरिए और आपको मालूम हो जाएगा कि वहां कोई पांच सितारा संस्कृति नही है। वहां मूल रूप से आवश्यक अल्पतम सुख-साधन उपलब्ध होंगे। ये सब चीजें वही है जो आपके घर में हैं या हो सकता यह उन सब चीजों से भी कम हो जो श्री लकप्पा के घर में उपलब्ध है।

श्री चन्द्रपाल शंलानी (हाथरस) माननीय सभापति जी, हमारे देश में यह कैसी विडम्बना है कि जितने भी सरकारी क्षेत्र के कारखाने हैं उनमें से अधिकांश घाटे में चलते हैं और

निजी क्षेत्र के कारखाने फायदे में चलते हैं। आज सरकारी क्षेत्र क कारखाना किसी बनिए को दे दीजिए, वह उसको प्राफिट में चलाएगा। मैं तो केवल एक ही नतीजे पर पहुंचा हूं कि बनिया जो कारखाना चलाता है अपना समझकर चलाता है, वक्त आने पर झाड़ू भी लगा सकता है, छोटे से छोटा काम भी कर सकता है, लेकिन पब्लिक सेक्टर के कारखानों में जो नौकरशाही बैठी हुई है उसको इन बातों से कोई मतलब नहीं है, कारखाना फायदे में चले या नुकसान में चले, लेकिन उसके ऐशो-आराम में फर्क नहीं आना चाहिए। जापान हमारे यहां से कच्चा लोहा खरीदता है, समुद के रास्ते जापान ले जाता है और वहां फिनिश्ड माल तैयार करके समुद्र के रास्ते यहां पर लाता है, फिर भी उसका माल यहां के बने हुए माल के मुकाबले सस्ता मिलता है। आज भारत में पब्लिक सैक्टर का कोई कारखाना ऐसा नहीं है जो घाटे में न चलता हो और यही हालत स्टील अथारिटी आफ इण्डिया की है। उसका कोई भी प्लांट, चाहे रूरकेला हो, भिलाई हो, दुर्गापुर हो, ऐसा नहीं है जो प्राफिट में चल रहा हो। यह तो दिन-प्रति-दिन लास में जा रहे हैं, अरबों रुपयों का घाटा हो रहा है—इसका क्या कारण है ? इस सम्बन्ध में मैं चन्द सवालात माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं—

1. क्या यह सही है कि सेल के कारखानों में बना हुआ माल विशेषकर स्ट्रक्चरल्स जैसे एंगल्स, चैनल्स, बीम्स आदि, अच्छी क्वालिटी के नहीं होते हैं, जिसकी वजह से ग्राहक उनको खरीदने की अपेक्षा टाटा का बना हुआ माल खरीदना पसन्द करता है ?

2. क्या मंत्री जी को यह जानकारी है कि सेल का अधिकांश डिफेक्टिव माल डम्प कर दिया जाता है और बाद में उसे टेन्डर या आक्शन द्वारा 40 परसेन्ट तक की रिबेट देकर बेचा जाता है, इससे भी भारी नुकसान होता है ?

3. क्या यह भी सच है कि हम अभी तक सेल के बने हुए माल के लिए विदेशों में बाजार नहीं तलाश कर पाये हैं ?

4. सेल के प्लांट्स को और अत्याधुनिक बनाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ? इस प्लांट्स को पूरी तरह कम्प्यूटराइज करने की दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

5. क्या यह भी सच है कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण में बड़े-बड़े पदों पर नियुक्तियां तथा पदोन्नति में बड़े पैमाने पर भाई-भतीजावाद तथा पक्षपात चलता है और ईमानदार, भ्रष्ट तथा अकुशल अफसरों को वरीयता दी जाती है ?

6. भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, फिजूलखर्ची तथा अकुशलता के आरोप में पिछले तीन साल में अब तक कितने अफसरों के खिलाफ क्या-क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : सभापति महोदय, इस पर काफी चर्चा तो नहीं हुई है, लेकिन समय कम है इसलिए बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा। कुछ ही मिनटों में अपनी बात करूंगा।

सबसे पहले तो मैं मन्त्री जी से यह कहना चाहता हूं—मंत्री जी बहुत चुस्त हैं, दुरुस्त हैं, लेकिन सबसे बड़ी खामी जो हमको नजर आती है वह यह है—आपके यहां "लैक-आफ-प्लानिंग" देखने को मिलती है। मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन विभिन्न समाचार पत्रों में जो समाचार निकले हैं उनसे ऐसा लगता है कि आपके यहां प्लानिंग नहीं है। यदि आपके यहां प्लानिंग होता, घाटा या मुनाफा होना बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन एक ही चीज जो आपके यहां बन रही है, उसी चीज को इम्पोर्ट करना—यह आपके यहां लैक-आफ-प्लानिंग को दर्शाता है। 14 दिसम्बर, 1983 के "नवभारत टाइम्ज" के अनुसार 12 लाख टन इस्पात नही बिक पाया, जहां तक कास्ट आफ प्रौडक्शन की बात है, ऐसा नहीं है कि वह किसी से कम है, दूसरी जगहों की अपेक्षा हिन्दुस्तान में कास्ट आफ प्रोडक्शन दुगनी आती है।

हमारे यहां बोकारो प्लान्ट है। बोकारो प्लान्ट का 1980 का लक्ष्य 4 मिलियन टन उत्पादन का था लेकिन यह आपकी प्लानिंग का दोष है कि उतना उत्पादन नहीं हो पाया। इसी तरह से आपके पास कोई नक्शा होगा, जिसके अनुसार 1984 तक इसका उत्पादन 10 मिलियन टन हो जाना चाहिए था लेकिन 1984 में उत्पादन हो रहा है 2.5 मिलियन टन। ऐसी स्थिति क्यों है, यह आप कब बताएंगे।

फिर समाचार पत्रों में आता है कि पावर फेल्योर इसका कारण है कि लेकिन आपको देखना चाहिए कि पावर फेल्योर क्यों होता है। आपका प्लानिंग इसके लिए होना चाहिए। क्यों कोयले की कमी के कारण आपका उत्पादन कम होता है। अभी पिछले दिनों वह बताया गया था कि 12 लाख टन कोकिंग कौल आयात करने की परमिशन सरकार ने दी है। अब यह जो कौल आयात किया जाता है, इसकी कीमत लगभग 1 हजार रुपये प्रति टन आती होगी और अगर भारत में ही ठीक से इसको करें, तो इसकी कास्ट 300 रुपये पर टन से अधिक नहीं होगी। इस तरह से आपकी जो प्लानिंग है, वह सही नहीं है। इसके लिए प्लानिंग सही होनी चाहिए और एक दूसरे से कोआर्डिनेशन होना चाहिए, जिसका अभाव दिखाई पड़ता है।

ठेकेदारी के सम्बन्ध में भी आपका ध्यान खींचा गया है। ठेकेदारी के बेसिस पर काम कराए जाते हैं और मैं यह समझता हूं कि यह भी एक कारण है, जिससे आपको नुकसान उठाना पड़ता है।

एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आम तौर पर यह देखने को मिला है कि जब भी प्राइसेज में वृद्धि की जाती है, तो बहुत बड़े पैमाने पर मैन्नूफैक्चरर्स स्टील खरीद लेते हैं। पिछली दफा दो-तीन बार प्राइसेज में इन्क्रीज हुई है और पता नहीं कैसे यह लीकेज हो जाता है और उनको खरीदने का मौका मिल जाता है और सरकार को घाटा उठाना पड़ता है। ये सारे कारण हैं, जिनकी वजह से सरकार को नुकसान उठाना पड़ता है।

एक आखरी प्वाइन्ट कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा । अभी अखबारों में रिसेन्टली निकला था कि दुर्गापुर प्लान्ट के माडर्नाइजेशन के बारे में डिस्कशन हो रहा है। तो इसके बारे में क्या प्रोग्रेस है, इसको मंत्री जी बताने की कृपा करें । मैंने जो प्वाइन्ट्स उठाए हैं, उनके बारे में मंत्री जी जवाब दें ।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : मैं भी एक-दो मिनट लूंगा। माननीय मन्त्री के उत्तर से यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि इस्पात उद्योग में जो घाटा चल रहा है वह कीमतों की बढ़त, भ्रष्टाचार तथा कानून और व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति की तरह विश्वव्यापी है। सरकार की दृष्टि में सब कुछ विश्वव्यापी है । अतः सरकार को कुछ नहीं करना पड़ता है। वास्तव में लोग इसे कभी पसंद नहीं करते हैं। हमारे मन्त्री सक्षम हैं और हमें आशा है कि वह इस बारे में कुछ करेंगे । उन्हें कुछ ऐसा करना चाहिए कि इस्पात उद्योग को घाटा न उठाना पड़े जैसे अन्य सरकारी क्षेत्र के उद्योगों को उठाना पड़ रहा है। एक बार हम वह कारण निकालने का प्रयास करें तो हम कह सकते हैं कि यह घाटा क्यों होता है ? सामान्यतः यह कहा जाता है कि श्रमिक संकट, बिजली की कमी और कच्चा माल न मिलने के कारण तथा सामान्य औद्योगिक वातावरण में तनाव के कारण यह घाटा हो रहा हैं। इसके वास्तविक कारण क्या हैं कोई नहीं जानता है। इसके मुख्य कारण हैं अकुशलता, भ्रष्टाचार और अर्थव्यवस्था जिनके बारे में मेरे मित्र श्री चन्द्रपाल शैलानी ने भी जिक्र किया था। इसमें कोई संदेह नहीं कि अन्य कारण भी हैं। इस्पात की कीमतें सरकार हर वर्ष बढ़ाती चली जा रही है, शायद इस वर्ष माननीय मन्त्री ने नहीं बढ़ाई हैं। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। लेकिन फिर भी यह उद्योग घाटा दिखा रहा है। यह इसलिए हो रहा है क्योंकि जैसे श्री राम विलास पासवान ने कहा दूसरे देशों की तुलना में उत्पादन लागत दुगनी हो गई है । और हम बहुत सा इस्पात आयात कर रहे हैं जोकि हमारे देशी उत्पादन को हानि पहुंचा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे कार्मिक संघों ने इस्पात आयात के विरुद्ध आवाज उठाई है क्योंकि हम इस्पात की कुछ किस्मों का यहां पर भी उत्पादन कर सकते हैं जो हम आज बाहर के देशों से आयात कर रहे हैं। मैं नहीं जानता हूं यदि यह सही है। मुझे बताया गया है कि कार्मिक संघों ने इसका विरोध किया है। वे कह रहे थे कि इस इस्पात का हम अपने देश में भी उत्पादन कर सकते हैं। हमारे इस्पात संयन्त्र अभी पूरी क्षमता से कार्य नहीं कर रहे हैं। हमारे भूतपूर्व इस्पात मंत्री श्री चन्द्रजीत यादव अभी हमें बता रहे थे कि 1974 से 1977 के दौरान जब इस्पात मंत्री थे, तो भिलाई इस्पात कारखाने का उत्पादन कुल क्षमता का 102 प्रतिशत था। यह एक महत्वपूर्ण सफलता थी। मैं नहीं जानता हूं कि इस समय क्या स्थिति है। यदि माननीय मन्त्री हमें विभिन्न उद्योगों के उत्पादन प्रतिशत बताएं तो मैं उनका आभारी हूंगा ।

हमारे कोयले में राख का अंश अधिक होता है। अधिक राख के कारण उसकी उष्मीय शक्ति कम हो जाता है। यदि हम कोयले की बहुत सी "वाशरीज" (कोयला धोने के यन्त्र)

लगाए तो हम इस्पात कारखानों को अच्छी किस्म का कोयला दे सकेंगे। किन्तु प्रश्न यह है कि हम कोयला भी आयात करते हैं। हम यह कब तक कर सकते हैं ? क्या हमारे यहां कोयले की अधिक 'वाशरीज' स्थापित की जाएंगी ? क्या यह सही नहीं है कि हमारे इस्पात कारखानों से कोयले की कमी है जिसके कारण कम उत्पादन हो रहा है ?

अतः मैं पूछना चाहूंगा कि क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड एवं अन्य इस्पात सयन्त्रों में कीमतों, वेतन और वितरण नीति पर कोई विवाद चल रहा है ? मैं विभिन्न सयन्त्रों के प्रबंध में मजदूरों की भागीदारिता के बारे में जानकारी चाहता हूं।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : स्टील अथारिटी आफ इंडिया को 1983-84 में तीन सौ करोड़ रुपए का घाटा हुआ, इसी पर हम बात कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि—

क्या क्षति का कारण बिजली की कमी तो नहीं है ? अगर हां तो इस कमी को दूर करने की कौन-सी कार्यवाही की गई ?

क्या सरकार इस्पात कारखानों को सुचारु रूप से चलाने के लिए कैप्टिव पावर प्लांट खड़ा करने का विचार रखती है ?

लोहे की खदानों में क्या श्रम संबंधों के ठीक रहने के कारण भी उद्योग को क्षति उठानी पड़ रही है ? यदि हां, तो श्रम सम्बन्धों को सुधारने तथा मजदूरों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए कौन-सी कार्यवाही की गई है ?

क्या प्रबंध में मजदूरों को हिस्सेदारी प्राप्त है ? यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है और नहीं तो क्यों ? क्या उत्पादन के लक्ष्यों एवं प्राप्ति में मजदूरों एवं उनके संगठनों से सलाह-मशविरा लिया जाता है ? यदि नहीं तो क्यों ? मेरा तात्पर्य प्लेन बनाने में सलाह लेने से है।

क्या यह सच है कि बोकारो इस्पात कारखाने में उत्पादन क्षमता का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है ? यदि हां तो क्यों ? उत्पादन क्षमता क्या है और वास्तविक उत्पादन का ब्यौरा क्या है ?

हर मंत्री यही बताते हैं कि विश्व की स्थिति यही है कि इस्पात के दाम बढ़ रहे हैं, इंगलैंड में बढ़ गए, अमेरिका में बढ़ गए। मैं जानना चाहता हूं कि क्या किसी समाजवादी मुल्क में भी इस्पात की कीमतों में वृद्धि हुई है ? यदि हां तो वह कौन-सा समाजवादी मुल्क है ?

श्री एन० के० पी० साल्वे : सभापति जी, सबसे पहले मैं यह निवेदन करना चाहता हूं

कि जब हम विश्व से घटने और बढ़ने के बारे में तुलना करते हैं, एक जगह घाटा है, दूसरी जगह घाटा नहीं है तो इससे हम तसल्ली नहीं कर लेते। लकप्पा जी ने कहा था कि हिंदुस्तान में नुकसान एक पेराडोक्स है, मैंने उनके जवाब में कहा था कि पेराडोक्स नहीं हैं।

साथ ही साथ मैंने निवेदन किया था कि एक साल भर में किस तरीके से हमने इस मुल्क में, विशेषकर इस्पात के मामले में काम किया है। सार्वजनिक क्षेत्र में जो इस्पात के के कारखाने हैं उनको लेकर, बिक्री को लेकर,- स्टाक्स को लेकर, इंपोर्ट्स को लेकर, कीमतों को लेकर किस तरीके से स्ट्रेटजी को कामयाब बनाने का प्रयास किया है और किस हद तक कामयाब हुए हैं। घाटा क्यों हुआ, इसके बारे में मैंने निवेदन किया है। निजी क्षेत्र की आप बात करते हैं, हमारे यहां से जो 5 हजार रुपए के हिसाब से लोहा खरीदते हैं, उसको वे 7, साढ़े सात हजार के हिसाब से ब्लैक में बेचते हैं। हम या टाटा नहीं करते। 5 हमारे कारखाने हैं और एक टाटा का है। टाटा का भी अच्छा इसलिए चल रहा है कि जो कीमत तय होती है निर्धारित कीमत पर ही वे बेचते हैं, ब्लैक नहीं करते। अगर वही नीति हम अपनाने लगें, जिसका अभी आपने जिक्र किया तो हमारे यहां लोहे के कारखाने हो जाएं। हमसे लोहा खरीदकर लोगों ने अरबों रुपया कमाया है और हम लोग मुसीबत में हैं। मगर इसका परिणाम यह हुआ है कि हमारी जो आर्थिक व्यवस्था है उसके ऊपर जो परिणाम होने चाहिए, उसकी तरीके से रहनी चाहिए। इसी तरीके से हए चलते आए हैं। इसलिग नुकसान हुआ। हमारा जो कास्ट आफ प्रोडक्शन है, जो उत्पादन क्षमता है, उसके अनुसार पूरा उत्पादन हम नहीं कर पा रहे हैं यह सही है और जापान से जैसा आपने कहा कि दुगनी कीमत है, दुगनी कीमत नहीं है हाट मैटल की, मगर थोड़ी ज्यादा है। मगर उनकी कैपिसटी है 110 मिलियन टन 1 तो कुछ तो फर्क होगा ही फिर जापान हर चीज बढ़िया से बढ़िया इम्पोर्ट करता है और हमारी 12 मिलियन टन कोयले के बारे में भी आपने बताया कि उसमें 29 परसेंट एश कन्टेट है हमारे ब्लास्ट जो फर्नेस हैं वे 17 परसेन्ट से ज्यादा एश कन्टेट ले नहीं सकते। जब बाहर से हमारे एक्सपट्स आते हैं और देखते हैं कि इस कोयले से हम काम चला रहे हैं तो वे कहते हैं कि भारत में किस तरीके के जीनियस हैं जो इस कोयले से लोहा बना रहे हैं। हमें शौक नहीं है कि हम इम्पोर्ट करें और कीमत ज्यादा दें। सौ-दो सौ रुपया पर टन अधिक देना पड़ता हैं जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। मगर मजबूर हैं इस वजह से हमें इस्पोर्ट करना पड़ता है। आपने बजा फरमाया कि हमें वाशरीज लगानी चाहिए। हम प्रयत्नशील है और हम इसको कर पाएंगे।

आपने और बताया कि 40 परसेन्ट रिवेट में डंप करके सेल में माल बेच देते हैं। यह बिल्कुल नहीं है। हम माल की बहुत इज्जत करते हैं। इस तरीके से बेचते नहीं है। जो माल बहुत पुराना हो जाता है, 6 महीने से ऊपर हो गया, दो-दो साल तक पड़ा रहा, उसको एक, दो, तीन परसेन्ट देकर निकाल देते हैं और वह भी तब की बात है जब मंदी थी, कोई खरीदने वाला नहीं था। आज तो वह बात भी नहीं रही। अब माल में इस तरह का डिस्काउन्ट हम नहीं देते।

दूसरी बात भ्रष्टाचार की ओर इनएफिसएन्सी की गई। अगर मैं यह कहूं कि बिल्कुल भ्रष्टाचार नहीं है तो यह ठीक नहीं होगा। आज समाज में कौन सी ऐसी जगह है जहां भ्रष्टाचार नहीं है। मगर यह सिर्फ पब्लिक सेक्टर में है और प्राइवेट सेक्टर बिल्कुल साफ है, यह अनुचित बात है। पब्लिक सेक्टर के समर्थक जो लोग हैं, उनको इस चीज को देखकर चलना चाहिए। लेकिन आप कोई भी एग्जंपिल बताइए और फिर देखिए कि हम किस तरह से उनके पीछे पड़ जाते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम लोग किसी भी घाटे को, किसी भी खर्चे को या कोई भी ऐसी चीज जिसकी वजह से विपरीत परिणाम हों, उसको कभी चुपचाप मानने के लिए तैयार नहीं है। हम खोजबीन करते हैं, मानेटरिंग करते रहते हैं। यही वजह है कि साल भर में कुछ न कुछ किया है। ज्यादा नहीं किया है, स्पेक्टेकुलर नहीं हुए, लास को प्राफिट में कन्वर्ट नहीं कर सके, क्योंकि हम जानते हैं कि बगैर कीमतें बढ़ाए हम कास्ट आफ प्रोडक्शन को कवर नहीं कर पाएंगे। इसलिए यह किया गया। तो कृपा करके घाटा क्यों है, किस वजह से है इसको देखा जाए। अगर आप सोचते हैं कि आर्थिक नीति गलत है तो वह दूसरे पहलू पर हम चले जाते हैं, दूसरे स्तर पर चले जाते हैं। जब तक हमारी कास्ट आफ प्रोडक्शन के हिसाब से प्राइसेस नहीं आएंगे तब तक कभी प्राफिट नहीं हो सकता। मैंने निवेदन किया है कि जिन हालातों में से हम गुजरे हैं, जो ब्याज हमने दिया है, जो जबरदस्त डेप्रिसिएशन दिया है और साथ ही साथ 4-5 सौ रुपए पर टन स्टेचुटरी डेवलपमेंट फंड कांट्रीब्यूट करते आए हैं नुक्सान हो रहा है और वह दे रहे हैं। अगर स्टेचुटरी डेवलपमेंट फण्ड को स्थगित कर दें, जब तक नुक्सान है तो शायद मुमकिन है कि नुकसान न हो। ऐसे हालात में मेरा निवेदन यह है कि जैसा यहां पर कहा गया कि भाई भतीजावाद है, लोग निकम्मे हैं, यह गलत चीज है। लैक आफ प्लानिंग का जिक्र किया पासवान जी ने, हो सकता है किसी हद तक इन्वेस्टमैंट प्लानिंग, प्रोडक्शन प्लानिंग में कुछ खामियां होती रहती है, उसमें हम सुधार कर रहे हैं। हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से आगे काम बढ़ाना चाहिए और लगातार कोशिश करते हैं कि प्लानिंग एक कोआर्डिनेटेड प्लानिंग हो, उसके अच्छे परिणाम हों। ठेकेदारी के बारे में भी जिक्र किया गया है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो ठेकेदारी पर करवाने पड़ते हैं। हमारे यहां श्रमिकों को बहुत अच्छा वेतन मिलता है। ढाई हजार से ऊपर तक के प्रिंज बेनीफिट मिलाकर उनको मिलते हैं। चार साल में हमारा एग्रीमेंट होता हैं। शास्त्री जी ने श्रमिकों के साथ ताल्लुकात के बारे में कहा था। प्लानिंग वगैरह मदद लेते हैं या नहीं ? बोर्ड आफ डायरेक्टर्स में लेबर से लिए हुए आदमी हैं। हम तो लेबर का पार्टिसिपेशन चाहते हैं। चार-चार साल का के एग्रीमेंट का एक फार्मूला हमने बनाया है, उसकी वजह से लेबर के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है।

श्री रामावतार शास्त्री : खान की लेबर के बारे में बताइए।

श्री एन० के० पो० साल्वे : अभी हमने बहुत कुछ करना है। यह जरूर है कि हर चीज

जैसी आनी चाहिए, वैसी नहीं आई है। लेकिन प्रयास कर रहे हैं। स्टील इन्डस्ट्री के लिमिटेशन्स दूसरे नहीं है। समाज में हम सबके साथ हैं।

श्री रामविलास पासवान : जापान के साथ क्या चल रहा है ?

श्री एस० के० पी० साल्वे : जापान की टेक्नोलाजी सर्वोत्तम और अच्छी मानी जाती है। उनसे भी बातचीत चल रही है। सवाल पैसों का होता है। जापान की मिल जाए तो बहुत अच्छा है नहीं तो इंग्लैंड से भी बात हुई है। हमारा माईन्ड ओपन है। बढ़िया बढ़िया और सस्ते दाम में लें, यह हम चाहते हैं। शास्त्री जी ने आयरन और लेबर प्राबलम की बात की थी। शास्त्री जी मुझे लिखकर देंगे तो मैं अवश्य उत्तर दूंगा।

6.57 म० प०

सभा का अवमान

सभापति महोदय : जैसा कि सभा को पता है कि आज लगभग 14.53 बजे, अपना नाम उस्मान गनी, पुत्र श्री हाफिज मोहम्मद अकबर बताने वाले एक दर्शक ने दर्शक दीर्घा से कुछ नारे लगाए। वाच एण्ड वार्ड अधिकारी ने उसे तुरन्त हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ की। उक्त दर्शक ने एक बयान दिया, किन्तु उसने अपने कृत्य के लिए कोई खेद प्रकट नहीं किया।

मैं मामले की सूचना सभा के ध्यान में लाता हूं कि वह जो भी कार्यवाही उचित समझे, करे।

निर्माण और आवास मंत्रालय में खेल विभाग में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"यह सभा संकल्प करती है कि अपना नाम उस्मान गनी पुत्र श्री हाफिज मोहम्मद अकबर बताने वाले व्यक्ति ने जिसने आज लगभग 14.53 बजे दर्शक दीर्घा से कुछ नारे लगाए और जिसे वाच एण्ड वार्ड अधिकारी ने तुरन्त हिरासत में ले लिया, गम्भीर अपराध किया है और वह इस सभा का अवमान करने का दोषी है। वह सभा यह भी संकल्प करती है कि उक्त उस्मान गनी पुत्र श्री हाफिज मोहम्मद अकबर को सभा का उपर्युक्त अवमान करने के कारण बुधवार, 9 मई 1984 के 6.30 म० प० तक साधारण कारावास का दंड दिया जाए और उसे केंद्रीय कारागास, तिहाड़ नई दिल्ली में भेजा जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"यह सभा संकल्प करती है कि अपना नाम उस्मान गनी, पुत्र श्री हाफिज मोहम्मद अकबर बताने वाले व्यक्ति ने, जिसने आज लगभग 14.53 बजे दर्शक दीर्घा

से कुछ नारे लगाए और जिसे वार्ड एण्ड वार्ड अधिकारी ने तुरन्त हिरासत में ले लिया गम्भीर अपराध किया है और वह इस सभा का अवमान करने का दोषी है।

यह सभा यह भी संकल्प करती है कि उक्त उस्मान गनी पुत्र श्री हाफिज मोहम्मद अकबर को सभा का उपर्युक्त अवमान करने के कारण, बुधवार, 9 मई 1984 के 6.30 म० प० तक साधारण कारावास का दण्ड दिया जाए और उसे केन्द्रीय कारावास, तिहाड़ नई दिल्ली में भेजा जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

7.00 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार 8 मई 1984/18 वैशाख, 1906(शक) के 11 म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।